श माला, खंड 22, अंक 16

गुरुवार, 17 अगस्त, 2006
26 श्रावण, 1928 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद

## (हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 61
Dated 26 May 2008

(खण्ड 22 में अंक 11 से 22 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

## विषय-सूची

*चतुर्दश माला, खण्ड 22, आठवां सत्र, 2006/1928 (शक)*

**अंक 16, गुरूवार, 17 अगस्त, 2006/26 श्रावण, 1928 (शक)**


| विषय | कॉलम |
|---|---|
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर** | 1-41 |
| *तारांकित प्रश्न संख्या 301 से 303, 307 और 308 | 1-41 |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | 41-306 |
| तारांकित प्रश्न संख्या 304 से 306 और 309 से 320 | 41-63 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या 2286 से 2515 | 63-305 |
| **सभा पटल पर रखे गए पत्र** | 306 |
| **अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी** | 306-307 |
| **श्री चन्द्रशेखर को बधाई** | 307 |
| **अध्यक्ष द्वारा घोषणा** | 307-309 |
| ध्यानाकर्षण के स्थगन के बारे में | |
| **सदस्यों द्वारा निवेदन** | 309-334 |
| (एक) आत्मसमर्पण कर चुके तीन आतंकवादियों, जो इस समय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में नियुक्त हैं, को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनाती के कथित समाचार के बारे में | 304-322 |
| (दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड को फिर से चालू किए जाने और इसके कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न किए जाने के बारे में | 322-328 |
| (तीन) देश की विभिन्न इकाइयों में कार्यरत आई.टी.आई. लिमिटेड के 14,000 कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न किए जाने के बारे में | 331-334 |
| **नियम 377 के अधीन मामले** | 335-343 |
| (एक) कर्नाटक के कनकपुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रामनगर में "फूड पार्क" स्थापित किए जाने की आवश्यकता | |
| श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश | 336-336 |
| (दो) कॉल सेंटर्स में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता | |
| श्री बाडिगा रामकृष्णा | 336 |
| (तीन) उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में हाईटेक सिटीज़ बनाने के लिए जिन किसानों की भूमि अधिगृहीत की गई है, उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता | |
| श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल | 336-337 |
| (चार) तमिलनाडु के पलानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्थित धारापुरम और कंगायम ताल्लुकों में पुलों का निर्माण करने के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता | |
| श्री एस.के. खारवेनथन | 337 |
| (पांच) राजस्थान के अलवर में स्थित बालकिला और स्टेपबेल अथवा बाउरी स्मारकों की स्वर्णिम विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंपे जाने की आवश्यकता | |
| डा. करण सिंह यादव | 338 |


* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

| विषय | कॉलम |
|---|---|


(छह) ग्वालियर और देवास के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 को चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता

श्री थावरचन्द गेहलोत ............ 338

(सात) झांसी मंडल के कोंच स्टेशन पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण काउंटर बनाए जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ............ 338-339

(आठ) आपदा राहत कोष और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष से सहायता प्राप्त करने हेतु सामुद्रिक अपरदन को आपदा घोषित किए जाने की आवश्यकता

डा. के.एस. मनोज ............ 339

(नौ) उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की 16 जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किए जाने को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री हरिकेवल प्रसाद ............ 339-340

(दस) पटना और आरा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव ............ 340

(ग्यारह) तमिलनाडु के तेनकासी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बीड़ी कर्मकारों के बच्चों को शैक्षणिक छात्रवृत्ति जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. अप्पादुरई ............ 341

(बारह) "प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना" के अंतर्गत बिहार के बगहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री कैलाश बैठा ............ 341

(तेरह) उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री मुन्शी राम ............ 342

(चौदह) मंडल आयोग के प्रतिवेदन में किए गए उपबंध के अनुसार मुस्लिम समुदाय के अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता

श्री अनवर हुसैन ............ 342-343

**छावनी, विधेयक, 2006** ............ 343-369

विचार करने के लिए प्रस्ताव

डा. बाबू राम मिडियम ............ 343-346

श्री मोहन सिंह ............ 346-350

श्री आलोक कुमार मेहता ............ 350-352

श्री भर्तृहरि मेहताब ............ 352-355

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ............ 355-357

श्री प्रबोध पाण्डा ............ 358-359

श्रीमती मेनका गांधी ............ 359-360

डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनी राम शांडिल्य ............ 361-363

श्री किन्जरपु येरननायडु ............ 364-366

श्री चन्द्रकांत खैरे ............ 367-369

श्री संतोष गंगवार ............ 369

**विषय** **कॉलम**

**नियम 193 के अधीन चर्चा** ..... 369-452

देश के किसानों में व्याप्त निराशा

श्री मोहन सिंह ..... 369-376

श्रीमती परनीत कौर ..... 394-397

श्री कैलाश जोशी ..... 397-405

श्री कुलदीप बिशनोई ..... 405-410

श्री अनंत गंगाराम गीते ..... 410-413

डा. सुजान चक्रवर्ती ..... 413-418

श्रीमती अर्चना नायक ..... 418-420

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव ..... 420-426

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ..... 426-431

श्री डी. वेणुगोपाल ..... 431-434

श्री एस. मल्लिकार्जुनैया ..... 434-436

श्री प्रसन्न आचार्य ..... 436-442

श्री सुखबीर सिंह बादल ..... 442-447

श्री भर्तृहरि महताब ..... 447-452

**लाभ के पद से संबंधित संवैधानिक और विधिक स्थिति की जांच करने के लिए संयुक्त समिति के गठन के बारे में प्रस्ताव** ..... 336-338

**अनुबंध-I** ..... 467-474

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका ..... 467

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका ..... 468-474

**अनुबंध-II** ..... 475-478

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका ..... 475-476

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका ..... 476-478

# लोक सभा वाद-विवाद

## लोक सभा

गुरुवार, 17 अगस्त, 2006/26, श्रावण, 1928 (शक)

*लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।*

**(अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए)*

*[हिन्दी]*

**श्री रामजीलाल सुमन** (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** मैं आपका नाम बाद में पुकारूंगा।

...*(व्यवधान)*

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न संख्या 301, श्री संतोष गंगवार

*[हिन्दी]*

### आई.आई.टी. के साथ प्रौद्योगिकी मिशन

***301. श्री संतोष गंगवार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने बढ़ती रेल दुर्घटनाओं के मद्देनजर यात्रियों और गाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक प्रौद्योगिकी मिशन उपलब्ध कराने के लिए आई.आई.टी. कानपुर के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे उक्त करार से मुकर गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

*[अनुवाद]*

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

***विवरण***

(क) रेल मंत्रालय द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आईटी)/कानपुर के साथ किसी करार पर दस्तखत नहीं किए गए हैं। बहरहाल, "रेलवे संरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी मिशन" हेतु महानिदेशक, अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन तथा निदेशक आईआईटी/कानपुर द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए एवं हस्ताक्षरित "मिशन मैनेजमेंट मैनुअल" को रेल मंत्रालय ने अनुमोदित किया है।

(ख) इस मिशन की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से भारतीय रेलवे की संरक्षा से संबंधित मुद्दों का हल ढूंढने के लिए किया गया है जिसका प्रतिनिधित्व आईआईटी/कानपुर तथा औद्योगिक भागीदारों द्वारा किया गया था। शुरूआत में रेलवे बोर्ड ने तकरीबन 26.5 करोड़ रु. की लागत रु. की लागत से 14 संरक्षा संबंधी परियोजनाओं को अनुमोदित किया था जिसमें रेलवे की भागीदारी 8.01 करोड़ रु. थी। लागत में भागीदारी 50:30:20 के हिसाब से क्रमशः मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय तथा उद्योग के बीच की जाती है। परियोजनाओं के स्वरूप तथा प्रगति की समीक्षा के बाद परियोजनाओं की संख्या कम करके 12 कर दी गई है और तदनुसार अनुमानित लागत कम होकर 24 करोड़ रु. तथा रेलवे की भागीदारी कम होकर 7.20 करोड़ रु. हो गई है। रेल संरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत 12 परियोजनाओं की सूची दर्शायी गई है:–

| क्रम सं. | परियोजना का नाम |
|---|---|
| 1. | ट्रैक साइड बोगी मॉनीटरिंग प्रणाली |
| 2. | गाड़ी के पटरी से उतरने का पता लगाने वाले उपकरण |
| 3. | हॉट बाक्सेज़ हॉट व्हील्स का पता लगाने के लिए सूचकांक |
| 4. | चलती गाड़ी में खराबी का पता लगाना |
| 5. | बेहतर धातुओं के पहिया एवं धुरे |
| 6. | पहिया प्रौद्योगिकी का मापन |
| 7. | पर्यावरण के अनुकूलन सवारीडिब्बों में शौच निपटान प्रणाली |
| 8. | पटरियों पर जंग लगने से बचाव |
| 9. | बेहतर जुड़नार |
| 10. | पटरी में दरार संसूचक उपकरण प्रणाली |
| 11. | रेल संचलन के लिए उपग्रहीय चित्रांकन (सिमरान) |
| | (i) ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम पर आधारित रेल नेटवर्क मैपिंग तथा ट्रेन ट्रैकिंग |
| | (ii) बेतार संपर्क |
| 12. | ऐसे उपकरण जिनकी सहायता से कोहरे के दौरान भी देखा जा सके। |

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**श्री संतोष गंगवार :** अध्यक्ष महोदय, मैं रेल मंत्रालय की शब्दावली के ऊपर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण विषय

का था। रेल मंत्रालय ने वर्ष 2003 में चार बैठकें करके तय किया कि आईआईटी, कानपुर और आरजीएसओ मिलकर दस साल का एक एक्शन प्लान बनाएंगी। एक्शन प्लान के तहत एक टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना हुई। उस मिशन की स्थापना के करार पर रेल मंत्रालय के भी हस्ताक्षर हुए। रेल मंत्रालय ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया कि रेल मंत्रालय ने किसी करार पर दस्तखत नहीं किए और उसके नीचे लिख रहे हैं कि आई.आई.टी., कानपुर द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए एवं हस्ताक्षर मिशन मैनेजमैंट मैनुअल को रेल मंत्रालय ने अनुमोदित किया। यह रेल और देश की सुरक्षा दोनों से जुड़ा हुआ विषय और भविष्य के लिए प्लान है, जबकि रेल की रफ्तार बढ़ गई, रेलों की संख्या बढ़ गई और अगर हमने नवीनतम टेक्नोलॉजी नहीं ली तो फिर कहीं न कहीं पीछे रह जाएंगे। इसके लिए वर्ष 2003 में एक एक्शन प्लान बनाया था जिसमें अक्टूबर में तय हुआ था कि तीन वर्ष में एक्शन प्लान अपनी पूरी रिपोर्ट दे देगा और उसके बाकी सैट–अप के लिए छः महीने का समय दिया गया था यानी साढ़े तीन वर्ष का समय था। इसका मतलब वह समय अब खत्म होने वाला है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि एक्शन प्लान में जो कुछ बातें इन्होंने लिखीं, एक, इसमें एमाउंट कम कर दिया गया है, 33 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को 24 करोड़ कर दिया गया है, इसके तीन वर्षों में, जिसमें से अब तक पौने तीन वर्ष हो गए हैं, क्या प्रगति हुई है और इस संबंध में क्या जानकारी प्राप्त हुई है?

*[अनुवाद]*

**श्री आर. वेलु :** प्रौद्योगिकी मिशन रेलवे से संबंधित सभी सुरक्षा–मुद्दों के व्यापक रूप से समापन हेतु दिनांक 15.08.2003 के तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं का परिणाम था। तदनुसार, आई.आई.टी., कानपुर, रेलवे और आर डी एस ओ, लखनऊ तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से लागत हिस्सेदारी की जानी थी। माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न उठाया गया है कि कोई समझौता क्यों नहीं हुआ? हम ऐसा क्यों कहें कि समझौता नहीं था? प्रश्न यह था कि क्या कोई समझौता हुआ। मैं केवल उसी का उत्तर दूंगा कि यह समझौता नहीं था बल्कि एक मिशन प्रबंधन मैनुअल था जिसमें सभी निबंधन और शर्तों, प्रगति, डिजाईन आदि पर चर्चा की जाएगी और योजना तत्संबंधी तैयार की जाएगी। इसलिए, इसे मैनुअल कहा जाता है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

दूसरा प्रश्न था कि वित्त में कटौती क्यों की गई थी। जब इस पर विचार किया गया था, तो चार मिशन कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल मिलाकर 14 योजनाएं, परियोजनाएं तैयार की गई थी। पहला, ट्रैक्शन और रोलिंग स्टॉक; दूसरा, ट्रैक साइड बोगी मॉनिटरिंग सिस्टम और पुल, तीसरा, सिग्नल और संचार; और चौथा फॉग विजन इंस्ट्रुमेंटेशन। इन चार मिशनों के अंतर्गत, 14 मदों के लिए परियोजनाएं शामिल की गई। बाद में, इसकी समीक्षा की गई और इसे घटाकर 12 कर दिया गया और इसलिए, 26 करोड़ रु. से घटकर 24 करोड़ रु. हो गया है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

समय बीतने के बारे में, जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, मैं कहना चाहूंगा कि इसे अगस्त, 2008 में समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए अप्रैल, 2005 में आरंभ किया गया है जिसमें छः माह की वह अवधि भी शामिल है जो मिशन से रेलवे को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण लगने वाली थी।

इसलिए, अब डेढ़ वर्ष की अवधि बीत चुकी है और अभी हमारे पास अभी भी डेढ़ वर्ष का समय बचा है। वे सभी अनुसंधान के विभिन्न चरणों में हैं और वे वर्ष 2013 तक निश्चय ही आ जाएंगी; वे परिणाम देंगी और रेलवे को अंतरित कर दी जाएंगी।

*[हिन्दी]*

**श्री संतोष गंगवार :** अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के जवाब में कहा है कि यह परियोजना 2003 में 2013 यानी 10 साल का एक्शन प्लान बनाने की बात थी और अगस्त, 2003 में जो तय हुआ था, उसके हिसाब से 2006–07 तक इसे समाप्त होना था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनका कार्यक्रम वर्ष 2008 तक भी समाप्त नहीं हो पाएगा। रेल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपने कुछ बातें रखी हैं, सवाल इस बात का नहीं है, उस समय यह कहा गया था कि पैसे की कोई कमी नहीं है। जबकि 14 परियोजनाओं में से 12 परियोजनाएं की गईं और 12 परियोजनाओं के लिए 26 करोड़ रुपए की जगह 24 करोड़ रुपए कर दिए गए। इसका मतलब यह है कि जो दो परियोजनाएं छोड़ी गईं, वे महत्वपूर्ण परियोजनाएं थीं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल इतना पूछना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से रेल की जो सुरक्षा होनी चाहिए, जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो रेलों की रफ्तार बढ़ रही है, रेलों की संख्या बढ़ रही है, क्या उसके अनुरूप हम चल रहे हैं? यदि हां, तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार आपकी प्रगति कितनी है और जब तक 10 साल का एक्शन प्लान पूरा होगा तब तक हम क्या उसे एचीव कर पाएंगे? जैसा आपने अभी कहा कि वर्ष 2005 में यह परियोजना शुरु हुई। जब हम पहले ही डेढ़ साल लेट चल रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि समय सीमा के अंदर यह परियोजना पूरी हो जाएगी?

*[अनुवाद]*

**श्री आर. वेलु :** जैसा कि मैंने उल्लेख किया, दस वर्षीय निगमित सुरक्षा योजना, जो 2003 में शुरू होकर 2013 में समाप्त होगी, की घोषणा के तुरंत बाद ही 32,000 करोड़ रुपए की दस वर्षीय योजना बनाई गई। यही निगमित सुरक्षा योजना (कार्पोरेट सेफ्टी प्लान) है।

अब, "प्रौद्योगिकी मिशन" के बारे में उल्लेख किया गया था, जिसमें सुरक्षा संबंधी पहलुओं को उठाया गया था। उन्हें आशंका है कि क्या पर्याप्त धनराशि आबंटित की जाएगी।

*[हिन्दी]*

**श्री संतोष गंगवार :** अध्यक्ष महोदय, यह परियोजना वर्ष 2013 तक पूरी होनी थी। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री आर. वेलु :** मैं इसके बारे में बताऊंगा।

**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है।

**श्री आर. वेलु :** मैं इसे स्पष्ट करता हूं। माननीय सदस्य को आंशका है कि क्या इसे पूरा कर लिया जाएगा। धनराशि प्राप्त करने में कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि हमने इसके लिए पर्याप्त धनराशि पहले ही नियत कर दी है। वस्तुतः कुल 24 करोड़ रुपए की राशि में से हमने 5 करोड़ रुपए की राशि पहले ही नियत कर दी है, और शेष राशि भी आबंटित कर दी जाएगी। धनराशि में भागीदारी इस तरह से हागी – 50 प्रतिशत राशि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, 30 प्रतिशत राशि रेल मंत्रालय द्वारा और 20 प्रतिशत राशि उद्योग भागीदारों द्वारा वहन की जाएगी। इसलिए, इसके वित्त पोषण भाग में कोई कठिनाई नहीं है।

मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि यह प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास की व्यवस्था करने के अपने उद्देश्यों को अवश्य प्राप्त करेगी, जिसे रेलवे को अंतरित कर दिया जाएगा।

**डा. के. एस. मनोज :** रेलवे में चौकीदार रहित समपारों पर दुर्घटनाएं होना सामान्य बात हो गई है।

**अध्यक्ष महोदय :** यह "प्रौद्योगिकी मिशन" के बारे में है।

**डा. के. एस. मनोज :** हां, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। मेरे जिले एर्नाकुलम में एक रेल लाइन में, चौकीदार रहित समपारों की संख्या बहुत ज्यादा है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या मंत्रालय चौकीदार रहित समपारों पर कुछ उपकरण स्थापित करने पर विचार कर रहा है ताकि यात्रियों और सड़क प्रयोक्ता यह पता लगा सके, कि चौकीदार रहित समपारों के निकट कोई ट्रेन तो नहीं आ रही है।

**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रौद्योगिकी का मामला है। वह यह आश्वासन दे सकते हैं कि सभी की सुरखा की जाएगी।

**श्री आर. वेलु :** हमारे यहां करीब 16,000 चौकीदार युक्त रेल समपार हैं और करीब 20,000 चौकीदार रहित रेल समपार हैं। इनमें से, हमने अभी करीब 900 रेल समपारों का चयन किया है जो चौकीदार युक्त बनाए जाने के उपयुक्त हैं। इस विशेष मामले में उन्होंने पूछा है कि क्या इस प्रौद्योगिकी से सड़क प्रयोक्ताओं को चेतावनी मिल सकेगी। अभी हम एक प्रणाली विकसित कर रहे हैं जिसमें टक्कर-रोधी उपकरण भी लगा होता है, जिसे अभी उत्तर पूर्व सीमांत रेल और कोंकण रेलवे में चालू किया गया है जो निश्चित रूप से भविष्य में चौकीदार रहित समपारों पर सड़क प्रयोक्ताओं को एक तरह का चेतावनी सिग्नल देगी। हम उसको विकसित कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

**श्री वरकला राधाकृष्णन :** रेल सुरक्षा उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब एक "प्रौद्योगिकी मिशन" तैयार करने के लिए तीन मंत्रालय एक साथ कार्य कर रहे हैं। रेल मंत्रालय का योगदान 30 प्रतिशत है। मैं समझता हूं कि पहले स्वीकृत राशि 26,000 करोड़ रुपए थी, लेकिन अब इसे घटी राशि के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। मैं राशि कम करने के कारणों के बारे में जानना चाहूंगा।

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री ने इसका जवाब पहले ही दे दिया है। यह एक बार फिर इस उत्तर को दोहरा सकते हैं।

**श्री आर. वेलु :** मैं संक्षेप में इसे पुनः दोहराता हूं। 14 स्वीकृत परियोजनाओं में से, केवल 12 पर कार्य शुरू किया गया है और इसलिए यह राशि कम की गई है। अब, प्रश्न है कि, इन दो परियोजनाओं को क्यों छोड़ा गया। पहली बात कम्प्यूटरीकृत नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमें पर्याप्त आई.आई.टी. वृत्तिक नहीं मिल पाए। दूसरी बात, हमने पहले ही "सॉलिड स्टेट इंटरलाकिंग" संबंधी पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया है और इसलिए हमने इस परियोजना को छोड़ दिया। इसलिए, यह कटौती की गई।

### केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को घाटा

\+
**302. श्री बालासाहिब विखे पाटील :**
**श्री कैलाश मेघवाल :**

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रम (सीपीएसई) गत कई वर्षों से लगातार घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इन उपक्रमों के घाटे को किस प्रकार से कम करने का विचार है?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) :** (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

#### *विवरण*

(क) और (ख) लोक उद्यम सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है और यह एक प्रकाशित दस्तावेज है। इस सर्वेक्षण के अनुसार दिनांक 31.3.2005 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 41 उद्यम गत तीन

वर्षों से निरंतर घाटा उठा रहे थे। उद्यम–वार ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह उल्लेख किया गया है कि सरकार एक ऐसे सुदृढ़ तथा कारगर सरकारी क्षेत्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति उसके वाणिज्यिक कार्यचालन के माध्यम से हो। तथापि, सरकारी क्षेत्र की रुग्ण कंपनियों का आधुनिकीकरण व पुनर्गठन करने तथा रुग्ण उद्योगों के पुनरुद्धार की हर संभव कोशिश की जाएगी, तथापि, लंबे समय से घाटा उठाने वाली कंपनियों को या तो बेच दिया जाएगा अथवा उन्हें बंद कर दिया जाएगा, परंतु ऐसा करने के पूर्व उनके कामगारों की सभी वैध देनदारियों तथा अन्य क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। इस संबंध में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा समय–समय पर उद्यम सापेक्ष उपाए किए जाते हैं। दिसम्बर, 2004 में सरकार ने सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) की भी स्थापना की है, जोकि केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, पुनरुद्धार तथा पुनर्गठन का कार्य करेगा तथा सरकार को इनसे संबंधित रणनीतियों, उपायों तथा उनसे संबंधित योजनाओं के बारे में परामर्श देगा।

***अनुबंध***

*31.3.2005 के अनुसार गत 5 वर्षों के लिए लगातार घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की सूची*

| क्रम सं. | मंत्रालय/विभाग का नाम<br>कंपनी का नाम |
|---|---|
| 1 | 2 |
| | **कृषि मंत्रालय** |
| | **कृषि एवं सहकारिता विभाग** |
| 1. | स्टेट फार्म्स कारपो. ऑफ इंडिया लि. |
| | **रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय** |
| | **रसायन एवं पेट्रोकैमिकल्स विभाग** |
| 2. | हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लि. |
| 3. | हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन्स लि. |
| 4. | हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लि. |
| 5. | इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि. |
| | **रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय** |
| | **उर्वरक विभाग** |
| 6. | फर्टिलाइजर कारपो. ऑफ इंडिया लि. |
| 7. | हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कारपो. लि. |
| | **कोयला मंत्रालय** |
| 8. | भारत कोकिंग कोल लि. |
| 9. | इस्टर्न कोलफील्ड्स लि. |
| | **उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विकास मंत्रालय** |
| 10. | उत्तर–पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि. |
| 11. | उत्तर–पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि. |
| | **पर्यावरण एवं वन मंत्रालय** |
| 12. | अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह वन एवं बागान विकास निगम लि. |
| | **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय** |
| | **भारी उद्योग विभाग** |
| 13. | एण्डयु यूले एण्ड कंपनी लि. |
| 14. | भारत पम्प्स एण्ड कंप्रेशर्स लि. |
| 15. | भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कं. लि. |
| 16. | बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि. |
| 17. | सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. |
| 18. | हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि. |
| 19. | हिन्दुस्तान केबल्स लि. |
| 20. | हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्यु. कं. लि. |
| 21. | एचएमटी चिनार वाचेज लि. |
| 22. | एचएमटी मशीन टूल्स लि. |
| 23. | एचएमटी वाचेज लि. |
| 24. | इंस्ट्रूमेंटेशन लि. |
| 25. | नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कं. लि. |
| 26. | रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि. |
| | **रेल मंत्रालय** |
| 27. | कोंकण रेलवे कारपोरेशन लि. |
| | **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय** |
| | **वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग** |
| 28. | सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लि. |

| 1 | 2 |
|---|---|
| | **नौवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय** |
| 29. | हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लि. |
| | **इस्पात मंत्रालय** |
| 30. | भारत रिफ्रैक्टरीज लि. |
| 31. | हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि. |
| | **कपड़ा मंत्रालय** |
| 32. | नेशनल जूट मैन्यु. कारपो. लि. |
| 33. | नेशनल टेक्सटाईल कारपो. (धारक कंपनी) लि. |
| 34. | नेटेका (महाराष्ट्र नार्थ) लि. |
| 35. | नेटेका (साउथ महाराष्ट्र) लि. |
| | **पर्यटन मंत्रालय** |
| 36. | मध्य प्रदेश अशोक होटल निगम लि. |
| 37. | पांडिचेरी अशोक होटल निगम लि. |
| 38. | उत्कल अशोक होटल निगम लि. |
| | **शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय** |
| 39. | हिन्दुस्तान प्रीफेब लि. |
| | **जल संसाधन मंत्रालय** |
| 40. | राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि. |
| | **अंतरिक्ष विभाग** |
| 41. | सेमी कंडक्टर काम्प्लेक्स लि. |

**श्री बालासाहिब विखे पाटील :** महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों से जुड़े हुए 41 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में घाटा हो रहा है लेकिन नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन में कहा गया है कि 272 कम्पनियों में से 88 कम्पनियों में घाटा हो रहा है। यह भी कहा गया है कि जबकि पिछले वर्ष कम्पनियों में 82,000 करोड़ रु. से अधिक का घाटा हुआ था, वहीं वर्ष 2003-04 में कुछ अन्य कम्पनियों को 53,000 करोड़ रु. का लाभ हुआ था। महोदय, आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि बी.आर.पी.एस.ई का कार्य निष्पादन कैसा है और क्या बी.आर.पी.एस.ई. के गठन के बाद कम्पनियों का कार्य निष्पादन बेहतर हुआ है और क्या वे अधिक क्षमतावान हुई हैं? क्या ये कम्पनियां लाभ कमा रही हैं और क्या इन्हें बंद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि लगातार हानि उठाने वाली कम्पनियों को बंद कर दिया जाएगा? कितनी कम्पनियों को बंद किया जाएगा और यह भी कि उनके कर्मचारियों की स्थिति क्या होगी क्योंकि कर्मचारियों को उनका हक मिलना चाहिए? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना और आवश्यक सेवानिवृत्ति दो अलग-अलग बाते हैं। माननीय मंत्री महोदय स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की अपेक्षा अधिक मुआवजा दे सकते हैं।

**श्री संतोष मोहन देव :** महोदय, यूपीए सरकार द्वारा बी.आर.पी. एस.ई. के गठन के बाद सरकार ने सबसे पहले बीमार कंपनियों की सांविधिक देयताओं को निपटाया। मेरे पास सूची में आठ कम्पनियां हैं। अब वे संचालनात्मक लाभ से अपना वेतन स्वयं कमा रही हैं। इनमें से कुछ कम्पनियां पश्चिम बंगाल में हैं। मेरा यह मानना है कि उनमें से अधिकतर पुनः चालू किए जाने के लिए निवेश प्रस्ताव का इंतजार कर रही हैं। उनकी प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है। उनमें से एक कम्पनी, 'ब्रिज एंड रूफ' बहुत अच्छा काम कर रही है। यह कम्पनी 800 करोड़ रु. से ज्यादा मूल्य के क्रयादेश ले रही है। इसलिए, सरकार के द्वारा घोषित यह नीति अच्छी है तथा भविष्य में यह और भी बेहतर होगी।

मेरे द्वारा दिए गए तथा नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के द्वारा दिए गए आंकड़ों के बीच अंतर इसलिए है क्योंकि सरकार लोक उद्यम के सर्वेक्षण के अनुसार कार्य करती हैं, जो प्रत्येक वर्ष सभा पटल पर रखा जाता है। मैंने वह आंकड़ा उद्धृत किया है। उस आंकड़े तथा माननीय सदस्य के द्वारा उद्धृत आंकड़े के बीच कुछ अंतर हो सकता है। मैंने उस आंकड़े के अनुसार स्थिति बताई है। यदि सदस्य नवीनतम आंकड़े चाहते हैं तो मैं उन्हें भेज दूंगा।

**श्री बालासाहिब विखे पाटील :** महोदय, इन 41 कम्पनियों को कुछ घाटे के बारे में मैं जानना चाहूंगा। इन घाटों से उबरने के लिए, कम्पनियां निवेश कर सकती हैं। कई कम्पनियां सार्वजनिक-निजी भागीदारी का लाभ उठाने का प्रयत्न कर रही हैं। कुछ कम्पनियां संयुक्त उपक्रम के लिए तथा कुछ कम्पनियां बाहर बिक्री करने के लिए तैयार हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** आप क्या जानना चाहते हैं?

**श्री बालासाहिब विखे पाटील :** मैं इन आंकड़ों को जानना चाहूंगा। दूसरा, बी.आर.पी.एस.ई. के अध्यक्ष कहते हैं कि यदि उन्हें सरकार के चंगुल से मुक्त कर दिया जाए तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति बेहतर हो सकती है। इस संबंध में सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**श्री संतोष मोहन देव :** उन्होंने ठीक कहा है कि अधिकांश कम्पनियां उसी सार्वजनिक क्षेत्र में रहकर पुनः चालू हैं क्योंकि जब सार्वजनिक क्षेत्र के पुनः चालू किए जाने की संभावना है तो मजदूर संघ संयुक्त उद्यमों का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन जब सार्वजनिक क्षेत्र बेहतर नहीं हो पाता है तब वे संयुक्त उद्यम के लिए तैयार हो जाते हैं। हम कोलकाता टायर्स को संयुक्त उद्यम में ले जा रहे हैं, जो एक विशिष्ट

उदाहरण है। पश्चिम बंगाल तथा केन्द्र, दोनों की सरकारें इसके लिए तैयार हैं। इसके लिए कोई विरोध नहीं है।

जहां तक बी.आर.पी.एस.ई. के कार्य निष्पादन का संबंध है, वह अच्छा कर रही है और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जो कुछ भी बी.आर.पी.एस.ई. के अध्यक्ष ने कहा है, वह उनका अपना विचार है, और मैं उनके विचारों पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता।

*[हिन्दी]*

**श्री कैलाश मेघवाल** : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे समय दिया। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जो फिगर्स आए हैं, आपने 41 कहा है, पूरक प्रश्न में 83 हो गए हैं। इसके साथ ही मेरे पास भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो प्रतिवेदन है, उसके पेज नम्बर 17 पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिन्होंने 31 मई, 2005 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान हानि उठाने वाले उपक्रमों की संख्या पृष्ठ के नीचे तालिका में दी गई है। उसके अनुसार 2002–2003 में 121 उपक्रमों की प्रदत्त पूंजी 27,225.43 करोड़ रुपए और हानि 11,279.16 करोड़ रुपए है। 2003–2004 में 105 हानि उठाने वाले उपक्रम थे और 2004–2005 में इनकी संख्या 101 रही। इनके आगे फिगर्स भी दिए हुए हैं। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया है कि इनमें घाटे के जो कारण उल्लिखित किए गए हैं, उनमें धीमा विकास, कम उत्पादकता, अदक्ष प्रबंधन, अनुसंधान और विकास पर अपर्याप्त बल, अपर्याप्त अथवा अकेन्द्रित विपणन, कार्यचालन पूंजी में कमी आदि गम्भीर कारण बताए गए हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन कारणों की समीक्षा करते हुए, जो लोग इसके लिए उत्तरदायी हैं, जिन्होंने ये कारण पैदा किए हैं, क्या आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का विचार रखते हैं?

*[अनुवाद]*

**श्री संतोष मोहन देव** : यह एक अच्छा प्रश्न है। बी.आर.पी.एस.ई. कंपनियों की रुग्णता पर विचार कर रही है। वे सरकार के बकाया को बट्टे खाते डालने संबंधी निर्णय को ध्यान में रख रहे हैं। वे कार्यशील पूंजी के लिए धनराशि देने की भी सिफारिश कर रहे हैं। वे अप्रयुक्त व पुरानी पड़ चुकी मशीनों को नई मशीनों से बदलने के लिए भी कदम उठा रहे हैं ताकि वे निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी बन सकें। इसके अलावा वैश्विक प्रतिस्पर्धा में, उन्हें अद्यतन जानकारी रखनी ही होगी। अब हमें इसका लाभ प्राप्त हो रहा है।

जहां तक आंकड़ों में 81 के अंतर का संबंध है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमने वह लोक उद्यम सर्वेक्षण के आधार पर उद्धृत किया है जिसे सदन में प्रस्तुत किया गया है। यह भी सही है। नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने भी अपनी रिपोर्ट दी है। मैं पहले ही इसे स्पष्ट कर चुका हूं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि यह गलत है या मैं गलत हूं। मैं कहूंगा कि वह भी ठीक हैं और मैं भी ठीक हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री कैलाश मेघवाल** : अध्यक्ष महोदय, दोषी लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे, मंत्री जी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया है।

*[अनुवाद]*

**श्रीमती अर्चना नायक** : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकती हूं कि देश में घाटा उठा रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पुनः चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

**श्री संतोष मोहन देव** : महोदय, मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : हां, आपने दे दिया है।

**प्रो. एम. रामदास** : महोदय, यह प्रश्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को होने वाले घाटे से संबंधित है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम वस्तुएं तथा सेवा प्रदान करते हैं जिनके लागत तथा मूल्य दोनों पहलू हैं। यदि मूल्य लागत से अधिक है, तो उद्यम को लाभ होता है और यदि लागत से मूल्य अधिक है तो उन्हें हानि होती है। इसलिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का बेहतर कार्यनिष्पादन या तो उनके मूल्य के पहलू से देखा जाए अथवा लागत के पहले से। लेकिन दुर्भाग्यवश, मंत्री महोदय कह रहे हैं कि हानि को कम करने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बंद करना आवश्यक है। यह यूपीए सरकार की प्रतिबद्धता के विरुद्ध है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार होना चाहिए।

इसलिए, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार अपनी मूल्य नीतियों को सुधार पाएगी जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय निष्पादन को सुधारने का सबसे अच्छा कदम है।

**अध्यक्ष महोदय** : यह ठीक है। आप केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

**प्रो. एम. रामदास** : मूल्य के प्रश्न के बारे में मेरा कहना है कि सरकार उन उद्यमों के लिए, जिनका लक्ष्य कल्याण करना होता है, जानबूझकर हानि की नीति अपनाती है। लाभ कमा रहे उद्योगों के संबंध में, मेरा कहना है कि हमें या तो 'न लाभ – न हानि' के आधार को चुनना चाहिए था मूल्य निर्धारण को चुनना चाहिए। उदारीकरण और वैश्वीकरण के वर्तमान माहौल में क्या सरकार एक तथ्यपरक मूल्य नीति बनाएगी?

**श्री संतोष मोहन देव** : महोदय, उत्तर बहुत छोटा सा है। यूपीए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के साथ लघु उद्योगों की मूल्य

वरीयता सुविधा की समीक्षा की है। इस प्रकार उनको बड़ी कम्पनियों के मुकाबले वरीयता प्राप्त हो रही है और वे प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि सभी को हानि हो रही है और हम उन्हें बंद कर रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में, निजी क्षेत्र बड़े पैमाने पर उभर कर सामने आया है। उदाहरण के लिए, सीमेंट उद्योग में, हम यह मान कर चल रहे हैं कि बीमार सीमेंट उद्योग नहीं होने चाहिए और हम केवल उन्हीं उद्योगों को पुनः चालू कर रहे हैं जो इस लायक हैं। आपका विचार सही है और हम लघु उद्योगों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं।

**श्री रूपचंद पाल :** महोदय, 'बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स' जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित इकाई है, पश्चिमी बंगाल में स्थित है। इसे वी.आर.पी.एस.ई को भेजा गया है। क्या हो रहा है कि मुम्बई तथा कुछ अन्य स्थानों पर कीमती भू–भागों को बिना कोई कारण बताए गिरवी रखा जा रहा है और कुप्रबंधन के परिणामस्वरूप, इस क्षमतावान ईकाई को और भी तेजी से घाटा हो रहा है और इसको पुनः चालू करने की संभावना समाप्त हो रही है। इस बंध में माननीय मंत्री का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

**श्री संतोष मोहन देव :** ये कीमती भूमि है। अब यह बी.आई.एफ.आर. को सौंपी गई है। एक वरिष्ठ सदस्य होने के नाते आप जानते हैं कि जब तक बी.आई.एफ.आर. मामलों को वापस नहीं भेजेगा, मैं कार्यवाही नहीं कर सकता। इस मामले में भी, हमने प्रापर्टी वापस देने के लिए कहा है। हम या तो उसका उपयोग करेंगे या उसे अच्छे दामों में बेच देंगे और उन पैसे का बीमार उद्योगों, जैसे कि बंगाल केमिकल्स में निवेश करेंगे। मैं कार्यवाही करूंगा और स्थिति की जानकारी आपको दूंगा।

**डा. अरूण कुमार शर्मा :** महोदय, माननीय मंत्री महोद ने अपने उत्तर में उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों के तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का उल्लेख किया है। ये हैं – 'नार्थ–ईस्टर्न हैन्डीक्राफ्ट एण्ड हैन्डलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड', 'नार्थ ईस्टर्न रीजनल एग्री. मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड', तथा 'नागालैंड पल्प एण्ड पेपर कंपनी लिमिटेड'। ये कम्पनियां बीमार उद्योगों की सूची में हैं। 'अशोक पेपर मिल' भी असम समझौते के नाते सरकार की प्रतिबद्धता है लेकिन पुनर्जिवित या पुनर्वास करने वाली कम्पनियों की सूची में इसका नाम नहीं हैं। माननीय मंत्री महोदय द्वारा उल्लिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पुनर्जीवित करने वाली सूची में इस कम्पनी का नाम नहीं है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में घाटा उठा रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पुनर्जीवित करने का उनका विचार हैं।

**श्री संतोष मोहन देव :** महोदय, नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कम्पनी लिमिटेड पुनर्जीवित की जाने वाली है। हमारी सरकार ने इस संबंध में कदम उठा लिए हैं। कागजात परिचालित कर दिए गए हैं और मामला मंत्रीमण्डल के पास जाएगा। नागालैण्ड सरकार आगे आई है और इसने मामले पर कदम उठाए हैं। पहले उनके पास सीमित क्षेत्र परमिट था। अब मेरे पास माननीय प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप से, इसमें छूट दी गई है और इसलिए तकनीकीविद् और नौकरशाह वहां जा सकेंगे।

जहां तक अशोक पेपर मिल का संबंध है, यह असम समझौते का विषय है। केवल छह दिन पहले, वहां तीसरी बैठक थी। हम मामले की छानबीन कर रहे हैं और हमारी सरकार का यह विचार है कि सरकार की तरफ से हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन इसे ले सकती है। लेकिन ऐसा करने से पहले, असम सरकार को वहां की सभी देयता का ध्यान रखना होगा। वहां कोर्ट के कुछ मामले हैं। लेकिन अशोक पेपर मिल पुनर्जीवित होगी। सरकार ने इसका आश्वासन दिया है और इस पर कार्यवाही की जा रही है। यह असम समझौते का भाग है और हम इस पर अटल हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री रामदास आठवले :** अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बीमार उद्योगों के बारे में बताया और हमारी यूपीए गवर्नमेंट ने कॉमन–मिनिमम प्रोग्राम में आश्वासन दिया है कि हम उन बीमार उद्योगों को पूरी मदद करने वाले हैं। अतः मेरा प्रश्न यह है कि सवा दो साल में, 41 बीमार उद्योगों में से कितने उद्योगों को कितनी मदद की है और कितने बीमार उद्योग फायदे में आये हैं? मेरा मंत्री जी से यही सवाल है कि बहुत सारी कमाई कर रहा है बाटा, लेकिन सरकारी उद्योगों को क्यों हो रहा है घाटा?

*[अनुवाद]*

**श्री संतोष मोहन देव :** महोदय, माननीय सदस्य महोदय के राज्य में, कपड़ा उद्योगों का हाल बुरा था। हमारी सरकार के आने के बाद, हमने इस संबंध में कई कदम उठाए हैं। मंत्रियों के समूह ने भूमि की बिक्री की सिफारिश की थी, जिसे सम्पन्न कर लिया गया है। कुल ध नराशि का वहां कपड़ा क्षेत्र में दुबारा निवेश कर दिया गया है। इन्हें आधुनिकतम बना दिया गया। अन्य राज्यों में भी इसके कुछ उदाहरण हैं। हम केवल उन्हें बंद ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें पुनर्जीवित भी कर रहे हैं।

एन सी एम पी में कहा गया है कि कामकाजी वर्ग की कीमत पर कुछ भी नहीं किया जाएगा। सबसे पहले हम उद्योग के हितों का संरक्षण करेंगे। दूसरा, हम कामकाजी वर्ग के हितों का संरक्षण करेंगे। हम ऐसा उनके सहयोग से कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम कुछ समस्याओं तथा विरोध का सामना कर रहे हैं। हम बातचीत से उसे सुलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह :** अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के उत्तर में एक सूची दी गई है। इस सूची में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के क्रम संख्या–7 पर हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, जो बरौनी में है, का जिक्र किया गया है। एनडीए की सरकार के समय एक निर्णय लिया गया था, चूंकि वह उर्वरक कारखाना नेपथा पर आधारित था इसलिए वहां नया संयंत्र लगाकर गैस पर आधारित बनाया जाएगा और वहां गैस की प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति की जाएगी। माननीय मंत्री श्री पासवान जी कई बार घोषणा भी कर चुके हैं कि उसे शीघ्र चालू किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि बरौनी फर्टिलाइजर कारखाना चालू करने के लिए दोनों मंत्रालयों के बीच में और एनडीए सरकार के समय जो निर्णय हुआ था, उसके आधार पर क्या कार्रवाई की जा रही है? अगर कार्रवाई की जा रही है तो क्या की जा रही है और कब तक उसे शुरू करने का काम पूरा किया जाएगा?

*[अनुवाद]*

**श्री संतोष मोहन देव :** हमारी सरकार के आने के बाद, हमने रसायन और उर्वरक मंत्रालय सहित सभी मंत्रालयों से सुझाव मांगे थे, जिनके उद्योग बीमार हैं। आपने ठीक ही कहा कि वे एक–एक करके प्रस्ताव भेज रहे हैं। उन्हें बीमार बी.आर.पी.एस.ई. के पास भेजा गया है। जब बी.आर.पी.एस.ई. अपनी सिफारिशें देगा, तब हम इसे सीसीईए के पास भेज देंगे। लेकिन इन सभी अर्थक्षम उर्वरक कम्पनियों को पुनर्जीवित किया जाएगा। यह हमारी नीति है क्योंकि उर्वरक की कमी से किसान पीड़ित हैं। इसलिए हम विशेष कदम उठा रहे हैं।

जहां तक माननीय सदस्य के विशेष मामले का संबंध है, मैं उन्हें अद्यतन स्थिति से अवगत करा दूंगा।

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पेसिफिक बरौनी कारखाने के बारे में पूछा है।

**अध्यक्ष महोदय :** सब कम्पनियों के बारे में मंत्री जी जवाब भेज देंगे।

*[अनुवाद]*

वह एक अच्छे मंत्री हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उन्हें सभी कारखानों के बारे में सभी जानकारी होनी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय :** आपको अलग से उत्तर दे देंगे।

*[अनुवाद]*

वे आपको चाय का न्यौता दे रहे हैं।

*[हिन्दी]*

वह आपको बता देंगे।

**श्री शैलेन्द्र कुमार :** अध्यक्ष महोदय, आईटीआई देश का बहुत ही प्रथम कड़ी का उद्योग था और बीपीसी, इन दोनों का भारतीय उद्योगों के विकास में अपना एक स्थान था। इलाहाबाद में आईटीआई और बीपीसी, जिसकी शाखा आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली में और गोंडा में भी है। मैडम ने कुछ वर्षों पहले कुछ मदद की थी, लेकिन आज ये दोनों फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पर हैं और कर्मचारी भुखमरी की कगार पर हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या केंद्र सरकार इन दोनों उपक्रमों को चलाने के लिए कोई विशेष पैकेज देने की व्यवस्था कर रही है, क्योंकि वहां के बहुत से कर्मचारी सोच रहे हैं कि वीआरएस ले कर हम अपना कोई निजी व्यवसाय करें? ये दो कम्पनियां ऐसी हैं जो देश के विकास की मुख्य धारा में हैं।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** क्या वे केन्द्रीय सरकार के उपक्रम हैं?

**श्री शैलेन्द्र कुमार :** जी, हां।

**अध्यक्ष महोदय :** ठीक है, मंत्री महोदय को उत्तर देने दें।

**श्री संतोष मोहन देव :** महोदय, इन परियोजनाओं पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए हमें राज्य सरकार का भी सहयोग चाहिए। मैं अभी तो कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं। हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। हमारी कोशिश अभी सफल नहीं हुई है। लेकिन मुझे आशा है कि वे बहुत जल्द इसके लिए मान जाएंगे और उनको पुनर्जीवित किया जा सकेगा।

## सरकारी क्षेत्र उपक्रम पुनर्निर्माण बोर्ड का कार्यनिष्पादन

\+
***303. श्री गुरूदास दासगुप्त :**
**श्री अजय चक्रवर्ती :**

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र उपक्रम पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआरपीएसई) का कार्यनिष्पादन संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक बीआरपीएसई को भेजी गई विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाली सरकारी क्षेत्र की रुग्ण कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक कंपनी के पुनरुद्धार अथवा उसे बंद करने के बारे में क्या निर्णय लिया गया?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव)** : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*विवरण*

(क) और (ख) सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को मजबूत बनाने, आधुनिकीकरण करने, पुनरुद्धार एवं पुनर्गठन करने के कार्य पर ध्यान देने तथा रणनीतियों, उपायों और उनसे संबंधित योजनाओं पर सरकार को परामर्श देने के लिए दिसम्बर, 2004 में एक अंशकालिक परामर्शदायी निकाय के रूप में सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) का गठन किया है। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग बीआरपीएसई के विचारार्थ व सरकार को सिफारिश करने के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के मामले सौंपते हैं। वे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए इन सिफारिशों पर कार्रवाई भी करते हैं। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के 47 मामलों से संबंधित प्रस्ताव बीआरपीएसई को सौंपे गए जिसका ब्यौरा संलग्न अनुबंध-I में दिया गया है। दिनांक 31.07.2006 की स्थिति के अनुसार, बीआरपीएसई ने 38 बैठकें आयोजित की हैं तथा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के 41 मामलों पर विचार किया और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के 32 मामलों के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। जिसका ब्यौरा संलग्न अनुबंध-II में दिया गया है। तत्पश्चात्, बीआरपीएसई ने 11.08.2006 को आयोजित अपनी 39वीं बैठक में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के 2 और मामलों पर विचार किया है।

(ग) संलग्न अनुबंध-II में उल्लेख के अनुसार सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के 20 मामलों को अनुमोदित कर दिया है।

*अनुबंध-I*

*केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों की मंत्रालय-वार सूची, जिनका पुनरूद्धार/पुनर्स्थापन करने अथवा बन्द/परिसमापन करने के प्रस्ताव बीआरपीएसई को सौंपे गए हैं*

| क्रम सं. | केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम |
|---|---|
| 1 | 2 |
| **भारी उद्योग विभाग** | |
| 1. | हिन्दुस्तान साल्ट्स लि. |
| 2. | ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लि. |
| 3. | बीबीजे कंस्ट्रक्शन कं. लि. |
| 4. | टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. |
| 5. | एचएमटी बियरिंग लि. |
| 6. | प्रागा टूल्स लि. |
| 7. | भारत पम्प्स एण्ड कंप्रेशर्स लि. |
| 8. | तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि. |
| 9. | ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि. |
| 10. | नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कं. लि. |
| 11. | नेपा लि. |
| 12. | भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कं. लि. |
| 13. | रिचर्डसन एंड क्रूडास लि. |
| 14. | भारत यंत्र निगम लि. |
| 15. | सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. |
| 16. | भारत ऑप्थेल्मिक ग्लास लि. |
| 17. | एचएमटी मशीन टैल्स लि. |
| 18. | हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि. |
| 19. | त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि. |
| 20. | भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लि. |
| 21. | हिन्दुस्तान केबल्स लि. |
| 22. | एचएमटी वाचेज लि. |
| 23. | इंस्ट्रूमेंटेशन लि. |
| 24. | एण्ड्रयु युले एण्ड कंपनी लि. |
| 25. | एचएमटी लि. |
| **कपड़ा मंत्रालय** | |
| 26. | ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि. |
| 27. | नेशनल जूट मैन्यु. कारपो. लि. |
| 28. | नेशनल टेक्सटाईल्स कारपो. लि. और इसकी सहायक कंपनियां |
| **उर्वरक विभाग** | |
| 29. | मद्रास फर्टिलाइर्जस लि. |
| 30. | फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर लि. |
| **रसायन एवं पेट्रोकैमिकल्स विभाग** | |
| 31. | हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लि. |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 32. | हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि. |
| 33. | हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड लि. |
| 34. | बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि. |

**कोयला मंत्रालय**

35. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.

36. भारत कोकिंग कोल लि.

**इस्पात मंत्रालय**

37. मेकॉन लि.

38. हिन्दुस्तान स्टील वर्कस कंस्ट्रक्शन लि.

39. भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि.

**नौवहन विभाग**

40. केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि.

41. हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि.

42. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.

**शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय**

43. हिन्दुस्तान प्रीफेब लि.

**कृषि एवं सहकारिता विभाग**

44. स्टेट फार्म्स कारपो. ऑफ इंडिया लि.

**खान मंत्रालय**

45. खनिज गवेषण निगम लि.

**जल संसाधन मंत्रालय**

46. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि.

**वैज्ञानिकी एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग**

47. सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लि.

***अनुबंध-II***

*सरकारी क्षेत्र के उन उद्यमों की सूची, जिनके पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन अथवा बंद करने/परिसमापन के प्रस्ताव को सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।*

| क्रम सं. | केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम | मंत्रालय/विभाग का नाम | सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड की सिफारिश का मुख्य सारांश |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.* | भारी उद्योग विभाग | सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार |
| 2. | ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लि.* | भारी उद्योग विभाग | सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार |
| 3. | बीबीजे कंस्ट्रक्शन कं. लि.* | भारी उद्योग विभाग | सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार |
| 4. | टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.* | भारी उद्योग विभाग | सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार |
| 5. | ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि.* | वस्त्र मंत्रालय | संयुक्त उद्यम/विनिवेश के माध्यम से पुनरुद्धार |
| 6. | नेशनल टेक्सटाईल्स कारपोरेशन लि. और इसकी सहायक कंपनियां* | वस्त्र मंत्रालय | सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में 15 मिलों और संयुक्त उद्यम के माध्यम से 19 मिलों का पुनरुद्धार |
| 7. | मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. | उर्वरक विभाग | सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार |
| 8. | एचएमटी बियरिंग लि.' | भारी उद्योग विभाग | सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार |
| 9. | प्रागा टूल्स लि.* | भारी उद्योग विभाग | सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार |
| 10. | ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि.* | भारी उद्योग विभाग | सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार |
| 11. | नेपा लि. | भारी उद्योग विभाग | संयुक्त उद्यम/विनिवेश के माध्यम से पुनरुद्धार |
| 12. | रिचर्डसन एंड क्रूडास लि.* | भारी उद्योग विभाग | संयुक्त उद्यम/विनिवेश के माध्यम से पुनरुद्धार |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 13. | केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि.* | नौवहन विभाग | संयुक्त उद्यम/विनिवेश के माध्यम से पुनरुद्धार |
| 14. | तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि.* | भारी उद्योग विभाग | संयुक्त उद्यम/विनिवेश के माध्यम से पुनरुद्धार |
| 15. | भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कं. लि. | भारी उद्योग विभाग | सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार |
| 16. | भारत पम्पस एण्ड कंप्रेशर्स लि. | भारी उद्योग विभाग | संयुक्त उद्यम/विनिवेश के माध्यम से पुनरुद्धार |
| 17. | हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.* | रसायन एवं पेट्रो–रसायन विभाग | सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार |
| 18. | ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.* | कोयला मंत्रालय | सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार |
| 19. | सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.* | भारी उद्योग विभाग | गैर–परिचालन इकाइयों को बंद कर दिया जाए। अन्य परिचालन इकाइयों का सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार किया जाएगा। |
| 20. | भारत ऑप्थैल्मिक ग्लास लि.** | भारी उद्योग विभाग | बंद करना |
| 21. | एचएमटी मशीन टूल्स लि. | भारी उद्योग विभाग | सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार |
| 22. | हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि.* | भारी उद्योग विभाग | सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार |
| 23. | हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि.* | रसायन एवं पेट्रो–रसायन विभाग | सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार |
| 24. | हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लि.* | रसायन एवं पेट्रो–रसायन विभाग | सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार |
| 25. | खनिज गवेषण निगम लि.* | खान मंत्रालय | सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार |
| 26. | फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर लि.* | उर्वरक विभाग | सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार |
| 27. | हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. | नौवहन विभाग | सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार |
| 28. | सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लि.* | वैज्ञानिकी एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग | सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार |
| 29. | राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि. | जल संसाधन मंत्रालय | सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार |
| 30. | मेकॉन लि. | इस्पात मंत्रालय | सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार |
| 31. | एण्ड्रयु युले एण्ड कंपनी लि. | भारी उद्योग विभाग | सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार |
| 32. | इंस्ट्रूमेंटेशन लि. | भारी उद्योग विभाग | सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार |

* क्रम सं. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26 और 28 के सामने दिखाए गए 19 मामलों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनरुद्धार पैकेज का अनुमोदन कर दिया गया है।

** क्रम सं. 20 अर्थात् भारत आप्थैल्मिक ग्लास लि. के मामले में सक्षम प्राधिकारी ने उक्त उद्यम को बंद करने का अनुमोदन कर दिया है।

**श्री गुरुदास दासगुप्त :** महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जब कार्य–भार संभाला था, तब उन्होंने एक सार्वजनिक वक्तव्य दिया था और मैं उनको केवल याद दिला सकता हूं कि वे वहां फैक्ट्रियों को पुनर्जीवित करने के लिए हैं न कि उन्हें बंद करने के लिए। उनके द्वारा दिखाई गई स्पष्टवादिता के लिए हम सबने उनकी प्रशंसा की थी। लेकिन मैं उनके द्वारा दिए गए उत्तर से आंकड़ें उद्धृत कर रहा हूं। इसकी स्थापना दिसम्बर, 2004 में हुई थी, अर्थात् 20 महीने गुज़र चुके हैं। कुल 47 मामलों की सिफारिश की गई है तथा 32 मामलों पर विचार

किया गया है और केवल 20 मामलों के संबंध में सरकार ने निर्णय लिया है, जो कि 50 प्रतिशत भी नहीं है। बीआरपीएसई द्वारा निर्णय लेने में देरी तथा लागू करने में देरी के कारण, घाटा बढ़ता जा रहा है, पुनर्जीवित करने की लागत बढ़ रही है तथा इस अवधि के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है।

इसलिए, क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछ सकता हूं कि क्या वे बी आर पी एस ई के कार्य करने के ढंग से संतुष्ट हैं? क्या उनका मानना है कि बी आर पी एस ई के लगभग निष्क्रिय क्रियाकलापों को और जीवनदान देने की आवश्यकता है? मैं उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। यह रिकार्ड में है और अखबारों में आ चुका है कि बी आर पी एस ई बहुत गलत कर रहा है। मैं इसका उल्लेख नहीं कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया इसका उल्लेख नहीं करें।

**श्री गुरुदास दासगुप्त :** ऐसा इसलिए क्योंकि शायद वे शर्मिंदा हों। मैं उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** श्री दासगुप्त, कृपया आप अपना पूरक प्रश्न पूछें। आप एक वरिष्ठ और स्पष्ट बोलने वाले सदस्य हैं। प्रश्न तो प्रश्न ही है।

...*(व्यवधान)*

**श्री गुरुदास दासगुप्त :** नहीं, मैं केवल यह कह रहा हूं कि मैं उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूं। लेकिन उन्हें सत्य बोलने दें ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** यहां सभी सदस्य सच बोल रहे हैं। यहां इसी की अपेक्षा तथा आवश्यकता है।

...*(व्यवधान)*

**श्री गुरुदास दासगुप्त :** माननीय मंत्री जी को और अधिक सच बोलना चाहिए ...*(व्यवधान)*

**श्री संतोष मोहन देव :** महोदय, बी आर पी एस ई का गठन वरिष्ठ तथा सेवानिवृत्त नौकरशाह तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुछ तकनीकीविद् को साथ लेकर हुआ है। बी आर पी एस ई के लिए यह बहुत कठिन कार्य है कि वह जल्दी से कोई निर्णय ले और सभी लाभ-हानियों पर चर्चा करे। उन्हें एक महीने में दो मामलों को पूरा करने के लिए कहा गया है और वे ऐसा कर रहे हैं।

जहां तक दूसरे प्रश्न का संबंध है, मेरा बी आर पी एस ई के साथ कोई मतभेद नहीं है। कुछ समाचार आए। मैंने कहा कि न तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को कुछ लिखा है और न ही मैं लिखने जा रहा हूं। मैं संतुष्ट हूं। अब, कुछ मामले लम्बे समय से लम्बित पड़े हुए हैं क्योंकि संसद के माननीय सदस्य कई प्रकार की मांगें करते हैं। उन्होंने कुछ चीजों को बंद करने के लिए कहा है। उनका फीडबैक प्राप्त करने के बाद, मैं उनके पास जाऊंगा और कहूंगा कि इस पर कृपया दुबारा विचार करें क्योंकि हमारी सरकार कामकाजी वर्ग के कारणों पर विचार करने के लिए प्रतिबद्ध है। देर से लिए गए कुछ कारणों के लिए आप भी जिम्मेदार हैं। लेकिन यह हम दोनों के लिए बेहतर है।

उदाहरण के लिए, जम्मू और कश्मीर में एचएमटी चिनार जहां आपरेशन लगभग बंद कर दिए गए हैं। आप मेरे पास यह पूछने के लिए आए कि इसे बंद क्यों किया गया। हमने इस पर पुर्नविचार करने का निर्णय लिया है। हमने अन्य विभागों को इसे करने के लिए कह रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक परियोजना के लिए कहा है। माननीय सदस्य यहां उपस्थित हैं कि नहीं मैं नहीं जानता। हमने ओ एन जी सी तथा बी एच ई एल से आगे जाकर मदद करने के लिए कहा है। यह एक विशिष्ट कार्य है जो यह सरकार कर रही है। मूलतः, हम यह चाहते हैं कि यह उद्योग पुनर्जीवित हो जाए। मैं उनके पूरक प्रश्न के बारे में, तथा उन परियोजनाओं के बारे में, जो उनके दिमाग में हैं, अनुमान लगा सकता हूं। यह विचाराधीन है। ...*(व्यवधान)*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** महोदय, निजी तौर पर वे चर्चा कर चुके हैं ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** इसकी कोई मनाही नहीं है।

...*(व्यवधान)*

**श्री गुरुदास दासगुप्त :** मैंने सोचा कि हम 'वे' का हिस्सा हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम 'वे' का हिस्सा नहीं हैं। वह हमें बांट रहे हैं। यह उनके लिए अच्छा नहीं है। हमने सोचा था कि हम आपका हिस्सा हैं। फिर भी, आपको याद दिलाते समय कि हम आपका हिस्सा हैं और हम अपकी नीति का तब तक समर्थन करते हैं जब तक कि यह लोगों की तथा श्रमिकों की मदद करती है। आपसे मेरा केन्द्रित प्रश्न 'हिन्दुस्तान केबल्स' के संबंध में है, जो कि पश्चिमी बंगाल की एक बहुत अग्रणी कंपनी है। हम माननीय प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** यह मामला आज आ रहा है। मैंने इसकी अनुमति दे दी है।

...*(व्यवधान)*

**श्री गुरुदास दासगुप्त :** मैं 'हिन्दुस्तान केबल्स' के बारे में बात कर रहा हूं। क्या रवैया है? ...*(व्यवधान)* मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि हमने सलाह दी थी कि इसे दूरसंचार विभाग को सौंपना चाहिए क्योंकि हमारे पास पर्याप्त धनराशि है। इसके साथ ही, उनसे मेरा केन्द्रीय प्रश्न एच एम टी घड़ी फैक्ट्री के बारे में है, जो कश्मीर में है।

कश्मीर एक बहुत संवेदनशील स्थान है। वहां बहुत अधिक उद्योग नहीं हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** हम सब यह जानते हैं।

**श्री गुरूदास दासगुप्त :** यह उन उद्योगों में से एक है जिस पर सरकार को अर्थशास्त्र के आधार पर नहीं बल्कि राजनीति के आधार पर निर्णय लेना है ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** हम सब इसके बारे में जागरूक हैं।

**श्री गुरूदास दासगुप्त :** इसलिए, उनसे मेरा केन्द्रीय प्रश्न यह है। पश्चिमी बंगाल के हिन्दुस्तान केबल तथा कश्मीर के एच एम टी वॉच फैक्ट्री के संबंध में आपका रवैया क्या है?

**श्री संतोष मोहन देव :** महोदय, आप मुझे एक लंबा उत्तर देना चाहते हैं अथवा छोटा उत्तर?

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया छोटा और सटीक उत्तर दें। 'हिन्दुस्तान केबल्स' के बारे में मैंने अनुमति दे दी है। मैं माननीय मंत्री महोदय से उपस्थित रहने का आग्रह किया है। प्रश्नकाल के बाद, आप इसे कर सकते हैं।

**श्री संतोष मोहन देव :** हिन्दुस्तान केबल्स में 3300 कर्मचारी हैं ...*(व्यवधान)* हिन्दुस्तान केबल्स में 3300 कर्मचारी काम करते हैं। वे किसी प्रकार का कोई उत्पादन नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह उनकी गलती नहीं है। वे जेली भरे हुए केबलों का उत्पादन करते हैं जिनकी मांग अब नहीं है। यह मुख्य कारण है ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया बीच में कोई टीका–टिप्पणी न करें।

**श्री संतोष मोहन देव :** पश्चिमी बंगाल के संसद सदस्यों के अनुरोध पर हमने एक पहली समिति नियुक्त की है, जिसमें आई आई टी खड़गपुर के लोग शामिल हैं। तब, एक नकारात्मक प्रतिवेदन आया। श्री बसुदेव आचार्य तथा आपके अनुरोध पर हमने कुछ किया है। मैडम सोनिया जी तथा माननीय प्रधानमंत्री जी को आपने एक कागज़ दिया है। उन्होंने उसे मेरे पास वापस भेज दिया। मैंने टाटा कन्सलटेंसी सर्विस को नियुक्त किया है। वह प्रतिवेदन भी नकारात्मक आया। लेकिन दोनों प्रतिवेदनों को अब बी आर पी एस ई को भेज दिया गया है। देखते हैं कि क्या होता है। अपने निर्वाचन क्षेत्र जाते समय मैं अक्सर कोलकाता से गुज़रता हूं। मुझे आपके साथ पूरी सहमति है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** नहीं। यह प्रश्न पूछने का तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

**श्री संतोष मोहन देव :** हम इस पर कुछ करने का प्रयत्न करेंगे।

एच एम टी, कश्मीर का भी वही मामला है। हर महीने 2 करोड़ रु. व्यय हो रहे हैं जबकि वहां दो घड़ियों का उत्पादन भी नहीं हो रहा है ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** मैं यह जानता हूं। मैं सभापति था। समिति को इसके लिए बहुत कुछ करना है।

**श्री संतोष मोहन देव :** क्षेत्र की संवेदनशीलता के कारण हम इसे करते हैं। लेकिन हम इसके बारे में भविष्य में विचार करेंगे।

**श्री अजय चक्रवर्ती :** बी आर पी एस ई का गठन वर्ष 2004 के दिसम्बर के महीने में हुआ था। इस बोर्ड के गठन के बाद, उन्होंने मामलों पर विचार करने में कम से कम दो वर्ष का समय लिया। मंत्रालय के द्वारा इस बोर्ड को कम से कम 47 मामले भेजे गए। इन 47 मामलों में, उन्होंने केवल 32 मामलों पर विचार किया। मंत्रालय ने 20 मामलों का अनुमोदन किया है। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से एक चीज़ जान सकता हूं? आपके मंत्रालय द्वारा क्या नीति अपनाई गई है? सरकार का क्या रवैया है? क्या आप बाकी बचे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पुनर्जीवित करने के लिए आर्थिक सहायता तथा अन्य सुविधाएं देने के लिए विचार कर रहे हैं, यदि आवश्यक हो तो, ताकि श्रमिकों का, राष्ट्र का तथा लोगों का भला हो? ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** इसमें सभी लोगों के मदद की आवश्यकता है।

**श्री संतोष मोहन देव :** बी आर पी एस ई के सदस्यों के साथ यह बहुत बड़ा अन्याय होगा। वे सभी योग्य हैं। वे पूर्णकालिक सदस्य नहीं हैं। उन्हें प्रत्येक बैठक के लिए शुल्क के साथ यह अनुबंधित नौकरी दी गई है। हमें उन्हें नौकरी लेने के लिए समझना पड़ता है क्योंकि यह बहुत गंभीर किस्म की है। वे जो भी कर रहे हैं, वे एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं आपकी ओर से तथा सदन की ओर से उन्हें संदेश दे दूंगा कि पहले वे निर्णय तेजी से लें। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा है।

**श्री संतोष मोहन देव :** ठीक है, महोदय। माननीय सदस्यों, आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वे अपना कार्य कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* वे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने सिफारिशें दे दी हैं। मंत्रिमंडल ने इसको स्वीकृति दे दी है। दो मामले प्रणव मुखर्जी के पास गए थे। उन्होंने भी उसे स्वीकृति दे दी। मेरा मतलब बी आर पी एस ई के सिफारिश से है। हम सावधानी बरत रहे हैं क्योंकि यदि आप उन्हें एक मौका देंगे तो भविष्य में वे बेहतर काम करेंगे। ...*(व्यवधान)*

**श्री अजय चक्रवर्ती :** महोदय, मैंने एक ठोस प्रश्न पूछा है।

**अध्यक्ष महोदय :** नहीं, वे इसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं।

माननीय सदस्यों, यदि आप उत्तरों से संतुष्ट नहीं हैं तो आप जानते हैं कि आपको क्या प्रक्रिया अपनानी है। मैं किसी मंत्री को उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। उस प्रक्रिया की अनुमति मैंने उदारता से दे दी है।

*[हिन्दी]*

**श्री गणेश सिंह** : अध्यक्ष महोदय, बी.आर.पी.एस.ई. बोर्ड ने जिन 32 भारी उद्योगों के पुनरुद्धार की सिफारिश की है, उनमें सीमेन्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में भी सिफारिश की है कि इसका भी पुनरुद्धार किया जाए और माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में लिखा है कि इसकी कुछ गैर परिचालन इकाइयों को बंद करने का निदेश भी दिया गया है। आज देश के अंदर सीमेंट का धंधा अत्यंत फायदे का है, लेकिन फिर भी कुछ इकाइयों को बंद करने के लिए कहा गया है और कुछ इकाइयों को मदद करने की बात कही गई है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं वे कौन–कौन सी इकाइयां हैं जिन्हें बंद करने के लिए कहा गया है?

*[अनुवाद]*

**श्री संतोष मोहन देव** : महोदय, मैंने मुख्य उत्तर में विवरण दे दिए हैं। मैं उन्हें इसकी एक प्रति भेज दूंगा। उनमें से तीन को पुनर्जीवित किया जाएगा, लेकिन जिन्हें पहले ही बंद कर दिया गया है, उन्हें दुबारा नहीं खोला जाएगा तथा इसमें शामिल कुल कर्मचारियों की संख्या 300 है। हम उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लेने का प्रस्ताव देंगे। सीमेंट उद्योग अच्छा चल रहा है। बोकाजन तथा हैदराबाद की दो ईकाईयां भी लाभ कमा रही हैं और अच्छा चल रही हैं। हम उन्हें मजबूत बनाएंगे और भविष्य में स्थानीय कर्मचारियों को लिया जाएगा।

**श्री बसुदेव आचार्य** : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने एक सूची दी है।

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने 'हिन्दुस्तान केबल्स' कंपनी को भी शामिल किया है जिसके बारे में आप 'शून्य काल' के दौरान चर्चा करना चाहते थे।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, एक ही बात दुबारा नहीं पूछी जा सकती है।

**श्री बसुदेव आचार्य** : उसके लिए आप मुझे 'शून्य काल' में अनुमति देंगे।

**श्री बसुदेव आचार्य** : मैं वही प्रश्न नहीं पूछूंगा जो मैं 'शून्य काल' के दौरान उठाऊंगा।

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है।

**श्री बसुदेव आचार्य** : महोदय, एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है – इन्स्ट्रुमेंटेशन्स लिमिटेड।

**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न किसी एक विशेष कम्पनी के लिए नहीं है। यह सिद्धांत का प्रश्न है।

**श्री बसुदेव आचार्य** : यह बहुत महत्वपूर्ण है।

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है, बहुत अच्छे। सभी लोग एक–एक कंपनी के बारे में पूछ रहे हैं।

**श्री बसुदेव आचार्य** : महोदय, क्या मैं मंत्री महोद से यह जान सकता हूं कि सीपीएसई को बी आर पी एस ई भेजने की क्या प्रतिक्रिया है? राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार, सरकार को उन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पुनर्जीवित करने के लिए गंभीर प्रयत्न करने चाहिए, जो लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। इसलिए क्या मैं मंत्री जी से जान सकता हूं कि ऐसे उद्यमों के पुनरुद्धार के संबंध में मंत्रालय क्या प्रक्रिया अपना रहा है और क्या मंत्रालय पहले प्रस्ताव की गंभीरतापूर्वक जांच कर रहा है और तत्पश्चात् इसे बी आर पी एस ई को मंत्रालय को इसकी सिफारिश करने हेतु भेज रहा है?

**श्री संतोष मोहन देव** : महोदय, संप्रग सरकार कतिपय दृष्टिकोण अपना रही है जैसा विगत में कभी नहीं किया गया है। यह विशेष संस्था विगत 10 वर्षों से बेकार पड़ी है। यह जादवपुर विश्वविद्यालय परिसर में स्थिति है। जब यह मामला मेरे ध्यान में लाया गया तो मैंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से बात की थी और मैंने उन्हें इसे अधिग्रहित करने का अनुरोध किया क्योंकि यह कतिपय चीजों का उत्पादन कर रही है और यह कहा कि यह एक अनुसंधान केन्द्र हो सकता है। मैंने उन्हें यह भी बताया कि एकमात्र बाध्यता जिसे उन्हें पूरा करना है, यह यह है कि उन्हें 8 करोड़ रुपए का बैंक धन लौटाना है। काफी अनुरोध करने के पश्चात् वह सहमत हो गए हैं। अब हमने इसे जादवपुर विश्वविद्यालय को सौंपने का निर्णय लिया है। मैं जमीन के लिए कुछ नहीं ले रहा हूं, परन्तु हम चाहते हैं कि इसे अनुसंधान केन्द्र के रूप में बनाये रखा जाए और केन्द्र सरकार ने यह निर्णय लिया है। मैंने प्रधानमंत्री की सहमति ली है। मैं केबिनेट के पास जा रहा हूं, वह भी इस बात से सहमत होगी। यह हम माननीय सदस्य के राज्य की भलाई के लिए कर रहे हैं। यदि मैं यह संपत्ति बेचता हूं तो मुझे 50 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, परन्तु मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं।

**श्री बसुदेव आचार्य** : जी, हां।

**श्री संतोष मोहन देव** : वह 'हां, हां' कह रहे हैं परन्तु मैं जो कर रहा हूं, वह उसकी कभी भी सराहना नहीं करते हैं।

मैं यह कर रहा हूं और मैंने प्रधानमंत्री से अनुमोदन प्राप्त किया है। हालांकि उन्होंने इसके बारे में नहीं पूछा है, मैं यह उनकी जानकारी के लिए कह रहा हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : वह शांत रह कर सराहना कर रहे हैं।

**श्री बसुदेव आचार्य** : महोदय, उन्होंने मेरे प्रश्न के भाग दो का उत्तर नहीं दिया है।

**अध्यक्ष महोदय :** आप जानते हैं कि भाग दो की अनुमति नहीं दी गई है।

**श्री संतोष मोहन देव :** प्रक्रिया यह है ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** सामान्यतः मंत्री प्रश्न के उस भाग का उत्तर नहीं देते जिसकी मैं अनुमति नहीं देता हूं।

**डा. सुजान चक्रवर्ती :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी की सराहना करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय, अब आपकी सराहना की गई है।

**डा. सुजान चक्रवर्ती :** महोदय, मैं भी इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड में शामिल था। यह अच्छा है कि सरकार इसके पुनरुद्धार का प्रयास कर रही है। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के संबंध में सरकार का रवैया काफी स्पष्ट है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह निर्दिष्ट है कि सरकार सशक्त और प्रभावी सरकारी क्षेत्र के लिए वचनबद्ध है। तदुपरांत, सामाजिक बाध्यताएं भी होती हैं। उस दृष्टिकोण से मैं आईडीपीएल के मामला का हवाला देना चाहता हूं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। हम सभी यह जानते हैं कि यह एक बहुत अच्छा और सशक्त संगठन है। इसी प्रकार, बंगाल केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड बहुत महत्वपूर्ण कंपनियां हैं। सरकार अपने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में ग्रामीण स्वास्थ्य कायम रखने के लिए वचनबद्ध हैं और इसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भी शुरू किया गया है। यह काफी अच्छा कार्य कर रहा है। इसमें आवश्यक दवाईयों की सूची भी है। अब एक बहस जारी है कि क्या निजी कंपनियों द्वारा आवश्यक दवाईयों का उत्पादन किया जा सकता है और क्या वे ऐसा करने में रुचि लेंगी। इस विशेष पृष्ठभूमि में मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या आईडीपीएल और बंगाल केमिकल्स इत्यादि को भी साथ मिलाकर स्वास्थ्य पहलू संबंधी एक केन्द्रीय नीतिगत दृष्टिकोण मंत्रालय द्वारा वास्तव में अपनाया जा सकता है।

**श्री संतोष मोहन देव :** महोदय, मेरे मंत्रालय में मैं इस पर मामला दर मामला गुण पर विचार कर रहा है। जहां तक नीतिगत निर्णय का संबंध है, यदि उन्हें कुछ कहना है, तो वे उपयुक्त मंत्रालय को लिख सकते हैं। परन्तु हम बी आर पी एस ई के माध्यम से मामला दर मामला आधार पर इसकी जांच कर रहे हैं। अब इतनी व्यवस्था की गई है।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न सं. 304 – श्री नवजोत सिंह सिद्धू – उपस्थित नहीं।

प्रश्न सं. 305 – श्री हरिश्चंद्र चव्हाण – उपस्थित नहीं।

प्रश्न सं. 306 – श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे – उपस्थित नहीं।

– श्री श्रीचन्द कृपलानी – उपस्थित नहीं।

*[हिन्दी]*

**रेलगाड़ियों के समय पर चलने के संबंध में स्थिति**

+

***307. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :**

**श्री हेमलाल मुर्मू :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 2006 से अब तक रेलगाड़ियों के समय पर चलने के संबंध में जोन–वार स्थिति क्या है;

(ख) रेलगाड़ियों के देरी से आने–जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे द्वारा रेलगाड़ियों के देरी से आने–जाने के संबंध में किसी अधिकारी/कर्मचारी को जिम्मेवार ठहराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेलगाड़ियों के समय पर चलने के लिए रेलवे द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं तथा यह उपाय कितने कारगर रहे हैं?

*[अनुवाद]*

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

**विवरण**

(क) जनवरी से जुलाई 2006 की समयावधि के लिए भारतीय रेल का जोनवार समयपालन इस प्रकार है:

| रेलवे | बड़ी लाइन | छोटी लाइन |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| मध्य | 95.4 | – |
| पूर्व | 96.3 | – |
| उत्तर | 97.0 | – |
| पूर्वोत्तर | 92.7 | 98.9 |
| पूर्वोत्तर सीमा | 96.7 | 98.8 |
| दक्षिण | 97.5 | 99.5 |
| दक्षिण मध्य | 97.9 | 99.4 |
| दक्षिण पूर्व | 97.3 | – |
| पश्चिम | 97.2 | 99.4 |
| पूर्व मध्य | 91.9 | 98.1 |
| पूर्व तटीय | 97.0 | – |
| उत्तर मध्य | 95.8 | 100 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| उत्तर पश्चिम | 98.9 | 99.4 |
| 'दक्षिण पूर्व मध्य | 97.1 | – |
| दक्षिण पश्चिम | 98.3 | – |
| पश्चिम मध्य | 98.9 | – |

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि भारतीय रेल पर गाड़ियों का समय पालन स्तर काफी अच्छा है।

(ख) गाड़ियों के विलंब से चलने के कारणों में न केवल रेलों से संबंधित कारण जैसे परिसंपत्ति की खराबी, पार्सलों के लदान एवं उतराई के लिए अतिरिक्त समय लेना और खराब यातायात नियंत्रण शामिल है, अपितु ऐसे कारण भी शामिल हैं जो रेलवे के नियंत्रण से बाहर हैं जैसे शरारती तत्वों की गतिविधियों, प्राकृतिक आपदाएं यथा चक्रवातीय तूफान, पटरी का टूट जाना, कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याएं, खराब मौसम, मवेशियों का कुचला जाना और बिजली ग्रिड की खराबियां आदि।

(ग) और (घ) समयपालन में और अधिक सुधार करने के लिए इस अवधि के दौरान गाड़ियों की अनावश्यक रुकौनी के लिए जिम्मेदार पाए गए 1281 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। जोनवार ब्यौरा इस प्रकार है।

| रेलवे | उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है |
|---|---|
| 1 | 2 |
| मध्य | 34 |
| पूर्व | 143 |
| उत्तर | 209 |
| पूर्वोत्तर | 87 |
| पूर्वोत्तर सीमा | 61 |
| दक्षिण | 65 |
| दक्षिण मध्य | 30 |
| दक्षिण पूर्व | 70 |
| पश्चिम | 95 |
| पूर्व मध्य | 209 |
| पूर्व तटीय | 93 |
| उत्तर मध्य | 15 |
| उत्तर पश्चिम | 70 |
| दक्षिण पूर्व मध्य | 24 |
| दक्षिण पश्चिम | 38 |
| पश्चिम मध्य | 38 |
| कुल | 1281 |

(ङ) यात्री रेलगाड़ियों का समयपालन बेहतर बनाने के लिए भारतीय रेल द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:–

1. सभी तीनों स्तरों पर यथा मंडल, क्षेत्रीय रेल मुख्यालय और रेलवे बोर्ड स्तर पर रेलगाड़ियों पर चौबीसों घंटे गहन निगरानी।
2. समय–समय पर समयपालन अभियान चलाना।
3. संरक्षा सीमाओं एवं गति प्रतिबंधों का अनुपालन करते हुए अधिकतम अनुमेय गति पर रेलगाड़ियों का चालन।
4. निर्बाध पथ मुहैया कराने के लिए समय–सारणी में सुधार।
5. उपस्करों की खराबी कम करने के लिए परिसंपत्तियों के अनुरक्षण के मानक में सुधार।
6. समयबद्ध चालन सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण, परामर्श एवं प्रेरणा प्रदान करना।
7. कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याओं और शरारती तत्वों की गतिविधियों का निवारण करने के लिए राज्य सरकारों के साथ संपर्क।
8. जब कभी रेलगाड़ियां टर्मिनल में देरी से आती हैं, तब अतिरिक्त संसाधन जुटा करके रेलगाड़ियों का प्रस्ताव सही समय पर करवाने के प्रयास किए जाते हैं। अक्सर स्क्रैच रेकों को सेवा में लगाया जाता है।
9. रेलपथ, चल स्टॉक एवं सिगनल प्रणाली की प्रौद्योगिकी का उन्न्यन।

इसके परिणामस्वरूप, बाधाओं के बावजूद यात्री रेलगाड़ियों का समयपालन काफी अच्छा रहा है।

**श्री अब्दुल रशीद शाहीन** : महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में उल्लेख किया है कि विलंब के बहुत से कारण हैं और कुछ विलंब विभाग और वहां के प्रभारी लोगों के द्वारा की गई चूकों के कारण हुआ है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से सही तौर पर जानना चाहता हूं कि इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं। उन्होंने उल्लेख किया है कि परिसंपत्ति की असफलता और यातायात नियंत्रण में सुधार लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो विभाग के नियंत्रण में होनी चाहिए थीं। मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले में कर्मचारियों के अपने कर्तव्य का अभाव क्यों है, परिसंपत्ति की असफलता की स्थिति क्या है, और वे क्या सुधार कर रहे हैं। क्या उन्होंने इस कार्य के लिए अतिरिक्त निधि आबंटित की है?

**श्री आर. वेलु** : महोदय, समय का पालन करना भारतीय रेलवे की एक मुख्य चिंता है।

**श्री अब्दुल रशीद शाहीन** : रेलवे में ऐसा कभी नहीं होता है।

**श्री आर. वेलु** : कृपया सुनिए।

**अध्यक्ष महोदय** : हां, यह ठीक है।

**श्री आर. वेलु** : महोदय, वास्तव में न केवल माननीय सदस्यों की संतुष्टि के लिए परन्तु उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए भी हम उस लक्ष्य के बारे में यह देखने के लिए अब बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और अनेक रणनीतियां विकसित कर रहे हैं कि समय पालनता को कायम रखा जाए।

इस सम्मानित सभा की जानकारी के लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि इन सभी वर्षों में रेलवे की बड़ी लाइन की समय पालनता 90 प्रतिशत से कम थी। गत दो वर्षों से रेलवे की बड़ी लाइन की समय पालनता अब 92.1 प्रतिशत है और रेलवे की मीटर लाइन की समय पालनता 97.6 प्रतिशत है।

माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्न के दो भाग हैं। एक तो रेलवे में नियंत्रित घटकों के संबंध में है और इस अनियंत्रित घटकों के संबंध में है। मुझे यह तथ्य स्वीकार करना चाहिए कि लगभग 36 प्रतिशत मामले ऐसे हैं जो रेलवे के नियंत्रण से परे हैं और शेष 64 प्रतिशत मामले रेलवे के नियंत्रण में हैं। जहां तक परिसंपत्ति की असफलता और यातायात नियंत्रण के प्रश्न का संबंध है, परिसंपत्ति की असफलता के संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि एसआरएसएके के तहत हमने चलस्टाक के साथ-साथ अचल संपत्तियों के उन्नयन, आधुनिकीकरण और पुरानी परिसंपत्तियों को बदलने के लिए 17,000 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की है ताकि परिसंपत्ति की असफलता को अल्पतम किया जा सके। हमने मार्च, 06 तक 13,000 करोड़ रु. व्यय किया है और शेष 4000 करोड़ रु. की राशि अगले वर्ष के दौरान व्यय की जाएगी।

नियंत्रण के स्तर पर मैंने बताया है कि हमने डिवीजनल स्तर, जोनल स्तर और रेलवे बोर्ड स्तर पर विभिन्न ट्रेनों की समयबद्धता की निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित किया है। यह हमारे नियंत्रण में है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम अपना ध्यान समय पालन के पक्ष पर लगातार केन्द्रित कर रहे हैं और यह देख रहे हैं कि जहां भी कर्मचारी ऐसी त्रुटि के लिए जिम्मेदार हैं, हम उनके विरुद्ध अनुशासन और अपीलीय नियमों के अंतर्गत कार्रवाई करते हैं।

**श्री अब्दुल रशीद शाहीन** : माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कि अपने कर्तव्य में लापरवाही बरतने के लिए 1281 व्यक्तियों को जवाबदेह पाया गया है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या कार्रवाई की गई है और त्रुटियों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में कितना समय लगेगा। समयावधि का उल्लेख नहीं है; उन्होंने कहा : "इस अवधि के दौरान," हम उस अवधि के बारे में जानना चाहेंगे।

**श्री आर. वेलु** : मैंने "जनवरी से जुलाई" तक की अवधि का उल्लेख किया है। ये लंबी प्रक्रियाएं हैं। प्रत्येक माननीय सदस्य इस बारे में जानते हैं। बर्खास्तगी के मामले में भी जांच होती है और इसमें कई चरण हैं। इसलिए, इसमें लंबा समय लगेगा, हो सकता है छः माह या एक साल लगे, यह कर्मचारियों के सहयोग और उस जांच में शामिल अधिकारियों के ऊपर भी निर्भर करता है।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री हेमलाल मुर्मू – अनुपस्थित।

*[हिन्दी]*

**श्रीमती कृष्णा तीरथ** : अध्यक्ष महोदय, कभी-कभी ट्रेनों में देरी का कारण लॉ एंड ऑर्डर की प्राब्लम होती है। इन ट्रेनों में कई बार असामाजिक तत्व होते हैं जो 'ईव टीज़िंग' करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या महिलाओं के कम्पार्टमेंट में अलग से पुलिस सिक्यूरिटी का प्रोवीजन किया है या नहीं? कभी-कभी पूरी ट्रेन में देखा जाता है कि जनरल कम्पार्टमेंट में कुछ ऐसे लोग होते हैं लेकिन महिला कम्पार्टमेंट में भी ऐसे लोग 'ईव टीज़िंग' करते हैं, उससे ट्रेन में देरी होने का कारण लॉ एंड ऑर्डर की प्राब्लम होती है।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : यह समय पालन के बारे में प्रश्न है।

**श्री आर. वेलु** : यद्यपि यह समय पालन से जुड़ा प्रश्न नहीं है, फिर भी मैं इसका उत्तर दूंगा।

**अध्यक्ष महोदय** : यही कारण है कि सेवा में विलंब होता है।

वह महिला अधिकारिता संबंधी समिति की सभापति हैं।

**श्री आर. वेलु** : मैं सभापति महोदया को उस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा।

भारतीय रेलवे में, हम केवल रात्रि में ही ट्रेनों में सुरक्षा नहीं प्रदान

कर रहे हैं बल्कि विशेष रूप से उपनगरीय ट्रेनों में इस तरह की सतर्कता जारी है। हमने जो इस पर अब तक किया है वह यही है। हमने समूह बनाने और उन कम्पार्टमेंटों में सुरक्षा बढ़ाने के मद्देनजर अब रेल सुरक्षा बल के महिला सिपाहियों को तैनात किया है। वस्तुतः हम बिना पूर्व सूचना के छापे डालते हैं, और इन कम्पार्टमेंटों में और अधिक महिला सिपाहियों की तैनाती अच्छा ही होगा।

*[हिन्दी]*

**प्रो. रासा सिंह रावत** : अध्यक्ष महोदय, वैसे स्टेशनों पर लिखा होता है 'सिक्यूरिटी, सेफ्टी एंड पंक्चुऐलिटी' और रेलवे का यही लक्ष्य है जिसे पूरा करने का प्रयास किया जाता है और ऐसा बताया भी जाता है। लेकिन कभी–कभी ऐसा देखा जाता है कि जब रेल लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है तो हजारों की संख्या में विद्यार्थी जो परीक्षा देने वाले होते हैं, ट्रेनों की छतों पर चढ़ जाते हैं जिन्हें उतारने के लिए रेलवे कर्मचारी बहुत प्रयास करते हैं, रेलवे पुलिस भी प्रयास करती है। चूंकि उन लोगों को ट्रेन के अंदर जगह नहीं मिलती, इसलिए वे उतर नहीं पाते हैं। इससे बार–बार चेन–पुलिंग होती है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी विशेष परिस्थिति में संबंधित रेल अधिकारियों को यह अधिकार देंगे कि उन विद्यार्थियों के लिए एक नई बोगी लगा दी जाए जिन्हें आप रेल सुविधा प्रदान भी करते हैं ताकि उन्हें बैठने की सुविधा मिल सके और अन्य यात्री समय पर पहुंच सकें?

**रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद)** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कहना सही है कि लोग छतों पर और ए.सी कम्पार्टमेंट में बैठकर आते–जाते हैं। यह शिकायत बिहार में पहले थी और भारतीय रेल ने रोकथाम के लिए बहुत सारे रूट इलैक्ट्रीफाइड कर दिए हैं, जिससे स्वतः ही लोग छतों से उतर गए हैं। चूंकि परीक्षार्थी खासकर छतों पर चढ़कर आते–जाते हैं, इसके लिए भारतीय रेल ने परीक्षा लेने के लिए एक डी–सैंट्रेलाइज्ड सिस्टम की व्यवस्था की है। जहां तक भीड़–भाड़ वाली बैंत है, यह यदा–कदा हमारे सामने आती है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का मूल प्रश्न पंक्चुऐलिटी के बारे में है, हमारे रेल राज्य मंत्री ने बताया है कि चूंकि हमारी एग्जिस्टिंग रेललाइन्स में ह्यूज कंजैशन है, इसलिए कई जगह हम लोग रिस्ट्रिक्शन्स लगाये रहते हैं और हम मेनटिनैंस का काम भी करते हैं। इन तमाम माननीय सदस्यों के अनुरोध पर मांग पर भारतीय रेल में, इसकी लोकप्रियता को देखते हुए, क्योंकि यह सस्ती सवारी है, इसलिए हम नई गाड़ियां एड करते जा रहे हैं। हमारे पास बहुत सी जगहों पर टर्मिनल पंक्चुऐलिटी नहीं थी, वहां हम टर्मिनल पंक्चुएलिटी दे रहे हैं और उन्हें रेड्यूस करने के लिए हम थर्ड लाईन डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर जब लाएंगे तो हमारा एग्जिस्टिंग लाईन से प्रेशर कम हो जाएगा। गाड़ियां समय पर पहुंचे, हम लोगों ने पंक्चुऐलिटी की दिशा में भी काफी कदम उठाए हैं और निकट भविष्य में हमारा जो उपाय है, वह यह है कि हम थर्ड लाईन डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर डालने जा रहे हैं, इससे हमारा प्रेशर खत्म होगा और कहीं कोई शिकायत नहीं रहेगी।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : अब, श्री ब्रजेश पाठक।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री रामदास आठवले, कृपया अपनी सीट पर बैठिए। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया खुलेआम उल्लंघन मत करें।

*[हिन्दी]*

**श्री ब्रजेश पाठक** : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत–बहुत धन्यवाद। हमें यह कहने में कतई संकोच नहीं है कि हिन्दुस्तान की रेलवे माननीय लालू जी के नेतृत्व में सतत् प्रगति की ओर अग्रसर है और उसने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया है। जब से मैंने होश संभाला है, तब से मैंने देखा है कि हमारे गांव और संसदीय क्षेत्र को छूती हुई कानपुर तक एक ट्रेन जाती है, जो बालामऊ कानपुर पैसेंजर के नाम से जानी जाती है। मैंने देखा कि वह ट्रेन तीन, चार, पांच या दो घंटे हमेशा लेट चलती है, आज तक कभी वह ट्रेन राइट समय पर नहीं चली है। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : टाइम–टेबल चेंज हो जाएगा।

**श्री ब्रजेश पाठक** : अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जो कानपुर बालामऊ में रेलवे ट्रैक है, उस पर मात्र एक ट्रेन चलती है और वहां कोई भी ट्रैफिक नहीं है। इसलिए अगर यह बहाना बनाया जाए कि रेलवे ट्रैफिक के कारण उसे रोक दिया गया, वह रेलवे लाईन अंग्रेजों के जमाने की है और उस पर अगर तेज ट्रेन चलेगी तो वहां की पटरियां उखड़ जाएंगी। मेरा आपके माध्यम से मंत्री से अनुरोध है कि क्या उस रेलवे ट्रेक को आधुनिक करके समय पर रेल गाड़ी चलाने का काम करेंगे?

**श्री लालू प्रसाद** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र के जिस रूट का जिक्र किया है, वह पैसेंजर गाड़ी बिल्कुल पैसेंजर होती जा रही है। इसे हम एग्जिामिन करेंगे कि उस इलाके में कितना हाल्ट है, बहुत से लोग चैन पुलिंग भी करते होंगे। इसे हम एग्जामिन कराएंगे और एग्जामिन कराकर देखेंगे, ऐसा हो सकता है कि असमय लोग होस पाइप खोल देते होंगे। माननीय सदस्य ने जो कहा है, उसे

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हम एग्जामिन करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो वहां कुछ स्टेशनों को कम कर देंगे और हाल्ट भी कम कर देंगे।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : अब, प्रश्न सं. 308 – श्री अर्जुन सेठी।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : सभा में थोड़ा हंसी–मजाक अच्छा है। कृपया बैठिए। अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अब श्री अर्जुन सेठी।

**केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों का नवीकरण**

***308. श्री अर्जुन सेठी** : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के संरक्षण और विकास पर राज्य–वार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान केन्द्र द्वारा संरक्षित कुछ स्मारकों के नवीकरण की कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) इन स्मारकों के नवीकरण हेतु क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

**बिना विभाग के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस)** : (क) से (घ) एक विवरण सभा–पटल पर रखा गया है।

***विवरण***

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के अनुरक्षण, संरक्षण, और विकास हेतु खर्च की गई कुल धनराशि का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न अनुबंध–I में है।

(ख) से (घ) केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों एवं स्थलों के आस–पास संरक्षण, परिरक्षण, अनुरक्षण और पर्यावरण संबंधी विकास एक सतत् प्रक्रिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के संरचनात्मक संरक्षण, वार्षिक अनुरक्षण, रासायनिक परिरक्षण तथा उद्यान कार्यों के वास्ते 2006–07 के लिए कुल 98.60 करोड़ रुपए का वार्षिक संरक्षण कार्यक्रम अनुमोदित किया है। आबंटित निधियों का मंडल–वार ब्यौरा संलग्न अनुबंध–II में है।

विभिन्न संरक्षण, परिरक्षण एवं पर्यावरण संबंधी विकास कार्य प्रगति पर है। जुलाई, 2006 तक किए गए व्यय का ब्यौरा भी संलग्न अनुबंध–II में दिया गया है।

***अनुबंध-I***

*केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण, परिरक्षण और पर्यावरण संबंधी विकास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए व्यय का राज्य–वार ब्यौरा*

(रुपए लाखों में)

| क्रम सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 269.84 | 341.00 | 461.41 |
| 2. | असम | 82.90 | 60.30 | 59.86 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 4.14 | 6.35 | 3.99 |
| 4. | बिहार | 470.00 | 213.75 | 247.50 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 171.00 | 278.00 | 252.95 |
| 6. | दिल्ली | 1001.87 | 761.37 | 754.26 |
| 7. | दमन और दीव | 35.14 | 22.46 | 42.73 |
| 8. | गोवा | 74.99 | 105.02 | 100.00 |
| 9. | गुजरात | 134.82 | 150.75 | 171.63 |
| 10. | हरियाणा | 258.18 | 178.40 | 168.17 |
| 11. | हिमाचल प्रदेश | 19.57 | 65.59 | 108.00 |
| 12. | जम्मू और कश्मीर | 269.85 | 239.97 | 274.83 |
| 13. | झारखण्ड | 82.39 | 70.72 | 73.55 |
| 14. | केरल | 100.48 | 76.49 | 85.02 |
| 15. | कर्नाटक | 767.27 | 907.41 | 1434.92 |
| 16. | महाराष्ट्र | 536.53 | 448.04 | 516.25 |
| 17. | मध्य प्रदेश | 445.44 | 378.44 | 520.00 |
| 18. | मणिपुर | 0.10 | 00 | 00 |
| 19. | मेघालय | 5.91 | 2.90 | 5.11 |
| 20. | नागालैंड | 12.94 | 7.94 | 6.29 |
| 21. | उड़ीसा | 190.04 | 388.08 | 296.35 |
| 22. | पंजाब | 35.40 | 54.30 | 87.81 |
| 23. | पांडिचेरी | 23.80 | 20.85 | 13.41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 24. | राजस्थान | 741.51 | 279.97 | 285.00 |
| 25. | सिक्किम | 31.95 | 24.93 | 10.50 |
| 26. | तमिलनाडु | 448.08 | 580.29 | 636.58 |
| 27. | त्रिपुरा | 29.32 | 32.22 | 32.77 |
| 28. | उत्तरांचल | 132.40 | 157.00 | 160.08 |
| 29. | उत्तर प्रदेश | 980.89 | 1398.41 | 1303.51 |
| 30. | पश्चिम बंगाल | 291.88 | 532.44 | 383.81 |
| 31. | उद्यान शाखा | 982.73 | 1070.98 | 1198.98 |
| 32. | विज्ञान शाखा | 396.59 | 433.42 | 499.23 |
| | कुल | 9027.95 | 9287.79 | 10194.50 |

*अनुबंध-II*

*संरक्षण, परिरक्षण तथा उद्यान कार्यों के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निधियों का आबंटन*

(रुपए लाखों में)

| क्रम सं. | मंडल/शाखा का नाम | आबंटन | जुलाई, 2006 तक व्यय |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आगरा | 555.00 | 210.95 |
| 2. | औरंगाबाद | 400.00 | 88.28 |
| 3. | बंगलौर | 580.00 | 195.10 |
| 4. | भोपाल | 505.00 | 216.85 |
| 5. | भुवनेश्वर | 375.00 | 42.05 |
| 6. | चेन्नई | 550.00 | 34.25 |
| 7. | चंडीगढ़ | 300.00 | 107.45 |
| 8. | देहरादून | 150.00 | 33.55 |
| 9. | दिल्ली | 975.00 | 155.30 |
| 10. | धारवाड़ | 475.00 | 76.10 |
| 11. | गोवा | 140.00 | 10.35 |
| 12. | गुवाहाटी | 130.00 | 12.10 |
| 13. | हैदराबाद | 400.00 | 216.50 |
| 14. | जयपुर | 285.00 | 87.55 |
| 15. | कोलकाता | 300.00 | 104.20 |
| 16. | लखनऊ | 555.00 | 140.25 |
| 17. | मुम्बई | 300.00 | 78.85 |
| 18. | पटना | 325.00 | 35.35 |
| 19. | रांची | 100.00 | 3.10 |
| 20. | रायपुर | 225.00 | 76.10 |
| 21. | शिमला | 125.00 | 10.80 |
| 22. | श्रीनगर | 280.00 | 62.65 |
| 23. | त्रिसूर | 180.00 | 13.60 |
| 24. | बड़ोदरा | 290.00 | 94.60 |
| 25. | विज्ञान शाखा | 485.00 | 129.57 |
| 26. | उद्यान शाखा | 830.00 | 416.65 |
| 27. | महानिदेशक का कार्यालय (आरक्षित) | 45.00 | 130.00 |
| | कुल | 9860.00 | 2782.10 |

**श्री अर्जुन सेठी :** महोदय, धन्यवाद। अब ज्यादा समय नहीं बचा है। इसलिए, मैं बहुत ही संक्षेप में अपना प्रश्न पूछूंगा।

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया संक्षेप में प्रश्न पूछें।

**श्री अर्जुन सेठी :** महोदय, मेरा ठोस प्रश्न यह है। उड़ीसा का कोणार्क मंदिर देश में विश्व विरासत केन्द्रों में से एक है और मंदिर की हालत खराब है। सुरक्षा और संरक्षण के लिए जो भी राशि प्रदान की जा रही है वह मौजूदा स्थिति को देखते हुए पर्याप्त नहीं है क्योंकि यह बहुत पुराना है और दिन-पर-दिन इसकी स्थिति बिगड़ रही है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि उन्होंने कितनी राशि प्रदान की गई है, और क्या उन्हें कोणार्क मंदिर और अन्य मंदिरों के संरक्षण के लिए यूनेस्को से धनराशि प्राप्त हो रही है जिन्हें विश्व विरासत केन्द्र के रूप में चुना गया है।

**श्रीमती अम्बिका सोनी :** महोदय, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहती हूं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले वर्षों और दशकों में कोणार्क मंदिर में क्षरण हुआ है और स्थिति खराब हुई है। इसे संरक्षित करने के लिए कई उपचारात्मक उपाय किए गए हैं। माननीय सदस्य निश्चित रूप से जानते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) के

पास उपलब्ध धनराशि जिसे प्राथमिक रूप से सुरक्षण और संरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, पर्याप्त नहीं है। इसलिए, उसे ध्यान में रखते हुए और कोणार्क मंदिर जैसे विश्व विरासत स्थल की महत्ता को ध्यान में रखते हुए हमने दिनांक 30 मार्च, 2001 को इण्डियन आयल फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था और वे राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि में योगदान कर रहे हैं और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा भी व्यय किया जा रहा है।

हम इस संयुक्त धनराशि से, पर्यटन मंत्रालय के उद्यान के पर्यावरणीय विकास की देखभाल कर रहे हैं। हम कोणार्क मंदिर देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम कर रहे हैं, और वहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने तथा और अधिक संसाधन जुटाने के क्रम में कोणार्क मंदिर के संग्रहालय का हमने उन्नय किया है।

चिंता का प्रमुख कारण क्षरण है, पत्थरों का प्रकार है, जिनका इस्तेमाल किया गया है; और इसके अतिरिक्त, लवण का स्तर है, वहां तापीय कार्रवाई भी हो रही है। वर्षा और आर्द्रता के कारण, इससे उत्पन्न तापमान का अपना हानिकारक प्रभाव है। जैवीय कारक हैं जो मंदिर परिसर में पनपे हैं।

इसलिए, इन सभी चीजों का हम अपने सीमित संसाधनों के भीतर ध्यान रख रहे हैं जिसका भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण (ए एस आई) से व्यय होता है। हमने पत्थर सुदृढ़ीकरण के माध्यम से मौसमी प्रभाव को कम करने की कोशिश की है ...*(व्यवधान)* लेकिन, मैं माननीय सदस्य को उस वास्तविक राशि के बारे में, जिसे ए.एस.आई. के अंतर्गत व्यय किया गया है, प्रश्न काल के शीघ्र बाद बता सकती हूं।

**अध्यक्ष महोदय :** बहुत–बहुत धन्यवाद।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

*[अनुवाद]*

### विद्युत इंजनों का उत्पाद

***304. श्री नवजोत सिंह सिद्धू :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे में विद्युत इंजनों की मांग तेजी से बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने लिए विद्युत इंजनों के उत्पादन में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) जी हां।

(ख) पिछले कुछ वर्षों के दौरान यातायात में वृद्धि होने से विद्युत इंजनों की मांग में वृद्धि हुई है। चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में विद्युत इंजनों के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई है जो कि निम्नलिखित है:–

| वर्ष | रेल इंजनों का उत्पादन |
|---|---|
| 2003–04 | 86 |
| 2004–05 | 90 |
| 2005–06 | 129 |
| 2006–07 (लक्ष्य) | 150 |

(ग) चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने की मौजूदा क्षमता सालाना 150 विद्युत इंजन निर्मित करने की है। यातायात की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए चित्तरंजन कारखाने में विद्युत इंजन निर्माण की क्षमता 2007–08 के दौरान बढ़ाकर 200 विद्युत रेल इंजन की जा रही है।

*[हिन्दी]*

### पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता

***305. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार पुस्तकों, फर्नीचर, उपकरण की आपूर्ति और भवनों की मरम्मत आदि करके पुस्तकालयों की स्थिति में सुधार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उक्त प्रयोजनार्थ प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को चालू वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता हेतु कस्बों/ग्रामीण पुस्तकालयों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ.) देश में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

**बिना विभाग के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) :** (क) राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान (आर आर आर एल एफ), जो संस्कृति मंत्रालय के तहत् एक स्वायत्त संगठन है, राज्य सरकारों की सिफारिश पर समग्र देश के सार्वजनिक पुस्तकालयो को पुस्तकों, फर्नीचर, उपस्करों की आपूर्ति तथा भवन निर्माण/संवर्धन हेतु सहायता प्रदान करता है।

(ख) गत तीन वर्ष के दौरान पुस्तकों, फर्नीचर, उपस्कर की

आपूर्ति और भवन के नवीकरण हेतु प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, संबंधित राज्य पुस्तकालय समिति के अनुमोदन के बाद कस्बा/ग्रामीण पुस्तकालयों के संबंध में प्रस्ताव भेजते हैं। प्राप्त हुए प्रस्तावों पर विचार किया गया है तथा वर्ष 2006–07 (31 जुलाई तक) के दौरान जारी की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ङ) पहले से ही उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं :–

आर आर आर एल एफ के माध्यम से राज्य पुस्तकालयों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के मानदण्डों में व्यावहारिक दृष्टि से संशोधन किया गया है।

सार्वजनिक पुस्तकालयों में 'बाल कक्ष' स्थापित करने के उद्देश्य से एक विशेष स्कीम शुरू की गई है।

नेहरू युवक केन्द्र के साथ मिलकर, आर आर आर एल एफ ने ग्रामीण पुस्तकालयों के सुदृढ़ीकरण का कार्य भी शुरू किया है।

*विवरण-I*

(धनराशि रुपए में)

| मद | वर्ष 2003–04 | | वर्ष 2004–05 | | वर्ष 2005–06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | पुस्तकालयों की संख्या | धनराशि | पुस्तकालयों की संख्या | धनराशि | पुस्तकालयों की संख्या | धनराशि |
| पुस्तकें | 8826 | 97788625 | 11058 | 97792360 | 5336 | 147866845 |
| फर्नीचर | 2967 | 17025984 | 3061 | 20314203 | 2954 | 25219721 |
| उपकरण | 9 | 2795170 | 20 | 13006302 | 52 | 9703840 |
| भवन | 187 | 26870296 | 129 | 20272021 | 159 | 32201198 |
| कुल | | 144480075 | | 151384886 | | 214991604 |

*विवरण-II*

(धनराशि रुपए में)

| मद | वर्ष 2006–07 | |
|---|---|---|
| | पुस्तकालयों की संख्या | धनराशि |
| पुस्तकें | 6307 | 55994768 |
| फर्नीचर | 542 | 2992841 |
| उपकरण | 27 | 10675418 |
| भवन | 55 | 10920476 |
| कुल | | 80583503 |

## कच्चे तेल पर रायल्टी

***306. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे :**
**श्री श्रीचन्द कृपलानी :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले राज्यों को रायल्टी का भुगतान करने हेतु क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं;

(ख) वर्ष 2005–06 के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले राज्यों को रायल्टी के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है और इससे संबंधित पिछले दो वर्षों के आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को रायल्टी की दर में वृद्धि करने के संबंध में कुछ राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) :** (क) समय–समय पर संशोधित रूप में तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) ऐक्ट 1948 (ओआरडीए) के अधीन सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करने के बाद दिनांक 16–12–2004 की गजट अधिसूचना के माध्यम से रायल्टी की एक विस्तृत सारणी अधिसूचित की है। रायल्टी दरों के निर्धारण के लिए प्रमुख मानदंड हैं–

(1) क्या उत्पादन नामांकन, एनईएलपी पूर्व, अथवा एनईएलपी व्यवस्था के अंतर्गत दिये गये क्षेत्रों से हैं?

(2) तेल क्षेत्र की अवस्थिति अर्थात् भूतल, उथले पानी आफशोर और गहरे पानी आफशोर।

(3) प्रश्नगत उत्पाद अर्थात् तेल अथवा गैस।

(4) उत्पाद की कूप शीर्ष कीमत।

तत्पश्चात उपर्युक्त मानदंड के मद्देनजर किसी निरपेक्ष राशि के रूप में अथवा कूप शीर्ष कीमत दर के प्रतिशत के रूप में रायल्टी का हिसाब निकाला जाता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2003–04, 2004–05 और 2005–06 में तेल और गैस उत्पादक राज्यों को भुगतान की गई राज्यवार रायल्टी राशियों को संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ड.) जी हां, राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा दी जाने वाली रायल्टी की दरों के निर्धारण की पद्धति में संशोधन के लिए राज्य सरकारें समय–समय पर अनुरोध करती रही हैं।

संबंधित राज्य सरकारों के साथ इन अनुरोधों की विस्तृत जांच की गयी और एक नई रायल्टी व्यवस्था बनाई गई और ओआरडीए के अधीन 16–12–2004 को विस्तृत रायल्टी सारणी अधिसूचित कर दी गई।

*विवरण*

*क्रूड आयल और प्राकृतिक गैस उत्पादन पर राज्य सरकारों को भुगतान की गई रायल्टी*

(करोड़ रुपए में)

| राज्य | 2005–06 | 2004–05 | 2003–04 |
|---|---|---|---|
| गुजरात | 1707.60 | 1130.97 | 867.45 |
| असम | 1207.47 | 894.08 | 703.19 |
| तमिलनाडु | 142.83 | 102.31 | 70.64 |
| आंध्र प्रदेश | 110.45 | 77.25 | 77.29 |
| अरूणाचल प्रदेश | 27.70 | 10.98 | 20.84 |
| त्रिपुरा | 7.39 | 6.96 | 5.94 |
| राजस्थान | 2.57 | 2.38 | 1.43 |
| योग | 3206.01 | 2224.93 | 1746.79 |

**निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों को राजसहायता**

***309. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :**

**श्री मो. ताहिर :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों को कोई सामाजिक दायित्व सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों ने सरकार से सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को दी जा रही राजसहायता की तर्ज पर राजसहायता देने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा कया कार्यवाही की गई है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा):** (क) और (ख) जी नहीं। नैगम सामाजिक दायित्व विशुद्ध रूप से एक स्वैच्छिक प्रयास है जिसके अंतर्गत कोई कंपनी – चाहे निजी हो अथवा सार्वजनिक – अपने स्वयं के अधिशेषों/धनराशियों से सामाजिक पहलें हाथ में लेती है।

(ग) से (ड.) जी, हां। निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की बिक्रियों पर उनको हुए घाटों के लिए सरकार से राजसहायता की मांग की है। तथापि चूंकि वे सरकार की ओर से मूल्यनिर्धारण प्रतिबंधों के अध्यधीन नहीं हैं, इसलिए उनके द्वारा देश के अन्दर पेट्रोल और डीजल के विपणन के लिए कोई प्रतिपूर्ति नहीं हो सकती। निजी कंपनियां वाणिज्यिक आधारों पर अपने कीमत निर्धारण के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि सा.क्षे. उपक्रमों नामतः ओएनजीसी, एमआरपीएल और एनआरएल सहित वे सभी कंपनियां जिन्हें 8 मार्च, 2002 के सरकारी संकल्प के अनुसार पेट्रोल और डीजल का विपणन करने का प्राधिकार प्रदान किया गया है, राजसहायता हिस्सेदारी व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आती हैं।

*[अनुवाद]*

**वक्फ परिषद् को सहायता अनुदान**

***310. श्री अनवर हुसैन :** क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में केन्द्रीय वक्फ परिषद् को सरकार द्वारा कितना सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न वक्फ संस्थाओं को इस ऋण की कितनी धनराशि जारी की गई और यह किस प्रयोजन के लिए दी गई;

(ग) क्या कुछ वक्फ संस्थाओं विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों की संस्थाओं को यह सुविधा प्रदान नहीं की गई; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार) :** (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा शहरी वक्फ संपत्तियों के विकास की योजना के अंतर्गत केन्द्रीय वक्फ परिषद् को स्वीकृत सहायता अनुदान इस प्रकार है:–

| वर्ष | राशि (लाख रुपए) |
|---|---|
| 2003–04 | 158.00 |
| 2004–05 | 137.00 |
| 2005–06 | 143.25 |

वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान अब तक कोई सहायता अनुदान संस्वीकृत नहीं किया गया है।

(ख) केन्द्रीय वक्फ परिषद् वक्फ संपत्ति के विकास के लिए विभिन्न वक्फ संस्थाओं को जारी ऋण की राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) किसी पात्र परियोजना के सहायता की मनाही नहीं की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

***विवरण***

*पिछले तीन वर्षों के दौरान वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए वक्फ संस्थाओं को जारी ऋण*

| क्रम सं. | वक्फ का नाम | दी गई ऋण–राशि | उद्देश्य |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2003-04** | | | |
| 1. | दरगाह मस्जिद मदार शाह, उज्जैन (मध्य प्रदेश) | 15.00 लाख रुपए | वाणिज्यिक परिसर |
| 2. | आमीन–ए–शरीयत शिक्षा न्यास (वक्फ) धरौल, जामनगर (गुजरात) | 16.00 लाख रुपए | आवासीय परिसर |
| 3. | पुथानपाल्ली जरम मदरसा और अस्पताल, मालापुरम् (केरल) | 10.00 लाख रुपए | अस्पताल भवन |
| 4. | मदरशा मकान टुमकूर (कर्नाटक) | 14.00 लाख रुपए | वाणिज्यिक परिसर |
| 5. | एच.एम.एस. शिक्षा समिति टुमकूर (कर्नाटक) | 19.00 लाख रुपए | छात्रावास भवन |
| 6. | जामिया इस्लामिया इशातूल ऊलूम अक्कलकुंआ, महाराष्ट्र | 25.00 लाख रुपए | छात्रावास भवन |
| 7. | मौहिऊद्दीन अंदावर पाल्लीवसल विरुद्धनगर (तमिलनाडु) | 8.25 लाख रुपए | शांपिंग कांम्पलेक्स |
| 8. | एस.एम. बंगाली बाबा मदरसा वक्फ, अहमदाबाद (गुजरात) | 15.00 लाख रुपए | शीतभंडारण भवन |
| 9. | केरल वक्फ बोर्ड छात्रावास इर्णाकुलम् | 15.75 लाख रुपए | कार्यालय परिसर |
| 10. | बेलारी शादी महल समिति, बेलारी (कर्नाटक) | 10.00 लाख रुपए | विवाह हॉल |
| | कुल | 148.00 लाख रुपए | |
| **2004-05** | | | |
| 1. | आमीन–ए–शरीयत शिक्षा न्यास (वक्फ) धरौल, जामनगर (गुजरात) | 25.00 लाख रुपए | आवासीय परिसर |
| 2. | एस.एम. बंगाली बाबा मदरसा वक्फ, अहमदाबाद (गुजरात) | 25.00 लाख रुपए | शीत भंडारण भवन |
| 3. | बेलारी शादी महल समिति, बेलारी (कर्नाटक) | 20.00 लाख रुपए | विवाह हॉल |
| 4. | मदरशा मकान टुमकूर (कर्नाटक) | 11.00 लाख रुपए | वाणिज्यिक परिसर |
| 5. | एच.एम.एस. शिक्षा समिति टुमकूर (कर्नाटक) | 18.00 लाख रुपए | छात्रावास भवन |
| 6. | जामिया इस्लामिया इशातूल ऊलूम अक्कालकुंआ, महाराष्ट्र | 20.00 लाख रुपए | छात्रावास भवन |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 7. | अंजुमाने इस्लाम बयादगी धारवाड़ (कर्नाटक) | 10.00 लाख रुपए | शॉपिंग कॉम्पलेक्स |
| 8. | वक्फ इदगाह मस्जिद, कब्रिस्तान, राघोगढ़, गुना (मध्य प्रदेश) | 23.00 लाख रुपए | शॉपिंग कॉम्पलेक्स |
| | कुल | 147.00* लाख रुपए | |

*इसमें पिछले वर्ष के उपयोग न किए गए 10.00 लाख रुपए भी शामिल हैं।

**2005-06**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | आमीन-ए-शरीयत शिक्षा न्यास (वक्फ) धरौल, जामनगर (गुजरात) | 24.00 लाख रुपए | आवासीय परिसर |
| 2. | एस.एम. बंगाली बाबा मदरसा वक्फ, अहमदाबाद (गुजरात) | 25.00 लाख रुपए | शीत भंडारण भवन |
| 3. | मदरशा मकान टुमकूर (कर्नाटक) | 11.00 लाख रुपए | वाणिज्यिक परिसर |
| 4. | एच.एम.एस. शिक्षा समिति टुमकूर (कर्नाटक) | 18.00 लाख रुपए | छात्रावास भवन |
| 5. | जामिया इस्लामिया इशातूल ऊलूम अक्कालकुंआ, महाराष्ट्र | 25.00 लाख रुपए | छात्रावास भवन |
| 6. | केरल वक्फ बोर्ड के छात्रावास इर्णाकुलम(केरल) | 21.25 लाख रुपए | कार्यालय परिसर |
| 7. | दरगाह मस्जिद मदार शाह, उज्जैन (मध्य प्रदेश) | 19.00 लाख रुपए | वाणिज्यिक परिसर |
| | कुल | 143.25 लाख रुपए | |

*[हिन्दी]*

**मिट्टी के तेल की कमी**

***311. श्री गिरिधारी यादव :**

**श्री हरिकेवल प्रसाद :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मिट्टी के तेल की कुल कितनी मांग है;

(ख) क्या मांग को पूरा करने के लिए मिट्टी के तेल की कमी है;

(ग) क्या सरकार ने मिट्टी के तेल की मांग को पूरा करने के लिए इसका आयात किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इसे किस दर पर आयात किया गया;

(ङ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों के लिए मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा)** : (क) और (ख) देश में मिट्टी तेल की खपत या तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के जरिए वितरित मिट्टी तेल अथवा खुले बाजार में मिट्टी तेल के वितरण द्वारा होती है। पीडीएस मिट्टी तेल राजसहायता प्रदत्त उत्पाद है और भारत सरकार इसका आबंटन राज्यों को त्रैमासिक आधार पर करती है। 2005-06 और 2006-07 की प्रथम दो तिमाहियों के दौरान राज्यों को आबंटित किया गया पीडीएस मिट्टी तेल का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 10-8-06 की स्थिति के अनुसार सार्वजनकि क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के पास विभिन्न राज्यों में उनके आपूर्ति स्थलों पर समग्र मिट्टी तेल भंडार आबंटित की गई मात्राओं के लिए अखिल भारतीय आधार पर 25 दिनों की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त था। पीडीएस मिट्टी तेल का उपभोक्ताओं को वितरण और इसकी व्यवस्था को पूर्णतः राज्य सरकारों द्वारा हैंडल किया जाता है।

पीडीएस मिट्टी तेल के अलावा, तेल कंपनियां मांग के अनुसार खुले बाजार में मिट्टी तेल की बिक्री करती हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान ओएमसीज द्वारा आयातित मिट्टी तेल का ब्यौरा और औसत दरें निम्नानुसार है :

| वर्ष | मात्रा (हजार मीट्रिक टन में) | दर (रुपये/एमटी) |
|---|---|---|
| 2003–04 | शून्य | शून्य |
| 2004–05 | 210.4 | 20403 |
| 2005–06 | 876.1 | 25150 |

(ङ) से (छ) विभिन्न राज्य सरकार अपने पीडीएस मिट्टी तेल के आबंटन में वृद्धि का अनुरोध करती रहीं हैं। वर्तमान वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और नागालैंड से ऐसे अनुरोध प्राप्त हुए हैं। राज्यों के बीच पीडीएस मिट्टी तेल के आबंटन के यौक्तिकरण का मामला सरकार के विचाराधीन है।

*विवरण*

| राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम | 2005–06 (मी.ट.में) | 2006–07 की पहली तिमाही (अप्रैल–जून, 2006) (मी.ट.में) | 2006–07 की दूसरी तिमाही जुलाई–सितंबर, 2006) (मी.ट.में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 5816 | 1454 | 1454 |
| आंध्र प्रदेश | 517158 | 129289 | 129289 |
| अरुणाचल प्रदेश | 9257 | 2314 | 2314 |
| असम | 258007 | 64501 | 64502 |
| बिहार | 647430 | 161857 | 161857 |
| चंडीगढ़ | 13067 | 3266 | 3267 |
| छत्तीसगढ़ | 146938 | 36734 | 36734 |
| दादरा और नगर हवेली | 2782 | 695 | 695 |
| दमन और दीव | 2118 | 529 | 529 |
| दिल्ली | 168484 | 42121 | 42121 |
| गोवा | 19212 | 4803 | 4803 |
| गुजरात | 743759 | 185939 | 185940 |
| हरियाणा | 145619 | 36404 | 36405 |
| हिमाचल प्रदेश | 50537 | 12634 | 12634 |
| जम्मू और कश्मीर | 76044 | 14489* | 14489* |
| झारखंड | 211175 | 52793 | 52794 |
| कर्नाटक | 461478 | 115369 | 115369 |
| केरल | 216308 | 54077 | 54077 |
| लक्षद्वीप | 795 | 400# | 000# |
| मध्य प्रदेश | 488609 | 122152 | 122152 |
| महाराष्ट्र | 1276876 | 319219 | 319219 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| मणिपुर | 19907 | 4976 | 4977 |
| मेघालय | 20401 | 5100 | 5100 |
| मिजोरम | 6217 | 1554 | 1554 |
| नागालैंड | 13312 | 3328 | 3328 |
| उड़ीसा | 314977 | 78744 | 78744 |
| पांडिचेरी | 12257 | 3064 | 3064 |
| पंजाब | 237192 | 59298 | 59298 |
| राजस्थान | 398913 | 99728 | 99728 |
| सिक्किम | 5582 | 1395 | 1395 |
| तमिलनाडु | 558929 | 139732 | 139732 |
| त्रिपुरा | 30832 | 7708 | 7708 |
| उत्तर प्रदेश | 1241772 | 310443 | 310443 |
| उत्तरांचल | 89849 | 22462 | 22462 |
| पश्चिम बंगाल | 752103 | 188025 | 188026 |
| योग | 9163712 | 2286596 | 2286203 |

* जम्मू और कश्मीर राज्य (लद्दाख क्षेत्र को छोड़कर) के लिए आबंटन दो ब्लाकों में दिया गया है अर्थात गर्मी (अप्रैल–सितंबर) में वार्षिक आबंटन के 40% की दर पर और सर्दी (अक्तूबर–मार्च) में वार्षिक आबंटन के 60% की दर पर। यह आबंटन जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के अलावा है। लद्दाख क्षेत्र के लिए जमू और कश्मीर की राज्य सरकार को गर्मी के महीनों अर्थात मई से अक्टूबर, जब मार्ग खुले रहते हैं, के दौरान पूरे वर्ष का आबंटन अर्थात 3600 एमटी एसकेओ उठाने की अनुमति है।

\# लक्षद्वीप के लिए छह महीनों (अप्रैल–सितंबर, 2006) का अग्रिम आबंटन पहले ही सूचित कर दिया गया है।

*[अनुवाद]*

**कोयला खदानों से गैस**

***312. श्री के.एस.राव :**

**श्री हरिसिंह चावड़ा :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में कोयला खदानों में तथा इसके आसपास गैस मिलने की क्या संभावना है;

(ख) अन्वेषण बोलियां तथा तदनुवर्ती ठेकों की निबंधन व शर्तों के अंतर्गत रायल्टी का स्वरूप और इसकी राशि कितनी है तथा भागीदारों के बीच इसे कैसे बांटा जाएगा;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न पक्षों से वर्तमान तेल/गैस अन्वेषण नीति की समीक्षा करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हीं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) इन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) :** (क) कोयला क्षेत्रों में गहरे स्तरों पर कोयले की पर्तों में कोल बेड मिथेन गैस प्राप्त होने का अनुमान है। भारत सरकार ने इस गैस को निकालने के लिए 1997 में कोल बेड मिथेन (सीबीएम) नीति बनाई है। सरकार ने अभी तक सीबीएम गैस की खोज और उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ (1 ब्लाक), गुजरात (1 ब्लाक), झारखंड (5 ब्लाक), मध्य प्रदेश (3 ब्लाक), राजस्थान (2 ब्लाक), महाराष्ट्र (1 ब्लाक) और पश्चिम बंगाल (3 ब्लाक) राज्यों में 16 करारों पर हस्ताक्षर किये हैं।

(ख) इन करारों में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियमावली 1959 के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों को 10% की दर से रायल्टी के भुगतान का प्रावधान है इसके अलावा उन्हें संबंधित करारों में निर्दिष्टानुसार उत्पादन स्तर भुगतान भी किये जाते हैं।

(ग) से (ङ) विद्यमान तेल/गैस अन्वेषण नीति की समीक्षा के लिए राज्य सरकारों से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। किन्तु, कुछ राज्य

सरकारों ने करारों के अधीन केन्द्र सरकार को देय उत्पादन स्तर भुगतान और लाभ पेट्रोलियम अंश में संबंधित राज्य सरकारों को हिस्सेदारी के लिए प्रतिवेदन दिये थे। 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार ने देय उत्पादन स्तर भुगतान और लाभ पेट्रोलियम अंश भूतल ब्लाकों के संबंध में 50:50 के अनुपात में संबंधित राज्य सरकारों के साथ हिस्सेदारी करने के लिए इस शर्त के अधीन मंजूरी दे दी है कि यह 12वें वित्त आयोग में संस्तुत हस्तान्तरणों की समग्र अधिकतम सीमा (कुल राजस्व का 38%) के अंदर होनी चाहिए।

**माल दुलाई में वृद्धि**

***313. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :**
**श्री रवि प्रकाश वर्मा :**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए रेलवे की प्रस्तावित माल दुलाई कितनी है और अब तक कितनी माल दुलाई की गई है;

(ख) क्या गत कुछ वर्षों से रेलवे की माल दुलाई बाजार में अपनी हिस्सेदारी लगातार कम होती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) माल दुलाई की वृद्धि दर में सुधार करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) से (घ) महोदय, रेलवे दसवीं योजना के अंतिम वर्ष (2006–2007) के लिए निर्धारित 624 मिलियन टन के प्रारंभिक माल लदान के लक्ष्य और 396 बिलियन किलोमीटर के माल शुद्ध टन किलोमीटर के लक्ष्य को इस योजना के अंतिम वर्ष अर्थात 2005–2006 में ही पार कर चुकी है। 2006–2007 के लिए प्रारंभिक माल लदान लक्ष्य 726 मिलियन टन निर्धारित किया गया है जो 10 वीं योजना के मूल लक्ष्य से 16% अधिक है। रेलवे ने लगातार दूसरे वर्ष अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर की तुलना में उच्चतर वृद्धि दर के साथ अपने बाजार हिस्से में बढ़ोतरी की है। बहरहाल, रेलवे के मुख्य प्रतिस्पर्धी सड़क क्षेत्र द्वारा ढोए जाने वाले माल यातायात (सामान) के लिए किसी विश्वसनीय डाटा की गैर–मौजूदगी के कारण कुल माल यातायात में रेलवे के बाजार हिस्से का सही मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं है। 10वीं योजना में अभी तक रेलवे का निष्पादन नीचे लिखे अनुसार रहा है–

| वर्ष | प्रारंभिक माल यातायात (मिलियन टन में) | पिछले वर्ष की तुलना में % कमीबेशी | माल शुद्ध टन किलोमीटर (बिलियन में) | पिछले वर्ष की तुलना में % कमीबेशी |
|---|---|---|---|---|
| 2001–02 | 492.50 | – | 333.23 | – |
| 2002–03 | 518.74 | 5.33 | 353.19 | 5.9 |
| 2003–04 | 557.39 | 7.45 | 381.24 | 7.94 |
| 2004–05 | 602.78 | 8.14 | 407.39 | 6.85 |
| 2005–06 @ | 667.39 | 10.72 | 441.00 | 8.25 |
| दसवीं योजना 2002–07 के लिए लक्ष्य | 624.00 | पार कर लिया गया है | 396.00 | पार कर लिया गया है |

@ अनंतिम

बहरहाल, अब तक दसवीं योजना की अवधि के दौरान रेल द्वारा दुलाई की जाने वाली कुछ प्रमुख मदों का रेल गुणांक निम्नानुसार है:–

| वर्ष | कोयला* | सीमेंट* | लोहा एवं इस्पात* | उर्वरक% | पीओएल% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002–03 | 70.01 | 39.75 | 34.99 | 75.84 | 30.85 |
| 2003–04 | 70.75 | 40.12 | 35.22 | 7378 | 26.19 |
| 2004–05 | 71.94 | 40.87 | 35.28 | 74.32 | 24.88 |
| 2005–06 (पी) | 73.28 | 41.34 | 36.86 | 74.34 | 25.75 |
| अप्रैल–जून 2005–06 (पी) | 78.79 | 41.29 | 32.96 | 74.11 | 26.21 |
| अप्रैल–जून 2006–07 (पी) | 79.26 | 74.55 | 40.24 | 80.58 | 24.57 |

पी–अनंतिम

पीओएल–पेट्रोलियम, तैल और स्नेहक

नोट : 1. * कोयला, सीमेंट और लोहा एवं इस्पात का रेल गुणांक–रेल लदान का कुल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है।

2. % उर्वरक और पीओएल का रेल गुणांक–रेल लदान को कुल उत्पादन जमा आयात के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है।

पहले, माल यातायात में रेलवे का एकाधिकार था और परिवहन के साधन की उपयुक्तता के बावजूद अधिकांश सामान रेलवे द्वारा ढोया जाता था। समय गुजरने के साथ-साथ विभिन्न अन्य साधन विकसित हुए और उन्होंने विनिर्दिष्ट सामानों की दुलाई के लिए विभिन्न प्रकार की संभार-तंत्रीय सेवाओं के साथ माल यातायात में हिस्सा बंटाना शुरू कर दिया। रेलवे थोक वाहक होने के कारण द्वार से द्वार तक सेवा नहीं मुहैया करा सकती और सड़क क्षेत्र की तुलना में छोटे फुटकर यातायात की दुलाई करना रेलवे के लिए कठिन है।

भारतीय रेल ने माल यातायात में वृद्धि दर को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरु की हैं जैसे फ्रेट-फारवर्डर योजना, परंपरागत खाली दिशा माल छूट योजना, लॉयल्टी डिस्काउंट योजना, दीर्घकालिक विशेष प्रोत्साहन योजना, मिनी रेक, 2-प्वाइंट रेक योजना, नई पार्सल नीति, प्रशीतित पार्सल वैन, मालडिब्बा निवेश योजना, सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिये रेलमार्गवर्ती गोदाम परिसरों का विकास और साइडिंग नियमों का उदारीकरण।

**शीतगारों के लिए वित्तीय सहायता**

***314. श्री एल. राजगोपाल :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय विभिन्न प्रकार के शीतागारों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(घ) क्या केंद्र सरकार को शतीगारों के लिए वित्तीय सहायता हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या कुछ राज्य सरकारों ने शीतागारों के लिए उक्त योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता धनराशि में वृद्धि करने की मांग की है; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) :** (क) से (छ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वातावरण/परिवर्तित वातावरण सुविधा से युक्त विशेष प्रकार के शीतागारों की विशिष्ट श्रेणियों, गैर-बागवानी उपज के लिए शीतागारों और जहां शीतागार प्रसंस्करण यूनिट या खाद्य पार्क में सामान्य सुविधाओं का अभिन्न अंग है, के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। यह सहायता (सहायता अनुदान के रूप में) सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% की दर पर और दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर पर दी जाती है जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपए हैं।

गत तीन वर्षों 2003-04, 2004-05, 2005-06 और 2006-07 (10.8.2006 तक) के दौरान, मंत्रालय द्वारा 14 शीतागार परियोजनाओं के लिए 4.28 करोड़ रुपए की सहायता अनुमोदित की गई है। विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों से समय-समय पर प्राप्त परियोजना प्रस्तावों जो बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा मूल्यांकित हों और संबंधित राज्य नोडल एजेंसियों द्वारा संस्तुत हों, पर वित्तीय सहायता के लिए विचार किया जाता है।

स्कीमों का आवधिक संशोधन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 10वीं योजना वर्ष 2006-07 में समाप्त हो रही है, मंत्रालय ने 11वीं योजना के लिए योजना स्कीमों की समीक्षा करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

**रक्षा सौदों के संबंध में सी.वी.सी. के निदेश**

***315. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :**
**श्री रायापति सांबासिवा राव :**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) ने रक्षा सौदों के संबंध में कोई निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रक्षा सौदों के संबंध में सी.वी.सी. के निदेशों का ईमानदारी से पालन किया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) निदेशों का शब्दशः पालन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :** (क) से (ङ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग, समय-समय पर अलग-अलग मामलों में सलाह देने के साथ रक्षा मंत्रालय की अधिप्राप्ति प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी तथा कुशल बनाने के लिए सुझाव देता रहा है। रक्षा मंत्रालय ने पूंजीगत अर्जन हेतु रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीडी) तथा राजस्व भण्डार हेतु रक्षा अधिप्राप्त मैनुअल बनाए हैं जिनके संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के सुझावों को ध्यान में रखा गया है। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण उपबंधों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) गुणात्मक अपेक्षाओं को और अधिक व्यापक आधार वाली बनाना;

(ii) मानक संविदा शर्तें, प्रस्ताव हेतु अनुरोध में शामिल की जाती हैं। इसमें, विक्रेता द्वारा अनुचित प्रभाव का इस्तेमाल किए जाने पर दण्ड की व्यवस्था की गई है तथा यह विक्रेता द्वारा कोई एजेंट रखने अथवा एजेंसी कमीशन का भुगतान करने को निषिद्ध करती है;

(iii) मूल उपस्कर विनिर्माताओं (ओ ई एम)/अधिकृत विक्रेताओं/सरकार द्वारा प्रायोजित निर्यात एजेंसियों से प्रस्ताव मंगवाना;

(iv) आपूर्तिकर्ताओं को चयनित भारतीय बैंकों द्वारा संपुष्ट बैंक गारंटियों पर अग्रिम भुगतान किया जाता है। कार्य निष्पादन बंध--पत्र/वारंटी बंध--पत्र भी ऐसी ही संपुष्टि के बाद लिए जाते हैं;

रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल में शामिल कुछ महत्वपूर्ण अनुबंध निम्नलिखित हैं:

(i) स्वदेशी तथा विदेशी, दोनों प्रकार की अधिप्राप्तियों के लिए स्पष्ट पूर्व अर्हता, अनुसूचीयन तथा निर्णय--मानदंडों से युक्त प्रस्ताव हेतु पारदर्शी अनुरोध;

(ii) प्रस्ताव हेतु अनुरोध के भाग के रूप में मानक संविदा शर्तें;

(iii) विभिन्न संविदागत खण्डों तथा मुद्दों की एक समान व्याख्या;

(iv) अधिप्राप्ति के प्रत्येक चरण तथा प्रक्रिया हेतु स्पष्ट समय सीमा ताकि विलंब में कमी हो और उत्तरदायित्व तय किया जा सके;

(v) मूल्यों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से मापदण्ड के निर्धारण हेतु सामान्य दिशा--निर्देश;

(vi) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का सार संक्षेप तथा साखपत्र जैसे बैंक दस्तावेज;

(vii) स्पष्ट रुप से अनुमोदित विनिर्देशों वाली आवर्ती आधार पर अपेक्षित मदों के लिए मात्रात्मक किफायत प्राप्त करने के लिए दर संविदा;

(viii) प्रस्ताव हेतु अनुरोध के जारी होने के बाद गुणात्मक अपेक्षा में कोई परिवर्तन/कमी नहीं;

(ix) ई--भुगतान को प्रोत्साहित करना तथा बहु विक्रेता स्थिति में मोल--तोल से बचना।

जहां तक अलग--अलग मामलों का संबंध है, आयोग यह सलाह देता है कि क्या मामले विशेष की परिस्थितियों में लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरु करने की आवश्यकता है? बड़े अनुशासनिक मामलों में आयोग द्वितीय चरण की सलाह देता है जिसकी जांच, जहां कहीं आवश्यक हो, संबंधित संगठनों तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके मंत्रालय में की जाती है और इसके बाद प्रत्येक मामले में गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

*[हिन्दी]*

**मूलभूत सुविधाओं का निजीकरण**

***316. श्री हंसराज गं. अहीर :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने रेलगाड़ियों में और स्टेशनों पर यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं का निजीकरण करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो निजी क्षेत्र को सौंपी जा रही मूलभूत सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इससे रेल यात्रियों को कितना लाभ पहुंचने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) और (ख) स्टेशनों और गाड़ियों में मुहैया कराई गई मूलभूत सुख--सुविधाओं का बड़े पैमाने पर निजीकरण करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बहरहाल, कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें रेलवे अब ऐसे निजी संगठनों के जरिए करवा रही है जो ऐसे कार्यों को बहतर तरीके से निष्पादित कर सकते हैं। ऐसे कार्यों की पहचान करना एक सतत् प्रक्रिया है। जिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रेलवे ने कार्य निजी संगठनों को दिया है, वे हैं स्टेशनों तथा गाड़ियों की खानपान सेवाएं, स्टेशनों/दफ्तरों की इमारतों की स्थापत्यकला में बेहतरी, स्टेशनों पर "पे एण्ड यूज" शौचालयों का परिचालन तथा रख--रखाव, चुनिंदा स्थलों पर गाड़ियों की मशीनों द्वारा सफाई इत्यादि।

(ग) विभिन्न सुख--सुविधाओं का कार्य निष्पादन संबंधित क्षेत्र के पेशेवर संगठनों को सौंप देने से, रेलवे इन सेवाओं की गुणवत्ता में संवर्धन की आशा रखती है। प्रसंगवश ये सेवाएं रेलवे के प्रमुख कार्य क्षेत्रों की परिधि के अंतर्गत नहीं आती। इन सेवाओं की संवर्धित गुणवत्ता से रेलवे के यात्रियों को लाभ पहुंचेगा।

*[अनुवाद]*

**हवाई पट्टियों का निर्माण**

***317. श्री जी.एम. सिद्देश्वर:**
**डा. एम. जगन्नाथ:**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार कितनी हवाई पट्टियों से प्रचालन हो रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष हवाई पट्टियों पर कितनी अनुरक्षण लागत आई है;

(ग) क्या देश में और अधिक नई हवाई पट्टियों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इनका निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) देश में 455 हवाई पट्टियां/हवाई अड्डे विद्यमान हैं जिनमें से 127 हवाईअड्डों का प्रबंधन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) के अधीन है। सिविल इन्कलेवों सहित भारतीय विमानपत्त प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रचालनिक हवाईअड्डों की राज्यवार सूची इस प्रकार है: अंडमान निकोबार–1, आन्ध्रप्रदेश–6, बिहार–2, चण्डीगढ़–1, छत्तीसगढ़–1, दमन और दीव–1, दिल्ली–1, गोवा–1, गुजरात–10, हिमाचल प्रदेश–3, जम्मू एवं कश्मीर–3, झारखण्ड–1, कर्नाटक–4, केरल–3, लक्षद्वीप–1, महाराष्ट्र–6, मध्यप्रदेश–5, मणिपुर–1, मेघालय–1, मिजोरम–1, नागालैंड–1, उड़ीसा–1, पांडिचेरी–1, पंजाब–2, राजस्थान–4, त्रिपुरा–1, तमिलनाडु–7, उत्तर प्रदेश–7, उत्तरांचल–2 तथा पश्चिम बंगाल–2

(ख) पिछले तीन वर्षों के लिए इनकी अनुरक्षण लागत (करोड़ रुपए में) है– वर्ष 2003–04= 33.06, वर्ष 2004–05=23.35 तथा वर्ष 2005.06= 25.29

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) वर्तमान में, सिक्किम में गंगटोक, नागालैंड में कोहिमा, महाराष्ट्र में चाकन, पुणेतथा नवी मुम्बई, राजस्थान में अजमेर, केरल में कन्नुर, अरुणाचल प्रदेश में इटानगर, पश्चिम बंगाल में रायगंज, गुजरात में भरूच में नए हवाईअड्डों तथा पंजाब में हलवाड़ा में सिविल एन्कलेव के निर्माण से संबंधित प्रस्तावों पर सरकार द्वारा जांच की जा रही है। ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के निर्माण के लिए सुनिश्चित प्रक्रिया विद्यमान है तथा उपर्युक्त प्रस्तावों पर स्वीकृति के लिए विचार किए जाने से पूर्व इन्हें निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा।

*[हिन्दी]*

### मिट्टी के तेल का वितरण

***318. श्री जीवाभाई ए. पटेलः**
**श्री वी.के. ठुम्मरः**
क्या **पट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों को मिट्टी के तेल के आबंटन और वितरण हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिशानिर्देश जारी किए हैं,

(ख) यदि हों, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिट्टी के तेल के आबंटन में कुछ राज्य सरकारों विशेषकर गुजरात और महाराष्ट्र से दिशानिर्देशों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) :** (क) और (ख) भारत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत मिट्टी तेल का आबंटन पात्र उपभोक्ताओं को आगे वितरण के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को करती है। राज्य/संघ शासित प्रदेश विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत प्रत्येक राशन कार्ड धारक को जारी की जाने वाली मात्रा निर्धारित करते हैं। अपनाए गए मानदंड राज्य दर राज्य भिन्न भिन्न हैं। मिट्टी तेल के वितरण का विनियमन अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी किए गए नियंत्रण आदेशों के तहत होता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

### हाइड्रोजन मिश्रित प्राकृतिक गैस

***319. श्री बी. विनोद कुमारः** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हाइड्रोजन गैस और प्राकृतिक गैस के मिश्रण को परिवाहन ईंधन के रूप में प्रयोग करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में अनुसंधान तथा विकास करने हेतु किसी हाइड्रोजन कार्पस निधि की स्थापना की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई प्रदर्शनात्मक परियोजना शुरू की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इससे प्राप्त परिणामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) :** (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी हां, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाइड्रोजन अनुसंधान क्रियाकलापों को प्रारंभ करने हेतु 100 करोड़ रुपए की हाइड्रोजन निकाय निधि बनाई है। अनुसंधान क्रियाकलापों का समन्वय करने हेतु आईओसी (अनुसंधान एवं विकास) को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

(घ) और (ङ) जी हां, आईओसी ने वाहनों में परीक्षण हेतु एचसीएनजी मिश्रण देने के लिए फरीदाबाद में आईओसी (अनुसंधान एवं विकास) केन्द्र में एक हाइड्रोजन–सीएनजी (एचसीएनजी) डिस्पेन्सिंग स्टेशन खोला है। इस समय, सीएनजी में 10% तक हाइड्रोजन मिला कर पैसेंजर कार, मिनी बसों और तिपहियों पर प्रयोग किए जा रहे हैं।

प्रारंभिक परीक्षणों से पता लगता है कि एचसीएनजी मिश्रण से शक्ति में कमी/शक्ति ह्रास होती है। विशेषतया कार्बन मोनोआक्साइड (सीओ) और हाइड्रोकार्बन (एचसी) उत्सर्जनों के मामले में लाभ देखे गये हैं।

**तीव्र गति वाली चुम्बकीय रेलगाड़ियां चलाना**

***320. श्री बाडिगा रामकृष्णा :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे जापान के सहयोग से तीव्र गति वाली चुम्बकीय रेलगाड़ियां चलाने की परियोजना पर कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जापान का एक शिष्टमण्डल भारतीय रेल की अवसंरचना का अध्ययन करने और इस परियोजना के अन्य पक्षों पर चर्चा करने के लिए भारत आया था;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में भारत में जापान के बीच हुई चर्चाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत ने किसी अध्ययन दल को जापान की तीव्र गति वाली चुम्बकीय रेलगाड़ियों का अध्ययन करने के लिए जापान भेजा था;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.वेलु) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

**बायो-टूरिज़्म**

**2286. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बायो–टूरिज्म को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गुजरात के महत्वपूर्ण स्थलों को बायो–टूरिज्म गंतव्य के रूप में उन्नत करने के लिए इन स्थलों का सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) :** (क) और (ख) उत्तरांचल में नंदा देवी, केरल में साइलेंट वैली, आदि जैसे बायोस्फीयर्स की परिस्थितिकी तंत्र काफी नाजुक है। ऐसे क्षेत्रों में जनसाधारण पर्यटन को बढ़ावा देना तथा इन्हें लोकप्रिय बनाना, क्षेत्र के परिस्थितिकीय संतुलन को प्रभावित करेगा। तथापि, देश में राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभयारण्य, जो कि बायो–सिस्टम के भी भाग हैं, का पारिस्थितिकी पर्यटन उत्पादों के रूप में, घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में संवर्धन किया जाता है।

(ग) और (घ) गतव्यों का सर्वेक्षण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यटक गंतव्यों में सुविधाओं के सुधार हेतु, केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

*[हिन्दी]*

**रेल पहियों और धुरियों का उत्पादन**

**2287. श्री चन्द्रभान सिंह :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई विदेशी रेल कंपनियों ने सरकारी रेल पहिया और धुरा कारखाने से पहियों और धुरियों को खरीदने में रुचि दर्शायी है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने पहिया और धुरा की मांग को पूरा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल), दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और टाटा आयरन और स्टील कंपनी (टिस्को) द्वारा पहिया और धुरा का विनिर्माण किए जाने के बावजूद रेल पहिया और धुरा की दो तिहाई मांग आयात के माध्यम से पूरी की जाती है;

(घ) यदि हां, तो क्या रेल पहिया कारखाना, बंगलौर और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र द्वारा रेल पहियों का उत्पादन किए जाने के बाद भी रेल पहियों की कमी है;

(ङ) देश में रेल पहियों का कारखाना–वार प्रतिवर्ष कुल उत्पादन कितना है; और

(च) देश में रेल पहियों की प्रतिवर्ष आवश्यकता कितनी है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) जी हां। हाल ही में मैसर्स मैरिनो ए काचेट, अर्जेंटिना स्विस फैडेरल रेलवे और स्कॉटिश रेलवे से मांगे प्राप्त हुई हैं।

(ख) रेल पहिया कारखाना (आरडब्ल्यूएफ) ने पहियों एवं धुरों के लिए इनकी मांगों को पूरा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है, क्योंकि आरडब्ल्यूएफ का संपूर्ण उत्पादन भारतीय रेल में खप जाता है, नए उत्पादों और इनके अनुरक्षण मौजूदा चल स्टॉक के लिए अपेक्षित है, इसके बावजूद पहियों और धुरों की कमी हो जाती है।

(ग) और (घ) जी नहीं। भारतीय रेलों के लिए पहियों और धुरों की कुल वार्षिक आवश्यकता क्रमशः लगभग 2,40,000 और 77,000 अदद है। दो स्वदेशी स्रोतों अर्थात् रेल पहिया कारखाना, बैंगलोर और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (दुर्गापुर इस्पात संयंत्र) की कुल उत्पादन क्षमता क्रमशः 2,00,000 पहियों की और 52,850 धुरों की है। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी इस समय पहिया एवं धुरों का उत्पादन नहीं कर रही है।

पहियों की लगभग 40,000 अदद और धुरों की लगभग 25,000 की कमी को आयात करके पूरा किया जा रहा है। उच्च अश्वशक्ति वाले रेल इंजनों और उच्च गति वाले सवारी डिब्बों आदि के लिए पहियों, जिनकी कम संख्या में आवश्यकता पड़ती है और इतनी कम संख्या में इनका स्वदेशी उत्पादन अर्थक्षम नहीं है, इसलिए इनका भी आयात किया जाता है। बहरहाल, इस प्रकार के पहियों का विकास किया जा चुका है और मात्रा में वृद्धि होने के साथ ही इसका स्वदेशी उत्पाद शुरू कर दिया जाएगा। अतः पहियों का आयात करने का कारण क्षमता में कमी होना और विशेष किस्म के पहियों की आवश्यकता का होना है।

(ङ) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड/दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता (चालू वर्ष अर्थात् 2006–07 के लिए अनुमानित) लगभग 80,000 की है। रेल पहिया कारखाना, बैंगलोर की वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग 1,15,000 अदद की है।

(च) इस समय चालू वर्ष 2006–07 के लिए अनुमानित आवश्यकता लगभग 2,40,000 रेलवे पहियों की है।

**पीएनजी आपूर्ति वाली कालोनियां**

**2288. श्री बालेश्वर यादवः** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पाईप द्वारा प्राकृतिक गैस आपूर्ति कालोनियों के चयन के क्या मानदंड है;

(ख) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा दिल्ली/नई दिल्ली की रिहायशी कालोनियों में पाईप द्वारा प्राकृतिक गैस आपूर्ति हेतु धनराशि आबंटित की है;

(ग) यदि हां, तो आईजीएल को कालोनीवार जारी की गई/की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आगामी वर्षों में किन–किन शेष कालोनियों में पीएनजी आपूर्ति किए जाने की संभावना है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :** (क) दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नई कालोनियां, तकनीकी व्यवहार्यता के अतिरिक्त पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस (पीएनजी) नेटवर्क के विस्तार की संभावनाओं और भावी ग्राहकों की ओर से मांग/प्रत्युत्तर के आधार पर प्रत्येक वर्ष इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) द्वारा शामिल की जाती हैं।

दिल्ली में स्थित सीपीडब्ल्यूडी कालोनियां आईजीएल की वार्षिक योजनाओं का एक बड़ा भाग बनती है। सीपीडब्ल्यूडी कालोनियों को प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संबंधित सीपीडब्ल्यूडी प्रभाग से सलाह और अग्रिम भुगतान के अनुसार शामिल किया जाता है।

(ख) सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष धनराशियों का आबंटन दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित सीपीडब्ल्यूडी कालोनियों में केवल पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान भी सीपीडब्ल्यूडी ने पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए चुनिंदा कालोनियों के लिए धनराशियां आबंटित की हैं।

(ग) सीपीडब्ल्यूडी के निर्माण महानिदेशालय के कार्यालय ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान सीपीडब्ल्यूडी द्वारा पीएनजी कनेक्शन दिए जाने हेतु धनराशियों का आबंटन निम्नलिखित कालोनियों के लिए किया है;

| कालोनी का नाम | धनराशि (लाख रुपए) |
|---|---|
| श्रीनिवासपुरी | 71.45 |
| आर.के.पुरम सेक्टर 9 और सेक्टर 12 | 72.55 |
| लक्ष्मीबाई नगर | 44.95 |
| मोती बाग (उत्तर पश्चिम) | 67.15 |
| मोती बाग (दक्षिण पश्चिम) | 99.65 |
| नेताजी नगर | 54.70 |
| सादिक नगर | 80.80 |
| एंड्रूजगंज | 61.40 |

(घ) पीएनजी की आपूर्ति के लिए आगामी वर्षों में आईजीएल द्वारा और कालोनियों को शामिल किए जाने का कार्य सीपीडब्ल्यूडी द्वारा आईजीएल को सलाह और जारी किए गए भुगतान पर निर्भर करेगा।

निजी कालोनियों को शामिल करने का कार्य ग्राहकों की प्रतिक्रिया और आईजीएल की वर्तमान पाइपलाइनों से कालोनियों को जोड़ने के लिए गैस पाइपलाइनें बिछाने हेतु विभिन्न भूस्वामी एजेंसियों से अनुमतियों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।

*[अनुवाद]*

**खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण**

**2289. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की संभावित उद्यमियों तथा प्रसंस्करणकर्ताओं को खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा किसानों और उद्यमियों को लाभ देने हेतु खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) :** (क) से (ग) मानव संसाधन विकास स्कीम के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (i) खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए संभावी उद्यमियों को प्रशिक्षण देता है, (ii) केंद्रीय/राज्य सरकार केसंगठनों/शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों, उद्योग संगठनों/संघों, गैर सरकारी संगठनों, सहकारिताओं आदि के जरिए खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना द्वारा ग्रामीण उद्यमियों को व्यावहारिक अनुभव उपलब्ध कराता है।

**आरक्षित डिब्बों में अनारक्षित टिकट धारकों का प्रवेश**

**2290. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के ध्यान में सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों द्वारा अनारक्षित टिकट के साथ आरक्षित डिब्बों में घुसने और आरक्षित यात्रियों की सीट हथिया लेने की घटनाएं आई हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान पता लगी ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्याकार्रवाई की गई/की जानी है; और

(घ) गाड़ियों में आरक्षित डिब्बों में किसी अनारक्षित व्यक्ति का प्रवेश न होने देने को सुनिश्चित करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) और (ख) अनारक्षित टिकटों वाले पुलिसमैन और आर्मी के जवानों सहित अप्राधिकृत यात्रियों के आरक्षित सवारी डिब्बों में प्रवेश और वास्तविक यात्रियों की आरक्षित सीटों/शयिकाओं को घेरने के मामले ध्यान में आए हैं। बहरहाल, पुलिसमैन या आर्मी जवानों के अप्राधिकृत प्रवेश से संबंधित विवरण अलग से नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) आरक्षित सवारी डिब्बों में कर्मचारियों की तैनाती के अलावा, बिना टिकट/अनियमित यात्रा के विरुद्ध नियमित और औचक जांच की जाती हैं और अप्राधिकृत रूप से यात्रा के लिए पकड़े गए लोगों से कानून के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निपटा जाता है। इसके अतिरिक्त, आरक्षित सवारी डिब्बों में अप्राधिकृत यात्रियों के प्रवेश को रोकने की दृष्टि से, 1–7–2004 से न्यूनतम जुर्माने को 50 रु. से बढ़ाकर 250 रु. कर दिया गया है।

*[हिन्दी]*

**माउंट रोड क्वार्टरों से रेल कर्मचारियों को स्थानान्तरित करना**

**2291. श्री सुबोध मोहिते : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के माउंट रोड क्वार्टरों को खाली कराया जा रहा है और कर्मचारियों को बेली रोड के क्वार्टरों में स्थानान्तरित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे का विचार इन क्वार्टरों को गिराकर उनका प्रयोग वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या बेली रोड के ये क्वार्टर कर्मचारियों के लिए रहने लायक है;

(च) यदि हां, तो कर्मचारियों को वहां पर स्थानान्तरित करने हेतु बाध्य करने के क्या कारण हैं;

(छ) क्या रेलवे का विचार इन कर्मचारियों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने का है; और

(ज) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) जी, हां।

(ख) माउंट रोड में इन आवासों का निर्माण 1942–1950 के दौरान अस्थायी तौर पर किया गया था। रिहायशी लायक ये आवास सुरक्षित नहीं है और मरम्मत करवाने में भी कोई फायदा नहीं है और रेलवे द्वारा इन्हें नाकारा घोषित किया जा चुका है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) और (ज) जी हां। बेली शॉप कालोनी, नागपुर में संबंधित रेल कर्मियों को आवास की वैकल्पिक सुविधा का प्रस्ताव दिया गया है।

*[अनुवाद]*

**कम लागत वाले विमानों हेतु छूट**

**2292. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का 80 सीटों वाले और अन्य छोटे विमानों को लैंडिंग प्रभार, पार्किंग रुट प्रभार आदि में छूट देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उन एयरलाइनों को पहले ही रियायतें दे रही है जो अपने प्रचालन 80 सीटों वाले और छोटे विमानों से कर रहे हैं। उन विमानों के संबंध में कोई अवतरण प्रभार देय नहीं है जिनकी अधिकतम प्रमाणिक क्षमता 80 सीटों से कम होती है तथा जिनका प्रचालन घरेलू अनुसूचित आपरेटरों द्वारा तथा सभी प्रकार के हैलीकाप्टरों द्वारा किया जा रहा हो। इस प्रकार की रियायत कोचीन इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड तथ रक्षा एन्कलेवों पर लागू नहीं होती है।

**पिछड़े छात्रों के लिए योजनाएं**

**2293. श्री रनेन बर्मन :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पिछड़े छात्रों के लिए जिला मुख्यालय छात्रावासों के निर्माण और मेडिकल इंजीनियरिंग और एमबीए में पिछड़े छात्रों के लिए बुक बैंक योजना को स्वीकृति देने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है और इन प्रस्तावों के अंतर्गत कितनी धनराशि जारी की गई; और

(ग) कौन–कौन से प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किए गए हैं और इसके क्या कारण हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) :** (क) मैट्रिकोत्तर छात्रवृति और पुस्तक बैंक योजना के लिए इस वर्ष पश्चिम बंगाल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

निम्नलिखित दो संस्थाओं में पिछड़े वर्गों की बालिकाओं और बालकों के लिए छात्रावास निर्माण हेतु पश्चिम बंगाल सरकार से दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(i) डा. भूपेन्द्र नाथ स्मृति महाविद्यालय, वर्दमान; और

(ii) हल्दिया प्रौधोगिकी संस्थान, हल्दिया।

(ख) डा. भूपेन्द्र नाथ स्मृति महाविद्यालय में 60 लड़कों के लिए छात्रावास निर्माण के प्रस्ताव के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार से पहले जारी किए गए अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने तथा 50% राज्य हिस्से को वहन करने के लिए बजट प्रावधान की पुष्टि करने का अनुरोध किया गया है।

हल्दिया संस्थान के प्रस्ताव के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों की 100 बालिकाओं के लिए छात्रावास के निर्माण की अनुमानित लागत 120.20 लाख रुपए बतायी गई है। राज्य सरकार से निर्माण लागत 50/60 लाख सीमित का अनुरोध किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को खुदरा बिक्री केन्द्र देना**

**2294. श्री प्रहलाद जोशी :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान एक विशेष योजना के अंतर्गत राज्यवार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बेरोजगार युवकों के लिए कितने पेट्रोल और डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने कुछ खुदरा बिक्री केन्द्रों को रद्द कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :** (क) जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) नामतः इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसी), आईबीपी कंपनी लिमिटेड (आईबीपी) के पास अनुसूचित जाति (एससी)/जनजाति (एसटी) श्रेणी के बेरोजगार नवयुवकों को खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओ) डीलरशिप (पेट्रोल पंप) आंबटित करने की कोई विशिष्ट योजना नहीं है, किन्तु उनकी नीति में अनु. जाति/जनजाति श्रेणी के लिए कुल मिलाकर 25% आरक्षण की व्यवस्था है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात 2003–04, 2004–05

और 2005-06 के दौरान इन ओमएसीज ने अनु. जाति/जनजाति श्रेणी के अधीन 3389 आरओ आबंटित किये। आबंटनों के ब्यौरे संबंधित ओएमसी के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध है। ओएमसी-वार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं-

| ओएमसी | पिछले तीन वर्षों के दौरान अनु.जाति/जनजाति श्रेणी के अधीन आबंटित किए गये आरओज की संख्या |
|---|---|
| आईओसी | 1,105 |
| एचपीसी | 978 |
| आईबीपी | 428 |
| बीपीसी | 878 |
| योग | 3,389 |

(ख) और (ग) इसी अवधि के दौरान इन ओएमसीज ने निष्पादन के अभाव, मिलावट और डीलरों द्वारा की गई अन्य अनियमितताओं, डीलरशिप करार के उल्लंघन आदि जैसे कारणों से अनु.जाति/जनजाति श्रेणी के अधीन आबंटित 23 आरओ डीलरशिप समाप्त किये।

*[हिन्दी]*

**जबलपुर रेलवे स्टेशन पर वाशिंग पिट**

**2295. श्री गणेश सिंह :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जबलपुर मंडल के अंतर्गत रीवा रेलवे स्टेशन पर निर्मित वाशिंग पिट में कितनी गाड़ियों का रख-रखाव किया जा रहा है;

(ख) क्या सतना और रीवा पर वाशिंग पिट न होने के कारण राजकोट एक्सप्रेस यात्री गाड़ी को सतना और रीवा तक नहीं बढ़ाया गया है;

(ग) यदि हा, तो क्या रीवा में वाशिंग पिट का निर्माण करने के बाद राजकोट एक्सप्रेस गाड़ी, जो घंटों कटनी में खड़ी रहती है, को रीवा तक बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या रीवा में बनाया गया नया वाशिंग पिट उपयोगी सिद्ध हो रहा है; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.वेलु) :** (क) रीवा में गाड़ी सं. 1509/1510 रीवा-बिलासपुर-चिरमिरी पैसेंजर का अनुरक्षण किया जाता है।

(ख) जी, नहीं। सतना रीवा के रास्ते में है। सतना में कोई वाशिंग पिट नहीं है परन्तु रीवा में वाशिंग पिट है।

(ग) वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है और राजकोट एक्सप्रेस कटनी में घंटों तक खड़ी नहीं रहती है।

(घ) और (ङ) यह पिट गाड़ी सं. 1509/1510 के अनुरक्षण के लिए उपयोगी साबित हुई है। सिक लाइन और स्टेबलिंग लाइन इत्यादि जैसी अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया कराये जाने के बाद यह और अधिक उपयोगी हो जाएगा।

**विमानों में टक्कर-रोधी उपकरण लगाना**

**2296. श्री थावरचन्द गेहलोत :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विमानों में टक्कर-रोधी उपकरण (एसीए) लगाना अनिवार्य बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त उपकरण की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस उपकरण को किस प्रकार के विमानों में लगाना अनिवार्य बनाया गया है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) और (ख) जी, हां। बीच आकाश में विमानों के टक्कर के खतरे को कम करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने वाणिज्यिक तथा सामान्य विमानन (गैर वाणिज्यिक) प्रचालनों में लगे हुए विमानों में एयरबोर्न कॉलीजन एवायडेंस प्रणाली (एसीएएस) लगाना अनिवार्य किया है। ए सी ए एस एक एयरबोर्न उपकरण है जो स्थल पर स्थापित हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली पर स्वतंत्र रूप से कार्य करती है तथा बीच आकाश में टक्करों को रोकने में सहायता देती है।

(ग) एयरबस, बोईंग, एटीआर, एम्ब्रेटर, सी आर जे 200, बीच 1900 डी, डोर्नियर डी ओ- 228 तथा बीच सुपर किंग एयर बी 350 प्रकार के विमानों ए सी ए एस की स्थापना करना अनिवार्य है।

*[अनुवाद]*

**असम में रेलवे स्टेशनों के सुधार हेतु स्वीकृत धनराशि**

**2297. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान असम में रेलवे स्टेशनों के सुधार हेतु कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई; और

(ख) इसके अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों और उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक स्टेशन पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) और (ख) रेलवे बजट रेलवे-वार तैयार किया जाता है न कि राज्य वार। इसी प्रकार, प्रत्येक रेलवे स्टेशन को आबंटन के आंकड़ों का लेखा-जोखा करना संभव नहीं है क्योंकि विभिन्न स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के प्रावधान के लिए कई प्रकार के कार्यों को प्रस्तावित सुविधाओं की किस्म, रेलवे जोन/मंडल जिसके अंतर्गत वह स्टेशन आते हैं आदि जैसी विभिन्न कोटियों के आधार पर एकत्रित कर दिया जाता है।

स्टेशनों के विकास के कार्यों सहित स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में सुधार/संवर्धन से संबंधित कार्यों को "यात्री सुविधाएं" योजना शीर्ष के तहत किया जाता है। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे जो कि असम राज्य में सेवित है, के लिए 2005-06 और 2006-07 के दौरान "यात्री सुविधाएं" योजना शीर्ष के तहत निम्नानुसार आबंटन किया गया है:-

2005-06 — 25.94 करोड़ रुपए (संशोधित अनुदान)

2006-07 — 26.49 करोड़ रुपए (बजट अनुदान)

**खाद्य विकास बैंक**

**2298. श्रीमती जयप्रदा :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य विकास बैंक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) :** (क) और (ख) सरकार ने खाद्य विकास बैंक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं किया है। लेकिन, बजट 2006-07 में सरकार ने यह घोषणा की है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ऋणों का पुनः वित्त प्रबंधन करने खास तौर पर कृषि-प्रसंस्करण बुनियादी ढांचा और बाजार विकास हेतु 1,00 करोड़ रुपए की निधि के साथ एक अलग खिड़की का सृजन करेगा।

**रेलवे स्टेशनों पर पीसीओ/एसटीडी/ आईएसडी बूथ बंद करना**

**2299. श्री असादुद्दीन ओवेसी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आम जनता में मोबाइल फोन की लोकप्रियता को देखते हुए रेलवे स्टेशनों पर पीसीओ/एसटीडी/आईएसडी बूथों की व्यवहार्यता संकट में है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे में जोनवार ऐसे कितने बूथ बंद किए गए;

(ग) क्या इन पीसीओ/एसटीडी/आईएसडी बूथ चलाने वाले लोगों को उनकी आजीविका हेतु स्टेशनों पर वैकल्पिक काम दिया जाएगा;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेलवे द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं कि इन बूथों के आबंटी अपनी आजीविका से वंचित न हो जाएं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता**

**2300. श्रीमती सी.एस. सुजाता :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल की खाद्य अनुसंधान और विकास परिषद् ने राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बढ़ाने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि अपेक्षित है और केंद्र सरकार से कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई है;

(घ) क्या इस संबंध में आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं में प्रत्येक के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) :** (क) से (ङ) मंत्रालय को अपनी स्कीमों के अंतर्गत, केरल के खाद्य अनुसंधान और विकास परिषद् से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

मंत्रालय ने उक्त परिषद् से प्राप्त खाद्य गुणवत्ता मॉनिटरिंग प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 500 लाख रुपए के अनुदान से संबंधित प्रस्ताव 15 मार्च, 2006 को अनुमोदित किया है। धनराशि जारी करने के लिए परिषद् से, भूमि और भवन से संबंधित सूचना/प्रलेख और सरकारी औपचारिकताएं पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। अन्य प्रस्ताव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर हैं। वित्तीय सहायता के लिए मंत्रालय में प्राप्त प्रस्ताव तकनीकी रूप से साध्य और वित्तीय रूप से व्यवहार्य पाए जाने पर अनुमोदित किए जाते हैं।

**कराड़ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म की ऊंचाई बढ़ाना**

**2301. श्री श्रीनिवास दादा साहेब पाटील :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने मध्य रेलवे के पुणे मंडल में कराड़ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म की ऊंचाई बढ़ाने को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त स्टेशन पर प्लेटफार्मों की ऊंचाई बढ़ाने का निर्माण कार्य शुरू हो गया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) संविदा को अंतिम रूप दे दिया गया है और कार्य को मार्च, 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

**विशेष पर्यटक जोन**

**2302. श्री ई. जी. सुगावनम** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के विभिन्न भागों में विशेष पर्यटक जोन स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ पहचाने गए क्षेत्रों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

**पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) से (ग) देश के किसी भाग में विशेष पर्यटक जोन स्थापित करने का पर्यटन मंत्रालय का कोई प्रस्ताव नहीं है। देश के विभिन्न भागों में पर्यटन के विकास की जिम्मेदारी मुख्यतया संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है।

**"यात्री सेवा वर्ष" 2006**

**2303. श्री के.सी. पल्लानी शामी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने वर्ष 2006 को "यात्री सेवा वर्ष" घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा विशेषकर दक्षिण रेलवे के अंतर्गत आने वाले खंडों में अपने यात्रियों को दी गई सुख सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा सफाई व्यवस्था को और सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) जी हां।

(ख) रेलवे द्वारा मुहैया कराए गए कतिपय सुविधाओं में स्टेशन भवनों के सौंदर्यीकरण में सुधार करना, परिचलन क्षेत्रों में सुधार, प्लेट फार्मों, आस–पास के क्षेत्रों आदि में आधुनिक एवं किफायती प्रकाश की व्यवस्था, वाटर बूथों का नवीकरण, आधुनिक भुगतान करो और उपभोग करो प्रसाधनों की व्यवस्था, आधुनिक फर्नीचर सहित अच्छे प्रतीक्षालयों और विश्रामालयों, संकेतकों और सवारी डिब्बा सूचना बोर्डों सहित यात्री मार्गदर्शन प्रणाली, प्लेटफार्म सतह आदि में सुधार शामिल होते हैं।

(ग) रेलवे स्टेशनों की साफ–सफाई के स्तर को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम जैसे यांत्रिक सफाई को शुरू करना, धुलनीय एप्रेनों की व्यवस्था, भुगतान करो और उपभोग करो प्रसाधनों की व्यवस्था, साफ–सफाई अभियान चलाना आदि उठाए गए हैं। साफ–सफाई की निगरानी रखने और उन क्षेत्रों का पता लगाने, जहां सही ढंग से साफ–सफाई नहीं हो पा रही है, के लिए नियमित रूप से विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए जाते हैं और निवारक उपाय किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त स्टेशन के आस–पास और प्लेटफार्म के फर्श को मोजाइक अथवा मार्बल और ग्रेनाईट, जोकि अनुरक्षण के लिए सुविधाजनक है, लगाकर सुधार किया जा रहा है। समय–समय पर विशेषकर व्यस्त सीजन के दौरान जिसका खाशा प्रभाव पड़ता है अभियान चलाए जाते हैं।

**अप्रयुक्त रेलवे भूमि**

**2304. श्री नवीन जिन्दल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रयुक्त रेलवे भूमि का निपटान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस भूमि का निपटान किस प्रकार करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इससे कुल कितनी राशि की आय होने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) और (ख) जी, नहीं। रेलवे अपनी कुछ भूमि को व्यावसायिक विकास के लिए उपयोग कर रही है। अब तक, भारतीय रेलों पर संपत्ति विकास के लिए 61 सभाव्यता वाले स्थानों की पहचान की गई है। 9 स्थानों की बोली को अंतिम रूप दिया गया है जिसमें लगभग कुल 21 करोड़ रुपए शामिल हैं जिसमें से 6.5 करोड़ रुपए पहले ही वसूले जा चुके हैं। ऐसी परिसंपत्ति का विकास सामान्यतः लीज के आधार पर किया जाता है।

(ग) अब तक ऐसा कोई भी अध्ययन नहीं किया गया है। परंतु रेलवे के पास अपनी भूमि से राजस्व अर्जित करने की व्यापक संभावना है।

**कंप्यूटरीकृत आरक्षण पटल**

**2305. प्रो. चन्द्र कुमार :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश में कार्यरत वर्तमान कंप्यूटरीकृत आरक्षण पटलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उत्तर रेलवे का विचार हिमाचल प्रदेश में और अधिक कंप्यूटरीकृत आरक्षण पटल खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये कहां–कहां स्थित होंगे; और

(घ) इन पटलों को कब तक खोलने जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.वेलु) :** (क) हिमाचल प्रदेश में विभिन्न जिलों में 11 गैर रेल शीर्ष वाले स्थानों सहित 17 स्थानों पर कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) से (घ) लाहौल और स्पिती में एक और यात्री आरक्षण प्रणाली (पी आर एस) केन्द्र स्वीकृत है जो चालू होने वाला है।

**गूटी डीजल शेड में आग**

**2306. श्री मिलिन्द देवरा :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में आन्ध्र प्रदेश के "गूटी डीजल शेड" में एक भीषण अग्निकांड हुआ था;

(ख) यदि हां, तो अग्निकांड में कितने रेल इंजन जल गए और इस अग्निकांड में कुल अनुमानित नुकसान कितना हुआ है;

(ग) क्या इस घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या निकले और उस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गयी; और

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) जी नहीं। बहरहाल, 18–4–2006 को आग की एक मामूली घटना हुई थी।

(ख) आग में कोई भी रेलवे इंजन/लोको नहीं जला था। बहरहाल, लगभग 25,000/– रु. की रेलवे संपत्ति की क्षति होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) और (घ) जी हां। मंडल रेल प्रबंधक गुंतकल द्वारा एक विभागीय जांच कराने के आदेश दिए गए थे। जिसकी जांच निष्कर्ष में बताया गया कि वेल्डिंग के दौरान गर्त जिसमें तेल और पानी एकट्ठा हो गया था, में चिंगारियां गिरने के कारण आग की घटना घटी। आग को रेलवे प्रशासन द्वारा तुरंत बुझा दिया गया था।

(ङ.) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा अग्निशमकों की खरीद,रेलवे कर्मचारियों के प्रशिक्षण और रेलवे सुरक्षा बल (आर पी एफ) कर्मियों द्वारा सघन सतर्कता जैसे कदम उठाए गए हैं।

**दैतारी-बांसपानी रेल लाइन का दोहरीकरण**

**2307. श्री अनन्त नायक :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का उड़ीसा में दैतारी–बंसपानी बड़ी लाइन के दोहरीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनमानित लागत कितनी है;

(ग) वर्ष 2006–07 के दौरान दोहरीकरण कार्य के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है; और

(घ) निर्माण कार्य शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.वेलु) :** (क) रेल मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम रेल विकास निगम लिमिटेड (आर वी एन एल) ने इस लाइन के दोहरीकरण के लिए यातायात निर्धारिण, कार्य की अनुमानित लागत और प्रतिफल की दर के लिए सर्वेक्षण शुरू किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**पंजाब के लिए रेल परियोजनाएं**

**2308. श्री अविनाश राय खन्ना :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब के लिए विभिन्न चालू परियोजनाओं में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रत्येक परियोजना हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई और उन्हें पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) उपर्युक्त परियोजनाओं के समय से तथा शीघ्र पूरा किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) से (ग) पंजाब में पड़ने वाली पूर्णतया/अंशतः चालू परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(करोड़ रुपए में)

| क्रम सं. | परियोजना | अनुमानित लागत | बजट परिव्यय 2006–07 | स्थिति/लक्ष्य, जहां–कहीं निर्धारित किया गया है |
|---|---|---|---|---|
| **नई लाइन** | | | | |
| 1 | नांगल बांध–तलवाड़ा (83.74 किमी)–नई बड़ी लाइन तथा मुकेरियां–तलवाड़ा (29.16 किमी) साइडिंग पर काम शुरू करना | 300.00 | 14.71 | नांगल डैम–ऊना–चुरारू–तकराला (33 किमी) पूरा हो चुका है। चुरारू–तकराला–अंब अंदौरा (11 किमी) पर कार्य शुरू किया गया है। भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू किया गया है तथा 4 गांवों की जमीन रेलवे को सौंपी जा चुकी है। मिट्टी संबंधी तथा पुल निर्माण संबंधी कार्य पूरा किया गया है। |
| 2 | अबोहर–फाजिलका (42.72 किमी) | 86.44 | 5.00 | अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है तथा भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य शुरू किया गया है। 21 किमी लंबाई के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। |
| 3 | तरनतारन–गोंइडवाल (21.5 किमी) | 37.51 | 5.00 | अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है और रेलवे द्वारा भूमि अधिगृहीत कर ली गई है। |
| 4 | चंडीगढ़–लुधियाना (112 किमी) | 450.00 | 15.23 | चंडीगढ़–मोरिंडा (45 किमी) के बीच रेल लाइन पूरी हो चुकी है। लुधियाना–साहनेवाल (17 किमी) खंड पर मिट्टी संबंधी तथा पुल निर्माण संबंधी कार्य शुरू किया गया है। मोरिंडा–साहनेवाल (50 किमी) खंड पर अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य शुरू किया गया है। |
| 5 | ब्यास–डेरा बाबा जैमाल सिंह–रेल बस साइडिंग (5 किमी) | 4.07 | – | परीजना को इस शर्त के साथ मंजूरी दी गई थी कि डेरा प्राधिकारी निःशुल्क भूमि मुहैया कराएंगे तथा अपनी लागत पर मिट्टी संबंधी कार्य भी करेंगे। डेरा प्राधिकारियों द्वारा भूमि उपलब्ध करा देने के बाद तथा करार पर दस्तखत हो जाने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा। |
| **दोहरीकरण** | | | | |
| 1 | जालंधर–पठानकोट–जम्मूतवी (203 किमी) | 461.23 | 120.00 | इस परियोजना में अब तक कुल प्रगति 66 प्रतिशत है और मुकेरियां–मिरथल तथा भरोली–माधोपुर खंडों को यातायात के लिए खोला गया है। कुल मिलाकर लगभग 57 किमी पर कार्य पूरा हो चुका है तथा 2006–07 के दौरान 81 किमी को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। संपूर्ण परियोजना को 2007–08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। |

चालू परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए आम बजटीय सहायता के अलावा अतिरिक्त स्रोत सृजित करने के लिए उपाय किए गए हैं।

*[अनुवाद]*

**खानपान व यात्री सेवाओं में आमूलचूल परिवर्तन**

**2309. श्री के.सी. सिंह "बाबा" :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने मानक प्रमाणन मानदण्डों के समतुल्य अपनी खानपान तथा अन्य यात्री सुविधाओं को बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस संबंध में शिकायतों को अग्रेषित करने तथा निपटान के लिए पूरे देश में कुछ "कॉल सेंटर" खोले जाने की योजना भी बनाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इसमें बड़े पैमाने पर सरकारी-निजी भागीदारी का लाभ देने की भी संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) और (ख) खानपान सेवाओं में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। संशोधित खानपान नीति, 2005 के अनुसार क्षेत्रीय रेलों और भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आई आर सी टी सी) प्रयास कर रही है जिससे कि छोटे लाइसेंसधारियों द्वारा परिचालित सहित सभी खानपान सेवाएं आई एस ओ प्रमाणित हो जाएं।

स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं की व्यवस्था एक सतत् प्रक्रिया है और यह स्टेशन पर सम्हाले जाने वाले यात्री यातायात की मात्रा के आधार पर किया जाता है जो निर्माण कार्यों की सापेक्ष और धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है। बहरहाल, स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से 578 स्टेशनों को मॉडल स्टेशन के रूप में पहचाना गया है।

आरक्षित टिकटिंग प्रणाली में सुधार की दृष्टि से, इंटरनेट टिकट्स/ई-टिकट्स मोबाइल फोन के माध्यम से टिकटों की बुकिंग जैसे कदम उठाए गए हैं।

(ग) से (च) टेलीफोन उपयोगकर्ताओं की अधिकतम संख्या में रेल टेलीफोन पूछताछ सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से, रेलवे एकीकृत गाड़ी पूछताछ प्रणाली की व्यवस्था कर रही है जिसमें गाड़ी चालन की स्थिति, जी एन आर स्थिति और स्थान की उपलब्धता, किराया, नियम और विनियम आदि से संबंधित सूचना देने के लिए इंट्राएक्टिव वायस रिसपाँस सिस्टम (आई वी आर एस) और कर्मचारी द्वारा जानकारी दोनों की व्यवस्था होगी। इस प्रणाली को पटना और बैंकलूरू में शुरू किया गया है और इस प्रकार के और केंद्रों की योजना है।

**रेल परियोजनाएं**

**2310. श्री गिरिधर गमांग :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्तर मंत्रालयीय वित्तपोषण के अंतर्गत स्वीकृत रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है तथा इसमें अब तक राज्यों का जोन-वार हिस्सा कितना है;

(ख) रेलवे द्वारा इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए बाह्य स्रोतों तथा अन्य स्रोतों से नई रेल लाइनों, नैरो गेज तथा मीटर गेज लाइनों के बड़ी लाइनों में आमान परिवर्तन के लिए धनराशि का प्रावधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) पूर्व तट रेल जोन में लिंक रेल लाइन के लिए धनराशि जुटाने हेतु प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**रोडवेज की बसों में वरिष्ठ नागरिकों को रियायत**

**2311. श्री एन. जनार्दन रेड्डी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी रोडवेज की बसों में यात्रा करते हुए वरिष्ठ नागरिकों को कोई रियायत नहीं दी जाती है जबकि रेलवे तथा इण्डियन एयरलाइन्स में रियायत दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार वास्तविक वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकारी रोडवेज की बसों में रियायती दर पर यात्रा करने की सुविधा प्रदान करने को अनिवार्य बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) :** (क) से (ङ) पब्लिक सेक्टर रोड़वेज राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है और केन्द्र सरकार वरिष्ठ नागरिकों सहित किसी भी श्रेणी के नागरिकों के लिए किराए के निर्धारण या किराए में रियायत प्रदान करने के लिए संबद्ध नहीं है।

**गुवाहाटी फ्लाइंग क्लब**

**2312. डा. अरूण कुमार शर्मा :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गुवाहाटी में फ्लाइंग क्लब का कार्यकरण कई वर्षों से बंद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस फ्लाइंग क्लब का पुनरुद्धार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/करने का प्रस्ताव है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) जी, हां।

(ख) गुवाहाटी का असम फ्लाइंग क्लब, विभिन्न प्रकार के प्रचालनात्मक और प्रशासनिक कारणों जैसे प्रशिक्षक पायलट/विमान अनुरक्षण इंजीनियर की अनुपलब्धता, वित्त की कमी इत्यादि के कारण अप्रचालनात्मक स्थिति में है।

(ग) इस क्लब का प्रचालन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, असम सरकार के अधीन होता है। क्लब के लिए यह आवश्यक है कि वह इसके पुनरुद्धार की आवश्यकताओं का विस्तृत मूल्यांकन करे तथा इस कार्य के लिए आवश्यक सहायता हेतु असम राज्य सरकार, पूर्वोत्तर परिषद् तथा भारत सरकार से सम्पर्क करे। नागर विमानन महानिदेशालय इस मामले में तकनीकी सलाह प्रदान करता है और अनुमोदन प्रदान करने के लिए सुविधाओं तथा अवसंरचना की जांच करता है।

**सैन्य अभियांत्रिकी सेवा की संवर्ग समीक्षा**

**2313. डा. के. एस. मनोज :** क्या **रक्षा मंत्री** प्रशासनिक संवर्ग की संवर्ग परीक्षा के बारे में दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4325 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सैन्य अभियांत्रिकी सेवा (एम ई एस) में प्रशासनिक संवर्ग समीक्षा की जांच को पूरा कर लिया गया है तथा अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इसे क्रियान्वित करने के लिए आगे क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :** (क) से (घ) सेना इंजीनियर सेवा में प्रशासनिक संवर्ग की संवर्ग समीक्षा की जांच पूरी नहीं हुई है। अंतिम रूप दिए जाने से पहले, संवर्ग समीक्षा प्रस्ताव के परीक्षण में सेना इंजीनियर सेवा से सूचना तथा विस्तृत जानकारी प्राप्त करना तथा इसके वित्तीय प्रभाव सहित विद्यमान संवर्ग संरचना का परीक्षण करना अपेक्षित है।

*[हिन्दी]*

**"रेक प्वाइंट्स" की कमी**

**2314. श्री राकेश सिंह :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक की ढुलाई के लिए उपलब्ध "रेक प्वाइंट्स" की संख्या आवश्यकता से कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे का विचार इसकी संख्या में आवश्यकतानुरूप वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**सम्बलपुर-इलाहाबाद के बीच सुपर फास्ट एक्सप्रेस**

**2315. श्री जुएल ओराम :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का सम्बलपुर से इलाहाबाद आने--जाने के लिए एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिमी उड़ीसा की आम जनता की ओर से इस रेलगाड़ी को बरास्ता राउरकेला चलाए जाने की कोई मांग है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) जी नहीं। फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) जी, हां। वहां पर ऐसी मांग की गई है परन्तु परिचालनिक और संसाधनों की कमी के कारण, संबलपुर और इलाहाबाद के बीच नई रेलगाड़ी चलाना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

### फ्रांस के साथ समझौता

**2316. श्री सुग्रीव सिंह :**
**श्री किसनभाई वी. पटेल :**
क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने होटल प्रबंधन के क्षेत्र में फ्रांस के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समझौते से भारत किस प्रकार लाभान्वित होगा?

**पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) :** (क) पर्यटन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय होटल प्रबंध तकनालाजी एवं केटरिंग परिषद् (एनसीएचएमसीटी) ने दिनांक 1.8.2006 को वाटेल इन्टरनेशनल बिजिनेस स्कूल, फ्रांस के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) इन करार में अन्य बातों के साथ-साथ निम्न पर विचार किया गया है :-

(i) मास्टर्स कार्यक्रम के लिए फ्रांस में भारतीय छात्रों के लिए छः छात्रवृत्तियां।

(ii) बी एस सी कार्यक्रम के दूसरे वर्ष में फ्रांस में भारतीय छात्रों के लिए 12 इन्टर्नशिप।

(iii) थर्ड ईयर पास आउट ग्रेज्यूएट्स, वाटेल के दो वर्षीय मास्टर्स डिग्री कार्यक्रम के अन्तिम वर्ष में सीधे एकीकरण के लिए पात्र होंगे।

(iv) दो वाटेल प्रोफेसर, होटल प्रबंध संस्थानों के लिए, एक से दो सप्ताहों के पाठ्यक्रम संचालित करेंगे।

(v) वाटेल दो से तीन सप्ताहों के लिए तीन भारतीय संकाय की मेजबानी करेगा, ताकि वे फ्रेंच गेस्ट्रोनामी के प्रति परिचित हो सकें। बदले में, भारतीय संकाय फ्रेंच संकाय के साथ उनके अनुभवों को शेयर करेंगे। इसी प्रकार वाटेल के शेफ, भारत में फ्रेंच गेस्ट्रनामी पर होटल प्रबंध संस्थानों को सुपरिचित कराएंगे।

(vi) किसी भी संस्थान से एक संकाय, पार्टनर के परिसरों में ठहरकर, अनुसंधान संचालित करेगा।

(vii) वाटेल, भारत से छोटे समूहों के लिए, आवश्यकता पर आधारित विशेषज्ञ पाठ्यक्रम आयोजित करेगा।

(ग) करार से होटल प्रबंध संस्थानों के छात्रों और संकाय दोनों को लाभ होने की आशा है, जिससे देश में आतिथ्य शिक्षा को दीर्घावधि फायदे होंगे। विद्यार्थियों को आतिथ्य शिक्षा में अन्तर्राष्ट्रीय एक्सपोजर प्राप्त होगा और फ्रांस के होटलों में प्रायोगिक प्रशिक्षण प्राप्त होगा। दूसरी तरफ, संकाय को, भारत में आतिथ्य शिक्षा के एकेडेमिक स्तर में सुधार लाने के लिए, एक्सचेंज प्रोग्राम, तकनीकी सेमीनार, अनुसंधान अध्ययन, आदि के माध्यम से उनके फ्रेंच काउंटरपार्ट के माध्यम से, विचार-विमर्श का अवसर प्राप्त होगा।

### प्रौद्योगिकी उन्नयन

**2317. प्रो. एम. रामदास :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा संबंधी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु कोई कदम उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) :** (क) और (ख) जी, हां। सार्वजनिक क्षेत्रों के रक्षा उपक्रमों में प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण और उन्नयन करना एक सतत् प्रक्रिया है और वे धन की व्यवस्था अपने संसाधनों से कर रहे हैं। सरकार द्वारा कोई बजटीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।

### विदेशी पायलटों को सेवा विस्तार

**2318. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न एयरलाइन्सों में कार्यरत विदेशी पायलटों के कार्यकाल को बढ़ाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विदेशी पायलटों को इस प्रकार सेवा विस्तार देने के बाद सरकार घरेलू पायलटों के हितों की रक्षा किस प्रकार करेगी?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) और (ख) सरकार ने हाल ही में मैरिट के आधार पर तीन वर्ष की अवधि तक विदेशी पायलटों की, मामला दर मामला आधार पर नियुक्ति के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए, पर्याप्त संरक्षा और सुरक्षा संबंधी चिन्ताओं के अध्याधीन, नागर विमानन महानिदेशालय को शक्तियां प्रदान की हैं। विदेशी पायलटों का उपयोग न केवल लाइन फ्लाइंग के लिए प्रचालनिक प्रयोजनों हेतु किया जाना है, बल्कि भारतीय पायलटों को सह-पायलट के रूप में एन्डोर्समेंट ऑन टाइप के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए टाइप संबंधी अनुभव प्रदान करने के लिए भी किया जाना है।

(ग) यह प्रत्यायोजन केवल 30.10.2010 तक वैध है और भारतीय पायलटों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इसकी आवधिक रूप से समीक्षा की जाएगी।

**अलाभकारी वायुमार्गों हेतु राजसहायता**

**2319. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अलाभकारी विमानपत्तनों को विकसित करने और अलाभकारी वायुमार्गों में विमान प्रचालन करने वाली एयरलाइन्सों को राजसहायता देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) और (ख) जी, हां। एयरलाइनों प्रचालकों तथा राज्य सरकारों द्वारा अलाभप्रद हवाईअड्डों के विकास के अनुरोध पर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कूच बिहार, मैसूर, सूरत, देहरादून तथा पन्तनगर हवाईअड्डे विकसित किए जा रहे हैं। अलाभप्रद मार्गों पर प्रचालन करने के लिए एयरलाइनों को प्रोत्साहन राशि प्रदान किए जाने का मुद्दा नागर विमानन नीति के एक भाग के रूप में सरकार के विचाराधीन है।

**नए रेल मार्ग**

**2320. श्री एस.के. खारवेन्थन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अब तक लंबाई के रूप में तमिलनाडु में खंडवार जोड़े गए नए रेल मार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उन रेल मार्गों की लंबाई और ब्यौरा क्या है जिन्हें बदला गया है या बड़ी लाइन के रूप में उन्नयन किया गया है; और

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना को शेष अवधि के दौरान तमिलनाडु में जोड़े और बदले जाने वाले प्रस्तावित नए रेल मार्गों की लंबाई कितनी है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) तमिलनाडु राज्य में पड़ने वाली नयी लाइन योजना शीर्ष के तहत कोई नयी लाइन निर्माण संबंधी कार्य पूरा नहीं हुआ है। फिर भी, महानगर परिवहन परियोजना योजना शीर्ष के अंतर्गत तिरूमलाई–चिरूवानमियूर (6.20 कि.मी. एकल लाइन) पूरी हो चुकी है और दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान चालू की जा चुकी है।

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान अभी तक आमान परिवर्तन योजना के तहत तमिलनाडु में पूरे हुए आमान परिवर्तन संबंधी कार्यों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

| क्रम सं. | खंड | लंबाई कि.मी. मे |
|---|---|---|
| 1. | वदालूर–वृद्धाचलम | 27 |
| 2. | विरुद्धनगर–राजापलायम–तेनकसी– | 123 |
| 3. | विल्लुपुरम–पांडिचेरी | 37 |
| 4. | वडालूर–कड्डालोर | 30 |
| 5. | तंजावूर–कुंबकोणम–माइलादुरै | 71 |
| 6. | मदुरै–मनामदुरै | 48 |
| 7. | तंजावूर–तिरुवरूर | 54 |
| | जोड़ | 390 |

(ग) 2006–07 के दौरान, 306 कि.मी. आमान परिवर्तन का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 2006–07 के दौरान, मुख्तलिफ खंडों में 231 कि.मी. का आमान परिवर्तन पूरा करने की भी योजना बनाई गई है।

**वरिष्ठ नागरिकों को टिकट पर सीमा/प्रतिबंध**

**2321. श्री वीरचन्द्र पासवान :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस अपनी घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में वरिष्ठ नागरिकों को 50 प्रतिशत रियायत पर कुछ सीटें ही दे पाती हैं;

(ख) यदि हां, तो एअर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस की उड़ान में सीटों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है और इनमें से कितनी सीटें वरिष्ठ नागरिकों को आबंटित की गयी हैं;

(ग) क्या इन सीटों के भर जाने/अनुपलब्धता की स्थिति में शेष वरिष्ठ नागरिकों से उस उड़ान में पूरा किराया वसूला जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या एअर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस का विचार अपनी उड़ानों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50 प्रतिशत रियायत पर और सीटें बढ़ाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) से (घ) एअर इंडिया की एक स्वचालित राजस्व प्रबंधन प्रणाली है जिसके द्वारा उनके किफायती श्रेणी में किराये के विभिन्न स्तर हैं।

प्रत्येक बुकिंग श्रेणी में, वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट वाली सीटों सहित एक निश्चित मात्रा में सीटें सीजन और मांग के आधार पर विक्रय हेतु खोली जाती हैं। यदि निम्नतम श्रेणी में सभी सीटें बिक जाती हैं, तो यात्रियों को थोडे से अधिक किराए पर अगली उच्चतर श्रेणी की टिकटें खरीदनी पड़ती हैं।

इंडियन एयरलाइंस के संबंध में, वरिष्ठ नागरिकों के लिए जारी टिकटों सहित सभी छूट सहित टिकटों की बुकिंग निर्धारित मात्रा में आबंटित सीटों वाली छूट सहित बुकिंग श्रेणी के लिए प्रतिबंधित होती हैं। यह आरक्षण प्रणाली में लाभ प्रबंधन के अनुसार है तथा उद्योग के नियमों पर आधारित है जहां विभिन्न किराया प्रकारों के लिए सीटों को कोटा स्वीकृत होता है। इंडियन एयरलाइंस ने आरक्षण प्रणाली में लाभ प्रबंधन की शुरूआत भी की है ताकि उपलब्ध क्षमताओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके तथा राजस्व में भी मंदी न हो।

(ङ) से (छ) जी, नहीं। एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस दोनों ही कमर्शियल संगठन हैं तथा उन्हें व्यापार सिद्धांतों के अनुसार ही कार्य करना होता है। वरिष्ठ नागरिकों के टिकटों सहित छूट वाले टिकटों में भविष्य में कोई बढ़ोतरी प्रचालनों की व्यवहार्यता को प्रभावित करेगी।

**अनुसंधान सुविधाओं की आउटसोर्सिंग**

**2322. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भविष्योन्मुखी आयुध प्रणाली की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कुछ अनुसंधान सुविधाओं के आउटसोर्सिंग की संभावना का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अनुसंधान सुविधाओं की आउटसोर्सिंग करते समय राष्ट्र की सुरक्षा को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :** (क) और (ख) भावी शस्त्र प्रणालियों के लिए योजना बनाना एक सतत प्रक्रिया है। योजनाएं, सशस्त्र सेनाओं की संदर्शी योजनाओं, जो सशस्त्र सेनाओं द्वारा परिकल्पित खतरे की संभावनाओं पर आधारित होती हैं, के अनुरूप तैयार की जाती हैं।

(ग) और (घ) कोई औपचारिक अध्ययन नहीं किया गया है हालांकि अनुसंधान सुविधाओं की किसी न किसी रूप में आउटसोर्सिंग पहले से ही की जा रही है।

(ङ) सामरिक कार्यक्रमों और संवेदनशील उत्पादों के लिए अनुसंधान कार्य की किसी ऐसे रूप में आउटसोर्सिंग नहीं की जाती जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकर साबित हो।

**विशेष योग्यता बोर्ड का गठन**

**2323. श्री चन्द्रभूषण सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना ने एक विशेष योग्यता बोर्ड का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सैन्य अधिकारियों की क्षमता के आकलन की पद्धति में सुधार किए जाने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :** (क) से (घ) सेना ने ऐसे अफसरों जो कर्नल रैंक में पदोन्नति हेतु नामिकागत नहीं हैं, की पदोन्नति को बेहतर करने के लिए जनवरी, 2005 से एक विशेष योग्यता बोर्ड का गठन किया है। तथापि, इस स्कीम की सरकार द्वारा पुनरीक्षा की जा रही है।

**सैन्य फार्म**

**2324. श्रीमती मनोरमा माधवराज :**
**श्री रघुनाथ झा :**
क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैन्य फार्मों द्वारा सेना को आपूर्ति किए जाने वाले दुग्ध की कीमत बाजार दर से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सैन्य फार्मों से ऊंची दरों पर दुग्ध को खरीदने के क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सेना द्वारा सैन्य फार्मों से खरीदे गए दुग्ध पर कुल कितना अतिरिक्त व्यय किया गया है;

(घ) प्रतिस्पर्धा मूल्य पर दुग्ध की खरीद के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सैन्य फार्मों के पुनर्गठन करने हेतु किसी कृतक बल/समिति का गठन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं और इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :** (क) से (च) वर्ष 2004–05 में सैन्य फार्मों द्वारा सेना को सप्लाई किए गए दूध की कीमत 17.96 रुपए

प्रति लीटर थी। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेरी संघ लिमिटेड (एन सी डी एफ आई) से वर्ष 2004–05 के लिए अधिप्राप्त दूध के लिए अदा की गई औसत कीमत 15.35 रुपए प्रति लीटर थी।

सैन्य फार्मों द्वारा सेना को दूध की सप्लाई जारी है क्योंकि सैन्य फार्म सेना स्थापना का एक हिस्सा हैं और उनकी स्थापना सैनिकों को उनके ठिकानों पर स्वास्थ्यवर्धक और ताता दूध उपलब्ध कराने के लिए की गई है।

नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा पिछले तीन वर्षों की पूरी की गई लेखा परीक्षा के लिए सैन्य फार्मों और राष्ट्रीय भारतीय सहकारी डेरी संघ लिमिटेड (एन सी डी एफ आई) की दरों के बीच तुलनात्मक लागत इस प्रकार है :–

| वर्ष | सैन्य फार्मों द्वारा सप्लाई की गई मात्रा (लीटर) | सैन्य फार्मों द्वारा जारी कीमत (रुपए प्रति लीटर) | सैन्य फार्मों की जारी कीमत की दर पर कुल लागत राशि (रुपए) | एन सी डी एफ आई की औसत कीमत की दर पर कुल लागत राशि (रुपए) | लागत राशि में अंतर (रुपए) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002–03 | 67606354 | 16.63 | 1124329353 | 1037757534 | 86571819 |
| 2003–04 | 74035598 | 17.34 | 1283513122 | 1136446429 | 147066693 |
| 2004–05 | 74278774 | 17.96 | 1333898637 | 1140179181 | 193719456 |

दूध की आवश्यकता पूरी करने में जो कमी रह जाती है उसकी खरीददारी सरकारी सहकारियों से की जाती है। सेना थोक खरीददारी के कारण सिविल दर में छूट का लाभ उठाती है।

सैन्य फार्मों का पुनर्गठन करने के लिए रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति की सिफारिश पर जिन 18 सैन्य फार्म को अलाभकर पाया गया था उन्हें बंद कर दिया गया है।

## पर्यटन का विकास

**2325. श्रीमती पी. सतीदेवी : क्या पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्यटन के विकास के क्षेत्र में शिक्षित युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए पर्यटन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कोई संस्था कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ऐसी योजनाओं के संबंध में राज्य सरकारों की भी सहायता कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) :** (क) पर्यटन मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकायों के रूप में 21 होटल प्रबंध, केटरिंग तकनालाजी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान (आई एच एम्स) और एक भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान (आई आई टी टी एम) कार्यरत हैं, जो कि विशेषरूप से आतिथ्य प्रशासन तथा यात्रा एवं पर्यटन से संबंधित शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

(ख) संस्थाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) और (घ) पर्यटन मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधीन होटल प्रबंध संस्थानों (आई एच एम्स) की स्थापना हेतु पूंजीगत व्यय के लिए अनुदान सहायता प्रदान करता है, बशर्ते कि उनके द्वारा प्रदान किए जा रहे पाठ्यक्रम पर्यटन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं केटरिंग तकनालाजी परिषद (एनसीएचएमसीटी) से संबद्ध हों। इस योजना के अंतर्गत देहरादून में आईएचएम ने इस वर्ष के शैक्षणिक सत्र से पहले से ही कार्य करना आरंभ कर दिया है और संबंधित राज्य सरकारों के अधीन कुरूक्षेत्र, रायपुर, जमशेदपुर तथा मोहाली में आईएचएम्स, निर्माण/मंजूरी के विभिन्न चरणों में हैं। आंध्र प्रदेश सरकार को हैदराबाद में राष्ट्रीय पर्यटन एवं आतिथ्य प्रबंध संस्थान की स्थापना करने में सहायता की गई है। राज्य सरकारों को भोजन कला संस्थानों की स्थापना करने में भी सहायता की गई है।

### *विवरण*

1. होटल प्रबंध, केटरिंग तकनॉलाजी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, अहमदाबाद
2. होटल प्रबंध, केटरिंग तकनॉलाजी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, बंगलौर
3. होटल प्रबंध, केटरिंग तकनॉलाजी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, भोपाल
4. होटल प्रबंध, केटरिंग तकनॉलाजी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, भुवनेश्वर

5. होटल प्रबंध, केटरिंग तकनौलाजी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, कोलकाता
6. होटल प्रबंध, केटरिंग तकनौलाजी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, चण्डीगढ़
7. होटल प्रबंध, केटरिंग तकनौलाजी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, चेन्नई
8. होटल प्रबंध, केटरिंग तकनौलाजी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, गोवा
9. होटल प्रबंध, केटरिंग तकनौलाजी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, गुरदासपुर
10. होटल प्रबंध, केटरिंग तकनौलाजी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, गुवाहाटी
11. होटल प्रबंध, केटरिंग तकनौलाजी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, ग्वालियर
12. होटल प्रबंध, केटरिंग तकनौलाजी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, हैदराबाद
13. होटल प्रबंध, केटरिंग तकनौलाजी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, जयपुर
14. होटल प्रबंध, केटरिंग तकनौलाजी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, लखनऊ
15. होटल प्रबंध, केटरिंग तकनौलाजी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, मुम्बई
16. होटल प्रबंध, केटरिंग तकनौलाजी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, नई दिल्ली
17. होटल प्रबंध, केटरिंग तकनौलाजी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, हाजीपुर
18. होटल प्रबंध, केटरिंग तकनौलाजी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, शिमला
19. होटल प्रबंध, केटरिंग तकनौलाजी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, शिलांग
20. होटल प्रबंध, केटरिंग तकनौलाजी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, श्रीनगर
21. होटल प्रबंध, केटरिंग तकनौलाजी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, तिरूवंतपुरम
22. भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान, ग्वालियर

**हुबली विमानपत्तन का विस्तार**

**2326. श्री मंजुनाथ कुन्नुर :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुबली विमानपत्तन पर रनवे की लंबाई और चौड़ाई इतनी कम है कि एटीआर 72 किस्म के विमान का परिचालन नहीं किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हुबली विमानपत्तन के विस्तार का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित/जारी की गई है; और

(घ) उक्त कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) से (ग) जी, नहीं। हुबली हवाईअड्डे की लम्बाई चौड़ाई एटीआर–72 श्रेणी के विमानों के लिए पर्याप्त है। तथापि, रनवे की दृढ़ता पूर्ण भारित प्रचालनों के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने, भार संबंधी बाध्यताओं के बिना एटीआर–72 श्रेणी के विमानों के प्रचालन के लिए, 11.14 करोड़ रुपए की लागत से रनवे का सुदृढ़ीकरण और सम्बद्ध कार्य हाथ में लिए हैं।

(घ) दिसम्बर, 2006 तक कार्य पूर्ण होने की संभावना है।

*[हिन्दी]*

**लाभ के संबंध में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अनुदेश**

**2327. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :**
**डा. चिन्ता मोहन :**

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को उनमें किए गए निवेश पर कम से कम पांच प्रतिशत लाभ अर्जित करने संबंधी अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पांच प्रतिशत लाभ निर्धारित करने का क्या आधार है?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) :** (क) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सरकार की नीति का उल्लेख राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में किया गया है, जोकि एक मजबूत और प्रभावी सरकारी क्षेत्र का समर्थन करता है, जिसके सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति इसके वाणिज्यिक क्रियाकलापों द्वारा की जाती है। वाणिज्यिक संस्थाओं के रूप में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) से यह आशा की जाती है कि वे लाभ अर्जित करें। बहरहाल, ऐसे कोई अनुदेश

जारी नहीं किए गए हैं, जहां पर सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को यह कहा गया है कि वे लाभ का एक विशेष स्तर अर्जित करे।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

**ईएमयू ट्रेन चलाया जाना**

**2328. श्री टेकलाल महतो :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार बरकाकाना से रांची बरास्ता चन्द्रपुर, गोमियो, बेरमो और फसरों तक ईएयमयू ट्रेन चलाए जाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस ईएमयू ट्रेन के उक्त मार्ग पर कब तक चलाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) जी नहीं। फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**हम्पी हेतु समेकित प्रबंधन योजना**

**2329. श्री एम. शिवन्ना :**
**श्रीमती मनोरमा माधवराज :**
क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को हम्पी के लिए तैयार किए गए समेकित प्रबंधन योजना प्रारूप के संबंध में यूनेस्को और कर्नाटक सरकार के विचार प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के क्रियान्वयन के लिए आगे क्या कार्रवाई की गई है अथवा की जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

**पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) :** (क) और (ख) जी, हां। हम्पी के लिए समेकित प्रबंधन योजना प्रारूप के संबंध में यूनेस्को विश्व विरासत केन्द्र की टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं जिनमें उन्होंने सुझाव दिया है कि राज्य पक्ष चालू प्रबंधन योजना के पुनर्विन्यास पर विचार करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पहले किए गए अनुसंधान को वास्तविक, व्यावहारिक और संचालनात्मक समेकित प्रबंधन योजना में दर्शाया और सम्मिलित किया गया है। विश्व विरासत केन्द्र द्वारा प्रबंधन योजना प्रारूप के संबंध में की गई अन्य टिप्पणियों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) प्रबंधन योजना स्थल के असाधारण सर्वव्यापी महत्व को पुनः परिभाषित करें;

(ii) राज्य पक्ष सांस्कृतिक भू-दृश्य के रूप में हम्पी स्थल के भावी पुनर्नामांकन/विस्तार पर विचार करे;

(iii) प्रबंधन योजना दस्तावेज वास्तविक तौर पर एक उपयुक्त प्रबंधन प्रणाली प्रस्तुत करें और

(iv) हम्पी प्रबंधन प्राधिकरण को योजना प्रक्रिया में पूर्ण रूप से शामिल किया जाए।

(ग) और (घ) यूनेस्को विश्व विरासत केन्द्र की टिप्पणियों और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श की दृष्टि से, 'ऑपरेशनालाइजिंग दि इंटिग्रेटिड मैनेजमेंट प्लान' के संबंध में एक वाल्यूम तैयार किया गया था। इसकी प्रतियां यूनेस्को को परिचालित की गई हैं।

हम्पी विश्व विरासत क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा समेकित प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन के लिए अन्य अनुवर्ती कार्रवाइयां की गई हैं। इनमें निम्न शामिल हैं :–

(क) हम्पी प्राधिकरण के अधीन क्षेत्र के लिए आधार मानचित्र (बेस मैप) तैयार करना।

(ख) प्राधिकरण में तकनीकी यूनिट स्थापित करना।

(ग) अन्तरिम शहरी विकास दिशानिर्देश तैयार करना।

(घ) हम्पी विश्व विरासत क्षेत्र प्रबंधम प्राधिकरण (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्मारकों को छोड़कर) के क्षेत्राधिकार में स्थित सांस्कृतिक संसाधनों की सूची तैयार करना।

(ङ) वर्नाकुलर वास्तुशिल्प का प्रलेखन।

(च) हम्पी के ड्राफ्ट मास्टर प्लान के संबंध में जनता के विचार आमंत्रित करना।

(छ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षित स्मारकों के लिए संरक्षण कार्य योजना का प्रारूप।

*[हिन्दी]*

**लड़ाकू विमानों की लागत में वृद्धि**

**2330. श्री शिशुपाल पटले :**
**प्रो. महादेवराव शिवनकर :**
क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय वायु सेना के लिए खरीदे जाने वाले लड़ाकू विमानों से संबंधित सौदे को अंतिम रूप दिए जाने तक लड़ाकू विमानों की लागत में वृद्धि हुई संभावित वृद्धि के संबंध में कोई

आकलन कराया है जैसाकि दिनांक 18 जुलाई, 2006 को "राष्ट्रीय सहारा" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) उन देशों का ब्यौरा क्या है जिनके साथ बिक्री के सौदों में विलंब हुआ है;

(घ) सौदों को अंतिम रूप दिए जाने में हुए विलंब के कारण ऐसे विमानों की लागत में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : (क) से (ङ) इस समय वायु सेना के लिए अपेक्षित लड़ाकू विमानों की खरीद रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया, 2005 के उपबंधों के निबंधनों के अनुसार की जाती है जिसमें 300 करोड़ रुपये या इससे अधिक की सांकेतिक लागत के साथ संविदाओं में एक आफसैट खंड शामिल है। इस प्रक्रिया में ऐसी बड़ी खरीददारियों के लिए संविदा करने हेतु दो से तीन वर्षों की समय–सीमा की परिकल्पना है।

*[अनुवाद]*

**द्वितीय "पैलेस ऑन व्हील्स"**

**2331. श्रीमती निवेदिता माने :**
**श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :**
**श्री कीर्तिवर्धन सिंह :**
**श्री दलपत सिंह परस्ते :**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार द्वितीय "पैलेस ऑन व्हील्स" की शुरूआत करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार इस संबंध में निजी भागीदारी को आमंत्रित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) इस प्रस्ताव के कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) से (ङ) जी, हां। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के सहयोग से एक दूसरी "पैलेस ऑन व्हील्स" चलाने का प्रस्ताव है। इस गाड़ी को मौजूदा पैलेस ऑन व्हील्स के खंड में चलाया जाना है। राजस्थान राज्य सरकार गाड़ी की पूंजीगत लागत में रेलवे के साथ हिस्सेदारी के लिए सहमत हो गई है। इस गाड़ी को प्रारंभ करने के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

*[हिन्दी]*

**शिकायतों का निराकरण**

**2332. श्री रामदास आठवले :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने सितम्बर, 2005 में सभी जोनल रेलवे कार्यालयों को ट्रेनों और स्टेशनों की स्थिति में सुधार करने तथा एक निर्धारित समय–सीमा में शिकायतों के निराकरण हेतु व्यवस्था करने संबंधी अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे अनुदेश जारी किए जाने के बावजूद कुछ जोनल रेलवे कार्यालय इस मामले में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और रेलवे द्वारा इस संबंध में और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) और (ख) विभिन्न सुधारों से संबंधित अनुदेश समय–समय पर जारी किए जाते हैं। 2006 में भी मार्च और अप्रैल में निर्देश जारी किए गए थे जब इनमें अन्य बातों के साथ–साथ यह निदेश दिया गया था कि प्रत्येक मंडल में पांच स्टेशनों को आधुनिक स्टेशनों में परिवर्तित किया जा रहा है। उसी प्रकार, गाड़ियों के 4 रेकों को विश्व स्तरीय सजावट में निर्मित/परिवर्तित किया जा रहा है। जनता की शिकायतों को समय पर निपटाने के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय रेल/मंडल में वरिष्ठ अधिकारी के अधीन एक नामित मशीनरी स्थापित की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**तेल और गैस खोज हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी**

**2333. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :**
**श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तेल और गैस के खोज कार्य हेतु आधुनिक और उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस की खोज में उपयोग की जा रही उन्नत प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह प्रौद्योगिकी पुरानी प्रौद्योगिकी से कैसे अच्छी है और इससे क्या अतिरिक्त उपलब्धियां हासिल हुई हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) और (ख) जी हां, तेल और गैस की खोज में भूकंपीय सर्वेक्षण, क्षैतिज वेधन बहु आयामी वेधन, वेधन के समय लागिंग (एलडब्ल्यूडी) और भूकंपीय आंकडे के संसाधन तथा निर्वचन के दौरान आधुनिक एवं समुन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है।

(ग) और (घ) पिछले दो वर्षों से भूकंपीय आंकड़ा अर्जित करने के बाद उसका संसाधन और निर्वचन वर्चुअल रियलिटी सेन्टर पर विशेष रूप से डिजाइन किये गये समुन्नत साफ्टवेयर पर किया जाता है।

पिछले दो वर्षों (2004–06) के दौरान ओएनजीसी ने निम्नलिखित समुन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया है :–

(1) **जमीनी आंकड़ों के अर्जन हेतु :**

– उच्च चैनल क्षमता, डिजिटल सेंसरों और फील्ड प्रोसेसिंग यूनिट (एफपीयू) वाली भूकंपीय आंकडा अर्जन प्रणाली का प्रयोग।

– बहु स्तरीय ऊर्ध्व भूकंपीय प्रोफाइलिंग (वीएसपी) आकडा अर्जन प्रणाली।

(2) **अपतटीय आंकडा अर्जन हेतु :**

– विभागीय अपतटीय सर्वेक्षण पोत सागर संधानी में द्वैध स्ट्रीमर कैबल, द्वैध स्रोत और पोत पर ससाधन क्षमता की व्यवस्था करके उसे समुन्नत बनाना।

(3) **आंकड़ा संसाधन :** पीसी क्लस्टर प्रौद्योगिकी और ससाधन साफ्टवेयरों (वेस्टर्न गेको, सीजीजी पराडिग्म) का सावधिक समुन्नयन का प्रयोग सागर संधानी पोत पर भू–भौतिकी आंकड़ा संसाधन प्रणाली के लिए नये साफ्टवेयर का प्रयोग।

(4) **आंकड़े का निर्वचन :** पनवेल के वर्चुअल रियलिटी सेन्टरों, देहरादून में भूभौतिकी आंकडा ससाधन और निर्वचन केन्द्र (जीईओपीआईसी) और बड़ोदरा में अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली ग्राफिक वर्कस्टेशनों का प्रयोग।

(5) क्यू–प्रौद्योगिकी जीएक्स प्रौद्योगिकी, सीबेड लॉगिंग आदि जैसी नई विधियों का प्रयोग।

(6) वायर लाइन लॉगिंग में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां जैसे सीएचएफआर (केस्ड होल फार्मेशन रेजिस्टविटी), प्लेटफार्म एक्सप्रेस, एमडीटी–एलएफए (माड्युलर डायनमिक फार्मेशन टेस्टर–लाइव फ्लूड एनालइजर), ईसीएस (एलिमेंटल कैप्चर स्पेक्ट्रोस्कोपी) का प्रयोग।

जहा तक आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) का प्रश्न है, ओआईएल ने हाल में ही नोएडा, उत्तर प्रदेश में अत्याधुनिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर से सुसज्जित वर्क स्टेशनों वाला एक अत्याधुनिक पेट्रोलियम अन्वेषण परिसंपत्ति केन्द्र स्थापित किया है। ओआईएल ने अन्वेषण ब्लाकों के तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन हेतु पूर्वेक्षण मूल्यांकन साफ्टवेयर/हार्डवेयर लगाया है। यह ओआईएल के मुख्यालय दुलियाजान, असम में लगाये गये ऐसे ही उपकरण के अलावा है।

इनके फलस्वरूप अतिरिक्त सफलताओं के रूप में जमीन और अपतट दोनों में, वेधन करके परीक्षण हेतु सूक्ष्म चालों की संभावना की पुष्टि के लिए भूमि के नीचे का चित्रण करने और मात्रा की सजीव कल्पना की क्षमता बढ गई है।

*[अनुवाद]*

**अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदायों का विकास**

**2334. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
**श्री रवि प्रकाश वर्मा :**
**श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अन्य पिछड़ा वर्ग के कुछ समुदाय विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले और परम्परागत व्यवसाय/कारीगरी अर्थात् मत्स्यन, स्टोन क्रशिंग टेलरिंग बुनकरी, बढ़ईगिरी बर्तन बनाने, लोहारी इत्यादि पर निर्भर हैं सामाजिक और आर्थिक पिछडेपन की बुरी स्थितियों में रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या परम्परागत व्यवसायों/कारीगरी के विकास और आधुनिकीकरण हेतु एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदायों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परम्परागत व्यवसायों/कारीगरी पर निर्भर समुदाय को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन)** : (क) इस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछडा वर्ग वित्त और विकास निगम को ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पिछड़े वर्गों तथा पारंपरिक कामधंधों और कारीगिरियों पर निर्भर पिछड़े वर्गों सहित पिछडे वर्ग के व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है। इस निगम की योजनाएं गरीबी रेखा की आय के दोगुने से नीचे रहने वाले पिछडे वर्गों के अधिक निर्धन वर्ग की सहायता करने के लिए बनायी गई हैं। यह निगम राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से अपनी वित्तीय सहायता प्रदान करता है और इसलिए राज्य चैनेलाइजिंग

एजेंसियां पारंपरिक कामधंधों/कारीगिरियों आदि पर निर्भर पिछड़े वर्गों के लिए विकासात्मक योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं।

(ख) और (ग) इस समय, इस मंत्रालय में ऐसी कोई नीति तैयार करने का प्रस्ताव नहीं है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, पिछड़े वर्गों के पात्र व्यक्तियों को आगे संवितरण के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम द्वारा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को प्रदत्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। इन आंकड़ों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले और पारंपरिक व्यवसायों/कारीगिरियों आदि पर निर्भर व्यक्तियों को वितरित ऋण भी शामिल है।

*विवरण*

*राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम*

*पिछले तीन वर्षों (31 मार्च, 2006 तक) के दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम द्वारा राज्यवार संवितरित राशि*

| क्रम सं. | राज्यों के नाम | 2003–04 वितरण (लाख रुपए) | 2004–05 वितरण (लाख रुपए) | 2005–06 वितरण (लाख रुपए) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1150.00 | 250.00 | 200.00 |
| 2. | असम | 95.68 | 80.20 | 250.00 |
| 3. | बिहार | 7.50 | 170.00 | 30.00 |
| 4. | छत्तीसगढ़ | 25.00 | 108.19 | 150.00 |
| 5. | चंडीगढ़ | 15.00 | 24.70 | 10.00 |
| 6. | दिल्ली | 50.00 | 50.00 | – |
| 7. | गुजरात | 350.00 | 350.00 | 250.00 |
| 8. | गोवा | 46.67 | 28.45 | 41.87 |
| 9. | हरियाणा | 200.00 | 175.00 | 300.00 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 182.84 | 250.00 | 185.93 |
| 11. | जम्मू व कश्मीर | 15.00 | 40.60 | 2.00 |
| 12. | झारखंड | 270.30 | – | 25.00 |
| 13. | कर्नाटक | 1690.77 | 1000.00 | 1005.00 |
| 14. | केरल | 3067.50 | 1697.50 | 2334.00 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 492.50 | 148.75 | 100.00 |
| 16. | महाराष्ट्र | [illegible] | [illegible] | 1700.00 |
| 17. | उड़ीसा | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 18. | पंजाब | 43.00 | 200.00 | 230.00 |
| 19. | पांडिचेरी | 50.00 | 50.00 | 85.03 |
| 20. | राजस्थान | 114.68 | 293.40 | 400.00 |
| 21. | सिक्किम | 125.00 | 257.90 | 352.05 |
| 22. | तमिलनाडु | 1075.00 | 800.00 | 1350.00 |
| 23. | त्रिपुरा | – | 99.03 | 50.00 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 550.00 | 616.00 | 158.00 |
| 25. | उत्तरांचल | 9.00 | 52.75 | 104.46 |
| 26. | पश्चिम बंगाल | 750.00 | 600.00 | 400.00 |

**सैन्य कर्मियों की समस्याएं**

**2335. डा. बाबूराव मिडियम :**
**श्री दलपत सिंह परस्ते :**
**श्री सर्वे सत्यनारायण :**
**श्रीमती सुमित्रा महाजन :**
**श्री पी. मोहन :**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र बलों में आत्महत्याओं सहित सैन्यकर्मियों को दबाव और तनाव की ओर अग्रसर करने वाले कारकों पर विचार करने के लिए कोई तंत्र मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :** (क) से (ग) तनाव संबंधी समस्याओं, जिनमें आत्महत्याएं भी शामिल हैं, के बारे में व्यक्तियों को शिक्षित करने और सलाह देने के लिए सशस्त्र सेनाओं में एक सुनिर्धारित तंत्र मौजूद है। इसमें, वरिष्ठ और कनिष्ठ अफसरों के बीच अधिकाधिक औपचारिक एवं अनौपचारिक विचार–विमर्श किया जाना; यूनिट में समय–सिद्ध रिपोर्टिंग और फीडबैक प्रणाली को सुदृढ़ बनाना; व्याख्यान/प्रस्तुतियों के लिए मनोचिकित्सकों और परामर्शदाताओं की सेवाओं का उपयोग करना; तनावग्रस्त कार्मिकों की पहचान करना और उनका मनोवैज्ञानिक अनुकूलन तथा उन्हें परामर्श देना शामिल है। सेनाओं में अफसरों और अन्य कार्मिकों को इस विषय में जागरूक बनाया गया है। उत्तर और पूर्व कमानों के दो मनोचिकित्सा केंद्रों में अतिरिक्त मनोचिकित्सकों की तैनाती करके उनमें स्टाफ की वृद्धि की गई है।

**स्टेशनों/प्लेटफार्मों पर बैनर्स और पोस्टर्स**

**2336. सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

**(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि रेलवे ट्रेड यूनियनों और अन्य संगठन प्रायः रेलवे स्टेशनों/प्लेटफार्मों पर बैनर्स और स्टीकर तथा पोस्टर्स चिपका देते हैं जिससे रेलवे स्टेशनों/प्लेटफार्मों की शोभा बिगड़ रही है;**

**(ख)** यदि हां, तो क्या रेलवे का विचार इस संबंध में संबंधित प्राधिकरणों को अनुदेश अथवा दिशा–निर्देश जारी करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) से (ग) रेलवे प्रशासन, मान्यता प्राप्त यूनियनों/संघों द्वारा जारी नोटिस बोर्ड को लगाने के लिए नोटिस बोर्ड आबंटित करते हैं। यूनियनों/संघों और अन्य संगठन, रेलवे कर्मचारियों एवं यात्रियों के हित में अतिरिक्त बैनर, पोस्टर आदि लगाने के लिए अनुमति लेती है। अगर वे बिना अनुमति के विनिर्दिष्ट स्थानों के अतिरिक्त पोस्टर चिपकाते और बैनर आदि लगाते हैं, तो प्रचलित नियमों/विनियमों के तहत कार्रवाई की जाती है।

**ईस्टर्न गैस ग्रिड की स्थापना**

**2337. श्री सुनील खां :**
**श्री बसुदेव आचार्य :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी जोन में प्राकृतिक गैस की अनुपलब्धता के कारण औद्योगिक परिदृश्य में पूर्वी जोन में राज्यों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को केन्द्र सरकार के ध्यान में लाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को ईस्टर्न गैस ग्रिड की स्थापना के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :** (क) जी हां।

**(ख) से** (घ) पश्चिम बंगाल सरकार ने अन्य बातों के साथ–साथ यह सूचित किया है कि पूर्वी भारत में, विशेषतः पश्चिम बंगाल में प्राकृतिक गैस की प्रचुर मांग के बावजूद मुख्यतः आपूर्ति स्रोतों के दूर होने के कारण इस क्षेत्र में कोई प्राकृतिक गैस पारेषण आधारभूत संरचना विकसित नहीं की गई है। देश में प्राकृतिक गैस का समान रूप से वितरण सुनिश्चित करने के लिए यदि कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं तो इससे गंभीर क्षेत्रीय असंतुलन होने की संभावना है। गैस की कमी वाले क्षेत्रों में गैस विपणन बढ़ाने का उत्तरदायित्व बाजार की शक्तियों पर नहीं छोड़ा जा सकता है और अंतर्राज्यीय गैस पाइपलाइनों का निर्माण व व्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र के अनुभवी, विशेषज्ञ और जनहित में अपेक्षित आधारभूत संरचना वाले उपक्रमों द्वारा की जानी चाहिए।

अनेक हितधारकों से सलाह करके सरकार के द्वारा अंतिम रूप दिए जाने के तहत, प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के विकास की नीति में प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों में निजी क्षेत्र के साथ–साथ आम जनता से निवेश बढ़ाने का विचार है ताकि बगैर भेदभाव आधार पर पाइपलाइन नेटवर्क सभी के लिए खुले, सभी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़े और गैस उपलब्धता तथा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के युक्तिपूर्ण शुल्कों की शर्तों पर उपभोक्ताओं का हित सुनिश्चित हो। नेटवर्क का विकास, अन्य बातों के साथ–साथ गैस की उपलब्धता और गैस स्रोतीकरण और विपणन के आवश्यक गठबंधनों पर आधारित होगा।

गेल (इंडिया) लिमिटेड ने, गैस की उपलब्धता के आधार पर, पश्चिम बंगाल में गैस की मांग पूरी करने के लिए जगदीशपुर–हल्दिया गैस पाइपलाइन बिछाने की योजना बनाई है।

*[हिन्दी]*

**सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों का लाभ**

**2338. श्री तूफानी सरोज :**
**श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार :**
**श्री दुष्यंत सिंह :**
**श्री अनन्त नायक :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2006–07 की प्रथम छमाही के दौरान सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के लाभ में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कंपनी–वार कारण क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों विशेषकर गेल (इंडिया) लिमिटेड ने राजसहायता भागीदारी तंत्र में परिवर्तन करने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को लाभप्रद बनाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :** (क) जी हां। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के लाभ में वर्ष 2006–07 की प्रथम तिमाही (अप्रैल–जून) के दौरान निम्नवत् ब्यौरों के अनुसार कमी आई है :

(रु. करोड़ में)

| ओएमसीज | करोपरांत लाभ 2005–06 | करोपरांत लाभ 2005–06 (अप्रैल–जून) | करोपरांत लाभ 2006–07 (अप्रैल–जून) |
|---|---|---|---|
| आईओसीएल | 4915 | (57.93) | 1780.52# |
| बीपीसी | 130* | (431.30) | (677.30) |
| एचपीसी | 406 | (507.89) | (607.67) |
| आईबीपी | 12 | (233.97) | (458.70) |

* गैर लेखा परीक्षित

#यह आईओसी का अप्रैल–जून, 06 अवधि के लिए करोपरांत लाभ दर्शाता है। तथापि, इसमें 3224.78 करोड़ रुपए के शेयरों की बिक्री से होने वाला लाभ शामिल है। अतः इस मद से पूर्व करोपरांत लाभ/(हानि) (1444.26) रुपए होगी।

(ख) घरेलू एलपीजी, पीडीएस मिट्टी तेल, पेट्रोल तथा डीजल की बिक्री से भारी अल्प वसूलियों के कारण ओएमसीज ने लाभ में कमी दिखाई है।

(ग) और (घ) जी हां। यद्यपि यह माना जाता है कि एलपीजी तथा मिट्टी तेल पर अपस्ट्रीम कंपनियों द्वारा राजसहायता भार को आपस में बांटने से उनकी लाभप्रदता पर जोर पड़ा है, परन्तु संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों पर अल्प वसूलियों के कारण ओएमसीज पर तदनुरूपी भार उससे भी अधिक रहा। भार हिस्सेदारी व्यवस्था तेल क्षेत्र में सामूहिक जिम्मेदारी डालती है।

(ङ) सरकार ने चालू राजकोषीय वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के नुकसानों को पूरा करने के उद्देश्य से निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय किए हैं –

(1) वर्ष 2006–07 के दौरान 28,300 करोड़ रुपए राशि के तेल बांडों का निर्गम।

(2) अपस्ट्रीम तेल कंपनियों द्वारा वर्ष 2006–07 के दौरान 24,000 करोड़ रुपए राशि की अल्प वसूलियों को बांटना।

(3) पेट्रोल और डीजल की मूल्य निर्धारण प्रणाली में परिवर्तन। रिफाइनरियों से रियायत।

(4) पेट्रोल व डीजल पर सीमा शुल्क में कमी।

**आस्ट्रेलिया से एलएनजी का आयात**

**2339. श्रीमती किरण माहेश्वरी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आस्ट्रेलिया से तरलीकृत प्राकृतिक गैस का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :** (क) से (ग) मैसर्स पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल) अपने प्रस्तावित कोच्चि एलएनजी टर्मिनल के लिए आस्ट्रेलिया से 2.5 एमएमटीपीए (मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष) तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के आयात के लिए वार्ताएं कर रही है।

**देहरादून के रास्ते हरिद्वार और विकासनगर के बीच रेलवे लाइन का निर्माण**

**2340. श्री अवतार सिंह भडाना :**
**डा. राजेश मिश्र :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार देहरादून के रास्ते हरिद्वार और विकासनगर के बीच रेलवे लाइन का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु रेलवे द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हरिद्वार और देहरादून के बीच रेल संपर्क पहले से ही मौजूद है। देहरादून–विकासनगर स्वीकृत परियोजना नहीं है।

*[अनुवाद]*

**बिना पानी के वातानूकुलित सवारी डिब्बे**

**2341. श्री किन्जरपु येरननायडु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिकायतों के बावजूद, हैदराबाद आते समय एपी एक्सप्रेस और संपर्क क्रांति रेलगाड़ियों के वातानुकूलित सवारी डिब्बों में पानी नहीं होता है तथा उनके शौचालय गंदे रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सवारी डिब्बों में मूलभूत सेवाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) जी नहीं। एपीएक्सप्रेस और संपर्क क्रांति रेलगाड़ियों सहित सभी रेलगाड़ियों के सवारी डिब्बों में अनुरक्षण डिपुओं में सफाई के दौरान पानी की टंकी उपलब्ध कराई जाती है और उनके शौचालयों की सफाई की जाती है। इस प्रयोजन के लिए नामित स्टेशनों पर यात्रा के दौरान भी पानी भरा जाता है। लंबी दूरी की गाड़ियों में शौचालयों की मार्गवर्ती सफाई तथा कूड़ेदानों से कूड़ा हटाने के लिए स्वच्छ रेलगाड़ी स्टेशन योजना के अंतर्गत पहचान किए गए स्थलों पर ये सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं। इस योजना के अंतर्गत लंबी दूरी की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में जो इन स्थानों से दिन में गुजरती हैं, की शौचालयों की यांत्रिक सफाई, कूड़ेदानों से कूड़ा हटाना, डिओड्रेन्ट का छिड़काव और मच्छर रिपेलेंट, प्लेटफार्म साइड पर एसी सवारी डिब्बों की खिड़कियों की बाहर से सफाई आदि करना।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सभी सवारी डिब्बों में उनके विनिर्माण के साथ–साथ अनुरक्षण अनुसूची जैसे आवधिक ओवरहॉल/मध्यवर्ती ओवरहॉल और अन्य निवारक अनुरक्षण अनुसूची के दौरान सभी सवारी डिब्बों में सुविधाओं की मानक अनुसूची उपलब्ध कराई जाती है।

*[हिन्दी]*

**अधिशेष परिसंपत्तियों का उपयोग**

**2342. डा. धीरेंद्र अग्रवाल :**
**श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :**
क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पास अधिशेष परिसंपत्तियां हैं, जो कि बेकार पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परिसंपत्तियों के समुचित उपयोग हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) :** (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की अधिशेष परिसम्पत्तियों का निर्धारण उनके प्रबंधन द्वारा आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरुद्धार/पुनर्गठन के एक भाग के रूप में अधिशेष परिसम्पत्तियों का उपयोग पुनर्गठन योजना का एक महत्वपूर्ण संघटक होता है। सरकार ने दिसम्बर, 2004 में सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) की स्थापना की है, जो केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण तथा घाटा उठाने वाली कंपनियों के पुनर्गठन/पुनरुद्धार के संबंध में अपनी सिफारिशें करेगा। बीआरपीएसई की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने, अन्य बातों के साथ–साथ, अधिशेष परिसम्पत्तियों के निपटान/उपयोग को संबंधित उद्यम के पुनरुद्धार/पुनर्गठन पैकेज के रूप में अनुमोदित कर दिया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) अधिशेष परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग लेनदारों की देनदारियों, भारत सरकार तथा बैंकों के ऋण, वीआरएस से संबंधित भुगतान सहित कर्मचारियों की अन्य देनदारियों, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) व अन्य अभिकरणों की बकाया राशि का भुगतान करने और एककों का आधुनिकीकरण/विस्तार करने में किया जाता है।

***विवरण***

***बीआरपीएसई द्वारा अनुशंसित तथा सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार पैकेज में उल्लिखित अधिशेष परिसम्पत्तियां***

| क्र. सं. | केन्द्रीय सरकारी उद्यम तथा प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का नाम | अधिशेष परिसंपत्तियां |
|---|---|---|
| 1. | सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारी उद्योग विभाग) | 7 बन्द एककों की अधिशेष परिसम्पत्तियों की बिक्री। |
| 2. | हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (भारी उद्योग विभाग) | अधिशेष परिसम्पत्तियों का निपटारा तथा अधिशेष भूमि की बिक्री। |
| 3. | प्रागा टूल्स लिमिटेड (भारी उद्योग विभाग) | अधिशेष भूमि की बिक्री। |
| 4. | नेशनल टेक्सटाईल्स कारपोरेशन लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनियां (कपड़ा मंत्रालय) | अधिशेष भूमि की बिक्री। |
| 5. | हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लि. (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग) | अधिशेष भूमि की बिक्री। |
| 6. | हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि. (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग) | अधिशेष भूमि की बिक्री। |

*[अनुवाद]*

**चाकन विमानपत्तन**

**2343. श्री सुरेश कलमाडी :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुणे स्थित चाकन विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय मार्ग पर बड़े विमान के लिए एक अतिरिक्त समानांतर रनवे बनाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो अत्याधुनिक अवसंरचना और सुविधाओं वाले नए अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन का निर्माण करने हेतु वैकल्पिक स्थान का पता लगाने के लिए प्रयास किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित फाइल की जांच रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से की जा रही है और अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

*[हिन्दी]*

**रिफाइनरी क्षेत्र में निवेश**

**2344. श्री रामजीलाल सुमन :**

**डा. चिन्ता मोहन :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान रिफाइनरियों में कुल कितनी पूंजी का निवेश किया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान निवेश की गई पूंजी के आधार पर इन रिफाइनरियों द्वारा अर्जित किये गये लाभांश का वार्षिक औसत प्रतिशत क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :** (क) वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान रिफाइनरियों में कुल पूंजीगत निवेश क्रमशः 4686.21 करोड़ रुपए, 7062.86 करोड़ रुपए तथा 6274.56 करोड़ रुपए रहा है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

**भूतपूर्व सैनिकों को आबंटित पेट्रोल पंप/ एलपीजी एजेंसियां**

**2345. श्री उदय सिंह :**

**श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :**

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों/शहीदों और उनके आश्रितों को आबंटित पेट्रोल पंपों/एलपीजी एजेंसियों पर तेल माफियाओं द्वारा तेल विपणन कंपनियों के अधिकारियों की मिलीभगत से कब्जा किया जा रहा है जैसा कि दिनांक 17 जुलाई, 2006 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :** (क) से (घ) हिन्दुस्तान टाइम्स में 17.7.2006 को प्रकाशित "पेट्रोल पंप योजना में धोखाधड़ी की बदबू" शीर्षक वाला समाचार देख लिया गया है। उक्त समाचार मद में उल्लिखित मामला विशेष कारगिल में "आपरेशन विजय" में युद्ध के दौरान शहीद हुए रक्षा कार्मिकों की विधवाओं/निकटतम संबंधियों को खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन के लिए सरकार की विशेष योजना के तहत आबंटित खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप (पेट्रोल पंप) का नहीं है बल्कि यह इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) द्वारा अपनी सामान्य चयन प्रक्रिया के अनुसार "रक्षा श्रेणी" के तहत आबंटित एक डीलरशिप का मामला है।

यह मामला जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में जट्टारी में आईओसी के खुदरा बिक्री केन्द्र मैसर्स शहीद हरीन्द्र फिलिंग स्टेशन के गैर कानूनी नियंत्रण के बारे में है। यह मामला जांच के लिए आईओसी के सतर्कता विभाग को भेजा गया था। सरकार को मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ), आईओसी से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रथम दृष्टया यह बेनामी प्रचालन का मामला है। रिपोर्ट में बताया गया है कि एक बेईमान व्यक्ति ने आर.ओ. के आबंटिती को धन के बदले में आर.ओ. को खुद चलाने देने के लिए प्रभावित किया। सीवीओ ने लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश की है और पहले से पर्याप्त व्यवसाय अनुभव न रखने वाले विशेषकर "रक्षा श्रेणी" के अंतर्गत आबंटितियों के मामले में बेनामी प्रचालन के खतरे को रोकने के लिए भी कुछ उपायों की सिफारिश की है। इस रिपोर्ट की मंत्रालय में जांच की गई है और आईओसी के प्रबंधन को सीवीओ के निष्कर्षों के अनुसार कार्रवाई करने की सलाह दी जा रही है।

**सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों का विलय**

**2346. श्री बंसगोपाल चौधरी :** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों

का सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के साथ विलय करके उनका पुनरुद्धार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों का विलय कब तक किए जाने की संभावना है?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) :** (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बारे में सरकार की नीति का उल्लेख राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) में किया गया है, जोकि एक ऐसे मजबूत और प्रभावी सरकारी क्षेत्र का समर्थन करता है, जिसके सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति उसके वाणिज्यिक कार्यचालन के माध्यम से होती है। हालांकि, सरकारी क्षेत्र की रुग्ण कंपनियों का आधुनिकीकरण और पुनर्गठन करने तथा रुग्ण उद्योगों का पुनरुद्धार करने की हर संभव कोशिश की जाएगी, तथापि, लम्बे समय से घाटा उठा रही कम्पनियों को या तो बेच दिया जाएगा अथवा उन्हें बन्द कर दिया जाएगा, परन्तु ऐसा करने के पूर्व उनके कामगारों की सभी वैध देनदारियों तथा अन्य क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के एक उद्यम का संविलयन किसी अन्य उद्यम में कर देना भी पुनरुद्धार का एक विकल्प हो सकता है। सरकार ने इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड (इस्को) के स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के साथ तथा प्रागा टूल्स लिमिटेड के हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के साथ विलय का अनुमोदन कर दिया है।

(ग) इस्को का सेल के साथ विलय किया जा चुका है।

**कृभको से हजीरा तक विस्तार**

**2347. श्री काशीराम राणा :**

**श्री मनसुखभाई डी. वसावा :**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजीरा पतन को उसके पृष्ठ प्रदेश से जोड़ने के लिए कोई प्रस्ताव रेलवे के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे कृभकों के लिए साइड ट्रैक का हजीरा तक विस्तार करने पर विचार करेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना को पूरा करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम यदि कोई है; क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) जी हां।

(ख) 13.01.2005 को निम्नलिखित पार्टियों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे :–

(i) रेल विकास निगम लिमिटेड

(ii) हज़ीरा पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड

(iii) गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन

(iv) एस्सार स्टील लिमिटेड

(v) गुजरात मेरीटाइम बोर्ड

समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य है कि सूरत से हज़ीरा पत्तन तक की रेल लाइन परियोजना का कार्यान्वित करने के लिए विनिर्दिष्ट विशेष प्रयोजना योजना की स्थापना करना है।

(ग) प्रौद्योगिकी–आर्थिक व्यावहारिकता सर्वेक्षण के अनुसार मौजूदा कृभको साइडिंग के समानांतर नई लाइन बनाने का प्रस्ताव है।

(घ) परियोजना योजना विकास के पूरा होने, वित्तीय सहभागिता में सामरिक महत्व के भागीदारों का करार और परियोजना को स्वीकृति मिलने पर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। स्वीकृति प्राप्त होने के लगभग तीन वर्ष तक निर्माण पूरा होगा।

**ओएनजीसी के एलपीजी संयंत्र**

**2348. श्री ब्रजेश पाठक :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) के चल रहे एलपीजी संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक संयंत्र की संस्थापित क्षमता कितनी है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन संयंत्रों में कितनी मात्रा में एलपीजी का उत्पादन किया गया; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान एलपीजी के स्टाक की क्या स्थिति थी?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :** (क) एलपीजी, आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) की उरण (महाराष्ट्र) अंकलेश्वर तथा गंधार (गुजरात) स्थित उत्पादन सुविधाओं पर प्राकृतिक गैस और संघनित्र से उत्पादित की जाती है। वर्तमान में ओएनजीसी के स्रोतों से उत्पादित एलपीजी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को स्थानान्तरित की जा रही है।

(ख) और (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

**विवरण**

*गत तीन वर्षों अर्थात् 2003-04 से 2005-06 के दौरान ओएनजीसी के एलपीजी संयंत्रों की संस्थापित क्षमता, उत्पादित एलपीजी तथा एलपीजी का इति शेष भंडार।*

(आंकड़े हजार टन में)

| | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
|---|---|---|---|
| **उरण संयंत्र (महाराष्ट्र)** | | | |
| संस्थापित क्षमता | 477.000 | 477.000 | 477.000 |
| उत्पादित एलपीजी | 512.486 | 455.399 | 452.737 |
| एलपीजी इति शेष भंडार | 0.807 | 0.673 | 0.948 |
| **हजीरा संयंत्र (गुजरात)** | | | |
| संस्थापित क्षमता | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| उत्पादित एलपीजी | 603.339 | 583.481 | 589.694 |
| एलपीजी इति शेष भंडार | | 5.969 | 8.250 |
| **अंकलेश्वर संयंत्र (गुजरात)** | | | |
| संस्थापित क्षमता | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| उत्पादित एलपीजी | 12.154 | 12.509 | 10.692 |
| एलपीजी इति शेष भंडार | 0.255 | 0.204 | 0.228 |
| **गंधार संयंत्र (गुजरात)** | | | |
| संस्थापित क्षमता | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| उत्पादित एलपीजी | 43.786 | 43.492 | 41.186 |
| एलपीजी इति शेष भंडार | 0.780 | 0.720 | 1.248 |

**रेलवे संरक्षा संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति**

2349. **श्री एम. राजा मोहन रेड्डी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार रेलगाड़ियों में दुर्घटनाओं और अपराधों में वृद्धि के संदर्भ में पूर्वकालीन समितियों द्वारा की गई सिफारिशों पर रेलवे में लागू विभिन्न सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा करने के लिए उच्चाधिकार समिति गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) जी नहीं। वास्तव में परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या में गिरावट का रुख रहा है। जनवरी से जून, 2006 के दौरान, पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 121 की तुलना में 109 परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं हुई। उसी प्रकार, पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में इस वर्ष की अवधि के दौरान गाड़ी में रिपोर्ट किए गए अपराधों के मामलों की कुल संख्या में कमी आई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**ट्रेन अधीक्षकों के पद समाप्त करना**

2350. **श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने हाल ही में ट्रेन अधीक्षकों के पद समाप्त करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे का विचार ट्रेन अधीक्षकों के पद समाप्त करने के अपने निर्णय को वापस लेने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो ट्रेन में यात्रियों को आवश्यक आपात सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) और (ख) केवल राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों में रेलगाड़ी अधीक्षकों को तैनात करने का विनिश्चय किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) गाड़ी में तैनात कर्मचारी यात्री प्रतिवादों और शिकायतों की देखभाल करने के अलावा गाड़ी सेवा की कमियों की निगरानी करते हैं। ये आग बुझाने, प्रथमोपचार इत्यादि जैसी आकस्मिक सेवाएं मुहैया कराने के लिए भी प्रशिक्षित होते हैं।

**कलाकारों को रियायतें**

2351. **श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा प्रत्यायित मंचीय कलाकारों को कोई रियायतें प्रदान की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार देश में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु कलाकारों को और अधिक रियायतें देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) और (ख) केन्द्रीय संगीत नाटक अकादमी अथवा किसी राज्य संगीत नाटक अकादमी अथवा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्रायोजित या स्वीकृत किसी विशिष्ट कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यात्रा करने वाली वास्तविक पेशागत मनोरंजन कंपनियों या पार्टियों (थिएट्रिकल एंड कनसर्ट पार्टीज एंड म्यूजिक एंड डासिंग एंड म्यूजिशियन ट्रुप्स) को रेलवे अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 300 कि.मी. से अधिक दूर की यात्रा के लिए मेल/एक्सप्रेस के भाड़े में प्रथम श्रेणी में 50% तथा द्वितीय/शयनयान श्रेणी में 75% की छूट देती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**रेलवे नेटवर्क का विस्तार**

**2352. श्री दुष्यंत सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं योजना हेतु निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उक्त योजना के दौरान रेलवे नेटवर्क के विस्तार के संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) दसवीं योजना में रेलवे नेटवर्क के विस्तार के संबंध में अब तक कितनी धनराशि आबंटित और व्यय की गई;

(ग) क्या ग्याहरवीं योजना में इसके नेटवर्क में और विस्तार करने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) और (ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों के दौरान नेटवर्क विस्तार में वास्तविक लक्ष्य, उपलब्धियां, आबंटित निधियां और खर्च की गई राशि निम्नानुसार से हैं :–

| मद | वास्तविक लक्ष्य (10वीं योजना 2002–07) (किमी.) | पहले 4 वर्षों में निष्पादन (2002–03 से 2005–06) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | प्रत्यक्ष उपलब्धि (किमी.) | कोष आबंटन (करोड़ रुपयों में) | खर्च की गई रकम (करोड़ रुपयों में) |
| नई लाइन | 1310 | 670 | 6419.98 | 6678.39 |
| आमान परिवर्तन | 2365 | 3207 | 4301.58 | 4601.91 |
| दोहरीकरण | 1500 | 913 | 2218.61 | 2301.94 |

(ग) जी हां।

(घ) 11वीं योजना में रेलवे नेटवर्क के विस्तार में समर्पित मालभाड़ा गलियारों का निर्माण, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण और अतिरिक्त लाइनें उपलब्ध करा कर क्षमता का संवर्द्धन जैसे कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं।

*[हिन्दी]*

**देवी अहिल्याबाई संग्रहालय का उन्नयन और विकास**

**2353. श्री कृष्णमुरारी मोघे :**
**श्री विजय कुमार खंडेलवाल :**
क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से महेश्वर और खरगौन स्थित देवी अहिल्याबाई संग्रहालयों के उन्नयन और विकास हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) :** (क) से (ग) वर्ष 2004–05 के दौरान मंत्रालय में प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और इसे 'क्षेत्रीय तथा स्थानीय संग्रहालयों के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण' की स्कीम के अंतर्गत गठित विशेषज्ञ समिति की दिनांक 25–11–2004 को हुई बैठक में उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया था। विशेषज्ञ समिति ने प्रस्ताव की सिफारिश नहीं की क्योंकि किसी नए संग्रहालय का निर्माण, स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है।

*[अनुवाद]*

**हल्दीबाड़ी से चंगराबंधा लाइन तक रेलवे लाइन**

**2354. श्री हितेन बर्मन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेखलीगन के रास्ते हल्दीबाड़ी से चंगराबंधा तक नई रेलवे लाइन का सर्वेक्षण पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं;

(ग) उक्त परियोजना के सर्वेक्षण पर रेलवे द्वारा कितना व्यय किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जाएगा?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) और (ख) जी नहीं। हल्दीबाड़ी से मेखलीगंज तक नई लाइन के सर्वेक्षण का कार्य हाल ही में पूरा हुआ है जिसके अनुसार 17.20 किमी. लंबी लाइन की लागत (–) 5.40% प्रतिफल की दर के साथ 161.70 करोड़ रु. आकलित की गई है।

(ग) हल्दीबाड़ी से चंगराबंधा तक नई लाइन के सर्वेक्षण की कुल प्रत्याशित लागत सिर्फ 1.71 लाख रु. है।

(घ) मेखलीगंज–चंगराबंधा के लिए सर्वेक्षण मई, 2006 में अनुमोदित किया गया था। हल्दीबाड़ी से चंगराबंधा तक नई लाइन के लिए संयुक्त सर्वेक्षण के लिए कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया है।

**बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों का संरक्षण**

**2355. श्री अधीर चौधरी :**
**श्री निखिल कुमार :**
**श्री जोवाकिम बखला :**

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक स्थलों का समुचित रुप से संरक्षण नही किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गत कुछ वर्षों से देश में बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों के रख–रखाव पर विदेशी एजेंसियों की सहायता से करोड़ों रुपए व्यय किए हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों का समुचित रूप से संरक्षण करने के लिए सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए गए हैं?

**पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) :** (क) और (ख) प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत संरक्षित देश में सभी बौद्ध स्थलो का समुचित अनुरक्षण किया जाता है।

(ग) से (ङ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जापान बैंक ऑफ इन्टरनेशनल को–आपरेशन से आसान शर्तों पर ऋण के तहत अजन्ता–एलोरा संरक्षण एवं पर्यटन विकास परियोजना का कार्य शुरू किया है। इस परियोजना के प्रथम चरण का कार्य वर्ष 2002 में पूरा किया गया था जिस पर 9.11 करोड़ रु. का व्यय किया गया। परियोजना के दूसरे चरण का कार्य चल रहा है जिसमें लगभग 37.90 करोड़ रु. के प्रावधान से अजन्ता, एलोरा, पितलखोड़ा तथा औरंगाबाद की गुफाओं के संरक्षण कार्य को चिन्हित किया गया है।

इसके अलावा, जापान ट्रस्ट फण्ड ने सतधारा स्थित स्तूप के संरक्षण हेतु सहायता प्रदान की है।

इन परियोजाओं पर गत तीन वर्षों के दौरान किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

***विवरण***

| क्र.सं. | स्मारक का नाम | वर्ष | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 |
| 1. | अजंता की गुफाएं | 81.17 | 41.04 | 86.26 |
| 2. | एलोरा की गुफाएं | 41.41 | 72.70 | 50.07 |
| 3. | औरंगाबाद की गुफाएं | 0.98 | 22.49 | 30.25 |
| 4. | पितलखोड़ा की गुफाएं | 0.21 | 0.10 | 0.43 |
| 5. | सतधरा स्थित बौद्ध स्तूप | – | 21.12 | 10.43 |

*[हिन्दी]*

**सर्वेक्षण हेतु अत्याधुनिक तकनीक**

**2356. श्री पंकज चौधरी :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर बिहार में तेल और गैस भंडारों की खोज हेतु अत्याधुनिक तकनीक से हवाई सर्वेक्षण कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह सर्वोक्षण कब तक किए जाने की संभावनाए है; और

(घ) उक्त कार्य पर कितनी धनराशि व्यय की जाएगी?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :** (क) से (घ) जी हां, हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर पूर्वी (एनई) राज्यों में हिमालय की तलहटी के क्षेत्र में वायु चुम्बकीय सर्वेक्षण करने की योजना बनाई है। अब तक लगभग 25,000 लाइन किलोमीटर (एलकेएम) क्षेत्र को शामिल कर लिया गया है। वर्ष 2007–08 तक उपर्युक्त राज्यों में शेष 75,000 एलकेएम क्षेत्र को शामिल कर लिया जाएगा। उपर्युक्त सर्वेक्षण करने की अनुमानित लागत 12 करोड़ रुपए है।

एनईएलपी के चौथे चरण में बिहार राज्य में एक अन्वेषण ब्लाक जीवी–ओएनएन– 2002/1 मैसर्स कैर्न एनर्जी (पीटीवाई) लिमिटेड को प्रदान किया गया था। प्रचालक ने इस क्षेत्र में वायु चुम्बकीय सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव रखा है।

*[अनुवाद]*

**बेड़े की संख्या में वृद्धि**

**2357. श्री भर्तृहरि महताब :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 2006-07 के दौरान पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड के बेड़े की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान कौन सी नई हेलीकॉप्टर सेवाएं आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) से (ख) वर्ष 2006-07 के लिए स्वीकृत योजना के अनुसार, पवन हंस हेलीकाप्टर्स लि. को वर्ष 2006-07 के दौरान 2 नए मध्यम हेलीकाप्टर खरीदने हैं। तदनुसार, पवन हंस हेलीकाप्टर्स लि. ने मई 2006 में दो डॉल्फिन एन3 हेलीकाप्टरों की खरीद के लिए संविदा में हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) पवन हंस हेलीकाप्टर्स लि. ने नागालैंड, गुजरात तथा उत्तरांचल राज्य सरकारों को वेट लीज आधार पर अपने हेलीकाप्टरों को पट्टे पर देने की योजना बनाई है ताकि महत्वपूर्ण पर्यटन व धार्मिक स्थलों को जोड़ा जा सके।

**पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन विकास**

**2358. श्री सुब्रत बोस :**
**श्री मणी कुमार सुब्बा :**
**श्री मिलिन्द देवरा :**

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों ने पर्यटन में 10-15 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है;

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि में कौन से कारकों का योगदान है;

(ग) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2 बिलियन रुपये खर्च करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजन हेतु किन परियोजनाओं की पहचान की गई है; और

(ङ) पर्यटकों को पूर्वोत्तर राज्यो में आने के लिए आकर्षित करने में परिस्थितिकीय पर्यटन किस सीमा तक सफल रहा है?

**पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) :** (क) और (ख) पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन का विकास एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किए गए संवर्धनात्मक प्रयासों के परिणाम स्वरूप, पूर्वोत्तर राज्यों में, घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों के आगमनों की संख्या में वृद्धि हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटक आगमन की संख्या दर्शाता हुआ एक ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ग) से (ङ) पर्यटन के विकास एवं संवर्धन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की हैं तथापि, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार उन पर्यटन संबंधी परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को वित्तीय सहायता करता है, जिनका अभिनिर्धारण संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन के परामर्श से किया जाता है। वर्ष 2006-07 के लिए, पूर्वोत्तर राज्य हेतु अभिनिर्धारित परियोजनाएं दर्शाता हुआ एक ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के कुल योजना परिव्यय का न्यूनतम 10 प्रतिशत, पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन के विकास एवं संवर्धन के लिए चिन्हित है।

***विवरण-I***

*पूर्वोत्तर राज्यों में आने वाले पर्यटकों की संख्या*

| राज्य/संघ शासित | 2003 | | 2004 | | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्वदेशी | विदेशी | स्वदेशी | विदेशी | स्वदेशी | विदेशी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| अरुणाचल प्रदेश | 2195 | 123 | 4740 | 269 | 3005 | 289 |
| असम | 2156675 | 6610 | 2288093 | 7285 | 2467652 | 10782 |
| मणिपुर | 92923 | 257 | 93476 | 249 | 94299 | 316 |
| मेघालय | 371953 | 6304 | 433495 | 12407 | 375901 | 5099 |
| मिजोरम | 35129 | 279 | 38598 | 326 | 44715 | 273 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| नागालैंड | 5605 | 743 | 10056 | 1084 | 17470 | 883 |
| सिक्किम | 179661 | 11966 | 230719 | 14646 | 251744 | 16523 |
| त्रिपुरा | 257331 | 3196 | 260907 | 3171 | 216330 | 2677 |

**विवरण-II**

*पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य के लिए वर्ष 2006-07 के लिए प्राथमिकता प्रदत्त कार्यों की मदें*

| राज्य | कार्यों की मदें |
|---|---|
| 1 | 2 |
| असम | क) गंतव्य विकास के अंतर्गत<br>1. कामाख्या और हाजो का सैटेलाइट तीर्थ टाउनशिप<br>2. सिवसागर<br>3. गुवाहाटी के होटल ब्रहमपुत्र अशोक में वेलनेस एवं कंवेंशन सेंटर<br>ख) परिपथ विकास के अंतर्गत<br>1. ओरांग-तेसपुर-नामेरी-भालुकपोंग-त्वांग पर्यटक परिपथ<br>ग) मेले एवं उत्सव/कार्यक्रमों के अंतर्गत<br>1. रंगोली उत्सव<br>2. देहिंग-पटकई<br>3. चाय पर्यटन<br>4. काजीरंगा हाथी उत्सव<br>घ) ग्रामीण पर्यटनः<br>1. सिवसागर जिले में चारीदेव सुकाफा नगर<br>ड.) भारी राजस्व सृजकः कामाख्या हिल में रोपवे प्रोजेक्ट |
| अरुणाचल प्रदेश | क) गंतव्य विकास के अंतर्गत<br>1. लोहित जिले के परशुराम कुंड में सुविधाएं<br>2. डंबुक में हैरिटेज स्थल (स्टोन रामपार्ट) का नवीकरण एवं संरक्षण<br>ख) परिपथ विकास के अंतर्गत<br>1. तिनसुकिया (असम)- नामसई-तेजु-वालोंग-डोंगी<br>ग) मेले एवं उत्सव/कार्यक्रमों के अंतर्गत कार्यक्रम<br>1. अरुणाचल उत्सव-2006<br>2. सियांग नदी उत्सव<br>उत्सव :<br>1. न्योकुम/मोपिन उत्सव<br>2. बौद्ध महोत्सव<br>घ) ग्रामीण पर्यटन :<br>1. लिगू ग्राम, अपर सुबनसिरी जिला लिगू गांव, अपर सुबनसिरी जिला<br>2. सियांग जिले में इगो-काटो (निकटे) का ग्रामीण पर्यटन विकास<br>ङ) भारी राजस्व सृजक :<br>1. ईटानगर के गंगा लेख में साहसिक उपकरणों का विकास और उपलब्धता |
| मिजोरम | क) गंतव्य विकास के अंतर्गत<br>1. चलतलांग<br>2. चलफिल्ह<br>ख) परिपथ विकास के अंतर्गत<br>1. दक्षिणी हरांगचाकवान, तावीपुईज, लांगटलाई, साहिया, वामबुक, संगाऊ, एस. वनलाईफाई<br>2. पूर्वी-केट्टुम, एन. वनलाईफाई, पूर्वी लुंगदार, खाउबंग, फरकान, जोखावथार, हनहला<br>ग) मेले एवं उत्सव/कार्यक्रमों के अंतर्गत<br>1. चपचार कुट<br>2. थलफावांग कुट<br>3. प्रमुख कार्यक्रमों के रूप में अंथुरियम उत्सव |

| 1 | 2 |
|---|---|
| मेघालय | क) गंतव्य विकास के अंतर्गत |
| | 1. जोवाई के आस–पास गुफाओं का संरक्षण एवं विकास |
| | 2. तुरा |
| | ख) परिपथ विकास के अंतर्गत |
| | 1. विलियम नगर–जकरेम–जोवाई |
| | 2. शिलांग–चेरापूंजी जोवाई मावपलांग |
| | ग) मेले एवं उत्सव/कायक्रमों के अंतर्गत |
| | 1. शीत पर्यटन उत्सव |
| | 2. शिलांगशरद उत्सव |
| | 3. नांगक्रम उत्सव |
| | 4. वांगला उत्सव |
| मणिपुर | क) गंतव्य विकास के अंतर्गत |
| | 1. नोंग्मेचिंग (गोल्फ कोर्स के साथ ईको पार्क) |
| | 2. इम्फाल |
| | ख) परिपथ विकास के अंतर्गत |
| | 1. इम्फाल–विष्णुपुर–सैन्द्रा–चूड़ाचांदपुर |
| | ग) मेले एवं उत्सव कार्यक्रमों के अंतर्गत |
| | 1. मणिपुर पर्यटन उत्सव |
| | 2. मणिपुर पर्यटन मिलन |
| | 3. लुई–नगाई–नी उत्सव |
| | 4. कुट उत्सव |
| | घ) ग्रामीण पर्यटनः 1. इन्ड्रो, खोंगियम और नोन |
| नागालैंड | क) गंतव्य विकास के अंतर्गत |
| | 1. कोहिमा जिले में टूपहेमा पर्यटक यात्रा गंतव्य |
| | 2. जूनहेबोटो जिले में आइजूटो |
| | ख) परिपथ विकास के अंतर्गत |
| | 1. जूनहेबोटो तुएनसांग–कीफरी |
| | 2. गर्वनर का कैंप(वोखा)–नुई लैंड क्षेत्र (दीमापुर)–जलुकी (पेरेन) |
| | ग) मेले एवं उत्सव/कार्यक्रमों के अंतर्गत |
| | 1. टोकु ईमांग |
| | 2. मेटुमन्यू |
| | 3. हार्नबिल कार्यक्रम |
| | 4. कार्यक्रम–कल्चरल नाइट वैराइटी शो |
| | घ) भारी राजस्व सृजकः 1 गोल्फ कोर्स दीमापुर का विकास |
| सिक्किम | क) गंतव्य विकास के अंतर्गत |
| | 1. सरमसा में मनोरंजन पार्क का विकास |
| | ख) परिपथ विकास के अंतर्गत |
| | 1. सोरंग में तीर्थ केन्द्र |
| | 2. पूर्वी एवं पश्चिम सिक्किम के आरितार, फोडांग और मंगन में पर्यटक केन्द्रों का विकास |
| | ग) मेले एवं उत्सव/कायक्रमों के अंतर्गत |
| | 1. नामची उत्सव |
| | 2. गंगटोक शीत उत्सव |
| | 3. माघे मेला |
| | 4. अरितार मेला |
| | घ) ग्रामीण पर्यटन : 1. दक्षिणी सिक्किम में रौंग ग्राम |
| | ड़) भारी राजस्व सृजक : 1. तसोंगु लेख के चारों ओर रिक्रियेशन सेंटर |
| त्रिपुरा | क) गंतव्य विकास के अंतर्गत |
| | 1. चतुर्दशी देवता बारी |
| | ख) परिपथ विकास के अंतर्गत |
| | 1. उत्तर–पश्चिम त्रिपुरा परिपथ का विकास |
| | ग) मेले और उत्सव/कार्यक्रमों के अंतर्गत |
| | 1. नीरमहल उत्सव |

*[हिन्दी]*

**407 हेलिकॉप्टर का विनिर्माण करना**

**2359. श्री रशीद मसूद :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लि. और बी. ई. एल. ने 407 हेलिकॉप्टर का विनिर्माण (एसेम्बलिंग) कार्य शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अभी तक क्या सफलता हासिल की गई है;

(ग) क्या थलसेना ने उक्त हेलिकॉप्टर के लिए कोई क्रयादेश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)** : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापित, मैसर्स बी ई एल एल हेलिकाप्टर, यू एस ए के अनुरोध पर हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने भारत के ग्राहकों के लिए सद्भावना रूप में एक 407 हेलिकाप्टर को एसेम्बल किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**रेल परियोजनाओं के लिए ए डी बी द्वारा धनराशि**

**2360. श्री पी.सी. गद्दीगउडर :**
**श्री सुग्रीव सिंह :**
**श्री किसनभाई वी. पटेल :**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियाई विकास बैंक (ए डी बी) ने वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान कुछेक रेल परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की सहमति जताई है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनको पूरा करने के लिए लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;

(घ) ए डी बी द्वारा अभी तक कितनी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है; और

(ङ) रेलवे द्वारा ए डी बी के अतिरिक्त विभिन्न एजेंसियों से लिए गए ऋणों और विदेश से सहायता प्राप्त परियोजना का ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 2004-05 में ऋण करार पर हस्ताक्षर होने के बाद एशियन डेवेलपमेंट बैंक (ए डी बी) ने निम्नलिखित परियोजनाओं को वित्त पोषित करने की मंजूरी दी है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि नीचे दर्शाई गई है:

| राज्य | परियोजना | लक्ष्य |
|---|---|---|
| उड़ीसा | महानदी पर दूसरा पुल | मार्च, 2008 |
| उड़ीसा | रजतगढ़-बरांग दोहरीकरण | नवंबर, 2008 |
| उड़ीसा | कटक-बरांग दोहरीकरण | नवंबर, 2008 |
| उड़ीसा | बरांग-खुर्दा तीसरी लाइन | नवंबर, 2008 |
| छत्तीसगढ़ | भाटापारा-उरकुरा तीसरी लाइन | अक्तूबर, 2008 |
| आंध्र प्रदेश | गूटी-पुतलम्पेट दोहरीकरण | मार्च, 2009 |
| आंध्र प्रदेश | रायचुर-गुंतकत दोहरीकरण | मार्च, 2008 |
| उत्तर प्रदेश | अलीगढ़-गाजियाबाद तीसरी लाइन | जून, 2008 |
| तमिलनाडु | तीरूवल्लूर-आराकोण्णम तीसरी लाइन | मार्च, 2007 |

(घ) 296.6 मिलियन यू एस डालर के निवेश के साथ ए डी बी ने 313.6 मिलियन यू एस डालर का ऋण मंजूर किया है। रेल विकास निगम लिमिटेड (आर वी एन एल) जो उपरोक्त परियोजनाओं को निष्पादित करने वाली संस्था है, ने अब तक पूर्व तट रेलवे पर महानदी पर दूसरे पुल के निर्माण की परियोजना के लिए 15.79 करोड़ रु. की मांग की है।

(ङ) परियोजाएं जिनके लिए बाहरी सहायता और ए डी बी के अलावा विभिन्न संस्थाओं से ऋण लिये गये हैं, का विवरण निम्नानुसार है:

i) मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एम यू टी पी), जिसमें सड़क और रेल दोनों शामिल हैं, को अंशतः विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है। रेल घटक की अनुमानित लागत 3125 करोड़ रु. है 463 मिलियन यू एस डालर का ऋण इंटरनेशनल बैंक फॉर रीकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट द्वारा दिया गया है और विशेष आहरण अधिकार (एस डी आर) के तहत 62.5 मिलियन का क्रेडिट इंटरनेशनल डेवेलपमेंट ऐसोशियेशन द्वारा दिया गया।

i) गाजियाबाद और कानपुर के बीच सिंगनलिंग के आधुनिकीकरण की परियोजना को अंशतः क्रेडिटैंस्टलट फर बेइफबुआ (के एफ डब्ल्यू) जर्मनी द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। परियोजना की अनुमानित लागत 425 करोड़ रु. है। ऋण की रकम डी एम 185 मिलियन है (94.5 मिलियन यूरो)।

**छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन का आधुनिकीकरण**

**2361. श्री मोहन रावले :**
**श्री हरिभाऊ राठौड़ :**
**श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :**
**श्रीमती निवेदिता माने :**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी टर्मिनल

स्टेशन पर एक नए टर्मिनल की स्थापना के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**बौद्धों के लिए कल्याणकारी उपाय**

**2362. श्री कीरेन रिजीजू :** क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में बौद्धों के कल्याण के लिए कोई उपाय कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बौद्धों की जनसंख्या से संबंधी जनगणना के संबंध में कोई शिकायत मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

**अल्संख्यक मामले मंत्री (श्री ए. आर. अंतुले) :** (क) और (ख) सरकार ने हाल ही में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15-सूत्री कार्यक्रम घोषित किया है। इसमें शिक्षा के लिए अभिवृद्धित अवसरों, आय व रोजगार में समुचित हिस्सेदारी, अल्पसंख्यकों की जीवन दशाएं सुधारने और साम्प्रदायिक सौहार्द सुनिश्चित करने का उल्लेख है। जहां कहीं संभव हो, 15% लक्ष्य और परिव्यय अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम अल्पसंख्यकों को सावधि ऋण माइक्रो फाइनेसिंग, शिक्षा ऋण आदि के लिए रियायती दर पर ऋण प्रदान करता है। मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान भी अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक योजनाएं कार्यान्वित करता है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यकों में बौद्ध भी हैं और अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई कल्याणकारी योजना के लाभ उनके लिए भी उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**गुजरात में छात्रावास और रिहायशी विद्यालय**

**2363. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :**
**डा. वल्लभभाई कथीरिया :**
**श्री जसुभाई धानाभाई बारड :**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों और छात्राओं के लिए बाबू जगजीवन राम छात्रावासों और रिहायशी विद्यालयों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता के लिए गुजरात सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग)

**छात्राओं का छात्रावास**

मेहसाणा, जूनागढ़ और पोरबन्दर स्थित बाबू जगजीवन राम प्रतिष्ठान (राजकीय बालिका छात्रावास) में एक-एक छात्रावास के निर्माण के लिए प्रस्ताव गुजरात सरकार से 2005-06 के दौरान प्राप्त हुआ था, जिसमें से जूनागढ़ स्थित छात्रावास को समान केन्द्रीय सहायता 2005-06 के दौरान ही जारी कर दी गई थी क्योंकि दस्तावेज पूरे थे। शेष दो छात्रावासों के संबंध में आवश्यक दस्तावेज बाद में गुजरात सरकार से प्राप्त हुए हैं।

**छात्र छात्रावास**

बाबू जगजीवन राम प्रतिष्ठान (छात्रों के लिए आदर्श आवासीय विद्यालय), इदर, सावरकांठा में छात्रों के लिए छात्रावास के निर्माण का एक अधूरा प्रस्ताव गुजरात सरकार से 2005-06 के दौरान प्राप्त हुआ था। गुजरात सरकार से आवश्यक दस्तावेजों की प्रतीक्षा है।

*[हिन्दी]*

**प्राकृतिक गैस की दर**

**2364. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम को अपनी गैस को सस्ती दरों पर बेचने के लिए बाध्य किया जा रहा है और पन्ना, मुक्ता और ताप्ती तेल क्षेत्रों के तेल क्षेत्र प्रचालकों को बहुत अधिक मूल्य का भुगतान किया जा रहा है, जैसा कि दिनांक 27 जून, 2006 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गैस की किस स्वीकृति दर पर ओएनजीसी को अपनी गैस बेचने की अनुमति दी जा रही है;

(घ) पन्ना, मुक्ता और ताप्ती तेल क्षेत्रों के तेल क्षेत्र प्रचालक कौन–कौन हैं और उनका श्रृंखलावार ब्यौरा क्या है तथा इन प्रचालकों द्वारा क्या दरें प्राप्त की जा रही हैं; और

(ङ) ओएनजीसी और पन्ना, मुक्ता तथा ताप्ती के प्रचालकों की गैस की दरों में अंतर के क्या कारण हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) से (ग) जबकि, ओएनजीसी द्वारा, सरकार से नामांकन आधार पर इसे दिए गए क्षेत्रों से उत्पादित गैस के मूल्यों को सरकार द्वारा प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (एपीएम) के तहत निर्धारित किया जा रहा है, पन्ना, मुक्ता तथा ताप्ती संयुक्त उद्यम (पीएमटी जेवी) अपनी गैस की बिक्री बाजार की स्थितियों के अनुसार कर रहा है। जबकि विद्युत एवं उर्वरक क्षेत्रों के लिए एपीएम गैस का मूल्य 3200 रुपए प्रति हजार मानक घन मीटर (एमएससीएम) है, वहीं विद्युत एवं उर्वरक क्षेत्रों के अतिरिक्त एपीएम उपभोक्ताओं के लिए एपीएम का मूल्य 3840 रुपए प्रति हजार मानक घन मीटर (एमएससीएम) है।

(घ) और (ङ) पीएमटी जेवी में ओएनजीसी, रिलायंस उद्योग लिमिटेड तथा ब्रिटिश गैस 40:30:30 के अनुपात में शामिल हैं। पीएमटी जेवी 4.8 मिलियन मानक घन मीटर प्रति दिन (एमएमएससीएमडी) गैस सीधे अपने उपभोक्ताओं को और बाकी गैस 4.75 अमरीकी डालर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) की दर से गेल को बेचता है। ओएनजीसी के नामांकन आधार वाले क्षेत्रों से प्राप्त एपीएम गैस की तुलना में, पीएमटी जेवी से उत्पादित गैस को उत्पादन हिस्सेदारी संविदा की शर्तों पर प्रशासित किया जाता है।

**वाहन फैक्ट्री, जबलपुर में कार्यरत कर्मचारियों को आवास किराया भत्ता**

**2365. श्री राकेश सिंह : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाहन फैक्ट्री, जबलपुर में कार्यरत कर्मचारियों को सरकारी आवासों में रहने के लिए बाध्य किया जा रहा हे जिससे कि उन्हें आवास किराये भत्ते की हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में नीति/नियमों/विनियमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त नीति/नियमों/विनियमों में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह)** : (क) से (घ) आयुध निर्माणी संपदा में मकानों के आबंटन संबंधी सांविधिक कानूनी आदेश (एस आर ओ– 149) में यह व्यवस्था है कि एक स्टेशन, जहां पर विशेष रूप से आयुध निर्माणी के कर्मचारियों के लिए आवास बने हुए हैं, पर तैनात सभी कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी शुरू करने के एक माह के भीतर आवास आबंटित किए जाने हेतु आवेदन करना पड़ता है। इसके अलावा, जिस क्रमचारी को सरकारी मकान आबंटित किया जाता है, यदि वह उस आबंटन को स्वीकार नहीं करता है, अथवा वह आबंटित मकान को स्वीकार करने के बाद उस पर कब्जा नहीं करता है, तब वह सरकारी कर्मचारी मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

संगत सांविधिक कानूनी आदेश में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं चूकि मकान किराया भत्ता सरकारी आवास के एवज में दिया जाता है तथा विशेष रूप से आयुध निर्माणी के कर्मचारियों के लिए बनाए गए पर्याप्त संख्या में सरकारी आवास उपलब्ध हैं, इसलिए संगत सांविधिक कानूनी आदेश को संशोधित करना संभव नहीं होगा।

*[अनुवाद]*

**तेल और गैस अन्वेषण उद्यम**

**2366. श्री पी. सी. थामस : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न क्षेत्रों में चल तेल और गैस अन्वेषण उद्यम कौन–कौन से हैं और इस अन्वेषण में कौन–कौन सी एजेंसियां शामिल हैं;

(ख) क्या कुछेक अन्वेषण उद्यमों को बंद कर दिया गया है अथवा बीच में रोक दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) कोचीन हाई सहित कर्नाटक और केरल के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे अन्वेषण की स्थिति क्या है;

(ङ) क्या किसी भी अन्वेषण उद्यम के तहत तेल, गैस अथवा पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन शुरु हो गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) देश क तटीय तथा अपतटीय दोनों प्रकार के 18 बेसिनों में फैले 112 नामांकन अन्वेषण ब्लाकों तथा 46 नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन ई एल पी) अन्वेषण ब्लाकों में अन्वेषण कार्य कर रही है। ओ एन जी सी दो नामांकन ब्लाकों तथा सी बी एम दौरों के तहत प्रदान किए गए सात ब्लाकों में कोल बेड मिथेन (सी बी एम) के लिए भी अन्वेषण कार्य कर रही है।

आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल परिसंघ भागीदार के रूप में एन ई एल पी ब्लाकों में अन्वेषण कार्य कर रही है जबकि 6 एन ई एल पी ब्लाकों की प्रचालक ओ आई एल है।

ओ एन जी सी तथा ओ आई एल के अलावा, देश में तेल और गैस अन्वेषण कार्य में निम्नलिखित कंपनियां भी लगी हुई हैं–

| कंपनी | ब्लाकों की संख्या |
|---|---|
| आर आई एल | 34 (चौतीस) |
| कैर्न | 6 (छ) |
| जी एस पी सी | 5 (पांच) |
| एच ओ ई सी | 3 (तीन) |
| फोकस (पहले फीनिक्स) | 3 (तीन) |
| प्रीमियर आयल | 2 (दो) |
| एन्प्रो फाइनेंस | 2 (दो) |
| ओ ए ओ (गैजप्रोम) | 1 (एक) |
| कैनोरो | 1 (एक) |
| टुल्लो | 1 (एक) |
| एस्सार | 1 (एक) |
| जे ई पी एल | 2 (दो) |
| हार्डी | 2 (दो) |
| निको रिसोर्सेज लि. | 2 (दो) |
| जियो पेट्रोल | 1 (एक) |
| जियो ग्लोबल | 1 (एक) |

(ख) और (ग) जी, हां। पी एस सी में निर्धारित संविदा की शर्तों के अनुसार प्रचालक के पास अगले चरण में प्रवेश करने से पूर्व चरण–1 या चरण–2 कार्य की न्यूनतम कार्य बचनबद्धता को पूरा करने के बाद ब्लाक का अधित्याग/छोड़ देने का विकल्प है।

ओ आई एल ने कावेरी बेसिन में एन ई एल पी–1 के तहत प्रस्तावित सी वाई–ओ एस एन–97/2 ब्लाक में अन्वेषण कार्यों को छोड़ दिया है।

(घ) से (च) ओ एान जी सी ने केरल कोंकण बेसिन में कोचीन हाई सहित कर्नाटक तथा केरल तट के अपतटीय क्षेत्रों में अन्वेषण कार्य किया है। 1–4–2006 की स्थिति के अनुसार ओ एन जी सी ने केरल कोंकण अपतट में 114207 एल के एम (अथले जल में 49184 एल के तथा गहरे जल में 65023 एल के) द्विआयामी तथा 4260 वर्ग कि. मी. (उथले जल में 1423 वर्ग कि. मी. तथा गहरे जल में 2837 वर्ग कि. मी.) त्रिआयामी भूकंपीय आंकड़े किए हैं। ओ एन जी सी के पास इन राज्यों के तटीय क्षेत्र में कोई रकबा नहीं है। अभी तक इस क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन की कोई वाणिज्यिक खोज सिद्ध नहीं हुई है।

जहां तक पी एस सी व्यवस्था का संबंध है, कर्नाटक, केरल तथा कोचीन हाई में कोई अन्वेषी ब्लाक प्रदान नहीं किया गया है।

### सखालिन-I से कच्चा तेल

**2367. श्री बसुदेव आचार्य :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम लि. (ओ एन जी सी) की योजना सखालिन–I से भारत में कच्चा तेल लाने की है जैसा कि दिनांक 19 जुलाई, 2006 के "बिजनैस लाइन" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ओ एन जी सी ने अपतटीय कच्चे तेल की नीलामी के संबंध में सरकार को एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा कया कार्रवाई की गई है; और

(ङ) ओ एन जी सी और ओ एन जी विदेश लि. द्वारा विदेश से भारत में कितनी मात्रा में कच्चा तेल (इक्विटी तेल) लाया जा रहा है और देश में कच्चे तेल की कुल वार्षिक आवश्यकता में इसका प्रतिशत कितना है।

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :** (क) से (ख) ओ एन जी सी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, ओ एन जी सी विदेश लिमिटेड (ओ वी एल) की, अक्तूबर और दिसम्बर, 2006 में रूस की सखालिन–I परियोजना से कच्चे तेल की प्रथम दो खेपें, प्रत्येक खेप की क्षमता लगभग 700,000 बी बी एल, भारत लाने की योजना है।

(ग) और (घ) जी, हां। ओ एन जी सी द्वारा कच्चे तेल की नीलामी को सुकर बनाने के उद्देश्य से जवाहरद्वीप तथा अपतट पर ओ एन जी सी की उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं के ब्यौरों नामतः जेट्टी, एस बी एम तथा पाईपलाइनों का मूल्यांकन किया गया है।

(ङ) ओ वी एल द्वारा सूडान की जी एन ओ पी परियोजना से सूडान सरकार को लाभ तेल और देय करों के बाद अपने बिक्री योग्य हिस्से से भारत में कच्चे तेल की निम्नलिखित मात्रा लाई गई है–

| वर्ष | ओ वी एल के बिक्री योग्य हिस्से में से भारत लाई गई मात्रा (टी एम टी) | देश में संसाधित कच्चे तेल की मात्रा (टी एम टी) | संसाधित कच्चे तेल की कुल मात्रा में से हिस्सा (%) |
|---|---|---|---|
| 2003–04 | 818 | 118678 | 0.69 |
| 2004–05 | 333 | 1243402 | 0.27 |
| 2005–06 | 256 | 126986 | 0.20 |

टी एम टी– हजार मीट्रिक टन।

### कोलकाता में मेट्रो रेल

**2368. श्री रूपचन्द मुर्मू :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हावड़ा और कोलकाता को गंगा नदी के नीचे मेट्रो रेल द्वारा जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस मेट्रो रेल पर प्रति किलोमीटर होने वाले व्यय सहित कुल व्यय कितना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) जी, नहीं। (ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

### कर्नाटक में रेलवे का विकास

**2369. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को राज्य में रेलवे के विकास के संबंध में कर्नाटक सरकार और आम जनता से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक प्रस्ताव के संबंध में रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) से (ग) प्राप्त प्रत्येक मांग का ब्यौरा नहीं रखा जाता है। फिर भी उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, कर्नाटक राज्य में रेल नेटवर्क के विकास के लिए कर्नाटक सरकार तथा माननीय संसद सदस्यों से प्राप्त प्रस्ताव तथा उन पर की गई कार्रवाई निम्नलिखत है:–

| क्र. सं. | प्रस्ताव | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|
| 1. | तालगुप्पा–होन्नावर नयी लाइन | सर्वेक्षण शुरू किया गया है। |
| 2. | चित्रदुर्ग–जगलौर–कोट्टूर नयी लाइन | सर्वेक्षण शुरू किया गया है। |
| 3. | रायदुर्ग–तुमकुर नयी लाइन | सर्वेक्षण पूरा हो गया है और क्षेत्रीय रेलवे में सर्वेक्षण रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। |
| 4. | बगलकोट–कुदाच्छी | सर्वेक्षण शुरू किया गया है। |
| 5. | मैसूर–रामनगरम दोहरीकरण | सर्वेक्षण को अद्यतन किया जा रहा है। |

### खाड़ी देशों और केरल के बीच विमान भाड़ा

**2370. श्री एस. अजय कुमार :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार खाड़ी देशों और केरल के बीच विमान भाड़े में राजसहायता देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) जी, नहीं। (ख) प्रश्न नहीं उठता।

### होस्पेट-हुबली वास्को रेल लाइन का दोहरीकरण

**2371. श्री के. विरूपाक्षप्पा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे होस्पेट–हुबली वास्को रेल लाइन का दोहरीकरण कर रही है;

(ख) उक्त परियोजना पर कार्य कब से शुरू हुआ है;

(ग) इस परियोजना पर अभी तक कुल कितना व्यय हुआ है; और

(घ) इस कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) होस्पेट–वास्कोडिगामा रेल लाइन पर, धारवाड़–कम्बारगनवी और हुबली–हेबसर के कहीं–कहीं दोहरीकरण को 206–07 के पूरक बजट में शामिल कर लिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

*[हिन्दी]*

### खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं

**2372. श्री मुन्शी राम :**
**श्री कुलदीप बिश्नोई :**
**श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :**
**श्री मो. ताहिर :**
**श्री शिशुपाल पटले :**
**प्रो. महादेवराव शिवनकर :**
**श्री अशोक कुमार रावत :**

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में राज्य–वार कितनी खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सहायता से स्थापित की गई खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार को खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए राज्य सरकारों और अन्य संगठनों से वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय)** : (क) से (ङ) अनुमान हे कि देश में लगभग 280 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में कार्यरत हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीम के तहत विभिन्न पणधारियों यानी केंद्रीय/राज्य सरकार के संगठनों, आई आई टी, विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र के संगठनों को खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता देता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने अपनी योजना स्कीम के तहत अब तक 29 संगठनों को सहायता दी है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से सहायता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की राज्य–वार कुल संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण–I पर दिया गया है। राज्य–वार गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से सहायता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण–II पर दिया गया है।

***विवरण-I***

*खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की राज्यवार संख्या*

| क्रम संख्या | राज्य का नाम | खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं |
|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 3 |
| 2. | असम | 1 |
| 3. | दिल्ली | 4 |
| 4. | गुजरात | 2 |
| 5. | हरियाणा | 1 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | – |
| 7. | जम्मू–कश्मीर | 1 |
| 8. | झारखंड | 1 |
| 9. | कर्नाटक | 2 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 1 |
| 11. | महाराष्ट्र | 1 |
| 12. | पंजाब | 2 |
| 13. | तमिलनाडु | 2 |
| 14. | उत्तर प्रदेश | 4 |
| 15. | उत्तरांचल | 1 |
| 16. | पश्चिम बंगाल | 3 |
| | कुल | 29 |

***विवरण-II***

*खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए गत तीन वर्षों यानी 2003–04, 2004–05 और 2005–06 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा राज्यवार दी गई वित्तीय सहायता*

| क्रम सं. | राज्य/संघ शासित प्रदेश | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 | कुल सहायता अनुदान (लाख रु. में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | – | – | – | – |
| 2. | आंध्र प्रदेश | – | – | 175.19 | 175.19 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | – | – | – | – |
| 4. | असम | – | – | 245.50 | 245.50 |
| 5. | बिहार | – | – | – | – |
| 6. | चंडीगढ़ | – | – | – | – |
| 7. | छत्तीसगढ़ | – | – | – | – |
| 8. | दादरा और नगर हवेली | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | दमन और दीव | – | – | – | – |
| 10. | दिल्ली | – | 11.25 | 37.86 | 49.11 |
| 11. | गोवा | – | – | – | – |
| 12. | गुजरात | – | – | 137.40 | 137.40 |
| 13. | हरियाणा | – | – | – | – |
| 14. | हिमाचल प्रदेश | – | – | – | – |
| 15. | जम्मू–कश्मीर | – | – | – | – |
| 16. | झारखंड | – | 25.00 | – | 25.00 |
| 17. | कर्नाटक | – | – | – | – |
| 18. | केरल | – | – | – | – |
| 19. | लक्षद्वीप | – | – | – | – |
| 20. | मध्य प्रदेश | – | – | 14.85 | 14.85 |
| 21. | महाराष्ट्र | – | – | – | – |
| 22. | मणिपुर | – | – | – | – |
| 23. | मेघालय | – | – | – | – |
| 24. | मिजोरम | – | – | – | – |
| 25. | नागालैंड | – | – | – | – |
| 26. | उड़ीसा | – | – | – | – |
| 27. | पांडिचेरी | – | – | – | – |
| 28. | पंजाब | – | – | 71.57 | 71.57 |
| 29. | राजस्थान | – | – | – | – |
| 30. | सिक्किम | – | – | – | – |
| 31. | तमिलनाडु | – | – | 130.84 | 130.84 |
| 32. | त्रिपुरा | – | – | – | – |
| 33. | उत्तर प्रदेश | – | – | – | – |
| 34. | उत्तरांचल | – | – | – | – |
| 35. | पश्चिम बंगाल | – | – | 145.85 | 145.85 |

*[अनुवाद]*

**कडापा विमानपत्तन**

**2373. श्री ए. साई प्रताप :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश में कडापा विमानपत्तन विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) इस कार्य को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का कडप्पा हवाईअड्डे के और अधिक विकास करने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि इस किसी भी एयरलाइन से इस हवाईअड्डे में अनुसूचित उड़ानें प्रचालित करने की कोई मांग नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

*[हिन्दी]*

**एचएमटी का पुनरुद्धार**

**2374. श्री चंद्रकांत खैरे :** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एचएमटी) की सभी इकाइयां गत कुछेक वर्षों से हानि उठा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष हुई हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान एचएमटी को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) एचएमटी के पुनरुद्धार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) :** (क) और (ख) विगत कुछेक वर्षों से एचएमटी समूह की अधिकांश कंपनियां हानि उठा रही हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान एचएमटी लि. तथा उसकी सहायिकाओं के लाभ/हानि का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

(करोड़ रु. में)

| कम्पनी का नाम | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 |
|---|---|---|---|
| एचएमटी लि. | –7.19 | 18.50 | 12.74 |
| एचएमटी (इन्टरनेशनल) लि. | 0.13 | 0.07 | 0.23* |
| एचएमटी मशीन टूल्स लि. | –119.08 | –73.80 | –13.59* |
| एचएमटी वाचेज लि. | –134.81 | –73.80 | –74.71* |
| एचएमटी चिनार वाचेज लि. | –21.92 | –25.23 | –29.08* |
| एचएमटी बेयरिंग्स लि. | –9.58 | –10.38 | –0.65 |
| प्रागा टूल्स लि. | 16.04 | –34.39 | –7.02* |

*अनंतिम – लेखा परीक्षा से संबंधित

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान एचएमटी लि. और उसकी सहायिकाओं को भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

| वर्ष | करोड़ रुपये में |
|---|---|
| 2003–04 | 226.34 |
| 2004–05 | 162.70 |
| 2005–06 | 129.56 |

(घ) एचएमटी लि. और उसकी सहायिकाओं ने असंगठित तथा उर्ध्वस्थ एकीकृत विनिर्माणकारी सुविधाएं, जनशक्ति की उच्च लागत के साथ–साथ प्राप्त किये गये कारोबार का स्तर, उत्पाद तथा प्रक्रिया की बाध्यतायें, ऋण के उच्च स्तर के कारण उच्च प्रचालनरत लागत से संबंधित विशेष मामलों का पता लगाने के लिए एचएमटी लि. ने विस्तृत पुनरुद्धार/पुनर्संरचना योजनायें बनायी हैं। प्रस्तावित पुनरुद्धार/पुनर्संरचना योजनाओं का उद्देश्य संगठनात्मक वित्तीय पुनर्संरचना, जनशक्ति यौक्तिकरण, संयंत्र तथा मशीनरी इत्यादि का उन्नयन और सुविख्यात विदेशी विनिर्माताओं से भागीदारी के माध्यम से उपरोक्त मामलो का पता लगाना है। एचएमटी समूह रुकी कंपनियों की पुनरुद्धार योजनाएं सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर विचारार्थ हैं जहां सरकार द्वारा योजनाएं अनुमोदित हो गयी हैं वे कार्यान्वयनाधीन हैं।

*[अनुवाद]*

**नेऊरा-शेखपुरा ब्लॉक में रेल लाइन का निर्माण**

**2375. श्री विजय कृष्ण :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को जानकारी है कि दानापुर रेलवे जोन के

अंतर्गत मध्य पूर्व रेलवे के नेऊरा–शेखपुरा खंड में रेल लाइन के निर्माण की प्रगति बहुत धीमी है, जिसके परिणामस्वरूप जनता में रोष व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे का विचार रेल लाइन से जुड़े महत्व को देखते हुए इसके शीघ्रातिशीघ्र त्वरित निर्माण के लिए अपेक्षित धनराशि उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) से (ग) फतुहा–इस्लाम पुर और नेऊरा–शेखपुरा (171.5 कि.मी.) नई लाइन 406.92 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर एक चालू परियोजना है। फतुहा–इस्लामपुर का भाग पूरा हो गया है। इस कार्य को कोटि IV में प्राथमिकता दी गई है और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति पर है। 2006–07 के दौरान, इस कार्य के लिए 5 करोड़ रु. का परिव्यय मुहैया कराया गया है।

*[हिन्दी]*

### कोयले की चोरी

**2376. कुंवर मानवेन्द्र सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने गंतव्य तक कोयले की ढुलाई के दौरान उसकी चोरी के कारण हुए नुकसान का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे मामलों में रेलवे के कर्मचारियों तथा रेलवे सुरक्षा बल के कार्मिकों को लिप्त पाया गया है;

(घ) यदि हां, तो उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) इस प्रकार के नुकसान को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

### आयुध कारखानों में उत्पादन

**2377. श्री एम. अंजनकुमार यादव** :

**श्री सुनिल कुमार महतो** :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की रक्षा सेनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद आयुध कारखानों के उत्पाद को बाजारोन्मुख बनाने के लिए कोई प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह)** : (क) जी, हां। रक्षा सेनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, आयुध निर्माणियां, उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करके सिविलियन ग्राहकों के साथ–साथ निर्यात के लिए अपने उत्पादों की आपूर्ति कर रही है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान रक्षा और गैर–रक्षा क्षेत्र को की गई आपूर्ति का मूल्य इस प्रकार है :–

(करोड़ रुपए में)

| वर्ष | रक्षा सेवाएं | गैर–रक्षा क्षेत्र | योग |
|---|---|---|---|
| 2003–04 | 5547 | 977 | 6524 |
| 2004–05 | 5209 | 978 | 6187 |
| 2005–06 | 5621 | 1251 | 6872 |

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

### महाराष्ट्र में रेल परियोजनाओं हेतु धनराशि

**2378. श्री हरिभाऊ राठौड़** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में चल रही रेल परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) चल रही परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) से (ग) महाराष्ट्र में विभिन्न परियोजनाओं के लिए धन आबंटन राज्यवार फार्मूले और परियोजनाओं की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। पिछले तीन वर्षों में महाराष्ट्र में आंशिक/पूर्णतः आने वाली विभिन्न परियोजनाओं के लिए धन का आबंटन निम्नानुसार है :

| | |
|---|---|
| 2003–04 | 482.00 करोड़ रु. |
| 2004–05 | 38.00 करोड़ रु. |
| 2005–06 | 25.00 करोड़ रु. |

(घ) चालू परियोजनाओं को शीघ्रतापूर्वक करने के लिए अतिरिक्त संसाधन सृजित करने हेतु कई नए कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे इन परियोजनाओं के वित्त पोषण में भागीदारी करें।

*[हिन्दी]*

**छत्तीसगढ़ में बायो-डीजल आधारित रेलगाड़ियां**

**2379. श्री पुन्नूलाल मोहले :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने छत्तीसगढ़ में बायो–डीजल आधारित रेलगाड़ियां शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या बायो–डीजल से चल रही रेलगाड़ियों का छत्तीसगढ़ से अन्य राज्यों में विस्तार का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य के सभी भागों में बायो–डीजल से रेलगाड़ियां चलाने की योजना है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस कारण होने वाली बचत का आकलन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) जी हां। रायपुर–धामतरी छोटी लाइन खण्ड के बीच 21.07.2006 से परीक्षण के आधार पर दो नामित रेल इंजन उच्च गति वाले डीजल को 5% बायो–डीजल के सम्मिश्रण से दो अलग–अलग छोटी लाइन की रेलगाड़ियां चला रहे हैं।

(ख) बायो–डीजल का व्यापक उपयोग उपरोक्त उल्लिखित सीमित परीक्षण के परिणामों तथा बायो–डीजल की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अभी तक इस प्रकार का कोई मूल्यनिर्धारण नहीं किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य वृद्धि के कारण हुई हानि**

**2380. श्री धनुषकोडी आर. अतिथन :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में लगातार वृद्धि/उतार चढ़ाव के कारण भारत को काफी हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों पर आयात शुल्क से सरकार को कुल कितनी आय हुई है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :** (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान तथा वर्ष 2006–07 की प्रथम तिमाही (अप्रैल–जून) के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पी एस यू) की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) का करोपरांत लाभ (पी ए टी) नीचे दिया गया है –

(रुपए करोड़ में)

| ओ एम सीज | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 | 2006–07 (अप्रैल–जून) |
|---|---|---|---|---|
| आई ओ सी एल | 7005 | 4891 | 4915 | 1780.52 # |
| बी पी सी | 1695 | 966 | 130* | (677.30) |
| एच पी सी | 1904 | 1277 | 406 | (607.67) |
| आई बी पी | 215 | 59 | 12 | (458.70) |

* गैर लेखा परीक्षित

# यह आई ओ सी का अप्रैल–जून, 2006 अवधि के लिए करोपरांत लाभ दर्शाता है। तथापि, इसमें 3224.78 करोड़ रुपए के शेयरों की बिक्री से होने वाला लाभ शामिल है। अतः इस मद से पूर्व करोपरांत लाभ/(हानि) (1444.26) रुपए होगी।

(ग) तेल कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर लिए गए सीमा शुल्क से सरकार की आय निम्नानुसार है –

| वर्ष | राशि (रुपए करोड़ में) |
|---|---|
| 2003–04 | 9,552 |
| 2004–05 | 11,697 |
| 2005–06 (अनन्तिम) | 8,935 |

**लक्षद्वीप में विमानपत्तनों का निर्माण**

**2381. डा. पी.पी. कोया :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लक्षद्वीप में अगाती द्वीप पर विमानपत्तन के उन्नयन तथा विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लक्षद्वीप के मिनीकोया, कलपेनी तथा कदमत जैसे दूर–दराज के द्वीपों पर नए विमानपत्तनों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) और (ख) जी, हां। अगाती हवाईअड्डे का लक्षद्वीप प्रशासन की सहायता से एटीआर 72 प्रकार के विमान के प्रचालन हेतु ग्रेडोन्नयन करने का प्रस्ताव है।

(ग) से (ङ) इन द्वीपों पर नए हवाईअड्डों के निर्माण का भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**एल.टी.सी. पैकेज में वरिष्ठ नागरिकों को रियायत**

**2382. प्रो महादेवराव शिवनकर :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने अप्रैल, 2006 के माह से कश्मीर (श्रीनगर) के लिए किसी एलटीसी पैकेज की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इंडियन एयरलाइंस ने उक्त पैकेज में वरिष्ठ नागरिकों को 50 प्रतिशत रियायत पर टिकट दिए थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) राष्ट्रीय विमान कंपनियों द्वारा समय–समय पर घोषित पैकेजों में वरिष्ठ नागरिकों को 50 प्रतिशत पर टिकट प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) जी, नहीं। इंडियन एयरलाइंस द्वारा श्रीनगर के लिए ऑफर किए गए पैकेज एल टी सी के लाभान्वितों के लिए विनिर्दिष्ट नहीं हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) इंडियन एयरलाइंस वरिष्ठ नागरिकों को रियायतें केवल सामान्य किरायों में ऑफर करती है, न कि पैकेज योजनाओं में। ऑफर किए गए पैकेज में, हवाईभाड़े के अतिरिक्त, होटल आवास की लागत, दृश्यावलोकन तथा अन्य सुविधाएं शामिल हैं, जिनकी लागत पैकेज की कीमत के भीतर इंडियन एयरलाइंस द्वारा वहन की जाती है। वरिष्ठ नागरिकों को किराए में दी जाने वाली किसी भी छूट से ये पैकेज इंडियन एयरलाइंस के लिए व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य हो जाएंगे।

**सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों का पुनर्गठन**

**2383. श्री सर्वे सत्यनारायण :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को अधिक पेशेवर बनाने तथा उन्हें वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए उनका पुनर्गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :** (क) डा. वी. कृष्णामूर्ति की अध्यक्षता में ऊर्जा में सहक्रिया संबंधी सलाहकार समिति ने संरचनात्मक परिवर्तनों तथा नीति पर सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है तथा सार्वजनिक क्षेत्र में तेल कंपनियों के उन्नत कार्य निष्पादन के लिए कतिपय प्रबंधन समाधानों का भी सुझाव दिया है।

(ख) सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

**ऑटोमोबाइल क्षेत्र में निवेश**

**2384. श्री जी. करुणाकर रेड्डी :** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उन्नयन/परीक्षण सुविधाओं हेतु 1500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कर्नाटक सहित किन–किन स्थानों पर परीक्षण सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव है तथा इनको चालू करने की समय–सीमा क्या है?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) :** (क) सरकार ने देश में परीक्षण, होमोलोगेशन और प्रमाणन के लिए विश्वस्तरीय अवसंरचना का सृजन करने हेतु 1718 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से जुलाई, 2005 में "राष्ट्रीय मोटर वाहन परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप)" की मंजूरी दे दी है।

(ख) और (ग) नैट्रिप के तहत, मनेसर (हरियाणा), पूना और

अहमदनगर (महाराष्ट्र) तथा चेन्नई (तमिलनाडु) में परीक्षण, प्रमाणन और समरूप (होमोलोगेशन) सुविधाएं सृजित की जाएंगी। इस परियोजना के तहत इंदौर (मध्य प्रदेश) में प्रूविंग ग्राउण्ड सुविधाओं के साथ–साथ सिल्चर (असम) में एक विशिष्टिकृत हिल एरिया ड्राइविंग एवं प्रशिक्षण केन्द्र और रायबरेली (उत्तर प्रदेश) में ऑफ रोड वाहन परीक्षण सुविधा की स्थापना की जा रही है। इस परियोजना के वर्ष 2011 तक पूरा होने की संभावना है। नैट्रिप के तहत कर्नाटक में परीक्षण सुविधा की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*[हिन्दी]*

**केलझर स्टेशन पर भीड़ का हमला**

**2385. श्री सुबोध मोहिते :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चंद्रपुर जिले के केलझर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ ने हमला करके उसे जला दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें जान–मान की कितनी हानि हुई;

(ग) क्या रेलवे द्वारा इस घटना के संबंध में किसी जांच के आदेश दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसका क्या परिणाम निकला;

(ङ) रेलवे द्वारा दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/की जाएगी; और

(च) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) से (घ) जी हां। 01.06.2005 को, 21.42 बजे नागपुर मंडल के केलझर स्टेशन से एक माल गाड़ी गुजरी थी और इंजन में खराबी के कारण केलझर और चांदाफोर्ट स्टेशनों के बीच किमी. सं. 1220/7–13 पर रुकी। गाड़ी के चालक द्वारा उप स्टेशन अधीक्षक/केलझर और खंड नियंत्रक/नागपुर को मामले की सूचना दी गई थी इसी दौरान, एक पैसेंजर गाड़ी सं. 4 जी सी 22.15 बजे केलझर स्टेशन पर पहुंची। खंड नियंत्रक/नागपुर, उप स्टेशन अधीक्षक/केलझर के अनुसार खंड को क्लीयर करने के लिए गाड़ी सं. 4 जी सी के इंजन को उक्त माल गाड़ी से जोड़ा गया था। माल गाड़ी चांदाफोर्ट पर 23.50 बजे पहुंची थी और गाड़ी सं. 4 जी सी केलझर स्टेशन पर 3.35 घंटे तक खड़ी रही थी। खड़ी हुई गाड़ी के यात्री आंदोलन करने लगे, टिकट खिड़की को लूटा, स्टेशन भवन को आग लगा दी और सिग्नल प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को तोड़ा और उप स्टेशन अधीक्षक/केलझर को भी पीटा। कोई घायल नहीं हुआ। मंडल रेल प्रबंधक/नागपुर, मंडल सुरक्षा आयुक्त/रेलवे संरक्षा बल/नागपुर, वरिष्ठ मंडल सिगनल एंव दूर संचार इंजीनियर/नागपुर, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा अधिकारी/नागपुर और मंडल वाणिज्य प्रबंधक/नागपुर द्वारा स्थल की जांच की गई थी। उन्होंने रेलवे परिसंपत्ति को हुई कुल हानि का मूल्यांकन किया जो लगभग 2 लाख रु. है।

(ङ) और (च) सूचना के प्राप्त होने पर मुल्मोअरोरा की लोकल पुलिस ब्रह्मपुरी/उप अधीक्षक पुलिस और राजकीय रेल पुलिस/इतवारी मौके पर पहुंची तथा हालातों पर काबू पाया। डी एस पी/केलझर की शिकायत पर जी आर पी स्टेशन/इतवारी पर संपत्ति क्षतिग्रस्त अधिनियम की धारा 03 तथा रेल अधिनियम की धारा 151 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 147, 149, 353, 436 के अंतर्गत 02.06. 2006 की आपराधिक मामला सं. 09/2006 दर्ज किया गया। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

ऐसी हालातों को संभालने के लिए रेलकर्मियों खास तौर पर स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षकों इत्यादि के बातचीत के तरीकों को सुधारने के लिए संरक्षा सेमिनारों का आयोजन किया जा रहा है।

*[अनुवाद]*

**पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास एवं वित्त निगम को धनराशि**

**2386. श्री रनेन बर्मन :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006–07 के लिए पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास एवं निगम को कितनी धनराशि स्वीकृत की है;

(ख) क्या इसे स्वीकृत धनराशि के बारे में राज्य की एजेंसियों तथा केन्द्र सरकार के बीच कोई विवाद है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) :** (क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति और जन जाति विकास एवं वित्त निगम को 4.51 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

## केन्द्रीय पुरातात्विक केन्द्रों का रखरखाव

**2387. श्री प्रहलाद जोशी :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के केन्द्रीय पुरातात्विक केन्द्रों के रखरखाव हेतु धनराशि में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास देश में ऐतिहासिक महत्व के नये स्थलों का पता लगाने के लिए कोई विशेष सर्वेक्षण अभियान चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) :** (क) और (ख) सरकार ने संरक्षित पुरातत्वीय स्मारकों और स्थलों के संरक्षण तथा अनुरक्षण के लिए बजट प्रावधान में वृद्धि की है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के लिए आबंटन निम्न प्रकार हैं :–

*भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का बजट आबंटन (बजट अनुमान)*

(रुपए लाखों में)

| वर्ष | योजना | गैर–योजना | कुल |
|---|---|---|---|
| 2003–04 | 4550.00 | 16565.00 | 21115.00 |
| 2004–05 | 7000.00 | 17030.00 | 24030.00 |
| 2005–06 | 8000.00 | 17100.00 | 25100.00 |
| 2006–07 | 7500.00 | 17700.00 | 25200.00 |

(ग) और (घ) देश में ऐतिहासिक महत्व के नए स्थानों की पहचान करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*[हिन्दी]*

## गुजरात की रेल परियोजनाएं

**2388. श्री हरिसिंह चावडा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में लंबित तथा अधूरी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बजट में उक्त परियोजनाओं के लिए परियोजनावार कितनी धनराशि प्रदान की गई तथा इसके लिए कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) कितनी परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं तथा उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप रेलवे को क्या सफलता प्राप्त हुई है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) और (ख) 2006–07 के दौरान मुहैया कराया गया परिव्यय और विगत तीन वर्षों के दौरान किये गये खर्च के साथ–साथ गुजरात राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली चालू परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)

| क्र.सं. | परियोजना | 2006–07 के दौरान परिव्यय | विगत तीन वर्षों के दौरान खर्च | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **नई लाइन** | | | | |
| 1. | गांधीनगर–अदरेज | 8 | 27.77 | कलोल–अदरेज मोती आमान परिवर्तन का कार्य पूरा हो गया है और गांधी नगर–अदरेज मोती नई लाइन को 2006–07 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। |
| 2. | गोधरा–इंदौर और देवास–मक्सी | 10 | – | देवास–मक्सी नई लाइन पर कार्य शुरू हो गया है। |
| **आमान परिवर्तन** | | | | |
| 1. | भिलडी–समदड़ी | 115 | 7.55 | |
| 2. | भरूच–सामनी–दाहेज | 10 | 0 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | प्रतापनगर–छोटा उदयपुर | 33.91 | 1.33 | – |
| 4. | गांधीधाम–पालनपुर | 65 | 199.6 | पालनपुर–समखियाली पर कार्य पूरा हो गया है और गांधीधाम–समखियाली को 2006–07 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। |
| 5. | वेराकल से सोमनाथ तक नई लाइन के साथ राजकोट–वेरावल, वांसजलिया–जेतलसर | 9.84 | 114.41 | राजकोट–वेरावल आमान परिवर्तन का कार्य पूरा हो गया है और वेरावल–सोमनाथ नई लाइन को 2006–07 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। |
| 6. | भिलडी–मारवाड़–अहमदाबाद | 5 | 82.35 | वीरमगांव–महेसाणा पर कार्य पूरा हो गया है। |
| 7. | फुलेरा–मारवाड़–अहमदाबाद | 5 | – | मुख्य लाइन का कार्य पूरा हो गया है। |
| | **दोहरीकरण** | | | |
| 1. | सूरत–कोसम्बा | 0.1 | 0.004 | – |

(ग) से (ङ) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार परियोजना प्रगति में है। बहरहाल, चालू परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए संसाधनों का आवर्धन करने के लिए बहुत–से कदम उठाए गए हैं। इनमें राज्य सरकार द्वारा साझेदारी, सार्वजनिक/निजी भागीदारी, रक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तपोषण, राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन और राष्ट्रीय रेल विकास योजना के लिए गैर–बजटीय उपाय शामिल हैं।

**जाली निःशक्तता प्रमाण-पत्रों पर लोगों की यात्रा**

**2389. श्री गणेश सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निशक्तता प्रमाण–पत्रों की वास्तविकता का पता लगाने के लिए रेलवे द्वारा क्या पद्धति/प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ख) क्या रेलवे को जाली निशक्तता प्रमाण–पत्र पर लोगों के यात्रा करने की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान विशेषकर जबलपुर मंडल से सामने आए ऐसे मामलों की जोन/मंडलवार संख्या कितनी है;

(घ) इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए रेलवे द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) अशक्त व्यक्तियों के लिए रेलवे छूट देने के प्रयोजनार्थ सरकारी डाक्टर द्वारा हस्ताक्षरित और मुहर जिसमें पूरा नाम और डाक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया हो, जारी निर्धारित प्रोफार्मा में प्रमाण पत्र ही स्वीकृत होंगे। छूट का लाभ लेने वाले व्यक्ति की फोटो पर हस्ताक्षर और मुहर इस प्रकार से होने चाहिए कि डाक्टर के हस्ताक्षर और मुहर अंशतः फोटो पर और अंशतः फॉर्म पर हो। छूट प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि स्वीकृत की जाएगी। रियायती टिकट जारी करने के समय सत्यापन हेतु मूल प्रमाण पत्र देखा जाएगा।

(ख) जी हां। नकली अशक्तता प्रमाण पत्र पर यात्रा करने के कुछ मामले सामने आये हैं।

(ग) इस प्रकार की अनियमितताओं का अलग से डाटा नहीं रखा जाता। बहरहाल, चालू वर्ष में जबलपुर मंडल में इस प्रकार का कोई मामला नहीं देखा गया।

(घ) जब कभी इस प्रकार के मामले सामने आते हैं तो आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित प्राधिकारी को इसकी सूचना दी जाती है।

(ङ) इस प्रकार के मामलों पर नजर रखने के लिए कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं।

*[अनुवाद]*

**पहियों का आयात**

**2390. श्रीमती जयप्रदा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहियों का आयात करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में पहियों का उत्पादन करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) जी हां।

(ख) भारतीय रेलवे की पहियों के लिए कुल वार्षिक आवश्यकता लगभग 24,000 अदद हैं। दो स्वदेशी स्रोतों, रेल पहिया कारखाना, बैंगलूरू और स्टील अथॉर्टी ऑफ इंडिया लिमिटेड (दुर्गापुर स्टील प्लांट), की कुल निर्माण 2,00,000 पहिया है। सिर्फ कुछ कमी जो लगभग 4,0000 अदद पहिया है, का आयात किया जा रहा है। उच्च अश्वशक्ति इंजन और उच्च गति सवारी डिब्बों आदि के लिए पहिया जिनके लिए मांग कम होती है, का आयात किया जाता है। क्योंकि इतनी कम संख्या में इनका स्वदेशी उत्पादन अर्थक्षम नहीं है। इस प्रकार आयात का कारण क्षमता में कमी और विशेष प्रकार के पहियों की मांग है।

(ग) बिहार, छपरा में एक नई पहिया विनिर्माण फैक्टरी मंजूरी की गई है और परियोजना को जनवरी 2010 तक पूरा करने की योजना है। यह, रेल पहिया फैक्टरी बैंगलूरू और दुर्गापुर स्टील प्लांट की देश में उपलब्ध उत्पादन क्षमता में सहयोग करेगा।

विशेष प्रकार के पहियों को स्वदेशी विकास भी शुरू किया गया है और मांग में वृद्धि के साथ-साथ उत्पादन बढ़ाया जाएगा।

**पायलटों तथा इंडियन एयरलाइंस के बीच समझौता**

**2391. श्री असादूद्दीन ओवेसी :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के पायलट अपनी उड़ान तथा ड्यूटी समय-सीमा (एफडीटीएल) के भीतर ही चौथी लैंडिंग के लिए सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो पायलटों तथा इंडियन एयरलाइंस के बीच क्या विस्तृत समझौता हुआ है;

(ग) क्या इस चौथी लैंडिग तथा अतिरिक्त कार्य समय के लिए पायलटों को और परिलब्धियों का भगुतान किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पायलटों के लंबी कार्यावधि को ध्यान में रखते हुए उड़ान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) और (ख) भारतीय वाणिज्यिक पायलट संगठन (आईसीपीए) के साथ दिनांक 18.6.2006 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जिसके अन्तर्गत ए-319/ए-320 प्रकार के विमान के प्रचालन के दौरान पायलट द्वारा 4 अवतरण किए जाने पर आईसीपीए सहमत हो गया है बशर्ते कुल उड़ान समय 5 घंटों तक हो तथा मौजूदा ड्यूटी समय के भीतर हो। प्रति पायलट 4 अवतरण की संख्या प्रतिमाह 4 बार तक प्रतिबंधित होगी तथा विलम्बित उड़ानों को छोड़कर 2300 बजे से 0530 बजे के मध्य अनुसूचित प्रचालनों के मामले में इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ग) और (घ) ड्यूटी चक्र में 4 अवतरण करने वाले पायलटों को वास्तविक उड़ान समय से अतिरिक्त, उनके मामले में लागू प्रतिघंटा उड़ान भत्ता की दर से एक घंटे के लिए अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।

(ङ) एक ड्यूटी चक्र में चौथा अवतरण तथा आईसीपीए की सहमति वाले उड़ान व ड्यूटी समय, नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा निर्धारित उड़ान व ड्यूटी समय सीमाओं के ही भीतर है तथा इससे किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवधान नहीं होता है।

*[हिन्दी]*

**कोको पम्पों को हानि**

**2392. श्री हंसराज गं अहीर :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के कोको पम्पों में पेट्रोल/डीजल की बिक्री में लगातार कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पेट्रोल पम्पों के आबंटन की नीति में बदलाव करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ किसी प्रबंधन संस्थान द्वारा समीक्षा कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :** (क) से (ङ) सामान्यतः सरकार ने यह पाया है कि पेट्रोलियम क्षेत्र में 1.4.202 से प्रशासित मूल्य निर्धारिण व्यवस्था (ए पी एम) समाप्त होने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) ने बड़े पैमाने पर अपने खुदरा बिक्री केन्द्र (आर ओ) नेटवर्क में विस्तार किया है जिसमें कंपनी स्वामित्व वाली कंपनी द्वारा प्रचालित (सी ओ सी ओ) खुदरा बिक्री केन्द्र शामिल है किन्तु उनके द्वारा संस्थागत और प्रौद्योगिकीय व्यवस्थाओं में सुधार करने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया जिसके परिणामस्वरूप उनके प्रति आर ओ औसत थ्रुपुट में कमी आई।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की स्थायी समिति (2005-06) (14वीं लोक सभा) ने भी 15.5.2006 को सदन में प्रस्तुत/रखी नौवीं रिर्पो में ओ एम सीज द्वारा आर ओज की ताबड़तोड़ स्थापना के संबंध में और परिणामतः प्रति आर ओ उत्पादन में कमी के साथ आर ओज के निष्पादन में सामान्य ह्रास होने पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की। इसलिए समिति ने इस मामले को देखने और स्थिति में सुधार करने के

लिए सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ दल के गठन की सिफारिश की थी। उक्त समिति की इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (पे. और प्रा. गै. मं.) ने इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी) को सार्वजनिक क्षेत्र की ओ एम सीज के आर ओज का अध्ययन करने हेतु एक स्वतंत्र एजेंसी की नियुक्ति के लिए कहा। यह निर्णय लिया गया है कि यह अध्ययन शुरू करने की तिथि से दो माह के भीतर पूरा कर लिया जाए। सरकार के इस निर्णय के अनुसार आई ओ सी ने सभी ओ एम सीज की तरफ से आरओज के अध्ययन का यह कार्य भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद को सौंपा है।

इस समय, सरकार ने खुदरा बिक्री केन्द्रों के आबंटन की नीति में कोई परिवर्तन करने पर विचार नहीं किया है।

*[अनुवाद]*

**कर्नाटक में पेट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना**

**2393. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में पेट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्रों की कंपनीवार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तेल विपणन कंपनियों द्वारा कर्नाटक में स्थापित किए गए पेट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्रों का कंपनी/स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) अगले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में कंपनीवार/स्थानवार कितने खुदरा बिक्री केन्द्रों को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :** (क) दिनांक 30.6.2006 की स्थिति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज़) नामतः इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसी), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसी) और आईबीपी कं. लिमिटेड (आईबीपी) के कर्नाटक राज्य में 1,843 खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओ) डीलरशिपें (पेट्रोल पंप) हैं, जिसका ओएमसीवार ब्यौरा निम्नानुसार है :

| ओएमसी | खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या |
|---|---|
| आईओसी | 786 |
| एचपीसी | 419 |
| बीपीसी | 462 |
| आईबीपी | 176 |
| योग | 1843 |

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान, इन ओएमसीज ने कर्नाटक राज्य में 675 खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित किए थे, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है :–

| ओएमसी का नाम | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | योग |
|---|---|---|---|---|
| आईओसी | 90 | 86 | 133 | 309 |
| बीपीसी | 48 | 60 | 51 | 159 |
| एचपीसी | 20 | 48 | 50 | 118 |
| आईबीपी | 59 | 16 | 14 | 89 |
| योग | 217 | 210 | 248 | 675 |

स्थानवार ब्यौरे संबद्ध ओएमसी के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध हैं।

(ग) अगले तीन वर्षों अर्थात 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान, इन ओएमसीज़ की कर्नाटक राज्य में 501 खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने की अनंतिम योजना है और जिनका ओएमसीवार तथा वर्ष वार ब्यौरा निम्नानुसार है :–

| ओएमसी का नाम | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | योग |
|---|---|---|---|---|
| आईओसी | 115 | 52 | 46 | 213 |
| बीपीसी | 66 | 50 | 50 | 166 |
| एचपीसी | 50 | 35 | 22 | 107 |
| आईबीपी | 5 | 5 | 5 | 15 |
| योग | 236 | 142 | 123 | 501 |

इन खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओज़) के स्थानवार ब्यौरे संबद्ध ओएमसी के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध हैं।

तथापि, इन योजनाबद्ध खुदरा बिक्री केन्द्रों की वास्तविक स्थापना, वाणिज्यिक व्यवहार्यत डीलरों का चयन/नियुक्ति, प्रस्तावित स्थानों पर उपयुक्त भूमि की उपलब्धता, सांविधिक अनुमोदन/'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्राप्त करना आदि जैसे विभिन्न प्रकार के घटकों पर निर्भर करेगी।

**अधिभोगिता दर में वृद्धि**

**2394. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय होटलों, विशेषकर आईटीडीसी की देखरेख वाले होटलों की अधिभोगिता दर में पिछले कुछ वर्षों में कोई बड़ी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का वर्षवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आईटीडीसी ने कमरों के किरायों में वृद्धि की है जबकि अधिभोगिता दरों में मामूली वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) होटलों की अधिभोगिता दरों को बनाए रखने तथा उसमें वृद्धि करने तथा कमरों के किराए को कम करने तथा पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों, अर्थात 2003–04, 2004–05 और 2005–06 के लिए आईटीडीसी होटलों की अधिभोगिता दर्शाता हुआ विवरण निम्नानुसार है :–

| क्र.सं. | होटल का नाम | अधिभोगिता का प्रतिशत | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 |
| 1. | द अशोक, नई दिल्ली | 48 | 62 | 68 |
| 2. | सम्राट होटल, नई दिल्ली | 74 | 83 | 81 |
| 3. | जनपथ होटल, नई दिल्ली | 49 | 60 | 54 |
| 4. | होटल जयपुर अशोक, जयपुर | 14 | 19 | 20 |
| 5. | होटल पाटलीपुत्र अशोक, पटना | 30 | 40 | 35 |
| 6. | ललित महल पैलेस होटल, मैसूर | 33 | 35 | 32 |
| 7. | होटल जम्मू अशोक, जम्मू | 14 | 21 | 35 |
| 8. | होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर | 11 | 10 | 29 |

(ग) और (घ) जी, हां। परिचालन संबंधी व्यय, वेतन लागत और मार्केट डाइनमिक्स में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, आई टी डी सी ने वार्षिक पूर्व प्रक्रिया के अनुसार, सितम्बर, 2005 से कमरों के किरायों में वृद्धि की थी।

(ङ) आई टी डी सी ने होटलों की अधिभोगिता दरों को बनाए रखने तथा उसमें और वृद्धि करने तथा पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :–

(i) नए बाजारों के दोहन के लिए उद्यमशील विपणन एवं संवर्धनात्मक प्रयास।

(ii) बेहतर ग्राहक सेवाएं सुनिश्चित करना।

(iii) नई ग्राहक सुविधाओं/सेवाओं को बढ़ाना।

(iv) नए ग्राहक खंडों की पहचान के लिए रणनीतियां तैयार करना।

(v) होटलों के सेवा स्तरों में सुधार करने के लिए मानव संसाधन विकास।

**पार्सल कार्यालयों में एक्स-रे मशीनें**

**2395. श्री के.सी. पल्लानी शामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरी तरह से सुरक्षा जांच किए जाने हेतु अपने सभी पार्सल कार्यालयों में एक्स–रे मशीनें लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ किन–किन स्टेशनों की पहचान की गई है; और

(ग) इन मशीनों को कब तक लगाए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**रेलगाड़ियों में आकस्मिक निरीक्षण**

**2396. श्री बालेश्वर यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे रेलगाड़ियों में यात्रा टिकट निरीक्षकों (टीटीई) तथा अन्य कर्मचारियों के काम–काज की जांच के लिए आकस्मिक निरीक्षण करता है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान किए गए ऐसे आकस्मिक निरीक्षणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान किए गए ऐसे आकस्मिक निरीक्षणों के दौरान जोन–वार कितने टीटीई तथा अन्य कर्मचारी गैर–कानूनी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए; और

(घ) दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/की जानी है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) और (ख) संबंधित विभाग के पर्यवेक्षकों और अधिकारियों और सतर्कता विभाग नियमित और औचक निरीक्षण किए जाते हैं। इस तरह के निरीक्षणों के कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) इस संबंध में अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। बहरहाल, दोषी पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है।

**पंजाब में पर्यटन स्थलों के विकास हेतु वित्तीय सहायता**

**2397. श्री अविनाश राय खन्ना** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने घरेलू/विदेशी पर्यटकों ने पंजाब का भ्रमण किया;

(ख) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान पंजाब के पर्यटन स्थलों के विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ग) वर्ष 2006-07 के दौरान पंजाब में पर्यटन के विकास हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई?

**पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) :** (क) पिछले तीन वर्षों में पंजाब की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या नीचे दी गई है :-

| वर्ष | यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या | |
|---|---|---|
| | घरेलू | विदेशी |
| 2003 | 1150015 | 4589 |
| 2004 | 361568 | 7312 |
| 2005 | 431036 | 4353 |

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पंजाब में पर्यटक स्थलों के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) पंजाब राज्य के लिए वर्ष 2006-07 के लिए प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाएं हैं :-

**गंतव्य :**

1. रोपड़
2. फतेहगढ़ साहिब (ध्वनि एवं प्रकाश शो के साथ आम खास बाग सहित)
3. कपूरथला

**परिपथ :**

1. स्वतंत्रता संग्राम परिपथ – दिल्ली – अमृतसर
2. तीर्थ परिपथ

**उत्सव/मेले :**

1. ग्रामीण ओलंपिक्स (ग्रामीण खेल, ग्राम-किला रायपुर, जिला रायपुर)
2. अबोहर, जिला फिरोजपुर में किन्नाव मेला
3. पंजाब मेला
4. कपूरथला में हस्तशिल्प मेला

**ग्रामीण पर्यटन :**

1. ग्राम पालदी (जिला होशियारपुर)
2. ग्राम कलानौर (जिला गुरदासपुर)
3. ग्राम मैसोर खाना (जिला भटिण्डा)

प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं के संदर्भ में राज्य सरकारों की सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्तावों का योजना दिशा-निर्देशों के अंतर्गत परीक्षण किया जाता है तथा इन्हें पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्रदान की जाती है और संबंधित शीर्ष के अंतर्गत उपलब्धता की शर्त पर निधियां जारी की जाती हैं।

वर्ष 2006-07 में फ्रीडम ट्रेल पर्यटन परिपथ के एकीकृत विकास हेतु 784.45 लाख रुपए की राशि पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है।

***विवरण***

*वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान पंजाब राज्य के लिए स्वीकृत की गई परियोजनाएं*

(लाख रुपयों में)

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | स्वीकृत राशि |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **2003-04** | |
| 1. | अमृतसर में और इसके आस-पास पर्यटक अवसंरचना का विकास-<br>(i) अमृतसर में और इसके आस-पास विभिन्न पर्यटक गंतव्यों का प्रदिप्तिकरण – 48.00 लाख रुपए<br>(ii) संकेतक – 25.00 लाख रुपए<br>(iii) रेलवे स्टेशन और स्वर्ण मन्दिर में पर्यटक सूचना केन्द्र – 8.00 लाख रुपए | 81.00 |
| 2. | पटियाला हैरिटेज उत्सव | 15.00 |
| | कुल | 96.00 |
| **2004-05** | | |
| 1. | पटियाला में पर्यटक स्वागत केन्द्र | 74.53 |
| 2. | शम्भु में मुगल सराय का विकास/नवीकरण | 290.58 |
| 3. | गंतव्य विकास के अंतर्गत मोहाली, करतारपुर, सरहिन्द और कपूरथला का विकास | 316.00 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 4. | सीडी रोम्स (आईटी) तैयार करना | 13.57 |
| 5. | आनन्दपुर साहिब में होला मोहल्ला उत्सव, 2005 | 5.00 |
| 6. | फरीदकोट में बाबा फरीद आगमन पर्व, 2004 | 5.00 |
| 7. | अमृतसर जिले के राजासांसी गांव में जीओआई – यूएनडीपी अंतर्जात पर्यटन परियोजना | 20.00 |
| | कुल | 724.68 |
| | 2005-06 | |
| 1. | एक पर्यटक गंतव्य के रूप में पटियाला का एकीकृत विकास | 460.29 |
| 2. | पर्यटक गंतव्य के रूप में अमृतसर का एकीकृत विकास | 482.80 |
| 3. | एक पर्यटक गंतव्य के रूप में वाघा बार्डर का एकीकृत विकास | 484.58 |
| 4. | फरवरी, 2006 में किला रायपुर में ग्रामीण खेल मेला | 5.00 |
| 5. | मार्च, 2006 में आनन्दपुर साहिब में होला मोहल्ला उत्सव | 5.00 |
| | कुल | 1437.67 |

*[अनुवाद]*

**कोल शेल को पेट्रोलियम में बदलना**

**2398. डा. अरूण कुमार शर्मा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में कोल शेल का बड़ा भण्डार उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोल शेल को पेट्रोलियम में बदला जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) किए गए प्रमुख कार्य का ब्यौरा क्या है तथा इसे बदले जाने की अनुमानित लागत कितनी है;

(ङ) क्या इस संबंध में किसी परियोजना पर विचार किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा निर्धारित लक्ष्य, यदि कोई हैं तो उनका ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) से (च) प्रश्न संभवतः आयल शेल से संबंधित है। शब्द "कोल शेल" आम जानकारी में नहीं है। असम में कोयले से संबद्ध आयल शेल होने की रिपोर्ट मिली हैं। शेल/कोयले में तेल भण्डारों के बारे में कोई निर्धारण नहीं किया गया है। विगत में आयल इंडिया लिमिटेड ने एक विदेशी कंपनी की सहायता से अनुसंधान एवं विकास कार्य किया तथापि वाणिज्यकता प्रमाणित नहीं की जा सकी। हाईड्रोकार्बन महानिदेशालय (डी जी एच) ने भारत के उत्तर-पूर्व भाग में आयल शेल निक्षेपों तथा सिन्क्रड क्षमता के अनुमानित संसाधनों पर अध्ययन करने की कार्रवाई शुरू की है।

**भुवनेश्वर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की आवाजाही**

**2399. श्री अनन्त नायक : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का प्रस्ताव भुवनेश्वर–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की आवाजाही को चार दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव अत्यधिक समय से लंबित है;

(ग) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु रेलवे द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) से (घ) जी नहीं। वर्तमान में, दिल्ली और भुवनेश्वर, दो जोड़ी राजधानी सेवाओं अर्थात 2421/2422 नई दिल्ली–भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस (सप्ताह में दो बार) आद्रा होकर और 2443/2444 नई दिल्ली–भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस (सप्ताह में दो बार) टाटानगर होकर ये दो जोड़ी राजधानी एक्सप्रेस, इन दो स्टेशनों के बीच यात्रियों के लिए पर्याप्त है। इन राजधानी गाड़ियों की स्थान क्षमता को देखते हुए, दो शहरों के बीच राजधानी सेवाओं के फेरे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है।

**भुवनेश्वर-कुर्ला एक्सप्रेस की आवाजाही**

**2400. श्री जुएल ओराम : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने भुवनेश्वर–कुर्ला एक्सप्रेस रेलगाड़ी की आवाजाही बढ़ाने के लिए रेलवे से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) जी हां।

(ख) जांच की गई थी परन्तु परिचालनिक और संसाधनों की बाध्यताओं के कारण व्यवहार्य नहीं है।

**बरेली-लखनऊ रेलवे लाइन का परिवर्तन**

**2401. श्री रवि प्रकाश वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरेली–पीलीभीत–दुधवा–सीतापुर–लखनऊ रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) बरेली–पीलीभीत–दुधवा–सीतापुर–लखनऊ को कब तक बड़ी लाइन में बदले जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) जी नहीं। बहरहाल, बरेली–भोजीपुरा का आमान परिवर्तन प्रारंभ कर दिया गया है। इसके अलावा भोजीपुरा–पीलीभीत के लिए भोजीपुरा–पीलीभीत–टनकपुर आमान परिवर्तन परियोजना के भाग के रूप में आवश्यक स्वीकृति के लिए कार्यवाही की गई है।

(ख) और (ग) बरेली–भोजीपुरा संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार अगले 2–3 वर्षों में पूरा हो जाने की संभावना है।

**लाइसेंस दिए जाने में विलम्ब**

**2402. प्रो. एम. रामदास :** क्या नागर विमानन मंत्री लाइसेंस दिए जाने में विलंब के बारे में 21 अप्रैल, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4218 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों की जांच कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) जी, हां।

(ख) तदोपरांत सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित समिति (सीओपीयू) द्वारा मामले का अनुवर्तन/अनुसरण किया गया। सीओपीयू ने निम्नलिखित अभिमत/सिफारिशें की है :–

**भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को पात्रता संबंधी शर्तें निर्धारित करते समय विवेकपूर्ण व्यावसायिक परिपाटियों का अनुसरण करना** चाहिए और व्यापक परामर्श करने चाहिए ताकि अधिकतम भागीदारी और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, राजस्व की हानि के लिए उत्तरदायित्व नियत करना और इस मामले में उपयुक्त कार्रवाई करना, व्यावसायिक मैनुअल में उपयुक्त दिशानिर्देश निर्धारित करना जिसमें अति महत्वपूर्ण मामलों में बोर्ड के निदेश मांगने का प्रावधान हो, भविष्य में विधायी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी रूप से सुदृढ़ करना, भविष्य में व्यावसायिक मैनुअल में निर्धारित प्रक्रियाओं का कठोरता से अनुपालन जिससे भविष्य में ऐसी चूकों से बचा जा सके, मंत्रालय की ओर से व्यवस्था की मानीटरिंग की व्यवस्था को सुदृढ़ करना और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की आवधिक समीक्षाएं करना और उपयुक्त मार्गदर्शन प्रदान करना।

(ग) सीओपीयू की सिफारिशों के अनुसार, भविष्य में व्यावसायिक करारों को अंतिम रूप दिए जाने में किसी भी विलम्ब से बचने के प्रयोजन से मानीटरिंग की व्यवस्था को सुदृढ़ करना और निविदा को अंतिम रूप दिए जाने के लिए समय–सीमा के कठोर अनुपालन की आवश्यकता पर बल देने के साथ–साथ विधिक मामलों की आवधिक मॉनीटरिंग के लिए सभी संबंधितों को उपयुक्त दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। दोषी अधिकारियों पर उत्तरदायित्व नियत करने के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण मांगा गया है और उत्तरदायित्व नियत करने की कार्रवाई चल रही है।

**खुदरा बिक्री केन्द्र**

**2403. श्री हेमलाल मुर्मू :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य विशेष रूप से झारखण्ड, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में पेट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्रों, एल पी जी तथा एस के ओ/एल डी ओ डीलरशिप की कंपनी–वार संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक राज्य विशेष रूप से झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्र के डीलरों के चयन हेतु विपणन योजना में शामिल किए गए स्थानों की कंपनी–वार संख्या कितनी है; और

(ग) आर ओ/एल पी जी तथा एस के ओ/एल डी ओ की डीलरशिप बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :** (क) और (ख) 1.4.2006 की स्थिति के अनुसार राज्यवार खुदरा बिक्री केन्द्रों (आर ओ) एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों और एस के ओ/एलडी ओ डीलरशिपों की कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। कंपनीवार ब्यौरा और विपणन योजना में सम्मिलित स्थान का ब्यौरा संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध है।

(ग) आर ओ डीलरशिप, एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और

एस के ओ/एल डी ओ डीलरशिप खोलने के लिए स्थल का चयन ओ एम सीज अपने वाणिज्यिक दृष्टिकोणों के अनुसार करती हैं और सरकार इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है।

***विवरण***

*खुदरा बिक्री केन्द्र (आर ओ) डीलरशिप, एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और एस के ओ/एल डी ओ डीलरशिपों की राज्यवार कुल संख्या (1.4.2006 को)*

| क्र.स. | राज्य | कुल संख्या | | |
|---|---|---|---|---|
| | | आर ओ | एल पी जी | एस को ओ/ एल डी ओ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 2705 | 868 | 605 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 44 | 29 | 32 |
| 3. | असम | 488 | 249 | 361 |
| 4. | बिहार | 1188 | 301 | 368 |
| 5. | चंडीगढ़ | 420 | 146 | 107 |
| 6. | दिल्ली | 389 | 312 | 116 |
| 7. | गोआ | 87 | 52 | 21 |
| 8. | गुजरात | 1980 | 546 | 497 |
| 9. | हरियाणा | 1334 | 281 | 148 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 238 | 114 | 26 |
| 11. | जम्मू कश्मीर | 302 | 151 | 47 |
| 12. | झारखण्ड | 606 | 137 | 86 |
| 13. | कर्नाटक | 1918 | 486 | 325 |
| 14. | केरल | 1469 | 373 | 243 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 1475 | 561 | 276 |
| 16. | महाराष्ट्र | 3024 | 1001 | 775 |
| 17. | मणिपुर | 50 | 31 | 36 |
| 18. | मेघालय | 113 | 32 | 35 |
| 19. | मिजोरम | 15 | 25 | 19 |
| 20. | नागालैण्ड | 42 | 26 | 19 |
| 21. | उड़ीसा | 777 | 179 | 179 |
| 22. | पजाब | 2308 | 427 | 244 |
| 23. | राजस्थान | 2074 | 439 | 252 |
| 24. | सिक्किम | 25 | 7 | 12 |
| 25. | तमिलनाडु | 2649 | 635 | 465 |
| 26. | त्रिपुरा | 38 | 29 | 40 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 3861 | 1145 | 697 |
| 28. | उत्तरांचल | 326 | 161 | 72 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 1544 | 472 | 476 |
| 30. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 5 | 4 | 1 |
| 31. | चंडीगढ़ | 45 | 29 | 12 |
| 32. | दादरा और नागर हवेली | 16 | 1 | 2 |
| 33. | दमन और दीव | 13 | 2 | 5 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0 | 1 | 0 |
| 35. | पांडिचेरी | 82 | 18 | 8 |
| | योग | 31650 | 9270 | 6607 |

**अभय घाट का विकास**

**2404. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री मोरारजी देसाई की स्मृति में एक स्मारक 'अभय घाट' का विकास करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्मारक को कब तक विकसित किए जाने की संभावना है?

**पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) :** (क) पर्यटक रुचिकर स्थानों की पहचान और विकास करने की जिम्मेदारी गुजरात की राज्य सरकार की है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय प्रतिवर्ष, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके, प्राथमिकता प्रदत्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर निधियां प्रदान करता है। वर्ष 2006–07 के दौरान, अभय घाट के विकास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किसी भी परियोजना प्रस्ताव को प्राथमिकता

प्रदान नहीं की गई है, न ही पर्यटन मंत्रालय को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

पर्यटन मंत्रालय ने, वर्ष 2005–06 के दौरान, गुजरात राज्य के लिए, निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की हैं :–

| क्रम सं. | परियोजना नाम | स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में) |
|---|---|---|
| 1. | गुजरात में कच्छ जिले के मांडवी में सड़कें और सम्बद्ध सेवाएं, जैसे संवर्धन कार्य किए जाएंगे | 428.31 |
| 2. | गुजरात के बालासिनोर में डायनासोर फोस्किल पार्क | 345.00 |
| 3. | दांडी का गंतव्य विकास | 380.27 |
| 4. | अदलज, गांधीनगर में थीम पार्क का विकास | 480.00 |
| 5. | सपुतारा का गंतव्य विकास | 378.00 |
| | कुल | 2011.58 |

10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान (2005–06 सहित), पर्यटन मंत्रालय ने गुजरात राज्य में, पर्यटन के एकीकृत विकास के लिए 3283.14 लाख रुपए की लागत की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**कलाकारों को छात्रवृत्तियां दिया जाना**

**2405. श्री बालासाहिब विखे पाटील :** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में कलाकारों को छात्रवृत्ति दिए जाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में उक्त योजना के अंतर्गत लाभान्वित लोगों की संख्या क्या है;

(घ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत कलाकारों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की धनराशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) :** (क) और (ख) जी, हां। संस्कृति मंत्रालय 18–25 वर्ष के युवा कलाकारों को विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में भारत के भीतर उच्च प्रशिक्षण देने हेतु छात्रवृत्ति की एक स्कीम का संचालन करता है। चुने गए प्रत्येक कलाकार को उसके जीवनयापन संबंधी व्यय तथा यात्रा, पुस्तकों, कला सामग्री अथवा अन्य उपस्कर और अनुशिक्षण अथवा प्रशिक्षण प्रभारों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए दो वर्ष की अवधि के लिए प्रतिमाह 2,000/–रु. का भुगतान किया जाता है। चयन, विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाता है और एक वर्ष के बाद प्रगति की समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र (संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में) मान्यताप्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत अथवा पेशेवर पारंपरिक मंच कलाकारों के परिवार से संबंध रखने वाले 10–14 वर्ष की आयु वर्ग में चुने गए युवा उत्कृष्ट बच्चों को, विविध सांस्कृतिक क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा का विकास करने के लिए सुविधाएं प्रदान करने हेतु "सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति स्कीम" का कार्यान्वयन करता है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रदान की गई छात्रवृत्ति प्रारंभ में एक बार में दो वर्ष के लिए दी जाती है तथा शिक्षा की प्रथम विश्वविद्यालय उपाधि का स्तर पूर्ण होने तक अथवा 20 वर्ष की आयु होने तक, जो भी पहले हो, प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात् इसका नवीकरण किया जाता है, बशर्ते कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाला अच्छी प्रगति कर रहा हो। छात्रवृत्ति की राशि केवल 300/–रु. प्रति माह है। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्थान अथवा गुरू को भुगतान किए गए वास्तविक शिक्षण–शुल्क की प्रतिपूर्ति भी छात्रवृत्ति धारक को की जाती है जिसकी अधिव सीमा केवल 3600/–रु. है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

***विवरण***

*युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति*

| क्र. सं. | सांस्कृतिक क्षेत्र | वर्ष 2003–04 हेतु छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों की संख्या | वर्ष 2004–05 हेतु छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों की संख्या | वर्ष 2005–06 हेतु छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | शास्त्रीय संगीत | 87 | 85 | 89 |
| 2. | नृत्य और नृत्य संगीत | 129 | 124 | 122 |
| 3. | रंगमंच | 40 | 40 | 40 |
| 4. | लोक/परंपरागत कलाएं | 51 | 51 | 52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 5. | दृश्य कला | 64 | 60 | 64 |
| 6. | सुगम शास्त्रीय संगीत | 16 | 19 | 21 |
| | योग | 387 | 379 | 388 |

*सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति स्कीम*
*(सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा कार्यान्वित)*

| क्र. स. | सांस्कृतिक क्षेत्र | वर्ष 2003–04 हेतु छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों की सख्या | वर्ष 2004–05 हेतु छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों की संख्या | वर्ष 2005–06 हेतु छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1. | शास्त्रीय संगीत/ ओडिसी संगीत | 104 | 118 | 105 |
| 2. | नृत्य और नृत्य संगीत | 110 | 109 | 100 |
| 3. | रंगमंच | 17 | 07 | 09 |
| 4. | दृश्य कला | 48 | 62 | 71 |
| 5. | लोक/परंपरागत कलाएं | 21 | 13 | 59 |
| 6. | सुगम शास्त्रीय संगीत | – | 01 | 07 |
| | योग | 300 | 310 | 351 |

**नेशनल एरोनॉटिक्स कमिशन**

**2406. श्री नवजोज सिंह सिद्धू : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को असैनिक तथा सैन्य विमानन के बीच समन्वय बनाने के लिए एक नेशनल एरोनॉटिक्स कमिशन की स्थापना हेतु अनुरोध/अभ्यावेदन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :** (क) से (ग) भारतीय वैमानिकीय सोसाइटी ने सिविल तथा सैन्य विमानन क्षेत्रों के बीच तालमेल हेतु एक राष्ट्रीय वैमानिकी आयोग के गठन करने का सुझाव दिया है।

सिविल तथा सैन्य विमानन के बीच विभिन्न स्तरों पर सहयोग तथा तालमेल के लिए आवश्यक तंत्र मौजूद है। इसकी कारगरता को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर पुनरीक्षा की जाती है और समय–समय पर अद्यतन किया जाता है तथा यह एक सतत् प्रक्रिया है।

*[हिन्दी]*

**मूक व बधिर बच्चों के लिए आवासीय/गैर-आवासीय स्कूल**

**2407. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूक व बधिर बच्चों के लिए आवासीय तथा गैर–आवासीय स्कूलों की स्थापना हेतु गैर–सरकारी संगठनों को अनुदान देने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदण्ड बनाए गए हैं; और

(ख) देश में स्थापित किए गए/स्थापित किए जाने वाले ऐसे स्कूलों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) :** (क) संगत योजना, नामतः दीनदयाल विकलांजन पुनर्वास योजना के अंतर्गत, गैर–सरकारी संगठनों को विकलांग बच्चों, जिनमें मूक और बधिर बच्चे भी शामिल हैं, के लिए आवासीय एवं गैर–आवासीय विद्यालयों की स्थापना हेतु कोई सहायता–अनुदान नहीं दिया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**कबाड़ को बेचना**

**2408. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान रेलवे द्वारा कितनी कीमत का कबाड़ बेचा गया है;

(ख) क्या रेलवे ने अब कबाड़ बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) विगत तीन वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा बेचे गए स्क्रैप का मूल्य निम्नानुसार है :

| | |
|---|---|
| वर्ष 2003–04 में | 1314 करोड़ रु. |
| वर्ष 2004–05 में | 1032 करोड़ रु. |
| वर्ष 2005–06 में | 1364 करोड़ रु. |

(ख) और (ग) जी, नहीं। बहरहाल, जब कभी किसी रेलवे में अनियमितता देखी जाती है, स्क्रैप की बिक्री को अस्थायी तौर पर रोक दिया जाता है।

*[अनुवाद]*

**रेलवे पुलों का निर्माण**

**2409. श्री अर्जुन सेठी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान निर्मित उपरि/भूमिगत पुलों की संख्या कितनी है तथा इन पर जोन-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) वर्तमान में विभिन्न रेलवे जोनों में जोन-वार कितने उपरिपुल तथा भूमिगत पुल निर्माणाधीन हैं;

(ग) , उड़ीसा में पूर्वी तटीय रेलवे के बौधपुर तथा भद्रक रेलवे स्टेशनों के बीच रन्दिया उपरिपुल के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसके लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) उक्त पुल का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) कार्य 2002-03 में मंजूर किया गया था। सामान्य प्रबंध आरेखण (जी ए डी) अनुमोदित हो चुका है। रेलवे के हिस्से के कार्य के लिए निविदाएं खोजली गई हैं। पहुंच मार्गों पर भी कार्य प्रगति पर है। 2006-07 के दौरान, 1 करोड़ रु. का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है।

(घ) अगस्त, 2008 तक।

*विवरण*

| रेलवे जोन | निर्मित ऊपरी/निचले पुलों की संख्या | | 2004-05 में ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण पर खर्च की गई रकम (करोड़ रु. में) | ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण पर 2005-06 में खर्च की गई राशि (करोड़ रु. में) | लागत में हिस्सेदारी के आधार पर स्वीकृत ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण | वास्तविक निर्माण के तहत ऊपरी/निचले सड़क पुलों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2004-05 | 2005-06 | | | | |
| मध्य | 1 | 1 | 2.45 | 3.39 | 18 | 17 |
| पूर्व | 2 | 2 | 24.1 | 19.5 | 39 | 12 |
| पूर्व मध्य | | | 16.2 | 37.43 | 46 | 18 |
| पूर्व तट | | | 3.29 | 4.51 | 18 | 18 |
| उत्तर | 3 | | 22.7 | 16.96 | 59 | 55 |
| उत्तर मध्य | | | 0.75 | 3.84 | 12 | 9 |
| उत्तर पश्चिम | 1 | | 2.41 | 2.58 | 8 | 4 |
| पूर्वोत्तर | | 1 | 1.4 | 0.17 | 16 | 8 |
| पूर्वोत्तर सीमा | 1 | | 0.77 | 3.42 | 6 | 2 |
| दक्षिण | 2 | 10 | 10.4 | 21.29 | 147 | 35 |
| दक्षिण मध्य | 3 | 5 | 22.4 | 13.27 | 66 | 18 |
| दक्षिण पश्चिम | 3 | | 5 | 10.78 | 38 | 9 |
| दक्षिण पूर्व | 1 | | 7.2 | 2.72 | 19 | 9 |
| दक्षिण पूर्व मध्य | | | 0.02 | 2.27 | 10 | 9 |
| पश्चिम | 2 | 1 | 3.31 | 2.08 | 26 | 8 |
| पश्चिम मध्य | | 1 | 2.06 | 1.41 | 7 | 1 |
| जोड़ | 19 | 21 | 124 | 145.62 | 535 | 232 |

**पूर्वोत्तर राज्यों की रेल परियोजनाओं हेतु धनराशि**

**2410. श्री अनवर हुसैन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी केन्द्रीय मंत्रालयों में पूर्वोत्तर उप योजनाओं की शुरूआत की है जिसके लिए उनके बजट का 10 प्रतिशत निर्धारित किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के बजटों में कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा उक्त अवधि के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कितना आबंटन किया गया था;

(ग) क्या पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विकासात्मक कार्यों की योजना बनाने तथा उन्हें पूरा करने हेतु रेलवे का कोई विशेष विकासात्मक विंग है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो विशेष आबंटनों का 10 प्रतिशत किस प्रकार नियोजित एवं निष्पादित किया जाएगा?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, रेल मंत्रालय को पूर्वोत्तर क्षेत्र की विकासात्मक योजनाओं पर खर्च के लिए मौजूद बजटीय सहायता का 10% निर्धारित करना होता है।

(ख) रेलवे बजट जोनवार तैयार किया जाता है, न कि क्षेत्रवार अथवा राज्यवार/पूर्वोत्तर सीमा रेलवे मुख्यतः पूर्वोत्तर क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करती है। 2005-06 और 2006-07 के दौरान उपलब्ध बजटीय सहायता के जरिए वित्तपोषित रेलवे की कुल योजना आबंटन में से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आबंटन का ब्यौरा निम्नलिखित है :

| वर्ष | आबंटन | | करोड़ रु. में |
|---|---|---|---|
| | अखिल भारतीय रेलें | पूर्वोत्तर क्षेत्र | प्रतिशत आबंटन |
| 2005-06 (संशोधित अनुदान) | 3256.23* | 377.77 | 11.60 |
| 2006-07 (बजट अनुदान) | 4806.59* | 570.00 | 11.86 |

*पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए रेलवे को उपलब्ध बजटीय सहायता की 10% धनराशि का आरक्षण सकल बजटीय सहायता, सामान्य राजस्व से विशेष रूप से मुहैया कराई गई निधि, विशेष रेल संरक्षा निधि, चिन्हित राष्ट्रीय परियोजनाएं, वाह्य सहायतार्थ डीजल उपकर में रेलवे के अंश इत्यादि के अलावा किया जाता है।

(ग) और (घ) जी, हां। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकासात्मक परियोजनाओं के निष्पादन के लिए पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का निर्माण संगठन उत्तरदायी है। इसका मुखिया महाप्रबंधक के स्तर का होता है जिसके अधीन परियोजनाओं की योजना तथा निष्पादन के लिए एक संपूर्ण संगठन कार्य करता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**पायलटों की सेवानिवृत्ति की आयु**

**2411. श्री के. एस. राव :**
**श्री बाडिगा रामकृष्णा :**
**श्री पी. करूणाकरन :**
**श्री स्वदेश चक्रवर्ती :**
**श्रीमती अर्चना नायक :**
**श्री भर्तृहरि महताब :**
**श्रीमती पी. सतीदेवी :**
**श्री अजीत जोगी :**
**श्रीमती जयप्रदा :**

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों में पायलटों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या पायलटों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार ने हाल ही में कुछ शर्तों के अध्यधीन पायलटों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 साल से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे पायलटों की आवश्यकता को पूरा करने में किस सीमा तक सहायता मिलेगी?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने पायलटों की सेवानिवृत्ति की आयु नहीं बढ़ाई है। बहरहाल सरकार ने व्यावसायिक पायलटों की सेवाओं को मौजूदा 61 वर्ष से बढ़ा कर 65 वर्ष तक कर दिया है बशर्ते विमान बहु-कर्मीदल वातावरण में प्रचालित किया जा रहा हो तथा अन्य पायलट 60 वर्ष की आयु से कम का हो।

(घ) इस अनुमति के आधार पर, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने पायलटों की कमी से निपटने के लिए 60 तथा 65 वर्ष के बीच की आयु के पायलटों को ठेका आधार पर नियुक्त करना आरंभ कर दिया है।

**विदेशी पर्यटक**

**2412. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :**
**श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :**
**श्रीमती मनोरमा माधवराज :**

**श्री विजय कृष्ण :**

**श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**

**श्री रवि प्रकाश वर्मा :**

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घरेलू पर्यटकों में सर्वाधिक लोकप्रिय पांच राज्य तथा विदेशी पर्यटकों में सर्वाधिक लोकप्रिय पांच राज्य कौन–कौन से हैं;

(ख) क्या वर्ष 2004 की तुलना में वर्ष 2005 के दौरान आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में तथा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा में बढ़ोतरी देखी गई है;

(ग) यदि हां, तो विदेशी तथा घरेलू पर्यटकों विशेष रूप से महिला पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) क्या महाराष्ट्र घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों में पांच सर्वाधिक लोकप्रिय राज्यों में से एक है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके पर्यटन स्थलों को और आकर्षक बनाने के लिए उनके विकास हेतु राज्य सरकार को क्या विशिष्ट सहायता प्रदान की जा रही है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) :** (क) वर्ष 2005 के दौरान, घरेलू पर्यटकों की अनुमानित यात्राओं के मामले में, पांच प्रमुख लोकप्रिय राज्य आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा राजस्थान हैं। वर्ष 2005 के दौरान, विदेशी पर्यटकों की अनुमानित यात्राओं के मामले में, पांच प्रमुख लोकप्रिय राज्य दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) सुरक्षा एवं बचाव राज्य का विषय है। तथापि, पर्यटकों की सुरक्षा एवं बचाव सुनिश्चित करने के लिए, पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रमुख पर्यटक केन्द्रों पर पर्यटक पुलिस तैनात करने की सलाह दी है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली की राज्य सरकारों ने पर्यटक पुलिस तैनात कर दी है।

(घ) घरेलू तथा विदेशी पर्यटक यात्राओं के आंकड़ों का संग्रह एवं संकलन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और इनको अखिल भारतीय समेकन के लिए पर्यटन मंत्रालय को भेजा जाता है। तथापि, महाराष्ट्र में ऐसी कोई प्रणाली मौजूद नहीं है और राज्य से कोई आंकड़े प्राप्त नहीं होते। पर्यटन मंत्रालय द्वारा किए गए अनुमानों के अनुसार, सिर्फ विदेशी पर्यटकों द्वारा यात्राओं के मामले में महाराष्ट्र पांच प्रमुख राज्यों में है।

(ङ) राज्यों में पर्यटक स्थानों के विकास की जिम्मेवारी मुख्यतया संबंधित राज्य सरकारों की है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, चुनिंदा पर्यटक परिपथों तथा गंतव्यों में अवसंरचना विकास हेतु अपनी प्लान योजना के अंतर्गत, विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं के लिए, महाराष्ट्र राज्य सहित, सभी राज्यों को केन्द्रीय, वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अभी तक, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 904 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और 1407.78 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है, जिसमें से महाराष्ट्र राज्य के लिए 41 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है और राज्य के लिए 59.64 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

**निःशक्त व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय नीति का कार्यान्वयन**

**2413. श्री एल. राजगोपाल :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निःशक्त व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर किसी अंतर–मंत्रालयीय निकाय का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस निकाय का गठन कब तक किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य और जिला स्तरों पर ऐसे निकायों के गठन हेतु राज्य सरकारों को निदेश जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) :** (क) से (ग) निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अधीन गठित की गयी केन्द्रीय समन्वय समिति और केन्द्रीय कार्यपालक समिति राष्ट्रीय विकलांगजन नीति के कार्यान्वयन की मानीटरिंग कर रही है।

(घ) और (ङ) यह नीतिगत दस्तावेज सभी राज्यों सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनसे संबंधित बिन्दुओं पर कार्रवाई करने के लिए भेजा गया है।

**रसोई गैस स्टोवों का निरीक्षण**

**2414. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों ने किसी दुर्घटना से बचने के लिए उपभोक्ताओं के गैस स्टोवों का नियमित रूप से निरीक्षण

करने हेतु रसोई गैस (एल पी जी) डीलरों को कोई निदेश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ रसोई गैस डीलर उपभोक्ताओं को गुमराह करते हैं और उन्हें अपनी एजेंसियों से स्टोव एवं अन्य सामानों के प्रतिस्थापन एवं खरीद के लिए बाध्य करते हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार को इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी पाए गए डीलरों और व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :** (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) ने अपने एल पी जी वितरकों को, उनके साथ पंजीकृत उपभोक्ताओं के लिए 25 रुपए के नाममात्र शुल्क पर दो वर्ष में एक बार गैस स्टोव समेत एल पी जी संस्थापन की अनिवार्य जांच करने के निर्देश जारी किए हैं।

(ग) से (ङ) ओ एम सीज ने अपने एल पी जी वितरकों द्वारा उपभोक्ताओं को स्टोव की जबदरस्ती बिक्री के कुछ मामलों की रिपोर्ट दी है। एल पी जी विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एम डी जी) के तहत प्रावधानों के अनुसार ओ एम सीज द्वारा गलती करने वाले वितरकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

**विशेष पार्सल रेलगाड़ियां**

**2415. श्री बी. विनोद कुमार : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने सुपर फास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के छाया मार्ग का उपयोग करते हुए "विशेष पार्सल रेलगाड़ियों" की शुरूआत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पार्सल रेलगाड़ियों की कुल संख्या क्या है और ये रेलगाड़ियां किन मार्गों पर चल रही हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) से (ग) रेलवे सुपर फास्ट गाड़ियों के छाया मार्ग का अनुशरण करते हुए "विशेष पार्सल गाड़ियां" नहीं चला रही है।

**प्रशिक्षण क्षमता में वृद्धि**

**2416. श्री बाडिगा रामकृष्णा :**
**श्री अविनाश राय खन्ना :**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की प्रशिक्षण क्षमता में वृद्धिउ करने हेतु इसका स्तरोन्नयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के अन्य उड़ान संस्थानों की प्रशिक्षण क्षमता में भी वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन संस्थानों की प्रशिक्षण क्षमता में वृद्धि कब तक की जाएगी?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) और (ख) सरकार का इंदिरागांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, राय बरेली का लगभग 57 करोड़ रुपए की लागत से उन्नयन का प्रस्ताव है। इसमें एकल इंजिन तथा बहु इंजिन विमानों को सम्मिलित किया जाना, हैलीकाप्टरों का पुनर्निर्माण, रनवे का आधुनिकीकरण, हॉस्टल, हैंगर तथा कार्यालय के लिए अतिरिक्त भवनों का निर्माण तथा सटे हुए सुलतानपुर हवाई क्षेत्र का अधिग्रहण शामिल है। इस उन्नयन से यहां 40 प्रशिक्षार्थी प्रति वर्ष से 100 प्रशिक्षार्थी प्रतिवर्ष की बढ़ोतरी होगी।

(ग) से (ङ) जी, हां सरकार अन्य फ्लाईंग क्लबों को उनकी प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने हेतु नागर विमानन महानिदेशालय तथा एअरो क्लब ऑफ इंडिया के माध्यम से प्रशिक्षक विमान उपलब्ध करा कर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराती है जोकि एक संतत/निरन्तर प्रक्रिया है।

*[हिन्दी]*

**असम में तेल पाइपलाइनों को क्षति**

**2417. श्री रामदास आठवले : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उल्फा आतंकवादियों ने तेल की मुख्य पाइपलाइनों को विस्फोट के द्वारा उड़ा दिया है जिसके परिणामस्वरूप असम के कई तेलशोधक कारखानों को कच्चे तेल की आपूर्ति में बाधा पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन गतिविधियों के द्वारा तेल शोधक कारखानों को कितनी क्षति पहुंची है; और

(घ) तेल की मुख्य पाइप लाइनों एवं तेल शोधक कारखानों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :** (क) और (ख) असम राज्य में संदिग्ध उल्फा उग्रवादियों द्वारा

चालू वर्ष तथा गत तीन वर्षों के दौरान आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल) की कच्चे तेल की प्रमुख पाइपलाइनों में विस्फोट की 5 घटनाएं हुई हैं। यद्यपि, कच्चे तेल के परिवहन में अस्थायी व्यवधान आ गया था, किन्तु असम में रिफाइनरियों को कच्चे तेल की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आई। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं –

(ग) उक्त पैरा (क) और (ख) में कथित घटनाओं के कारण रिफाइनरियों को कोई नुकसान नहीं हुआ।

(घ) तेल की प्रमुख पाइपलाइनों और तेल रिफाइनरियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :–

1. अत्याधुनिक एस सी ए डी ए प्रणाली के साथ वास्तविक समय आधार पर निगरानी, नियंत्रण तथा प्रचालनीय पहलू।
2. हवाई निगरानी सहित पाइपलाइनों के साथ–साथ निगरानी बढ़ाना।
3. संबंधित सुरक्षा पहलुओं के संबंध में सरकार के प्राधिकारियों का शामिल होना और विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय।
4. स्थानीय पुलिस/सी आई एस एफ/सेना को अधिक संख्या में शामिल करना।
5. तेल रिफाइनरियों सहित संस्थापनों में और उनके आस–पास उचित प्रकाश व्यवस्था।
6. सुरक्षा स्थिति का नियमित जायजा लेने के लिए असम के पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में तेल कंपनियों के साथ तटवर्ती सुरक्षा समन्वय समिति की बैठक करना।

*विवरण*

| क्र.सं. | दिनांक व वर्ष | लोकेशन/स्थान | प्रभावित भाग | तारीख जिसको बहाल हुई (अभ्युक्ति यदि कोई है) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.3.2004 (2003–04) | गांव रतनपुरिया पी एस आमगुड़ी जिला सिवसागर, असम | पी एल कि.मी. 101.5 | 23.3.2004 |
| 2. | 15.7.2004 (2004–05) | महानंदा 1, गांव पूराझाड़ में रेलवे पुल, भक्तिनगर पी एस जिला जलपाईगुडी, पश्चिम बंगाल | पी एल कि.मी. 827.7 | 19.07.2004 |
| 3. | 10.03.2005 (2004–05) | जोरारी, काथलबाड़ी गांव, अमगुडी के पास, जिला सिबसागर, असम (पाइपलाइनों को नुकसान हुआ किन्तु कोई छेद नहीं हुआ। पंपिंग कार्य चालू था) | पी एल कि.मी. 103 | प्रचालनीय कारणों से मरम्मत स्थगित की गई तथा 7.4.2006 को पूरी की गई। |
| 4. | 10.3.2005 (2004–05) | डेका गांव, जिला जोरहाट, असम (पाइपलाइनों को नुकसान हुआ किन्तु कोई छेद नहीं हुआ। पंपिंग कार्य चालू था) | पी एल कि.मी. 190.6 | प्रचालनीय कारणों से मरम्मत स्थगित की गई तथा 11.4.2005 को पूरी की गई। |
| 5. | 6.8.2005 (2004–05) | बाकचू कोनवार गांव, चेरेकेपार पी एस जिला सिबसागर, असम | पी एल कि.मी. 74.74 | अस्थायी तौर पर कार्य 8.8.2005 को चालू किया गया। एच डी डी 7.4.2006 को पूरा हुआ। |

**भ्रष्टाचार रोकने के लिए सत्यनिष्ठा समझौता**

**2418. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :**

**श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा विभागों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सत्यनिष्ठा समझौता तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समझौते को कारगर बनाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 100 करोड़ रुपए से अधिक के सभी रक्षा अधिप्राप्ति मामलों में बोलीदाताओं को उस सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करना अपेक्षित हैं जिसमें बोली लगाने की प्रक्रिया में सभी तरह के भ्रष्टाचार को रोकने और की जाने वाली संविदा की विद्यमानता के दौरान और उसके बाद पूर्णतया निर्बाध, उचित पारदर्शी और निष्पक्ष सौदों के लिए वचनबद्धता की व्यवस्था है।

सत्यनिष्ठा समझौता खरीदार व विक्रेता दोनों के लिए बाध्यकारी है और उसके किसी भी तरह से उल्लंघन करने के लिए प्रतिबंधों और दांडिक उपबंधों को भी विनिर्दिष्ट करता है।

प्रतिबंधों में अन्य बातों के साथ–साथ बातचीत समाप्त करना, संविदा रद्द करना, पेशगी/सुरक्षा जमा/निष्पादन बंधपत्र जब्त करना, पहले से प्रदत्त राशि की ब्याज सहित वसूली करना और कम–से–कम 5 वर्ष के लिए रोक लगाना शामिल है।

सत्यनिष्ठा समझौते को आम जानकारी और व्यापक प्रचार के लिए रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया है।

*[अनुवाद]*

**रसोई गैस सिलिंडरों की आपूर्ति में विलम्ब**

**2419. डा. बाबू राव मिडियम :**
**श्री चेंगरा सुरेन्द्रन :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रसोई गैस (एल पी जी) अभिकरणों द्वारा ग्राहकों के सिलिंडरों को पुनः भरने में किए जाने वाले अत्यधिक विलम्ब के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाई करने का विचार है;

(घ) क्या सरकार ने गैस अभिकरणों को उपभोक्ताओं से सिलिंडर की आपूर्ति हेतु वैसी नई मांग को दर्ज करने से मना करने के निदेश जारी किए हैं जो पिछली आपूर्ति के 20 दिनों के अंदर किए जाते हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह कब तक प्रवर्तित रहेगी;

(च) क्या भविष्य में रसाई गैस सिलिंडरों की अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार के पास कोई प्रभावी योजना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :** (क) से (ग) यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओ एम सीज) एल पी जी वितरकों के पास पंजीकृत ग्राहकों की वास्तविक मांग को पूरा करने के लिए सारे प्रयास कर रही हैं, किन्तु उन्होंने अपने एल पी जी वितरकों द्वारा तरल पेट्रोलियम गैस (एल पी जी) रिफिल सिलेण्डरों की आपूर्ति में विलम्ब के कुछ मामलों की सूचना दी है। दोषी वितरकों के खिलाफ एल पी जी विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एम डी जी) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(घ) से (छ) सरकार ने ओ एम सीज को ऐसी कोई हिदायत जारी नहीं की है कि पिछली आपूर्ति के बाद 20 दिन पूरे होने से पहले किसी को एल पी जी सिलेण्डर न दिया जाये। एल पी जी वितरकों को एल पी जी की आपूर्ति उनके पास पंजीकृत ग्राहकों की वास्तविक मांग के अनुसार ओ एम सीज द्वारा की जाती है।

**नशामुक्ति केन्द्र**

**2420. श्री एस.के. खारवेन्थन :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान नशा मुक्ति केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में गैर–सरकारी संगठनों से भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एसे केन्द्रों को खोलने के लिए किन स्थलों की पहचान की गई है;

(घ) इन केन्द्रों के कब तक क्रियाशील होने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार इन केन्द्रों के कार्यकरण का अनुवीक्षण कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों में कितने व्यक्तियों का उपचार किया गया?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) :** (क) से (च) जी, हां। नए केन्द्र खोलने हेतु, सेवारहित जिलों की पहचान कर ली गई है। समय–समय पर प्राप्त प्रस्तावों की जांच की जाती है और उन पर विचार किया जाता है तथा यह एक सतत् प्रक्रिया है।

**गैस द्वारा कोयला गैसीकरण इकाई**

**2421. श्री सुनील खां :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेल (इंडिया) लि. ने हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन आफ इंडिया (एच एफ सी) लि. की नई बंद उर्वरक इकाई को सिन्थेसिस गैस उपलब्ध कराने के लिए रानीगंज कोयला क्षेत्र के पिट हेड में कोयला गैसीकरण इकाई की स्थापना के लिए कोई कार्य योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सरकारी-निजी भागीदारी**

**2422. श्रीमती किरण माहेश्वरी :**
**श्री राजनरायन बुधौलिया :**
**श्री जी.वी. हर्ष कुमार :**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रक्षा उपकरण के उत्पादन में छोटे एवं मध्यम उद्यमों वाली सरकारी-निजी भागीदारी के बढ़ावा दे रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार लघु और मध्यम उद्यमों से आउटसोर्सिंग को भी बढ़ावा दे रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आउटसोर्सिंग के कारण देश की सुरक्षा की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) अभी तक प्रमुखतया लघु एवं मध्यम उद्यम ही सार्वजनिक क्षेत्र में रक्षा उत्पादन यूनिटों को सामानों, जिनमें कच्चा माल, असैंबलियां, उप-असैंबलियां, संघटक आदि शामिल हैं, की आपूर्ति करने में लगे हुए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) 2005-06 के दौरान आयुध निर्माणियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों ने कच्चे माल संबंधी अपनी कुल आवश्यकता का क्रमशः लगभग 28% तथा 5% कच्चा माल लघु एवं मध्यम उद्यमों से प्राप्त किया।

(ङ) आयुध निर्माणियां तथा सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम अपनी आवश्यकता का कच्चा माल आउटसोर्स करते समय पर्याप्त सुरक्षोपाय सुनिश्चित करते हैं।

**कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की स्थिति**

**2423. श्री अवतार सिंह भडाना :**
**डा. राजेश मिश्रा :**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना कब तक क्रियान्वित होने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) से (ग) जी हां। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक नई लाइल के निर्माण का सर्वेक्षण वर्ष 1999-2000 में पूरा हो गया था जिसके अनुसार 125 कि.मी. लंबी लाइन के निर्माण की लागत 1372 करोड़ रु. आंकी गई थी। चालू परियोजना की अलामप्रद प्रकृति, संसाधनों की तंगी और भारी थ्रोफारवर्ड को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।

*[अनुवाद]*

**स्वयं सक्षम योजना**

**2424. श्री किन्जरपु येरननायडु** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "स्वयं सक्षम योजना" आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से उक्त योजना के अंतर्गत पिछड़ी जातियों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को ऋण प्रदान करने के लिए कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजना के अंतर्गत प्रदत्त सहायता राशि एवं इसके अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन)** : (क) और (ख) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम ने अपनी सावधि ऋण योजनाओं के अंतर्गत स्वयं सक्षम योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को अपने स्वरोजगार कामधंधों की स्थापना करने के लिए रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसका ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ग) मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों ने स्वयं सक्षम योजना के अंतर्गत वार्षिक कार्रवाई योजना भी प्रस्तुत किया जिसमें लाभार्थियों का विवरण दिया गया है।

(घ) राज्यवार ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ङ) स्वयं सक्षम योजना के अंतर्गत जारी निधियों का राज्यवार ब्यौरा विवरण-III के रूप में संलग्न है।

*विवरण-I*

*स्वयं सक्षम योजना*

**उद्देश्य**

स्वरोजगार के माध्यम से युवाओं के बीच आत्मविश्वास की भावना का संचार करने और व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा शिक्षा के माध्यम से उनकी प्रतिभा और अनुभव का फायदा उठाने के लिए, यह निगम पिछड़े वर्गों के युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार कर सकेगा।

**पात्रता**

1. केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित पिछड़े वर्ग का युवा हो;
2. व्यावसायिक शिक्षा/प्रशिक्षण प्राप्त किया हो;
3. बेरोजगार युवक की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा की आय के दुगने से कम हो; और
4. आयु सीमा 18-35 वर्ष के बीच हो।

**ऋण की अधिकतम सीमा**

अधिकतम ऋण सीमा 5 लाख रुपए है।

**वित्त पोषण की पद्धति**

1. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम ऋण - 90%
2. राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी ऋण - 05%
3. लाभार्थी योगदान - 05%

**ब्याज दर**

1. वित्त एवं विकास ऋण - 2% वार्षिक
2. लाभार्थी को राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों से ऋण - 5% वार्षिक

**अदायगी अवधि**

इस योजना की प्रकृति के आधार पर अधिकतम अदायगी अवधि 10 वर्ष है।

**उदाहरणात्मक सूची**

कामधंधों की उदाहरणात्मक सूची में इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल किए जा सकते हैं :-

डाक्टरः वास्तुकारः साफ्टवेयर/हार्डवेयर/आटोमोबाइल सहित इंजीनियरः सनदी लेखाकार। कॉस्ट लेखाकारः होटल प्रबंधनः वृद्धावस्था देखभाल गृहः प्रचार और विज्ञापनः सेवा तथा भवनों का रखरखाव आदि सुरक्षा गार्ड एजेंसीः प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग केन्द्रः संस्कृति और पर्यटन विकासः मुद्रण प्रेसः। आभूषण डिजाइनिंगः हीरा तराशः पौलिशिंगः काष्ट शिल्पः फर्नीचरः पार्लर/फिटनेश केन्द्रः पत्थर/धातु कारीगरीः पारंपरिक कला और शिल्प आदि में मूल्य वर्धित।

उपर्युक्त सूची केवल उदाहरणात्मक है - ना कि व्यापक। पात्र युवा कोई अन्य तकनीकी व्यवहार्य और वित्तीयरूप से संभाव्य परियोजना के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

*विवरण-II*

*वार्षिक कार्रवाई योजना में यथा अनुमोदित स्वयं सक्षम योजना के अंतर्गत 2006-07 के दौरान ऋण राशि और लाभार्थियों की संख्या*

| क्र.सं. | राज्य | राशि (लाख रुपए) | लाभार्थियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | छत्तीसगढ़ | 5.00 | 2 |
| 2. | गोवा | 6.75 | 4 |
| 3. | हरियाणा | 18.00 | 10 |
| 4. | कर्नाटक | 10.00 | 20 |
| 5. | केरल (हथकरघा) | 2.50 | 13 |
| 6. | केरल (महिला) | 5.00 | 5 |
| 7. | केरल (बीसी) | 60.00 | 25 |
| 8. | महाराष्ट्र (ओबीसी) | 50.00 | 25 |
| 9. | पंजाब | 20.00 | 5 |
| 10. | उत्तर प्रदेश | 45.00 | 10 |
| | कुल | 222.25 | 119 |

*विवरण-III*

*स्वयं सक्षम योजना के अंतर्गत राज्य द्वारा प्रदत्त संचयी सहायता का राज्यवार ब्यौरा*

| क्र.सं. | राज्यों के नाम | वित्तीय सहायता (लाख रुपए में) | लाभार्थियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 26.81 | 39 |
| 2. | हरियाणा | 3.52 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3. | कर्नाटक | 7.83 | 17 |
| 4. | केरल | 0.45 | 1 |
| 5. | महाराष्ट्र | 62.21 | 26 |
| | कुल | 100.82 | 84 |

**विमानपत्तनों पर स्कैनिंग मशीनों का प्रतिस्थापन**

2425. **डा. एम. जगन्नाथ :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विमानपत्तनों पर संस्थापित स्कैनिंग मशीनों को स्कैनिंग मशीनों के नए रूपान्तर द्वारा प्रतिस्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन स्कैनरों का विनिर्माण देश में किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार इस स्कैनरों की खरीद किस तरीके से करने की योजना बना रही है; और

(च) इन्हें कब तक प्रतिस्थापित किए जाने की संभावना है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) और (ख) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के अपनी उपयोगी आयु को पार कर चुके मशीनों को बदलने के प्रस्ताव हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। ऐसे उपकरणों को नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) द्वारा समय–समय पर तकनीकी विनिर्देशन उन्नयन के अनुसार प्राप्त किया जाता है।

(ङ) ऐसे उपकरणों को प्रतिस्पर्धी वैश्विक करारों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

(च) हालांकि, मशीनों को वर्ष 2007 के मध्य तक बदलने के प्रयास किए जाएंगे, फिर भी वास्तविक बदलाई निविदा की प्रतिक्रिया, कीमत इत्यादि जैसे कारकों पर निर्भर करेगी।

**अंधाधुंध दोहन**

2426. **श्री बंसगोपाल चौधरी :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सीमित जीवाश्म ईंधनों एवं हाइड्रोकार्बन भण्डारों के अंधाधुंध दोहन का अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :** (क) और (ख) पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना 1994 के तहत, 100 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाले तेल और गैस अन्वेषण और उनके उत्पादन, परिवहन तथा भण्डारण से संबंधित प्रस्तावों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी लेना अनिवार्य है। ऐसी परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण के आधार पर, अन्वेषी कार्यों के कारण पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तैयार की जाती है। तटीय और अपतटीय अन्वेषी कार्यों से अपशिष्ट छोड़े जाने के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं। गैसीय उत्सर्जनों के छोड़े जाने तटीय तथा अपतटीय वेधन कार्यों से ड्रिल कटिंग तथा वेधन फ्ल्यूडों के निपटान को दिनांक 30 अगस्त, 2005 के जी एस आर 546 (ई) द्वारा अधिसूचित किया गया है। परियोजना प्राधिकारियों को, अपतटीय तथा तटीय वेधन कार्यों से ठोस अपशिष्ट, ड्रिल कटिंग तथा वेधन फ्ल्यूडों के निपटान हेतु उक्त दिशा निर्देशों का अनुपालन करने के लिए कहा गया है।

(ग) भारत मौसमी परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यू एन एफ सी सी) तथा क्योटो प्रोटोकाल का एक पक्षकार है, जो मौसमी परिवर्तनों तथा सार्वभौम तापन से संबंधित मुद्दों का समाधान करते हैं। सरकार ने सार्वभौम तापन के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जनों का पता लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके अंतर्गत ऊर्जा कुशलता, ऊर्जा संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों, स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त के लिए ईंधन प्रयोग शामिल हैं।

**ग्राउंड हैण्डलिंग क्रियाकलापों पर प्रतिबंध**

2427. **श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास ग्राउंड हैण्डलिंग कार्यों/क्रियाकलापों हेतु एजेंसियों की संख्या को सीमित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को निजी विमान कंपनियों से कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि इन सुविधाओं से उनके उड़ान कार्य प्रभावित होंगे।

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) से (ङ) प्रस्तावित नागर विमानन नीति के एक भाग के रुप में, ग्राउण्ड हैंडलिंग नीति सरकार के विचाराधीन है।

*[हिन्दी]*

### तेल एवं गैस खोजों के लिए सर्वेक्षण

**2428. श्री ब्रजेश पाठक :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में तेल और गैस खोज/अन्वेषण कार्य के लिए सर्वेक्षण किए जा रहे स्थानों और इसमें लगी कंपनियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कंपनियों द्वारा सर्वेक्षण और खोज कार्यों पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में प्राप्त सर्वेक्षण में प्राप्त सर्वेक्षण रिपोर्टों का कोई विश्लेषण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :** (क) देश में हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण का कार्य आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी), आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल) और निजी/संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनियों द्वारा असम, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। कंपनियो के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों में ओ एन जी सी, ओ आई एल और निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा अन्वेषण पर किया गया व्यय निम्न प्रकार है-

(करोड़ रुपए में)

| | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
|---|---|---|---|
| ओ एन जी सी | 2542.30 | 3277.68 | 3888.71 |
| ओ आई एल | 303.17 | 290.55 | 528.60 |
| निजी/संयुक्त उद्यम | 392.97 | 411.42 | 105.79 |

(ग) से (ङ) हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डी जी एच) निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों और राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा किये जा रहे अन्वेषण क्रियाकलापों की निगरानी कर रहा है। हाल में ही नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन ई एल पी) के छठे दौर के अधीन भारत सरकार ने 55 अन्वेषण ब्लाकों की पेशकश की है, जिसमें 24 ब्लाक जमीनी क्षेत्र में हैं, 6 ब्लाक उथले जलों में और 25 ब्लाक गहरे समुद्र में हैं। इन ब्लाकों के लिए बोलियों की अंतिम तिथि 15.9.2006 है।

**विवरण**

*देश में हाईड्रोकॉर्बन का अन्वेषण करने वाली कंपनियों के नाम*

| राज्य | कंपनियां |
|---|---|
| असम | प्रीमियर ऑयल, एचओईसी, ओआईएल, आईओसी, केनोरो रिसोर्सेज़, असम ऑयल कंपनी, एस्सार ऑयल, ओएनजीसी, |
| अरुणाचल प्रदेश | ज्यो पेट्रोल, एनटीपीसी एंड केनोरो रिसोर्सेज |
| आंध्र प्रदेश | ओएनजीसी |
| बिहार | केर्न एनर्जी इंडिया लिमिटेड |
| गुजरात | एचओईसी, जीएसपीसीएल, आरआईएल, टुल्लो, ऑकलैंड, एस्सार ऑयल, फोकस एनर्जी लिमिटेड, निको, गेल, ओएनजीसी, केर्न एमर्जी, जुबिलेन्ट एन्प्रो, ज्यो ग्लोबल, प्राईज़ पैट्रोलियम, आरआईएल, जुबिलेन्ट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड |
| हिमाचल प्रदेश | ओएनजीसी |
| मध्य प्रदेश | ओएनजीसी |
| मिज़ोरम | ओएनजीसी, आईओसी |
| नागालैंड | ओएनजीसी, ओआईएल |
| उड़ीसा | ओएनजीसी, ओआईएल, आईओसी, गेल |
| राजस्थान | सीईआईएल, फोकस एनर्जी, ओआईएल, ओएनजीसी, ईएनआई |
| त्रिपुरा | एन्प्रो फाईनेंस, ओएनजीसी, गेल |
| तमिलनाडु | एन्प्रो फाईनेंस, गेल, जीएसपीसी, ओएनजीसी, बीपीसीएल, निक्को |
| उत्तर प्रदेश | ओएनजीसी, आईओसी, सीईआईएल |
| पश्चिम बंगाल | ओएनजीसी |

*[अनुवाद]*

### यूरोपीय देशों के लिए सीधी विमान सेवा

**2429. श्री एन.एन. कृष्णदास :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के उन अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तनों का ब्यौरा क्या है जहां से यूरोपीय गंतव्य स्थलों के लिए सीधी विमान सेवाएं संचालित होती हैं;

(ख) क्या यूरोपीय गंतव्य स्थलों के लिए सीधी विमान सेवा हेतु राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) यूरोपीय गन्तव्यों के लिए सीधी उड़ानें भारत में अमृतसर, बंगलौर, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोलकाता तथा मुम्बई हवाईअड्डों से प्रचालित की जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**इंदौर विमानपत्तन पर कार्गो काम्प्लेक्स का निर्माण**

**2430. श्री कृष्णा मुरारी मोघे :**
**श्री विजय कुमार खंडेलवाल :**
क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इंदौर विमानपत्तन पर एक कार्गो काम्प्लेक्स के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ग) इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

*[अनुवाद]*

**अलीपुरद्वार से बामनहाट का आमान परिवर्तन**

**2431. श्री हितेन बर्मन :**
**श्री जोआकिम बखला :**
क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि अलीपुरद्वार से बामनहाट लाइन का आमान परिवर्तन कार्य लंबे समय से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे इस लाइन पर कार्य समाप्त करने के लिए लक्ष्य तिथि को पूरा करने में सक्षम नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस कार्य को समाप्त करने के लिए पूर्व निर्धारित लक्ष्य तिथि क्या है; और

(च) इस लाइन पर कार्य कब पूरा होने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) से (च) अलीपुरद्वार–बामनहाट न्यू जलपाईगुड़ी–न्यूबोंगाईगांव आमान परिवर्तन कार्य की संबद्ध शाखा लाइन है। न्यू जलपाईगुड़ी–न्यूबोंगाईगांव (279किमी) का आमान परिवर्तन पूरा हो चुका है तथा यातायात के लिए खोल दिया गया है। अलीपुरद्वार से बामनहाट (73.32 किमी) तक शाखा लाइन पर मिट्टी संबंधी तथा पुल निर्माण संबंधी कार्य शुरू किया गया है। न्यू कूचबिहार–अलीपुरद्वार (23 किमी) को सितंबर, 2006 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है तथा शेष कार्य 2007–08 में पूरा हो जाएगा। कार्य संसाधनों की उपलब्धता के मद्देनजर प्रगति कर रहा है।

*[हिन्दी]*

**विकलांगों को आवास सुविधा**

**2432. श्री चन्द्रभान सिंह :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विकलांग व्यक्तियों को लागतमुक्त आवास प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश में कोई योजना क्रियान्वित कर रही है अथवा क्रियान्वित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(घ) क्या सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए योजनाओं के बारे में सूचना देने के लिए सूचना केन्द्रों/कार्यालयों की स्थापना की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) राज्यों में स्थित जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र, विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं।

*[अनुवाद]*

**रेलवे ट्रैकों का स्तरोन्नयन**

**2433. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रेलवे लाइनों की कुल लंबाई (किलोमीटर में) क्या है;

(ख) श्रेणी क, श्रेणी ख, श्रेणी ग और श्रेणी घ मार्गों की कुल लंबाई कितनी है और इन ट्रैकों पर क्रमशः अनुमति प्राप्त अधिकतम गति सीमा क्या है;

(ग) श्रेणी क, ख, ग, और घ पर क्रमशः कितने टन लदान वहन करने की अनुमति है; और

(घ) रेलवे ट्रैकों को स्तरोन्नयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) 31.03.2005 को (उपलब्ध अद्यतन स्थिति) के अनुसार देश में रेल लाइन (मार्ग किलोमीटर) की कुल लंबाई 63.465 किलोमीटर है।

(ख) श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी मार्गों की कुल लंबाई और उन पर अनुमेय अधिकतम गति इस प्रकार है:

| श्रेणी | 31.03.2005 को (उपलब्ध अद्यतन स्थिति) के अनुसार किलोमीटर में मार्ग लंबाई | अधिकतम अनुमेय गति |
|---|---|---|
| ए | 6774 | 160 किमीप्रघं तक गति |
| बी | 9184 | 130 किमीप्रघं तक गति |
| सी | 863 | चेन्नै, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के उपनगरीय खंड |
| डी | 11664 | 100 किमीप्रघं |

बहरहाल, अधिकतम अनुमेय गति पर गाड़ियों के चालन के लिए रेलपथ अवसंरचना, सिगनलिंग, समपारों पर चौकीदार तैनात करने, रेलपथों के किनारे बाड़ लगाने आदि विभिन्न सुधार करना आवश्यक हैं।

(ग) ए, बी, सी, डी आदि जैसे मार्गों की विभिन्न श्रेणियों के लिए भार के संबंध में कोई निर्धारित मानक नहीं है।

(घ) रेलपथ का निरीक्षण एवं अनुरक्षण एक सतत प्रक्रिया है। जब कभी आयु एवं स्थिति के आधार पर नवीकरण अपेक्षित हो जाता है तब रेलपथ का नवीकरण किया जाता है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों। नवीकरण के दौरान मार्ग की श्रेणी, वार्षिक यातायात घनत्व और यातायात आवश्यकताओं यथा उच्चतर धुरा भार अनुमेय करना, उच्च गति की रेलगाड़ियां चलाने आदि के आधार पर रेलपथ संरचना का ग्रेडोन्नयन किया जाता है।

**नवी मुम्बई पर विमानपत्तन**

**2434. श्री मोहन रावले** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेसर्स सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट कारोरेशन ने नवी मुम्बई स्थित पनवेल के नजदीक एक नए अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के विकास के लिए सुनिर्धारित प्रक्रियाएं हैं। प्रस्ताव विचाराधीन है।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा किया गया सिमुलेशन संबंधी अध्ययन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को प्राप्त हो गया है और इसकी जांच की जा रही है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक के विकास/ अनुरक्षण के लिए कायिक निधि**

**2435. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा** :
**डा. वल्लभभाई कथीरिया** :
**श्री मधुसूदन मिस्त्री** :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या करमसाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक के विकास एवं अनुरक्षण के लिए एक कायिक निधि सृजित करने का कोई प्रस्ताव हां; और

(ख) यदि हैं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) और (ख) वर्ष 1996-97 के दौरान संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा करमसाद, गुजरात में एक स्थायी स्मारक की स्थापना हेतु सरदार वल्लभ भाई पटेल ट्रस्ट के लिए 1.5 करोड़ रु. की राशि मंजूर की गई थी। इस समय, उक्त स्मारक के लिए कार्पस निधि प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**रक्षा कर्मियों की भर्ती**

**2436. श्री सुग्रीव सिंह :**
**श्री किसनभाई वी. पटेल :**
**श्री छत्तर सिंह दरबार :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान देशभर में सशस्त्र बलों में राज्य-वार कितने रक्षा कर्मियों की भर्ती की गई; और

(ख) प्रत्येक क्षेत्र के व्यक्तियों को समानुपातिक प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) सेना में भर्ती प्रत्येक राज्य की भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या के हिस्से के अनुसार की जाती है जिसकी गणना 10 प्रतिशत पुरुष जनसंख्या को ध्यान में रखकर की जाती है। नौसेना तथा वायुसेना में भर्ती, उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के अनुसार 'अखिल भारतीय मेरिट' के आधार पर की जाती है।

*विवरण*

| क्रम सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम | सेना | | | नौसेना | | | वायुसेना | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2004 | 2005 | 2006* | 2004 | 2005 | 2006** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 5648 | 3525 | 1586 | 317 | 268 | 120 | 640 | 456 | 257 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 82 | 79 | 43 | – | – | – | – | – | – |
| 3. | असम | 1618 | 1160 | 557 | 55 | 54 | 30 | 26 | 77 | 31 |
| 4. | बिहार | 5707 | 3134 | 2582 | 588 | 391 | 148 | 1878 | 1492 | 1353 |
| 5. | गुजरात | 2128 | 1773 | 510 | 01 | 05 | 01 | 09 | 219 | 16 |
| 6. | हरियाणा | 2927 | 2521 | 1119 | 493 | 327 | 174 | 358 | 886 | 510 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 2336 | 1846 | 818 | 99 | 135 | 57 | 67 | 43 | 201 |
| 8. | जम्मू-कश्मीर | 3261 | 2359 | 1187 | 55 | 66 | 101 | 35 | 333 | 99 |
| 9. | कर्नाटक | 4686 | 2026 | 950 | 18 | 28 | 10 | 43 | 91 | 112 |
| 10. | केरल | 2599 | 1645 | 848 | 180 | 91 | 42 | 183 | 602 | 112 |
| 11. | गोवा | 125 | 03 | 04 | 02 | 01 | 07 | – | – | 05 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 4011 | 3223 | 1125 | 68 | 39 | 35 | 26 | 216 | 23 |
| 13. | महाराष्ट्र | 6723 | 4932 | 1930 | 80 | 62 | 47 | 55 | 87 | 135 |
| 14. | मणिपुर | 371 | 210 | 163 | 38 | 45 | 12 | 33 | 91 | 33 |
| 15. | मेघालय | 119 | 87 | 53 | 05 | 02 | – | 03 | 01 | 03 |
| 16. | मिजोरम | 329 | 145 | 114 | 04 | 04 | 05 | 05 | 01 | 02 |
| 17. | नागालैंड | 528 | 415 | 206 | 16 | 10 | 01 | 02 | 02 | 01 |
| 18. | त्रिपुरा | 159 | 128 | 64 | 0 | 02 | 01 | 30 | 45 | 8 |
| 19. | उड़ीसा | 1814 | 1647 | 862 | 198 | 99 | 67 | 199 | 99 | 114 |
| 20. | पंजाब | 7944 | 5380 | 2274 | 101 | 112 | 45 | 26 | 226 | 149 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | राजस्थान | 5566 | 4630 | 2025 | 371 | 302 | 85 | 375 | 719 | 555 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 4258 | 3102 | 1275 | 193 | 149 | 66 | 118 | 161 | 74 |
| 23. | उत्तर प्रदेश | 12650 | 9801 | 3640 | 656 | 608 | 299 | 672 | 696 | 1012 |
| 24. | तमिलनाडु | 4492 | 3120 | 1149 | 49 | 24 | 13 | 39 | 242 | 23 |
| 25. | दिल्ली | 1388 | 1031 | 547 | 43 | 38 | 30 | 31 | 35 | 53 |
| 26. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 22 | – | 33 | 08 | 12 | 14 | – | 16 | 13 |
| 27. | चंडीगढ़ | 04 | 02 | – | 01 | – | – | 02 | – | – |
| 28. | पांडिचेरी | 06 | 03 | 15 | – | – | – | 01 | 03 | 08 |
| 29. | छत्तीसगढ़ | 1072 | 643 | 335 | 21 | 13 | 10 | 13 | 124 | 12 |
| 30. | सिक्किम | 64 | 05 | 08 | 15 | 09 | 07 | 01 | 06 | 18 |
| 31. | झारखंड | 1715 | 1168 | 629 | 34 | 39 | 07 | 193 | 148 | 172 |
| 32. | उत्तरांचल | 4077 | 2049 | 1022 | 75 | 95 | 44 | 98 | 432 | 346 |
| 33. | लक्षद्वीप | – | – | 15 | – | – | – | – | – | |
| | कुल | 88429 | 61792 | 27688 | 3583 | 3020 | 1478 | 5167 | 7549 | 4570 |
| नेपाल से भर्ती | | 1412 | 722 | 223 | – | 1 | – | – | 1 | 1 |

टिप्पणी: भर्ती आंकड़ों में अधिकारी शामिल नहीं हैं।

* वर्ष 2006 के लिए सूचना केवल एक बैच के लिए उपलब्ध है।

** जून, 2006 तक।

**उत्तर सीमांत रेलवे द्वारा सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम बनाना**

**2437. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर सीमांत रेलवे द्वारा सुरक्षा संबंधी बनाए गए वीडियो स्पॉट/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या असम में इनका प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) 2005–06 में, दो छोटी एनिमेशन फिल्म, एक को चौकीदार वाले समपार पर और दूसरी को चौकीदार रहित समपार पर प्रयेक 30 सैकेंड के लिए प्रस्तुत किया गया था। 2005–06 में, दो स्थिर वीडियो प्रदर्शन, एक चौकीदार रहित समपार पर तथा दूसरा गाड़ी में आगजनी पर प्रत्येक 10 सैकेंड के लिए प्रस्तुत किया गया था।

(ख) और (ग) जी नहीं, पूर्वोत्तर क्षेत्र को शामिल करने के लिए दूरदर्शन केन्द्र, गोवाहाटी के माध्यम से निम्नलिखित तिथियों को दूरदर्शन प्रस्तुति की गई थी :

(i) 17 दिसंबर, 2005

(ii) 7 जनवरी, 2006

(iii) 15 और 29 अप्रैल, 2006

(iv) 6, 13, 20 और 27 मई, 2006

(v) 1, 8, 15, 22 और 29 जुलाई 2006

**आंध्र प्रदेश में रक्षा उपकरण विनिर्माण डिपो**

**2438. श्री रायापति सांबसिवा राव :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से राज्य में

रक्षा उपकरण विनिर्माण डिपो की स्थापना करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इन्द्रजीत सिंह) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**रालिंग स्टॉक का विनिर्माण**

**2439. श्री वसुदेव आचार्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे की कर्मशालाएं रालिंग स्टॉक के विनिर्माण में लगी हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन कर्मशालाओं द्वारा विनिर्मित रालिंग स्टॉक का कर्मशालावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन कर्मशालाओं के आधुनिकीकरण पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) जी हां, कुछ कारखानों में चल स्टॉक का निर्माण हो रहा है।

(ख) ऐसे कारखानों द्वारा निर्मित किए जा रहे चल स्टॉक ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) गतायु परिसंपत्तियां, क्षमता में संवर्धन तथा मौजूदा सुविधाओं की मरम्मत/रखरखाव समय-समय पर आवश्यकतानुसार किया जाता है और यह एक सतत् प्रक्रिया है। इन कारखानों पर किया गया खर्च, विशेष रूप से इनके अनधुनिकीकरण पर (परिवर्तन/संवर्धन के लिए इनपुटों के अलावा) किए गए खर्च का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

***विवरण-I***

*पिछले तीन वर्षों में कारखानेवार निर्मित चल स्टॉक की संख्या*

(आंकड़े वाहन इकाइयों में)

| कारखाना | स्टॉक की किस्म | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| समस्तीपुर | वैगन | 302 | 258 | 216 |
| अमृतसर | वैगन | 288 | 295 | 218 |
| गोल्डेन रॉक | वैगन | 602 | 468 | 475 |
| हुबली | वैगन | 0 | 33 | 46 |
| परेल | एन जी लोको | 0 | 0 | 2 |
| मोतीबाग | एन जी कोच | 5 | 10 | 11 |
| कुर्डवाडी | एन जी कोच | 04 | 04 | 0 |
| कालका | एन जी कोच | 14 | 13 | 13 |
| भावनगर | एन जी कोच | 0 | 0 | 2 |

***विवरण-II***

*चल स्टॉक के निर्माण में मशगूल कारखानों के आधुनिकीकरण पर हुआ व्यय*

(लाख रु में)

| कारखाना | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
|---|---|---|---|
| समस्तीपुर | 23.73 | 25.10 | 87.33 |
| अमृतसर | 0 | 0 | 0 |
| गोल्डेन रॉक | 0 | 0 | 0 |
| हुबली | 0 | 0 | 0 |
| परेल | 0 | 0 | 0 |
| मोतीबाग | 0 | 0 | 0 |
| कुर्डवाडी | 0 | 0 | 0 |
| कालका | 0 | 0 | 0 |
| भावनगर | 0 | 0 | 0 |

**पेंशन निधि**

**2440. श्रीमती मनोरमा माधवराज :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006-07 हेतु पेंशन प्रभारों के लिए कुल कितनी निधि आबंटित की गई है;

(ख) क्या आबंटित निधि उक्त अवधि के दौरान पेंशन देयताओं को पूरा करने के लिए पर्यात है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) से (ग) 2006-07 (बजट अनुमान) में पेंशनरी प्रभारों को पूरा करने के लिए 7900 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं, जिन्हें इस अवधि के दौरान पेंशनरी दायिताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**वाहनों का उत्पादन**

**2441. श्री राकेश सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाहन फैक्ट्री, जबलपुर में एक टन की क्षमता वाले वाहनों का उत्पादन सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कौन–कौन से क्षेत्रों के लिए उक्त वाहनों का विनिर्माण किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने बाजार की उपलब्धता जैसे सभी घटकों पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वाहन फैक्ट्री, जबलपुर ने जोंगा वाहनों का उत्पादन बन्द कर दिया है और ये वाहन देश की अन्य फैक्ट्रियों में विनिर्मित हो रहे हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) वाहन फैक्ट्री, जबलपुर में जोंगा वाहनों के विनिर्माण को पुनः आरम्भ करने के लिए सरकार की भावी योजना क्या है?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इन्द्रजीत सिंह) :** (क) और (ख) जी हां, वाहन निर्माणी जबलपुर भारतीय सेना की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रथमतः 1/1.5 टन वाहनों के विकास की संभावनाओं का पता लगा रही है।

(ग) और (घ) सिविलियनों के उपयोग के लिए इस वाहन के रूपांतरों के विकास की संभावनाओं का बाद में पता लगाया जाएगा।

(ङ) और (च) वाहन निर्माणी, जबलपुर में जोंगा वाहनों के उत्पादन को 1997–98 से आगे बंद कर दिया गया क्योंकि सशस्त्र सेनाओं की अपेक्षाएं बदल गयी थीं।

(छ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

*[अनुवाद]*

**रेल परियोजना हेतु गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति**

**2442. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने देश में आमान परिवर्तन और नई रेल लाइनों को बिछाने तथा रेल मार्गों के दोहरीकरण से संबंधित चालू रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004–05 और 2005–06 के दौरान उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा प्राप्त की गई वास्तविक प्रगति का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन चालू परियोजनाओं के नाम क्या है जिनके संबंध में तीव्र लागत वृद्धि हुई है और जिनके व्यावसायिक रूप से गैर अर्थक्षम हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या रेलवे अपने द्वारा अपनाए गए आर्थिक उपायों के मद्देनजर ऐसी गैर अर्थक्षम परियोजनाओं का परित्याग करने पर विचार कर रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) चालू परियोजनाओं को निर्धारित समय–सीमा के भीतर पूरा करने संबंधी रेलवे की नीति क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) और (ख) जी हां। 100 करोड़ रु. और उससे अधिक की लागत वाली सभी चालू परियोजनाओं की समीक्षा के लिए सितंबर, 2004 में उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था। उच्चाधिकार समिति में रेल मंत्रालय, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय के प्रतिनिधि होते हैं। दिसंबर, 2004 में हुई उच्चाधिकार समिति की बैठक में बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की गई।

(ग) मजदूरी की कीमत, सामग्री अन्य मदों की लागत में वृद्धि सभी चालू परियोजनाओं को प्रभावित करती है। इस प्रकार की लागत वृद्धि के कारण परियोजनाएं जो अलाभप्रद हो गई हैं उनके लिए इस प्रकार का विश्लेषण नहीं किया जाता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) संसाधनों की उपलधता और सापेक्ष प्राथमिकता के अनुसार कार्य प्रगति पर हैं, चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों के सृजन के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं।

*[हिन्दी]*

**जवानों को जूतों और कपड़ों की आपूर्ति**

**2443. श्री एम. अंजनकुमार यादव :**

**श्री सुनिल कुमार महतो :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में तैनात जवानों को उपयुक्त जूतों और गर्म कपड़ों की आपूर्ति नहीं की गई है जिससे उन्हें काफी कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई विभागीय जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : (क) से (घ) अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में तैनात सैन्य टुकड़ियां अत्यधिक ठंडे जलवायु की वस्त्र मदों, जिनमें जूते भी शामिल हैं, के लिए प्राधिकृत हैं। ऐसी मदों की व्यवस्था और अधिप्राप्ति, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है और ये मदें निरीक्षण के पश्चात स्वीकृत की जाती हैं। मदों की गुणवत्ता संबंधी शिकायतों पर भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाती है। सरकार का सदैव यह प्रयास रहा है कि सैन्य टुकड़ियों को गुणवत्ता वाला सामान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाए ताकि सैनिकों को कोई कठिनाई न हो।

**पत्तनों को जोड़ने वाले रेल मार्गों का दोहरीकरण**

**2444. श्री मुन्शी राम :**
**श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :**
**श्री शिशुपाल पटले :**
**प्रो. महादेवराव शिवनकर :**
**श्री मो. ताहिर :**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने पत्तनों को जोड़ने वाली रेल–लाइनों के दोहरीकरण की योजना को अनुमोदित किया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न पत्तनों से गुजरने वाली और इनको जोड़ने वाली उन रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है जिनके संबंध में कार्य आरंभ हो गया है;

(ग) उक्त रेल परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) क्या रेल मार्गों के दोहरीकरण से संबंधित कार्यों के दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूरा होने का अनुमान लगाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) से (ङ) पत्तनों को जोड़ने वाली रेल लाइनों के दोहरीकरण की ऐसी कोई योजना नहीं है। बहरहाल, पत्तन संपर्क/उनके भीतरी प्रदेश के विकास संबंधी कतिपय कार्य शुरू किए गए हैं और रेल विकास निगम द्वारा निष्पादित किए जा रहे हैं। लक्ष्य जहां कहीं निर्धारित है, के साथ–साथ इन परियोजना का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

*विवरण*

| परियोजना | लागत 06–07 | मार्च, 06 तक व्यय | परिव्यय 06–07 | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| पनवेल–जसई–जेएनपीटी | 53.25 | 22.62 | 8 | पूरा हो गया है। |
| रजतगढ़–नेरगुंडी | 84.84 | 83.04 | 0.2 | पूरा हो गया है। |
| रेहामा–पाराद्वीप | 75.51 | 69.17 | 5 | पूरा हो गया है। |
| नेरगुंडी–कटक–रघुनाथपुर | 174.98 | 164.31 | 10 | पूरा हो गया है। |
| बरौनी–तिलरथ एवं बाईपास | 15.37 | 12.52 | 2.39 | बरौनी–तलरथ पूरा हो गया है और बाईपास 2006–07 के दौरान |
| होजपेट–गुंतकल | 268.23 | 210.37 | 60 | बेल्लारी–होजपेट (62 किमी) और गुंतकल–हगारी (35 किमी) पूरा हो गया है। |
| पांसकुडा–हाल्दिया चरण–I | 35.02 | 28.68 | 0.5 | पांसकुडा–रजगोदा (14 किमी) पूरा हो गया है। |
| पांसकुडा–हाल्दिया चरण–II (पांसकुडा में फ्लाईओवर सहित राजगोडा–दुर्गाचक) | | | | आरवीएनएल द्वारा व्यावहारिकता अध्ययन किया जा रहा है। यह एक अस्वीकृत परियोजना है। |

*[अनुवाद]*

**रक्षा वर्दी की स्क्रीनिंग**

**2445. श्री नवीन जिन्दल** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

**(क) क्या सैन्य आसूचना ने लश्कर–ए–तैयबा से संबंध रखने वाले कुछ जवानों की गिरफ्तारी के बाद रक्षा वर्दी की स्क्रीनिंग करने का सुझाव दिया है जैसा कि दिनांक 26 जुलाई, 2006 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;**

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) रक्षा बलों में ऐसे भेदियों का पता लगाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :** (क) से (ग) सशस्त्र सैन्य कार्मिकों के पूर्ववृत का व्यापक रूप से सत्यापन करने तथा अवांछनीय तत्वों, यदि वे पहले से सेवा में हों, को पहचानने, अलग–थलग करने तथा उन्हें हटाने के लिए संगठन के अंतर्गत पहले से ही एक व्यापक तंत्र मौजूद है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा उपायों की समय–समय पर समीक्षा की जाती हे तथा उन्हें उद्यतन बनाया जाता है।

### नागपुर विमानपत्तन

**2446. श्री हरिभाऊ राठौड़ :**
**श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :**
**श्रीमती निवेदिता माने :**

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नागपुर में बहुविध अंतर्राष्ट्रीय यात्री एवं कार्गो हब विकसित करने हेतु परियोजना की लागत का अनमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना के वित्तपोषण में केन्द्र और राज्य का हिस्सा कितना है; और

(ग) उक्त परियोजना कब तक निष्पादित किए जाने की संभावना है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) इस संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा महाराष्ट्र सरकार/महाराष्ट्र विमानपत्तन विकास कंपनी के बीच हस्ताक्षरित किए जाने वाले समझौता ज्ञापन को शीघ्र ही अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

### वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रेलवे भूमि का उपयोग

**2447. श्री सुरेश कलमाडी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन को स्टेशन परिसरों के आस–पास के क्षेत्र के वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या बांद्रा (पश्चिम पूर्व) के निकट लगभग 4.5 हेक्टेयर भूमि का निपटान किए जाने का प्रस्ताव है जिसके लिए बोली आमंत्रित की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त भूमि मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजन–डवलपमेंट अथॉरिटी के क्षेत्राधिकार में आती है और रेलवे को उनके दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा; और

(घ) यदि हां, तो इस भूमि से कितनी आय होने की संभावना है और इसका किस प्रकार उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) जी हां। मुंबई रेलवे विकास निगम को एमआरवीसी के क्षेत्राधिकार के तहत मुंबई में रेलवे क्षेत्र का वाणिज्यिक विकास के लिए अनुमति दे दी गई है।

(ख) जी हां। बांद्रा (पूर्व) में लगभग 4.2 हेक्टेयर माप के भूखंड को वाणिज्यिक विकास के लिए लंबी अवधि के पट्टे पर मुंबई रेल विकास निगम को सौंप दिया गया है। अभी तक बोली नहीं लगाई गई है।

(ग) जी हां।

(घ) जगह काफी फायदेमंद है। बोली को अंमिम रूप दिए जाने के बाद पट्टा प्रिमियम की सही राशि का निर्धारण किया जा सकता है। रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के शर्तों के अनुसार निधियों का उपभोग 1:1:1 अनुपात में क्रमशः मुंबई उपनगरीय खण्ड में रेलवे अवसंरचनाओं के विकास करने, महाराष्ट्र और भारत में अन्यत्र रेलवे का विकास किया जाएगा।

*[हिन्दी]*

### जाली रेल टिकट

**2448. श्री विजय कृष्ण :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे को रेलवे में बड़े पैमाने पर चल रहे जाली रेल टिकट रैकेट के कारण राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान जाली रेल टिकट के कितने मामलों का पता लगा है और इससे रेलवे को राजस्व का जोनवार कितना नुकसान हुआ है;

(ग) क्या इस गैर–कानूनी गतिविधि में रेलवे कर्मचारियों को भी संलिप्त पाया गया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान उक्त गैर–कानूनी गतिविधि में कितने रेल अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों को संलिप्त पाया गया है; और

(ङ) दोषी पाए गए अधिकारियों/व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जानी है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) जाली रेलवे टिकटों के कुछ मामलों का पता चला है। बहरहाल, इस कारण रेलवे को हुई हानि का आकलन नहीं किया जा सकता।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी हां।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) टिकट जांच करने वाले कर्मचारियों द्वारा रेलवे सुरक्षा बल/राजकीय रेलवे पुलिस के समन्वय से जाली रेलवे टिकटों सहित विभिन्न अनियमितताओं/धोखाधड़ी के विरुद्ध रेल गाड़ियों के साथ-साथ स्टेशनों पर नियमित रूप से जांचें की जाती हैं। इस संबंध में समय-समय पर सतर्कता विभाग द्वारा भी जांचें की जाती हैं। इसके अलावा, क्षेत्रीय रेलों द्वारा नामित स्टेशनों पर गहन चेक पोस्टों का सृजन किया गया है ताकि टिकट हेरा-फेरी सहित बिना टिकट/अनियमित यात्रा, विशेषकर गाड़ियों के अनारक्षित डिब्बों में, की जांच प्रभावी ढंग से की जा सके। इन गैर-कानूनी गतिविधियों में लिप्त पाए गए व्यक्तियों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाता है। इस प्रकार की गतिविधियों में गुप्त सहयोग देने वाले रेल कर्मचारी के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है।

**विवरण**

| रेलवे | दर्ज किए गए जाली/छलयोजित रेलवे टिकटों के मामलों की संख्या (अप्रैल-जून 2006 की अवधि) | इस प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल अन्य व्यक्तियों सहित रेलकर्मियों की संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | रेलकर्मी | अन्य व्यक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| मध्य | 1 | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| पूर्व | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| पूर्व तट | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| पूर्व मध्य | 9 | जांच की जा रही है | कुछ नहीं |
| उत्तर | 6 | 2 | कुछ नहीं |
| उत्तर मध्य | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| पूर्वोत्तर | 4 | 5 | कुछ नहीं |
| पूर्वोत्तर सीमा | 3 | कुछ नहीं | 16 |
| उत्तर पश्चिम | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| दक्षिण | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| दक्षिण मध्य | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| दक्षिण पूर्व | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| दक्षिण पूर्व मध्य | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| दक्षिण पश्चिम | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| पश्चिम | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| पश्चिम मध्य | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |

*[अनुवाद]*

**कोल्लेनगोडे से त्रिचूर तक रेल मार्ग का निर्माण**

**2449. डा. पी.पी.कोया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में कोल्लेनगोडे से त्रिचूर वाया वडक्कंचेरी, पलक्कड जिला तक नई रेलवे लाइन का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या पहले इस परियोजना के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया था;

(घ) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण कब किया गया था;

(ङ) क्या पिछले रेलवे बजट में उपरोक्त प्रस्ताव के पुनर्सर्वेक्षण हेतु कोई धनराशि संस्वीकृत की गई है; और

(च) यदि हां, तो उक्त परियोजना हेतु कितनी धनराशि संस्वीकृत की गई है और उक्त परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) और (ख) कोल्लेमगोडे-त्रिचूर नई लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण संबंधी कार्य पूरा हो चुका है तथा जोनल रेलवे में सर्वेक्षण रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) और (घ) इस लाइन के लिए सर्वेक्षण 1949 में किया गया था।

(ङ) जी हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि परियोजना अनुमोदित नहीं है। बहरहाल, सर्वेक्षण की लागत 3.25 लाख रु. है।

*[हिन्दी]*

**सतना रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रानिक पुल की स्थापना**

**2450. श्री गणेश सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सतना रेलवे स्टेशन पर लोवरलोडिंग के मामलों की रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या मालगाड़ियों में अनुमत्य सीमा से अधिक माल ले जाने के मामले की जांच को स्थगित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सतना रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक पुल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.वेलु)** : (क) जी, नहीं। सतना रेलवे स्टेशन से अधिक लदान का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (च) जी, नहीं। सतना रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक तुला चौकी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, सगमा स्टेशन पर एक इलेक्ट्रॉनिक तुला चौकी स्थापित करने का प्रस्ताव है जो मानिकपुर की ओर सतना से अगला स्टेशन है। इसके फरवरी, 2007 तक स्थापित हो जाने की संभावना है।

**इंडियन आयल कारपोरेशन के डिपो से ईंधन की चोरी**

**2451. श्री हंसराज गं अहीर** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र के चन्द्रपुर–नागपुर राजमार्ग पर तडाली में स्थित इंडियन आयल डिपो से ईंधन के चोरी होने की जानकारी है जैसा कि दिनांक 15 जुलाई, 2006 के "दैनिक लोकमत" में, प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस पर गौर किया है और इस चोरी को रोकने हेतु कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) से (ग) 15 जुलाई, 2006 को दैनिक लोकमत में एक समाचार प्रकाशित हुआ, जिसमें इंडियन आयल कारपोरेशन (आई ओ सी) के कर्मचारियों, डब्ल्यू सी एल के टैंक ट्रक ड्राइवरों, सुरक्षा कर्मियों तथा पुलिस की मिलीभगत से वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (डब्ल्यू सी एल) के लिए तडाली डिपो पर लोड होने वाले टैंक ट्रकों (टी टी एस) से डीजल की चोरी/उठाई गिरी का आरोप लगाया गया। समाचार में वर्णित क्षेत्र आई ओ सी डिपो की चारदिवारी से काफी बाहर है। आई ओ सी के अनुसार, ग्राहकों को चक्रीय आधार पर टैंक ट्रक भेजे जाते हैं, सिवाए जहां डीलरों द्वारा अपने स्वयं के लोड के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। आई ओ सी ने मार्गस्थ कदाचारों को रोकने के लिए टैंक ट्रकों में सुरक्षा लाकिंग प्रणाली की शुरुआत की है। टैंक ट्रकों की ग्राहकों के स्थल पर तथा माल उतराई से पूर्व भी जांच की जाती है और, यदि ग्राहकों के मिलने वाले माल में कोई कमी होती है, तो उसे बीजक की पावती प्रति में दर्शाया जाता है। ग्राहकों से हाल में पीछे असामान्य कमी से संबंधित कोई शिकायत नहीं मिली थी।

तथापि, अक्तूबर, 2005 में टैंक ट्रक का एक मामला पाया गया, जिसमें असामान्य कमी/टैंक ट्रक फिटिंग से छेड़ छाड़ की गई थी। परिवहन अनुशासन दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की गई है।

*[अनुवाद]*

**विभिन्न योजनाओं हेतु आबंटित निधियां**

**2452. श्री जी.एम सिद्दीश्वर** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आबंटित निधियों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार के पास लंबित कर्नाटक से संबंधित वर्तमान प्रस्तावों की स्थिति कया है; और

(ग) प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी दिए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय)** : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दसवीं योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र योजना स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है जो कि परियोजना विशिष्ट हैं न कि राज्य या क्षेत्र विशिष्ट। मंत्रालय धनराशियो का आबंटन राज्य–वार नहीं करता है। तथापि, गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम के अंतर्गत जारी की गई धनराशियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) कर्नाटक राज्य के कुल 64 परियोजना प्रस्ताव राज्य नोडल एजेंसी आदि के परामर्श से प्रक्रिया/विचार करने के विभिन्न चरणों पर हैं।

**विवरण**

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| आंध्र प्रदेश | 465.57 | 797.67 | 689.80 |
| असम | 257.79 | 245.76 | 67.18 |
| बिहार | – | 25.32 | 64.22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| छत्तीसगढ | – | 32.61 | 98.25 |
| दिल्ली | – | 2.50 | 36.77 |
| गोवा | 17.00 | 25.00 | 47.58 |
| गुजरात | 165.85 | 262.15 | 370.05 |
| हरियाणा | 185.94 | 183.34 | 167.04 |
| हिमाचल प्रदेश | 99.18 | 75.51 | 154.48 |
| जम्मू एवं कश्मीर | 108.78 | 74.78 | 63.67 |
| झारखंड | – | – | 48.28 |
| कर्नाटक | 151.49 | 425.32 | 419.73 |
| केरल | 192.53 | 152.86 | 436.39 |
| मध्य प्रदेश | 88.93 | 45.62 | 239.95 |
| महाराष्ट्र | 529.03 | 778.67 | 1,251.94 |
| मणिपुर | 108.41 | – | 11.77 |
| मेघालय | – | 12.14 | 13.26 |
| मिजोरम | 110.50 | 12.30 | – |
| नागालैण्ड | 40.75 | – | – |
| उड़ीसा | – | 63.31 | 22.23 |
| पाण्डिचेरी | – | 24.54 | 14.67 |
| पंजाब | 163.00 | 538.23 | 497.67 |
| राजस्थान | 86.00 | 35.83 | 117.39 |
| तमिलनाडु | 274.03 | 310.60 | 699.68 |
| त्रिपुरा | 33.07 | – | – |
| उत्तर प्रदेश | 263.19 | 591.76 | 845.14 |
| उत्तरांचल | 5.37 | 87.88 | 162.71 |
| पश्चिम बंगाल | 132.96 | 325.74 | 400.14 |

**तमिलनाडु में प्रतिमाओं एवं स्तम्भों की खोज**

**2453. श्री ई.जी. सुगावनम :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने हाल ही में तमिलनाडु में विभिन्न प्रतिमाओं एवं अन्य अलंकृत स्तंभों की खोज की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में स्थित सभी विरासत संबंधी मूल्यों के परिरक्षण हेतु भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) :** (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में खोजी गई प्रतिमाओं एवं अलंकृत स्तम्भों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अधीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा तमिलनाडु में 413 स्मारकों और स्थलों का संरक्षण किया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निर्धारित पुरातत्वीय मानदण्डों के अनुसार उनका नियमित अनुरक्षण, संरचनात्मक मरम्मतें और पर्यावरण संबंधी विकास करता है।

उत्खनित पुरातत्व वस्तुओं का प्रलेखन किया जाता है और उन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के चेन्नई मण्डल कार्यालय की कस्टडी में सुरक्षित रखा जाता है।

***विवरण***

*हाल ही में तमिलनाडु से खोजी गई विभिन्न मूर्तियों एवं अलंकृत स्तम्भों का ब्यौरा*

| क्र. सं. | खोज का वर्ष | खोजी गई मूर्तियां/अलंकृत स्तम्भ | अवधि | खोज का स्थान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 2003–2004 | नाचती हुई मुद्रा में गणेश तथा देवी की प्रस्तर मूर्ति | लगभग 9वीं–12वीं तथा 14वीं–16वीं शताब्दी ईसवी | एकम्बरेश्वर मंदिर सेत्तुर, संघ राज्य क्षेत्र पाण्डिचेरी |
| 2. | 2004–2005 | गणेश की प्रस्तर मूर्तियां, एवं उत्कीर्ण पटिया | लगभग 9वीं–12वीं शताब्दी ईसवी | नीतिश्वर स्वामी मंदिर, श्रीमुशनम, जिला कुड्डालोर |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 3 |
|---|---|---|---|---|
| | 2004–2005 | पंच रथ परिसर के अन्दर मोर की टूटी हुई प्रस्तर मूर्ति | लगभग 9वीं–12वीं शताब्दी ईसवी | मामल्लापुरम, जिला कांचीपुरम, तमिलनाडु |
| 5. | 2005–2006 | गणेश की टेराकोटा मृण्मूर्ति | लगभग 9वीं शताब्दी ईसवी | सालवंकुप्पम, मामल्लापुरम, जिला कांचीपुरम, तमिलनाडु |
| 6. | 2005–2006 | टेराकोटा फलक मृण्मूर्तियां | लगभग तीसरी–चौथी शताब्दी ईसवी | सालवंकुप्पम, मामल्लापुरम, जिला कांचीपुरम, तमिलनाडु |
| 7. | 2005–2006 | उत्कीर्ण प्रस्तर स्तम्भ | लगभग 10वीं शताब्दी ईसवी | सालवंकुप्पम, मामल्लापुरम, जिला कांचीपुरम, तमिलनाडु |

**मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय एवं जोनल मुख्यालय खोलना**

**2454. श्री हेमलाल मुर्मू :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या साहिबगंज में मंडल रेल प्रबंधक का कार्यालय और रांची में जोनल मुख्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) मंडल रेल प्रबंधक का कार्यालय और जोनल मुख्यालय खोलने हेतु विद्यमान मानदंड क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) नए जोनों/मंडलों की स्थापना अन्य कारकों जैसे आकार, कार्यभार, सुगम्यता, यातायात स्वरूप और परिचालनिक/प्रशासनिक आवश्यकताओं आदि को देखते हुए, क्षेत्रीय दृष्टिकोण के बिना अर्थव्यवस्था और कुशलता की आवश्यकताओं के अनुरूप की जाती है। इन तथ्यों के आलोक में, साहिबगंज में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय और रांची में क्षेत्रीय मुख्यालय को खोलना व्यावहारिक नहीं है।

**कर्मचारियों की बायोमेट्रिक पहचान**

**2455. श्री के.सी. पल्लानी शामी :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चार महानगरों में स्थित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर तैनात कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या विमानपत्तनों पर आवाजाही की अनुमति वाले कर्मचारियों की पहचान बायोमेट्रिक तरीके से करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश के महानगरों में स्थित विमानपत्तनों पर तीव्र सुरक्षा जांच को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई के चार मेट्रो हवाई अड्डों पर तैनात, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार से है:

| | |
|---|---|
| आई जी आई ए, नई दिल्ली | 2431 |
| सी एस आई ए, मुम्बई | 2597 |
| एन एस सी बी आई ए, कोलकाता | 1232 |
| चेन्नई | 1218 |

(ख) और (ग) जी, हां। अन्य बातों के साथ–साथ, देश के सभी प्रमुख हवाईअड्डों पर, चरणबद्ध तरीके से बायोमीट्रिक एसेस कन्ट्रोल सिस्टम लगाए जाने का निर्णय लिया गया है।

(घ) देश के हवाईअड्डों पर, कर्मचारियों, यात्रियों और उनके सामानों की शीघ्रता से सुरक्षा जांच के लिए, एक्स–रे, बी आईएस, डी एफ एम डी और एच एच एम डी इत्यादि तकनीकें पहले से ही प्रचालन में हैं।

**आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु आयोग**

**2456. श्री अनुभाई धानाभाई बारड :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु आयोग गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कौन–कौन से लोग शामिल हैं;

(ग) उक्त आयोग के विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(घ) इसके द्वारा कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन)** : (क) जी, हां।

(ख) आयोग एक अध्यक्ष, एक सदस्य और एक सदस्य-सचिव से मिलकर बना है।

(ग) आयोग के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :

i. इस विषय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य आयोगों के विचार प्राप्त करना;

ii. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मानदंड सुझाना;

iii. राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग के परामर्श से, शिक्षा और सरकारी नियोजन में कल्याणकारी उपायों एवं आरक्षण की प्रमात्रा की सिफारिश करना; और

iv. उसकी (आयोग की) सिफारिशों को लागू करने के लिए यथा अपेक्षित आवश्यक संवैधानिक, कानून और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सुझाव देना।

(घ) आयोग को अध्यक्ष की नियुक्ति की तारीख से 6 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य-सचिव को तारीख 10-07-2006 की अधिसूचना के तहत नियुक्त किया गया है।

### ओ एन जी सी को स्वायत्तता

**2457. श्री बालासाहिब विखे पाटील** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ एन जी सी) में सरकार की वर्तमान में कितनी शेयर धारिता है;

(ख) क्या सरकार का विचार ओ एन जी सी को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के उद्देश्य से अपनी शेयर धारिता को कम करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) भारत के राष्ट्रपति, आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन के 105,71, 60,451 इक्विटी शेयरों के धारक हैं। प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपए है। यह अंशधारिता कुल प्रदत्त पूंजी की 74.14% है।

(ख) ओ एन जी सी को "नवरत्न" की श्रेणी में रखा गया है और वर्तमान में ओ एन जी सी में अपनी शेयर धारिता कम करने का ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

### मनमाड जंक्शन पर रेल उपरि पुल का निर्माण

**2458. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को मानमाड जंक्शन पर रेल उपरि पुल की, जर्जर स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे के पास उक्त पुल की मरम्मत या उक्त पुल के समानांतर नए उपरि पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो पुराने पुल का मरम्मत कार्य और नए उपरि पुल का निर्माण कब तक आरंभ होने और पूरा होने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) यह पुल, इसके पेंट, पैदल पथ ओर मुंडेर को छोड़कर, बिल्कुल सही हालत में हैं।

(ख) और (ग) अप्रैल, 2004 में इसे पेंट किया गया था। ऊपरी पुल की अन्य औपचारिक मरम्मत जनवरी, 05 माह में की गई थी। पुल की हालत संतोषजनक है। सड़क प्राधिकारियों द्वारा किया जा रहा पैदल पथ और मुंडेर के नवीकरण का कार्य प्रगति पर है और इसे सितंबर, 06 तक पूरा कर लिया जाएगा। रेलवे के पास इस पुल के समानांतर नए ऊपरी पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

### जम्मू रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म का निर्माण/विस्तार

**2459. श्री अब्दुल रशीद शाहीन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बढ़ते यातायात के मद्देनजर जम्मू रेलवे स्टेशन पर वर्तमान प्लेटफार्मों के विस्तार और नए प्लेटफार्मों के निर्माण का कोई कार्य किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.वेलु)** : (क) से (ग) जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर, तीन प्लेटफार्म हैं। सभी प्लेटफार्मों की क्षमता 24 सवारी डिब्बों की हे जो कि पर्याप्त है क्योंकि सबसे लंबी रेलगाड़ी में 24 सवारी डिब्बे होते हैं। इसलिए प्लेटफार्मों का अतिरिक्त विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। निकट भविष्य में कटारा रेलवे स्टेशन के चालू होने को ध्यान में रखते हुए, कटरा स्टेशन पर काफी अधिक संख्या में रेलगाड़ियों को शुरू/समाप्त करने की योजना है। इसलिए जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर किसी नए प्लेटफार्म के निर्माण की योजना नहीं है।

*[अनुवाद]*

**एनएससीएफडीसी द्वारा उगाही जानेवाली ब्याज दर**

**2460. श्री अर्जुन सेठी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त निगमों को राष्ट्रीय अनसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा दिए गए ऋणों की ब्याज दर राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋणों की तुलना में बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या एनएससीएफडीसी द्वारा दिए ऋणों की जब तक 90 प्रतिशत तक वसूली नहीं हो जाती, तब तकराज्यों के वित्त निगम एनएससीएफडीसी से और ऋण नहीं ले सकते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन)** : (क) जी, नहीं। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों से ली जाने वाली ब्याज दर बहुत कम है और यह 1 से 5 प्रतिशत तक होती है जो योजना व ऋण–राशि पर निर्भर करती है।

(ख) और (ग) जी, नहीं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एन एस एफ डी सी) की ऋण नीति के अनुसार, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को निधियों के आबंटन के लिए कतिपय पूर्व–शर्तें होती हैं, जिसमें, अन्य बातों के साथ–साथ, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी को पहले आबंटित निधि के न्यूनतम 80 प्रतिशत संचयी उपयोग करना शामिल है।

**असम में रेलवे स्लीपर कोच फैक्ट्री**

**2461. श्री अनवर हुसैन : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न पक्षों की ओर से असम के बोंगाई–गांव में रेलवे स्लीपर कोच फैक्ट्री की स्थापना की बारम्बार मांग हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर रेलवे की कया प्रतिक्रिया है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) जी, नहीं। असम में बोंगाईगांव में रेलवे स्लीपर कोच फैक्टरी स्थापित करने के लिए कोई निरंतर मांग नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**रेलगाड़ियों को चलाने में सरकारी-निजी क्षेत्र की भागीदारी**

**2462. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :**
**श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल :**
क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने रेलगाड़ियों को चलाने में सरकारी–निजी क्षेत्र की भागीदारी की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) रेलगाड़ियों को चलाने में सरकारी–निजी क्षेत्र की भागीदारी रेलवे को अपने संसाधन जुटाने में किस सीमा तक सहायक होगी?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) और (ख) सार्वजनिक निजी भागीदारी एक विकसित क्षेत्र है और इस संबंध में इसे लागू रखना और इसकी नीति की समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है।

(ग) चालू कंटेनर गाड़ियों और लग्ज़री गाड़ियों में सार्वजनिक निजी क्षेत्र की भागीदारी से यातायात की मात्रा को बढ़ाने और रेलवे के संसाधन जुटाने के प्रयासों में वर्धन करने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। कंटेनर आपरेटर के रूप में पंजीकरण करने के लिए निजी पार्टियों द्वारा 540 करोड़ रुपए पहले ही जमा कर दिए गए हैं।

**राष्ट्रीय विरासत स्थल आयोग**

**2463. श्री एल. राजगोपाल : क्या संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय विरासत स्थल आयोग की स्थापना सम्बन्धी वैधानिक ढांचे का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार द्वारा गठित समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और यह समिति इस सौंपे गए कार्य को कब तक पूरा कर देगी?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) से (ग) संस्कृति मंत्रालय ने विरासत स्थल आयोग की स्थापना करने हेतु विधायी ढांचे का प्रारूप बनाने के लिए समिति गठित की है। समिति ने विधान का मसौदा तैयार किया है जिसे विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग को उचित जांच के लिए भेज दिया गया है।

**तेल शोधन कारखानों की स्थापना**

**2464. श्री बालाशोवरी वल्लभनेनी :**
**श्री सुजानी सरोज :**
क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ एन जी सी) ने पूर्व में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और राजस्थान के बाड़मेर में तेल शोधन कारखानों की स्थापना का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन प्रस्तावित तेल शोधन कारखानों की स्थापना पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) रिफाइनरी क्षेत्र को जून, 1998 से लाइसेंसमुक्त करने के परिणामस्वरूप, किसी रिफाइनरी को किसी निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम द्वारा, प्रवर्तक द्वारा इसकी व्यवहार्यता के मूल्यांकन के आधार पर, भारत के किसी भी भाग में स्थपित किया जा सकता है।

आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी)/मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकैमिकल लिमिटेड (एम आर पी एल), जो ओ एन जी सी की एक सहायक कंपनी है, एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवी) स्थापित करने के द्वारा प्रस्तावित एसईजैड के भीतर आंध्र प्रदेश में काकीनाड़ा में एक निर्यातोन्मुख रिफाइनरी स्थापित करने की व्यवहार्यता की जांच कर रही है। ओ एन जी सी ने यह भी रिपोर्ट दी है कि वह राजस्थान में कैर्न एनर्जी तथा ओ एन जी सी के संयुक्त उद्यम द्वारा खोजे गए कच्चे तेल के प्रसंस्करण हेतु एक कूप शीर्ष रिफाइनरी स्थापित करने की तकनीकी आर्थिमक संभाव्यता/व्यवहार्यता का पता लगा रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपयुक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**छावनी क्षेत्र में सम्पत्तियां**

**2465. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते :**
**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छावनी क्षेत्रों में निजी–असैनिक स्वामित्व वाली तथा कब्जे वाली सम्पत्तियों के पुनर्ग्रहण हेतु सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसी सम्पत्तियों के चयन के लिए क्या मानदंड बनाए गए हैं;

(घ) क्या इस पुनर्ग्रहण के लिए समाज के कमजोर वर्गों तथा सेवानिवृत्त सरकारी कार्मिक/मालिकों के लिए कोई संरक्षण अथवा सुरक्षा उपाय है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने छावनी क्षेत्र में सम्पत्तियों के क्रय तथा विक्रय पर कोई प्रतिबंध लगाया है;

(छ) यदि हां, तो क्या ऐसे क्षेत्रों में सम्पत्तियों के पुनर्निर्माण, मरम्मत तथा नवीकरण पर कोई प्रतिबंध हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : (क) से (ग) देश की विभिन्न छावनियों में स्थलों का पुनर्ग्रहण किए जाने के प्रस्ताव हैं। इनमें मेरठ, देहरादून, फैजाबाद, फतेहगढ़, शाहजहांपुर, रुड़की, आगरा, लखनऊ, जालंधर, सिकन्दराबाद और जबलपुर छावनियों में स्थिति स्थल शामिल हैं। पुनर्ग्रहणीय अवधि के लिए धारित सम्पत्तियों का विशिष्ट रक्षा/सार्वजनिक प्रयोजन के लिए पुनर्ग्रहण किया जाता है। सामान्यतः पुर्ग्रहण के लिए स्थलों के चयन के लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाए जाते हैं:–

(i) जो बंगले सरकार के पास किराये पर हैं।

(ii) खाली पड़े स्थल।

(iii) ऐसे स्थल, जहां मौजूदा ढांचे जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं।

(iv) ऐसे स्थल, जिनमें धारकों ने अनुदान/पट्टे की शर्तों/निबंधनों का उल्लंघन किया हो।

(घ) और (ङ) ऐसे पुनर्ग्रहण के प्रति सेवानिवृत्त सरकारी कार्मिकों/मालिकों और समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए कोई अनन्य प्रावधान नहीं है। तथापि, पुनर्ग्रहण के लिए पहचानी गई ऐसी सम्पत्तियों के भोगाधिकार धारकों को अधिकृत अधिरचना के लिए मुआवजे सहित एक माह का नोटिस दिया जाता है। यदि पुनर्गृहीत सम्पत्ति के मालिक, मुआवजे की धनराशि से संतुष्ट नहीं हैं तो वे एक माध्यस्थम समिति की नियुक्ति की मांग कर सकते हैं।

(च) से (ज) छावनी क्षेत्रों में सम्पत्तियों का क्रय–विक्रय निबंधनों और भू–धृति, जिन पर वह सम्पत्ति धारित है, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त करके किया जा सकता है। पुनर्निर्माण/मरम्मत और अथवा नवीकरण, छावनी अधिनियम, 1924 के उपबंधों, उसके अंतर्गत प्रत्येक छावनी द्वारा बनाए गए उप–नियमों और रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नीतिगत–दिशा–निर्देशों के अनुसार विनियमित किए जाते हैं।

*[हिन्दी]*

**रेलवे नेटवर्क का विस्तार**

**2466. श्री रामदास आठवले :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार रेलवे नेटवर्क के आधुनिकीकरण, विकास और अवसंरचनात्मक विस्तार के लिए कोई उच्च प्राथमिकता वाली कार्ययोजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्य योजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) से (ग) इस समय रेलवे नेटवर्क के आधुनिकीकरण, विकास और अवसंरचनात्मक विस्तार के लिए उच्च प्राथमिकता कार्य योजना तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, भारतीय रेल में रेलवे नेटवर्क का आधुनिकीकरण, विकास और विस्तार एक सतत् प्रक्रिया है। नवंबर, 2004 में 2005–2010 अवधि के लिए एक एकीकृत रेलवे आधुनिकीकरण योजना तैयार की गई थी और इस समय यह प्रक्रियाधीन है। अल्प अवधि के नेटवर्क विस्तारण को वार्षिक तौर पर तैयार किया जाता है, जबकि लम्बी अवधि के नेटवर्क विस्तारण को पंचवर्षीय योजना के रूप में तैयार किया जाता है।

*[अनुवाद]*

**पुनालूर-शेनकोटा रेलवे लाइन के लिए विरासत स्थल का दर्जा प्रदान करना**

**2467. श्री एस.के. खारवेन्थन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे के पास पुनालूर–शेनकोटा रेलवे लाइन को विरासत स्थल का दर्जा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने इस खंड में आने वाले पर्यटकों की संख्या में सुधार और इसके राजस्व में बढ़ोत्तरी के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.वेलु) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**प्रशिक्षुओं पर खर्च**

**2468. श्री अविनाश राय खन्ना :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एक पायलट के प्रशिक्षण पर कितना खर्च होता है; और

(ख) आम व्यक्ति को पायलट बनने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से इस खर्च में कटौती के लिए क्या कदम उठए गए हैं?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) किसी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा एक पायलट के प्रशिक्षण पर किया जाने वाला व्यय लगभग 15–30 लाख रुपए के बीच होता है और यह प्रशिक्षण विमानों की श्रेणी तथा संख्या और उनके द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं पर निर्भर करता है।

(ख) भारत सरकार तथा कुछ राज्य सरकारें उड़ान प्रशिक्षण संस्थानों को एक सीमा तक सहायता अनुदान प्रदान कर रही हैं, जिससे प्रशिक्षण की लागत कम हो जाती है। सरकार द्वारा नागर विमानन महानिदेशालय तथा एयरो क्लब ऑफ इंडिया के माध्यम से प्रशिक्षण विमान भी प्रदान किये जाते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कैडेटों के लिए कुछ छात्रवृत्तियां भी उपलब्ध हैं तथा कुछ छात्रवृत्तियां मैरिट के आधार पर प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक भी छात्रों को ऋण सुविधाएं प्रदान करते हैं।

**एन बी सी एफ डी सी की कल्याण योजनाओं की निगरानी**

**2469. श्री किन्जरपु येरननायडु :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एन बी सी एफ डी सी) द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की नियमित और कड़ी निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी समिति की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने एन बी सी एफ डी सी द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कुछ कमियां पायी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) :** (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**नई पटरियों और तीव्र गति वाली रेलगाड़ियों का सर्वेक्षण**

**2470. श्री बंसगोपाल चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे के पास कभी राज्यों की राजधानियों अथवा महानगरों के बीच नई पटरियों को बिछाने के लिए सर्वेक्षण करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सर्वेक्षण पूरा हो गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या महानगरों के बीच तीव्र गति वाले रेल संपर्क का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) एकीकृत रेलवे आधुनिकीकरण योजना के तहत 2007–08 तक दिल्ली–पटना–हावड़ा मार्ग पर तथा 2009–10 तक दिल्ली–चेन्नै मार्ग पर रेलगाड़ियों का 150 किमी. प्रतिघंटा की रफ्तार से चलाने का प्रस्ताव है।

*[हिन्दी]*

### जबलपुर-गोंदिया रेलवे लाइन का आमान परिवर्तन

**2471. श्री कृष्णा मुरारी मोघे :**
**श्री विजय कुमार खंडेलवाल :**
क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जबलपुर–गोंदिया रेलवे लाँइन परियोजना के आमान परिवर्तन कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) उक्त परियोजना पर कुल कितना खर्च हुआ है; और

(ग) निर्धारित समय–सीमा के अनुसार इस परियोजना को पूरा करने के लिए रेलवे ने क्या प्रयास किए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) गोंदिया–बालाघाट खंड पूरा हो गया है और प्रारंभ कर दिया गया है। शेष खंड पर कार्य प्रगति पर है। भूमि अधिग्रहण, मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

(ख) 31–03–2006 तक परियोजना पर किया गया कुल खर्च 165.80 करोड़ रु. है।

(ग) परियोजना के पूरा होने की कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

*[अनुवाद]*

### गुजरात में रेलवे क्रॉसिंग हेतु अनुमति

**2472. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :**
**श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :**
क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे के पास काफी समय से गुजरात राज्य के रेलवे क्रॉसिंग हेतु अनुमति के कई प्रस्ताव विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों पर अनुमति देने के लिए रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) जी हां।

(ख) कई मामलों में पार्टी अथवा राजय सरकार द्वारा सही समय पर प्रस्ताव प्रस्तुत नही किया गया, समय पर अनुमानित प्रभारों को जमा नहीं कराया गया। इस संबंध में किए गए समझौता अथवा उठाए गए प्रश्नों के जवाब को प्रस्तुत करने में तत्परता नहीं दिखाई गई। इन कार्यों में कई चरण शामिल होते हैं, जैसे संयुक्त व्यवहार्यता निरीक्षण, नक्शा और अभिकल्प का अनुमोदन, अनुमानित प्रभारों को जमा करना, उस स्थल पर कार्य आरंभ करने के लिए अनुमति प्राप्त करने से पूर्व रेलवे संरक्षा आयुक्त (सी आर एस) आदि से स्वीकृति प्राप्त करना, पार्टियों/राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत कए गए इंजीनियरिंग नक्शों के प्राप्त होते ही मंडल और क्षेत्रीय मुख्यालय स्तर पर इसकी जांच की जाती है और उसके बाद संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया जाता है।

(ग) चालू माह के दौरान 7 मामलों को मंजूरी दे दी जाएगी और शेष मामले संयुक्त स्थल सत्यापन, नक्शों और अनुमानों को तैयार कर अनुमोदन प्राप्त करना, सी आर एस की स्वीकृति और पाटी द्वारा भुगतान के विभिन्न चरणों में हैं। अतः इस संबंध में शीघ्र मंजूरी अपेक्षाओं को पूरा करने में पार्टी द्वारा त्वरित और सही प्रस्तुति पर भी निर्भर करती है।

### प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम

**2473. श्री असादुद्दीन ओवेसी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम ने भारतीय रक्षा प्रणाली में गम्भीर संकट उत्पन्न कर दिया है जैसाकि दिनांक 24 जुलाई, 2006 के 'द टाइम्स ऑफ इण्डिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले सुधारात्मक कदम क्या हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : (क) से (ग) जी, नहीं। एकीकृत मार्ग–निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम को पृथ्वी, अग्नि (प्रौद्योगिकी प्रदर्शक), त्रिशूल, आकाश और नाग मिसाइलों का विकसित करने के लिए मंजूरी दी गई थी।

सभी मिसाइलों को अब विकसित कर दिया गया है। सेना के लिए पृथ्वी–I और वायुसेना के लिए पृथ्वी–I के रूपांतरण पी–II और भारतीय नौसेना के लिए धनुष का अब विनिर्माण आरम्भ कर दिया गया है। प्रौद्योगिकी प्रदर्शक (डेमोंस्ट्रेटर) परियोजना अग्नि को सफलतापूर्वक पूरा का दिया गया है और अग्नि प्रौद्योगिकियों से व्युत्पन्न ए–I और ए–2 मध्यम तथा मध्यवर्ती दूरी की मिसाइलें पहले ही विनिर्माणाधीन हैं।

ज़मीन से आकाश से मार करने वाली आकाश, मध्यम दूरी मिसाइल और नाग, तीसरी पीढ़ी की टैंक रोधी मिसाइलें, उपयोगिता परीक्षण चरण में पहुंच रही हैं और इसके बाद इन्हें शामिल किए जाने की संभावना है। ज़मीन से आकाश में मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल, त्रिशूल को भी प्रौद्योगिकी प्रदर्शक के रूप में विकसित किया गया है।

**इंडियन एयरलाइन्स की बाजार हिस्सेदारी**

**2474. श्री सुग्रीव सिंह :**
**श्री किसनभाई वी. पटेल :**
क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में इंडियन एयरलाइन्स के पास कितने विमान हैं;

(ख) क्या इंडियन एयरलाइन्स लगातार अपनी बाजार हिस्सेदारी खोती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इंडियन एयरलाइन्स की बाजार हिस्सेदारी कितनी रही और गिरावट के क्या कारण हैं; और

(घ) देश में कार्यरत निजी विमान कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए इंडियन एयरलाइन्स की सेवाओं को उन्नत बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

**नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) इस समय, इंडियन एयरलाइन्स/एलाइंस एयर के बेड़े की क्षमता 73 विमानों की है जिसमें 3 एयर बस ए 300, 48 ए 320, 5 ए 319, 11 बी–737, 4 एटीआर 42 तथा 2 डोर्नियर डी ओ 228 विमान शामिल हैं।

(ख) ओर (ग) वर्ष 2003–04, 2004–05 तथा 2005–06 में इंडियन एयराइन्स की बाजार में हिस्सेदारी क्रमशः 40.5%, 38.1% तथा 29.4% थी। बाजार की हिस्सेदारी में यह गिरावट, नए निजी वाहकों के प्रवेश–जिन्होंने बाजार में नई क्षमता शामिल की है, मौजूदा एयरलाइनों द्वारा अतिरिक्त क्षमता शामिल किए जाने और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा नए और आधुनिकतम प्रौद्योगिकी वाले विमानों के अर्जन में विलंब की वजह से आई है।

(घ) इंडियन एयरलाइन्स के सेवाओं को उन्नत करने के लिए किए गए कुछ उपाय हैं बाजार पहलें, उत्पाद/सेवा उन्नयन, उड़ानगत पहलें, बेड़ा अर्जन/नवीकरण, केबिन की सज्जा में सुधार, कार्पोरेट पहचान की रिब्रांडिंग आदि।

**सीपीएसई की उत्पादन क्षमता**

**2475. श्री जी. करुणाकर रेड्डी :** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जून, 2006 की स्थिति के अनुसार सरकार द्वारा कितने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) चलाए जा रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने सीपीएसई ने अपनी अधिष्ठापित क्षमता का 90 प्रतिशत से अधिक उत्पादन क्षमता के उपयोग का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है; और

(ग) कितनी सीपीएसई अपनी अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता का 30 प्रतिशत से कम उपयोग कर पाए हैं?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) :** (क) लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2004–05 के अनुसार उद्यतन अवधि, जिसकी सूचना उपलब्ध है, 31–3–2005 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र (सीपीएसई) के 237 उद्यम थे। इनमें से 10 उद्यम निर्माणाधीन और 227 उद्यम परिचालन में थे।

(ख) और (ग) परिचालन कर रहे केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 227 उद्यमों में से केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 144 उद्यम विनिर्माणकारी थे ओर 83 उद्यम सेवा प्रदान कर रहे थे।

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के विनिर्माणकारी उद्यमों के विभिन्न उत्पादों की क्षमता संबंधी सूचना लोक उद्यम सर्वेक्षण 2004–05 के खंड–1 के अध्याय 9 और विवरण 23 में उपलब्ध है। वर्ष 2002–03 से लेकर वर्ष 2004–05 तक की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के मुख्य उत्पादों के संबंध में 90% से अधिक और 30% से कम क्षमता उपयोग निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:–

| क्षमता उपयोग | केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की संख्या | | |
|---|---|---|---|
| | 2004–05 | 2003–04 | 2002–03 |
| 90% से अधिक | 31 | 35 | 29 |
| 30% से कम | 16 | 17 | 15 |

**सी बकथार्न/हर्बल बेवरेज के लिए प्रौद्योगिकी का अंतरण**

**2476. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी आर डी ओ ने वर्ष 2004–05 और 2005–06 के दौरान सी बकथार्न/हर्बल बेवरेज के लिए प्रौद्योगिकी का अंतरण किया है: और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :** (क) और (ख) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने वर्ष 2004–05 और 2005–06 के दौरान तीन फर्मों को सी बकथार्न बेवरेज प्रौद्योगिकी हस्तांतरित की है। हर्बल बेवरेज के लिए कोई प्रौद्योगिकी हस्तांतरित नहीं की गई है।

**रेलवे द्वारा भुगतान किया गया लाभांश**

**2477. श्री रवि प्रकाश वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा भुगतान किए गए लाभांश की धनराशि तथा प्रतिशत सरकार की अपेक्षा के अनुरूप है;

(ख) यदि हां, तो इसके तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) रेलवे को दी गई प्राथमिकता के अनुरूप राजस्व प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) और (ख) जी हां। रेलवे अभिसमय समिति की सिफारिश के अनुसार 2004–05 से आगे सरकार को देय लाभांश 6.5% है। 2004–05 से पहले यह 7% था। विगत तीन वर्षों के दौरान, दी गई कुल लाभांश की राशि निम्नानुसार है:

| वर्ष | वर्ष का चालू लाभांश | 2000–01 और 2001–02 के दौरान आस्थगित लाभांश का समाशोधन | चुकाया गया कुल लाभांश |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2003–04 | 3087 | 300 | 3387 |
| 2004–05 | 2716 | 483 | 3199 |
| 2005–06 (अनंतिम) | 3005 | 663 | 3668 |
| 2006–07 (बी.ई.) | 3208 | 663 | 3871 |

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**हीराकुड एक्सप्रेस में फेरों की संख्या**

**2478. श्री अनन्त नायक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास हीराकुड एक्सप्रेस के फेरों की संख्या को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) जी नहीं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**मांचेश्वर रेलवे कार्यशाला का विस्तार**

**2479. श्री जुएल ओराम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास भुवनेश्वर स्थित मांचेश्वर रेलवे कार्यशाला का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) जी हां।

(ख) और (ग) मंचेश्वर कारखाने के विस्तार के लिए निम्न कार्य प्रगति पर है:

| क्र. सं. | अनुमोदन का वर्ष | कार्य का नाम | लागत | मार्च, 2006 तक व्यय | परिव्यय 2006–07 | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999–2000 | प्रतिमाह 5 सवारी डिब्बों की क्षमता से एसी सवारी डिब्बों की आवधिक ओवरहॉलिंग | 3.34 | 3.04 | 0.14 | कार्य पूरा हो चुका है। |
| 2 | 2003–04 | अतिरिक्त आवधिक ओवरहॉलिंग क्षमता | 7.24 | 2.48 | 3.75 | कार्य के मार्च, 008 तक खत्म होने की संभावना है। |
| 3 | 2004–05 | केंद्रीय रसायन एवं धातु संबंधी प्रयोगशाला विश्लेषण की स्थापना | 1.62 | 0.00 | 0.50 | कार्य के मार्च, 2008 तक समाप्त होने की संभावना है। |

**डी.आर.यू.सी.सी., जेड.आर.यू.सी.सी तथा एन.आर.यू.सी. सी. में सदस्यों को नामनिर्दिष्ट किया जाना**

**2480. श्री जी.एम. सिद्धेश्वर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डी.आर.यू.सी.सी., जेड.आर.यू.सी.सी तथा एन.आर.यू. सी.सी. के लिए सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने के लिए रेलवे द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या डी. आर. एम. तथा जोनल रेलवे प्रबंधकों की सिफारिश पर मंडलीय रेलवे कार्यालयों–जोनल रेलवे कार्यालयों आदि से सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने का कोई प्रावधान है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) विभिन्न कोटियों के व्यक्ति, जिन्हें मंडलीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समितियों, क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों और राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श परिषद् में प्रतिनिधित्व दिया गया है, का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रत्येक क्षेत्रीय रेल के महाप्रबंधक प्रत्येक मंडलीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति एवं क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्त्ता परमर्श समिति में ऐसे एक–एक सदस्य को नामित कर सकते हैं, जिन्हें अब तक समिति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है।

***विवरण***

*मंडलीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति, क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति और राष्ट्रीय, रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति के सदस्यों का नामांकन*

**मंडलीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति (डीआरयूसीसी)**

1. स्थानीय वाणिज्य मंडलों, व्यापार संघों और उद्योग एवं कृषि संघों में से प्रत्येक से एक–एक प्रतिनिधि महाप्रबंधक द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, जिनकी संख्या छह से अधिक नहीं होगी।
2. क्षेत्र में रजिस्टर्ड यात्री संघों के दो प्रतिनिधि महाप्रबंधक द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।
3. विशेष हितों के लिए ऐसे नौ प्रतिनिधियों को नियुक्त किया जाए, जिन्हें पहले किसी समिति में नामित न किया गया हो। एक को महाप्रबंधक द्वारा और आठ व्यक्तियों को मंत्री द्वारा नामित किया जाएगा।
4. प्रत्येक राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि, जिनके राज्योंमें मंडल पड़ता है।
5. राज्य सरकारों जिनके अंतर्गत मंडल पड़ता हो, द्वारा संस्तुत राज्यों के प्रत्येक विधानमंडल का एक सदस्य।
6. मंडल के अधिकार क्षेत्र के भीतर प्रत्येक मंडलीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति में केंद्रीय मंत्री और संसद सदस्य का एक–एक प्रतिनिधि नामित किया जाए।
7. उपभोक्ता संरक्षण संगठन से एक प्रतिनिधि; और
8. विकलांग संगठन से एक प्रतिनिधि।

**क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति (जेडआरयूसीसी)**

1. सरकार द्वारा यथा–संस्तुत प्रत्येक राज्य सरकार का एकप्रतिनिधि, जिनके अंतर्गत रेलवे पड़ती हो।
2. राज्य सरकारों द्वारा संस्तुत प्रत्येक राज्य विधानमंडल का एक सदस्य।
3. प्रमुख वाणिज्य मंडलों और व्यापार संघों के पांच से अधिक प्रतिनिधि, जिनकी कार्यावधि पांच वर्ष से कम न हो, नियुक्त न किए जाएं।
4. राज्य सरकार या कृषि संघों द्वारा दो से अधिक प्रतिनिधि न भेजे जाएं, जिनमें उपर्युक्त मद (3) में निर्दिष्ट वाणिज्य मंडलों में या उनसे संबंधित अन्य निकाय शामिल नहीं हैं।
5. प्रत्येक मंडलीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शसमिति से एक गैर–सरकारी प्रतिनिधि निर्वाचित किया जाए।
6. रेलों द्वारा सेवित पत्तनों के मामले में पत्तनों सहित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के दो प्रतिनिधि। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के लिए केवल एक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।
7. रजिस्टर्ड यात्री संघ–प्रत्येक राज्य से एक, जिनका रेलों पर काफी अधिक मार्ग किलोमीटर हो।
8. उपभोक्ता संरक्षण संगठन का एक प्रतिनिधि।
9. दस संसद सदस्य (7 लोक सभा से और 3 राज्य सभा से)
10. एक केंद्रीय मंत्री के एक नामित को क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, जो उसके निर्वाचन क्षेत्र में कार्यरत है।
11. रेलवे के महाप्रबंधक द्वारा संस्तुत विशेष हितों के प्रतिनिधित्व हेतु एक सदस्य नामित किया जाएगा, और
12. मंत्री जी द्वारा हितों को प्रस्तुत करने के लिए आठ ऐसे सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा, जिन्हें वह समिति के प्रतिनिधि के रूप में आवश्यक समझता है।

**राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्त्ता सलाह परिषद् (एनआरयूसीसी)**

1. भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों के सचिव

(क) उद्योग मंत्रालय

(ख) वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं समन्वय मंत्रालय

(ग) पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय

2. रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य।

3. 15 संसद सदस्य, जिनमें से 10 लोकसभा से और 5 राज्य सभा से होंगे।

4. प्रत्येक क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति से एक प्रतिनिधि, जो संबंधित क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति का सरकारी निर्वाचित सदस्य न हो।

5. निम्नलिखित अखिल भारतीय संघों से एक-एक सदस्य:

- महासंघ में शामिल वाणिज्य मंडल
- एसोसिएटिड वाणिज्य और उद्योग मंडल
- इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन
- इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन
- ऑल इंडिया मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन
- सीमेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन
- ऑल इंडिया ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन और इसी प्रकार के अखिल भारतीय संघ इन संगठनों से सदस्य बारी-बारी से लिए जाएंगे।

6. कृषि हितों के लिए एक प्रतिनिधि

7. रेलवे के दो सेवानिवृत अधिकारी (बोर्ड के सदस्य/महाप्रबंधक)

8. मंत्री हितों को प्रस्तुत करने के लिए ऐसे अन्य सदस्यों को नियुक्त कर सकता है/सकती है, जिन्हें वह परिषद में प्रतिनिधित्व के लिए आवश्यक समझता/समझती है।

टिप्पणी :- वे व्यक्ति जिन्हें रेलवे को लाभ पहुंचाने वाले कार्य सौंपे गए हैं, जैसे खानपान और वेंडिंग ठेकेदार, आउट एजेंसी ठेकेदार, हैंडलिंग ठेकेदार, इंजीनियरी ठेकेदार, रेल ट्रैवल्स सर्विस एजेंट और राज्य/केन्द्र सरकार सेवक आदि कोरेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों और राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श परिषद की सदस्यता नहीं दी जाती है।

### भित्ति चित्र

**2481. श्री ई.जी. सुगावनम :** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने चोल, नायक, केरा, पाण्डया और पल्लव कालीन हजारों वर्षों से अधिक पुराने भित्ति चित्रों को पुनः बनाने का कोई प्रयास किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

### गोंडकालीन चंद्रपुर स्थित प्राचीन किले को क्षति

**2482. श्री हंसराज गं. अहीर :** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बातकी जानकारी है कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर गोंडकालीन चंद्रपुर शहर स्थित प्राचीन किले को नगरपालिका द्वारा अवैध निर्माण के कारण क्षति पहुंची है जैसा कि दिनांक 2 जुलाई, 2006 के 'नवभारत', नागपुर मे समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या नगरपालिका ने किले के निकट निर्माण हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से स्वीकृति ली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस मामले में केन्द्र सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) :** (क) जैसा कि सूचित किया गया चन्द्रपुर नगरपालिका ने चन्द्रपुर स्थित गोंडराजा मकबरे, जो केन्द्रीय संरक्षित स्मारक है, की किला दीवार के बुर्ज के पास जल भण्डारण के लिए झारपट नदी के ऊपर चार दरवाजों वाले एक मीटर ऊँचे बांध (वीयर) का निर्माण किया है। इसके परिणामस्वरूप बुर्ज के निकट जल इकट्ठा हो रहा है जो किले और किले के अन्दर स्थित अंचलेश्वर मंदिर को भी क्षति पहुंचा सकता है।

(ख) और (ग) किले के निकट बांध (वीयर) का निर्माण करने के लिए नगरपालिका द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई है।

(घ) यह मामला नगर निगम तथा जिला कलेक्टर, चन्द्रपुर के ध्यान में लाया गया था और उनसे अनुरोध किया गया था कि दीवार का निर्माण न किया जाए। किन्तु इसके बावजूद नगर निगम, चन्द्रपुर द्वारा बांध (वीयर) का निर्माण कर लिया गया। यह मामला जिला कलेक्टर के पास लम्बित है और यदि उनके स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और नियम, 1959 के उपबंधों के अधीन नगर निगम, चन्द्रपुर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

*[अनुवाद]*

**विक्रमशिला एक्सप्रेस को आगे बढ़ाया जाना**

**2483. श्री हेमलाल मुर्मू :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विक्रमशिला एक्सप्रेस को साहिबगंज तक बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**धार्मिक स्थलों/दुर्गम क्षेत्रों के लिए हेलीकाप्टर सेवाएं**

**2484. श्री बालासाहिब विखे पाटील :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उन धार्मिक स्थलों का ब्यौरा क्या है जहां पर हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध हैं;

(ख) क्या सरकार महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों एवं दुर्गम क्षेत्रों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के दुरूह स्थानों के लिए और अधिक हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ये सेवाएं कब तक शुरू कर दिये जाने की संभावना है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) इस समय हैलीकाप्टर सेवाएं वैष्णों देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ तथा अमरनाथ के तीर्थस्थलों के लिए मौजूद हैं।

(ख) से (घ) पवन हंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड (पीएचएचएल) की आगे उत्तरांचल के घाघरिया, हेमकुण्ड साहिब जैसे महत्वपूर्ण समीपवर्ती पर्यटक/धार्मिक स्थानों को जोड़ने की योजना है। पीएचएचएल की गुजरात के जूनागढ़ जिले में गिरनार की पहाड़ियों में स्थित जैन मंदिरों के लिए नियमित यात्री सेवाएं आरंभ करने के लिए वैट लीज करार के तहत एक बेल हैलीकाप्टर उपलब्ध कराने की भी योजना है। प्रचालक संबंधित राज्य सरकारों तथा तीर्थस्थलों को चलाने वाले धार्मिक ट्रस्टों से जैसा अपेक्षित हो, आवश्यक क्लियरेंस प्राप्त करने के अध्याधीन, पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित अन्य धार्मिक स्थलों अगम्य क्षेत्रों और कठिन भौगोलिक स्थानों के लिए हैलीकाप्टर सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस प्रकार इन प्रचालनों को आरंभ किए जाने के लिए इस समय कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

*[हिन्दी]*

**मौलाना आजाद एजुकेशन फाउण्डेशन**

**2485. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :** क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउण्डेशन द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा फाउण्डेशन को कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान फाउण्डेशन द्वारा अपनी विभिन्न योजाओं के अंतर्गत योजना-वार गैर-सरकारी संगठनों/स्थानीय संगठनों/स्थानीय किाय-वार तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि आबंटित/स्वीकृत की गई;

(घ) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत इन गैर-सरकारी संगठनों/स्थानीय निकायों द्वारा योजना-वार गैर-सरकारी संगठन/स्थानीय निकाय-वार तथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वस्तुतः कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(ङ) धनराशि का उचित उपयोग करने के लिए फाउण्डेशन द्वारा क्या उपाय किये गए हैं?

**अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) :** (क) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाएं इस प्रकार हैं;

1. विद्यालयों/आवासीय विद्यालयों/कालोजों की स्थापना/उनके विस्तार के लिए वित्तीय सहायता;
2. प्रयोगशाला उपकरणों एवं फर्नीचर की खरीद हेतु वित्तीय सहायता;
3. व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना/उनको समर्थ बनाने हेतु वित्तीय सहायता;
4. छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता;
5. मेधावी छात्राओं के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृति;
6. मौलाना आजाद सद्भावना केन्द्र;
7. मौलाना अबुल कलाम आजाद साक्षरता पुरस्कार।

(ख) सरकार द्वारा प्रतिष्ठान का जारी निधि का ब्यौरा इस प्रकार है:

| क्रम सं. | वर्ष | राशि (करोड़ रुपए) |
|---|---|---|
| 1. | 2002–03 | 2.10 |
| 2. | 2003–04 | 1.65 |
| 3. | 2004–05 | 1.00 |
| 4. | 2005–06 | 29.99 |
| 5. | 2006–07 | शून्य |

(ग) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठन/स्थानीय निकाय-वार जारी की गई निधिका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) प्रतिष्ठान द्वारा निधि को दो किस्तों में जारी किया जाता है। दूसरी किस्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर जारी की जाती है। मौका-मुआयना भी किया जाता है। परियोजना मानीटरिंग समिति, परियोजना की प्रगति को मानीटर करती है।

*विवरण*

*मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान*

*वर्ष 2003-2004 के दौरान मनुमोदित/निर्गत की गई अनुदान राशि*

| क्र. सं. | गैर सरकारी संगठनों का नाम व पता | उद्देश्य | अनुदान राशि अनुमोदित (रु.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **आंध्र प्रदेश** | | |
| 1. | चैतन्य भारती एजुकेशन सोसायटी कोडाड़, नालगोंडा | बालिका छात्रावास भवन | 10,00,000/- |
| | **असम** | | |
| 2. | धूलिया रीजनल, फिजिकली हैंडीकेप्ड डेवलपमेंट एसोसिएशन, धूलिया, दारांग | बालिका छात्रावास भवन का निर्माण | 10,00,000/- |
| | **जम्मू व कश्मीर** | | |
| 3. | सर सैयद मुस्लिम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, बहरोट, जिला-राजौरी | विद्यालय भवन का निर्माण | 10,00,000/- |
| | **कर्नाटक** | | |
| 4. | मोहद्दिस-ए-आजम मिशन, इस्लामपुर रोड़, हुबली, धारवाड़ | बालिका विद्यालय भवन का निर्माण | 10,00,000/- |
| 5. | सुन्नी दारूल उलूम मोहम्मदिया चेरिटेबल ट्रस्ट, मुदबिदरी, डीके | विद्यालय भवन का निर्माण | 5,00,000/- |
| 6. | यूथ एजुकेशनल सर्विस एसोसिएशन, हैल्थ ऑफिस, रामनगरम, बंगलौर | बालिका छात्रावास भवन का निर्माण | 10,00,000/- |
| | **मध्य प्रदेश** | | |
| 7. | मुस्लिम एजुकेशन सोसायटी, सुसनेर, शाजापुर | विद्यालय भवन का निर्माण | 10,00,000/- |
| 8. | नगर पंचायत बडावदा, रतलाम | सदभावना केन्द्र | 10,00,000/- |
| 9. | नगर पंचायत, ताल, रतलाम | सदभावना केन्द्र | 10,00,000/- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 10. | नगर पालिका परिषद्, नागदा, उज्जैन | सदभावना केन्द्र | 8,90,000/- |
| 11. | नगर पालिका परिषद, आगार, शाजापुर | सदभावना केन्द्र | 10,00,000/- |
| 12. | शबाबुल एदीज जहाबी, 250 नजमी पथ कामरी मार्ग, उज्जैन | कंप्यूटर प्रयोगशाला की स्थापना | 5,00)000/- |
| 13. | सेंट आबू अयूब अंसारी एजुकेशन सोसायटी, 29/3 रानीपुरा, इंदौर | विद्यालय भवन का निर्माण | 7,50)000/- |
| 14. | जमात अंसार मोमीन, हरिफाटक, ब्रिज रोड, उज्जैन | विद्यालय भवन का निर्माण | 10,00,000/- |
| 15. | आदर्श भारती कॉन्वेंट शिक्षा संस्थान 12 संकाडिया सुल्तान की गली, चांद का कुआ उज्जैन | विद्यालय भवन का निर्माण | 10,00,000/- |
| 16. | अमन एजुकेशन सोसायटी, शहजहानाबाद भोपाल | महाविद्यालय भवन का निर्माण एवं उपकरणों की खरीद | 10,00,000/- |
| 17. | न्यू प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसायटी 10, प्रिंस कॉलोनी, शहजहानाबाद, भोपाल | बालिका छात्रावास भवन का निर्माण | 10,00,000/- |
| 18. | प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड कल्चरल डेवलपमेन्ट सोसायटी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भोपाल | विद्यालय भवन का निर्माण | 10,00,000/- |
| | महाराष्ट्र | | |
| 19. | हजरत दादा हयात कलंदर एजुकेशन सोसायटी, मंगरूलपीर, अकोला | विद्यालय भवन का निर्माण | 5,00,000/- |
| 20. | फ्रेंडस वेलफेयर सोसायटी, हबीब नगर, अमरावती | विद्यालय भवन का निर्माण | 10,00,000/- |
| 21. | सोशल सोसायटी, मोरबा, मनगांव जिला-रायगढ़ | विद्यालय भवन का निर्माण | 7,10,000/- |
| 22. | नागोथाने एजुकेशन सोसायटी नागोथाने रोहा, जिला रायगढ़ | विद्यालय भवन का निर्माण | 10,00,000/- |
| 23. | आइडियल एजुकेशन सोसायटी, डा. अंसारी रोड, रबोधी, जिला-थाने | विद्यालय भवन का निर्माण | 10,00,000/- |
| 24. | रोहा एजुकेशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन, रोहा, जिला-रायगढ़ | विद्यालय भवन का निर्माण | 10,00,000/- |
| 25. | मेहमुदा शिक्षण एवं महिला ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्थान, अहमद काम्पलेक्स, गोलचा मार्ग, सदर, नागपुर | विद्यालय भवन का निर्माण | 10,00,000/- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 26. | मौलाना अबुल कलाम आजाद सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसायटी, अकोट, जिला–अकोला | विद्यालय भवन का निर्माण | 10,00,000/– |
| 27. | दि एजुकेशन सोसायटी 22, मस्जिद गली, कड़वई, मुंबई | बालिका छात्रावास भवन का निर्माण | 15,00,000/– |
| | **मणिपुर** | | |
| 28. | दि हंड्रेड फलावर्स हायर सेकेंडरी स्कूल सोसायटी थंगजम खुनोऊ खोमिदोक पंगेई रोड, पूर्वी इंफाल | बालिका छात्रावास भवन का निर्माण | 20,00,000/– |
| 29. | न्यू इंटीग्रेटेड रूरल मैनेजमेंट एजेंसी, नुंगफोऊ बाजार, सैगेयुमफाम, बांगजिंग, थोउबल | कला प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना | 1,00,000/– |
| | **राजस्थान** | | |
| 30. | इस्हाकिया एजुकेशनल सोसायटी, जोधपुर | बालिका विद्यालय भवन का निर्माण | 10,00,000/– |
| | **तमिलनाडु** | | |
| 31. | इस्लामिया एजुकेशनल ट्रस्ट अब्दुल खादिर स्ट्रीट बोदिनायकलुर | विद्यालय भवन का निर्माण | 4,00,000/– |
| | **उत्तर प्रदेश** | | |
| 32. | नादिर एजुकेशन सोसायटी अतरौली अलीगढ़ | विद्यालय भवन का निर्माण | 5,00,000/– |
| 33. | इकरा जूनियर हाई स्कूल समिति, कोल्हुई महराजगंज | विद्यालय भवन का निर्माण | 4,00,000/– |
| 34. | अल हिलाल फाउंडेशन, दरिया चक, गोरखनाथ, गोरखपुर | विद्यालय भवन का निर्माण | 6,50,000/– |
| 35. | फ्लोरेंस एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी, बालदा कॉलोनी, लखनऊ | इंटर कॉलेज भवन का निर्माण | 10,00,000/– |
| 36. | मदरसा अहले सुन्नत जियाउल उलूम, बगीचा इत्तिफात गंज, अंबेडकर नगर | विद्यालय भवन का निर्माण | 2,00,000/– |
| 37. | मौलाना आजाद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी, जलालपुर, अंबेडकर नगर | विद्यालय भवन का निर्माण | 3,00,000/– |
| 38. | मौलाना आजाद एजुकेशनल सोसायटी अंजान शहीद सगरी, आजमगढ़ | कन्या छात्रावास भवन का निर्माण | 15,00,000/– |
| 39. | डुमारियागंज एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी, यादनगर, डुमरियागंज, सिद्धार्थ नगर | महाविद्यालय भवन का निर्माण | 5,00,000/– |
| 40. | मुसब बिन–उमैर एजुकेशनल सोसायटी सादुल्ला नगर, उतरौला, बलरामपुर | बालिका विद्यालय भवन का निर्माण | 6,00,000/– |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 41. | हनी कान्वेंट शिक्षा समिति, बड़ा गांव सराय मोहिद्दीन, जौनपुर | विद्यालय भवन का निर्माण | 5,00,000/– |
| 42. | चांद मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, न्यू फ्रेंडस कॉलोनी, नई दिल्ली | विद्यालय भवन का निर्माण सिद्धार्थ नगर (उ.प्र.) | 4,50,000/– |
| 43. | मैनेजिंग कमेटी मुस्लिम, कुदरत स्कूल, शिवहर, बिजनौर | विज्ञान प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद | 5,00,000/– |
| 44. | अब्बासी चैरिटेबल एंड एजुकेशनल सोसायटी, अमरोहा, जेपी नगर | बालिका छात्रावास भवन का निर्माण | 10,00,000/– |
| | **पश्चिम बंगाल** | | |
| 45. | मिल्लत गर्ल्स एकेडमी जेके घोष रोड, बेलगछिया, कोलकाता | व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना | 2,00,000/– |
| 46. | सोदपुकर वेलफेयर सोसायटी, सोदपुकर पो. रामचंद्र नगर, दक्षिण, 24 परगना | विद्यालय भवन का निर्माण | 10,00,000/– |
| | कुल योग | | 3,81,50,000/– |

*मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान*

*वर्ष 2004–05 के दौरान स्वीकृत/निर्गत की गई अनुदान राशि*

| क्र. सं | गैर सरकारी संगठनों का नाम व पता | उद्देश्य | अनुदान राशि | |
|---|---|---|---|---|
| | | | स्वीकृत (रु.) | निर्गत (रु.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **आंध्र प्रदेश** | | | |
| 1. | मुस्लिम एजुकेशन एण्ड कल्चरल ऑरगेनाइजेशन हैदराबाद | मेसको जूनियर कॉलेज भवन निर्माण हेतु | 15,00,000/– | 10,50,000/– |
| 2. | रिज़वान एजुकेशन सोसाइटी, हैदराबाद | विद्यालय में कम्प्यूटर प्रयोगशाला के लिए 10 कम्प्यूटर खरीद हेतु | 2,50,000/– | 1,75,000/– |
| 3. | जामियतुल मोमिनात, हैदराबाद | विद्यालय भवन विस्तार तथा कम्प्यूटर खरीद हेतु | 9,00,000/– | शून्य |
| 4. | सेंट सुलेमान एजुकेशनल सोसाइटी, हैदराबाद | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 10,80,000/– | 7,56,000/– |
| 5. | अल–मक्का एजुकेशनल सोसाइटी, महबूब नगर | विद्यालय भवन निर्माण, प्रयोगशाला उपकरणों तथा कम्प्यूटर खरीद हेतु | 23,25,000/– | 16,27,500/– |
| 6. | डैज़लिंग एजुकेशनल सोसाइटी, हैदराबाद | विद्यालय भवन निर्माण तथा कम्प्यूटर खरीद हेतु | 20,00,000/– | 14,00,000/– |
| | **बिहार** | | | |
| 7. | बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ शफी मुस्लिम हाई स्कूल, दरभंगा | आई.टी.आई. भवन निर्माण हेतु | 13,50,000/– | 9,45,000/– |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | **दिल्ली** | | | |
| 8. | हेरा एजुकेशन ट्रस्ट, नई दिल्ली | प्रयोगशाला उपकरणों तथा कम्प्यूटर खरीद हेतु | 3,00,000/– | 2,10,000/– |
| | **गोवा** | | | |
| 9. | अन्जुमन इस्लाहुल मुसलेगीन, मारगाव | विद्यालय भवन निर्माण, विज्ञान प्रयोगशाला उपकरणों तथा फर्नीचर खरीद हेतु | 26,00,000/– | 18,20,000/– |
| 10. | अन्जुमन तौहीदुल मुस्लेमीन, चिम्बेल | प्रयोगशाला उपकरण तथा फर्नीचर खरीद हेतु | 2,00,000/– | शून्य |
| | **गुजरात** | | | |
| 11. | हुसैनिया नगर केलावनी मण्डल, भरूच | विद्यालय भवन विस्तार हेतु | 10,00,000/– | 7,00,000/– |
| 12. | मम्बाउल उलूम, ढोलका, अहमदाबाद | विद्यालय भवन निर्माण, प्रयोगशाला उपकरण, फर्नीचर, कम्प्यूटर खरीद हेतु | 14,00,000/– | 9,80,000/– |
| 13. | अन्जुमन एजुकेशन ट्रस्ट, बालासिनोर, खेड़ा | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 15,00,000/– | 10,50,000/– |
| 14. | मदरसा जामिया रहमानिया, अरबिया इस्लामिया, गोधरा | आई.टी.आई. भवन विस्तार हेतु | 9,00,000/– | 6,30,000/– |
| 15. | दि वालान एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, वडोदरा | विद्यालय भवन विस्तार हेतु | 9,00,000/– | 6,30,000/– |
| 16. | अंक्लेश्वर तालुका ब्रदरहुड ट्रस्ट, भरूच | विद्यालय भवन विस्तार तथा प्रयोगशाला उपकरण खरीद हेतु | 12,00,000/– | 8,40,000/– |
| 17. | अन्जुमन फलाह दारेन, बांककण्ठा | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 5,00,000/– | 3,50,000/– |
| | **हरियाणा** | | | |
| 18. | अल–क़ासिम एजुकेशनल सोसाइटी, गुड़गांवा | वी.टी.सी. भवन निर्माण हेतु | 3,60,000/– | 2,52,000/– |
| 19. | मोहम्मदिया एजुकेशनल सोसाइटी, साकरस, गुड़गांवा | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 10,00,000/– | 7,00,000/– |
| | **जम्मू एण्ड कश्मीर** | | | |
| 20. | केहकशां पब्लिक स्कूल, हण्डवारा | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 10,00,000/– | 7,00,000/– |
| 21. | शम्स मेमोरियल इस्लामिक एजुकेशनल इंस्टीचूट, बड़गाम | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 10,00,000/– | 7,00,000/– |
| 22. | हेल्प फाउन्डेशन, श्रीनगर | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 10,00,000/– | 7,00,000/– |
| 23. | सोसाइटी फॉर प्रोमोशन ऑफ कल्चर एण्ड एजुकेशन, श्रीनगर | कन्या छात्रावास भवन निर्माण हेतु | 30,00,000/– | 21,00,000/– |
| | **कर्नाटक** | | | |
| 24. | खिदमतुल मुस्लेमीन, बेलारी | कन्या छात्रावास भवन निर्माण हेतु | 30,00,000/– | 21,00,000/– |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 25. | अल्लामा इक़बाल एजुकेशनल सोसाइटी, बिदर | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 20,00,000/– | 14,00,000/– |
| 26. | अल–सिराज एजुकेशनल सोसाइटी, बिदर | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 12,00,000/– | 8,40,000/– |
| | **केरल** | | | |
| 27. | मलिक बिन दीनार इस्लामिक कम्पलेक्स कमेटी, थिरूसूर | विद्यालय भवन निर्माण तथा प्रयोगशाला उपकरणों के खरीद हेतु | 14,00,000/– | शून्य |
| 28. | आरफा चैरिटेबल ट्रस्ट, एरनाकुलम | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 22,75,000/– | |
| 29. | मस्वालिहुस्सुन्निया ट्रस्ट, मुतूर, पालक्कड़ | विद्यालय भवन निर्माण, प्रयोगशाला उपकरण, फर्नीचर, कम्प्यूटर खरीद हेतु | 15,00,000/– | |
| 30. | अल्फा चैरीटेबल ट्रस्ट, पालक्कड़ | विद्यालय भवन निर्माण, प्रयोगशाला उपकरण, फर्नीचर, कम्प्यूटर खरीद हेतु | 7,95,000/– | |
| | **मध्य प्रदेश** | | | |
| 31. | ब्राइट स्टार मुस्लिम ऐसोसिएशन देवास | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 25,80,000/– | |
| 32. | मौलाना आज़ाद एजुकेशनल टेक्निकल एण्ड वोकेशनल सोसाइटी, इन्दौर | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 15,00,000/– | |
| 33. | नेशनल मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, भोपाल | प्रयोगशाला उपकरण तथा फर्नीचर खरीद हेतु | 2,00,000/– | |
| | **महाराष्ट्र** | | | |
| 34. | बज़मे तालीम, महसला, रायगढ़ | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 7,95,000/– | |
| 35. | डोंडाइचा एजुकेशन सोसाइटी, धुले | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 10,00,000/– | |
| 36. | डा. अल्लामा इक़बाल एजुकेशन सोसाइटी, यावतमाल | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 6,60,000/– | |
| 37. | अन्जुमन वसीउल तालीम, रायगढ़ | आई.टी.आई. भवन निर्माण हेतु | 13,50,000/– | |
| 38. | महिला बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, यावतमल | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 6,25,000/– | |
| 39. | अन्जुमन इशाअत–ए–तालीम, धुले | विद्यालय भवन विस्तार हेतु | 8,00,000/– | |
| 40. | लेट द्वारकाबाई सोमाजी काम्बले प्रतिष्ठान, नानडेड | वी.टी.सी. स्थापना हेतु | 1,25,000/– | |
| 41. | मौलाना आज़ाद एजुकेशनल सोसाइटी, अमरावती | विद्यालय भवन विस्तार हेतु | 6,75,000/– | |
| 42. | पनवेल एजुकेशन सोसाइटी, पनवेल | विद्यालय भवन विस्तार हेतु | 30,00,000/– | |
| 43. | अवामी वेल्फेयर एसोसिएशन, मुंबई | प्रयोगशाला उपकरण, फर्नीचर तथा कम्प्यूटर खरीद हेतु | 5,00,000/– | |
| 44. | अल–हिरा एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी औरंगाबाद | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 10,00,000/– | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 45. | अरबी, उर्दू, मराठी, एजुकेशनल सोसाइटी, मिरज | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 21,00,000/– | |
| 46. | कोंकन उर्दू एजुकेशन सोसाइटी, ठाणे | विद्यालय भवन, बी.टी.सी. भवन निर्माण तथा प्रयोगशाला उपकरण खरीद हेतु | 18,90,000/– | |
| 47. | महबूब एजुकेशन ट्रस्ट, रायगढ़ | विद्यालय भवन निर्माण, प्रयोगशाला उपकरण, फर्नीचर खरीद हेतु | 10,25,000/– | |
| 48. | बज़मे उर्दू अदब, रतनागिरी | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 15,00,000/– | |
| 49. | हज़रत उमर फ़ारूक़ एजुकेशन सोसाइटी, यावतमल | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 15,00,000/– | |
| 50. | महापोली एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, ठाणे | विद्यालय भवन निर्माण, प्रयोगशाला उपकरण तथा कम्प्यूटर खरीद हेतु | 12,50,000/– | |
| 51. | हल्का–ए–दवानिक एजुकेशन सोसाइटी, औरंगाबाद | कन्या छात्रावास भवन निर्माण हेतु | 10,00,000/– | |
| 52. | यतीमखाना मदरसा अन्जुमन खैरूल इस्लाम ट्रस्ट, मुंबई | पांच स्कूलों के भवन, छात्रावास, प्रयोगशाला उपकरण, फर्नीचर, कम्प्यूटर, विद्यालय भवन विस्तार हेतु | 30,00,000/– | |
| 53. | हबीब एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, कौसा | प्रयोगशाला उपकरणों, सॉफ्टवेयर पैकेज तथा सलाइड प्रोजेक्टर खरीद हेतु | 1,78,500/– | |
| 54. | आइडियल एजुकेशन सोसाइटी, रतनागिरी | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 20,00,000/– | |
| 55. | चिपलून एजुकेशन सोसाइटी, रतनागिरी | विद्यालय भवन निर्माण तथा प्रयोगशाला उपकरण खरीद हेतु | 10,50,000/– | |
| 56. | आएशा एजुकेशन ट्रस्ट, मुंबई | प्रयोगशाला उपकरणों, पुस्तकें, फर्नीचर तथा कम्प्यूटर खरीद हेतु | 5,00,000/– | |
| 57. | सरोवर शिक्षण मण्डल, सांगली | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 20,00,000/– | |
| 58. | टीचर्स एजुकेशन सोसाइटी, बुलडाना | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 16,20,000/– | |
| 59. | जुहू इरला एजुकेशन सोसाइटी, मुंबई | प्रयोगशाला उपकरण, फर्नीचर तथा कम्प्यूटर खरीद हेतु | 3,53,000/– | |
| 60. | अन्जुमन दर्दमन्दान–ए–तालीम–व–तरक्की रायगढ़ | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 5,00,000/– | |
| | **उड़ीसा** | | | |
| 61. | इमारते शरीयह एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट, फुलवारी शरीफ, पटना | बिसरा, राउरकेला में इमारत टेक्निकल ट्रेनिंग सेन्टर भवन का निर्माण हेतु | 12,30,000/– | |
| 62. | मदनी वेलफेयर एसोसिएशन, भुवनेश्वर | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 10,00,000/– | |
| 63. | मदरसा अशरफुल उलूम अल बनात, केन्द्रापाड़ा | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 5,00,000/– | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | **राजस्थान** | | | |
| 64. | दारूल उलूम अहले सुन्नत फैज़ान, नागौर | विद्यालय भवन विस्तार हेतु | 9,50,000/– | |
| 65. | मोहम्मदिया वेलफेयर सोसाइटी, टोंक | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 10,00,000/– | |
| 66. | ख़्वाजा गरीब नवाज़ शिक्षा समिति, जयपुर | विद्यालय/वी.टी.सी. भवन निर्माण हेतु | 13,00,000/– | |
| 67. | इस्लामिक एजुकेशनल, कल्चरल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, सीकर | छात्रावास भवन निर्माण हेतु | 30,00,000/– | |
| 68. | अल–हुदा एजुकेशनल सोसाइटी, कोटा | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 5,00,000/– | |
| | **तमिलनाडु** | | | |
| 69. | मरिअम्मन सर्विसेज़ सोसाइटी, त्रिची | वी.टी.सी. स्थापना हेतु | 40,000/– | |
| 70. | पल्लापट्टी मुस्लिम कालवी संगल, पल्लापट्टी | महिलाओं का टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीयूट भवन निर्माण हेतु | 18,00,000/– | |
| 71. | पेटाई मदुरई एम. धर्म परिपालन संगम मदुरई | विद्यालय भवन मरम्मत तथा नवीनीकरण हेतु | 4,50,000/– | |
| 72. | मुस्लिम एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, कोइम्बाटोर | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 10,00,000/– | |
| | **उत्तर प्रदेश** | | | |
| 73. | मदरसा गुलशने बग़दाद, बलरामपुर | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 6,00,000/– | |
| 74. | जाफ़रिया इस्लामिया एजुकेशनल ऐसोसिएशन अम्बेडकर नगर | विद्यालय भवन विस्तार हेतु | 4,50,000/– | |
| 75. | जामिया इस्लामिया मारिफुल कुरान, उझारी जे.पी. नगर | आई.टी.आई. भवन निर्माण तथा उपकरणों के खरीद हेतु | 15,00,000/– | |
| 76. | लेट फतेह मोहम्मद एजुकेशनल सोसाइटी, महाराजगंज | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 7,50,000/– | |
| 77. | कॉन्वेंट शिक्षा समिति, बदायूं | विद्यालय भवन विस्तार हेतु | 6,75,000/– | |
| 78. | राईन एजुकेशनल सोसाइटी, सीतापुर | विद्यालय भवन विस्तार हेतु | 12,00,000/– | |
| 79. | इस्लामिया फातमी एजुकेशनल सोसाइटी, सहारनपुर | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 7,50,000/– | |
| 80. | समता विकास समिति, जे.पी. नगर | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 9,00,000/– | |
| 81. | नेशनल एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी, रामपुर | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 9,00,000/– | |
| 82. | ग़यासिबान एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी, लखनऊ | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 10,00,000/– | |
| 83. | फैज़–ए–आम मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी, फैज़ाबाद | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 15,00,000/– | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 84. | दर्सगह–ए–इस्लामी, फैज़ाबाद | विद्यालय भवन तथा विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण हेतु | 19,50,000/– | |
| 85. | तालीम गाह–ए–निस्वां, मऊ | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 5,00,000/– | |
| 86. | दि उजियार एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सोसाइटी बस्ती | विद्यालय भवन निर्माण तथा प्रयोगशाला उपकरण, फर्नीचर खरीद हेतु | 4,10,000/– | |
| 87. | एम.अहमद हुसैन अता हुसैन एजुकेशनल सोसाइटी, बलिया | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 7,00,000/– | |
| 88. | अन्जुमन तालीम, लखनऊ | विद्यालय भवन निर्माण तथा प्रयोगशाला उपकरण खरीद हेतु | 16,23,000/– | |
| 89. | दि पब्लिक एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, मुरादाबाद | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 12,00,000/– | |
| 90. | शान मॉन्टेसरी एण्ड गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल समिति, मुरादाबाद | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 4,50,000/– | |
| 91. | तालीम–व–तरक्की हाई स्कूल सोसाइटी, गाजियाबाद | विद्यालय भवन मरम्मत तथा विस्तार हेतु | 15,00,000/– | |
| 92. | अल्संख्यक तालीमी मरकज एण्ड इमदारी समिति, प्रतापगढ़ | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 9,00,000/– | |
| 93. | फातिमा गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल, जे.पी. नगर | कन्या छात्रावास भवन निर्माण हेतु | 15,00,000/– | |
| 94. | मौलाई एजुकेशन सोसाइटी, मुरादाबाद | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 9,00,000/– | |
| 95. | फलाह एजुकेशन ट्रस्ट, मऊ | विद्यालय भवन निर्माण तथा प्रयोगशाला उपकरण खरीद हेतु | 10,00,000/– | |
| 96. | दि मुस्लिम वेलफेयर एण्ड एजुकेशनल सोसाइटी, आज़मगढ़ | छात्रावास भवन निर्माण तथा प्रयोगशाला उपकरण खरीद हेतु | 17,00,000/– | |
| 97. | कौमी तालीमी सोसाइटी, सुलतानपुर | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 15,00,000/– | |
| 98. | आज़ाद मकतब पाठशाला, कन्नौज | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 5,00,000/– | |
| 99. | ब्राइट होम शिक्षा समिति, सहारनपुर | विद्यालय भवन में विज्ञान ब्लाक निर्माण हेतु | 9,00,000/– | |
| | **पश्चिम बंगाल** | | | |
| 100. | शेखदिघी हाई स्कूल, मुरशिदाबाद | विद्यालय भवन निर्माण तथा प्रयोगशाला उपकरण खरीद हेतु | 21,50,000.00/- | |
| 101. | प्रो. एस. नूरूल हसन कॉलेज, फरक्का, मुरशिदाबाद | कन्या छात्रावास भवन निर्माण हेतु | 15,00,000/– | |
| 102. | साथी संघ, कुलपी, दक्षिण 24 परगना | विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 7,50,000/– | |
| | योग | | 12,03,39,500/– | |

मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान

वर्ष 2005-06 के दौरान अनुमोदित/निर्गत की गई अनुदान राशि

| क्र.सं. | गैर सरकारी संगठनों का नाम व पता | उद्देश्य | अनुदान राशि (रु.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **बिहार** | | |
| 1. | डिस्ट्रीक्ट रूरल डेवलपमेंट, एजेंसी, कैमूर (भभूआ)। | सदभावना केन्द्र की स्थापना। | 1000000.00 |
| 2. | डिस्ट्रीक्ट रूरल डेवलपमेंट, एजेंसी, कैमूर (भभूआ)। | सदभावना केन्द्र की स्थापना। | 1000000.00 |
| 3. | डिस्ट्रीक्ट रूरल डेवलपमेंट, एजेंसी, रोहतास, जिला सासाराम। | सदभावना केन्द्र की स्थापना। | 1000000.00 |
| | **गुजरात** | | |
| 4. | मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट, सरकारी गेस्ट हॉस के निकट डाकुर रोड़, महुदा, जिला-खेड़ा। | विद्यालय भवन का विस्तार। | 1500000.00 |
| 5. | मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, ग्राम+पो. गोथाड़ा, तालुक-सावली, जिला-वडोदरा। | विद्यालय भवन का निर्माण। | 1000000.00 |
| 6. | मजलिश दावतुल इस्लाम बोदेली, पुराना बाजार, बोदेली, जिला-वडोदरा। | विद्यालय भवन का निर्माण। | 500000.00 |
| | **हरियाणा** | | |
| 7. | एजुकेशन एण्ड सोशल वेलफेयर सोसाइटी ग्राम-साराई, पो.-खटाला, तहसील-होदल, जिला-फरीदाबाद। | विद्यालय भवन का निर्माण। | 700000.00 |
| | **कर्नाटक** | | |
| 8. | हजरत शेख मिन्हाजुद्दीन अंसारी केलेरावन चैरिटेबल ट्रस्ट (के.सी.टी. इंजीनियरिंग कॉलेज), पी.बी. नं. 104, के.सी.टी. कैम्पस, कमरूल इस्लाम कॉलोनी, रोजगा, गुलबरगा। | विद्यालय भवन का निर्माण। | 1000000.00 |
| 9. | इकरा एजुकेशन सोसाइटी हुबली रोड़, सिरसी। | विद्यालय भवन का विस्तार। | 1000000.00 |
| | **केरल** | | |
| 10. | तिरूर तालूका सुन्नी ऑरफेंज कमेटी, पो. कलपाकंचेरी, जिला-मालापुरम। | 80 बेड वाले बालिका छात्रावास भवन का निर्माण। | 2500000.00 |
| 11. | अमल चैरीटेबल सोसाइटी, पो. चम्मनुर, वाया-पोन्नायूरकुलम, जिला-त्रिसुर। | विद्यालय भवन का विस्तार। | 1500000.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 12. | कारुवराकुन्दु दारून्नजत इस्लामिक सेंटर, पुन्नाकड, पो. कारूवराकुन्द, जिला मालापुरम। | 100 बेड वाले बालिका छात्रावास भवन का निर्माण। | 3000000.00 |
| 13. | कालीकट इस्लामिक कल्चरल सोसाइटी, स्नेहा नगर, पो. कोलाथारा, जिला–कालीकट। | बालिका छात्रावास भवन का निर्माण (ग्राम–ओलावन्ना, जिला कोजिकोड) | 1500000.00 |
| 14. | अंसारी चैरिटेबल ट्रस्ट, अंसार नगर, पीरूमपीलाउ, पो. कारीकड़, जिला त्रिसुर। | 80 बेड वाले बालिका छात्रावास भवन का निर्माण। | 2500000.00 |
| 15. | मनसउ–ताजकियातु सुन्निया, कन्नुर। | विद्यालय भवन का निर्माण। | 1000000.00 |
| | **महाराष्ट्र** | | |
| 16. | ऑल इंडिया कॉनसील ऑफ मुस्लिम इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट लिमिटेड, (ए.आई.सी.एम.ई.यू.) 179, वजीर बिल्डिंग, इब्राहिम रहमतुल्ला रोड़, मुम्बई। | आई.टी.आई. के लिए उपकरणों की खरीद। | 600000.00 |
| 17. | एवेरेस्ट एजुकेशनल सोसाइटी, निकट रोशन गेट, औरंगाबाद। | अधूरे बी.एड. कॉलेज भवन का निर्माण। | 500000.00 |
| 18. | अल–जामियतुल अमजदिया, 650 गैबी पीर रोड़, गैबी नगर, भीवांडी, जिला–थाने। | विद्यालय भवन का विस्तार। | 1500000.00 |
| 19. | उर्दू एजुकेशन सोसाइटी, ग्राम+पो. वदनेर भोलजी, ता. नन्दूरा, जिला–बूलदाना। | विद्यालय भवन का निर्माण। | 1500000.00 |
| 20. | जूनैदिया एजुकेशन सोसाइटी, कुदाछी, जिला–बेलगम। | विद्यालय भवन का निर्माण। | 2000000.00 |
| 21. | शुरपाराका एजुकेशनल एण्ड मेडिकल ट्रस्ट, नवयात नगर, सोपोरा (वेस्ट), ता. वसाई, जिला–थाने। | विद्यालय भवन का निर्माण। | 2000000.00 |
| 22. | इकरा एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, 3609, सेन्ट्रल बैंक रोड़, अहमदनगर। | विद्यालय भवन का विस्तार। | 1500000.00 |
| 23. | एजुकेशन सोसाइटी, लोवर तुडील, जिला–रायगढ़। | विद्यालय भवन का निर्माण। | 1500000.00 |
| | **मध्य प्रदेश** | | |
| 24. | मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी, रफीकिया स्कूल रोड़, भोपाल। | आई.टी.आई. के लिए उपकरणों की खरीद। | 1000000.00 |
| | **उत्तर प्रदेश** | | |
| 25. | खलील हसन क्षेत्रीय सेवा सुधार संस्थान (खलील हसन हाई स्कूल), ई–111/3, जी.टी.बी. नगर, करेली, इलाहाबाद। | विद्यालय भवन का निर्माण। ग्राम–पो. बासगीत, साइदाबाद, हंडिया इलाहाबाद। | 1000000.00 |
| 26. | हुदा एजुकेशनल एण्ड सोसल वेलफेयर सोसाइटी, जगदीशपुर, सुल्तानपुर | 50 बेड़ों वाले बालिका छात्रावास भवन का निर्माण। हुदा इस्लामिक इंस्टीट्यूट, ओटिया, पो. राजा फतेहपुर, रायबरेली। | 1500000.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 27. | साजिद नर्सरी प्राइमरी स्कूल, रावली रोड़, रहीमपुर, जिला–बिजनौर। | विद्यालय भवन का निर्माण। | 500000.00 |
| 28. | मदरसा दारूल उलूम हुसैनिया, इमामबारा, दिवान बाजार, गोरखपुर। | आई.टी.आई. भवन का निर्माण एवं उपकरणों की खरीद। | 990000.00 |
| 29. | भरत सेवा सदन, (ककोरी गर्ल्स इंटर कॉलेज) 11, काजी गरही, ककोरी, लखनऊ। | विद्यालय भवन का निर्माण एवं उपकरण तथा फर्नीचर की खरीद। | 1000000.00 |
| 30. | इदारा तालिम–ओ–तरक्की मुस्लिम सोसाइटी, ग्राम+पो. बहादुरगढ़, जिला–गाजियाबाद। | विद्यालय भवन का निर्माण। | 1500000.00 |
| 31. | मदरसा इस्लामिया जमालूल उलूम, दरबार, कस्बा फलाउदा, मेरठ। | विद्यालय भवन का निर्माण। | 500000.00 |
| 32. | नगरपंचायत, मुसाफिरखाना, जिला–सुल्तानपुर। | सदभावना केन्द्र का निर्माण। | 937280.00 |
| 33. | अल–जामियतुल गौसिया सिराजुल उलुम, उधारी, पो. बालापुर, जिला–इलाहाबाद। | विद्यालय भवन का निर्माण। | 1000000.00 |
| 34. | आजाद एजुकेशनल सोसाइटी, पो. पीपरा कांक, जिला–खुशीनगर। | विद्यालय भवन का निर्माण। | 1000000.00 |
| 35. | दारूल उलुम गौशिया तेघिया, ग्राम–पो. रसुलाबाद, जिला–सुल्तानपुर। | आई.टी.आई. भवन का निर्माण। | 1500000.00 |
| 36. | दिनी तालिम सोसाइटी, जेर किला, गाजीपुर। | विद्यालय भवन का निर्माण। | 500000.00 |
| 37. | मुस्लिम फण्ड, (पब्लिक गर्ल्स हाई सेकेन्ड्री स्कूल) मो.–खानकाह, देवबंद, जिला–सहारनपुर। | 50 बेड वाले बालिका छात्रावास भवन का निर्माण। | 1500000.00 |
| 38. | शामशी एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी निकट एस्ट्रो टर्फ हॉकी कॉम्पलेक्स, पो. नं. 64, रामपुर। | विद्यालय भवन का विस्तार। | 700000.00 |
| 39. | ब्राईट वे सोसाइटी, ग्राम–बांगरा, पो. सान्तानपुरवा, ब्लॉक सिंहपुर, जिला रायबरेली। | विद्यालय भवन का विस्तार। | 500000.00 |
| 40. | कायनात शिक्षा विकास समिति ग्राम+पो. राजपुर, तेह. गन्नौर, जिला–बदाऊ। | 30 बेड वाले बालिका छात्रावास भवन का निर्माण। | 1000000.00 |
| 41. | अल–बरकात एजुकेशन सोसाइटी, अनुप शहर रोड़, अलीगढ़। | 60 बेड वाले बालिका छात्रावास भवन का निर्माण। | 2000000.00 |
| 42. | अशरफिया एजुकेशनल सोसाइटी, ग्राम+पो. माहुल, आजमगढ़। | 30 बेड वाले बालिका छात्रावास भवन का निर्माण। | 1000000.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 43. | जणवीर रणन्जय पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अमेठी, जिला सुल्तानपुर। | सदभावना केन्द्र का निर्माण। | 1000000.00 |
| 44. | रायबरेली पॉलिटेक्नीक एसोसिएशन, रायबरेली। | सदभावना केन्द्र का निर्माण। | 1000000.00 |
| | कुल | | 53427280.00 |

*वर्ष 2006–07 के दौरान अनुमोदित/निर्गत की गई अनुदान राशि*

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **आंध्र प्रदेश** | | |
| | द न्यू हॉली फातिमा एजुकेशनल सोसाइटी 19–3–282/2/5/ए. मदिना कॉलोनी, जहन्नुमा, हैदराबाद। | विद्यालय भवन का निर्माण। | 1500000.00 |
| | **बिहार** | | |
| 2. | शताब्दी फॉनडेशन, (शताब्दी पब्लिक स्कूल), कटारी हील रोड, गया। | विद्यालय भवन का निर्माण। | 1500000.00 |
| 3. | आबेदा हाई स्कूल, मुजफ्फरपुर। | आई.टी.आई. भवन का निर्माण। | 1500000.00 |
| | **गुजरात** | | |
| 4. | बच्चों का घर, ग्राम+पो. वागरा, जिला–भरूच | 50 बेड वाले बालिका छात्रावास भवन का निर्माण। | 1500000.00 |
| 5. | पोलान बाजार सार्वजनिक मायनॉरिटी मुस्लिम युवक मण्डल, मदरसा नुरूल इस्लाम, शेख मजावाश रोड, गोधरा। | विद्यालय भवन का विस्तार। | 500000.00 |
| 6. | आदर्श एजुकेशन ट्रस्ट, मेहतापुरा, हिम्मतनगर, जिला–साबरकांठा। | विद्यालय भवन का निर्माण। | 1000000.00 |
| 7. | मोदासा घांची एजुकेशन एण्ड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, सबालिया, स्टेट, संजार सोसाइटी, मोदासा, जिला–साबरकंठा। | विद्यालय भवन का निर्माण। | 1500000.00 |
| 8. | द गोधरा मुस्लिम मायनॉरिटी एजुकेशनल सोसाइटी, मस्जिद मुस्लिम सोसाइटी के सामने, "ए" वेजालपुर रोड, गोधरा। | विद्यालय भवन का निर्माण। | 500000.00 |
| | **जम्मू कश्मीर** | | |
| 9. | इमामीया मिशन (एजुकेशनल एण्ड सोसल वेलफेयर सोसाइटी), चुचोट, पोस्ट नं. 32, एच.पी.ओ., लेह, लद्दाक। | 100 बेड वाले बालिका छात्रावास भवन का निर्माण। | 3000000.00 |
| | **कर्नाटक** | | |
| 10. | सल्सबील एजुकेशनल ट्रस्ट, मस्जिद–ए–उलुम, हसनैन कॉम्पलेक्स, एच. कॉलोनी, इन्द्रानगर, बैंगलोर। | विद्यालय भवन का निर्माण। | 1000000.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 11. | रीफाहुल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट, फारूकिया एजुकेशनल कॉम्पलेक्स, ईदीगाह, मैसूर। | विद्यालय भवन का निर्माण। | 1500000.00 |
| 12. | बीबी फातिमा एजुकेशनल ट्रस्ट, रिंग रोड़, ईल्यासनगर, सरक्की गेट, कनकपुरा, बैंगलोर। | आई.टी.आई. भवन का निर्माण। | 1500000.00 |
| | **केरल** | | |
| 13. | इरशादिया चैरिटेबल ट्रस्ट, पो. कुवल्लुर, कोथामामनागालम, जिला इरनाकुलम। | विद्यालय भवन का विस्तार। | 1200000.00 |
| | **मध्य प्रदेश** | | |
| 14. | संत जोड़ एजुकेशनल सोसाइटी 60, सैयद कॉलोनी, हॉसिंग बोर्ड कॉलोनी, करोंद, भोपाल। | विद्यालय भवन का निर्माण। | 1500000.00 |
| | **महाराष्ट्र** | | |
| 15. | अंजुमन मुफिदूल यातमा 11, सिद्दीकी लैन, मो. उमर रज्जब रोड़, मंदनपुरा, मुम्बई। | उपकरण एवं कम्प्यूटर की खरीद। | 350000.00 |
| 16. | अंजुमन–ए–इस्लाम, मुम्बई 92, डी.एप. रोड़, बदरूद्दीन तैयब जी मार्ग, सी.एस.टी. मुम्बई। | सुबहानी छात्रावास भवन का निर्माण। | 5000000.00 |
| 17. | फजन्दार एजुकेशन ट्रस्ट, ग्रा+पो. वहुर, जिला–रायगढ़। | 100 बेड वाले बालिका छात्रावास भवन का निर्माण। | 3000000.00 |
| | **राजस्थान** | | |
| 18. | राजपुताना मोहम्मद अली मेमोरियल ट्रस्ट, बस स्टैंड के सामने, बिवार। | विद्यालय भवन का विस्तार। | 1500000.00 |
| 19. | छारूल उलुम फैजे गौशिया संस्थान, खर्ची, ता. रामसार, जिला–बरमेर। | विद्यालय भवन का निर्माण। | 1500000.00 |
| 20. | द थ्री डॉट्स चिल्ड्रेन एकेडमी चुरू बाई पास, झुनझुनु। | 100 बेड वाले बालिका छात्रावास भवन का निर्माण। | 3000000.00 |
| | **तमिलनाडु** | | |
| 21. | क्रिसेन्ट एजुकेशन सोसाइटी, बैंगलौर रोड़, कुरूबारापल्ली, ताल. कृष्णागिरी, जिला–धर्मापुरी। | विद्यालय भवन का विस्तार। | 1500000.00 |
| | **उत्तर प्रदेश** | | |
| 22. | कौमी रिफाही सोसाइटी (हीरा पब्लिक स्कूल), हंसवार, जिला अम्बेडकर नगर। | विद्यालय भवन का विस्तार। | 1200000.00 |
| | कुल | | 36250000.00 |

[अनुवाद]

### अनुसूचित जातियों के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

**2488. श्री अर्जुन सेठी :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अनुसूचित जातियों के छात्रों को पढ़ाई छोड़ने से रोकने तथा उच्च स्तरीय अध्ययन करने में सहायता करने के लिए उन्हें मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान इस श्रेणी के छात्रों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) क्या आबंटित धनराशि राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को समय पर नहीं प्रदान की गई है, परिणामतः अनुसूचित जातियों के छात्रों को अपना अध्ययन जारी रखने में बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उड़ीसा सरकार को इन वर्षों के लिए धनराशि जारी करने के मानदण्ड पूरा करने के बावजूद भी आज तक यह धनराशि प्राप्त नहीं हुई है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) यह धनराशि कब तक जारी कर दिये जाने की संभावना है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन)** : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 (31-7-2006 तक) के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी केन्द्रीय सहायता संलग्न विवरण के अनुसार है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सहायता प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्रस्तावों की प्राप्ति पर जारी की जाती है। छात्रों को सामान्यतः कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि राज्य सरकारें प्रारंभ में अपने बजट में से इनकी जरूरतों को पूरा करती हैं।

(ङ) से (छ) 1739.68 लाख रुपए की तदर्थ केन्द्रीय सहायता उड़ीसा राज्य सरकार को 27-6-2006 को जारी की गई थी, जिसमें 2005-06 के लिए 861.00 लाख रुपए का देय शामिल है। केन्द्रीय सहायता 2004-05 के दौरान उड़ीसा सरकार को जारी नहीं की गई थी क्योंकि इसके पास 201.63 लाख रुपए का अव्ययित शेष था।

**विवरण**

(लाख रुपए)

| क्रम सं. | राज्य | अनुसूचित जाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रयोजित योजना-जारी केन्द्रीय सहायता | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 (31.7.2006 तक) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 8434.74 | 9435.46 | 1814.24 |
| 2. | असम | 228.28 | 490.41 | 264.86 |
| 3. | बिहार | 1000.00 | 1100.00 | 1892.74 |
| 4. | छत्तीसगढ़ | 1567.79 | 526.00 | 0 |
| 5. | गोवा | 1.93 | 3.00 | 3.45 |
| 6. | गुजरात | 463.84 | 940.12 | 521.13 |
| 7. | हरियाणा | 425.90 | 456.00 | 657.99 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 31.21 | 143.87 | 0 |
| 9. | जम्मू-कश्मीर | 28.80 | 136.31 | 111.71 |
| 10. | झारखंड | 84.31 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | कर्नाटक | 2699.58 | 2652.00 | 1242.22 |
| 12. | केरल | 999.49 | 3771.00 | 453.14 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 1366.60 | 3064.10 | 1327.98 |
| 14. | महाराष्ट्र | 4220.47 | 8490.95 | 1433.36 |
| 15. | मणिपुर | 84.13 | 126.43 | 11.57 |
| 16. | मेघालय | 4.67 | 8.33 | 1.62 |
| 17. | उड़ीसा | 0.00 | 0.00 | 1739.68 |
| 18. | पंजाब | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19. | राजस्थान | 1157.87 | 1508.34 | 1992.21 |
| 20. | सिक्किम | 0.00 | 0.00 | 4.48 |
| 21. | तमिलनाडु | 2891.78 | 6982.18 | 1719.97 |
| 22. | त्रिपुरा | 195.84 | 222.39 | 80.61 |
| 23. | उत्तर प्रदेश | 5937.70 | 11087.00 | 5098.37 |
| 24. | उत्तरांचल | 302.25 | 296.13 | 220.07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 25. | पश्चिम बंगाल | 807.19 | 3279.00 | 2676.60 |
| 26. | दमन व दीव | 0.89 | 0.50 | 2.23 |
| 27. | दादरा व नागर हवेली | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28. | दिल्ली | 6.65 | 0.00 | 0.00 |
| 29. | पांडिचेरी | 85.38 | 90.00 | 59.71 |
| | कुल | 33027.29 | 54809.52 | 23329.94 |

**पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे प्रशिक्षण संस्थान**

**2487. श्री अनवर हुसैन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह संस्थान कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) से (ग) 2006-07 के रेलवे के निर्माण, मशीनरी और चल स्टॉक कार्यक्रम के अंतर्गत 2.37 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के रंगिया में एक बहु-विषयक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है। चूंकि यह अभी प्रारंभिक चरण में है, कोई निर्धारित समय-सीमा तय नहीं की जा सकती है।

**रेलवे परियोजनाएं**

**2488. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पर्यावरण/वन स्वीकृति के अभाव में लंबित पड़ी रेलवे परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(ग) इन परियोजनाओं को स्वीकृत करवाने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) से (ग) रेलवे परियोजनाओं को पर्यावरणीय अनुमति से छूट प्राप्त होती है। बहरहाल, वन क्षेत्र में भूमि प्राप्त करने के लिए वन संबंधी अनुमति की आवश्यकता होती है जो कि किसी भी परियोजना के भूमि अधिग्रहण के हेतु सामान्य गतिविधि है। कुछ परियोजनाओं में वन भूमि प्राप्त करने में देरी हो रही है और इसे शीघ्र करने के लिए सभी स्तरों पर प्रयत्न किए जा रहे हैं।

**कॉनकोर की लाभ/हानि की स्थिति**

**2489. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर) की लाभ/हानि की स्थिति क्या है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कॉनकोर द्वारा क्या वास्तविक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) चालू वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान किस सीमा तक वास्तविक तथा वित्तीय लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कॉनकोर ने मुनाफा कमाया है, जिसके ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

| वित्तीय वर्ष | सकल मुनाफा (करोड़ रु. में) | शुद्ध मुनाफा (करोड़ रु. में) |
|---|---|---|
| 2003-04 | 554.00 | 367.59 |
| 2004-05 | 676.22 | 428.60 |
| 2005-06 | 753.39 | 525.80 |

(ख) कॉनकोर और भारतीय रेलवे के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष में कॉनकोर के लिए वास्तविक तथा वित्तीय लक्ष्य निम्नलिखित हैं:-

| | | |
|---|---|---|
| i) | थ्रू पुट-अंतर्राष्ट्रीय | 15,38,000 टी ई यू एस |
| | -घरेलू | 3,60.000 टी ई यू एस |
| ii) | सकल बिक्री (परिचालनों से आमदनी) | 2642.69 करोड़ रु. |
| iii) | शुद्ध मुनाफा | 724.22 करोड़ रु. |

(ग) मौजूदा वित्तीय वर्ष (2006-07) की प्रथम तिमाही के दौरान वास्तविक और वित्तीय मानदंडों की उपलब्ध स्थिति निम्नलिखित है:

| | | |
|---|---|---|
| i) | थ्रू पुट-अंतर्राष्ट्रीय | 4,07,865, टी ई यू एस |
| | -घरेलू | 94,638, टी ई यू एस |
| ii) | सकल बिक्री (परिचालनों से आमदनी) | 721.33 करोड़ रु. |
| iii | सकल मुनाफा | 232.33 करोड़ रु. |

**रेल नीर संयंत्र स्थापित किया जाना**

**2490. श्री बाडिगा रामकृष्णा :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली तथा बिहार स्थित रेल नील संयंत्र देश में संपूर्ण रेल नेटवर्क की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम है;

(ख) यदि नहीं, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या रेलवे के पास और अधिक रेल नीर संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान सहित ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन संयंत्रों की स्थापना कब तक कर दी जाएगी?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) जहां–कहीं रेल नीर उपलब्ध नही है, क्षेत्रीय रेलें, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित उसके द्वारा पीने के पानी के स्वीकृति ब्रांड की खरीद–आपूर्ति करने के लिए स्वतंत्र हैं। अन्य क्षेत्रों में नए रेल नीर प्लांट की स्थापना उसकी व्यवहार्यता पर निर्भर करता है।

**प्लेटफार्मों पर जाने पर प्रतिबंध**

**2491. श्री किन्जरपु येरननायडु :**
**डा. के. धनराजू :**
**श्री मुन्शी राम :**
**श्री अशोक कुमार रावत :**
**श्री एम. शिवन्ना :**
**श्री विजय कृष्ण :**
**श्री शिशुपाल पटले :**
**श्री मो. ताहिर :**
**श्री कैलाशनाथ सिंह यादव :**
क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे प्लेटफार्मों पर जाने पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है जैसा कि 30 जुलाई, 2006 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) यह निर्णय कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) से (ग) रेलवे संबंधी स्थायी समिति ने महानगरों में टर्मिनल सुविधाओं पर अपनी 21 वीं रिपोर्ट (2005–06) में सिफारिश की है कि प्लेटफार्म पर केवल वास्तविक यात्री के साथ सीमित संख्या में ही लोगों को प्रवेश की अनुमति दी जाए जैसा कि हवाई अड्डों के मामलों में किया जा रहा है। इस विषय पर सर्वसम्मति बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस सिफारिश पर अभी कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया है।

*[हिन्दी]*

**हैंगर के उपयोग हेतु किराये को बट्टे खाते में डालना**

**2492. श्री कृष्णा मुरारी मोघे :**

**श्री विजय कुमार खंडेलवाल :**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राजाभोज विमानपत्तन पर मध्य प्रदेश सरकार को विमानों द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पुराने हैंगर के उपयोग हेतु किराये को बट्टे खाते में डालने के संबंध में कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) से (ग) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को मध्य प्रदेश सरकार से, राजाभोज हवाईअड्डे पर उनके द्वारा लिए गए आस–पास के क्षेत्र तथा पुराने हैंगर के इस्तेमाल के लिए, किराए की माफी के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अनुरोध की जांच कर रहा है।

*[अनुवाद]*

**उड़ीसा में निर्माणाधीन परियोजनाएं**

**2493. श्री सुग्रीव सिंह :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं और नई रेल लाइनें बिछाए जाने और फ्लाई ओवर बनाने के संबंध में सर्वेक्षणों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन प्रत्येक परियोजनाओं/सर्वेक्षणों को पूरा करने हेतु निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक इन परियोजनाओं में प्रत्येक परियोजना हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है तथा उपयोग किया गया है; और

(घ) राज्य में परियोजनाओं/सर्वेक्षणों को समय पर पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) से (ग) उड़ीसा में आंशिक/पूर्ण रूप से आने वाली नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण की विभिन्न परियोजनाओं के अनुमानित या निर्धारित लक्ष्य तिथि और 2006–07 के दौरान मुहैया कराए गए बजट आबंटन सहित परियोजनावार प्रगति इस प्रकार है:–

| क्र.सं | परियोजना का नाम | वर्तमान स्थिति | परिव्यय 2006–07 (करोड़ रु. में) | 31-3-2006 तक किया गया व्यय (करोड़ रु. में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **नई लाइनें** | | |
| 1. | दैतारी–बांसपानी (155 कि.मी.) | बांसपानी से क्योंझर (57.44 कि.मी.) तक लाईन का कार्य पूरा हो चुका है और लाइन को चालू कर दिया गया है। क्योंझर–दैतारी (टोमका) (98 कि.मी.) खंड को 2006–07 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है। इस परियोजना के भाग के रूप में जखपुरा पर एक पुल भी निर्माणाधीन है। | 155.85 | 583.48 |
| 2. | लांजिगढ़ रोड– जूनागढ़ (56 कि.मी.) | 477 हैक्टेयर भूमि में से 349 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर ली गई है। लांजिगढ़ से भवानी पटना (31 कि.मी.) पर मिट्टी संबंधी और पुलों का कार्य शुरू किया गया है। | 19.00 | 27.18 |
| 3. | खोरधा रोड–बोलनगीर (289 कि.मी) | अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। 2000 हेक्टेयर में से 330 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर ली गई है। खुरदा से परियोजना के पूरे भाग के 36 कि.मी. तक मिट्टी संबंधी और पुलों का कार्य शुरू किया गया है। | 23.00 | 45.22 |
| 4. | हरिदासपुर–पारादीप (82 कि.मी.) | अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। पुलों और किनारों की मिट्टी संबंधी जांच पूरी की जा चुकी है। 598 हेक्टेयर में से 373 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर ली गई है। परियोजना को बैंकग्राह्य पाया गया है तथा विशेष प्रयोजन परियोजना के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड तथा उड़ीसा सरकार, पारादीप पत्तन प्राधिकरण तथा मैसर्स जिंदल स्टील लिमिटेड के बीच 24–5–2005 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किऐ गए हैं। परियोजना के मार्च 2008 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। | 44.00 | 49.51 |
| 5. | अंगुल–सुकिंदा रोड (98.7 कि.मी) | परियोजना के पूरे भाग पर अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण और मिट्टी की जांच संबंधी कार्य पूरा हो चुका है। परियोजना को प्रथम दृष्ट्या बैंकग्राह्य पाया गया है तथा इसे विशेष प्रयोजन परियोजना के माध्यम से लागू किया जाएगा। परियोजना को रे.वि.नि.लि. को स्थानांतरित कर दिया गया है। | 20.00 | 0.88 |
| 6. | तलचेर–बिमलगढ़ (154 कि.मी.) | अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका हैं योजनाएं और अनुमान तैयार किए जा रहे हैं। | 10.00 | 0.41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | **आमान परिवर्तन** | | |
| 1. | रूपसा बांगरीपोसी (89 कि.मी) | रूपसा–बारिपदा(52 कि.मी.) खंड शुरू किया जा चुका है। बारिपदा–बांगरीपोसी खंड का कार्य शुरू किया जा रहा है। | 15.89 | 55.59 |
| 2. | नोपाड़ा–गुनुपुर (90 कि.मी.) | 25.5 हेक्टेयर में से 9 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर ली गई है। मिट्टी संबंधी और पुलों का कार्य प्रगति पर है। | 34.00 | 35.79 |
| | | **दोहरीकरण** | | |
| 1. | महानदी और बीरूपा पर दूसरा पुल (3 कि.मी.) | बीरूपा नदी पर दूसरा पुल चालू कर दिया गया है। महानदी पर दूसरे पुल का कार्य रे.वि.नि.लि. द्वारा शुरू किया जा रहा है। कार्य का ठेका दे दिया गया है और कार्य प्रगति पर है। कार्य के 2007–08 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है। | 39.90 | 48.94 |
| 2. | लांजिगढ़–टिटिलागढ़ (47 कि.मी.) | केसींगा–लांजिगढ़ (34 कि.मी.) खंड चालू कर दिया गया है। केसींगा रोड़–टिटिलागढ़ (13 कि.मी.) खंड के 2006–07 के दौरान पूरा किए जाने की संभावना है। | 15.00 | 122.56 |
| 3. | रजतगढ़–बरंग (20 कि.मी.) | कार्य रे.वि.नि.लि. द्वारा किया जा रहा हैं सभी बड़े पुलों का अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण और भू–तकनीकी जांच पूरी की जा चुकी है। महानदी पर तथा पांच अन्य बड़े पुलों पर कार्य शुरू किया जा रहा है। कार्य के 2007–08 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है। | 72.70 | 31.36 |
| 4. | खोरधा रोड़–पुरी (चरण–I) (15.3 कि.मी.) | इस समय खोरधा रोड़–डेलांग (15.3 कि.मी) खंड के दौहरीकरण कार्य की स्वीकृति दी जा चुकी है जहां मिट्टी संबंधी और पुलों का कार्य प्रगति पर है। कार्य के 2006–07 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है। | 10.00 | 45.01 |
| 5. | संबलपुर–रेंगली (22.7 कि.मी.) | अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जा चुका है। मिट्टी संबंधी और पुलों का कार्य शुरू किया जा चुका है। संबलपुर–सरला (7 कि.मी.) के 2006–07 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है। | 20.00 | 20.98 |
| 6. | झारसुगुड़ा–रेंगली (25.6 कि.मी.) | अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जा चुका है। विस्तृत अनुमानों को स्वीकृति कराया जा रहा है। | 10.00 | 0.00 |
| 7. | कटक–बंगर (12 कि.मी.) | कार्य रे.वि.नि.लि. द्वारा शुरू किया जा रहा है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जा चुका है। क्वाखी पुल की संरचना का कार्य पूरा किया जा चुका है। कार्य के 2007–08 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है। | 40.15 | 24.74 |
| 8. | खोरधा रोड–बरंग तीसरी लाइन (35 कि.मी.) | कार्य रे.वि.नि.लि. द्वारा शुरू किया जा रहा है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जा चुका है। भूमि अधिग्रहीत की जा रही है। कार्य के 2007–08 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है। | 46.60 | 0.11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 9. | झारसुगुड़ा बाईपास लाइन (8.73 कि.मी.) | अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जा चुका है। कार्य शुरू किया जा चुका है। | 13.62 | 14.12 |
| 10. | विजयानगरम–कोत्तयलसा तीसरी लाइन (34.7 कि.मी.) | बजट 2006–07 में नया कार्य शामिल किया गया है। | 5.00 | – |
| 11. | संबलपुर–टिटिलागढ़ दोहरीकरण (182 कि.मी.) | बजट 2006–07 में नया कार्य शामिल किया गया है। | 5.00 | – |

उड़ीसा में नई लाइनों के लिए चालू सर्वेक्षण इस प्रकार है:–

1. कटक–भुवनेश्वर–परिवहन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण–पूरा करने की लक्ष्य तिथि: 31–3–2007।
2. बादामपहाड़–क्योंझर–पूरा करने की लक्ष्य तिथि : 31–12–2006।
3. दिघा–जलेश्वर–पूरा करने की लक्ष्य तिथि : 31–8–2006
4. रूपसा का विस्तार–गोरुमहिसानी से बांगरीपोसी तक–पूरा करने की लक्ष्य तिथि : 30–9–2006।
5. बुड़ामरा–चकलिया:पूरा करने की लक्ष्य तिथि : 30–9–2006।

(घ) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य प्रगति पर है। परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए रेलवे ने सामान्य बजट सहायता के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए नई लाइन और दोहरीकरण की अनेक परियोजनाओं को रेल विकास निगम लिमिटेड को सौंपा गया है।

**होटल उद्योग को राजसहायता**

2494. **श्री प्रहलाद जोशी : क्या पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष पर्यटन का विकास योजना के अन्तर्गत होटल उद्योग के लिए जारी राजसहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान जारी की गई यह राजसहायता धनराशि घोषित बजटीय धनराशि से ज्यादा हो गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को ऐसी योजना के लिए राजसहायता जारी करने में भेदभावपूर्ण व्यवहार हेतु राज्य सरकारों से कोई शिकायत मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) :** (क) वित्तीय वर्ष 2004–05 तथा 2005–06 के दौरान, इस योजना के अंतर्गत, प्रत्येक के लिए 10.00 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई थी और सम्पूर्ण आबंटन का उपयोग किया गया।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**रामटेक से गेटेगांव तक रेल लाइन का निर्माण**

2495. **श्रीमती नीता पटैरिया : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रामटेक से गेटेगांव तक एक नई बड़ी रेल लाइन के निर्माण हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) से (ग) रामटेक–गोटेगांव नई लाइन का अद्यतन सर्वेक्षण 2004–05 के दौरान पूरा हो गया था जिसके अनुसार (–) 3% प्रतिफल दर के साथ 275 कि.मी. लंबी लाइन की लागत उस समय के मूल्य स्तर पर 775.29 करोड़ रु. आकी गई थी। लाइन की अलाभप्रद प्रकृति, चालू परियोजना के भारी थ्रोफारवर्ड और संसाधनों की अत्यधिक तंगी को ध्यान में रखते हुए, परियोजना को शुरू करना व्यावहारिक नहीं समझा गया है।

*[अनुवाद]*

**सेना में उग्रवादियों की घुसपैठ**

2496. **श्री शैलेन्द्र कुमार :**
**श्री हंसराज गं. अहीर :**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में सेना में आतंकवादियों की घुसपैठ की बात आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला तथा उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : (क) से (ग) तीन सेना कर्मिकों के आतंकवादियों के साथ शामिल होने का एक मामला सरकार के ध्यान में आया है। इस मामले की छानबीन की जा रही है और संबंधित सेना कर्मिकों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी जो जांच–पड़ताल के परिणाम पर निर्भर करेगी।

**आई टी डी सी की चरण IV परियोजना**

**2497. श्री पी. करूणाकरन :** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार की केरल सरकार से विश्व बैंक से सहायता प्राप्त आई टी डी सी चरण IV परियोजना के अन्तर्गत राज्य को शामिल करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) पर्यटन मंत्रालय ने ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**गुजरात में पर्यटन विकास**

**2498. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम :** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से राज्य में पर्यटन स्थलों के विकास हेतु वित्तीय सहायता के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) से (ग) जी, हां। पर्यटन मंत्रालय, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श कर प्रत्येक वर्ष प्राथमिकता प्रदान की गई परियोजनाओं के आधार पर निधियां प्रदान करता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना से, पर्यटन मंत्रालय निम्नलिखित योजनाओं के लिए निधियां प्रदान कर रहा है:

(i) पर्यटक परिपथ

(ii) उत्पाद अवसंरचना तथा गंतव्य विकास

(iii) वृहत राजस्व सृजक परियोजनाएं

(iv) कार्यक्रमों सहित मेले और उत्सव

गुजरात राज्य से निम्नलिखित परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं।

1. जूनागढ़–वेरावल–पोरबंदर–द्वारका पर पर्यटक परिपथ का एकीकृत विकास
2. नवरात्रि उत्सव
3. तारनेतर उत्सव
4. अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव
5. शरद उत्सव
6. नागेश्वर जिले में ग्रामीण पर्यटन

सभी प्रकार से पूर्ण, प्राप्त परियोजना प्रस्तावों का, दिशा–निर्देशों और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और संबंधित शीर्ष के अंतर्गत उपलब्धता की शर्त पर धनराशि अवमुक्त की जाती है।

पर्यटन मंत्रालय ने, चालू वित्तीय वर्ष में 329.83 लाख रुपए की राशि के लिए जूनागढ़–वेरावल–पोरबंदर–द्वारका पर पर्यटक परिपथ के एकीकृत विकास के लिए परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत किया है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान (2005–06 तक) गुजरात राज्य के लिए 3283.14 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

**पर्यटन उद्योग की समस्याएं**

**2499. श्री फ्रांसिस फैन्थम :** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्यटन उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए किसी समिति की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(ग) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) और (ख) पर्यटन उद्योग की समस्याओं सहित पर्यटन से संबंधित विभिन्न नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देने और एक 'थिंक टैंक' के रूप में काम करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय पर्यटन सलाहकार परिषद

(एनटीएसी) का गठन किया है। इस परिषद के टर्म्स ऑफ रिफरेंस व्यापक हैं और यह पर्यटन के सभी पहलुओं को कवर करते हैं।

(ग) एनटीएसी एक स्थायी समिति है और यह समय–समय पर पर्यटन से संबंधित विभिन्न मामलों पर सिफारिशें करती है।

*[हिन्दी]*

**रामवन संग्रहालय हेतु वित्तीय सहायता**

**2500. श्री विजय कुमार खंडेलवाल :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से राज्य में रामवन संग्रहालय के उन्नयन व विकास के लिए वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकार को कोई वित्तीय सहायता जारी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शेष राशि को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) :** (क) से (घ) जी हां। वर्ष 2004–05 के दौरान रामवन संग्रहालय का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और 10.00 लाख रु. की राशि मंजूर की गई है। मंजूर किए गए 10.00 लाख रु. में से प्रथम किस्त के रुप में 7.50 लाख रु. जारी कर दिए गए थे। 2.50 लाख रु. की शेष राशि, केन्द्र सरकार द्वारा पहले जारी की गई राशि तथा साथ ही राज्य सरकार की निर्धारित हिस्सेदारी (मैचिंग शेयर) के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर जारी की जाएगी।

**दिल्ली में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का अतिक्रमण**

**2501. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भू–माफियाओं ने इन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों का अतिक्रमण किया है और प्राचीन मूर्तियों को अन्य देशों को बेचा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भू–माफियाओं से भूमि खाली कराने और इन स्थानों का विकास करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी ) :** (क) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 तथा नियम, 1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत दिल्ली में राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित 175 केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची विवरण–I के रूप में संलग्न है।

(ख) से (घ) दिल्ली में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षित स्मारकों में अतिक्रमणों के चौदह मामलों के बारे में सूचित किया गया है। संरक्षित स्मारकों से प्राचीन मूर्तियों की चोरी की कोई सूचना नहीं है। अतिक्रमणों का ब्यौरा तथा संरक्षित स्मारकों से अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा विवरण–II के रूप में संलग्न है।

***विवरण-I***

*दिल्ली में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का ब्यौरा*

| क्र.सं. | स्मारक/स्थल का नाम | स्थान |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | बुर्जी, जहां पर जहांपनाह की दीवार राय पिथौरा किले से मिलती है | अदचीनी |
| 2. | राय पिथौरा किले के ढलान व प्रवेशद्वार | अदचीनी |
| 3. | नवाब बहादुर जाविद खान के नाम के प्रसिद्ध संगमरमर का मकबरा | अलीगंज |
| 4. | लाल बंगला | बाबरपुर, (काकानगर) |
| 5. | खैर–उल–मंजिल | बाबरपुर, बाजीपुर (काकानगर) |
| 6. | कोस मीनार अथवा मुगल मील का पत्थर | बाबरपुर, बाजीपुर (काकानगर) |
| 7. | शेरशाह का मोती द्वार, दिल्ली | बाबरपुर, बाजीपुर (काकानगर) |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 8. | बेगमपुरी मस्जिद | बेगमपुर |
| 9. | नजफगढ़ झील जलसेतु के पास फूल चादर जलसेतु | चौकरी मुबारकबाद |
| 10. | लाल गुम्बद | चिराग दिल्ली |
| 11. | बहलोल लोदी का मकबरा | चिराग दिल्ली |
| 12. | अजमेरी गेट | बाजार अजमेरी गेट |
| 13. | अलीपुर कब्रिस्तान | दिल्ली–अलीपुर कैंपिंग समूह |
| 14. | अशोक स्तंभ | (फिरोजाबाद फिरोजशाह किला अथवा विक्रम नगर कालोनी) |
| 15. | बारा खंभा कब्रिस्तान | इम्पीरियल सिटी |
| 16. | चौबुर्जी | हिंदुराव अस्पताल के पास रिज |
| 17. | इरेमो कब्रिस्तान | किशनगंज रेलवे स्टेशन |
| 18. | दिल्ली किला अथवा लाल किला, नौबत खान, दीवान–ए–आम, मुमताज महल, रंग महल, बैठक, मसेउ बुर्ज, दीवान–ए–खास, मोती मस्जिद, सावन भादों, शाह बुर्ज, हम्माम तथा उसके आसपास का क्षेत्र जिसमें बगीचे, रास्ते, चबूतरे तथा वाटर कोर्सेज शमिल है। | लाल किला |
| 19. | दिल्ली गेट | दरियागंज |
| 20. | लै. एडवर्डस तथा अन्यों की कब्रें जिनकी 1857 में हत्या की गई। | उत्तरी रिज, फ्लैग स्टाफ टॉवर सिविल लाइंस |
| 21. | नजफ खान के कमबरे के साथ लगी अहाता दीवार | सफदरजंग फ्लाईओवर |
| 22. | फ्लैग स्टाफ टॉवर | चौबुर्जी मस्जिद के 400 गज उत्तर |
| 23. | जंतर मंतर | कनॉट फ्लेस |
| 24. | कश्मीरी गेट तथा शहर दीवार का हिस्सा जोकि कश्मीरी गेट के दोनों तरफ और दूसरी तरफ दीवार के उत्तरी कोने पर जहां पानी की बुर्जी भी शामिल है तथा शहर दीवार का बाहरी हिस्सा जहां से दिखता है। | कश्मीरी गेट |
| 25. | कोटला फिरोजाबाद तथा शेष दीवारें, बुर्जियां तथा प्रवेश द्वार एवं बाग, पुरानी मस्जिद तथा कुआं तथा इसमें शामिल अन्य भवनों के अवशेष | जेल से दो फर्लांग पूर्व तथा शाहजहांनाबाद, दिल्ली के दक्षिण पूर्वी कोने के दक्षिण से तीन फर्लांग |
| 26. | लाल दरवाजा, शेरशाह की दिल्ली की बाहरी दीवारों का उत्तरी द्वार | दिल्ली गेट के दक्षिण में तीन फर्लांग |
| [illegible]. | लोथियान रोड कब्रिस्तान | कश्मीरी गेट |
| 28. | मस्जिद | कुदसिया बाग |
| 29. | म्यूटिनी टेलीग्राफ स्मारक | पुराने टेलिग्राफ भवन के सामने, कश्मीरी गेट |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 30. | निकलसन (अथवा कश्मीरी गेट) कब्रिस्तान | कश्मीरी गेट |
| 31. | निकलसन की मूर्ति तथा उसका प्लेटफार्म तथा उसके आसपास के बाग, रास्ते तथा अहाता दीवार | कश्मीरी गेट के बाहर |
| 32. | हिन्दूराव हाउस के एकदम पश्चिम में प्राचीन बावली | रिज, दिल्ली |
| 33. | बाग के पुराने प्रवेशद्वार | कुदसिया, दिल्ली |
| 34. | हिन्दूराव हाउस के उत्तर में तथा समीप पीर घहैबे | रिज, दिल्ली |
| 35. | शहर दीवार का वह हिस्सा जहां ब्रिगे, जान निकलसन को 14 सितम्बर, 1857 को घातक रूप से जख्मी कर दिया गया था | रिंज, दिल्ली |
| 36. | रोशनारा बाग में पंजाबी गेट | म्यूनिसिपल बोर्ड स्कूल के सामने, सब्जी मंडी |
| 37. | पुराना किला (इन्द्रपट) अथवा दिल्ली तथा साथ में इसकी सभी दीवारें, मेहरावें, प्रवेशद्वार तथा बुर्जियाँ, बगीचे शेरशाह की मस्जिद (किला कोहना मस्जिद,) शेरमंडल तथा सब टेरानियन रास्ते का प्रवेशद्वार | दिल्ली के शाहजहांनाबाद, के दिल्ली गेट से 2 मील दक्षिण की तरफ |
| 38. | राजपुर (म्यूटिनी कब्रिस्तान) | पुराना राजपुर छावनी उत्तरी जिला |
| 39. | प्राचीन मागाजीरा तथा उनके साथ लगे हुए भवनों के बचे हुए प्रवेशद्वार | पेस्ट ऑफिस, दिल्ली |
| 40. | शेरशाह का गेट तथा उसके साथ लगी दीवारें तथा बुर्जियां तथा उसके सामने संरचनाओं की दो लाइनों के अवशेष | पुराना किले के एकदम सामने खैरूल मंजिल मस्जिद के एकदम उत्तर पूर्व में |
| 41. | सीज बैटरी का स्थल जिसे सैमी हाउस बैटरी जाना जाता है जिसमें निम्नलिखित शिलालेख हैं: बैटरी, सैमी हाउस, मेजर रेमिंगटन टैंक, आर, ए, कमांडिंग आर्मामेंट 89 पाउंड। मोरी बुर्जी के समीप कमांड ग्राउंड | म्यूटिनी स्मारक के 300 गज पूर्व में |
| 42. | शिलालेख सहित सीज बैटरी का स्थल | पुलिस लाइन में अस्पताल के पूर्व में |
| 43. | शिलालेख सहित सीज बैटरी का स्थल | मकान नं 7 का परिसर, कोर्ट रोड |
| 44. | शिलालेख सहित सीज बैटरी का स्थल | कर्जन हाउस का परिसर |
| 45. | शिलालेख सहितसीज बैटरी का स्थल | दिल्ली क्लब मैदान के दक्षिण पश्चिम प्रवेशद्वार के समीप बाग |
| 46. | दिल्ली किले के पास सुनहरी मस्जिद | दिल्ली किला |
| 47. | कै. मैक बर्नाट एवं अन्यों का मकबरा जोकि किशनगंज के आक्रमण में मारे गए | किशनगंज |
| 48. | ग्यासुद्दीन खान का मकबरा, | तुगलकाबाद |
| 49. | रोशनारा का मकबरा तथा बारादरी | सब्जी मंडी |
| 50. | मौहल्ला बुलबुली खाना में रजिया बेगल का मकबरा | शाहजहांनाबाद |
| 51. | सफदरजंग का मकबरा (मिर्जा मुकीम मंसूर अली खान) तथा इसकी सभी अहाता दीवारें, प्रवेशद्वार, बाग तथा बाग के पूर्वी तरफ मस्जिद | लोदी रोड, नई दिल्ली |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 52. | त्रिपोलिया प्रवेशद्वार | दिल्ली–करनाल मार्ग |
| 53. | उग्रसेन की बावली | जंतर–मंतर के समीप |
| 54. | दरियाखान का मकबरा | पूर्वी किदवई नगर |
| 55. | घियासपुर स्थित बावली | निजामुद्दीन |
| 56. | मिर्जा मुजफ्फर का मकबरा, छोटा बादशाह नं. 153 घियासपुर | निजामुद्दीन |
| 57. | अमीर खुसरो का मकबरा, घियासपुर | निजामुद्दीन |
| 58. | मिर्जा मुजफ्फर का मकबरा, बड़ा बादशाह नं. 151 घियासपुर | निजामुद्दीन |
| 59. | निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, घियासपुर, नं.197 | निजामुद्दीन |
| 60. | अज्ञात मकबरा, घियासपुर, नं. 153 | निजामुद्दीन |
| 61.(I) | फिरोजजशाह का मकबरा<br>सं. 1 से पश्चिम में गुम्बदाकार भवन<br>1 व 2 के बीच में दालान<br>सं.3 के दक्षिण में गुम्बदाकार भवन तथा उसका आंगन<br>सं. 1 से विद्यमान सं. 10 तक के उत्तर में दालान तथा सभी ध्वस्त भवन<br>सं. 1 से 5 के मामले में तरफ पांच छतरियां<br>सं. 6 के उत्तर में पुराना द्वार<br>सं. 8 के उत्तर–पश्चिम में तीन छतरियां<br>सं.7 के उत्तर–पश्चिम में गुम्बदाकार भवन के ध्वस्त आंगन तथा उसके दालान<br>सं. 4 से पूर्व की तरफ जा रही पुरानी दीवार उपरोक्त स्मारकों को घेरती हुई 2.23 एकड़ भूमि जो कि घिरी हुई है<br>उत्तर : छंगा तथा मेहरचंद पुत्र हंसराम के मकान व उदेराम पुत्र कुशा के मकानों से<br>दक्षिण: घेरमुनकन रेस्ता<br>पूर्व: गांव समुदाय से संबंधित गांव स्थल जैसे नोटस जदर, पुत्र जयसिंह छमार तथा फील्ड नं. 338 एवं 331 जोकि नैदार तथा अन्यों से संबंधित है<br>पश्चिम: फील्ड नं. 185 जोकि उदाराम पुत्र कुशल जाट तथा फील्ड नं. 186 जोकि जगिन्स व सजावल राजपूत से संबंधित है, सं. 195 घैरमुनकीन जोहर, जोकि जाटों व मुसलमानों से संबंधित है तथा फील्ड नं. 196, घैरमुनकीन पाल। | हौजखास |
| 62. | मस्जिद सहित बाग–ए–आलम गुम्बद | हुमायूंपुर |
| 63. | काली गुंटी | हुमायूपुर (हौजखास) |
| 64. | टेफेवाला गुम्बद | हुमायूंपुर डीयर पार्क (हौजखास) |
| 65. | अरब सराय | पट्टी, हौज इन्द्रपेट में घीयापुर |
| 66. | पुराना किला की तरफ उत्तर की दिशा की तरफ वाला अरब की सराय का प्रवेशद्वार | अरब सराय गांव के समीप |
| 67. | हुमायूं के मकबरे की तरफ पूर्व की दिशा की तरफ वाला अरब की सराय का प्रवेशद्वार | अरब सराय गांव के समीप |
| 68. | अरब सराय व आबादी–बाग–बुहालिमा के बचे हुए प्रवेशद्वार | अरब सराय गांव के समीप |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 69. | लाखरवाल गुम्बद (मकबरा) | इन्द्रपट एस्टेट, (सुंदर नर्सरी) |
| 70. | सुन्दरवाला बुर्ज | इन्द्रपट एस्टेट, (सुंदर नर्सरी) दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास, मथुरा रोड निजामुद्दीन |
| 71. | सुन्दरवाला महल | इन्द्रपट एस्टेट, (सुंदर नर्सरी) |
| 72. | विजय मंडल, साथ के गुंबद, भवन तथा बेगमपुर के उत्तर की तरफ दालान | कालूसराय गांव में (सर्वप्रिय विहार) |
| 73. | पुराना लोदी ब्रिज, रास्तों सहित | सिंकदर लोदी के मकबरे के पास, खैरपुर |
| 74. | दालान व आंगन सहित मस्जिद तथा बड़ा गुम्बज (मस्जिद में गुम्बदाकार प्रवेश) | खैरपुर |
| 75. | मौहम्मद शाह का मकबरा जिसे मुबारक खान का गुम्बज के नाम से भी जाना जाता है | खैरपुर |
| 76. | सिकंदर लोदी का मकबरा तथा उसकी अहाता दीवारें तथा बुर्जियां, द्वार तथा परिसर | खैरपुर |
| 77. | शीशा गुम्बद के नाम से जाना जाने वाला अज्ञात मकबरा जिसमें नीली टाइलों से सजावट की गई हैं। | खैरपुर |
| 78. | बांदी अथवा पोती का गुम्बद III –280 | हौजखास व कुतुब रोड के बीच खरेरा गांव |
| 79. | बीरन का गुम्बद 282 | हौजखास व कुतुब रोड के बीच खरेरा गांव |
| 80. | बीवी और दादी का गुम्बद 281 | हौजखास व कुतुब रोड के बीच खरेरा गांव |
| 81. | चोर मीनार नं 289 भाग III | खरेरा (हौजखास एन्कलेव) |
| 82. | चोटी गुंटी | खरेरा गांव ग्रीन पार्क |
| 83. | खरेरा की ईदगाह सं.287, भाग III | खरेरा गांव हौजखास एन्कलेव |
| 84. | नीली मस्जिद | खरेरा गांव हौजखास एन्कलेव |
| 85. | सकरी गुमटी–284 | खरेरा गांव ग्रीन पार्क |
| 86. | खिड़की मस्जिद | खिड़की गांव |
| 87. | सतपुला– III –216 | खिड़की गांव |
| 88. | यूसुफ कुत्तल का मकबरा | खिड़की गांव में फील्ड नं. 81, शामलात देह की संपत्ति |
| 89. | जहाज महल | महरौली |
| 90. | प्लेटफार्म प्रवेशद्वार सहित शमसीद तालाब | महरौली |
| 91. | मोती मस्जिद महरौली | महरौली |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 92. | बहादुर शाह–II का प्रचीन महल उर्फ लाल महल, महरौली | महरौली |
| 93. | बाराखंभा–285 | खरेरा गांव मकबरे जोकि हौजखास, कुतुब रोड के बीच हैं |
| 94. | कुतुब पुरातत्वीय क्षेत्र जिसकी अब फेंसिंग कर दी गई है, जिसमें मस्जिद, लौह स्तंभ, कुतुबुद्दीन की मीनार, अर्द्धनिर्मित मीनार, अभी स्तंभावली, स्क्रन मेहराब, अल्तमश का मकबरा, कॉलेज, अलाउद्दीन के भवन, इमाम जमीन का मकबरा तथा उपरोक्त क्षेत्र में लगे उत्कीर्ण तत्थर तथा बाग, रास्ते तथा पानी के चैनल तथा सभी प्रवेशद्वार तथा अलाई दरवाजा व उपरोक्त क्षेत्र में सभी कब्रें | महरौली |
| 95. | आदम खान का मकबरा (आरामगाह) | महरौली |
| 96. | मौलाना जमाली–कमाली का मकबरा और मस्जिद | महरौली |
| 97. | दीवार मस्जिद | महरौली |
| 98. | सोहन गेट से आदम खान के मकबरे तक लाल कोट व राय पिथौरा किले की दीवारें जिसमें खाई भी शामिल है जहां एक बाह्य दीवार है। | महरौली खसरा नं 1783, 1765, 1766, 1767, 1770, 1772, 1773, 1798 तथा 1764 |
| 99. | लाल कोट व राय पिथौरा किले की दीवारों के आपस में मिलने का स्थान की दीवारें | जमाली–कमाली मस्जिद के पास, महरौली खसरा नं. 1754, लाडो सराय खसरा नं. 86 व 87 |
| 100. | प्रवेशद्वारों व बुर्जियों सहित राय पिथौरा किले की दीवार | महरौली |
| 101. | गांव मुबारकपुर में मुबारकपुर, कोटला के द्वार व दीवारें | मुबारकपुर गांव, कोटला |
| 102. | मोती की मस्जिद | साउथ एक्सटेंशन पार्ट II के पीछे |
| 103 | इंचला वाली गुंटी | मुबारकपुर गांव, कोटला |
| 104. | काला गुम्बद | मुबारकपुर गांव, कोटला |
| 105. | बड़े खान तथा मुबारकपुर, कोटला के मकबरे | मुबारकपुर गांव, कोटला |
| 106. | छोटे खान का मकबरा, मुबारकपुर | मुबारकपुर गांव, कोटला |
| 107. | मुबारकपुर में मुबारिक का मकबरा | मुबारक गांव, कोटला |
| 108. | मुबारक शाह के मकबरे के साथ लगी मस्जिद | मुबारकपुर गांव, कोटला |
| 109. | भूरा खान का मकबरा | मुबारकपुर गांव, कोटला |
| 110. | तीन बुर्जी वाला गुम्बद | मौहम्मदपुर पुर गांव II,304 |
| 111. | बिना नाम का मकबरा | मौहम्मपुर गांव II,305 |
| 112. | बावली | मुनीरका II,318 |
| 113. | मुंडा गुम्बद | मनीरका, 302 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 114. | बिना नाम की मस्जिद | मुनीरका, 314 |
| 115. | बिना नाम का मकबरा | मुनीरका, 313 |
| 116. | बिना नाम का मकबरा | मुनीरका, 315 |
| 117. | बिना नाम का मकबरा | मुनीरका, 316 |
| 118. | बिना नाम का मकबरा | मुनीरका, 317 |
| 119. | बिना नाम की मस्जिद | मुनीरका, 321 |
| | (i) बिना नाम का मकबरा | मुनीरका, 322 |
| 120. | वजीरपुर की गुम्बद | मुनीरका, 312 |
| 121. | अफसाह वाल्ला की मस्जिद जोकि हुमायूं के मकबरे के पश्चिम द्वार के बाहर स्थित है तथा इसके दालान व आंगन जिसके पूर्व में हुमायूं का मकबरा, पश्चिम में अरब सराय की आबादी, उत्तर में सड़क तथा खसरा सं. 252 तथा दक्षिण में अरब सराय की आबादी | निजामुद्दीन |
| 122. | वेदी के उत्तरी प्रवेशद्वार के बाहर बाराखंभा | निजामुद्दीन |
| 123. | निजामुद्दीन के समीप बड़ा पुल | निजामुद्दीन दक्षिण |
| 124. | चौंसठ खम्भा तथा मिर्जा निजामुद्दीन अजीज का कोकलताश का मकबरा | निजामुद्दीन |
| 125. | जहांनारा बेगम की कब्र | निजामुद्दीन |
| 126. | मोहम्मद शाह की कब्र | निजामुद्दीन |
| 127. | मिर्जा जहांगीर की कब्र | निजामुद्दीन |
| 128. | हुमायूं का मकबरा, इसके प्लेटफार्म, बाग, लगी हुई दीवारें तथा प्रवेशद्वार खसरा सं. 258 पूर्व की तरफ मीरी सिंह के खसरा सं. 180, 181 तथा 224 तथा पश्चिम की तरफ खसरा सं. 268 तथा 253 तथा सैय्यद मौहम्मद के खसरा सं. 248 व 249 | निजामुद्दीन |
| 129. | हुमायुं के मकबरे के दक्षिण कोने से बाहर लगा हुआ नीला गुम्बद खसरा सं. 243 जाकि पूर्व में खसरा सं. 182 से पश्चिम में हुमायूं के मकबरे से, उत्तर में खसरा सं. 181 से तथा दक्षिण में मीरी सिंह के खसरा सं. 244 से घिरा हुआ है | निजामुद्दीन |
| 130. | नीली छतरी अथवा सब्ज बुर्ज | निजामुद्दीन |
| 131. | अफसरवाला की मस्जिद के दक्षिण में एकदम साथ अफसरवाला का मकबरा | निजामुद्दीन |
| 132. | अतगाह खान का मकबरा | निजामुद्दीन |
| 133. | ईसा खान का मकबरा तथा उसके साथ ही आहाता दीवारें तथा बाग, प्रवेशद्वार तथा मस्जिद (खसरा सं. 281) जोकि पूर्व में अरब की सराय खसरा सं. 236, पश्चिम में खसरा सं. 283 प्यारे लाल का कब्रिस्तान तथा वडोन का खसरा सं. 283 उत्तर में पंडित बृज वल्लभ का खसरा सं. 236 तथा दक्षिण में अरब सराय खसरा सं. 238 से घिरा है | |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 134. | खान–ए–खाना का मकबरा | निजामुद्दीन |
| 135. | रेलवे स्टेशन के समीप तीन गुम्बदों वाला मकबरा | निजामुद्दीन |
| 136. | शिकारगाह कुशल– II- 327 | पुराना कुशक गांव |
| 137. | बादली–की–सराय के प्रवेशद्वार | पीपलथला गांव |
| 138. | थोक शाहपुर तथा अधहेनी की संपत्ति जोकि 31 सराय शाह फील्ड सं. 84 में स्थित है, में शेख कबरूदीन का मकबरा जिसे रकाबवाला गुम्बद के नाम से भी जाना जाता है | मालवीय नगर |
| 139. | शाहपुरजाट में खसरा नं. 84,265,447 में सीरी की ध्वस्त दीवारों की पंक्तियां, बुर्जियां तथा प्रवेशद्वार | शाहपुर ज़ाट |
| 140. | शाहपुरजाट में खसरा सं. 14 मेंसीरी मेहम्मदी वली के अंदरूनी भवन | शाहपुर जाट |
| 141. | नाई का कोट | तुगलकाबाद, कोटला |
| 142. | ग्यासुदीन तुगलक का मकबरा, दीवारें तथा बुर्जियां, प्रवेशद्वार तथा पक्का नदी पथ जिसमें दाद खान का मकबरा शामिल है। | तुगलकाबाद |
| 143. | मोहम्मद तुगलकाबादशाह, का मकबरा | बदरपुर जेल |
| 144. | तुगलकाबाद प्राचीन नगर की दीवारें | बदरपुर जेल |
| 145. | तुगलकाबाद किले के अंदर व बाहर दोनों दुर्गों की दीवारें प्रवेशद्वार बुर्जियां तथा अंदरुनी भवन | तुगलकाबाद |
| 146. | आदिलाबाद (मोहम्मदाबाद) की दीवारें द्वार तथा बुर्जियां तथा तुगलकाबाद से वहां जाने वाला पक्का नदी पथ | तुगलकाबाद |
| 147. | मकबरा | वजीराबाद |
| 148. | मस्जिद | वजीराबाद |
| 149. | पास का पुल | वजीराबाद |
| 150. | सर्वे प्लान सं. 167 के भाग में टीला जिसे जागा बाई कहते हैं | जामिया नगर |
| 151. | अशोक शिलालेख | पूर्वी कैलाश कालोनी |
| 152. | मंडी मस्जिद | लाडो सराय |
| 153. | मस्जिद एवं छतरी सहित राजों–की बैन | लाडो सराय |
| 154. | बादुनद्वार | लाडो सराय |
| 155. | लाल कोट का प्रवेशद्वार | लाडो सराय |
| 156. | राय पिथौरिया किले का प्रवेशद्वार | लाडो सराय |
| 157. | राय पिथौरा किले तथा जहां पनाह की दीवारों के मिलने के स्थान की दीवारें | हौजरानी व लाडो सराय |
| 158. | सुल्तान धारी का मकबरा | नालिकपुर कोही |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 159. | डाइविंग वाल के नाम से प्रसिद्ध बावली जिसे स्थानीय रूप से कंडक की बावली जाना जाता है। | महरौली |
| 160. | शाह आलम बहादुर शाह, शाह आलम से अकबर शाह II के मकबरे तथा आसपास की इमारतें वाले अहाते | महरौली |
| 161. | महरौली के फील्ड सं. 157–81, 1586–97,1614 तथा 1624 स्थित हौज शम्सी तथा केन्द्रीय लाल पत्थर का मंडप | महरौली |
| 162. | लौह स्तंभ हिन्दु | महरौली |
| 163. | प्राचीन मस्जिद | पालम |
| 164. | शीश महल | शालीमार गार्डन गांव हैदरपुर |
| 165. | अशोक स्तंभ | हिन्दुराव अस्पताल के बीच रिज पर |
| 166. | सराय शाह जी | मालवीय नगर |
| 167. | अजीम खान का मकबरा | लाडो सराय |
| 168. | शेख मुहम्मद इब्राहिम जोंक की मजार | चिंद बाग, कदम शरीफ, पहाड़ गंज, दिल्ली |
| 169. | किला दीवार, असद बुर्ज, वाटर गेट, दिल्ली गेट, लाहौरी गेट, जहांगीर गेट, छत्तरा बाजार, बावली | लाल किला, दिल्ली |
| 170. | किला दीवार, बुर्जियां तथा सलीमगढ़ किले की प्राचीन इमारतें | बेला रोड |
| 171. | शाहजहानाबाद की शहरी दीवार के भाग | अंसारी रोड |
| 172. | सत नारायण भवन | दिल्ली सधोरा खुर्द दीनानाथ मार्ग, रोशनारा रोड, दिल्ली |
| 173. | बलवान खान का मकबरा तथा जमाली कमाली | लाडो सराय, महरौली दिल्ली |
| 174. | जवाहर लाल नेहरु स्टेडियम के पास अनाम मकबरा | प्रगति विहार, नई दिल्ली |
| 175. | मिर्जा गालिब की मजार | निजामुद्दीन |

*विवरण-II*

*दिल्ली में अतिक्रमणाधीन केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों तथा संरक्षित स्मारकों से अति क्रमणकारियों को हटाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा*

| क्र. सं. | स्मारक/स्थल का नाम | स्थान | संरक्षित स्मारकों से अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए की गई कार्रवाई |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | लाल गुम्बद | चिराग दिल्ली | संरक्षित क्षेत्र से प्रमुख अतिक्रमणों को हटा दिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नमाजियों द्वारा अपेक्षित सामग्री को रखने के लिए पोर्टा–केबिन उपलब्ध कराया है। शेष अतिक्रमणों को हटाने के लिए प्रसाधन कक्ष/वजू सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2. | नीली मस्जिद | हौज खास | चूंकि इस स्मारक में प्रार्थना की जाती है इसलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दिल्ली वक्फ बोर्ड तथा इमाम के परामर्श से नमाजियों द्वारा अपेक्षित आवश्यक सामग्री को रखने के लिए पोर्टा–केबिन तथा प्रसाधन कक्ष/वजू सुविधा उपलब्ध कराई हैं। अतिक्रमणों को हटाने की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरु की जाएगी। |
| 3. | मोहल्ला बुलबुली खान में रजिया बेगम का मकबरा | शाहजहानाबाद | चूंकि इस स्मारक में प्रार्थना की जाती हे इसलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, दिल्ली वक्फ बोर्ड तथा इमाम ने इस मामले पर विस्तार से चर्चा की है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नमाजियों द्वारा अपेक्षित आवश्यक सामग्री (सैफ पुस्तकें आदि) के लिए पोर्टा–केबिन उपलब्ध कराया है। वजू सुविधा के साथ–साथ तिरपाल भी उपलब्ध कराया गया है। अतिक्रमण हटा दिया गया है। |
| 4. | प्राचीन मस्जिद | पालम | चूंकि इस स्मारक को केन्द्रीय संरक्षित स्मारक के रूप में अधिसूचित किए जाने से पूर्व इसमें प्रार्थना की जाती थी, इसलिए काफी समय तक किए गए परिवर्तनों/परिवर्धनों ने काफी सीमा तक स्मारक के मूल ढांचे को बदल दिया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के परामर्श से अतिक्रमणों को हटाने के सौहार्दपूर्ण हल ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं। |
| 5. | कुदसिया मस्जिद | कुदसिया गार्डन | चूंकि इस स्मारक में प्रार्थना की जाती है इसलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दिल्ली वक्फ बोर्ड तथा इमाम के परामर्श से नमाजियों द्वारा अपेक्षित आवश्यक सामग्री को रखने के लिए पोर्टा–केबिन तथा प्रसाधन कक्ष/वजू सुविधा उपलब्ध कराई हैं। अतिक्रमणों को हटाने की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरु की जायेगी। |
| 6. | सुनहरी मस्जिद, लाल किला के निकट | दिल्ली किला | चूंकि इस समारक में प्रार्थना की जाती है इसलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दिल्ली वक्फ बोर्ड तथा इमाम के परामर्श से नमाजियों द्वारा अपेक्षित आवश्यक सामग्री को रखने के लिए पोर्टा–केबिन तथा प्रसाधन सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं ताकि अतिक्रमणों को हटाने में सुविधा हो। |
| 7. | कश्मीरी गेट तथा शहर दीवार का हिस्सा जोकि कश्मीरी गेट के दोनों तरफ और दूसरी तरफ दीवार के उत्तरी कोने पर जहां पानी की बुर्जी भी शामिल है तथा शहर दीवार के बाहर नाला से यह जहां दिखता है। | कश्मीरी गेट | भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नागरिक तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता से 14.5.2006 को केन्द्रीय संरक्षित स्मारक से 39 अतिक्रमणकारियों को बेदखल किया। |
| 8. | पुराना किला (इन्द्रप्रस्थ) | शाहजहानाबाद, दिल्ली के दिल्ली गेट के दक्षिण में दो मील पर | अंतिम निबटारे के लिए यह मामला दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है। माननीय न्यायालय ने स्थगन आदेश दिए हैं। सुनवाई की अगली तिथि 23.8.2006 है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 9. | तुगलकाबाद | दादरपुर जैल | निबटारे के लिए यह मामला भारत के मानीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है। |
| 10. | बेगमपुरी मस्जिद | बेगमपुर | राजस्व प्राधिकरणों द्वारा किए गए अद्यतन सीमांकन के परिप्रेक्ष्य में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पूर्व आदेश में संशोधन के लिए माननीय उच्च न्यायालय में आवेदन दायर किया है। |
| 11. | सराय शाह जी | शिवालिक के पास, मालवीय नगर | संरक्षित क्षेत्र का एक हिस्सा इनके संरक्षण के समय से ही अतिक्रमणाधीन है। कुछ अतिक्रमणकारियों ने माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किए हैं तथा यह मामला 14.9.2006 के लिए सूचीबद्ध है। संरक्षित क्षेत्र के शेष हिस्से तथा मस्जिद से अतिक्रमणों को हटाने के लिए तेजी से कार्रवाई की जा रही है। |
| 12. | राजपुर (गदर) कब्रिस्तान | पुरानी राजपुर छावनी उत्तरी जिला | कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए तथा व्यक्तिगत सुनवाईयों आदि द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने स्मारक के संरक्षित क्षेत्र से 205 अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए कार्रवाई शुरु की है। आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए नोटिसों के लिखित निवेदनों पर विचार किया जा रहा है। |
| 13. | डी' ऐरमाओं कब्रिस्तान | किशनगंज | जिन व्यक्तियों को अतिक्रमण गिराने के आदेश दिए गए थे उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में सी डब्ल्यू पी सं. 20917/2005 दायर की है। माननीय न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख अर्थात् 8.12.2006 तक यथा–स्थिति बनाए रखने के निदेश दिए हैं। |
| 14. | लोथियन रोड कब्रिस्तान | कश्मीरी गेट | अतिक्रमण 9.7.2006 को हटा दिए गए है। |

**वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन**

**2502. श्री रशीद मसूद** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न योजनाओं के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु रक्षा एवं वित्त मंत्रालयों को वित्तीय शक्तियां देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : (क) और (ख) स्कीमों/परियोजनाओं की मंजूरी/नान–स्केल्ड तथा नई मदों के अर्जन के लिए अप्रैल, 2006 में रक्षा मंत्री की शक्तियां 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए और वित्त मंत्री की शक्तियां 100 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दी गई हैं।

*[अनुवाद]*

**भारतीय सेना की तैनाती**

**2503. श्री महादेवराव शिवनकर :**

**श्री जय प्रकाश (मोहन लाल गंज) :**

**श्री शिशुपाल पटले :**

**श्री मुन्शी राम :**

**श्री अशोक कुमार रावत :**

**श्री मो. ताहिर :**

**श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सेना को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के अन्तर्गत लेबनान में तैनात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तैनात किए गए सैनिकों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लेबनान में युद्ध शुरू होने के बाद भारतीय सैनिकों के हताहत होने की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो उसमें मारे गए एवं घायल हुए सैनिकों की कुल संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के अंतर्गत तैनात की गई सैनिक टुकड़ियों को वापस बुलाने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : (क) और (ख) 673 कार्मिकों की एक इफैन्टरी बटालियन तथा एक मेडिकल टीम संयुक्त राष्ट्र शांति आपरेशनों के एक हिस्से के रूप में इस समय लेबनान में तैनात हैं। संयुक्त राष्ट्र के इस मिशन के तहत भारतीय सेनाओं की तैनाती 1998 से होती आ रही है।

(ग) और (घ) यद्यपि अभी तक हताहत होने की किसी घटना की सूचना नहीं है, तीन कार्मिकों को रिपलिंटरों से चोटें आई हैं। ये छोटी चोटें हैं तथा तीनों कर्मिकों की स्थिति स्थिर है।

(ङ) और (च) सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

*[अनुवाद]*

**पर्यटन से राजस्व**

**2504. श्री फ्रांसिस फैन्थम** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्यटन से प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि करने की कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) पर्यटन मंत्रालय ने योजनाबद्ध तरीके से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यटन के विकास के उद्देश्य से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 20-वर्षीय संदर्शी योजनाएं शुरू की हैं, ताकि पर्यटक आगमनों में वृद्धि हो सके और जिसके परिणामस्वरूप राजस्व, रोजगार सृजन, आय के निर्माण आदि में वृद्धि हो सके।

(ख) इन संदर्शी योजनाओं में राज्यों में मौजूदा पर्यटन परिदृश्य का व्यापक मूल्यांकन; मौजूदा विकास/निवेश योजनाओं की स्थिति की समीक्षा ; मौजूदा पर्यटक गंतव्यों का मूल्यांकन; विकास की संभावना वाले नए पर्यटन परियोजनाओं की पहचान की गई है और; राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यटन के विकास हेतु एक कार्ययोजना दी गई है।

चूंकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यटन के विकास की जिम्मेवारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है, इसी के अनुसार उन्हें भावी पर्यटन परियोजनाएं लेने के लिए ये योजनाएं उनके पास भेज दी गई थीं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ विचार-विमर्श और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर उत्सवों के आयोजन तथा विशेष पर्यटक गंतव्यों एवं परिपथों पर अवसंरचना के विकास हेतु प्रत्येक वर्ष पर्यटन मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

**पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए सहकारी संस्थाओं/गैर सरकारी संगठनों को सहायता**

**2505. श्री पी.सी. थामस** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास पर्यटन को प्रोत्साहित करने में लगी सहकारी संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों/एजेंसियों को सहायता प्रदान करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान उनमें से प्रत्येक संस्था/संगठन को कितनी सहायता प्रदान की गई?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय की एक नई पहल, ग्रामीण पर्यटन को संबंधित जिलों उपायुक्त/जिला कलक्टर के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। तथापि, ग्रामीण पर्यटन कार्यक्रम के क्षमता निर्माण घटक के कार्यान्वय में, क्षेत्र के मुख्य गैर सरकारी संगठनों की सेवाओं का उपयोग किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय की सहकारी संस्थाओं/गैर सरकारी संगठनों को, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करने की कोई योजना नहीं है।

**बेरोजगार युवकों के स्वरोजगार के लिए योजना**

**2506. श्री एस. अजय कुमार** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की परियोजनाओं एवं दी जा रही राजसहायता के जरिए शिक्षित बेरोजगार युवकों के स्वरोजगार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन योजनाओं के अंतर्गत कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय)** : (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान छः केन्द्रीय क्षेत्र योजना स्कीमें कार्यान्वित की हैं। इनमें से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम तथा बुनियादी ढांचा विकास संबंधी स्कीम प्रमुख स्कीमें हैं। इस मंत्रालय की स्कीमें परियोजना विशिष्ट हैं। सहायता के निर्धारित स्वरूप के अनुसार, तकनीकी रूप से व्यवहार्य और वित्तीय रूप से साध्य पाई जाने वाली परियोजनाओं को सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध है। यह सहायता निजी व्यक्ति, फर्म, राज्य सरकार के उपक्रम, राज्य सरकार की सहकारिताएं आदि प्राप्त कर सकती हैं।

इस मंत्रालय की स्कीमों में रोजगार उत्पन्न करने की क्षमता है और एक अनुमान के अनुसार, मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्रध्येक एक लाख के अनुदान से 0.98 प्रत्यक्ष रोजगार और 1029 अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होता है।

**विदेशी पर्यटकों की यात्रा**

**2507. डा. एम. जगन्नाथ :** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नियत अवकाश योजना पर भारत आने वाले विदेशी यात्रियों को आम हड़ताल एवं हड़तालों के कारण असुविधा तथा परेशानी का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे पर्यटकों की प्रतिपूर्ति के लिए कोई तंत्र बना रही है जो अपने कार्यक्रमानुसार गन्तव्य स्थलों का दौरा नहीं कर पाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) :** (क) किसी पर्यटक द्वारा, आम हड़तालों के कारण असुविधा अथवा परेशानी का सामना करने संबंधी, कोई विशेष घटना इस मंत्रालय के ध्यान में लाई गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**सेना में भर्ती**

**2508. श्री रनेन बर्मन :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों की रिक्तियों तथा सेना में रेजिमेंटल रिक्तियों का कोटा राज्य की भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या के आधार पर आबंटित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष पश्चिम बंगाल से कितने अभ्यर्थियों को सेना में भर्ती किया गया है?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :** (क) और (ख) सेना में अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों की भर्ती राज्य के भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या के आधार पर की जाती है जिसकी गणना राज्य के पुरुषों की कुल जनसंख्या के 10% को ध्यान में रखकर की जाती है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल से सेना में भर्ती किए गए उम्मीदवारों की संख्या नीचे दी गई है:–

| वर्ष | भर्ती किए गए उम्मीदवार |
|---|---|
| 2003–04 | 4258 |
| 2004–05 | 3102 |
| 2005–06 | 1275 |

**दोषपूर्ण रक्षा उपकरणों की खरीद**

**2509. श्री सुनील खां :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2005 के अपने प्रतिवेदन संख्या 6 में यह उल्लेख किया है कि सरकार ने केवल 13.22 करोड़ रुपए के दोषपूर्ण उपकरणों की खरीद ही नहीं की बल्कि 66 लाख के निष्पादन बांडों का नकदीकरण कराने में भी विफल रही;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और उस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :** (क) और (ख) नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की 2005 की रिपोर्ट संख्या 6 में दो संविदाओं का उल्लेख किया गया है जिन पर क्रमशः 12.80 करोड़ रुपए तथा 41.61 लाख रुपए की लागत पर प्रक्षेपास्त्रों के लिए सिमुलेटरों और सेल्फ लोडिंग वाहनों की आपूर्ति करने के लिए मैसर्स फेडरल स्टेट ऑफ यूनिटरी इंटरप्राइजेज, रूस के सात मार्च, 2001 में हस्ताक्षर किए गए थे। आपूर्ति की गई मदों में कतिपय खामियां पाई गई थीं।

इस मामले को विक्रेता के साथ उठाया गया था।

सेल्फ लोडिंग वाहनों की संविदा के संबंध में, अपेक्षित मरम्मत की गई थी तथा वाहनों को जारी कर दिया गया था। यह मामला सुलझा लिया गया है।

प्रक्षेपास्त्रों के लिए सिमुलेटरों संबंधी दूसरी संविदा के मामले में 5 दावों में से 4 दावे निपटा दिए गए हैं। शेष दावों के संबंध में विक्रेता के साथ परामर्श करके दोषों को दूर किया जा रहा है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

**अंतर-जातीय विवाह**

**2510. डा. बाबू राव मिडियम :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में पूरे देश में प्रशासन और पुलिस को अंतर–जातीय विवाह करने वाले युगलों को उत्पीड़न तथा हिंसा से बचाने के लिए निदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन)** : (क) से (ग) जी, हां। माननीय उच्चतम न्यायालय ने लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में, रिट याचिका (दांडिक) 2004 की संख्या 208 में, पूरे देश में प्रशासन और पुलिस प्राधिकारियों को यह देखने के लिए निदेश दिए हैं कि यदि कोई वयस्क युवक या युवती अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह करते हैं, तो ऐसे दम्पत्तियों को कोई उत्पीड़ित न करे और न उन्हें धमकी दे और न उनके साथ मार-पीट करें। यदि कोई ऐसी धमकियां देता है या उनका उत्पीड़न करता है अथवा स्वयं या किसी के कहने पर उनके साथ मार-पीट (हिंसा) करता है तो पुलिस ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाहियां शुरू करे और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कानून द्वारा यथा उपबंधित और कठोर कार्रवाई करे।

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु प्रौद्योगिकी समझौता**

2511. **श्री एन.एन. कृष्णदास** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो को बढ़वा देने के लिए किसी दूसरे देश के साथ प्रौद्योगिकी समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्रियान्वयनाधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय)** : (क) और (ख) इस मंत्रालय ने किसी दूसरे देश के साथ प्रौद्योगिकी समझौता नहीं किया है। प्रौद्योगिकी समझौता और प्रौद्योगिकी-अंतरण करने की अनुमति भारत सरकार के सामान्य औद्योगिक अंतरण मार्गनिर्देशों के अनुसार दी जाती है।

(ग) सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन के लिए अनेक योजना स्कीमें तैयार की हैं और उनका कार्यान्वयन कर रही है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को इस मंत्रालय की योजना स्कीमों के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रकार से सहायता उपलब्ध कराई जाती है:-

(i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम के तहत सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है तथा दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपए है, की सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(ii) बुनियादी ढांचा विकास संबंधी स्कीम के तहत खाद्य पार्कों, प्रदीपन सुविधाओं, पैकेजिंग केंद्रों, मूल्यवर्धन केंद्रों की स्थापना और बूचड़खानों के आधुनिकीकरण के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 25% की दर से और दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है जिसकी अधिकतम सीमा खाद्य पार्कों के मामले में 4.00 करोड़ रुपए, प्रदीपन सुविधाओं के लिए 5.00 करोड़ रुपए, बूचड़खानों के लिए 4.00 करोड़ रुपए, पैकेजिंग केंद्रों के लिए 2.00 करोड़ रुपए तथा मूल्यवर्धन केंद्रों के लिए 75.00 लाख रुपए तक है।

(iii) सहायता की अनुमोदित रूपरेखा के अनुसार मानव संसाधन विकास, गुणवत्ता आश्वासन तथा अनुसंधान एवं विकास और संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

**ताजमहल को खोलना**

2512. **श्री हरिभाऊ राठौड़** : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आम जनता के लिए ताजमहल को मामूली दर पर पूरी रात विशेषकर पूर्णिमा के दिन खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) ताजमहल को पूरी रात खुला रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

*[हिन्दी]*

**अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पर्यटन-स्थल**

2513. **श्री रशीद मसूद** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन से चालू वर्ष के दौरान द्वीपसमूह में पर्यटन-स्थलों के विकास हेतु वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी )** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**सारनाथ से भगवान बुद्ध की मूर्ति की चोरी**

2514. **श्री विजय कृष्ण** : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ समय पूर्व सारनाथ से भगवान बुद्ध की सोने की मूर्ति चोरी हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) से (घ) जी, हां। भगवान बुद्ध की सोने की मूर्ति 8 जनवरी 2006 की रात को सारनाथ के मुलगंधाकुटी विहार से चोरी हो गई थी। मुलगंधाकुटी विहार का प्रबंध महाबोधि सोसायटी आफ इंडिया द्वारा किया जाता है।

सारनाथ पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज करके इसकी छानबीन शुरु की है।

**लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पर्यटन को बढ़ावा देना**

**2515. डा. पी.पी. कोया** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष परियोजना बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं; और

(घ) उपर्युक्त परियोजनाओं में वहां के कितने स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होने की संभावना है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) से (घ) पर्यटन मंत्रालय, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श करके, प्रत्येक वर्ष, प्राथमिकता प्रदान की गई परियोजनाओं के आधार पर निधियां प्रदान करता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना से, पर्यटन मंत्रालय निम्नलिखित योजनाओं के लिए निधियां प्रदान कर रहा है:

(i) पर्यटक परिपथ

(ii) उत्पाद अवसंरचना तथा गंतव्य विकास

(iii) वृहत राजस्व सृजक परियोजनाएं

(iv) कार्यक्रमों सहित मेले और उत्सव

सभी प्रकार से पूर्ण परियोजना प्रस्तावों का पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और संबंधित शीर्ष के अंतर्गत उपलब्धता की शर्त पर निधियां जारी की जाती हैं।

10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, अभी तक लक्षद्वीप से दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी प्रकार से पूर्ण कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

वर्ष 2004-05 के दौरान, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए 6.25 लाख रुपए की राशि का एक परियोजना प्रस्ताव हेमफेस्ट कंवेंशन आफ इंटरनेशनल अमेच्योर रेडियो हेतु स्वीकृत किया गया था।

---

**मध्याह्न 12.00 बजे**

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

*[अनुवाद]*

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : मैं रेल अधिनियम 1989 की धारा 199 के अंतर्गत रेल यात्री (टिकट का रद्दकरण और किराए की वापसी) (दूसरा संशोधन) नियम, 2006 जो 1 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4749/2006]

---

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यगण, मैं आपकी जानकारी के लिए कार्य की मुख्य मदों को संक्षेप में दोहराना चाहता हूं।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया मुझे भी बोलने दें। निःसंदेह, मुझे बहुत ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है।

...*(व्यवधान)*

**अपराह्न 12.02 बजे**

## अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों, मैं आपकी जानकारी के लिए गत सप्ताह के दौरान सभा द्वारा निपटाए गए कार्य की मुख्य मदों को संक्षेप में दोहराना चाहता हूं।

सभी सदस्य जान लें कि स्वीकृत 80 तारांकित प्रश्नों में से केवल 4 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए जा सके। 639 अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों सहित शेष तारांकित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

इसी अवधि के दौरान, प्रश्न काल के पश्चात् अत्यंत लोक महत्व के लगभग 23 मामले उठाए गए। इसी अवधि के दौरान नियम 377 के अधीन भी 36 मामले उठाए गए।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

वित्तीय कार्य के संबंध में, सभा के अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) 2006–2007 तथा इससे संबद्ध विनियोग विधेयकों को पारित करने से पहले इन पर छह घंटे और नौ मिनट तक चर्चा की।

सभा ने अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) 2006–2007 तथा इससे संबद्ध विनियोग विधेयकों को पारित करने से पहले इन पर चार घंटे और पचपन मिनट तक चर्चा की।

सप्ताह के दौरान, व्यवधानों और स्थगनों के कारण 12 घंटे और 32 मिनट का महत्वपूर्ण समय गंवाया।

तथापि, सभा, कार्य की आवश्यक मदों को निपटाने के लिए लगभग 2 घंटे और 40 मिनट देर तक बैठी और अतिरिक्त कार्य किया।

मैं सभी माननीय सदस्यों को पुनः धन्यवाद देता हूं।

---

**अपराह्न 12.04 बजे**

## श्री चन्द्रशेखर को बधाई

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** मैं बहुत प्रसन्न हूं कि श्री चन्द्र शेखर जी यहां आने में समर्थ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि वह सभा की कार्यवाही में नियमित रूप से भाग लेंगे।

समस्त सभा आपके शीघ्र तथा पूर्ण स्वस्थ होने तथा आपकी पूर्ण भागीदारी के लिए शुभकामनाएं देती है। आपसे मिलकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई है।

---

**अपराह्न 12.05 बजे**

## अध्यक्ष द्वारा घोषणा

### ध्यानाकर्षण के स्थगन के बारे में

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यगण, श्री गुरूदास दासगुप्त और अन्य सदस्यों द्वारा देश में विभिन्न श्रम कानूनों के उल्लंघन से उत्पन्न स्थिति के बारे में दिया गया एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 3 में सूचीबद्ध है।

माननीय श्रम और रोजगार मंत्री ने दिनांक 16 अगस्त, 2006 के अपने पत्र, जो मुझे संबोधित है, द्वारा सूचना दी है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण वे आज संसद में उपस्थित होने में असमर्थ हैं और उन्होंने आग्रह किया है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्थगित कर दिया जाए।

मैंने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया है। आशा है कि यह सभा इससे सहमत होगी। इसे 23 अगस्त, 2006 को लिया जाएगा।

**श्री गुरूदास दासगुप्त** (पंसकुरा) : मेरा एक प्रश्न है।

**अध्यक्ष महोदय :** इस पर क्या प्रश्न है। आप मेरे निर्णय पर प्रश्न नहीं उठा सकते हैं।

**श्री गुरूदास दासगुप्त :** मैं आपकी अनुमति से एक निवेदन कर रहा हूं। मेरा प्रश्न यह है कि एक लंबे इंतजार के पश्चात् हमें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति मिली है।

**अध्यक्ष महोदय :** आप माननीय सदस्यों की रुग्णता पर नियंत्रण नहीं रख सकते है। चूंकि वह एक मंत्री हैं तो क्या वह कभी बीमार नहीं हो सकते।

**श्री गुरूदास दासगुप्त :** मंत्री मंत्री हैं। सरकार सरकार है। मेरा प्रश्न यह है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को बाद में लिया जाएगा अथवा नहीं ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** श्री गुरूदास दासगुप्त के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

**श्री गुरूदास दासगुप्त :** मैं उनकी बीमारी के बारे में प्रश्न नहीं करता, चाहे उसका आधार मेडिकल हो अथवा राजनीतिक। मेरा प्रश्न अलग है। क्या आप मुझे आश्वस्त करेंगे कि श्रम संबंधी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जो महीनों से लंबित हैं, उस पर बाद में विचार किया जाएगा?

**अध्यक्ष महोदय :** मैंने इस बारे में पहले ही कह दिया है.।

**श्री गुरूदास दासगुप्त :** किस तिथि को? क्या आप मुझे अनुमति देंगे?

**अध्यक्ष महोदय :** मैं आपको अनुमति दूंगा। मैंने कहा कि इस पर 23 तारीख को विचार किया जाएगा। मैंने ऐसा कहा है। लेकिम मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता यदि वह बीमार रहते हैं। हम लोग उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।

**श्री बसुदेव आचार्य :** हमने उन्हें सभा में कभी नहीं देखा।

**अध्यक्ष महोदय :** यह अनुचित है। कोई माननीय सदस्य मंत्री हो सकता है। वह एक मंत्री हैं। वह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। एक माननीय सदस्य ने कहा वह बीमार है। उन पर अविश्वास करने का मेरे पास कोई कारण नहीं है।

**श्री बसुदेव आचार्य :** वह सभा में कभी नहीं आते हैं।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय :** मुझे बहुत दुःख है। यदि यह सब इस मामले में हो रहा है तो मुझे बहुत दुःख है। जैसा कि मैंने आपको कहा मैं आपको इस 23 तारीख को अनुमति दूंगा। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया है। उन्होंने मुझे फोन पर भी बताया कि वह बीमार हैं। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि वह आएंगे। हम सदस्यों की प्रमाणिकता पर प्रश्न न करें। मैं उसकी अनुमति नहीं देता हूं।

**श्री गुरूदास दासगुप्त :** वह लंबे समय से सभा से अनुपस्थित हैं ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** इससे ज्यादा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

---

**अपराह्न 12.07 बजे**

## सदस्यों द्वारा निवेदन

**(एक) आत्मसमर्पण कर चुके तीन आतंकवादियों, जो इस समय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में नियुक्त हैं, को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनाती के कथित समाचार के बारे में**

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** अब, मैं लोक महत्व के मामले पर आ रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया मुझे एक सेकेंड का समय दें। जहां तक मैं कर सकता हूं, मैं अपनी जिम्मेदारियों से अवगत हूं। कृपया सहयोग करें।

कुछ माननीय सदस्यों ने आत्मसमर्पण किए कुछ आतंकवादियों को रोजगार देने से संबंधित मामले पर नोटिस दिया है – इसमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सी आर पी एफ में – समर्पण किए आतंकवादी के रूप में वर्णन किया गया है। मुझे सूचित किया गया है कि माननीय गृह मंत्री इस मामले में अपराह्न 3 बजे अपना वक्तव्य देंगे। इसलिए, यदि आप उन्हें सुनना चाहते हैं तो उपस्थित रहें। वह अपना वक्तव्य देने जा रहे हैं

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** (दक्षिण दिल्ली) : मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय :** ठीक है, आप दे सकते हैं। आप बारी–बारी से अपना वक्तव्य दें।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पहले श्री रामजीलाल सुमन। पहले हम उन्हें सुनें और तब मैं आपका नाम पुकारूंगा।

*[हिन्दी]*

**श्री रामजीलाल सुमन** (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, सरकार की हीलिंग–टच की जो नीति थी, उसके तहत आतंकवादियों को समर्पण करवाकर सीआरपीएफ में भर्ती किया गया था। कश्मीर के बारामूला से तीन आतंकवादियों, गुलजार अहमद लोन, मंजूर अहमद और मेहराजूद्दीन, जिनका संबंध हिजबुल–मुजाहिदीन से था, इनका वर्ष 1990 में आत्मसमर्पण हुआ और इन्हें सीआरपीएफ में भर्ती कराया गया। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सीआरपीएफ के डीजी श्री जे.के. सिन्हा का कहना है कि इन तीनों की पृष्ठभूमि आतंकवादियों की नहीं थी। यह बहुत गम्भीर बात है और जब 27 नवम्बर, 2004 को आरक्षी राजकुमार की कार्बाइन चोरी हुई तो उसके लिए इन तीनों को इंटेरोगेट किया गया। महीनेभर तक इनसे पूछताछ की गई, इनका ब्रेन मैपिंग हुआ, नारकोटिक इनेलेसिस हुआ, लाई डिटेक्टर परीक्षण हुआ।

अध्यक्ष महोदय, जब सीआरपीएफ के डीजी श्री जे.के. सिन्हा यह कहते हैं कि आतंकवादियों से इनका कोई संबंध नहीं था तो इन तीनों को इस पूरी प्रक्रिया से क्यों गुजारा गया। जब समाचार पत्रों में रोज़ यह समाचार छपता है कि आतंकवादियों की घुसपैठ सुरक्षाबलों में हुई है, इसके बावजूद भी सरकार का न चेतना निश्चित रूप से चिन्ता का विषय है।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** मैंने आपको अनुमति दी है। माननीय मंत्री ने उत्तर देने के लिए आश्वास्त किया है।

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) :** इसी विषय पर माननीय गृह मंत्री अपना वक्तव्य देंगे।

**अध्यक्ष महोदय :** मैंने ऐसा कहा है। लेकिन माननीय सदस्य अपना ही वक्तव्य देने पर जोर दे रहे हैं।

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :** अध्यक्ष जी, यह जो विषय हमारे सामने आया है, यह बहुत ही महत्व की बात है और सुओ–मोटो स्टेटमेंट उनको इस क्वश्चन के आने के पहले ही कर देना चाहिए था। हमारे 2–2 प्रधानमंत्री आतंकवाद का शिकार हुए और उनके ही घर पर हिजबुल के तीन पहले के आतंकवादी उनके यहां लग कैसे गए। फिर उन्होंने इसको खुद ही स्वीकार किया कि वे पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए थे और पाकिस्तान से उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लग जाएं और कैसे लग गए, यह बहुत ही महत्व का सवाल

है। मैं सिर्फ दो बातों का उल्लेख कर रहा हूं, यह कहा गया कि हीलिंग टच के अन्दर उनको सी.आर.पी.एफ. में लगाया गया था तो हीलिंग टच जो लोग हैं, उनमें से कश्मीर के अन्दर बहुत से लोगों को ऐसा पता लगा है कि जिनको हीलिंग टच के अंतर्गत वहां पर सी.आर.पी.एफ. में या पुलिस में भर्ती किया गया, वे फिर से आतंकवाद के अन्दर शामिल हो गए तो इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए। सभी राष्ट्रीय सलाहकार ने भी यह बताया है, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि यहां पर 82 ऐसे सूंखार मिलिटेंट्स देश में इस समय आ गए हैं और वे सारे देश में आई.एस.आई. का जाल फैला रहे हैं। नरौरा का जो परमाणु संयंत्र है, तीन आतंकवादी वहां से भी पकड़े गए हैं। अभी इम्फाल में इसकॉन के मंदिर के अंदर बम ब्लास्ट हुआ और उसमें 4–5 व्यक्ति मारे गए। मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी भी सारी सूचनाएं आपकी सरकार की ओर से आ रही हैं कि हम आंतकवाद के ज्वालामुखी पर बैठे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में वे कैसे लग गए, यह जानकारी आनी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री जी यहां स्टेटमेंट देंगे।

**श्री मोहन सिंह** (देवरिया) : इस समय अगर आप हमें भी एलाऊ करें तो इस समय हम भी पूछ लेंगे। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** मैं आपको आश्वस्त नहीं कर सकता हूं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** मैं केवल उन माननीय सदस्यों को अनुमति दूंगा जिन्होंने नोटिस दिया है – आपने इस बात पर जोर दिया है। आप चर्चा करा सकते हैं। मैं आपको नहीं रोकूंगा। आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला सकते हैं, लेकिन अभी नहीं।

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन सिंह :** हमने भी नोटिस दिया है। श्रीमन्, हमारा भी नोटिस है। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** मैं नियम नहीं तोडूंगा। नियम बहुत स्पष्ट है।

*...(व्यवधान)*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** (पुरी) : अध्यक्ष महोदय, कल हमने टेलिविजन पर एक समाचार देखा जो माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक और देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में इस सरकार की विफलता तथा आतंकवादियों को नियंत्रित करने में इसकी विफलता के बारे में था। दुर्भाग्यवश, ऐसी ही घटना फिर से घटी है। प्रत्येक दिन हमें आतंकवादियों द्वारा कुछ स्थलों पर किये जा रहे आतंकवादी हमले के समाचार मिलते रहते हैं। ये घटनाएं रोज हो रही हैं और हमने उस पर बार–बार चर्चा की है और आपमें भी इस मामले पर चर्चा करने की अनुमति दी है।

यह कैसे हो सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ऐसे पूर्व आतंकवादियों को शामिल किया गया और वे आए तथा उन्हें हमेशा माननीय प्रधानमंत्री की आंतरिक सुरक्षा के आंतरिक चक्र में रखा गया? माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा एस.पी.जी., आर.एंड.डब्ल्यू. और दिल्ली पुलिस द्वारा मुहैय्या कराई जाती है। माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा बनाए रखने के लिए कई संगठन कार्यरत हैं। लेकिन कोई भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। यह कैसे हुआ कि पूर्व आतंकवादी माननीय प्रधानमंत्री की आंतरिक सुरक्षा और संरक्षा के आंतरिक चक्र में तैनात किए गए? सभी जानते हैं कि पछतावे और सुधार की तुलना में निवारण और बन्दोबस्त रखना ज्यादा अच्छा होता है। माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा से संबंधित यह बहुत ही गंभीर मामला है। हमने पहले ही दो प्रधानमंत्रियों को खो दिया जो आतंकवादियों द्वारा मारे गए। इन सबके बावजूद, सरकार अभी भी भावशून्य बनी हुई है। वे इस संबंध में गंभीर नहीं हैं कि माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा।

**अध्यक्ष महोदय :** हम लोग वक्तव्य सुन लें। अब श्री मोहन सिंह बोलेंगे।

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** इस समाचार से पूरा देश स्तब्ध है और हम देश में लोगों की सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** यह वाद–विवाद नहीं है।

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** जब देश का प्रधानमंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो इस देश के लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? मैं इस सरकार पर आरोप लगाता हूं। यह आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने में पूरी तरह से विफल रही है *...(व्यवधान)* सरकार को इसका उत्तर देना चाहिए *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** श्री मोहन सिंह जो के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन सिंह :** अध्यक्ष महोदय, हीलिंग टच का मतलब था कि इस तरह के लोगों को देश की मुख्य धारा में शामिल कर लिया जाए,

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इसलिए उनको सी.आर.पी.एफ. में भर्ती करने का एक अभियान चला, लेकिन वे सी.आर.पी.एफ. से दिल्ली पुलिस में कैसे आ गए, यह मुख्य चिंता का विषय है और दिल्ली पुलिस ने उनकी पोस्टिंग 15 अगस्त के दिन तीन मूर्ति पर रख दी, जिधर से प्रधानमंत्री को जाना था, कई कार्यक्रम होने थे। मैं ऐसा समझता हूं कि यह एक चिन्ता का विषय है। यदि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है, तो पूरे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ के संकेत हैं। इसमें हम आग्रह करना चाहते हैं कि विस्तृत रूप से ऐसे लोग, जिनकी नियुक्त हीलिंग टच के अन्तर्गत सी.आर.पी.एफ. और बी.एस.एफ. में हुई थी, वहां से सिविल पुलिस में उनको कैसे स्थानांतरित किया गया और और सिविल पुलिस ने उनकी पोस्टिंग सेंसिटिव प्लेसेज पर ऐसे दिन कर दी, जिस दिन पूरे देश में रैड अलर्ट था और जिस दिन सुरक्षा की सारे देश को चिन्ता थी, उस दिन कैसे हो गया? मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी जब इस पर विस्तृत वक्तव्य देंगे तो इस मुद्दे को भी उसमें शामिल करेंगे।

*[अनुवाद]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :** महोदय, चूंकि माननीय मंत्री जी आ चुके हैं, वह अभी वक्तव्य दे सकते हैं ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** जब, महत्वपूर्ण मामले उठाने का आपका समय कम कर दिया जाएगा। अतः मुझे दोष न देना।

अब, माननीय मंत्री जी।

*[हिन्दी]*

**गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) :** अध्यक्ष महोदय, 15 अगस्त, 2006 ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया उन्हें परेशान न करें। यह ठीक नहीं है। वह वक्तव्य देने आए हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री शिवराज वि. पाटील :** अध्यक्ष महोदय, 16 अगस्त, 2006 को जो वार्ता टीवी पर आई थी, उसके संबंध में आप की इजाजत से मैं यहां पर स्टेटमेंट दे रहा हूं। स्टेटमेंट देने के पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि यहां पर सम्माननीय सदस्यों ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा अच्छे ढंग से होनी चाहिए, इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** आपके कार्यालय ने प्रतियां वितरित नहीं की हैं।

**श्री शिवराज वि. पाटील :** महोदय, मैं लिखित वक्तव्य नहीं दे रहा हूं। उन्होंने जो कहा मैं उसका उत्तर दे रहा हूं ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** वह लिखित वक्तव्य नहीं पढ़ रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

**श्री शिवराज वि. पाटील :** मैं वक्तव्य दे रहा हूं ...*(व्यवधान)*

**श्री अनंत कुमार** (बंगलौर दक्षिण) : स्वतः दिए गए वक्तव्य का अर्थ लिखित वक्तव्य है जिसकी प्रतियां सदस्यों को प्रदान की जानी चाहिए ...*(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** (रायगंज) : वह माननीय सदस्य के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री जी लिखित वक्तव्य के बिना भी कह सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

**श्री शिवराज वि. पाटील :** मैं 'शून्य काल' के दौरान उठाए गए मामले का जवाब दे रहा हूं ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** मैं आपको अनुमति दे रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

**श्री शिवराज वि. पाटील :** मुझे आपसे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। मैं उत्तर दे रहा हूं ...*(व्यवधान)*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :** जब वह 'शून्य काल' के दौरान उठाए गए मामले का जवाब दे रहे हैं तो उन्हें जवाब देने दें लेकिन वह वक्तव्य नहीं दे रहे हैं। ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर उन्हें स्वयं वक्तव्य देना चाहिए था ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** बहुत अच्छा। आप उनकी बात सुनना चाहते थे। वह यहां हैं। मैंने उन्हें अनुमति दे दी है।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** यह मेरी गलतफहमी थी क्योंकि मुझे यह बताया गया था कि आप वक्तव्य पढ़ रहे हैं। चूंकि आप वक्तव्य नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए आप अपनी बात जारी रख सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

**श्री शिवराज वि. पाटील :** महोदय, मैं वक्तव्य दे सकता हूं अथवा माननीय सदस्यों ने इस सभा में जो भी कहा, मैं उसके उत्तर में वक्तव्य पढ़ सकता हूं ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप इसका जवाब दें। आप जो कहना चाहे कहें।

**श्री शिवराज वि. पाटील** : महोदय, माननीय सदस्यों ने जो कहा है मैं उसकी प्रशंसा करता हूं और हम इस विषय पर उनके सुझावों का सम्मान करते हैं।

सर्वप्रथम, हम यह समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी को सुरक्षा कैसे प्रदान की जाती है। यह एक प्रक्रिया होती है जिसका पालन किया जाता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई कमी नहीं आई है। प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर आंतरिक घेरे में सुरक्षा उपकरण की व्यवस्था विशेष संरक्षा ग्रुप द्वारा की जाती है और सी आर पी एफ से लिए गए वर्दी धारी विशेष ड्यूटी ग्रुप द्वारा इसमें सहायता की जाती है। यह ग्रुप बाहरी घेरे के रूप में सुरक्षा प्रदान करता है। प्रधानमंत्री के आवास अथवा कार्यालय में प्रवेश की अनुमति प्राप्त अन्य कार्मिकों के अलावा एस.पी.जी. और विशेष ड्यूटी ग्रुप में तैनात सभी कार्मिकों की पूरी तरह से सुरक्षा जांच की जाती है। प्रधानमंत्री निवास और कार्यालय के आस–पास के क्षेत्र की सुरक्षा दिल्ली पुलिस द्वारा की जाती है जो अपने कर्तव्यों के पालन में केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों की भी सहायता लेती है।

महोदय, 15 अगस्त की शाम को और बाद में 16 अगस्त को टीवी चैनल में दिए गए वक्तव्यों की जांच के संबंध में यह पता चला है कि वे 26 नवम्बर, 2004 को घटी घटना का जिक्र कर रहे थे। ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** : ठीक है, 2004 में ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री शिवराज वि. पाटील** : यह हम सभी को और बाहर के लोगों को वाकई भ्रम में डालने वाली बात है ...*(व्यवधान)* मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें। यदि आप थोड़ी–थोड़ी देर में बीच में खड़े होते रहेंगे, तो मेरे लिए यह मुश्किल हो जाता है ...*(व्यवधान)* आपको मेरी बात सुननी होगी। यह उचित नहीं है ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं, अध्यक्षपीठ अप्रासंगिक हो रही है। मैं समझता हूं प्रत्येक सदस्य को अध्यक्षपीठ के माध्यम से संबोधित करना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** : हम यह बात जानते हैं ...*(व्यवधान)*

**श्री शिवराज वि. पाटील** : यदि आप यह जानते हैं तो हमें घटना के बारे में जानने दें ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया चर्चा में न फंसे। आप अपना वक्तव्य दें।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह जानता हूं। हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

**श्री शिवराज वि. पाटील** : यह 26 नवम्बर, 2004 को घटी घटना है।

**अध्यक्ष महोदय** : अतः, यह इतना अविलम्बिनीय मामला नहीं है कि उसे अभी उठाया जाना था। मैं इस बात को नहीं जानता था।

...*(व्यवधान)*

**श्री शिवराज वि. पाटील** : हम इस बात को समझें। इसे 15 अगस्त, 2006 को ही क्यों उठाया गया?

अब, हमें इस प्रश्न को स्पष्ट तरीके से समझना होगा।

इन तीन या चार व्यक्तियों में से – जिनका संदर्भ दिया गया है – उनमें से एक की भर्ती 1988 में की गई थी और दूसरे व्यक्ति की भर्ती 1998 में की गई थी। इस अवधि में ऐसा नहीं हुआ है, और यह तत्कालीन सरकार द्वारा विकसित नीति के अनुसार हुआ कि जो आत्मसमर्पण कर रहे थे उन्हें पुलिस में भर्ती कर लेना चाहिए। यह वर्ष 1998 में था ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यह अनुचित है।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। कृपया बैठ जाएं, नहीं तो, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वे इस मुद्दे पर कोई जवाब न दें।

...*(व्यवधान)*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : महोदय, वे उस समय की सरकार की नीतियों में गलतियां कैसे निकाल सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया बैठ जाएं। यह नहीं किया जा सकता है।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** महोदय, वे नीति की आलोचना नहीं कर सकते हैं ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाए। माननीय मंत्री के अलावा किसी का एक शब्द भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया बैठ जाएं

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** हम एक दूसरे पर हुक्म नहीं चला सकते हैं। इन दिनों यह भी बहुत आम होता जा रहा है, एक सदस्य दूसरे सदस्य को सलाह देता है कि कैसे बोला जाए और क्या बोला जाए, और माननीय मंत्री महोदय को निदेश दिया जाता है कि क्या कहा जाए और क्या न कहा जाए। हम एक दूसरे पर हुक्म नहीं चला सकते हैं। वह सुनेंगे और सही समय पर उत्तर देंगे। आप उनके भाषण में इस प्रकार व्यवधान नहीं डाल सकते हैं। कृपया ऐसा न करें। मैं सभी पक्षों से आग्रह करता हूं कि इसकी अनुमति नहीं है। इसे करने के लिए सभ्य तरीके से भी कहा जा सकता है।

...*(व्यवधान)*

**श्री शिवराज वि. पाटील :** महोदय, मैं अपने वक्तव्य के बाद सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं।

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय, यह प्रश्न काल नहीं है।

**श्री शिवराज वि. पाटील :** लेकिन मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस मुद्दे पर मुझे एक पूर्ण व्यक्तव्य देने की अनुमति दी जाए।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपना व्यक्तव्य दीजिए। मैंने पूछने की अनुमति नहीं दी है।

**श्री शिवराज वि. पाटील :** आप सभी ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, और मैं केवल इसका उत्तर दे रहा हूं। हम भी आपके निदेशों का पालन करेंगे। लेकिन यदि आप उत्तर चाहते हैं तो इस प्रकार व्यवधान न डालें क्योंकि मेरे विचारों की निरंतरता समाप्त हो जाती है।

**अध्यक्ष महोदय :** आपने आग्रह किया है और मैंने भी सदन के सभी पक्षों से आग्रह किया है कि कृपया एक दूसरे की बात सुनें। उसके बाद हम मामले पर विचार करेंगे।

...*(व्यवधान)*

**श्री शिवराज वि. पाटील :** महोदय, हम उस नीति में दोष नहीं ढूंढ रहे हैं। मैं केवल तथ्य दे रहा हूं। हम उस नीति को जारी रख रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वह एक गलत नीति थी। मैं आपका ध्यान केवल इस बात की ओर आकर्षित कर रहा हूं कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाए गए थे उसकी भर्ती 1998 में सरकार के द्वारा अपनाई गई नई नीति के तहत हुई थी और वह नीति जारी है। मैं आपमें दोष नहीं ढूंढ रहा हूं बल्कि मैं आपको केवल तथ्य से अवगत करा रहा हूं। आपको इन तथ्यों को सुनना चाहिए और यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो मैं उसका उत्तर दूंगा और मैं इसे दोहरा रहा हूं।

तीन व्यक्ति हैं, जिनमें से दो जम्मू और कश्मीर से हैं तथा एक पंजाब का है। वे कहना चाह रहे हैं कि वे तीनों व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की आतंकवादी कार्यवाही में शामिल थे। वे ऐसा कह रहे हैं और यह तथ्यतः सही नहीं है। उनमें से एक पंजाब का है। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि 1998 में उसने आत्मसमर्पण किया था और उसे भर्ती किया जाना चाहिए। उसने कहा कि उसे के.रि.पु.ब. में काम करने दिया जाए और उसे उस समय की नीति के अनुसार भर्ती कर लिया गया और वह वहां कार्यरत था। उसके बाद, यह पाया गया कि उसने आत्मसमर्पण नहीं किया था और उसने गलत सूचना दी थी। उस समय पूछताछ की गई और उसे सजा दी गई। यह सब उस समय हुआ, अभी नहीं। यह वर्ष 2006 या वर्ष 2004 में नहीं हुआ है बल्कि उस समय हुआ था। अब, इस तथ्य पर विचार करना होगा।

वास्तव में इसमें क्या हुआ था। ये 3 या 4 व्यक्ति शहर में कई स्थानों पर पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए पिकेट का हिस्सा थे, और वे माननीय प्रधानमंत्री को उपलब्ध कराई गई सुरक्षा का हिस्सा नहीं थे। वे केवल उन पिकेटों का हिस्सा थे, अर्थात्, विभिन्न स्थानों पर पुलिस का समूह बैठा रहता है और जब भी आवश्यकता हो, वे पुलिस की सहायता के लिए उपलब्ध रहते हैं, ताकि जिन स्थानों पर उनकी आवश्यकता हो वे शीघ्र वहां पहुंच सकें।

प्रधानमंत्री को उपलब्ध कराई गई सुरक्षा का वे हिस्सा नहीं थे। प्रधानमंत्री आवास स्थल से वे काफी दूर थे। जब वे एक पिकेट के तौर पर कार्य कर रहे थे तब एक हेड कांस्टेबल राज कुमार, अपने वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति दिए बिना वहां से चला गया। जब अगले दिन वह वापस लौटा तब उसकी बंदूक तथा उसके गोला--बारूद गायब थे, यह वर्ष 2004 में हुआ न कि अभी। जब यह पाया गया कि वे गायब हैं तब पूछ--ताछ आरंभ की गई और राजकुमार को उस समय के अधिकारियों द्वारा नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। मुझे बताया गया है कि वह व्यक्ति औरों को यह व्यक्तव्य दे रहा है कि अन्य पुलिसकर्मी आतंकवादी थे और वे ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। ये तथ्य हैं और मुझसे कहा

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

गया था कि वह विभिन्न स्थानों पर औरों को यह वक्तव्य दे रहा है। वह प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा नहीं था ...*(व्यवधान)*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : उसने उस समय प्रार्थना की थी।

**अध्यक्ष महोदय** : यह बहुत गलत है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यदि आप चर्चा करना चाहते हैं तो उपयुक्त प्रक्रिया से करें।

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** : मंत्री जी सुरक्षा व्यवस्था के उल्लंघन को न्यायसंगत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं।

**श्री शिवराज वि. पाटील** : मैं कुछ न्यायसंगत नहीं ठहरा रहा हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया उन्हें उत्तर न दें।

**श्री शिवराज वि. पाटील** : मैं सभा में आपके मूल्यांकन हेतु तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने आरंभ में ही कहा है कि यदि आप कोई सलाह देना चाहें तो हम उसका आदर करेंगे और आपकी सलाह मानेंगे। देश को गुमराह न किया जाए।

उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई और उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। उसके साथ टेन्ट में या उस पिकेट में रहने वाले अन्य 6 सिपाहियों को भी सजा दी गई। इन लोगों, जिन्हें उस समय सजा दी गई थी, के मन में एक दूसरे के प्रति तथा अधिकारियों के प्रति दुर्भावना थी। वे लोग आतंकवादियों के नाम पर कई प्रकार के बयान देते रहते थे। परन्तु यह टुकड़ी (पिकेट) प्रधानमंत्री की सुरक्षा का भाग नहीं थी। हम इसे स्पष्ट शब्द में समझ लें।

आपने यहां इस प्रकार का बयान दिया और सभा में इस तरह की चर्चा उठाई, यह स्वागत योग्य है और हम इसकी प्रशंसा करते हैं। हम आपकी चिंता को भी समझते हैं और हम इसकी अनदेखी नहीं कर रहे। हम और अधिक सावधान रहेंगे। 15 अगस्त की शाम को पुलिस ने दिल्ली शहर तथा अन्य सभी शहरों में अमन चैन बनाए रखने के पूरे प्रयास किए और कोई दुर्घटना नहीं हुई, उस समय इस तरह का बयान दिया गया। इस मामले का मूल्यांकन इसी पृष्ठभूमि में और वह भी इसके घटने के दो वर्ष बाद किया जाना है। यह घटना 2004 में घटी और आपने इसे 15 अगस्त, 2006 की शाम को उठाया जब सब कुछ पुलिस की बनाई योजना के अनुसार चला। इसे स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए।

**श्री गुरुदास दासगुप्त** : हम समझ गए हैं।

**श्री शिवराज वि. पाटील** : मैं कह रहा हूं कि ये तथ्य हैं और सुरक्षा का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था। फिर भी आप जो भी सुझाव देंगे हम उन्हें स्वीकार करेंगे और आपके द्वारा दर्शाई गई चिन्ता को हम समझते हैं हम इसका अवमूल्यन नहीं कर रहे।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने इस विषय पर चिंता नहीं होने दी होती यदि मुझे पता होता कि यह दो वर्ष पुराना मामला है। एक घंटे की यह अवधि लोक महत्व के तात्कालिक मामले उठाने के लिए है।

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** : रिपोर्ट हमें दी जानी चाहिए। हम रिपोर्ट चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया लोक महत्व के तात्कालिक मामले के नाम पर दो वर्ष पुराना विषय न उठाएं। यह दो वर्ष पुराना मामला है और किसी ने मुझे यह बात नहीं बताई।

---

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं श्री गणेश सिंह को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** (दक्षिण दिल्ली) : हम प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : अन्य कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलितं नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्री गणेश सिंह** (सतना) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मेहरबानी करके आप सब लोग चुप हो जाइए वरना मैं हाउस को एडजर्न कर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

**श्री गणेश सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यगण, आप सभी बहुत ज्ञानवान

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हैं और बहुत चिन्तित भी हैं। यदि आप मुझे यह समझा सकें कि दो सदस्यों को एक साथ एक ही समय पर कैसे बुलाया जा सकता है तो मैं कृतज्ञ होउंगा।

...(व्यवधान)

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यों, मेरे पास बोलने वाले सदस्यों की इतनी लम्बी लिस्ट है, मैं इसे पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं।

**श्री गणेश सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण बिन्दु पर आपके माध्यम से सरकार तथा सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि चेन्नई बन्दरगाह में आस्ट्रेलिया से उतरे आयातित गेहूं जिसमें अत्यधिक कीटनाशक मिले होने की सूचना समाचार पत्रों में छपी है। पहली खेप में जो गेहूं आया है, उसमें 500 प्रतिशत से अधिक मात्रा में कीटनाशक होने का दावा किया गया है। क्या यह जहरीला अनाज सरकार लोगों को खाने के लिए देने जा रही है? क्या भारतीय खाद्य निगम ने इस जहरीले अनाज को स्वीकार कर लिया है? क्या इस जहरीले अनाज को खाने से मानव शरीर में गंभीर संक्रमण और बीमारी होने की संभावना नहीं है?

अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में एक संस्था ने विभिन्न शीतल पेयों में जहरीले पदार्थों के मिले होने की पुष्टि की थी। मैंने उस समय भी सदन में कहा था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश में धीमा जहर बेच रही हैं और हमारी सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। विदेशों से जो भी आयात हमारे देश में किया जा रहा है, उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखना किसकी जवाबदेही है? एक तो यह वैसे ही एक महंगा सौदा है और यह आयाधिक गेहूं उपयोगविहीन भी है। इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की जाए तथा दूसरी खेप में आने वाले गेहूं पर तत्काल रोक लगाई जाए। इसके साथ ही मेरी सरकार से यह भी मांग है कि दुनिया के बाजार भले ही एक हो गए हों लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नजर हमारे देश पर कुछ अधिक ही है क्योंकि आज यह दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट है और सर्वाधिक खपत भी हमारे देश में ही हो रही है। ऐसी स्थिति में पूरी तरह से बाजार को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले करना कहीं से उचित नहीं है। इस पर सरकार को तत्काल ध्यान देना चाहिए और देश में कोई बड़ा हादसा होने के पहले सरकार को इस बात पर गंभीर होना चाहिए।

*[अनुवाद]*

**श्री लोनाप्पन नम्बाडन** (मुकुन्दपुरम) : महोदय, मैं सदन का ध्यान केरल के त्रिचूर जिले में कोरट्टी स्थित भारत सरकार मुद्रणालय के कामगारों द्वारा झेली जा रही निम्नलिखित समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं :

1 केरल के त्रिचूर जिले के कोरट्टी स्थित एकमात्र भारत सरकार मुद्रणालय में 1996 में दो पारियों में कुल 400 कामगारों के साथ कार्य आरंभ किया गया।

2 इसके पास 106 एकड़ भूमि है और 208 कर्मचारी क्वार्टर हैं जिनमें से अधिकांश खाली पड़े हैं।

3 वर्ष 2002 में इस मुद्रणालय को भारत सरकार के सर्वश्रेष्ठ मुद्रणालय का पुरस्कार दिया गया।

4 वर्तमान में 400 पदों में से मात्र 190 पदों पर कामगार हैं जिसके परिणामस्वरूप विदेश से महंगी लागत पर आयातित मशीनों का इष्टतम उपयोग नहीं हो पाता। इन आयातित मशीनों में से अनेक इस मुद्रणालय के किसी उपयोग के नहीं हैं।

अतः मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि केरल में भारत सरकार के इस एकमात्र मुद्रणालय को आधुनिक बनाने के लिए उपयुक्त मशीनें आयातित की जाए, शेष 143 पदों को भरा जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि मुद्रणालय की सभी मशीनों का इष्टतम उपयोग हो। इसके लिए पहले की तरह दो पारियों में काम के आदेश दिए जाएं।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री मधुसूदम मिस्त्री – उपस्थित नहीं

...(व्यवधान)

**अपराह्न 12.35 बजे**

**(दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड को फिर से चालू किए जाने और इसके कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न किए जाने के बारे में**

*[अनुवाद]*

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : महोदय, हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड केबल के क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र का एक मुख्य उपक्रम था।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री दासगुप्त इसका पहले उल्लेख कर चुके हैं।

**श्री बसुदेव आचार्य :** वर्ष 1993–94 तक यह कंपनी लाभ अर्जित करती रही थी। वर्ष 1995 से यह घाटे में चल रही है। इसमें पहले 7000 से अधिक श्रमिक थे। लेकिन आज तीन इकाइयों में केवल 3350 श्रमिक हैं। इनमें से एक इकाई पश्चिम बंगाल, दूसरी आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में और तीसरी इलाहाबाद में नैनी में स्थित है।

बी आई एफ आर द्वारा एक समझौता किया गया था कि बी.एस.एन.एल. (पूर्व में दूरसंचार विभाग) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड को 50 प्रतिशत अग्रिम राशि के साथ 30 प्रतिशत तक क्रयादेश देगा।

एच.सी.एल. अच्छी गुणवत्ता वाले केबलों की आपूर्ति करता था।

लेकिन अचानक, बी.एस.एन.एल. ने एच.सी.एल. को क्रयादेश देना बंद कर दिया। जब वर्ष 2002 में कोई उत्पादन नहीं हुआ तो, हमारे प्रयासों से बी.एस.एन.एल. एच.सी.एल. को क्रयादेश देने के लिए सहमत हो गया और ऐसा एक वर्ष तक चलता रहा। तत्पश्चात्, जुलाई, 2003 में, बी.एस.एन.एल. ने क्रयादेश देने से मना कर दिया। हमारे गंभीर प्रयासों के बावजूद, बी.एस.एन.एल. इसके लिए सहमत नहीं हुआ। तत्पश्चात् एच सी एल को आई आई टी, खड़गपुर को सौंप दिया गया। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** मैंने मंत्री जी से निवेदन किया है। वह यहां उपस्थित हैं। कृपया संक्षेप में बोलें।

...*(व्यवधान)*

**श्री बसुदेव आचार्य :** तत्पश्चात्, एच सी एल के पुनरुद्धार की सिफारिश करने के लिए टाटा कंसलटैन्सी सर्विसेज की नियुक्ति की गई। इन दोनों परामर्शदाताओं ने इसे बंद करने की सिफारिश नहीं की। बल्कि, मैं टाटा कंसल्टैन्सी के वक्तव्य को उद्धृत करता हूं। टाटा कंसलटैन्सी अध्ययन प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एच सी एल का पुनरुद्धार अर्थक्षम है बशर्ते कि एच सी एल को नए उत्पादों में लगा दिया जाए। इसकी सिफारिश के अनुसार, पुनरुद्धार की लागत 281.22 करोड़ रुपए होगी जबकि इसे बंद करने की लागत 1,766.61 रुपए होगी। दो विकल्प हैं ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया संक्षेप में बोलें।

**श्री बसुदेव आचार्य :** माननीय मंत्री जी ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** वह यहां हैं। वह जवाब देने की इंतजार में हैं। मैंने उन्हें बुलाया है।

...*(व्यवधान)*

**श्री बसुदेव आचार्य :** जब भी हम मिले – हम उनसे 12 से 15 बार मिले – उन्होंने कभी नहीं कहा कि इसका पुनरुद्धार नहीं किया जा सकता है ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** श्री आचार्य जी, वह जो कहना चाहते हैं हम उसे सुन लें। आप जानते हैं यह वाद--विवाद नहीं है।

...*(व्यवधान)*

**श्री बसुदेव आचार्य :** वह स्वयं प्रधानमंत्री जी को यह आग्रह करते हुए पत्र लिख चुके हैं कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करें कि भारत संचार निगम लिमिटेड एच सी एल का अधिग्रहण करे ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** श्री बंसगोपाल चौधरी।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** आपकी पार्टी के किसी अन्य सदस्य ने नौटिस दिया है।

...*(व्यवधान)*

**श्री बसुदेव आचार्य :** केबलों की जरूरत अब भी है। हमारे पास लैंडलाइनें हैं, हमारे पास मूलभूत दूरभाष सेवाएं हैं; केबलों के अभाव की वजह से नए दूरभाष केन्द्र आरंभ नहीं किए जा रहे हैं। केबलों के अभाव के कारण दूरभाष लाइनों का विस्तार संभव नहीं है। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** इसलिए इसका पुनरुद्धार किया जाना चाहिए।

**श्री बसुदेव आचार्य :** यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मंत्रालय ने पुनरुद्धार की सिफारिश नहीं की है। मैंने जब समाचार पत्रों में उनका यह वक्तव्य देखा कि एच सी एल का पुनरुद्धार नहीं किया जा सकता और उसे बंद किया जाना चाहिए, उन्होंने मेरे पत्र के उत्तर में कहा कि ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** यह अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले को उठाने के लिए है। मैं आपको अनिश्चित काल के लिए अनुमति नहीं दे सकता। कई अन्य महत्वपूर्ण मामले हैं।

...*(व्यवधान)*

**श्री बसुदेव आचार्य :** यह बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे इसका उल्लेख करना है। भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा दिए गए सुझावों में विकल्प प्रबंधन में परिवर्तन के बारे में सुझाव हैं। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री जी को गुस्सा मत दिलाइए।

**श्री बसुदेव आचार्य :** यदि एकमात्र इकाई के रूप में एच सी एल का विनिवेश संभव नहीं है तो एच सी एल का विनिवेश पृथक इकाई के रूप में करें। तीसरे इसके बंद होने के बारे में है। जब तक मंत्रालय पुनरुद्धार अथवा विलय की सिफारिश करता है तब तक ऐसा नहीं किया जा सकता है।

**अध्यक्ष महोदय :** जब तक वह राजी न हो जाएं तब तक आप बोलते नहीं रह सकते।

**श्री बसुदेव आचार्य :** एक वर्ष के दौरान बड़ी संख्या में विलय और अधिग्रहण हुए हैं। यदि एच सी एल को बंद कर दिया जाता है तो इससे सीधे तौर पर 3500 लोग प्रभावित होंगे।

अप्रत्यक्ष रूप से हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड पर बड़ी संख्या में सहायक उद्योग निर्भर हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आप काफी

समय ले चुके हैं। कई माननीय सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने हैं।

**श्री बसुदेव आचार्य :** इससे 50000 लोग प्रभावित होंगे और इससे उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री बंसगोपाल चौधरी।

**श्री बसुदेव आचार्य :** इसलिए, मैं मांग करता हूं कि भारी उद्योग मंत्रालय को हमारे देश के एक महत्वपूर्ण उद्योग "हिन्दुस्तान केबल्स" को बचाने के लिए पुनरुद्धार हेतु "बोर्ड फार रिस्ट्रक्चरिंग पब्लिक सेक्टर कंपनीज", (बी आर पी एस सी) को सिफारिश करनी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय :** आपके अपने दल के एक माननीय सदस्य अपनी बात रखना चाहते हैं।

**श्री बंसगोपाल चौधरी** (आसनसोल) : महोदय, माननीय सदस्य, श्री बसुदेव आचार्य द्वारा मामले को पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है। ...*(व्यवधान)* कई बार हमने मामले को माननीय मंत्री के समक्ष स्पष्ट किया है। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं होगा। मैं सभा के सभी दलों के लोगों से अनुरोध कर रहा हूं। यह बहुत अनुचित है। इसे वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय :** श्री आचार्य, आप उन्हें क्यों जवाब दे रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

**श्री बंसगोपाल चौधरी :** इस मामले पर कई बार चर्चा की गई है। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** उनके एक शब्द को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न करें।

...*(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय :** क्या आप अपनी सीट पर बैठेंगे? कृपया आप अपनी सीट पर बैठें।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** आपको अपनी सीट पर बैठना होगा। कृपया आप अपनी सीट पर बैठें।

...*(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय :** कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप क्यों बोल रहे हैं और सभा की कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं?

...*(व्यवधान)**

**श्री खारबेल स्वाई** (बालासोर) : महोदय, यह बहुत अनुचित है। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** यह हमेशा अनुचित होगा, मैं जानता हूं। क्या आपका सभा में व्यवधान डालना उचित है?

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** मैं उनके दल के वरिष्ठ नेताओं से अनुरोध करूंगा कि वे आएं और इसे देखें।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** क्या आपको यह अधिकार है कि आप जब चाहे बोलें?

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया बैठिए।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** यदि माननीय सदस्य सहयोग नहीं करेंगे तो यह सभा कैसे चलेगी? यह सभा किसकी है? सभी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन कोई सभा को चलाने के प्रति चिंतित नहीं है।

...*(व्यवधान)*

**श्री खारबेल स्वाई :** आप कृपया यही व्यवहार सबके लिए प्रदर्शित करें। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** मुझे कितनी बार घंटी बजानी पड़ेगी? मैं यहां आपको अपना व्यवहार बताने के लिए नहीं बैठा हूं। पूरा देश देख रहा है।

...*(व्यवधान)*

**श्री बंसगोपाल चौधरी :** महोदय, केन्द्रीय मंत्री के साथ इस पर चर्चा हुई थी। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** अब कृपया शांत रहें।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया शांत रहें।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...(व्यवधान)

**श्री बंसगोपाल चौधरी :** महोदय, वस्तुतः, माननीय सदस्य श्री आचार्य द्वारा पहले ही इसका उल्लेख किया जा चुका है और स्पष्ट किया जा चुका है। ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया संक्षेप में अपनी बात रखें। यदि आप सब सहयोग नहीं करेंगे तो मैं सभा की कार्यवाही कैसे चला पाऊंगा?

**श्री बंसगोपाल चौधरी :** मैं अपने आपको, उन्होंने जो कहा, केवल उसी से संबद्ध करता हूं। मामला बहुत गंभीर है। यह कोई नहीं जानता कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का क्या होगा? मैं माननीय मंत्री से अनुरोध ा करूंगा कि वह इस सभा को बताएं कि इस सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का भविष्य क्या होगा।

**अध्यक्ष महोदय :** मैंने अवसर दिया क्योंकि इसमें कामगार शामिल हैं। इसलिए, मैंने उनसे अनुरोध किया। वह तुरंत सहमत हो गए; और वह यहां अपनी प्रतिक्रिया देने की प्रतीक्षा में हैं। ऐसा लगता है, आप उन्हें भी रोकेंगे; और सभा के सभी दलों की तरफ से सभी तरह के सुझाव आ रहे हैं। इस प्रक्रिया में आप सभा का स्तर उठा रहे हैं।

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) :** अध्यक्ष महोदय, यह उन मामलों में से एक है जिसमें काफी समय लगा। सीपीआई (एम), सीपी., आई, पश्चिम बंगाल कांग्रेस पार्टी, पश्चिम बंगाल सरकार, आईएनटीयूसी (इन्टक), भाजपा के संगठन; और अन्य सबने अनुरोध किया था और मांग की थी कि – इसका पुनरुद्धार किया जाना चाहिए। इसलिए, उनके अनुरोध पर ऐसा किया गया।

सबसे पहले श्री गुरुददास दासगुप्त और श्री आचार्य ने अनुरोध किया था कि इसे आई.आई.टी., खड़गपुर को उसकी रिपोर्ट के लिए भेजा जाए। मैं सहमत हो गया। मेरे कार्यालय से यह आपत्ति दर्ज की गई थी यह ऐसा करने में समर्थ नहीं है। मैं उसे खारिज कर दिया और इस मामले को आई.आई.टी., खड़गपुर को भेज दिया। जब नकारात्मक रिपोर्ट आया तो पुनः श्री गुरूदास दासगुप्त, श्री आचार्य को अन्य लोगों ने इसकी रिपोर्ट के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) भेजने के लिए कहा। मैं सहमत हो गया और 7 लाख रुपए का व्यय कर इसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के पास भेजा गया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया और वह सकारात्मक सिफारिश नहीं थी।

इसी बीच, काफी दबाव था। पूर्व प्रश्न में भी, हमने देखा कि सदस्य उल्लेख कर रहे थे कि काफी समय लग गया। बी आर पी एस ई चाहती है कि – ऐसे मामलों को शीघ्र भेजना चाहिए। इसलिए, मैंने मामले को भेजा। मैंने अपनी सिफारिश दी। मैंने कहा कि यह पुनरुद्धार करने का बहुत अच्छा मामला नहीं है।

यहां श्री बसुदेव आचार्य ने जो कहा था वह ठीक नहीं है। मैंने भी मुम्बई में मैसर्स रिचर्डसन एंड क्रूडस को बंद किए जाने की सिफारिश की है परन्तु बीआरपीएसई सहमत नहीं हुआ, मंत्रिमंडल सहमत नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि यह एक संयुक्त उद्यम होना चाहिए।

अतः मैं बीआरपीएसई के चेयरमैन तथा माननीय प्रधानमंत्री जो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे को आपके विचार बता दूंगा। वे सोच कर इस संबंध में सिफारिश करेंगे। आप माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले हैं अतः मामला विचार विमर्श हेतु खुला है। मैं इस विषय पर कहने वाला अंतिम व्यक्ति नहीं हूं। यह कार्य मंत्रिमंडल का है जो मुझे ठीक लगा वह मैंने कहा है। मेरी इसके प्रति पूर्ण सहानुभूति है। हमारे नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अनुसार हमें स्थिति को दुष्प्रभावित करने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। मुझे गैर–सरकारी तौर पर बताया गया कि वहां कार्य कर रहे मजदूर नई प्रौद्योगिकी को नहीं अपना सकेंगें। पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर एक चीनी दल वहां गया और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी मशीनों व लोगों के समूह के साथ कुछ भी करना संभव नहीं होगा।

जो भी हो, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि यदि आवश्यक हुआ तो इस पर पुनर्विचार किए जाने हेतु मैं पुनः एक पत्र लिखूंगा।

**श्री बसुदेव आचार्य :** विलय के बारे में क्या हुआ?

**श्री संतोष मोहन देव :** मैं उस बारे में नहीं कह सकता यह उन पर निर्भर है।

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री जी, यदि आप हर एक को उत्तर देते रहेंगे तो हम कभी चर्चा समाप्त नहीं कर पाएंगे।

...(व्यवधान)

**श्री संतोष मोहन देव :** महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

---

*[अनुवाद]*

**डा. टोकचोम मैन्या** (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, कल इम्फाल, मणिपुर में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इस्कॉन परिसर में हुए शक्तिशाली ग्रेनेड हमले में चार निर्दोष लोग, जिनमें सभी भक्तजन थे, एक बच्चा और एक बूढ़ा था, मारे गए और 50 अन्य घायल हुए। जब भीड़ पर शक्तिशाली ग्रेनेड फेंका गया उस समय रासलीला चल रही थी और एकत्र सभी लोग त्यौहार के उल्लास में मग्न थे। घायलों में इस्कॉन के अध्यक्ष दामोदर भी थे।

मैं इस प्रतिष्ठित सभा से अनुरोध करता हूं कि इस नृशंस कार्य और धार्मिक पूजास्थल पर निर्दोष भक्तों की हत्या की निन्दा करें और ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए कदम उठाएं।

**अध्यक्ष महोदय** : हां, उनकी निन्दा की जानी चाहिए।

**डा. अरूण कुमार शर्मा** (लखीमपुर) : महोदय, मैं उनकी बात से सहमत हूं ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस प्रक्रिया की अनुमति नहीं दूंगा।

*[हिन्दी]*

**श्री चन्द्रकांत खैरे** (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में कल जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री तापिर गाव** (अरुणाचल पूर्व) : महोदय ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया प्रतीक्षा करें। यद्यपि आप इसके बारे में इतने चिंतित हैं आपने समय पर नोटिस नहीं दिया।

*[हिन्दी]*

**श्री चन्द्रकांत खैरे** : महोदय, मंदिरों में सुरक्षा की व्यवस्था भी व्यापक तौर पर की गई। लेकिन दुर्भाग्यवश इम्फाल के इस्कॉन मंदिर में आतंकवादियों ने आतंकवादी कृत्य किया और करीब 4–5 लोगों की मृत्यु हो गई तथा 50 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि ये आतंकवादी कौन थे, कहां से आए थे? क्या उनका दिल्ली में कोई संबंध है या मुम्बई बम ब्लास्ट से कोई रिलेशन है? हिन्दुओं के मंदिरों पर ही क्यों हमला करना चाहते हैं? उनका मकसद क्या है और क्या वे पाकिस्तान से मिले हुए हैं? इन सारी बातों को गम्भीरता से अध्ययन करना पड़ेगा। देश को और हिंदुओं के मंदिरों को बचाना पड़ेगा। मंदिरों में सीधे–साधे श्रद्धालु पूजा कर रहे थे। वहां ऐसा आतंकवादी कृत्य हो जाना, यह बहुत शर्मनाक बात है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इस बारे में कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए और जो भी संगठन इस कृत्य के पीछे हैं, उसे पूरी तरह से तबाह कर देना चाहिए।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री तापिर गाव, आपका नोटिस मात्र 34 मिनट विलंब से आया। आप इस बारे में इतने चिंतित थे कि आपको समय पर नोटिस देने का समय नहीं मिला और फिर आप सभा में व्यवधान कर रहे हैं।

**श्री तापिर गाव** : महोदय, मुझे खेद है कल देश भर में तथा विदेशों में कृष्णजन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया। इम्फाल के इस्कॉन मंदिर में उस समय शक्तिशाली हथगोला फेंका जाना जब वहां 2000 से अधिक भक्तजन उपस्थित थे हम सबके लिए गंभीर चिंता का विषय है। मैं इस घटना के पीछे मुख्य बिन्दु की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा।

मणिपुर राज्य में 20 से अधिक आतंकवादी हैं। वे मणिपुर में हिन्दी फिल्मों पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग कर रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : यह एक अलग मामला है।

**श्री तापिर गाव** : महोदय, मैं इसी पर आ रहा हूं। वे हिन्दी फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने, विद्यालयों में साड़ियां तथा सलवार कमीज पहने जाने और बंगला लिपि पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। हिन्दू मंदिर उनके निशानों में से एक हैं।

अतएव, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जिन आतंकवादी समूहों ने यह किया है उनका पता लगाया जाए।

मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली बार ...*(व्यवधान)** .......... .... के बारे सेना ने उद्धृत किया कि उन्होंने आतंकवादी संगठनों को 150 करोड़ रुपए दिए। अतः यदि ...*(व्यवधान)** ऐसे क्रियाकलापों में शामिल हैं तब ऐसी घटनाओं को रोकने का कार्य तथा मणिपुर राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति का ध्यान कौन रखेगा?

**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा मत कीजिए। कृपया उसे काट दीजिए।

**श्री तापिर गाव** : अतएव मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि मणिपुर राज्य के विरुद्ध आवश्यक कदम उठाए जाएं।

**डा. अरूण कुमार शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में बढ़ रहे हिंसक वारदातों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। हर दिन वहां से बम धमाके या ग्रेनेड फटने की खबर आती है। विभिन्न आतंकवादी संगठनों के साथ राजनैतिक समाधान निकालने की योजना से कोई लाभकारी परिणाम सामने नहीं आए हैं। एन एस सी एन, एन डी एफ बी, डी एन डी एन तथा क्षेत्र के कुछ अन्य संगठनों के साथ पहले से ही युद्ध विराम समझौता हो चुका है। सरकारी तथा गैर–सरकारी स्तर पर बातचीत की प्रक्रिया हुई थी। लेकिन इस युद्ध–विराम समझौता तथा राजनैतिक और सरकारी स्तर पर बातचीत के परिणाम अभी तक ज्ञात नहीं हो सके हैं।

हाल ही में, असम में एक समाचार आया कि सरकार ने 'उल्फा' के विरुद्ध सैन्य ऑपरेशन स्थगित कर दी है। यह एक स्वागत योग्य कदम था लेकिन इस संसद के सदस्य होने के नाते हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में किस ऑपरेशन को स्थगित किया गया है। हम यह भी जानना चाहेंगे कि क्या सरकार अन्य सुरक्षा संगठनों जैसे कि के.रि.पु.ब., सी.सु.ब. तथा अन्य अर्ध सैन्य बलों के ऑपरेशनों को भी स्थगित करने पर विचार कर रही है। उल्फा की ओर से प्रारंभिक बातचीत करने के लिए पीपल्स कन्सलटेटिव ग्रुप ऑफ असम ने पहल की। अब छह महीने से अधिक गुजर चुके हैं लेकिन राजनैतिक बातचीत आरंभ होनी

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अभी बाकी है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि विभिन्न आतंकवादी संगठनों के साथ बातचीत की वर्तमान स्थिति क्या है क्योंकि उत्तर–पूर्व क्षेत्र बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। आई एस आई समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन वहां काम कर रहे हैं। दिन पर दिन कट्टरपंथी संगठन वहां बढ़ रहे हैं। यदि इसे नहीं संभाला गया तो उत्तर–पूर्वी क्षेत्र की स्थिति कश्मीर से भी अधिक अशांत हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर–पूर्वी क्षेत्र की 90 प्रतिशत सीमा पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, भूटान, चीन तथा म्यांमार से मिली हुई है। इस क्षेत्र की सुरक्षा पहलू को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है।

इसलिए, मैं सरकार से यह आग्रह करूंगा कि वह विभिन्न उग्रवादी संगठनों के साथ शांति प्रक्रिया को पुनःस्थापित करें।

**अध्यक्ष महोदय** : आपने ये सब बातें पहले भी कही थीं। आप इसे तीसरी बार कह रहे हैं। आप इन्हें दोहरा क्यों रहे हैं?

**डा. अरूण कुमार शर्मा** : सरकार को उल्फा तथा अन्य संगठनों के साथ राजनैतिक बातचीत करनी चाहिए ताकि शांति बनी रहे ...*(व्यवधान)*

**अपराह्न 12.54 बजे**

**(तीन) देश की विभिन्न इकाइयों में कार्यरत आई.टी.आई. लिमिटेड के 14,000 कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न किए जाने के बारे में**

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : अब श्री अनंत कुमार बोलेंगे तथा केवल उनके व्यक्तव्य को ही कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाएगा, अन्य कुछ भी नहीं।

...*(व्यवधान)**

**श्री अनंत कुमार** (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, मैं आई टी आई लिमिटेड के एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहता हूं। आई टी आई लिमिटेड के अधिकारियों समेत लगभग 14,000 कर्मचारियों को, जो कि बंगलौर, नैनी, इलाहाबाद, रायबरेली, पलक्कड़, मनकापुर तथा श्रीनगर में हैं, अभी तक मई महीने का वेतन नहीं मिला है। उन्हें मई, जून तथा जुलाई महीने का वेतन नहीं मिला है। इस संबंध में, मैं यूपीए की अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधी तथा रायबरेली से भी माननीय संसद सदस्य के सहयोग का भी आग्रह करूंगा।

ऐसा इसलिए क्योंकि आई.टी.आई. के कर्मचारी सोनिया जी से दो बार मिल चुके हैं। वास्तव में, आई.टी.आई. नैनी अधिकारियों के संगठन के अध्यक्ष ए.एन. मालवीय तथा महासचिव श्री हनुमान प्रसाद ने 10 अगस्त, 2006 को श्रीमती सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा था। बार–बार मैं उनका ध्यान इस पत्र की ओर आकर्षित कर रहा हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : आपको सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहिए।

**श्री अनंत कुमार** : महोदय, मैं उनके सहयोग देने की बात कर रहा हूं और सदन के नेता भी यहां उपस्थित हैं। मैं उस पत्र से यह उद्धृत करना चाहूंगा।

"आदरणीय मैडम, आई टी आई के मसले को देखने के लिए. हमारे बार–बार निवेदन करने के बावजूद, यदि आप याद करें कि जब 18.06.2006 को आप रायबरेली आई थीं..."

**अध्यक्ष महोदय** : मैं हाल में रायबरेली नहीं गया था। 'आप' से अर्थ मुझसे निकलता है। आपको कहना चाहिए 'माननीय सदस्य आए थे।'

**श्री अनंत कुमार** : महोदय, मैं आई टी आई नैनी अधिकारियों के संगठन के अध्यक्ष, श्री ए.एन. मालवीय तथा महासचिव, श्री हनुमान प्रसाद द्वारा यूपीए की अध्यक्षा तथा रायबरेली के माननीय सदस्यों को लिखे गए पत्र से उद्धृत कर रहा हूं। सदन के नेता माननीय रक्षा मंत्री भी हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपको उद्धृत करने की अनुमति दे रहा हूं क्योंकि श्रमिकों का मामला है। नहीं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते थे।

**श्री अनंत कुमार** : यह पत्र 10 अगस्त, 2006 को लिखा गया था।

"आदरणीय मैडम, आई टी आई के मसले को देखने के लिए, हमारे बार–बार निवेदन करने के बावजूद, यदि आप याद करें कि जब 18.6.2006 को आप रायबरेली आई थीं, तो आई टी आई की समस्या के संबंध में आपको एक संयुक्त ज्ञापन दिया गया था और फिर 21 जुलाई, 2006 को आपके घर पर आपके साथ एक बैठक रखी गई थी जिसमें हमने आपसे निवेदन किया था कि आई टी आई के इस मानवतावादी मुद्दे पर ध्यान दें कि हमें पिछले तीन महीनों से हमारा वेतन नहीं मिल रहा है। और यह चौथा महीना होने जा रहा है। लेकिन अभी तक आपकी ओर से कोई उत्तर नहीं आया है।"

मैं आज इस मुद्दे को इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मेरे प्रिय दोस्त तथा ट्रेड यूनियन लीडर, श्री माइकल फर्नांडीस तथा अन्य अधिकारी इस मुद्दे पर मुझसे मिले। आप जानते हैं कि अगले तीन वर्षों में, भारत सरकार टेलीकॉम उद्योग पर 1,30,000 करोड़ रु. खर्च करने जा रही है लेकिन

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आई टी आई का टर्नओवर केवल 4000 करोड़ रु. है। इसलिए, उनको आवश्यक आर्डर बुल कर दिए जाएं और यह समान स्तर का क्षेत्र हो। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का लगभग 30 प्रतिशत आर्डर उनको मिलना चाहिए लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया।

महोदय, इसका उल्लेख करते हुए, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जब आप सूचना तकनीकी संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष थे, तब आपने इस बात पर जोर दिया कि आई टी आई लिमिटेड का निजीकरण न किया जाए और यह बच गया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : यह मेरे लिए एक यादगार दिन है।

**श्री अनंत कुमार** : महोदय, अच्छे कार्यों की प्रशंसा किए जाने की जरूरत है। लेकिन, इसके साथ-साथ, संप्रग सरकार क्या कर रही है? वर्ष 2004 से, आई टी आई बलि का बकरा बन गया है। आई टी आई देश का बहुत बड़ा दूरसंचार संस्थान है। लेकिन वहां इसके लिए प्रतिस्पर्धा का समान अवसर क्यों नहीं है? मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री इसका उत्तर दें। ...*(व्यवधान)*

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : महोदय, मैं अपने आपको श्री अनन्त कुमार के साथ सम्बद्ध करता हूं और यह मांग भी करता हूं कि...

**अध्यक्ष महोदय** : कोई मांग नहीं। सम्बद्धता मांग नहीं हो सकती। केवल श्री अनन्त कुमार के भाषण को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

**श्री अनंत कुमार** : महोदय, उन पर पर्याप्त आदेश दिए जाने चाहिए और प्रतिस्पर्धा का समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए। तत्काल राहत के रूप में आई टी आई को बीएसएनएल और एमटीएनएल के साथ विलय कर देना चाहिए तथा कर्मचारियों को तीन माह के वेतन का शीघ्र भुगतान किया जाना चाहिए। इसलिए, मैं संप्रग की अध्यक्ष महोदया से अनुरोध करूंगा कि वे इससे अपने आपको संबद्ध करें। मैं श्री आचार्य को मेरे साथ सम्बद्ध होने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दें।

**अध्यक्ष महोदय** : हमें माननीय मंत्री को अवश्य धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि वह इस मामले पर उत्तर देने को तैयार हैं।

**अपराह्न 1.00 बजे**

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव)** : महोदय, यह मामला मंत्रालय के सक्रिय विचारण के अधीन है। हम इस बारे में जानते हैं। दशहरा के पहले वेतन का भुगतान सिर्फ इसी कंपनी में नहीं किया जाएगा बल्कि अन्य सभी सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में भी किया जाएगा, जहां वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। फाइल चल रही है और इसे कर दिया जाएगा। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया मुझे कार्यवाही चलाने दें।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री गुरूदास दासगुप्त** (पंसकुरा) : महोदय, हमेशा की तरह माननीय प्रधानमंत्री ने कल 15 अगस्त को राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने अपने लंबे भाषण में सरकार की नीतियों और दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। ...*(व्यवधान)* महोदय, यह क्या हो रहा है?

**अध्यक्ष महोदय** : बोलिए मैं क्या कर सकता हूं।

**श्री गुरूदास दासगुप्त** : उन्होंने नीति का स्पष्ट किया कि सरकार कार्रवाई कर रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री के भाषण के विशेष पक्ष का उल्लेख कर रहा हूं। उन्होंने कहा :

"मिट्टी तेल का मूल्य नहीं बढ़ा है। लेकिन एक सीमा है जिसे हम बढ़ते आयात लागत के मद्देनजर पेट्रोलियम उत्पादों के खपत पर राज सहायता दे सकते हैं। सरकारी खजाना इस बोझ को और कितना वहन कर सकता है? कुछ मामलों में इससे अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रमों पर व्यय करने के हमारे सार्मथ्य पर असर पड़ेगा।"

महोदय, हम इस संदर्भ से काफी आहत हैं। हमें चोट पहुंची है। यह और कुछ नहीं बल्कि यह कहने का एक प्रत्यक्ष सुझाव है कि आगामी किसी तिथि, जो काफी दूर नहीं है, को सरकार मूल्य में वृद्धि करेगी। ...*(व्यवधान)* महोदय, मुझे दो मिनट का समय दीजिए। ...*(व्यवधान)*

सरकार मिट्टी के तेल और रसोई गैस का मूल्य बढ़ाने जा रही है। ...*(व्यवधान)* प्रधानमंत्री ने पहले ही सुझाव दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य और घरेलू मूल्यों में एक संबंध है। ...*(व्यवधान)*

**श्री गुरूदास दासगुप्त** : महोदय, कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए। ...*(व्यवधान)* मैं अपने देश के प्रधानमंत्री की बातों से सहमत नहीं हूं। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : सभा अपराह्न 2.00 बजे तक पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है। अन्य मामलों पर बाद में विचार होगा।

**अपराह्न 1.02 बजे**

*तत्पश्चात्, लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अपराह्न 2.05 बजे**

*लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न दो बज कर पांच मिनट पर पुनः समवेत हुई।*

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

## नियम 377 के अधीन मामले

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा मद संख्या–4 – नियम 377 के अधीन मामले पर विचार करेगी। यही सभा के माननीय सदस्य सहमत हैं,

*[हिन्दी]*

मैं चाहता हूं कि 377 ले करा दिया जाए।

**श्री थावरचन्द गेहलोत** (शाजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमें कभी–कभी इस पर बोलने का अवसर मिलता है। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : ठीक है, आप सब इस पर थोड़ा–थोड़ा समय लेना, ज्यादा समय मत लेना।

### (एक) कर्नाटक के कनकपुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रामनगर में "फूड पार्क" स्थापित किए जाने की आवश्यकता

*[अनुवाद]*

**श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश** (कनकपुरा) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, बंगलोर ग्रामीण जिला हमारे कनकपुरा संसदीय क्षेत्र का ही एक भाग है जिसमें कनकपुरा, सथनुर, रामनगर, चन्नपटना, मगड़ी, मेलमंगला, डोड्डाबल्लापुर, देवनहल्ली और होसाकोट तालुका हैं जिसमें हमारे किसान बड़े पैमाने पर आम, अंगूर और टमाटर जैसे फल उगाते हैं। ये किसान शीतागारों तथा उचित विपणन सुविधाओं के अभाव से परेशान हैं। ये वस्तुएं शीघ्र खराब होने वाली हैं। यह जिला वर्ष 2000 से 2004 तक सूखा से ग्रस्त रहा है। इस जिले में 33 किसानों ने आत्महत्या कर ली जोकि कर्नाटक राज्य में दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। यहां कोई प्रमुख सिंचाई सुविधा अथवा नदी नहीं है। यहां तक कि भूजल स्तर भी बड़ी तेजी से नीचे गिरता जा रहा है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उद्यान शहर बंगलौर और राजसी शहर मैसूर के बीच रामनगर में एक विश्वसनीय "फूड पार्क" स्थापित किया जाए जो कि अपने विश्व प्रसिद्ध चट्टानों के लिए हिन्दी फिल्म शोले में चित्रित है। "देवनहल्ली" में स्थापित होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से किसानों को निर्यात गुणवत्ता वाले फलों, सब्जियों और फूलों को उगाने में और अधिक सुविधा मिलेगी। इस "फूड पार्क" से हमारे अकुशल, महिलाओं सहित अल्प शिक्षित ग्रामीण युवकों को रोजगार मिलेगा।

### (दो) कॉल सेंटर्स में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

**श्री बाडिगा रामकृष्णा** (मछलीपत्तनम) : महोदय, बंगलौर में कॉल सेंटर में कार्यरत महिला की हत्या की एक और घटना हाल ही में प्रकाश में आई है। कुछ महीनों में यह दूसरी घटना है। मीडिया में रोजाना इस प्रकार की खबरें आती हैं कि कॉल सेंटर में कार्यरत महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। कार्य की प्रकृति के कारण कॉल सेंटरों में कार्यविधि अनियमित है। बहुत से योग्यता–प्राप्त व्यक्ति देश के विभिन्न शहरों में पलायन कर रहे हैं क्योंकि बाह्य सेवा लेने के कारण रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। महिलाओं के साथ इस प्रकार की घटनाओं में वृद्धि के कारण लड़कियों में भय तथा माता–पिता को उन्हें काम करने के लिए अन्य स्थानों पर भेजने से चिन्ता हो रही है। आई टी उद्योग में वृद्धि से विभिन्न शहरों में कॉल सेंटर खुलते जा रहे हैं, जिनमें महिलाओं को बहुत अधिक संख्या में नियुक्त किया जा रहा है। अतः, कॉल सेंटर के मालिकों को उनके संबंधित सेंटरों में कार्यरत महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए दोषरहित व्यवस्था करनी चाहिए।

केन्द्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कॉल सेंटरों के मालिक महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए, विशेषकर उनके आवागमन के दौरान, सभी उपाय करें। कॉल सेंटर के कर्मचारियों को लाने ले जाने वाले सभी वाहनों में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाना भी अनिवार्य किया जाए क्योंकि आवागमन के दौरान महिलाओं पर हमला किया जाता है, और ड्राइवरों को पहचान–पत्र भी जारी किए जाएं।

मैं भारत सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि वह कार्य के अनियमित समय को दृष्टिगत रखते हुए कॉल सेंटरों में कार्यरत महिलाओं को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के एक भाग के रूप में कतिपय खंड अंतःस्थापित करने की संभावना का पता लगाए।

### (तीन) उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में हाईटेक सिटीज़ बनाने के लिए जिन किसानों की भूमि अधिगृहीत की गई है, उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

*[हिन्दी]*

**श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल** (हापुड़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य में गाज़ियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिले में एक तरफ किसानों को उनकी कृषि का पूरा मूल्य नहीं मिल पा रहा है और दूसरी तरफ कुछ पूंजीपतियों को हाईटेक सिटी के नाम पर किसानों की कीमती

जमीन को सस्ते दामों पर प्रशासन के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके विरुद्ध वहां के किसानों ने आन्दोलन का रास्ता अपनाया, तो प्रशासन ने उन पर कटोरता अपनाई जिसका उदाहरण हमारे सामने हाल में घटी बझेड़ाखुर्द की घटना है। वहां ग्रामीण जनता के साथ प्रशासन ने सख्ती की जिससे सैंकड़ों किसान गाजियाबाद जेल में बन्द हैं। मैं उनकी बिना शर्त रिहाई की मांग करता हूं तथा मेरा यह भी सुझाव है कि यदि पूंजीपतियों को किसानों की जमीन खरीदनी ही है, तो उनकी जमीन बेचने का अधिकार किसानों को दिया जाए और वर्तमान सरकारी मूल्य पर बेचा जाए न कि किसानों की जमीन सस्ते दामों पर अधिकृत कर औने-पौने दामों में पूंजीपतियों को बेचे। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि वे मेरे उक्त सुझावों पर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाए।

**(चार) तमिलनाडु के पलानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्थित धारापुरम और कंगायम ताल्लुकों में पुलों का निर्माण करने के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता**

*[अनुवाद]*

**श्री एस. के. खारवेन्थन** (पलानी) : महोदय, अमरावती नदी तमिलनाडु की पूरे साल बहने वाली नदियों में से एक है और वह पलानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के धारापुरम और कंगयाम तालुकों से होकर गुजरती है। नदी के दोनों ओर अनेक गांव स्थित हैं। बरसात के मौसम में अमरावती नदी में पानी बहुत अधिक मात्रा में बहता है। बरसात के दिनों में शंकरानंदमपलायम और निकटवर्ती गांवों में रह रहे लोगों को धारापुरम पहुंचने के लिए लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है। किसानों को अपने माल को धारापुरम मण्डी अथवा किसी अन्य मण्डी में ले जाने के लिए अधिक धनराशि भी खर्च करनी पड़ती है। यदि चिकित्सा संबंधी अत्यावश्यकता है तो नजदीकी अस्पताल में पहुंचना आसान नहीं होता है। छात्र साइकिल से बड़ी कठिनाई से अपने स्कूलों को जाते हैं। वे समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। हर दिन बहुत सारे लड़के और लड़कियां कपड़ा मिलों में जा रहे हैं और वे धारापुरम और आसपास के अन्य कस्बों में पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं। अतः (एक) अथूकल पुडूर से सेल्लाकुमारागौंडनपुडूर, (दो) पेरामियम से शंकरानंद-मपलायम गांव तथा (तीन) सेल्वी नगर में कुमारासामी कोट्टई से चेलांदीम्मानाकोइली के बीच पुलों का निर्माण किए जाने की अत्यधिक आवश्यकता है।

यह इस क्षेत्र की जनता की काफी समय से लंबित मांग है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस क्षेत्र के लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए उपर्युक्त पुलों के निर्माण के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराया जाए।

**(पांच) राजस्थान के अलवर में स्थित बालकिला और स्टेपवेल अथवा बाउरी स्मारकों की स्वर्णिम विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंपे जाने की आवश्यकता**

**डा. करण सिंह यादव** (अलवर) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान राजस्थान के अलवर जिले में अपेक्षित स्थिति में पड़े सांस्कृतिक धरोहर की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

अलवर में बाला किला एक हजार फीट ऊंची पहाड़ी पर मनोरम रूप में स्थित है। इस किले के निर्माण नुकुम्भ राजपूतों द्वारा दसवीं शताब्दी में किया गया था और अलवर राज्य की स्थापना से पहले महाराजा प्रताप सिंह ने सन् 1775 में इसे अपने राज्य में मिला लिया था। किले की परिधि 11.2 कि.मी. है और किला परिसर में प्रांगण, गलियारे और मंडप हैं जो कि संगमरमर के स्तंभों पर टिके हुए हैं। यह राजस्थान का संभावनापूर्ण पर्यटन स्थल है। इसी प्रकार का एक अन्य स्मारक दिल्ली-जयपुर राजमार्ग सुप्रसिद्ध नीमराणा किले के समीप नीमराणा का सीढ़ीनुमा कुंआ या बावड़ी है।

यह प्राचीन जल प्रबंधन प्रणाली की विकसित स्थिति को प्रदर्शित करता है। उपरोक्त दोनों स्मारक अच्छी स्थिति में हैं किन्तु अपेक्षित हैं। मेरा अनुरोध है कि इन स्मारकों की वैभवशाली विरासत को बचाए रखने के लिए इन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंप दिया जाना चाहिए।

**(छह) ग्वालियर और देवास के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 को चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता**

*[हिन्दी]*

**श्री थावरचन्द गेहलोत** (शाजापुर) : महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3, जो आगरा-मुम्बई मार्ग के नाम से जाना जाता है, उस पर वाहनों के आगमन का घनत्व अत्यधिक है। यह मार्ग वर्तमान में ग्वालियर से देवास के बीच चार लेन का नहीं होने से वाहनों को आने जाने से अत्यधिक कठिनाइयां होती हैं। मार्ग के संकरा होने के कारण दुर्घटनाएं भी अधिक होती हैं। कारणवश जनहानि और धनहानि होती है। इसी मार्ग पर शाजापुर शहर के लिए बायपास और लखुन्दर नदी पर दो पुल बनाने और मक्सी स्थित रेलवे लाईन पर ओवर ब्रिज निर्माण और ग्वालियर से देवास के बीच इस राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का बनाने हेतु भी सैद्धांतिक सहमति हो कर स्वीकृति दी गई है, किंतु लम्बे समय के बाद भी ये काम प्रारम्भ नहीं हो पाए हैं। इससे क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करने हेतु सरकार शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करे।

**(सात) झांसी मंडल के कौंच स्टेशन पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण काउंटर बनाए जाने की आवश्यकता**

**श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा** (जालौन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र जालौन-गरौठा

के उत्तर–मध्य रेलवे के झांसी डिवीजन में कौंच स्टेशन की ओर दिलाना चाहता हूं। यह स्टेशन करीब 150 वर्ष पुराना है। यहां से करीब 25 किलोमीटर दूर रावतपुरा धाम स्थित है एवं कौंच से 8 किलोमीटर दूर परमहंस बद्री विशाल महाराज का समाधी स्थल है। दोनों तीर्थ स्थलों पर हजारों की संख्या में तीर्थ यात्री दर्शनलाभ हेतु आते हैं तथा इस स्टेशन से लगे मध्य प्रदेश के यात्री यात्रा करते हैं। कौंच स्टेशन से कम्प्यूटरीकृत आरक्षण की व्यवस्था न होने की वजह से यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतः मेरी रेल मंत्री जी से मांग है कि कौंच स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कराने का कष्ट करें।

**(आठ) आपदा राहत कोष और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष से सहायता प्राप्त करने हेतु सामुद्रिक अपरदन को आपदा घोषित किए जाने की आवश्यकता**

*[अनुवाद]*

**डा. के. एस. मनोज** (अलेप्पी) : महोदय, केरल की तटरेखा पर वर्ष भर अत्यधिक सामुद्रिक अपरदन का खतरा मंडराता रहता है जो मानसून महीनों के दौरान बढ़ जाता है। मानसून के दौरान, तटरेखा पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र अलपुझा में ही, लगभग साठ घर पूरी तरह से नष्ट हो गए और लगभग दो सौ घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। केरल की पूरी तटरेखा पर ऐसा ही हो रहा है। प्रत्येक वर्ष ऐसा हो रहा है। राज्य सरकार को प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए प्रति वर्ष बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ती है। लेकिन दुर्भाग्यवश केरल राज्य को इसलिए कोई केन्द्रीय सहायता नहीं मिलती क्योंकि भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सामुद्रिक अपरदन को प्राकृतिक आपदा नहीं माना जाता।

केरल सरकार ने यह मामला केन्द्रीय गृह मंत्रालय के समक्ष रखा है और केरल सरकार को यह सूचित किया गया कि आपदा राहत कोष मानदंड वित्त आयोग निर्धारित करता है।

प्राकृतिक आपदा द्वारा किए गए विनाश को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से सामुद्रिक अपरदन, भूस्खलन और बिजली गिरने जैसी प्राकृतिक आपदाओं को भारत सरकार द्वारा स्थापित प्राकृतिक आपदा मानदंडों के अंतर्गत शामिल करने का आग्रह करता हूं तथा आपदा राहत कोष (सी आर एफ) और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष (एन सी सी एफ) के अंतर्गत इन विपदाओं के शिकार व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

**(नौ) उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की 16 जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किए जाने को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता**

*[हिन्दी]*

**श्री हरिकेवल प्रसाद** (सलेमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के गरीब एवं पिछड़े वर्ग की निषाद, मल्लाह, बिन्द, प्रजापति, राजभर एवं अन्य 16 जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल करने हेतु प्रस्ताव भेजा है जो अभी तक केन्द्र सरकार के यहां लम्बित पड़ा है। इन जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल करने हेतु उत्तर प्रदेश ने इस आशय से किया है ताकि ये अपना सामाजिक एवं आर्थिक विकास तेजी से कर सकें। उपरोक्त वर्गों की आर्थिक दशा अत्यंत दयनीय है। ये जातियां कई कारणों से पिछड़ी हुई है और अन्य जातियों के समक्ष लाने हेतु इन्हें अनुसूचित जातियों में शामिल करना अति आवश्यक है, जिससे ये जातियां आरक्षण का लाभ उठा सकें और अपना आर्थिक विकास कर सकें।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उपरोक्त जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल करने हेतु जो प्रस्ताव भेजा है, उसकी मंजूरी शीघ्र–अतिशीघ्र की जाए।

**(दस) पटना और आरा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता**

**श्री राम कृपाल यादव** (पटना) : महोदय, बिहार में एन.एच 30 बख्तियारपुर से मोहनिया पथ एन.एच.ए.आई. प्रथम चरण में निर्माण होने वाला था। प्रथम चरण में प्रस्तावित सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को दिसम्बर, 2004 में ही पूरा कर लेने की समय सीमा निर्धारित की गई थी। लेकिन एन.एच. 30 में अभी तक बख्तियारपुर से पटना जीरो माइल (बेउर जेल तक और मोहनिया) से आरा जीरो माइल तक ही कार्य हो पाया है। शेष पथांश बेउर मोड़ पटना से आरा जीरो माइल तक पथ का निर्माण कार्य आज तक पूरा नहीं कराया गया। इस कारण से मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता में काफी रोष है। साथ ही साथ इस रोड़ को पूरा हो जाने से पटना, जो बिहार की राजधानी है, उससे सम्पर्क पथ तैयार हो जाएगा। इस पथांश का सर्वेक्षण नक्शा तैयार है एवं मिट्टी जांच कर ली गई है। सोन नदी पर पुल बनाने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है, किन्तु पथ निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया जा रहा है। पूरे देश में अभी दूसरे और तीसरे चरण का कार्य प्रारम्भ है। चौथा चरण शुरू होने वाला है, किन्तु बिहार में प्रथम चरण भी नहीं शुरू हो रहा है।

अतः मैं सदन के माध्यम से माननीय सड़क परिवहन एवं जहाजरानी मंत्री जी का इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि एन.एच. 30 के पथांश पटना से आरा जीरो माइल तक का कार्य अविलम्ब प्रारम्भ करने के लिए एन.एच.ए.आई. को निर्देश देने का कष्ट करें।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री कमला प्रसाद रावत – उपस्थित नहीं।

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक – उपस्थित नहीं।

**(ग्यारह) तमिलनाडु के तेनकासी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बीड़ी कर्मकारों के बच्चों को शैक्षणिक छात्रवृत्ति जारी किए जाने की आवश्यकता**

**श्री एम. अप्पादुरई** (तेनकासी) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र तेनकासी में और इर्द–गिर्द बीड़ी तैयार करना एक महत्वपूर्ण आजीविका गतिविधि है। स्कूल के बाद के समय के दौरान हजारों की संख्या में स्कूली बच्चे इस सामूहिक पारिवारिक पेशे से जुड़ जाते हैं। केन्द्रीय श्रम कल्याण मंत्रालय के उन कल्याण आयुक्त से प्राप्त सिफारिश के आधार पर इन बच्चों को वार्षिक शिक्षा छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। लेकिन 2005–06 में 11,23,70,940/– की कुल छात्रवृत्ति राशि के स्थान पर मात्र 4,13,04,240 रुपए की राशि जारी की गई है। बीड़ी कर्मकारों के ये बच्चे अब 7,10,60,700/– रुपए की राशि न जारी किए जाने के कारण नितान्त गरीबी में रह रहे हैं। इसलिए मैं केन्द्रीय श्रम कल्याण मंत्रालय से तत्काल शिक्षा छात्रवृत्ति जारी करने का अनुरोध करता हूं। अलानगुलम, सुरन्दई में बीड़ी कर्मकारों के लिए बने विशिष्ट औषधालयों में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को भरा जाना भी अनिवार्य है क्योंकि इसके कारण इन मजदूरों और इनके परिवार के सदस्यों को समय पर चिकित्सीय सहायता सरलतापूर्वक प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए, मैं केन्द्रीय मंत्रालय और श्रम कल्याण मंत्रालय से इस संबंध में यथाशीघ्र कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

**(बारह) "प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना" के अंतर्गत बिहार के बगहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता**

*[हिन्दी]*

**श्री कैलाश बैठा** (बगहा) : महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र की कई सड़कों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत चयनित किया गया था। संसदी सदस्य होने के नाते मेरी अनुशंसा को भी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने प्राथमिकता देते हुए सूची में शामिल किया था। लेकिन साल भर से अधिक समय बीतने के बावजूद मात्र एक सड़क का निर्माण हो रहा है। बाकी सभी सड़कों का आज तक निर्माण नहीं हो सका, जिससे सैण्ट्रल निर्माण एजेंसी की विश्वसनीयता भी प्रभावित हो रही है। अविलम्ब इस पर ध्यान दिया जाए, ताकि जनता इस सड़क योजना का लाभ उठा सके।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : डा. के. धनराजू – उपस्थित नहीं।

श्री मुन्शी राम

**(तेरह) उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किए जाने की आवश्यकता**

*[हिन्दी]*

**श्री मुन्शी राम** (बिजनौर) : देश की आजादी के पश्चात् बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर द्वारा देश में समानता से पूरे देशवासियों को आजादी का हक दिलाने हेतु जो जातियां छुआछूत, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से कमजोर थीं, उन्हें समान रूप में लाने के लिए आरक्षण संविधान में (अनुसूचित जातियां) आदेश 1950 के अधीन नियम और आदेश भारत सरकार से कराये, जिसके तहत उ.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां) और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 (उ.प्र. अधिनियम सं. 4 सन् 1994) की धारा 13 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके महामहिम राज्यपाल उ.प्र. द्वारा संशोधन किया गया, जिसमें निम्न जातियों को पिछड़े वर्ग से निकाल कर उ.प्र. की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया गया, जो कि 31.12. 1931 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा निकाले गए श्वेत पत्र में कहार, कश्यप, केवट, मल्हा, निषाद, कुम्हार प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर–राज भर जातियों को दलित जातियों की सूची में रखा गया था, जिन्हें भारत सरकार ने पिछड़ी जातियों में रख दिया। उ.प्र. सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा सर्वेक्षण में पाया गया कि उपरोक्त जातियां छुआछूत निरक्षर, भूमिहीन एवं इनकी वार्षिक आय रुपए 22000 प्रति वर्ष से कम हैं।

इन हालात में मेरी भारत सरकार से मांग है कि उपरोक्त जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, जिससे उपरोक्त जातियां भी उन्नति कर सकें।

*[अनुवाद]*

**श्री अनवर हुसैन** (धुबरी) : महोदय, कृपया मुझे नियम 377 के अंतर्गत मेरे मामले को पढ़ने दें ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : जब मैंने आपका नाम पुकारा था, दुर्भाग्यवश तब आप सभा में उपस्थित नहीं थे। कोई बात नहीं, अब मैं आपको अनुमति प्रदान करता हूं।

**(चौदह) मंडल आयोग के प्रतिवेदन में किए गए उपबंध के अनुसार मुस्लिम समुदाय के अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता**

**श्री अनवर हुसैन** (धुबरी) : महोदय, रोजगार और अन्य क्षेत्रों में भारत की जनसंख्या पद्धति को जानबूझकर प्रदर्शित नहीं किया जाता।

तेरह प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या की तुलना में दो प्रतिशत से भी कम कर्मचारी हैं। मुस्लिमों के लिए सेवाओं के आरक्षण के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता की भावना की पूरी तरह से और जानबूझकर उपेक्षा की गई है।

मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करते हुए मुस्लिमों के कुछ वर्गों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग में होने के नाते सेवाओं में 8.34 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान की सिफारिश की थी। केन्द्रीय और राज्य सरकार की सेवाओं में मंडल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के दिन से मुस्लिमों को 8.34 प्रतिशत का हिस्सा नहीं दिया गया है।

मुस्लिमों के निर्धारित वर्गों की अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अनुसूची आरंभ करने में किसी भी सरकार ने किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की। लगभग सभी राज्यों के पास सूची नहीं है और इसी कारण मुस्लिमों को आरक्षण की सुविधा का दावा करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता।

अतः मैं सरकार से मुस्लिमों के विशिष्ट वर्गों की अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में यथाशीघ्र अनुसूची तैयार करने का अनुरोध करता हूं ताकि रोजगार और अन्य क्षेत्रों में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सके।

**उपाध्यक्ष महोदय :** भविष्य में, मैं जब नियम 377 के अन्तर्गत मामले पढ़ने के लिए सदस्यों के नाम पुकारूंगा, तब मैं सभा में अनुपस्थित माननीय सदस्यों को अनुमति नहीं दूंगा।

---

**अपराह्न 2.29 बजे**

## छावनी विधेयक, 2006 – *जारी*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब हम मद संख्या 5 लेंगे। इस मद के लिए आबंटित समय तीन घंटे का है। पहले ही 42 मिनट बीत चुके हैं। दो घंटे और 18 मिनट शेष हैं। पिछली बार जब सभा स्थगित की गई थी, डा. बाबू राव मिडियम बोल रहे थे। वे पहले ही तीन मिनट बोल चुके हैं। अब मैं उनसे अपना भाषण जारी रखने का आग्रह करूंगा।

**डा. बाबू राव मिडियम** (भद्राचलम) : उपाध्यक्ष महोदय, यह छावनी विधेयक एक विलंबित विधेयक है। यह वर्ष 1924 के पिछले छावनी अधिनियम का स्थान लेगा। मैं कुछ सुझावों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

महोदय जैसा कि उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है, यह चार मुख्य बिन्दुओं पर विचार करता है। पहला है, छावनियों का अधिक लोकतन्त्रीकरण करना; दूसरा है, इसके वित्तीय आधार को बेहतर बनाना; तीसरा है, राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार को छावनियों में विकास के लिए गतिविधियां करने की अनुमति देना; तथा चौथा, इन छावनी कानूनों का भली प्रकार विनियमन, नियंत्रण तथा प्रबंधन करना है।

यह विधेयक, स्वागत योग्य है क्योंकि छावनी तंत्र एक औपनिवेशिक परंपरा है; और हम इसका लोकतन्त्रीकरण करना चाहते हैं तथा सुविधाओं को बढ़ाना तथा बेहतर बनाना चाहते हैं।

छावनियों के लोकतन्त्रीकरण के संबंध में सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि छावनियां चार श्रेणियों में विभाजित थी। मेरा सुझाव पृष्ठ संख्या 7 पर धारा 12 के लिए है। इस विधेयक की चार श्रेणियां हैं। हमारे देश में 62 छावनियां हैं जिसमें से 56 की स्थापना औपनिवेशिक काल में हुई थी और अन्य छह की स्थापना स्वतंत्रता के बाद हुई। लेकिन इसका वर्गीकरण आबादी के आधार पर किया गया है। मेरा सुझाव है कि वर्गीकरण करते समय आबादी के मानदण्ड के अतिरिक्त हमें छावनी की आय और इसके संरचनात्मक विकास हेतु वहां उपलब्ध संसाधनों पर भी विचार करना चाहिए।

चूंकि इस विधेयक में छावनी को मानद नगरपालिका का दर्जा दिए जाने पर भी विचार किया जाएगा, मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ राज्यों में नगरपालिकाएं तीन तरह की हैं, अर्थात्, श्रेणी (क), श्रेणी (ख) तथा श्रेणी (ग)। यह भी आबादी के आंकड़ों पर आधारित है। मैं चाहता हूं कि इस खण्ड को स्पष्ट रूप से पुनः परिभाषित किया जाए, जिसमें इन तीन श्रेणियों का उल्लेख हो। वित्तीय वैधता के कारण इसे मानद नगरपालिका कहा गया है। यदि यह सामाजिक मूलभूत ढांचों जैसे कि पीने का पानी, सफाई, स्वास्थ्य, विद्यालय तथा अन्य चीजें आदि का निर्माण करना चाहता है तो इसे वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी।

मान लें कि एक चौथी श्रेणी है, जहां आबादी 2,500 तथा 10,000 के बीच है। यह बहुत कम आबादी है जिसकी आमदनी बहुत कम होगी। इसलिए, मुझे लगता है कि नगरपालिका की तीन श्रेणियां होनी चाहिएं। पहली श्रेणी एक लाख से अधिक की आबादी के लिए मान्य होनी चाहिए। मेरे राज्य आंध्र प्रदेश में एक बड़ी छावनी है – सिकन्दराबाद छावनी – जिसकी आबादी लगभग दो लाख की है। वहां मतदाताओं की संख्या 1.8 लाख है। इस प्रकार यह स्वपोषण करने और उस क्षेत्र के लिए बुनियादी सुख–सुविधाएं उपलब्ध करा सकने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव है कि श्रेणी (1) एक लाख से अधिक की आबादी के लिए मान्य होनी चाहिए। इससे कम की आबादी के लिए दो श्रेणियां होनी चाहिए।

जहां तक सिकन्दराबाद का संबंध है, सिकन्दराबाद में छावनी बोर्डों का परिसीमन किया गया है। इसी महीने के 6 अगस्त को वहां छावनी बोर्ड के चुनाव थे। सबसे बड़े छावनी बोर्ड में 42 हजार मतदाता हैं और सबसे छोटे में 20 हजार मतदाता हैं। इन सभी विसंगतियों को दूर किया जाए और प्रत्येक वार्ड में मतदाताओं की संख्या समान हो। इससे छावनी बोर्डों का लोकतंत्रीकरण सुदृढ़ होगा।

जहां तक इस बोर्ड की संरचना की बात है, यह उसी पृष्ठ पर धारा 12 के अंतर्गत दिया गया है कि उस विभाग से आठ सदस्य होने चाहिए। कमांड, जो कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ होगा; जिला मजिस्ट्रेट; मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पदेन); स्वास्थ्य अधिकारी; कार्यपालक इंजीनियर तथा तीन मिलिट्री अधिकारी भी उसमें होंगे। उसमें आठ सदस्य होने चाहिए और आठों सदस्य वार्ड से चुने जाने चाहिए। यहां, इस संरचना में, मेरा सुझाव है कि स्थानीय विधालयों और संसद सदस्यों को बोर्ड का सदस्य बनाया जाए।

अब, यह विधेयक प्रस्ताव करता है कि वे बिना मताधिकार के पदेन सदस्य होंगे, लेकिन उन्हें मताधिकार के साथ शामिल किया जा सकता है। लेकिन आजकल चूंकि विधायकों और संसद सदस्यों के पास विकास कार्यों के लिए कुछ धनराशि होती है, उस एम पी एल ए डी धनराशि तथा अन्य संसाधनों को छावनी क्षेत्र में खर्च किया जा सकता है। मैं इस प्रकार के एक प्रावधान को विधेयक में जोड़ना चाहता हूं। सामाजिक संरचना बनाए रखने के लिए, छावनी बोर्ड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला सदस्य होने चाहिए।

मेरा दूसरा सुझाव चुनाव के बारे में है। चुनाव संबंधी मानदण्ड पृष्ठ सं. 13 पर धारा 27 के अंतर्गत दिए गए हैं। वार्डों के विभाजन के संबंध में, मैं पहले ही उद्धृत कर चुका हूं। धारा 30 चुनावों में भ्रष्टाचार के संबंध में है। जहां तक मेरी जानकारी है, छावनियां भी भ्रष्टाचार से बची हुई नहीं हैं। वे नगरपालिकाओं के स्तर की हैं, वहां भ्रष्टाचार है। हाल के चुनावों में भी, इस धारा में दिए गए छहों बिन्दु, अर्थात् रिश्वतखोरी, सिफारिश, धर्म, जाति, नस्ल, समुदाय तथा भाषा के आधार पर प्रत्याशी या उसके एजेंट की अपील, विभिन्न वर्गों के बीच नफरत तथा दुश्मनी को बढ़ावा देने प्रत्याशी के गुणों को प्रकाशित करने तथा वाहनों को किराए पर लेने, को नजरअंदाज किया गया। ये चुनाव किसी राजनैतिक दल के आम चुनावों के स्तर पर लड़े गए। ये चुनाव किसी राजनीति से संबंधित नहीं थे लेकिन इसमें राजनैतिक दलों की दखलअंदाजी रही। चूंकि अधिकतर राज्यों में, नगरपालिका, नगर निगम तथा स्थानीय निकायों के चुनाव किसी दल के बैनर तले लड़े जाते हैं, इसलिए, भले ही इसे मानद नगरपालिका का दर्जा भी मिल रहा हो, यह चुनाव भी छावनी क्षेत्र में उसी तरह क्यों नहीं लड़ा जा सकता? इसलिए, मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे इस पर विचार करें।

गणपूर्ति के संबंध में विधेयक में कहा गया है कि कुल संख्या के आधे को गणपूर्ति माना जाएगा, लेकिन इसकी परिभाषा है कि किसी बैठक को प्रारंभ करने का निर्णय लेने अथवा कोई कार्य संव्यवहार करने के लिए उपस्थित की न्यूनतम आवश्यक संख्या गणपूर्ति कहलाती है। इसलिए, इसे एक-तिहाई होना चाहिए। इसके लिए भी एक-तिहाई गणपूर्ति होनी चाहिए।

बोर्ड की अधिक्रमण के संबंध में, एक ओर, हम छावनी बोर्ड, संगठन में कुछ लोकतंत्रीकरण कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर, धारा 60 में अधिक्रमण का सुझाव दिया गया है, इसमें किसी विशेष अवधि का उल्लेख नहीं है। मैं यहां यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह अवधि एक वर्ष की होनी चाहिए अथवा दो वर्ष की अथवा अगला चुनाव होने तक की होनी चाहिए। अवधि विनिर्दिष्ट की जानी चाहिए।

कराधान के संबंध में, उदाहरण के लिए, सिकंदराबाद में, ऑक्ट्रॉय कर या टर्मिनल कराधान बहुत अधिक है।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7, जो सिकंदराबाद छावनी से होकर गुजरती है, पर चुंगी का संग्रह किया जा रहा है।

मैं आशा करता हूं कि उसे बदला जाएगा। जांच और अन्य निरीक्षण कार्य बहुत भ्रष्ट है। इसलिए छावनी को अपना राजस्व नहीं मिल रहा है। भ्रष्ट कार्यों को रोका जाना चाहिए और चुंगी कर पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।

अंत में, विधेयक में रक्षा भूमि की बात है। मुझे माननीय रक्षा मंत्री से केवल एक प्रश्न पूछना है। इस समय इस विधेयक में कोई प्रावधान नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन छावनियों में राज्य स्तरीय भूमि अधिग्रहण और शहरी भूमि सीलिंग अधिनियम, आदि का अनुपालन होगा या नहीं। मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहूंगा।

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन सिंह** (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस विधेयक को कई वर्षों तक सभी पार्टियों के सदस्यों ने स्टैण्डिंग कमेटी में बहुत बहस के बाद तैयार किया हो और राज्यसभा ने जिसे बहस करने के बाद पास कर दिया हो, उसका विरोध करने का तो प्रश्न ही नहीं है। इतना जरूर है कि स्टैंडिंग कमेटी ने इस सदन के सामने जो अपनी आख्या दी थी, जैसा कि सभी कमेटियों की आख्याओं के सम्बन्ध में होता है, सरकार उसकी बहुत सी संस्तुतियों को अपनी किन्हीं प्रशासकीय मजबूरियों के चलते स्वीकार या अस्वीकार करती रहती है, फिर भी मोटे तौर पर मैं इस विधेयक का स्वागत और समर्थन करता हूं।

यदि हम वर्ष 1757, 1857 को देखें और यदि 1957 में आजादी मिली होती, तो मेरी समझ से मुकम्मल आजादी होती, लेकिन 10 साल

[श्री मोहन सिंह]

पहले भारत के इतिहास में मिसकैरेज हुआ जिससे हमारी पीढ़ी और कौम को कुछ नुकसान हुआ। लेकिन वर्ष 1757 के बाद मिलिटरी का एक स्थायी रूप दुनिया में आया क्योंकि जिन लोगों ने सम्पूर्ण भारत को कब्जा करने की लड़ाई लड़ी, उनके दिल और दिमाग में अपने देश का एक खाका था कि कैसे मिलिटरी की स्थायी रिहाइश हो, उसकी एक डिसीप्लिन्ड फोर्स हो, उसके अपने अलग तौर–तरीके हों जो आम जनता से अलग हों और इसी भावना से कैण्ट की यह थीसिस हमारे देश में उन लोगों ने लागू की। उसके पहले के इतिहास को अगर हम देखें तो पहले जो आक्रमणकारी आए, वे लुटेरों के रूप में आते थे। वे अपने देश में एक तात्कालिक फौज जमा करते थे कि भारत में बहुत सारी दौलत है, तुमको हमारे साथ चलना है और जितनी दौलत लूट सको, लूटकर अपने देश में लाना है। मुगलों को छोड़कर उनके पहले जो भी आक्रमणकारी भारत में आए, वे सभी लूट की मंशा से आए और लूटकर इस देश की दौलत को अपने देश में ले गए। केवल मुगल लोग ही बाहर से आए जिन्होंने भारत में कई वर्षों तक निवास किया और सेना का एक तौर–तरीका आधारशिला के रूप में कायम किया। इस देश में भी उनसे पहले जो लड़ाइयां हुईं, यदि उनकी मिलिटरी का ध्यान से अध्ययन करें तो केवल दोनों वक्त खाना खिलाने के नाम पर, जो गांव के बहादुर लोग होते थे, उनको जाति और कौम के नाम पर तात्कालिक तौर पर सेना में भर्ती कर लिया जाता था। किसी मैदान में दिन भर लड़ाई होती थी, फिर दोनों ओर के लोग अलग–अलग हो जाते थे, खाना पकाते थे खाते थे। खाना खिलाने का प्रलोभन था जिससे लोग सेना में भर्ती होते थे, लेकिन अंग्रजों ने सेना की इस विचारधारा मे परिवर्तन किया और यह स्थापित किया कि एक सुनिश्चित, अनुशासित, प्रशिक्षित सेना हो और उसकी लाइवलीहुड के लिए, सुन्दर जीवन के लिए शासन की ओर से कुछ दिया जाना चाहिए। इस तरह का एक मिलिटरी का कांसेप्ट उन्होंने हमारे देश में दिया। इसलिए ज्यों–ज्यों भारत में उनके साम्राज्य का विस्तार होता गया, त्यों–त्यों कैण्ट बढ़ते गए और चलते गए। वर्ष 1985 का संघर्ष, जिसे हम भारत का प्रथम स्वाधीनता युद्ध, आजादी की पहली लड़ाई कहते हैं, वह बहुत कुछ मिलिटरी पर भी कायम था। जो हमारे कैंट थे, वहां से भी इसका ज्वालामुखी फूटा था। हमारे देश का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास यह बताता है कि जिन लोगों ने ब्रिटेन में पढ़ाई की और आधुनिक भारत की शिक्षा–दीक्षा ली, उन्हीं लोगों ने लोकतंत्र के संग्राम का नेतृत्व वहां से पढ़कर यहां भारत में आकर किया। इसी तरह से जो लोग अनुशासित ढंग से मिलिटरी में एक अनुशासित सिपाही की तरह अंग्रेजी हुकूमत को देश में मजबूत करने के लिए काम कर रहे थे, उन्हीं के भीतर हिन्दुस्तान की आजादी का स्वप्न पैदा हुआ और कई मिलिटरी कैंट में वह ज्वालामुखी 1857 में बाहर फूटा था। इस तरह से हमारे देश के कई कैंट इससे अछूते नहीं रहे।

भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद हमारे देश में गांव बसे, जहां मूर्तिकार रहते थे, कारीगर रहते थे, भवन निर्माण करने वाले रहते थे, गांव में सफाई करने वाले सफाई मजदूर रहते थे। उसी तरह से जो मिलिटरी के रिहाइशी इलाके बने, उनको भी गांव की तरह बसाने का इंतजाम हुआ कि इस मिलिटरी के साथ–साथ वहां कपड़ा सीने वाले होने चाहिए, लोगों के घर बनाने वाले होने चाहिए और वहां आम लोगों के साथ मिलिटरी की रिहाइश भी होनी चाहिए। इसलिए उन्हें मिलिटरी कैंट की जमीन रहने के लिए दी गई। फिर क्या हुआ कि यदि ये नागरिक हैं, सैनिक नहीं हैं, तो इन्हें नागरिक सुविधाएं भी देनी चाहिए। वे सुविधाएं देने के लिए यह मिलिटरी कैंटोनमेंट बोर्ड का गठन हुआ। थोड़े–बहुत उसके चुनाव भी होने लगे। वे चुनाव उसी तरह से होते थे जैसे ग्राम सभा या नगरपालिका के होते थे।

हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में कमी छोड़ दी। गांधी जी और राजेन्द्र प्रसाद जी की इच्छा थी कि भारत के संविधान में ग्राम विकास से ग्राम स्वराज्य को मूल माना जाए, लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया– इस कारण कि आशंका थी कि अगर गांव को पूरे तौर पर अधिकार दे दिए गए, तो हमारे देश के परम्परागत अनुशासित अनुसूचित जाति के लोगों पर ऊंची जाति वाले हमला कर सकते हैं और फिर उनकी रक्षा नहीं हो पाएगी। इस तर्क के आधार पर संविधान निर्माण करते समय स्थानीय निकायों और पंचायतीराज को संविधान में वह दर्जा नहीं मिला, जो हमारी विधान सभाओं और संसद को मिला है। लेकिन दसवीं लोक सभा ने उस इतिहास को खत्म किया और सभी नगरपालिकाओं को, सभी ग्राम सभाओं को एक संवैधानिक दर्जा संविधान में परिवर्तन करके दिया। एक विचार पैदा हुआ कि यदि उन्हें दर्जा मिल गया है तो मिलिटरी कैंट को क्यों नहीं यह अधिकार मिलना चाहिए। इसी मंशा से इस संशोधन को मिलिटरी के कैंटोनमेंट में लोकतंत्रीकरण का कांसेप्ट लेकर यह विधेयक हमारे सामने सदन में आया है। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, लेकिन इसमें और परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

जब 1937 के चुनाव देश में हुए तो हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने उसका बहिष्कार करने की बात कही। वह इसलिए कही, क्योंकि जो 1935 का एक्ट भारत में आया, उसमें भारत की विधान सभा जो भी कानून पास कर दे, लार्ड गवर्नर उसे चाहे तो अवररूल कर सकते हैं–कांग्रेस का नेतृत्व उसे मानने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे ही कैंटोनमेंट बोर्ड में यदि कोई प्रस्ताव पास कर दे और मिलिटरी का अधिकारी जो हैड पर बैठा हुआ है, वह चाहे तो उसे ओवररूल कर सकता है, मैं समझता हूं यह खयाल और विचार लोकतंत्र की बुनियाद के विपरीत है। इसलिए इसे पूर्ण रूप से लोकतंत्रीय होना चाहिए। इसी के साथ हम दूसरा सुझाव देना चाहते हैं कि मिलिटरी की भूमि का पूरा

डीमार्केशन अभी से होना चाहिए। मेरा अपना खुद का विचार है कि सेना के पास जितनी जमीन है, उसका 40 फीसदी नाजायज कब्जे में है। भारत की मिलिटरी और भारत की सरकार इस बात की पैमाइश करे, छः महीने के अंदर करे, कि किस कैंटोनमेंट के पास कितनी जमीन है और उस जमीन को नए सिरे से जैसे गांव में होता था, पत्थर गाड़ देते थे, यह सुनिश्चित कर दें कि यह कैंट की जमीन है, यह मिलटिरी की जमीन है। इस तरह से उसका डीमार्केशन हो जाएगा।

मैं लखऊ शहर के बारे में जानता हूं, वहां अर्से से सघर्ष चल रहा है। महापालिका ने कुछ जमीन को बेच दिया, लोगों ने घर बना लिए, डवलपमेंट अथोरिटी ने उसमें आवास बनाकर आबंटित कर दिया। जब आबंटन हो गया तो कुछ वर्षो के बाद मिलिटरी पहुंची और कहा कि यह जमीन हमारी है। अब संघर्ष चल रहा है। कभी मिलिटरी खड़ी हो जाती है अपनी जमीन बचाने के लिए और कभी पीएसी खड़ी हो जाती है अपने दिए हुए रिहाइशी लोगों को आबाद कराने के लिए। दोनों तरफ से झगड़ा होने तक की नौबत आ जाती है। इसलिए पहले मिलिट्री की जमीन का डिमार्केशन होना चाहिए। दूसरे स्तर पर मिलिट्री द्वारा दी गयी जमीन, जिसपर आम नागरिक रहते हैं, उनके लिए नागरिक सुविधाएं मिलनी चाहिए। मिलिट्री का बजट आज 80-85 हजार करोड़ रुपए का है, लेकिन आज जब हम कैंट एरिया का निरीक्षण करते हैं तो पता लगता है कि वहां आलीशान भवन बन रहे हैं, भवन बनाने पर सेना ने ज्यादा जोर दिया है। जो पैसा आप सेना के भवन बनाने में, उनके मल्टी-परपज हॉल बनाने में, खूबसूरत सिनेमा-हॉल बनाने में, अस्पताल बनाने में खर्च कर रहे हैं, ठीक है, वे भी बनने चाहिए लेकिन साथ-साथ कैंट के निवासियों की सुख-सुविधाओं पर भी उसका एक हिस्सा खर्च होना चाहिए। मिलिट्री की आप खुफिया जांच करा लीजिए कि मिलिट्री कैंटीन का सामान बाहर आकर प्राइवेट लोगों की दुकानों पर बिकता है या नहीं। मैं इसको आरोप के तौर पर नहीं कहता हूं लेकिन जांच कराइये कि ऐसा क्यों होता है? अगर हम मिलिट्री से जुड़े हुए दूसरे लोगों के रिहायशी इलाकों को उनसे अलग करें, तो यह काम रोका जा सकता है। मिलिट्री अपने पैसे से कंटोनमेंट के जो रिहायशी इलाके हैं उनमें कुछ मॉल बनाकर, जो रिकॉगनाइज सेलर्स हैं उनको दुकानें आबंटित करे और जो मिलिट्री का काल बेचते पकड़ा जाए, उनको सजा के साथ-साथ उनकी दुकानों को खारिज किया जाए। इस काम को आप कर सकते हैं।

माननीय मंत्री जी को मैं एक सुझाव देना चाहता हूं जो हमारे सूबे से ताल्लुक रखता है। इलाहाबाद में जो अर्धकुम्भ का मेला लगता है उसमें करोड़ों लोग जाते हैं। मिलिट्री के घेरे में जो वहां का किला है और उसमें जो बहुत पुरान वट-वृक्ष है, ऐसी मान्यता है कि जो भी संगम में स्नान करने जाए और उस वट-वृक्ष के दर्शन उसे न हों तो उसको संगम में स्नान का पुण्य नहीं मिलता। कुछ साल पहले, उत्तर प्रदेश सरकार से बात करके, उस समय के रक्षा मंत्री ने, जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक रास्ता खुलवाया था जिससे तीर्थ-यात्रियों को वट-वृक्ष तक आने-जाने में सुविधा हो गयी थी, लेकिन मिलिट्री ने उस रास्ते को बंद कर दिया है और साधु-संतों के लिए, वह रास्ता आज झगड़े की स्थिति में है। वट-वृक्ष के दर्शन का जो रास्ता है आपको उसे खुलवाने का प्रयास करना चाहिए।

आज इलाहाबाद में कैंट का जो एरिया है वहां पर 100 साल पहले, बहुत सारे बड़े लोगों ने 9-10 रुपए में लीज पर कुछ जमीन आबंटित करा ली। वह लीज अगर आज के रेट से की जाए तो 10-12 हजार रुपए टैक्स का आयेगा जो वे नहीं देते हैं। आज छोटे-छोटे लोग भी मिलिट्री एरिया में घर बना लेते हैं लेकिन आर्मी के लोग उनके घरों को गिरा देते हैं। आपने कैंट एरिया में बड़े लोगों को आलीशान भवन बनाने के लिए, नॉमिनल रैंट पर जमीन दी है उसका पुनर्निर्धारण और पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मिलिट्री एरिया और नागरिक एरिया का सही-सही डिमार्केशन करके, इस काम को हम ठीक ढंग से कर सकते हैं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक सही प्रयास किया है और इसमें जो थोड़े-बहुत और संशोधन की आवश्यकता है, हम बैठकर एक और संशोधन के जरिये इसे ठीक कर सकते हैं। इन्हीं सुझावों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

**श्री आलोक कुमार मेहता** (समस्तीपुर) : महोदय, आपने मुझे कैंटोनमेंट बिल 2006 पर बोलने को अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है और इस लोकतांत्रिक देश में कैंटोनमेंट एरिया और उसके आस-पास रहने वाले या इस एरिया के दायरे में रहने वाले सिविलियंस हैं, उनके लिए रिलेक्सेशन वाला बिल है। मैं इस कदम के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस बारे में एक पहल करते हुए वे अमेंडमेंट बिल लाए हैं। मैं आंकड़े सहित बताना चाहता हूं कि पूरे देश में 62 कैंटोनमेंट एरियाज़ हैं और लगभग 600 मिलिट्री स्टेशंस हैं। मेरा मानना है कि जिस तरह का प्रावधान कैंटोनमेंट एरिया में किया जा रहा है, उसी तरह का प्रावधान मिलिट्री स्टेशंस में भी करना चाहिए। यह विधेयक इन स्टेशंस को बिलकुल कवर नहीं करता है। मेरी राय है कि मिलिट्री स्टेशंस को भी इसके दायरे में लाने की जरूरत है, इस पर विचार किया जाना चाहिए।

इस विधेयक को लाने की बुनियादी सोच है कि वहां के शासन, प्रशासन को डेमोक्रेटाइज किया जाए। इसमें सिविलियंस ब्यूरोक्रेट्स को इम्पावर किया जा रहा है और जो मिलिट्री के पदाधिकारी हैं, उनकी पावर कम की गई है। डेमोक्रेसी में चुन कर आने वाले व्यक्ति को सबसे ऊंचा दर्जा संविधान ने देने का काम किया है। मैं माननीय मंत्री जी के

[श्री आलोक कुमार मेहता]
उस वक्तव्य का सम्मान करता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि जिन मिलिट्री वालों के लिए वह एरिया है उनको वहां पूरी सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन वहां जो रहने वाले सिविलियंस हैं, जो मिलिट्री डिसिप्लिन में रहने में शायद बिलकुल आराम मजसूस नहीं करते, तो उस एरिया में उनके हिसाब से भी जो प्रशासन है या विकास के काम हैं, उनकी सुविधाएं सिविलियंस के लिए होनी चाहिए, इस बात की मैं वकालत करता हूं। मैं चाहता हूं कि इस बारे में गंभीरता से विचार किया जाए, ताकि मुख्यधारा से कटने जैसा कोई काम न हो। अभी देश में बहुत-सी महत्वपूर्ण योजनाएं यूपीए सरकार द्वारा चलाई जा रही है। उन योजनाओं की विकास की किरणें उन लोगों तक पहुंचे, इसका प्रावधान भी उसी डेमोक्रेटिक सिस्टम के माध्यम से हो। आप यदि सब कुछ चीफ एक्जीक्यूटिव पर छोड़ देंगे, तो वे चाहे जो भी हों, चाहे मिलिट्री के हों या सिविलियंस हों, उनके सोचने को तरीका एक ही तरह का होगा। अगर अलग-अलग भी हो तो भी शायद वहां की लोकल पब्लिक के फ्रेंडली नहीं हो सकता। इसलिए मैं यह बताना चाहता हूं कि इस मामले में थोड़ी तब्दीली करने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि इस पर विचार करते हुए इसे कंसीडर किया जाए।

क्लाज 24-26 उसी ओर इशारा कर रही हैं कि जो स्टैंडिंग कमेटी है, उसमें भी आपने चीफ एक्जीक्यूटिव को इम्पावर किया है। इन सारी चीजों पर ध्यान देते हुए मेरा कहना है कि जो इलेक्टिड बॉडी है, जो चुने हुए व्यक्ति होंगे, उनकी बातों का डोमिनेंस उस कमेटी में अवश्य होना चाहिए। इस बात की हम वकालत करते हैं। कुछ असुविधाओं की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। पटना के आस-पास दानापुर कैंटोनमेंट एरिया है। वहां पर साथ ही मुख्य सड़क है। आपको चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो, आपको उस सड़क पर 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चलानी है। आप उस एरिया के सिविलियन भी हैं, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं।

**अपराह्न 3.00 बजे**

यदि स्पीड बढ़ा दी तो ड्राइवर और उसके साथ बैठे लोगों के हाथ और कान पकड़ कर उठने-बैठने की सजा दी जाती है। इस तरह उन्हें ह्यूमिलेट करने की कोशिश की जाती है। इन प्रशासनिक बातों को कमेटी में कंसिडरेशन के लिए रखना चाहिए। यदि उसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होंगे तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार काम नहीं चल सकता है और बहुत ज्यादा सैंसटिविटी नहीं आ सकती है। मैंने इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा लेकिन जो कुछ भी कहा उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका न केवल डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए बल्कि उसके जो तरीके देश में रहे हैं, उस कानवैंशन का पालन करना चाहिए। ऑफिसरों का डोमेन्स निश्चित रूप से चुने हुए व्यक्तियों से कम होना चाहिए और उनको एग्जीक्यूटिव की तरह काम करना चाहिए।

इन्हीं बातों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और मैंने जो बातें कही हैं, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उस पर गम्भीरता से विचार करते हुए, इस बिल में कुछ संशोधन करें। इसके साथ मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री भर्तृहरि महताब** (कटक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं छावनी विधेयक, 2006 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय रक्षा मंत्री, सभा के नेता, देश में छावनियों से भलीभांति अवगत हैं। हिन्दी में हम उन्हें "छावनी" कहते हैं, माननीय रक्षा मंत्री पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और मैं उड़ीसा का रहने वाला हूं जहां वैवाहिक नाच होता है जिसे "छऊ" कहते हैं, जिसका आविर्भाव 'छावनी' शब्द से हुआ है, इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि भारत में अंग्रेजों के आने से पूर्व छावनियां मौजूद नहीं थीं, लेकिन, छावनी, जैसा आज चर्चा हो रही है, मुख्य रूप से अंग्रेजों द्वारा गठित हैं जहां सेना और नागरिक एक साथ रहते हैं, नगर जीवन की आपा-धापी से दूर, जैसा कि पहले कहा गया है, देश के 16 राज्यों में 62 छावनियां हैं, छावनी बोर्ड स्वायत्त निकाय हैं जो छावनी अधिनियम, 1924 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार में रक्षा मंत्रालय के सम्पूर्ण नियंत्रण में काम करता हैं, चर्चा शुरू करते समय, माननीय मंत्री ने कहा था कि यह पुराना अधिनियम है और हममें से किसी का भी जन्म 1924 के पूर्व का नहीं है, संक्षेप में, यह पुराना अधिनियम है। इस अधिनियम में पहले ही 24 बार संशोधन किए गए हैं, फिर भी 115 पृष्ठों वाला यह विधेयक बहुत भारी है।

इस विधेयक को तैयार करने के पीछे मूल विचार, जैसा कि बताया गया, नागरिकों और टुकड़ियों के बीच दूरी रखने के लिए एक बफर प्रदान करना था। दूसरी बात सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए निकट में ही सिवीलियनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। तीसरी बात, छावनी क्षेत्रों में सिवीलियन आबादी के लिए न्यूनतम नागरिक सुविधाएं सुनिश्चित करना था। ये ही तीन मुख्य बिन्दु थे जिनकी आवश्यकता छावनी क्षेत्र में जहां सैन्य स्थापना है, थी।

मौजूदा अधिनियम छावनी के प्रशासन से जुड़ी आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। इसमें विकासात्मक प्रबोधन का अभाव है। समय के साथ-साथ, जैसा कि मैंने कहा, अधिनियम के कई प्रावधानों की उपयोगिता समाप्त हो गई है। इस नये विधान को 74 वें संशोधन के संदर्भ में मौजूदा अधिनियम को पुनः अधिनियमित करने तथा छावनी में बेहतर शहरी प्रबंधन प्रदान करने के मद्देनजर लाया गया है। इस विधेयक में मुख्य रूप से तीन बातें हैं:- इस

विधेयक में चयनित सदस्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। दूसरी बात,वित्तीय प्रशासन को सुचारु बनाने के लिए प्रावधानों को शामिल किया गया है, और तीसरी बात, छावनी में केन्द्र द्वारा प्रोयोजित विकास योजनाओं के विस्तार को समाहित किया गया है। चौथा भाग, निश्चित रूप से, भूस्वामित्व संबंधी स्थायी समिति के सुझाव के बाद हटा दिया गया है जिसका उल्लेख पहले माननीय सदस्य ने भी किया था।

मुझे सात बातें कहनी हैं, पहला, विधेयक का मुख्य उद्देश्य छावनी बोर्ड का बेहतर लोकतांत्रिकरण, जिसका पहले ही उल्लेख किया गया है। खंड 47 में अधिकार का उल्लेख है जिसे समिति को दिया गया है। यहां तक कि समिति द्वारा विशेष रूप से सिवील क्षेत्रों के लिए, लिए गए निर्णयों पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है और इसके अस्तित्व को निष्फल करने हेतु अनिश्चित काल तक रोका जा सकता है। छावनी के मनोनीत सदस्य, जो उस निर्णय से प्रच्छन्न हो सकते हैं, पुरे बोर्ड के निर्णय को भी निरस्त कर सकते हैं। यह बात खंड 56 में है। ये प्रावधान सम्राज्यवादी मानसिकता का प्रावधान हैं। यदि आप इसका लोकतांत्रीकरण कर रहे हैं, तो आपने इन खंडों को क्यों रखा? ये प्रावधान किसी भी तरह से छावनी बोर्डों के लोकतांत्रीकरण में मदद नहीं करते हैं।

जैसा कि छावनी 16 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फैले हैं, विभिन्न राज्यों में विभिन्न नगरपालिका कानून प्रचलित हैं। निकटवर्ती नगर निकायों के साथ उचित समन्वय प्रणाली की आवश्यकता है।

अब मैं खंड 13 से संबंधित दूसरे बिन्दु पर आता हूं। मैं विधेयक के खंड 13 के प्रति इस सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। युद्ध के मामले में विशेष परिस्थितियों में बोर्ड के संविधान के इतर इस विधेयक के अंतर्गत व्यापक अधिकार दिए गए हैं, कई उदाहरण दिए गए हैं, मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि विशेष परिस्थितियों को वर्गीकृत नहीं किया गया है और न ही कोई समय सीमा निर्धारित है जिसके भीतर भिन्न बोर्डों को पूनः बहाल किया जाए अथवा नये चुनाव होने चाहिए। आज, स्थिति क्या है? 61 छावनियां बिना निर्वाचित सदस्यों के ही अपना काम कर रही हैं। इन प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता है और अधिकतम समय सीमा, कम से कम छः माह निर्धारित हो जिसके भीतर बोर्ड को पुनः बहाल किया जाए अथवा नए चुनाव होने चाहिए।

अब मैं खंड 13 से संबंधित अपने तीसरी बात पर आता हूं। यह खंड भारत सरकार, केन्द्र सरकार को निर्वाचन विनियमित करने के लिए प्राधिकृत करता है, लेकिन किसी प्राधिकरण का उल्लेख नहीं है।

विभिन्न छावनी बोर्डों के चुनाव जब होने वाले उन्हें करवाने की प्रक्रिया को कौन आरंभ करेगा? यह उचित होगा कि रक्षा मंत्रालय अपने किसी एक अधिकारी को निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामोद्दिष्ट करे, जो चुनाव प्रक्रिया आरंभ करे और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से चुनाव करवाने का पर्यवेक्षण करे।

विधेयक के खण्ड 52, 53 और 77 तथा पांचवीं अनुसूची के क्रम संख्या 5, 6 और 7 में बड़ी संख्या में प्राधिकारियों का उल्लेख है। इससे भ्रम उत्पन्न होगा, क्योंकि सरकार ने इस की जांच नहीं की है; मेरा यह मत है। उनमें उल्लिखित प्राधिकारी के क्षेत्र विभिन्न प्राधिकारियों की भूमिका परिभाषित किये जाने की आवश्यकता है। उसमें कमांडर–इन–चीफ से लेकर नीचे तक बड़ी संख्या में प्राधिकारियों का उल्लेख कियां गया है। और इससे भ्रम उत्पन्न होगा। यदि हम इसे परिभाषित कर दें तो बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को भी व्यापक शक्तियाँ दी गई है और विधेयक के अनेक खण्डों में निर्णय के विरुद्ध अपील करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। बोर्ड के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने केलिए एक अपीलीय प्राधिकारण की आवश्यकता है, सिविल एरिया कमेटी या बोर्ड का कोई भी पदाधिकारी यथा सीईओ कार्यपालक अधिकारी। मैं यह महसूस करता हूं कि सीईओ को बोर्ड का मात्र सचिव होना चाहिए तथा उसे बोर्ड के लिए तथा बोर्ड ओर से कार्य करना चाहिए। इस बात का उल्लेख एक माननीय सदस्य द्वारा पहले यहां किया गया है।

केन्द्र सरकार को अपीलीय प्राधिकरण बनाना चाहिए और यह समुचित रूप से शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा सकता है। यह पाया गया है कि विभिन्न छावनियों में असैनिक तथा सैनिक जनसंख्या अनुपात वर्तमान में यह बात बहुत रोचक है कि 80:20 है, भूमि उपयोग 20:80 के अनुपात में है। इस प्रकार असैनिक जनसंख्या को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ–सफाई, आदि से वंचित किया जा रहा है। विभिन्न छावनियों में असैनिक क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता है।

अंत में, मैं इसके वित्तीय भाग को लेता हूं। छावनी बोर्डों के संसाधन समिति हैं, क्योंकि छावनी में ज्यादातर संपत्ति सरकारी है, जिस पर कोई कर नहीं वसूला जा सकता है। मैं यह जानकारी एकत्र कर सकता हूं कि केन्द्र सरकार ने वर्ष 1999–2000 में सहायता अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की थी, जो मात्र 22 करोड़ रुपए की थी। नवीनतम स्थिति क्या है? मेरा आग्रह है कि स्वास्थ्य, साफ–सफाई, प्राथमिक शिक्षा तथा गलियों में रोशनी आदि के लिए और अधिक धनराशि दी जानी चाहिए।

अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में किले तथा महल सेनाओं अथवा सशस्त्र बल के पास हैं। ढांचे के रोजमर्रा के रख–रखाव के अलावा इन

[श्री भर्तृहरि महताब]

ऐतिहासिक स्थलों को पेशेवर सेना और अधिक आकर्षक और सुन्दर बना देती है। लंदन के बकिंघम पैलेस में ब्रिग्रेड ऑफ गार्ड्स हैं। टॉवर ऑफ लंदन में योमैन ऑफ गार्ड्स है, जो पेंशनभोगी सैनिकों का एक यूनिट है। संयुक्त राज्य अमरीका सेना की सभी प्रमुख छावनियों के पहले 'फोर्ट' शब्द लगता है। झांसी फोर्ट को खाली करवा लिया गया है। सन् 1891 से कांगला फोर्ट जो सन् 1891 से असम राइफल्स के पास था, को मणिपुर राज्य सरकार को सौंप दिया गया है। मेरा सुझाव यह है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थायी उपस्थिति के साथ सेना को ऐतिहासिक किलों में रखा जाए। यदि इन चित्ताकर्षक इमारतों का हमारे समृद्ध इतिहास के प्रमाण के तौर पर रख-रखाव करना है तो यह न केवल उपयुक्त बल्कि आवश्यक भी होगा।

**श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु** (राजापुर) : छावनी विधेयक जिसके अंतर्गत इस सदन में चर्चा हो रही है, एक व्यापक विधान है, जो देश के विभिन्न भागों में स्थित विभिन्न छावनी की संपत्तियों तथा क्षेत्रों के बारे में है।

जब कभी भी किसी असैनिक क्षेत्र से कोई छावनी क्षेत्र में जाता है तो वह उसमें फर्क देखकर हमेशा चौंक उठता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह किसी और देश में हो। उस क्षेत्र में पूरा वातावरण इतना अलग-सा होता है कि वह हमें उपेक्षित क्षेत्रों की याद दिलाता है और कभी-कभी हमें आश्चर्य होता है कि इसी देश में इस प्रकार के कुछ द्वीपों क्यों हैं और अन्य क्षेत्र दुर्भाग्यवश सभी कि किसी ऐसी समस्याओं से ग्रस्त हैं जो नागरिक तथा नागरिक जीवन से जुड़ी हैं।

इसलिए जहां यह बात महत्वपूर्ण है कि हम देश के सभी संस्थानों का लोकतंत्रीकरण करें वहीं इसके साथ ही हमें यह सोचना तथा आत्मचिंतन करना ही चाहिए कि क्या लोकतंत्रीकरण तथा लोकतंत्र की ताकतें, जो पूरे देश में फैली हुई हैं, ने वह प्राप्त कर पाई हैं, जो वास्तव में उनका लक्ष्य था, अर्थात जन-जीवन, आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाना। हमें यह देखना चाहिए कि हवा की गुणवत्ता, जल की सामान्य गुणवत्ता आस-पास की हवा की गुणवत्ता बेहतर हुई है अथवा नहीं। आम आदमी का जीवन बेहतर हुआ है अथवा नहीं, इत्यादि। जब हम वहां जाते हैं, तो हमें पूर्णतया बिल्कुल अलग परिवर्तन दिखाई देता है।

इसलिए, मैं वास्तव में ही विधेयक का समर्थन करना चाहता हूं और साथ ही, देश की 1.1 बिलियन जनता के प्रतिनिधियों को यह पता लगाने के लिए वास्तव में ही आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या गलती हुई है। परसों हमने भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया। हमें वास्तव में आश्चर्य होना चाहिए कि क्या इन 60 वर्षों में हम वह प्राप्त करने में सफल हुए हैं, जिसका कि हमने प्रयत्न करना भी था। इसलिए, हम छावनी विधेयक का समर्थन करते हैं। यहां बैठे प्रत्येक व्यक्ति का जन्म लोकतंत्र में हुआ है। हमें जनता द्वारा निर्वाचित किया गया है। यह लोक सभा है। लोकतांत्रिक ताकतों का समर्थन किया जाना चाहिए। ऐसा करते समय, मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करें तथा यह सुनिश्चित करें कि यह विधेयक पास हो जाए।

छावनी जैसे इलाकों में विभिन्न द्वीप होते हैं। इन क्षेत्रों में कुछ अनूठी अवसंरचनाएं होती हैं। वे इतनी अलग होती हैं कि यदि कुछ समय बाद आप इन अवसंरचनाओं को गिरा दें तो शायद पूरी मानवता कुछ खो देगी। यह न केवल भारतीय संस्कृति ही है जिसे कि वहां दिखाया गया है। सच कहा जाए तो यह पूरी मानवता की संस्कृति है, जो इस ग्रह पर इतने वर्षों से रह रही है। उस संस्कृति को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। आखिरकार लोकतंत्र संख्याओं का शासन है। यदि अधिक संख्या में लोग अवसंरचनाओं को गिराने को कहते हैं, तो मैं सोचता हूं कि हम वैसा नहीं कर पाएंगे। हमें इस विधेयक में यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय करने चाहिएं कि ऐसे स्मारकों, पुरातत्वीय इमारतों, अवसंरचनाओं का समुचित संरक्षण और रखरखाव करना चाहिए और उन्हें लम्बे अरसे तक बनाए रखना चाहिए।

मैं यह अवश्य स्वीकार करता हूं कि मैंने विधेयक को सही प्रकार से नहीं पढ़ा है। मुझे विधेयक पर एक नज़र डालनी चाहिए। मैं विधेयक को पढ़ रहा था और मैंने पाया कि इसमें एक उपबंध है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि गैरकानूनी अवसंरचनाओं को बनने नहीं दिया जाएगा। इस समय, भारत की राष्ट्रीय राजधानी में हम एक ऐसे मुद्दे से जूझ रहे हैं, जिसके बारे में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि गैरकानूनी अवसंरचनाओं को खडे रहने न दिया जाए।

मुझे लगता है कि जब हम इस व्यापक विधान पर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि उस क्षेत्र के सभी संरचनाओं की गणना करवाएं और वहां चल रही किसी गैरकानूनी गतिविधि की पहचान अभी करें और यह सुनिश्चित करें कि जब हम स्थानीय निकायों को इन संरचनाओं के रख-रखाव के लिए सौंपे तो वे इनके साथ छेड़-छाड़ करके यह न कह सकें कि इसका अस्तित्व तो 50 वर्ष से भी पहले का है। जैसा कि हमने अभी देखा है कि कुछ ढांचों को नहीं गिराया जा सकता है क्योंकि भारत में आप कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं और कह सकते हैं कि यह सौ साल से भी पुरानी इमारत है। इसलिए, हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि ऐसी गणना की जाए और सभी गैरकानूनी गतिविधियों का एक साथ अंत हो जाए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो शायद कुछ समय बाद हम देखेंगे कि कुकुरमुत्तों की तरह बहुत सारी गतिविधियां शुरू हो जाएगी। जब इन निकायों का

नियंत्रण हम स्थानीय स्व-सरकार को सौंपते हैं, तो उनके पास रजिस्टर के रूप में सूची होगी, जिसकी जांच एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी को करनी चाहिए जिसमें यह उल्लेख होगा कि उस क्षेत्र में कोई गैरकानूनी ढांचा नहीं है।

मेरी सहकर्मी, श्रीमती मेनका गांधी ने एक संशोधन जारी किया है, जिसका मैं समर्थन करने का प्रयत्न करूंगा क्योंकि वास्तव में यह संशोधन उस कानून की आत्मा है जिसे सरकार पुरःस्थापन करने का प्रयत्न कर रही है। इसमें विस्तार से यही कहा गया है कि क्या करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, खंड 240 में यह उल्लेख है कि इमारतों का रख-रखाव ठीक प्रकार से हो रहा है। यदि आप यह सुनिश्चित करते हैं कि यह विशेष संशोधन, जैसा कि प्रस्तावित है, किया जाए, तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आप इसे आगे ले जा सकेंगे।

हमारे पास पहले ही एक नई वन नीति है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, श्री कृपाल ने सरकार को प्रतिवेदन सौंपा है जिसमें कहा गया है कि भूमि क्षेत्र का 33 प्रतिशत वन से ढंका हुआ होना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि हमें शहरी वन की आवश्यकता है। इस दुनिया में तथा विश्व में ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहां बहुत सारे शहरी वन हैं। पिछले दो वर्षों में हैदराबाद ने भी एक नए वन का सृजन किया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह आग्रह करूंगा कि इन दोनों छावनी क्षेत्रों में, हरित क्षेत्र के लिए, वन के लिए भूमि का कम से कम एक-तिहाई भाग चिन्हित हो ताकि वह क्षेत्र हमेशा के लिए अछूता रहे और न केवल छावनी क्षेत्र के लिए बल्कि नजदीक की नगरपालिका और नजदीक के क्षेत्रों के लिए भी जहां लोग रह रहे हैं, के लिए फेफड़े का काम करे। मैं मंत्री महोदय से इस पर ध्यान देने का आग्रह करूंगा।

मैं मंत्री महोदय से एक और मुद्दे पर विचार करने का आग्रह करूंगा। हम पेयजल की गुणवत्ता बनाये रखने के बारे में सोच रहे हैं। हम इसका मापदंड तय करने की सोच रहे हैं। इस सदन में यह मुद्दा स्वेच्छा से उठाया गया था और यह कहा गया था कि पेयजल का मापदण्ड स्पष्ट होना चाहिए। पूरे देश में हम यह करने में सफल नहीं हुए क्योंकि यह एक विशालकाय कार्य है। इसका कभी कोई मापदण्ड नहीं रहा और इसलिए यह मुश्किल हो जाता है कि मापदण्ड स्थापित किया जाए और पूरे देश में तुरंत उसका प्रयोग होना आरंभ हो जाए।

इसलिए मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि पेयजल के इस प्रकार के मापदण्डों, कम से कम उन नागरिकों के लिए जो छावनी क्षेत्रों में रहते हैं, को पुरःस्थापित करने के बारे में सोचें। उसके बाद उस क्षेत्र के वन, जल, वैध संरचनाएं तथा स्मारकों एक आदर्श द्वीप का हिस्सा होंगे। शायद बाकी देश इससे प्रेरणा लेंगे और कहेंगे कि हमें भी इन द्वीपों का अनुसरण करना है और यह द्वीप मुख्य भूमि का हिस्सा बन जाएगा। तब भारत में रहने के लिए एक बेहतर स्थान होगा।

**श्री प्रबोध पाण्डा** (मिदनापुर) : महोदय, मैं छावनी विधेयक, 2006 का समर्थन करता हूं। इसके पुरःस्थापन पर मंत्री महोदय द्वारा दिए गए भाषण को मैंने सुना है। उन्होंने छावनियों की स्थिति का, छावनियों के संक्षिप्त इतिहास का तथा छावनियों के लोकतन्त्रीकरण की आवश्यकता का स्पष्ट उल्लेख किया है। मेरे विचार से इस विधेयक का उद्देश्य छावनियों को मानित नगरपालिका का दर्जा दिए जाने का है। यह मात्र एक मध्यवर्ती प्रक्रम है जहां शैन्य शासन को स्व-शासन में बदलना है। यह नगरपालिकाएं या पंचायतों की भांति न तो शैन्य शासन है और न ही स्व-शासन है। इसलिए मैं इस विचार का समर्थन करता हूं। लेकिन इस विधेयक का समर्थन करते समय मैं कुछ सुझाव दूंगा और इस संबंध में मैं मंत्री महोदय से कुछ स्पष्टीकरण चाहूंगा।

छावनियों के पास एक ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जिससे वे समीपवर्ती नगरपालिकाओं से समुचित समन्वयन कर सकें। ऐसी किसी बात का उल्लेख इस विधेयक में नहीं किया गया है। इस प्रकार का कुछ भी इस विधेयक में नहीं पाया गया है। छावनियों की सीमाओं की काट-छांट के संबंध में, खंड 4 में, यह कहा गया था कि लोगों को कार्यालयी राजपत्र में प्रकाशित तिथि से छह सप्ताह के भीतर जी ओ सी – इन-सी द्वारा केन्द्र सरकार पर आपत्ति जताने की अनुमति होगी। लेकिन जनता के इस तथ्य की जानकारी नहीं होगी। जनता को इसके बारे में कैसे जागरूक किया जाए और जीओसी-इन-सी को निर्धारित सीमा में अपनी आपत्तियां वे कैसे प्राप्त करें? इसलिए, घोषणा करने के लिए तथा सार्वजनिक स्थानों में ज्ञापन चिपकाने के लिए कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए।

छावनी बोर्ड से संबंधित खंड 10 में, यह प्रावधान स्पष्ट नहीं है। यह स्पष्ट नहीं है कि बोर्ड को धन राज्य सरकारों से मिलेगा या फिर भारत सरकार से। इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि क्या छावनी बोर्ड को मानित नगरपालिका का दर्जा देने से पूर्व रक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया था। ऐसा लगता है कि केन्द्र, राज्यों तथा छावनी बोर्डों के बीच विवाद है। इसलिए, हम यह जानना चाहेंगे कि क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया गया था अथवा नहीं किया गया था।

खंड 67 में, छावनियों में स्थित सिविल आवासों पर दोहरा कराधान नहीं होना चाहिए। इसलिए, विशेषकर वाहनों तथा इस प्रकार के अन्य मदों पर दोहरा कराधान नहीं होना चाहिए।

मूल्यांकन की बात करें तो, मूल्यांकन तीन वर्षों में नहीं बल्कि पांच वर्षों में करवाया जाना चाहिए। यह हमारा सुझाव है।

महोदय, धारा 240 प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण तथा विरासत की सुरक्षा के बारे में है। मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद

[श्री प्रबोध पाण्डा]

देना चाहूंगा कि उन्होंने इस विधेयक में इस प्रकार की धारा को शामिल करने के बारे में सोचा। लेकिन विधेयक में इसका उल्लेख बहुत स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है। धारा में किए गए प्रावधान को अधिक स्पष्ट करना चाहिए। इसके अलावा, इस संबंध में जी ओ सी–इन–सी को दी गई शक्ति के बारे में क्या कहना है? उसे इसका उत्तरदायित्व देना चाहिए। छावनी बोर्ड के संबंध में उसे सभी उत्तरदायित्व देना चाहिए।

महोदय, धारा 249 के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इस पहलू का उल्लेख माननीय सदस्य श्री मेहता जी द्वारा किया गया है कि बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपील करने के लिए एक प्रावधान होना चाहिए। एक प्रकार की पौनर्वादिक प्राधिकरण के गठन के लिए एक प्रावधान होना चाहिए।

महोदय, धारा 265 छावनी बोर्ड को किसी भी बाजार को विनियमित करने तथा उनका निरीक्षण करने की शक्ति प्रदान करता है, चाहे वह छावनी बोर्ड के न्याय क्षेत्र से बाहर ही हो। अब, कैसे एक छावनी बोर्ड अपने न्याय क्षेत्र से बाहर किसी का निरीक्षण करने तथा विनियमित करने के लिए प्राधिकृत है? यह पहलू समझ में नहीं आ रहा है। इसे ठीक किया जाना चाहिए ताकि एक छावनी बोर्ड अपने न्याय क्षेत्र से बाहर दखलअंदाजी करने के लिए प्राधिकृत न रहे।

महोदय, मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपनी आरंभिक टिप्पणियों में कहा कि अन्य सेना शिविरों तथा प्रतिष्ठानों के लिए सरकार एक अलग विधान लाने के लिए सोचेगी। यह एक स्वागत योग्य कदम है।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री यहां उठाए गए बिंदुओं पर चिन्तन करेंगे।

**श्रीमती मेनका गांधी** (पीलीभीत) : महोदय, छावनी बोर्डों में किसकी सुरक्षा करनी चाहिए इसके बारे में मेरे साथी श्री सुरेश प्रभु ने बहुत अच्छा बोला। मेरा जन्म तथा लालन पालन सेना में हुआ था। जो कोई भी छावनी में अपने जीवन के आरंभिक वर्षों में रह हो, वह वहां रहने के अनुभव को कभी नहीं भूलेगा। जैसा कि श्री प्रभु ने कहा, हम छावनियों को अभिलाषानुसार आदर्श बनाना चाहेंगे, जैसा कि भारत देश को होना चाहिए। इसलिए, छावनियों को नागरिक स्तर तक लाने के लिए किसी को सामर्थ्यवान या सामर्थ्यहीन बनाने के बजाए हमारे लिए बेहतर होगा कि उनके जैसा बनने की हम आकांक्षा रखें।

**अपराह्न 3.28 बजे**

**(श्री बालासाहिब विखे पाटील** *पीठासीन हुए)*

महोदय, मैं अधिक देर तक नहीं बोलूंगी। मैं केवल यह कहना चाहूंगी कि 62 छावनी बोर्डों में कुछ अत्यंत ही सुंदर स्मारक हैं परन्तु बेतुके कारणों से हम केवल उन्हीं स्मारकों को विरासत मानते हैं जिन्हें मानव ने बनाया। हम प्रकृति से मुफ्त में मिलने वाली चीजों को विरासत नहीं मानते। हाल ही में, मैं पकड़े गए कुछ जंगली जानवरों को चंडीमंदिर में हिरण वन में रखना चाहती थी, लेकिन मुझे सूचित किया गया कि सेना ने इन हिरण वन को क्रिकेट के मैदान में तब्दील कर दिया है। यह नवीनतम जानकारी बहुत अधिक परेशान करने वाली थी। मैं माननीय मंत्री महोदय से पर्यावरण की सुरक्षा करने का आग्रह करूंगी, अर्थात्, पेड़ों, वातावरण, हवा की गुणवत्ता आदि की, जो कि हमारी प्राकृतिक विरासत का हिस्सा हैं। पर्यावरण को विशेष रूप से विरासत माना जाना चाहिए और इसकी पर्याप्त सुरक्षा होनी चाहिए। छावनी विधेयक, 2006 द्वारा धारा 64 में, पृष्ठ सं. 105 पर, छावनी बोर्ड को विरासत के संरक्षण करने और उसके संबंध में उपनियम बनाने के अधिकार दिए गए हैं। परन्तु पर्यावरण की सुरक्षा के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है। नगरपालिकाओं के मामले में, राज्य सरकारों को विरासत के साथ–साथ पर्यावरण की सुरक्षा करने का भी अधिकार प्राप्त है, विशेषकर यदि नगर–निगम कार्यवाही नहीं करते हैं। छावनियों के मामले में, जैसा कि राज्य सरकारों को नगरपालिकों के मामले में दिया गया है, प्राधिकरण जनरल ऑफिसर कमांडिंग–इन–चीफ हैं। पर्यावरण की विरासत की सुरक्षा करने के लिए जीओसी–इन–सी को शक्ति देने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन के लिए, मैंने एक संशोधन रखा है। यह संशोधन पृष्ठ 73 पर पंक्ति 9 के लिए है, 'सेनिटेशन' के बाद यदि माननीय मंत्री प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों अथवा विरासत या पर्यावरण के संरक्षण के लिए, जैसा कि परिभाषित किया गया है, 'अथवा' शामिल कर दें तो बहुत अच्छा होगा।

महोदय, मैं कल यहां नहीं रहूंगी। मुझे आवश्यक कार्य से जाना है। इसलिए, कोई भी इस संशोधन को प्रस्तुत नहीं करेगा। यह प्रस्तुत किया जाए अथवा नहीं किया जाए, यह अलग बात है। यह जितना मेरा देश है, उतना ही आपका भी है। मैं जानती हूं, माननीय रक्षा मंत्री इसे संरक्षित करना चाहेंगे। मैं जानती हूं कि किसी भी हाल में माननीय मंत्री महोदय 'नहीं' कहेंगे क्योंकि राज्य सभा द्वारा विधेयक पहले ही पारित किया जा चुका है और इसलिए इसे वापस लेना सरकार के लिए कठिन होगा और कार्यपालिका का प्रत्येक व्यक्ति इससे बचना चाहेगा। लेकिन बेहतर होगा यदि वह कोई रास्ता निकाल सकें जिससे पर्यावरण की रक्षा कागजों पर की जा सके, क्योंकि यदि हम एक बार उन्हें एक बचाव का रास्ता दे देंगे तो सभी लोग उसका दुरुपयोग करेंगे। इस हेतु मैं आभारी रहूंगी।

**डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य** (शिमला) : महोदय, मैं छावनी बोर्ड विधेयक के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं जिसे राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के बाद इस सभा में प्रस्तुत किया गया है। यह काफी लंबे समय से लंबित था। माननीय मंत्री इस सभा में इस विधान को लाने के लिए प्रशंसा एवं स्तुति के पात्र हैं। मैं कहूंगा, माननीय मंत्री ने ऐसा करके एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय हित किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 82 वर्षों के बाद, छावनियों के निवासियों को लोकतांत्रिकरण का एहसास होगा। इसी समय, सम्पूर्ण खंड़ों में यह देखा गया कि छावनियों के स्वरूप को अक्षुण रखा गया है।

सभापति महोदय, हमारे देश में कुल 62 छावनियों में से चार सिर्फ मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं बचपन से ही छावनियों से जुड़ा रहा हूं। मैं छावनी में विद्यार्थी था। मैं छावनी के प्रभाव, छावनियों में जीवन, व्यतीत करने इसकी साधारणता और इसके संगठित जीवन व्यतीत करने के अंदाज के कारण ही सशस्त्र बलों में शामिल हुआ था।

महोदय, इस विधेयक में कुछ विशेष बातें हैं। इसका मतलब उनको नगरपालिका का दर्जा देकर उनका वृहत्तर लोकतांत्रिकरण करना है, मैं समझता हूं इस विधेयक का उद्देश्य अधिक उदार रूप की ओर जाना है, क्योंकि निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों की संख्या बराबर है और उन्हें भी अधिकार देने की मांग की जा रही है। मैं समझता हूं, कि यह लोकतांत्रिकरण की ओर उठाया गया कदम है। यहां, जनहित में विकासात्मक गतिविधियों और केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं का प्रावधान है, जिन्हें अब शुरू किया जा सकता है।

खंड 31(ख) में महिलाओं के लिए तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है और अब छावनियों को भी विभिन्न वार्डों में विभाजित करने की जरूरत है। छावनियों के वित्तीय आधार को सुधारने का भी प्रस्ताव है। छावनियों को अब चार श्रेणियों में विभाजित करने का प्रस्ताव है। इसे निम्नवत् क्षेणीकृत किया गया है :– श्रेणी I–50,000 से ऊपर की आबादी; श्रेणी – II – 10,000 से 50,000 के बीच की आबादी; श्रेणी III – 2500 से 10,000 के बीच की आबादी और श्रेणी IV – 2500 तक की आबादी।

इसलिए, छावनी जिसका शाब्दिक अर्थ टुकड़ियों के लिए अस्थाई क्वार्टरों से है, ब्रिटिश काल के बाद से ही टुकड़ियों के लिए स्थायी क्वार्टर बन गया है, जैसा कि पहले बोलने वाले कई माननीय सदस्यों द्वारा बताया गया, और अब यह हमारे देश का अविभाज्य अस्तित्व बन गया है। हम इसे ब्रिटिश काल से आज तक देख रहे हैं।

पहली और सबसे पुरानी छावनी, जैसा कि माननीय रक्षा मंत्री द्वारा स्पष्ट किया गया, 1758 में नहीं बल्कि 1765 में स्थापित हुई थी, पश्चिम बंगाल में बैरकपुर और बिहार में दानापुर छावनी को साथ–साथ 1765 में स्थापित किया गया था। समय के साथ–साथ काफी लोग इस ओर आकर्षित हुए क्योंकि यहां नागरिक सुविधाएं बेहतर थीं और सम्भ्रांत वर्ग अधिक साफ–सुथरे और आधुनिक सुख–सुविधाओं से युक्त स्थान पर रहना चाहते थे, जैसा कि श्री सुरेश प्रभु द्वारा कहा गया, जब आप सिविल क्षेत्र से छावनी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तब आप वहां व्यापक बदलाव पाते हैं, आपको वातावरण में बदलाव मिलेगा। आपको वहां कई बगीचे, आकर्षक भवन, स्वच्छता और सड़के मिलेंगी जिनका काफी अच्छा रख–रखाव किया जाता है। वहां पूरा वातावरण बदला–बदला नजर आता है। मेरी इच्छा है कि देश के शेष भागों में भी इस तरह के उदाहरण का अनुकरण किया जाए। छावनियों के उदाहरण का अनुकरण देश के शेष भागों में भी किया जाना चाहिए ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। हमने देखा है कि, पश्चिमी देशों में अधिकांश नगर छावनियों की तरह हैं।

महोदय, मैंने माननीय रक्षा मंत्री द्वारा राज्य सभा में दिए गए उत्तर को पढ़ा है। रक्षा संबंधी स्थायी समिति द्वारा दी गई 92 सिफारिशों में से 42 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है जैसा कि हमने अब विधेयक में देखा है। यह एक प्रशंसनीय प्रयास है। इनमें से, मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय अर्थात् रक्षा भूमि जो करीब 15 लाख एकड़ है के बारे में कहना चाहूंगा।

मैं माननीय रक्षा मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और यूपीए की अध्यक्षा को रक्षा भूमि के उपयोग हेतु रणनीति और नीति अपनाने के लिए बधाई देता हूं। वस्तुतः, राज्य सभा में रक्षा मंत्री द्वारा प्रयुक्त पद यह था कि हमें भूमि झपटने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। सही अर्थों में इस पद का वास्तविक अर्थ यह नहीं है। मैं इस बारे में थोड़ा और बताना चाहूंगा। केवल ऐसा नहीं है कि छावनी अथवा सैन्य केन्द्र अधिक महत्वपूर्ण भूमि पर स्थित हैं लेकिन हमें आज के संदर्भ में सशस्त्र बलों की भूमिका के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। हमें सुरक्षा संबंधी चिंता को भी ध्यान में रखना चाहिए। सशस्त्र बलों की कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हर बार नीति में बदलाव होना चाहिए। इस बारे में अनुसंधान की आवश्यकता है। आज के संदर्भ में, जब हमारे यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उच्च शिक्षण संस्थान हैं, तो सशस्त्र बलों के पास ऐसी भूमि उपलब्ध रहने की जरूरत है। इस भूमि को कुछ योजनाओं के अंतर्गत लाने की आवश्यकता है ताकि आप अच्छे स्टेडियम आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं का निर्माण कर सकें। यदि हम महत्वपूर्ण भूमि का उपयोग ऊंची इमारतों के लिए अथवा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए करते हैं तो हमारे पास आगामी पीढ़ी की आवश्यकता के लिए भूमि नहीं रहेगी। मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि यह

[डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य]

जो नीति अपनाई गई है, वह स्वागतयोग्य कदम है। आज, जब प्रौद्योगिकी दर प्रौद्योगिकी भूमंडल पर आविर्भूत हो रही है, तो हमें अनुसंधान और शिक्षण हेतु भूमि की आवश्यकता है। इसके लिए हमें रक्षा भूमि की आवश्यकता है, डी आर डी ओ और अन्य आवश्यकताओं को तो अलग छोड़ दीजिए।

मैं अब दूसरे मुद्दे पर आता हूं जिसका श्री मोहन सिंह ने भी उल्लेख किया है। आखिरकार हमें ऐसा क्यों कहना चाहिए कि अधिकार वापस ले लेना चाहिए जिसे निर्वाचित सदस्य से वापस नहीं लिया जाना चाहिए?

मैं आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र का एक उदाहरण दूंगा। वहां कई विवादित मुद्दे हैं। कसौली और सुबथु छावनियों में कई बार ये मुद्दे उठे हैं। मैं जानता हूं कि हम संसद सदस्यों, विधान सभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद, जब हम प्राधिकारियों के साथ सहयोग करते हैं और जब हम स्वयं हस्तक्षेप करते हैं, तो प्रत्येक विवादित मुद्दे पर विचार होता है।

इसी तरह से मैं महसूस करता हूं कि उद्देश्य की एकरूपता हो। हमें समझना पड़ेगा कि हमारे वर्दीधारी सैन्य अधिकारी अलग नहीं है। उन्हें भी उन निवासियों के कल्याण की चिंता है। वास्तव में सुबथु छावनी में, जब मैं विद्यार्थी था, तो केन्द्र के कमान्डेन्ट के लिए बहुत आदर होता था, जो स्टेशन कमांडर था। आज भी लोग उनके प्रति बहुत आदर रखते हैं। इसलिए, प्रश्न यह है कि हम बैठकर मुद्दों का समाधान कैसे करें। यदि हम सिर्फ अपने अधिकारों के बारे में चिंता करेंगे कि निर्वाचित निकाय को अथवा मनोनीत व्यक्ति को कितना अधिकार है, तब मेरे विचार से समस्या का समाधान नहीं होगा, भले ही अधिकार किसी को भी दे दिया जाए।

मुझे लगता है कि यह समझने की आवश्यकता है कि सशस्त्र बलों के अधिकारी भी हम में से ही हैं तथा वे भी छावनी निवासियों के कल्याण के लिए; वहां कानून और व्यवस्था के लिए; शांतिपूर्ण जीवन यापन के लिए; व्यवस्थित जीवन के लिए तथा छावनी में स्वस्थ तथा खुशहाल जीवन के लिए वे चीजों को वस्तुपरक ढंग से देखने का प्रयास कर रहे हैं। वस्तुतः लक्ष्य यही है। इसलिए राज्य सभा में उत्तर देते समय माननीय रक्षा मंत्री ने कहा था कि यह सैन्य बलों की निजीपन है तथा इसका अर्थ तानाशाहपूर्ण जीवन अथवा इस प्रकार के किसी ढंग से नहीं लिया जाना चाहिए। सच कहा जाए तो वे उनकी सुदंरता, आकर्षण तथा वैभव को बनाएं रख सकेंगे जिसे हम वर्षों से देख रहे हैं। यदि इसे धीरे–धीरे हटाया जाएगा तो शायद यह खराब हो सकता है। यदि इसमें संशोधन की आवश्यकता है तो मुझे विश्वास है कि हम संसद सदस्य भविष्य में इसमें संशोधन कर सकते हैं और अधिनियम के प्रावधानों को लागू कर सकते हैं ...*(व्यवधान)*

अगली बात हैरिटेज भवनों के बारे में है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मेरे विचार से माननीय सदस्यों ने इस पर काफी बातें कहीं। महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सुरक्षा की जानी चाहिए। शिमला में अन्नानडेल ग्राउंड्स है। यह सिविलियन का लक्ष्य रहा है जो वहां भवन बनाना चाहते थे, लेकिन इसे सौंपा नहीं गया। यह पूरे देश में किया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

मेरे विचार से, जैसा कि माननीय रक्षा मंत्री ने कहा, सरकार हमेशा समान के बारे में सोचती है। दिल्ली में मेट्रो के लिए काफी सारी भूमि रक्षा भूमि से अंतरित की गई थी। यह बात बैंगलोर तथा पुणे के साथ भी है। राष्ट्र के हित में इसे हमेशा दिया गया।

मेरे विचार से यह एक स्वागत योग्य विधेयक है। अंतिम विश्लेषण में यह एक बहुत ही सराहनीय विधेयक है। आपकी अनुमति से मैं एक या दो सुझाव देना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश में सुबथु छावनी के निवासियों द्वारा अस्पताल बनाने के लिए लंबे समय से मांग की जा रही है। यह एक सही मांग है। अस्पताल को उसी जगह पर बनाना है जहां इसे पहले बनाया गया था। हमें आपके आर्शीवाद की आवश्यकता है। एक बार अधिनियम लागू हो जाने के बाद अविलम्ब चुनाव कराए जाएं। हम मुख्य कार्यकारी अधिकारी की स्थिति के बारे में भी विचार कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं।

**श्री किन्जरपु येरननायडु** (श्रीकाकुलम) : सभापति महोदय, छावनी विधेयक, 2006 एक अति व्यापक विधेयक है। इस विधेयक में 360 खंड तथा पांच अनुसूचियां हैं।

विधेयक के दसवें खंड के अनुसार, "संविधान के अनुच्छेद 243 पी के अंतर्गत प्रत्येक बोर्ड को एक नगरपालिका समझा जायेगा।" संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन के बाद हमने स्थानीय निकायों जैसे कि ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों तथा नगरपालिकाओं को अधिक स्वायत्तता दी है। इस खंड 243 पी के पुरःस्थापन के बाद, हमने मानित नगरपालिकाएं बना दी हैं। 73वें तथा 74वें संशोधनों के अनुसार, नगरपालिकाओं तथा स्थानीय निकायों को वित्तीय संसाधन प्रदान करने के लिए एक वित्तीय आयोग होगा। यह भी संविधान के संशोधन पर आधारित है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि एक वित्तीय आयोग बनाया जाए जो छावनी बोर्डों की मानित नगरपालिकाओं को निधियां प्रदान कर सके। केवल तभी छावनी बोर्डों को अधिक धनराशि प्राप्त होगी। वे नागरिक आवश्यकताओं की मांगों तथा अन्य चीज़ों को पूरा कर पाएंगे।

दूसरी बात यह कही गयी है कि एक चुनाव प्राधिकरण होगा। उन्हें

प्रत्येक पांच वर्ष बाद बिना किसी समय अन्तर के चुनाव कराने चाहिए। संविधन के अंतर्गत यह एक अनिवार्य प्रावधान है। लेकिन ऐसा कोई प्राधिकरण नहीं है। वे चुनाव करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते हैं इसलिए, संविधान के आधार पर, आप यह व्यापक संशोधन विधेयक लेकर आए हैं। खंड 31 के अंतर्गत, आपने चुनाव प्राधिकरण के बारे में कहा है कि किस प्रकार चुनाव करवाए जाएं तथा चुनावों को विनियमित करने वाले नियम बनाने के अधिकार का भी उल्लेख किया है लेकिन आपको जोड़ना होगा कि एक चुनाव प्राधिकरण हो। चुनाव प्राधिकरण प्रत्येक पांच वर्षों बाद चुनाव करवाएगा तथा मतदाताओं की सूची बनाने में भी मदद करेगा। चुनाव आयोजित करने और मतदाताओं की सूचियां बनाने हेतु किसी प्राधिकरण के बिना विधेयक में कोई सार्थकता नहीं रहेगी। इसलिए, सामान्यतः, प्राधिकरण चुनाव नहीं करवाएगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक अर्ध–लोकतांत्रिक विधेयक है। नगरपालिकाओं तथा ग्राम पंचायतों आदि में, सभी प्रतिनिधि लोगों द्वारा चुने जाते हैं। इस विधेयक के अनुसार 50 प्रतिशत सदस्य सरकार द्वारा नामित किए जायेंगे और 50 प्रतिशत सदस्य जनता द्वारा चुने जाएंगे। बोर्ड का अध्यक्ष शासी निकाय छावनी बोर्ड का अध्यक्ष होगा। अतः वह बोर्ड का अध्यक्ष है इसलिए प्रत्येक 5 वर्षों में बिना किसी विलंब के चुनाव कराए जाने चाहिएं।

तीसरी बात, केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लाभों को देखना होगा। सामान्यतः एक भारत निर्माण योजना है। भारत निर्माण योजना से हम निगमों, प्रमुख नगरपालिकाओं को धनराशि उपलब्ध करवा रहे हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। लेकिन ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जब हम नगरपालिकाओं और निगमों को भारत निर्माण योजना के अंतर्गत 1,76,000 करोड़ रु. दे रहे हैं, तो ये केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं उन छावनी क्षेत्रों में भी लागू हों। भारत निर्माण योजना से कुछ प्रतिशत धन इन छावनियों को भी जाना चाहिए तथा नागरिकों की मांगों को पूरा करने के लिए उन्हें अधिक धनराशि प्राप्त होगी, विशेषकर सिकन्दराबाद में जो कि भारत की बड़ी छावनियों में से एक है। 350 वर्ष पहले, पश्चिमी बंगाल के बैरकपुर जिले में पहली छावनी की स्थापना की गई थी। 350 वर्ष बाद, अब तक वहां 62 छावनियां हैं और स्वतंत्रता के बाद हमने केवल 6 छावनियों की स्थापना की है। सिकन्दराबाद छावनी एक बड़ी छावनी है। वहां की जनता दोहरे कर और चुंगी कर से परेशान हैं। यहां तक कि कई बार वे मोटर ट्रांसपोर्ट टॉल टैक्स भी वसूलते हैं। छावनी के साथ वहां हैदराबाद निगम है। यदि उनके पास कोई वाहन है और उन्हें दिन में दस बार कहीं आना और जाना पड़ता है तो उन्हें दस बार यह मोटर वाहन टॉल टैक्स आदि देना पड़ेगा। गरीब, छोटे मोटे विक्रेता, फेरीवाले आदि सभी पीड़ित हैं। इसलिए, बहुत वर्षों से चुंगी कर तथा टॉल टैक्स को समाप्त किए जाने की मांग की जा रही है।

महोदय, हमारी विशाल विरासत है। हमें अपने विरासत की रक्षा करनी है। इसलिए, यह एक खतरनाक स्थिति है। हमारी सभी हेरिटेज भवन जर्जर अवस्था में हैं तथा उनकी स्थिति बदतर होती जा रही है। इसलिए, भारत सरकार को हमारी विरासत की रक्षा करने के लिए कदम उठाने चाहिएं। यह हमारे राष्ट्र की संस्कृति है। दुनिया में सभी स्थानों पर लोगों को यह नजर आएगी।

जहां तक पर्यावरण का संबंध है, हमारे पास पर्याप्त भूमि है। प्रत्येक एकड़ की कीमत करोड़ों रु. है। अब, भूमि हड़पने वाले तथा अनाधिकृत लोग हमारी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। केवल दो लाख एकड़ भूमि नियंत्रण में है। छावनियों का और अन्य 15 लाख एकड़ भूमि छावनी क्षेत्रों से अलग है। हमें अपनी भूमि की सुरक्षा करने के लिए पृथक कानून बनाकर अपनी 15 लाख हैक्टेयर भूमि की रक्षा करनी होगी। इस छावनी अधिनियम के अंतर्गत छावनी भूमि को छोड़कर कोई अन्य उपबंध नहीं है। मैं भारत सरकार से छावनी क्षेत्रों की भूमि को छोड़कर अन्य भूमि की रक्षा करने के लिए पृथक कानून लाने के लिए अनुरोध कर रहा हूं।

इस छावनी अधिनियम के अंतर्गत छावनी भूमि को छोड़कर अन्य भूमि के लिए कोई उपबंध नहीं है। मैं भारत सरकार से छावनी भूमि क्षेत्र से इस तरह अन्य भूमि की रक्षा करने के लिए पृथक कानून लाने के लिए अनुरोध कर रहा हूं। यह सुझाव देकर, मैं विशेष रूप से माननीय मंत्री जी से चुंगीकर और पथकर समाप्त करने का निवेदन कर रहा हूं। अन्यथा, लोग बहुत पीड़ित होंगे।

इन सुझावों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

**सभापति महोदय** : आगे, श्री चंद्रकांत खैरे जी बोलेंगे।

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी)** : महोदय, उनके बोलने से पहले मैं यह निवेदन करूंगा कि हम माननीय अध्यक्ष के कार्यालय को पहले ही नोटिस दे चुके हैं जिसमें हमने कहा कि हमारे विधि को यदि अनुमति मिली तो वह चार बजे अनुपूरक सूची में अंतर्विष्ट संकल्प पारित करेंगे। चूंकि चार बजे का समय किसानों संबंधी वाद–विवाद के लिए तय किया गया है अतः, हम यह निवेदन करेंगे कि बाकी वक्ता कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं और तत्पश्चात रक्षा मंत्री जी कल जवाब देंगे।

**सभापति महोदय** : कितने समय तक यह जारी रहेगा?

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : चार बजे तक वाद–विवाद जारी रहेगा। चार बजे कृषि मंत्रालय से संबंधित वाद विवाद होगा। तत्पश्चात् रक्षा मंत्री कल जवाब देंगे।

**सभापति महोदय** : बाकी वक्ता कल जारी रखेंगे। ठीक है?

**कुछ माननीय सदस्य** : जी हां।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी :** मुख्य विपक्ष के मुख्य सचेतक से मेरा एकमात्र अनुरोध यह है कि यदि वह वक्ताओं की संख्या कम कर सकें तो इससे हमें मदद मिलेगी क्योंकि आबंटित समय पहले ही समाप्त हो चुका है। अतः मैं और सदस्यों को अवसर नहीं दे सकता ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** वह चर्चा समाप्त नहीं कर रहे हैं। हम इसे जारी रखेंगे।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय :** कल भी डिस्कशन चलेगी और मंत्री जी का रिप्लाई होगा, हमने यही बात तय करनी है। इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

**श्रीमती सुमित्रा महाजन** (इन्दौर) : हमें बोलने का मौका मिलना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी :** बहस के लिए जो समय निश्चित किया गया है, उससे आगे समय नहीं बढ़ा सकते। लिस्टेड बिजनेस कैसे लेंगे।

**श्री चन्द्रकांत खैरे** (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : सभापति महोदय, मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।. ..*(व्यवधान)* देश में 62 केन्टोनमैंट्स हैं, उनमें से मेरे क्षेत्र में संभाजीनगर, औरंगाबाद में हैं, जहां से मैं चार बार, दो बार विधायक और दो बार सांसद के रूप में चुनकर आया हूं। हमने विधायक कोष से वहां जो डैवलपमैंट किया, उसके बाद अभी एमपीलैड और विधायक कोष से खर्च नहीं होने दिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमने उन्हें बताया कि यह हमारा कोष है, आप खर्च कीजिए। तब उन्होंने मान्य किया, लेकिन केन्टोनमैंट बोर्ड उसे खर्च नहीं कर पाया। वहां टोल टैक्स के कारण डैवलपमैंट हो रही है, लेकिन केन्द्र सरकार की ओर से छावनियों को एक पैसा नहीं आता। 82 वर्ष बाद 1924 एक्ट बदला जा रहा है, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। सभापति महोदय, आपने स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते यहां कुछ सुझाव दिए है, उनमें से कुछ सुझाव मान्य किए गऐ हैं और कुछ मान्य नहीं किए गए हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि हमें जो लोकतंत्रीकरण करना है, नागरीकरण करना है, वहां से सात मैम्बर्स चुनकर जाएंगे, क्योंकि मेरी केन्टोनमैंट क्लास टू की होगी और हम सात ऑफिसर्स हो जाएंगे। इनमें वहां ब्रिगेडियर अध्यक्ष हो जाता है और उपाध्यक्ष नागरीकरण से होता है। वहां उसकी ज्यादा सुनवाई नहीं होती। वहां के सारे मैम्बर्स कई बार मुझसे मिले और कहा कि जब यह बिल आएगा, तब आप इस बारे में बोलिए। केन्टोनमेंट बोर्ड में लैट्रिन्स, बाथरूम्स, ड्रेन लाइन्स भी नहीं थीं। जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, तब सारे कागज़–पत्र लेकर आए। वहां श्री किशोर कछवाह उपाध्यक्ष थे। मैं तत्कालीन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव से मिला। उनके पास रक्षा मंत्री का विभाग था। मैंने उनसे विनती की जिसे उन्होंने मान्य किया और कम से कम डेढ़ करोड़ रुपए की लागत से वहां ड्रेनेज लाइन्स पूरी हो गई जिसकी वजह से आज वहां के लोग ठीक से रह रहे हैं। लेकिन वहां बाकी कोई मेनटेनैंस नहीं है। वहां कोई अस्पताल नहीं है, वहां रास्ते की सुविधा नहीं है, कोई पार्क या गार्डन नहीं है, मैदान नहीं है और न ही वहां नागरिकों के लिए कोई एमेनिटीज नहीं है। केन्टोनमैंट एरिया के आजू–बाजू से यानी आर्मी लैंड से जो रास्ते जाते हैं, जैसा आप हमेशा मेरी कांस्टीटूएंसी के रास्ते एयरपोर्ट तक जाते हैं। मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि एस क्लब से छावनी तक आने में हर ऑल्टरनेट डे वहां एक्सीडैंट हो रहे हैं। मैं इसे 12 साल से फालोअप कर रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब मैं तेरहवीं लोकसभा में स्टैंडिंग कमेटी में था, तो वहां मैंने डी.जी., लैंड से बात की और कहा कि यह जो रास्ता हाईवे तक जा रहा है, जिसमें स्टेट हाईवे और उसके बाद नैशनल हाईवे भी है, उसे आप मान्यता देंगे तो यह चार लाइन का रास्ता हो जायेगा। लेकिन उसे अभी तक मान्यता नहीं दी गयी। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे छोटे–मोटे जो लैंड डेवलपमैंट के काम हैं, जो कई वर्षों से पेंडिंग पड़े हुए हैं। लेकिन उन कामों के लिए परमीशन नहीं मिलती। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगले बिल में आप उन कामों को परमीशन दिलाने का प्रावधान रखें।

हमारा पुराना बीड बायपास हैं, उसके लिए जब हम गुलवाड़ी से आगे जाते हैं, तो वह रास्ता बंद कर दिया गया है। उनका कहना है कि मिलिट्री लैंड से आपको जाने नहीं दिया जायेगा। वह रास्ता अभी तक बंद है। आप स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, इसलिए आपको इस बात का बहुत अनुभव होगा। इसी तरह छावनी बोर्ड में रहने वाले लोगों की हालत बहुत खराब है। उनके मकान बहुत पुराने हैं। सालों से उनकी हालत बहुत खराब है क्योंकि उनको डेवलपमैंट कोई नहीं कर सकता।

सभापति महोदय, आपने भी यह मुद्दा कल रखा था। क्योंकि उनका परिवार बढ़ गया है, अगर उन्हें एफएसआई–दो दे दिया है, चूंकि हम इसे म्युनिसिपैलिटी के स्वरूप में ला रहे हैं, तो उनको यह अधिकार भी मिलना चाहिए। मैं दो–तीन मुद्दे और बताना चाहूंगा। अध्याय के धारा 96 के पेज नं. 37 की उपधारा ख के प्रावधान द्वारा इस अध्याय के आदेश को जिला न्यायालय में अपील करने का प्रावधान किया गया है। इस धारा के अनुसार उपधारा ख द्वारा अपील में विवादग्रस्त कोई रकम जमा करने का जो प्रावधान है, वह अनुचित है। मैं चाहूंगा कि इस प्रावधान को किसी माध्यम के द्वारा निकाला जाये या ऐसा कोई आदेश दिया जाये क्योंकि अभी हम कुछ अमेंडमैंट नहीं कर सकते। यह रकम जमा करने का प्रावधान कम होना चाहिए।

धारा 101 पेज 38 द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी मतलब सीईओ के बारे में कहा गया है। हमारा कहना है कि आप सीईओ को मैम्बर सैक्रेट्री बनाइये लेकिन सीइओ को पूरा अधिकार मत दीजिए। अन्यथा ब्रिगेडियर और सीईओ को पूरा अधिकार देने के बाद जनता की कोई सुनवाई नहीं होगी। यहां पर आदरणीय शरद पवार जी बैठे हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पूना केन्टोनमैंट बोर्ड में आपने जितनी फैसीलिटीज दिलवायी है वैसी फैसिलिटीज बाकी के केन्टोनमैंट बोर्ड में भी दिलवाइये। सभी केन्टोनमेंट बोर्ड पूना केन्टोनमैंट जैसे होने चाहिए। अध्याय क्रमांक 9 की धारा 197 पेज 63 में कई घरेलू जल अन्य उपयोग करने के उपलक्ष्य में 2500 रुपए का दंड लगाना अनुचित है। मेरी विनती है कि यह दंड नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह इसकी धारा दो में आगे एक लाख रुपए का जुर्माना किया गया है, वह नहीं किया जाये, ऐसी मैं विनती करता हूं। केन्टोनमैंट बोर्ड में रहने वाले लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। वहां का इलाका सुधरना चाहिए। वहां लोगों को उसी तरह सुविधाएं मिलनी चाहिए जैसी सुविधाएं नगर पालिका क्षेत्र में होती है यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री संतोष गंगवार** (बरेली) : सभापति महोदय, आप आसन पर बैठे हुऐ हैं और छावनी संशोधन बिल आपके नेतृत्व में स्टैंडिंग कमेटी में पास होकर राज्य सभा में आया था। जैसा आप अभी पिछले दिन बोल रहे थे कि आपने 95 संशोधन दिये जिसमें से सरकार ने 42 माने और 53 संशोधन नहीं माने। इससे समझा जा सकता है कि छावनी बिल की कितनी आवश्यकता थी।...*(व्यवधान)*

**4.00 बजे**

**सभापति महोदय** : गंगवार जी, चार बज गए हैं, आप अपनी बात बाद में कहिएगा। यह चर्चा आगे भी जारी रहेगी।

---

**अपराह्न 4.01 बजे**

## नियम 193 के अधीन चर्चा

### देश के किसानों में व्याप्त निराशा

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन सिंह** (देवरिया) : सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि आप पूरे देश में किसानों की जो दुर्दशा है और कृषि की जो दुर्दशा है, उसके ऊपर इस सदन में पिछले सत्र में भी चर्चा हुई थी और इस सत्र में भी इस विषय पर चर्चा करने के लिए छः घण्टे का समय मिला है। प्रायः यह बात कही जाती है कि जब एक लम्बी चर्चा पिछले सत्र में हुई और बहुत सारे प्रश्नोत्तर के जरिए माननीय सदस्यों ने अनेक प्रश्न माननीय मंत्री जी से किए तो अभी इस सत्र में बहस की आवश्यकता क्यों पड़ी? माननीय मंत्री जी ने पिछली बार अपनी बहस का उत्तर देते हुए कहा था कि भारत में जितनी भी आत्महत्याएं होती हैं, उनमें 16 फीसदी किसानों की होती हैं जो अपनी मजबूरियों के चलते आत्महत्या करते हैं और किन्हीं खास परिस्थितियों में पिछले दस साल में तकरीबन एक लाख किसानों ने अपनी समस्याओं से आहत होकर आत्महत्या का रास्ता चुना है। यह भारत जैसे देश के लिए गंभीर चुनौती है और इसका मुकाबला करने के लिए हमारे कृषि मंत्री जी के प्रयास से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी विदर्भ के दौरे पर गए थे जहां सबसे अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। 30 जून और एक जुलाई की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री जी ने अपनी तरफ से कुछ पैकेज महाराष्ट्र के 6 जिलों के किसानों के लिए दिया। विदर्भ के उन 6 जिलों के लिए, जिनके बारे में ऐसा माना जाता है कि वहां सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुई हैं, उनकी तरफ प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी का ध्यान गया और 712 करोड़ रुपए सब्सिडी या राजसहायता के तौर पर किसानों के ऊपर जो कर्ज है, उसके ब्याज--माफी के लिए भारत सरकार की ओर से एक विशेष पैकेज के रूप में दिए गए। वहां पर बांधों का निर्माण हो, सिंचाई का इंतजाम हो, इसके लिए सात--आठ सौ करोड़ रुपए का इंतजाम भारत सरकार ने किया। लेकिन खबरों के मुताबिक जिस समय प्रधानमंत्री जी वहां से किसानों को यह पैकेज देकर आए, पैकेज देकर आने के बाद ही दो किसानों ने उसी दिन आत्महत्या की और विदर्भ में औसतन दो किसान आत्महत्या करते हैं। भारत सरकार ने अपनी ओर से जो टास्क फोर्स बनाई, उसमें हिन्दुस्तान के कुल 31 जिले जिनमें से 17 जिले आन्ध्र प्रदेश के, 6 जिले महाराष्ट्र के, 9 जिले कर्नाटक के और 3 जिले केरल के चुने गए। इसका मतलब यह नहीं है कि हिन्दुस्तान के 600 जिलों के जो शेष किसान हैं, वे खुशहाली में हैं, उनको किसी पैकेज या राजसहायता की आवश्यकता नहीं है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार यह चाहती है कि सुदूर बिहार, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके, उत्तर प्रदेश का बुन्देलखण्ड आदि के क्षेत्र, जहां के किसान तमाम विषम परिस्थितियों के बाद भी आत्महत्या नहीं करते हैं, तो जहां के किसान आत्महत्या करते हैं उनको पैकेज देकर क्या भारत सरकार उनको यह संदेश देना चाहती है कि यदि तुमको हमारे पैकेज की आवश्यकता है तो तुम भी आत्महत्या के रास्ते पर कूदो और तब हम तुम्हारी समस्याओं के निराकरण के लिए पैकेज देना चाहते हैं। यदि भारत सरकार इस तरह का संदेश देना चाहती है, तो मैं समझता हूं कि यह गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हिन्दुस्तान के सभी किसानों की समस्याएं एक जैसी हैं और इसीलिए आप देखेंगे कि धीरे--धीरे हमारे देश की योजनाओं में, हमारे देश की आर्थिक तरक्की में खेती का योगदान निरन्तर घट रहा है। हमारे देश की जो प्रथम पंचवर्षीय

[श्री मोहन सिंह]

योजना बनी, उसमें खेती का योगदान 56 प्रतिशत था और वर्ष 2001–02 में यह योगदान घटकर 24.3 प्रतिशत तक आ गया। अब अगर दसवीं पंचवर्षीय योजना के सही आंकड़े आएंगे तो यह पता चलेगा कि यह योगदान घटकर कहीं 16 से 20 प्रतिशत के बीच रह गया है। अभी भारत के योजना आयोग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र प्रस्तुत किया है, यदि उसका ठीक से अध्ययन किया जाए तो उन्होंने इच्छा तो व्यक्त की है कि हमारे देश की आर्थिक तरक्की आठ फीसदी के हिसाब से होनी चाहिए। जब देश की तरक्की आठ फीसदी के हिसाब से हो, उसमें कृषि का योगदान चार फीसदी के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन जब उसी समीक्षा में हम पढ़ते हैं कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में खेती का योगदान तीन फीसदी के हिसाब से आर्थिक तरक्की में गिना गया था, लेकिन वह घटकर अब डेढ़ फीसदी पर रह गया है। कुछ ऐसे वर्ष निकले, 2003 और 2004, जब हमारे देश की कृषि ऋणात्मक दिशा की ओर चली गई। ऐसा क्यों हुआ, जिस देश में दो तिहाई आबादी खेती पर निर्भर करती है, जिस देश की वर्क फोर्स का 100 में से 59 फीसदी आदमी कृषि पर निर्भर है, 11 करोड़ से अधिक खेतिहर मजदूर रहते हैं, उस देश की खेती ऋणात्मक दिशा में चली जाए या डेढ़ फीसदी पर सिमट जाए, इससे अधिक दुर्भाग्य और चिंता की बात हमारे लिए और कोई नहीं हो सकती। ऐसा क्यों हो रहा है, निरंतर खेती में वृद्धि क्यों रुक रही है, इस बारे में कृषि मंत्रालय को गम्भीरतापूर्वक मंथन करने की जरूरत है। मैं ऐसा समझता हूं कि बार–बार सरकार जो यह दावा करती है कि हमने किसान को कर्ज देने का जो लक्ष्य निर्धारित किया था, वह लक्ष्य हमने एक साल के पहले ही प्राप्त कर लिया और 1,76,000 करोड़ रुपए का कर्ज बांटकर किसानों की समस्या का हल कर देंगे, मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी यह सोच उलटी दिशा में है। केवल कर्ज बांटकर किसान की हालत दुरुस्त करने का जो विचार है, लक्ष्य है, वह किसान को कर्ज के कोल्हू में नए सिरे से पेराई का नया इंतजाम है। इसलिए भारत सरकार को इस पर गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिए।

आज किन राज्यों में किसान सबसे अधिक आत्महत्याएं कर रहे हैं, उन्हीं राज्यों में कर रहे हैं जहां सबसे अधिक कर्जदार किसान हैं। आंध्र प्रदेश में 80 फीसदी किसान कर्जदार हैं इसलिए वहां आत्महत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 65 फीसदी किसान कर्जदार हैं इसलिए वहां आत्महत्या कर रहे हैं। सबसे कम कर्ज, बैंकों ने कृपा की किसानों पर, किन्हीं परिस्थितियों के चलते बिहार में कर्ज नहीं बांटा, तो दरिद्रता के बावजूद वहां का किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है। व्यावसायिक बैंकों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपनी शाखाएं नहीं खोलीं, कर्ज नहीं बंटा इसलिए वहां सारी दुश्वारी के बावजूद किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है। इसलिए हम इस दर्शन के विरुद्ध हैं कि किसान को कर्ज बांटकर उसकी समस्या का समाधान कर देंगे।

आज किसान को दो–तीन चीजों की सबसे अधिक आवश्यकता है। किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। भारत सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारी भारत सरकार ने गन्ने के मूल्य में कुछ समय पहले 70 नए पैसे की वृद्धि की थी, जबकि आज चीनी बाजार में 27 रुपए प्रति किलो ग्राम के भाव पर मिल रही है। कुछ समय आएगा जब वह 30 रुपए में मिलेगी। चीनी का दाम पिछले एक साल में 45 से 55 प्रतिशत तब बढ़ा, लेकिन गन्ने के मूल्य में सिर्फ 75 नए पैसे की बढ़ोत्तरी की गई और उसे बढ़ाने वाले लोगों को उससे भी दिक्कत हुई। इन हालात से ऐसा लगता है कि किसान को कीमत देने में सबसे अधिक परेशानी भारत सरकार को होती है। भारत सरकार ने धान का खरीद मूल्य दस रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया। यह कितनी लज्जाजनक बात है कि अनाज के दाम आसमान छूने लगे, लेकिन सरकार ने खरीद मूल्य सिर्फ दस रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया। गेहूं खरीदा नहीं गया, हम बाहर से गेहूं लाकर लोगों को खिलाने के लिए मजबूर हैं। सरकार कहती है कि हम 45 लाख टन भी गेहूं खरीद सकते हैं। सरकार पांच, दस या 19 लाख टन कितना गेहूं खरीदेगी, इसका सही आंकड़ा देश को नहीं बताया जाता है। लेकिन जितना गेहूं बाहर से खरीदा गया, हमने जब पूछा कि कितने में खरीदा, तो कहा गया कि आस्ट्रेलिया से खरीद कर मद्रास बंदरगाह पर जो लागत आई, वह 992 रुपए प्रति क्विंटल आई है। वहां से ट्रांस्पोर्ट करके अगर वह लखनऊ जाएगा तो उसकी कीमत 1000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक हो जाएगी, लेकिने हमारे देश के किसान को आपने सिर्फ 650 रुपए प्रति क्विंटल का भाव दिया। इसलिए किसान ने आपको गेहूं नहीं बेचा। बाद में कृषि मंत्री जी ने कहा कि 50 रुपए का बोनस सरकार देगी। यह क्यों दिया गया, इसलिए दिया गया कि अगर उस वक्त 700 रुपए प्रति क्विंटल का भाव तय करते तो अगले साल 750 रुपए प्रति क्विंटल का भाव देना पड़ता। इसलिए 650 रुपए रखो, रुपए बोनस दो, जिससे अगले साल बढ़ाने की जरूरत न पड़े। नतीजा यह हुआ कि किसान ने अपना गेहूं सरकार को नही दिया। बहुराष्ट्रीय कंपनियों और निजी कंपनियों ने किसान का गेहूं खरीदकर इस देश से बाहर निर्यात कर दिया। आज आपको बाहर से गेहूं मंगाकर, गेहूं के दाम स्थिर करने की आवश्यकता पड़ रही है। भारत के वित्त मंत्री जी ने इस सदन में घोषणा की थी कि इस साल हमने जो सब्सिडी उर्वरक पर दी है वह 18,500 हजार करोड़ रुपए है। यह सब्सिडी किसको मिलती है? कृषि की हमारी जो स्थाई समिति है वह कहती है कि उर्वरक पर राज–सहायता किसान को नहीं मिलनी चाहिए। किसान को सीधे सहायता न देकर, बड़ी कंपनियों को आप उर्वरक पर राज–सहायता देते हैं लेकिन किसान तक वह पहुंचती नहीं है। किसान की खेती की जो लागत है उसको जोड़कर हर हालत में 30 फीसदी का मुनाफा देकर, कृषि की उपज का भाव तय होना चाहिए और किसान को हर कीमत पर उसे देने की गारंटी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो किसानों की आत्महत्या हम रोक नहीं सकते हैं।

तीसरी चीज यह है कि आज कृषि का बहुआयामी स्वरुप बदल रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारी आबादी आज एक अरब आठ करोड़ के आस–पास हो गयी है। इतनी बड़ी आबादी को खिलाने के लिए दो–तीन चीजों की बहुत आवश्यकता है। साथ ही दलहन और तिलहन की उपज हमारे देश में आवश्यकता के अनुरूप नहीं होती है। आज सबसे अधिक दाम दालों के बढ़े हैं। गरीब आदमी के लिए वह प्रोटीन का स्रोत है लेकिन आज उड़द के दाम भी 65 रुपए प्रति किलो

हो गये हैं और अरहर की दाल के दाम 48 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गये हैं। आम आदमी की पहुंच के बाहर दालें हो गयी हैं। गरीब आदमी के लिए खाद्य तेल दूसरी आवश्यकता है। आज वह भी हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि किसान को इस रूप में प्रशिक्षित किया जो कि वह दलहन और तिलहन की ओर अग्रसर हो सके और जो हमारी परम्परागत गेहूं और चावल की खेती है उसकी तरफ से उसका रुझान कम हो सके।

पिछले साल हमारे देश में चीनी की पैदावार कम हुई और दाम बढ़ जाने के कारण बाहर से भी उसे मागाना पड़ा। तीन साल के बाद गन्ने की पैदावार बहुत हो जाती है और उसका दाम मिट्टी के मोल हो जाता है तब किसान गन्ना नहीं बोता है, फिर दाम बढ़ जाते हैं तो किसान गन्ना बोता है। इसमें स्थिरता आनी चाहिए। कृषि मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की सराहना सकी, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। अब तक महाराष्ट्र, चीनी उत्पादन में आगे हुआ करता था लेकिन दो साल के अथक प्रयास के बाद उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का नम्बर–एक राज्य हो गया और हमने महाराष्ट्र से दुगुनी चीनी पैदा की और हमारी गन्ने की पैदावार महाराष्ट्र से तीन गुना हुई। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, सरकारी मिलों और निजी क्षेत्र की मिलों से 7 हजार करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य के रूप में भुगतान कराया है, जिसका नतीजा है कि किसान की दौलत में इजाफा हुआ और उनके जीवन में स्थिरता आई है, उन्हें विश्वास हुआ है कि कृषि से भी उनके घर में आमदनी हो सकती है। गन्ने की खेती में स्थिरता पैदा करने के लिए भारत सरकार को भी गंभीरतापूर्वक प्रयास करने चाहिए।

हमारे देश में गेहूं की उपज कम क्यों हुई? माननीय कृषि मंत्री जी ने अपने विभाग से इसके ऊपर समीक्षा करायी होगी। खरीफ की फसल में तो वृद्धि हुई लेकिन रबी की जो फसल थी, आर्थिक सर्वेक्षण के जरिये जो भविष्यवाणी की गयी थी वह गलत साबित हुई। गेहूं की उपज का जितना आकलन इस वर्ष आर्थिक समीक्षा के जरिए, कृषि वैज्ञानिकों के जरिए किया गया था, उतनी उपज नहीं हुई। इसका एक कारण यह है कि हाई ब्रीड सीड्स हमारे देश में आ रहे हैं, उन्हें हर साल बदलना होता है। हमारी दिक्कत यह है कि 80 से 95 फीसदी किसान दो हैक्टेयर से कम भूमि वाले हैं। वह किसान हाई ब्रीड सीड्स का उपयोग हर साल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी माली हालत ऐसी नहीं है। जितने उर्वरकों की उन्हें जरूरत पड़ती है, उतने उर्वरकों का उपयोग वे नहीं कर सकते हैं, कीटनाशक दवाओं का उपयोग नहीं कर सकते हैं और अपनी खेती में वृद्धि करने के लिए जितनी पूंजी उनके पास होनी चाहिए, उतनी उनके पास नहीं होती है। हम आग्रह करना चाहते हैं कि किसान की हैसियत के अनुसार चाहे जिस तरह की भी वह उपज करता हो, एकड़ के हिसाब से उसे सहायता मिलनी चाहिए।

दैवी आपदा के कारण किसान की दुर्दशा होती है। किसी इलाके में बाढ़ आती है, किसी इलाके में सूखा पड़ जाता है। अभी एक छोटे से राज्य गुजरात से आंकड़े आ रहे है। कि शहर में 30 हजार करोड़ का नुकसान बाढ़ के कारण हुआ। सारे राज्यों के, खास तौर से तीन राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात हैं, भविष्य में जब इनके आंकड़े संकलित किए जाएंगे, तो मेरा मानना है कि एक लाख करोड़ रुपयों से अधिक फसल की बरबादी हुई है, किसान का नुकसान हुआ है। मौसम के हिसाब से किसान की जो दुर्दशा होती है, उस तरफ हमारी सरकारें ध्यान नहीं देती हैं। वर्षा और बाढ़ का नियम है कि कुछ खास इलाकों में जब अधिक बारिश हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी तो शेष इलाकों में वहां सूखा पड़ जाएगा। इस वर्ष मौसम ने ऐसी ही व्यवस्था हिंदुस्तान में कर दी। तीन राज्यों में अतिवृष्टि हुई, अति बाढ़ आ गई और शेष उत्तर भारत के राज्यों में सूखा पड़ गया। इन आपदाओं का अंतिम शिकार इस देश की कृषि और किसान होता है। क्रॉप इंश्योरेंस के हिसाब से एक.एकड़ में किसान कितनी पूंजी लगा कर कितना अन्न पैदा करता है, उसके हिसाब से किसान को सरकारी राज सहायता मिलनी चाहिए। जो बाढ़ राहत कार्य होता है, सूखा राहत कार्य होतो है, वह नाममात्र को होता है, इस बारे में सरकार ध्यान नहीं देती।

इस देश में कृषि भगवान भरोसे है। तकरीबन 60 फीसदी ऐसी कृषि है, जिसके लिए सिंचाई का इंतजाम आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हम नहीं कर सके। सिंचाई की योजनाएं भी विस्तृत की जानी चाहिए। बार–बार यह कहा जाता है कि हमारे जो प्राकृतिक जल स्त्रोत हैं, वे धीरे –धीरे सूख रहे हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हमारे देश की जो सबसे पवित्र नदी है, उसका जो गंगोत्री ग्लेशियर है, उसमें सूखा पड़ रहा है। जब यमनोत्री में सूखा पड़ेगा, तो हमारी नदियों के जो प्राकृतिक जल स्त्रोत हैं, वे सूखते चले जाएंगे। बार–बार योजनाओं के जरिए, इस संसद में बहस के जरिए और सरकारों द्वारा और इस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा बल दिया गया कि जो प्राकृतिक जल हमारी धरती पर उतरता है, उसके संरक्षण के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी और उन योजनाओं के जरिए, जो नीचे का जल स्तर है उसे रिचार्ज किया जाएगा। बहुत से ऐसे इलाके हैं, जहां आज की तारीख में परम्परागत रूप से सूखा पड़ता है। महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र है। जहां हिंदुस्तान भर में बारिश होती है तो मराठवाड़ा में औसत से कम वर्षा होती है। यह हम पिछले 20–25 वर्षों से, जब से हम राजनीति में जागरूक जुए हैं, तब से देख रहे हैं। राजस्थान में औसत से कम वर्षा होती है और पिछला 10वां वर्ष था, जब वहां लगातार सूखा पड़ा। सूखे के चलते वहां की फसल बर्बाद हुई। यह जो परम्परागत रूप से सूखा पड़ता है, जिसे हम मौसम के हिसाब से या वैज्ञानिकों के हिसाब से जानते हैं कि ये इलाके सूखाग्रस्त हैं, वहां भी हम सिंचाई का इंतजाम नहीं कर पाते।

इसके साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि हमारे जो परम्परागत इलाके हैं, जहां औसत से अधिक वर्षा होती है, वहां हमने इतने नलकूप खोद दिए कि नीचे का वाटर लेवल है, वह लगातार नीचे होता चला जा रहा है। इसलिए वाटर की रिचार्जिंग और वाटर की हारवैस्टिंग का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बना कर, इसमें भारत सरकार विशेष आयोजन करे। मैं तो–तीन सुझाव देकर अपनी बात खत्म करूंगा।

[श्री मोहन सिंह]

आप किसानों की हालत, किसी भी हालत में कर्ज के बोझ में, कर्ज की चक्की में पिस कर सुधार नहीं सकते। उसकी हालत सुधारने का नम्बर एक फार्मूला होगा कि उसकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले। दूसरा, जितना भी कृषि निवेश है, वे इतने सस्ते किए जाएं कि उसकी पहुंच के बाहर हों। तीसरा, उसमें जागरूकता पैदा की जाए कि किस फसल से उसे इस साल आमदनी होने वाली है। इसके बारे में भारत सरकार कृषि विज्ञान केन्द्र खोल रही है जिस की समीक्षा होनी चाहिए। कृषि मंत्री कथित वैज्ञानिकों को बुलाएं। हमें उनके बारे में बड़ी आपत्ति है। मैं बहुत खेद के साथ कहना चाहता हूं, स्वामीनाथन साहब कहते हैं कि कृषि के बजट को 14 फीसदी से बढ़ा कर, जो शोध का बजट है, उसे 20 परसेंट किया जाए। हम कहते हैं कि इसे 20–25 परसेंट नहीं तो 30 परसेंट कर दो लेकिन उसका आउट–कम क्या है? कृषि वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? इसके बारे में भी कृषि वैज्ञानिकों को बतलाना चाहिए। मैं दुख के साथ अपने क्षेत्र के अनुभव के संबंध में कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में एक कृषि वैज्ञानिक केन्द्र खुला लेकिन उसमें ताला लगा रहता है। वहां कोई वैज्ञानिक पहुंचता नहीं है। कहते हैं कि इनटीरिअर में कौन जाए? वे बनारस में बैठ कर, उसका शासन चलाते हैं। ऐसी ही स्थिति कृषि विज्ञान केन्द्रों की पूरे हिन्दुस्तान में है। किसी भी इनटीरिअर इलाके में कोई भी कृषि वैज्ञानिक बड़ा शहर छोड़ कर किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए जाना नहीं चाहता। इसलिए कृषि विज्ञान केन्द्रों की समीक्षा होनी चाहिए। कृषि वैज्ञानिकों की किसी भी हालत में कृषि विज्ञान केन्द्र पर उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए और किसानों को प्रशिक्षण मिलना चाहिए। आधुनिक ज्ञान–विज्ञान, आधुनिक कृषि की तकनीक, उसमें उर्वरक का निवेश आदि का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। बहुत से क्षेत्रों में हम देखते हैं कि उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है। स्वामीनाथन साहब कहते हैं कि सॉयल की जो कैपेसिटी और ताकत है, इसका सर्वेक्षण करके किसानों को ज्ञान कराना चाहिए। यह ताकत क्यों खत्म हो रही है? खत्म इसलिए हो रही है कि उसे मिट्टी के खाद की जरूरत है, दूसरी खादों की जरूरत है। उनमें नाइट्रोजन जरूरत से थोड़ा ज्यादा रहता है क्योंकि उन्हें खाद मिलती नहीं है, अगर मिलती है तो बहुत महंगी है। वह उनमें यूरिया डाल देता है और यूरिया डाल कर उसकी उर्वरा का जो संतुलन है, वह गड़बड़ा जाता है। अज्ञानता के अभाव में, वह सही ढंग से उनका इस्तेमाल नहीं करता है। इसलिए किसान को ज्ञान और विज्ञान के प्रशिक्षण की सबसे ज्यादा जरूरत है।

उसी के साथ–साथ किसान को प्रेरित भी करना चाहिए। किसान कर्ज खेती में निवेश करने के लिए नहीं लेता है। वह दूसरी चीजों मे निवेश करता है। कृषि मंत्री जी ने पिछली बार बहुत सही बात कही थी कि वह अपनी खेती को बंधक डाल कर अपनी लड़की की शादी में इस्तेमाल करता है, उसके घर में कोई बीमार पड़ा है, 3–4 लाख में किडनी का ऑपरेशन होता है, ट्रांसप्लांटेशन होता है, घर में कोई हृदय रोग का मरीज हो गया, ओपन हार्ट सर्जरी करनी है तो दो–ढ़ाई लाख रुपया लगता है, वह उसके लिए तीन एकड़ भूमि बंधक करके खेती के नाम पर कर्ज लेता है और उसमें इस्तेमाल कर लेता है। उसमें रिपे करने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए उसके इलाज का इंतजाम होना चाहिए।

इसी के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों के बैंकों की एक बैठक करें और इस बात की समीक्षा करें कि किस व्यापारिक बैंक ने पिछले तीन वर्ष में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा खोली है। वित्त मंत्री जी का यह दावा कि एक लाख 75 हजार करोड़ रुपए बांट दिए लेकिन उन्हें बांटने में बिचौलियों ने कितना ले लिया? आज किसान अपनी आवश्यकता के लिए गांवों में चवन्नी सूद पर कर्ज लेने के लिए निर्भर है। जो निजी क्षेत्र की मनी लैंडिंग हैं और जो गांवों में हैं, उनकी ये बैंक कोई सहायता नहीं करते हैं। इसलिए उन्हें साहूकारों से पैसा लेना पड़ता है। किसानों को आसानी से बिना घूस के अपनी खेती मे निवेश करने के लिए बैंक का ऋण मिले इसके लिए अधिकाधिक संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक बैंकों की शाखाएं खोली जाएं।

यहीं आग्रह करते हुए चूंकि सभी माननीय सदस्यों को अपने विचार रखने हैं, थोड़े से सुझावों के साथ, मैं अपनी बात खत्म करते हुए बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं और इस बहस की शुरूआत करता हूं।

---

**अपराह्न 4.25 बजे**

## लाभ के पद से संबंधित संवैधानिक और विधिक स्थिति की जांच करने के लिए संयुक्त समिति के गठन के बारे में प्रस्ताव

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** अब सभा मद संख्या 6–क पर विचार करेगी।

**श्री वरकला राधाकृष्णन** (चिरायिंकिल) : महोदय, कृपया मुझे एक मिनट के लिए अनुमति दीजिए ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** माननीय मंत्री जी को अपना भाषण पूरा करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

**विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि लाभ के पद से संबंधित संवैधानिक और विधिक स्थिति की जांच के लिए दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति, जिसे संयुक्त

समिति कहा जाएगा, गठित की जाए जो पन्द्रह सदस्यों से मिलकर बनेगी जिसमें 10 सदस्य इस सभा के होंगे जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा तथा जिसमें संयुक्त समिति का सभापति भी शामिल होगा और पांच सदस्य राज्य सभा से होंगे जिन्हें राज्य सभा के सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

2. कि संयुक्त समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार होंगे:–

(एक) संविधान के अनुच्छेद 102 में "लाभ का पद" अभिव्यक्ति की परिनिर्धारित व्याख्या और उसमें अंतर्निहित संवैधानिक सिद्धांतों के संदर्भ में जांच करना, तथा "लाभ का पद" की व्यापक परिभाषा के संबंध में सुझाव देना;

(दो) "लाभ का पद" के संबंध में सामान्य और व्यापक मानदंड का मूल्यांकन, जो न्यायोचित, उचित और तर्कसंगत हो और सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों पर प्रयुक्त किए जा सकते हों की सिफारिश करना;

(तीन) ब्रिटेन में यथाविद्यमान तथा संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा विचारित संसद सदस्यों की निरर्हता के विचारण से संबंधित विधि व्याख्या के अंगीकरण की व्यवहार्यता की जांच करना; और

(चार) उपर्युक्त के आनुषंगिक किसी अन्य विषय की जांच करना।

3. कि संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने की दृष्टि से गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या का एक तिहाई होगी।

4. कि संयुक्त समिति संसद के अगले सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक इस सभा को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

5. कि अन्य मामलों में, संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों तथा संशोधनों के साथ, जो अध्यक्ष करे, लागू होंगे।

6. कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में शामिल हो तथा राज्य सभा के सभापति द्वारा इस संयुक्त समिति के लिए नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

*...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है:

"कि लाभ के पद से संबंधित संवैधानिक और विधिक स्थिति की जांच के लिए दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति, जिसे संयुक्त समिति कहा जाएगा, गठित की जाए जो पन्द्रह सदस्यों से मिलकर बनेगी जिसमें 10 सदस्य इस सभा के होंगे जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा तथा जिसमें संयुक्त समिति का सभापति भी शामिल होगा और पांच सदस्य राज्य सभा से होंगे जिन्हें राज्य सभा के सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

2. कि संयुक्त समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार होंगे–

(एक) संविधान के अनुच्छेद 102 में "लाभ का पद" अभिव्यक्ति की परिनिर्धारित व्याख्या और उसमें अंतर्निहित संवैधानिक सिद्धांतों के संदर्भ में जांच करना, तथा "लाभ का पद" की व्यापक परिभाषा के संबंध में सुझाव देना;

(दो) "लाभ का पद" के संबंध में सामान्य और व्यापक मानदंड का मूल्यांकन, जो न्यायोचित, उचित और तर्कसंगत हो और सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों पर प्रयुक्त किए जा सकते हों, की सिफारिश करना;

(तीन) ब्रिटेन में यथाविद्यमान तथा संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा विचारित संसद सदस्यों की निरर्हता के निवारण से संबंधित विधि व्यवस्था के अंगीकरण की व्यवहार्यता की जांच करना; और

(चार) उपर्युक्त के आनुषंगिक किसी अन्य विषय की जांच करना।

3. कि संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने की दृष्टि से गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या का एक तिहाई होगी।

4. कि संयुक्त समिति संसद के अगले सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक इस सभा को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

5. कि अन्य मामलों में, संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों तथा संशोधनों के साथ, जो अध्यक्ष करे, लागू होंगे।

6. कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में शामिल हो तथा राज्य सभा के सभापति द्वारा इस संयुक्त समिति के लिए नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**श्री खारबेल स्वाईं** (बालासोर) : महोदय, यह ठीक नहीं है *...(व्यवधान)* कृपया मुझे अनुमति दीजिए *...(व्यवधान)*

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी)** : महोदय, हमने वाद–विवाद के दौरान सभा में आश्वासन दिया था और हमने उसका पालन भी किया ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : माननीय मंत्री जी पहले ही बता चुके हैं कि प्रस्ताव सभा के समक्ष क्यों आया है।

*[हिन्दी]*

क्या कमेटी के मोशन पर कभी चर्चा होती है।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री खारबेल स्वाई** : महोदय, यह गलत है। माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं, वह गलत है ...*(व्यवधान)* विपक्ष के माननीय नेता तब यह कहने का प्रयास कर रहे थे ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : महोदय, मैं यह स्पष्ट करूंगा कि वाद–विवाद के दौरान हमने सभा को आश्वासन दिया था और हमने उसे पूरा भी किया ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : वचनबद्धता के अनुसार माननीय मंत्री ने इसकी व्याख्या की है।

...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

**सभापति महोदय** : वचनबद्धता के अनुसार, माननीय मंत्री जी यह बता चुके हैं कि प्रस्ताव क्यों आया है। उन्होंने इसका पालन किया है। कृपया सहयोग करें।

...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

**श्री खारबेल स्वाई** : महोदय, यह उचित नहीं है ...*(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[हिन्दी]*

**प्रो. रासा सिंह रावत** (अजमेर) : मंत्री जी को यहां आना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : आप उनकी बात सुनिए।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : जब समिति के सृजन का प्रस्ताव पारित होता है तब जरा भी चर्चा नहीं होती। सभा को इसकी जानकारी है। जब भी समिति के सृजन का प्रस्ताव पारित होता है तब हमेशा चर्चा नहीं होती।

...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : कृपया कोई नया दृष्टान्त न बनाएं। कृपया माननीय मंत्री जी को सुनें।

...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : यदि आप माननीय मंत्री की बात नहीं सुनते तो मैं असहाय हूं।

...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : कृपया माननीय मंत्री जी की बात सुनें। कृपया शांत रहें।

...*(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : महोदय, सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से सभा को बताना चाहता हूं कि लाभ के पद संबंधी वाद–विवाद के दौरान ...*(व्यवधान)* मुझे लगता है कि आपको भ्रम में डाला जा रहा है ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : वह संसदीय मामलों के एक योग्य मंत्री हैं। आप उन्हें किस प्रकार चुनौती दे सकते हैं?

...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : कृपया बैठ जाइए। कृपया मननीय मंत्री महोदय की बात सुनें। कृपया सहयोग दें।

...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : कृपया एक मिनट के लिए बैठ जाइए। कृपया उन्हें सुनिए और उसके बाद आप जो करना चाहें, करिए।

...*(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : महोदय, मुझे समझ में नहीं आ रहा ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : कृपया उन्हें सुनिए। कृपया सहयोग करिए। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप पहले वह सुनें जो वह कहना चाह रहे हैं। कृपया मंत्री महोदय को बोलने दीजिए। उसके बाद आपको भी बोलने का अधिकार है। उन्हें स्पष्ट करने दीजिए। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

**सभापति महोदय** : जो प्रियरंजन दासमुंशी बोल रहे हैं उसके अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए। कार्यवाही वृत्तांत में केवल वही सम्मिलित करें जो मंत्री महोदय स्पष्ट कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)**

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : महोदय, लाभ के पद से संबंधित विधेयक पर वाद–विवाद के दौरान सरकार ने दोनों सभाओं को एक औपचारिक आश्वासन दिया था कि व्यापक ढंग से इन चीजों को देखने के लिए एक उपयुक्त समिति का गठन किया जाएगा। हमने केवल अपने आश्वासन को पूरा किया है ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : कृपया बैठ जाइए। आप जानते हैं कि मंत्री महोदय के स्पष्टीकरण के अनुसार, सरकार ने एक आश्वासन दिया था और उसने इसे पूरा किया है। सभी सदस्य बहुत विद्वान और ज्ञानी हैं। जब एक समिति की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है, तो उस पर कोई चर्चा नहीं की जाती है। इसलिए, कृपया एक नई मिसाल कायम न करें। कृपया बैठ जाइए।

श्री कैलाश जोशी

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय** : किसान के विषय पर चर्चा हो रही है, उस चर्चा को कृपया करके आगे बढ़ने दीजिए। किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान खतरे में है। किसान की समस्याओं पर चर्चा कर लीजिए। यह तो चलता रहेगा। किसान क्या सोचेगा कि मेरे ऊपर आपत्ति आ रही है और मेरी चर्चा में बाधा आ रही है। किसान आपके बारे में गलत सोचेगा।

*[अनुवाद]*

नियम 193 के अधीन हो रही चर्चा को आगे बढ़ने दिया जाए।

...*(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय** : आप सब अपने–अपने स्थान पर बैठिए। किसान आप सबके बारे में क्या सोचेंगे? किसान का सम्मान करने के लिए, किसान का आदर करने के लिए किसान के बारे में नियम 193 के अधीन जो चर्चा हो रही है, उस चर्चा को आगे बढ़ने दें।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : आपके दल के सदस्य बोलने जा रहे हैं। वह मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वे बहुत विद्वान और आदरणीय हैं।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय** : रासा सिंह जी, आप बैठिए। आपकी ही पार्टी के सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए हैं। आप इन्हें बोलने दीजिए। आप बैठिए। क्या ऐसे काम होता है?

*[अनुवाद]*

कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय** : आप बैठिए। मैंने पहले बताया है कि जब मोशन मूव होता है और कमेटी फार्म होती है तो उस स्टेटमेंट पर कभी डिस्कशन नहीं होता है। यह नया कानून, नई परम्परा हम लोग नहीं मान सकते।

...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : किसी की भी बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है।

...*(व्यवधान)**

*[अनुवाद]*

**श्री गुरुदास दासगुप्त** (पंसकुरा) : महोदय, मैं एक बात उठा रहा हूं।

**सभापति महोदय** : श्री दासगुप्त यदि मैं एक सदस्य को अनुमति देता हूं तो मुझे प्रत्येक को अनुमति देनी पड़ेगी। कृपया सहयोग कीजिए। प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है और उसे स्वीकार कर लिया गया है।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हम यह नई परंपरा क्यों बनाएं क्योंकि इस बारे में कोई नियम नहीं हैं।

...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** श्री दासगुप्त, कृपया सहयोग कीजिए। अब प्रस्ताव को प्रस्तुत तथा स्वीकृत कर लिया गया है और दिए गए आश्वासन के अनुसार समिति का गठन हो चुका है। मंत्री महोदय इसे स्पष्ट कर चुके हैं। यदि एक बार मैं एक सदस्य को अनुमति प्रदान करता हूं तो मुझे सभी सदस्यों को अनुमति प्रदान करनी पड़ती है। यह चर्चा में तब्दील हो जाएगी और नियम 193 के अधीन चल रही चर्चा बीच में ही रह जाएगी। इसलिए, कृपया एक नई मिसाल कायम न करें।

...*(व्यवधान)*

**श्री गुरूदास दासगुप्त :** जब प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो सदस्यों को छूट होती है कि वे प्रश्न पूछ सकें और स्पष्टीकरण मांग सकें। ...*(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी :** श्री दासगुप्त, मुझे संसदीय पद्धति की शिक्षा मत दें ...*(व्यवधान)* जब कोई प्रस्ताव प्रस्तुत होता है, तो सदस्य इसका समर्थन भी कर सकते हैं और इसका विरोध भी ...*(व्यवधान)* मुझे खेद है।

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय :** ऐसा है कि राज्य सभा में स्टेटमेंट के ऊपर चर्चा होती है लेकिन लोक सभा में ऐसी कोई चर्चा स्टेटमेंट के ऊपर नहीं होती है। यह नया कानून मत बनाइए।

*[अनुवाद]*

कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कीजिए। हम किसानों के मुद्दे पर नियम 193 के अधीन चर्चा जारी रखें।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय :** किसानों की हालत पर चर्चा होने दें।

**एक माननीय सदस्य :** मंत्री जी चले गए हैं।

**सभापति महोदय :** जिनका काम हो जाता है, वह चले जाते हैं। इसमें मंत्री जी के चले जाने की कोई बात नहीं।

*[अनुवाद]*

**श्री वरकला राधाकृष्णन :** महोदय, इस सदन में मुझे एक मुद्दा उठाना है। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** कोई भी सदन से गया नहीं है।

*[हिन्दी]*

जब उनका रिज्योल्यूशन हो गया, उनका काम खत्म हो गया और वह चले गए। नियम 193 के तहत किसानों की हालत पर चर्चा हो रही है, आप उसमें शामिल हो जायें। अब एक नया कानून मत बनाइए।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री वरकला राधाकृष्णन :** महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** कृपया बैठ जाइए, और नियम 193 के तहत चल रही चर्चा को हम जारी रखें।

...*(व्यवधान)*

**श्री वरकला राधाकृष्णन :** महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कीजिए।

...*(व्यवधान)*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** (पुरी) : महोदय, प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद मंत्री महोदय को इस प्रकार सदन से नहीं चले जाना चाहिए था ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय :** आप लोग यह नई स्थिति किसलिए पैदा कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और सदन में प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया। अब आप इसके लिए नई प्रक्रिया और नियम नहीं बना सकते हैं। इसलिए, कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कीजिए, क्योंकि सदन में इस मुद्दे से संबंधित पालन किए जाने वाले नियमों के बारे में आप सब भिन्न हैं।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय :** उनका मोशन हो गया, वह चले गए।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री वरकला राधाकृष्णन :** महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जहां तक इस प्रस्ताव का संबंध है, कानून मंत्री इसे नहीं पढ़ पाए और इसे पेश करने के बाद चले गए ...*(व्यवधान)* क्या सभा के कार्य करने का यही तरीका है? क्या लोक सभा के कार्य करने का यही तरीका है? सभा में माननीय सदस्यों को अवश्य सुना जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** कृपया बातों को गलत न समझें और इनका गलत अर्थ न निकालें। मैं माननीय सदस्यों का यह आचरण स्वीकार नहीं करूंगा।

...*(व्यवधान)*

**श्री वरकला राधाकृष्णन :** महोदय, मैंने प्रारंभ में ही एक आपत्ति उठाई थी। यह एक ऐसा मामला है जिस पर सभा द्वारा विचार किया गया है और राष्ट्रपति को लौटाया गया है। अब, एक समिति का गठन किया गया है। इस 'लाभ का पद विधेयक' पर इस सभा में दो बार चर्चा हो चुकी है। और माननीय राष्ट्रपति के पास भेजा जा चुका है ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** श्री राधाकृष्णन जी, कार्यवाही--वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी :** महोदय, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** माननीय मंत्री इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं। कृपया उन्हें ऐसा करने दें। इसके अलावा और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

**श्री वरकला राधाकृष्णन :** महोदय, यह एक उपहास है ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय :** अगर मिनिस्टर को नहीं सुनना चाहते हैं; ऐसे कैसे काम चलेगा?

...*(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**एक माननीय सदस्य :** मंत्री जी को बुलवाइए।

*[अनुवाद]*

**श्री अनंत कुमार** (बंगलौर दक्षिण) : ...*(व्यवधान)* सभा के विचार हेतु इसे कहां रखा गया था? ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** माननीय सदस्य, आप इस सभा के एक वरिष्ठ तथा विद्वान सदस्य हैं। आप बहुत अच्छी प्रकार जानते हैं कि एक प्रस्ताव पारित किया गया था और सभा ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। इससे अधिक इसमें क्या किया जा सकता है? अब हम सभा के सामने अगला विषय उठा सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

**श्री अनंत कुमार :** नहीं महोदय, ऐसा नहीं था ...*(व्यवधान)*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** महोदय, आप अगले विषय पर नहीं आए हैं। सदस्य उत्तेजित हो रहे हैं और उनमें से कुछ ...*(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी :** आप केवल चिल्लाते हैं और दूसरों को सुनने का धैर्य आपमें नहीं है। कृपया मुझे स्थिति स्पष्ट करने दें ...*(व्यवधान)* श्री मल्होत्रा जी, कृपया मुझे बोलने दें। आप थोड़े समय बाद बोल सकते हैं। हम बिना किसी जरूरत के उत्तेजित हो रहे हैं क्योंकि दोनों सदनों में, 'लाभ का पद विधेयक' पर चर्चा के अंतिम भाग के दौरान हमारे माननीय कानून मंत्री ने एक बार नहीं बल्कि तीन बार दोहराया और यह एक बार बनने वाला विधेयक है। आगे कहा गया कि इस मुद्दे की विस्तृत विषयवस्तु, जिसे कि उठाया गया है, सदन के द्वारा नियुक्त समिति को देखना चाहिए। हमने यह आश्वासन उस सदन में और इस सदन में दिया था। इसलिए, हम केवल उस आश्वासन को पूरा कर रहे हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है ...*(व्यवधान)*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** महोदय, हम इसके गुणों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** कृपया, श्री मल्होत्रा को सुनें।

...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** क्या आप अपने ही दल के सहयोगी को नहीं सुनेंगे?

...*(व्यवधान)*

**श्री वरकला राधाकृष्णन :** महोदय, मैंने प्रारंभ में ही ये मुद्दा उठाया था। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : श्री राधाकृष्णन जी, कृपया बैठ जाएं। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। श्री मल्होत्रा के निवेदन के अलावा कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** (दक्षिण दिल्ली) : सभापति जी, अभी श्री दासमुंशी जी का यह कहना ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : प्रस्ताव पहले ही पेश किया जा चुका है और इसे स्वीकार कर लिया गया है।

...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? यह पहले ही अनुमोदित हो चुका है।

...*(व्यवधान)*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** : महोदय, इसमें दो बातें हैं। पहली, वह कहते हैं कि वे सदन में उद्घोषणा कर चुके हैं कि इसके लिए एक समिति का गठन होगा। इसे 31 जुलाई को पारित किया गया था और आज 17 अगस्त है। 18 दिन तक इनको होश नहीं आया कि कोई कमेटी बनानी चाहिए या कुछ करना चाहिए।

दूसरी बात है कि पेश किए गए प्रस्ताव को देखें। मंत्री महोदय ने इस प्रस्ताव को पारित किया था। कोई जॉइंट सैलेक्ट कमेटी बिना नाम के नहीं हो सकती जॉइंट सैलेक्ट कमेटी का गठन करने वाले सदस्यों के नाम का उल्लेख प्रस्ताव में होना चाहिए।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : अध्यक्ष महोदय ही सदस्यों को नियुक्त करेंगे।

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** : मुझे ऐसा एक भी मामला याद नहीं आता जहां सदस्यों के नामों के बिना किसी जॉइंट सैलेक्ट कमेटी का गठन किया गया हो। सदस्यों के नामों का उल्लेख सदन में करना होगा।

*[हिन्दी]*

बिना पारित किए, बिना पेश किए, बिना सदस्यों के नाम दिए आप इसको इस तरह से पारित करने की कोशिश करें तो वह ठीक नहीं है। उस दिन यह तय हुआ था कि जो तमाम मम्बर्स ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं, वह उन ऑफिसेज से इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद ही इस कमेटी का कोई मतलब है। बिना पास किए, बिना मूव किए, बिना सदस्यों के नाम दिए आप इसको इस तरह से पास करने की कोशिश करें तो वह ठीक नहीं है। उस दिन यह तय हुआ था कि जो तमाम मैम्बर्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं, वह उन ऑफिसेज़ से इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद ही इस कमेटी का कोई मतलब है।

*[अनुवाद]*

वे अपने पदों पर बने हुए हैं। अब आप कहेंगे कि प्रस्ताव में यह है कि कमेटी यह निर्णय लेगी कि "लाभ के पद" क्या है।

*[हिन्दी]*

दोनों बिल्कुल कॉन्ट्रेरी और डायामैट्रिकली अपोज़िट चीजें हैं। आप इसको तय करें कि क्या कोई जॉइंट सैलेक्ट कमेटी बिना नाम के बन सकती है, क्या कभी आज तक बनी है? इसके बारे में आप देखें ...*(व्यवधान)*

**श्री गुरुदास दासगुप्त** : महोदय, मुझे एक प्रश्न उठाना है।

**सभापति महोदय** : श्री गुरुदास दासगुप्त, कृपया जारी रखें।

...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : मैंने उन्हें बुलाया है, कृपया प्रभुनाथ सिंह जी सहयोग करें। श्री गुरुदास दासगुप्त, कृपया जारी रखें।

**श्री गुरुदास दासगुप्त** : मैं केवल एक बात कह रहा हूं। संसदीय कार्य मंत्री कृपया इस बिंदु पर विचार करेंगे। प्रस्ताव का विरोध करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। प्रस्ताव को स्वीकार करना होगा और एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन करना होगा। इस पर कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात है, सरकार केवल सभा को दिए अपने आश्वासन को पूरा कर रही है, और यह भी सही है। निश्चित तौर पर, सरकार को इसके लिए बधाई देनी चाहिए। हालांकि, यह विवाद की जड़ नहीं है। माननीय सभापति और माननीय संसदीय कार्य मंत्री, बिंदु यह है कि जब सदन में एक प्रस्ताव पारित किया गया है, यदि कोई सदस्य या सदस्यगण निवेदन करना चाहते हैं, तो उन्हें सुनना चाहिए। हम सर्वसम्मति से संकल्प पारित करेंगे लेकिन हमारे द्वारा कही बातें सुनी जानी चाहिएं। जिस प्रकार से यह किया गया, मेरे विचार से इसने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया ...*(व्यवधान)*

**श्री वरकला राधाकृष्णन** : हमें सुना जाना चाहिए।

**श्री गुरुदास दासगुप्त** : मैं माननीय सदस्य के साथ सहमत नहीं हूं कि प्रस्ताव को नामों के साथ पारित करना चाहिए। आपको याद होगा कि मैं संयुक्त संसदीय समिति का एक सदस्य था, जिसके आप भी एक सदस्य थे ...*(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :** मैं सदस्य नहीं था। आप किस समिति के संबंध में बात कर रहे हैं?

**श्री गुरूदास दासगुप्त :** मैं प्रतिभूति घोटाले संबंधी संयुक्त संसदीय समिति का उल्लेख कर रहा हूं जिसका मैं एक सदस्य था। सभा में नामों का उल्लेख नहीं किया गया ...*(व्यवधान)* कृपया मेरी बात सुनें। सभा में एक संकल्प पारित होता है और तब माननीय अध्यक्ष महोदय कुछ सदस्यों को इस सभा से नामांकित करेंगे और राज्यसभा के सभापति उस सभा से कुछ सदस्यों को नामांकित करेंगे। यही सामान्य प्रणाली है। तथापि मैं कहना चाहता हूं कि माननीय विधि और न्याय मंत्री ने जिस ढंग से सभा में व्यवहार किया वह उपयुक्त नहीं था। ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय :** पहले राधाकृष्णन जी को सुन लेते हैं वे काफी देर से एजीटेट कर रहे हैं।

*[अनुवाद]*

अब मैं श्री वरकला राधाकृष्णन को बोलने के लिए आमंत्रित करके न्याय करूं अन्यथा वे आपको बोलने नहीं देंगे।

**श्री वरकला राधाकृष्णन :** माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव के विरोध में नहीं हूं। प्रश्न यह है कि कुछ संसदीय प्रतिमानों का पालन किया जाना होता है। इस सभा का गठन भारतीय संविधान के तहत हुआ है। यह लोक सभा है। मंत्री जी ने आकर प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसे अभी परिचालित किया गया था। हमें प्रस्ताव को पढ़ने तक समय नहीं मिला। अचानक वह खड़े हुए, प्रस्ताव पढ़ा और फिर आपने कहा कि यह पारित हो गया। क्या यह कार्य करने का सही ढंग है। उस सभा के लिए यह अत्यंत शर्मनाक बात है कि विधि मंत्री जी आते हैं, प्रस्ताव पढ़ते हैं और फिर जो लोग यहां उपस्थित हैं उन्हें सुने बिना चले जाते हैं। हमें इस मामले में अपनी बात कहने का अधिकार है। यह संवैधानिक मामला है। आपको याद होगा कि लाभ के पद संबंधी विधेयक पर इस सभा में दो बार पूरी तरह चर्चा हुई थी। हमने सर्वप्रथम इस पर चर्चा की इसे पारित किया और फिर इसे राष्ट्रपति जी के अनुमोदनार्थ भेजा। माननीय राष्ट्रपति जी ने इसकी जांच की और विधेयक लौटा दिया। हमने इसे पुनः बिना किसी संशोधन, बिना किसी परिवर्तन के पारित किया और फिर इसे राष्ट्रपति जी को भेजा और राष्ट्रपति जी विधिक रूप से इस पर हस्ताक्षर करने को बाध्य हैं। उन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया। हम नहीं जानते हस्ताक्षरों का क्या हुआ। इस प्रक्रिया का पालन विधेयक को दूसरी बार पारित करने से पूर्व भी किया जाना चाहिए था। यह घोषणा पत्र विधेयक पारित करने से पूर्व भी पारित किया जा सकता था। राष्ट्रपति जी से विधेयक वापिस मिलने के बाद सत्तापक्ष के लिए उपायुक्त विधिक प्रक्रिया यह थी कि इस मामले को संयुक्त प्रवर समिति को विधिक व्याख्या तथा अन्य बातों के लिए भेजे जाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता। यह उचित तरीका है। यह लोकतांत्रिक तरीका है। वह अन्यायपूर्ण तथा गैर–विधिक है। इसे ऐसे पारित नहीं किया जा सकता। मुझे अफसोस है कि इस वृद्धावस्था में मैं इस गैर लोकतांत्रिक तरीके का साक्षी रहा ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** श्री राधाकृष्णन आपने अपनी बात कह दी है।

...*(व्यवधान)*

**श्री वरकला राधाकृष्णन :** मुझे अत्यंत अफसोस है। क्या यह ग्रन्थालय की बैठक है? यह लोक सभा है ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** श्री राधाकृष्णन, सभी को बोलने का अधिकार है कृपया सभा के समय पर एकाधिकार न करें।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** (महाराजगंज, बिहार) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने घोषणा की और उन्होंने प्रस्ताव रखा, इस पर हमारी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस समय वह प्रस्ताव पढ़ रहे थे और जिस ढंग से इधर और उधर, दोनों तरफ के माननीय सदस्य अपना विरोध प्रकट कर रहे थे, उनकी बात नहीं सुनी गई। मंत्री जी ..*(व्यवधान)** सदन से निकल कर चले गए, यह सदन की अवमानना है।

सभापति महोदय, मंत्री जी को यहां बुलाइए, उन्होंने सदन की अवमानना की है। ...*(व्यवधान)* वे यहां आकर खेद व्यक्त करें, उसके बाद सदन की कार्यवाही चलाइए। ...*(व्यवधान)* यह सदन की अवमानना हुई है। ...*(व्यवधान)*

**श्री जय प्रकाश** (हिसार) : ये कैसे बोल रहे हैं? ...*(व्यवधान)* ये रोज ऐसे ही करते हैं। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** कृपया बैठ जाइए। यदि कुछ असंसदीय है तो उसे दूर किया जाएगा। चिन्ता न करें।

...*(व्यवधान)*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** सभापति महोदय, यह सर्वाधिक घृणित तथा दुर्भाग्यपूर्ण बात है ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह :** सभापति महोदय, अगर मंत्री जी नहीं आते हैं तो उन्हें * ...*(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[अनुवाद]*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : मंत्री जी सभा की कार्यवाही के दौरान सभा से चले गए। मंत्री जी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया उन्होंने प्रतिपक्ष से परामर्श तक नहीं किया। माननीय राष्ट्रपति जी ने अभी तक विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं की है जो कि संसद की दोनों सभाओं में दूसरी बार पारित हो गया। यह एक सनसनी खेज मामला है। पूरा राष्ट्र इसे देख रहा है। संपूर्ण प्रबुद्ध समुदाय यह देखने के लिए प्रतीक्षारत है कि क्या होता है ...*(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : महोदय सभा में माननीय राष्ट्रपति जी पर चर्चा करना अत्यंत आपत्तिजनक है ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : मैं आपसे सहमत हूं।

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : जब सत्ता पक्ष के सदस्य और प्रतिपक्ष के सदस्य कुछ स्पष्टीकरण मांगने के लिए उत्तेजित थे, तुरंत सभा से बाहर चले गए। क्या एक जिम्मेदार मंत्री द्वारा सभा से व्यवहार करने का यही तरीका है? ...*(व्यवधान)* वह एक सम्मानित व्यक्ति और एक वरिष्ठ मंत्री हैं। वह सभा के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? हम मांग करते हैं कि मंत्री जी सभा में आएं अन्यथा हम सभा की कार्यवाही चलने नहीं देंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मंत्री को सभा में आकर अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगने को कहें। तभी यह सभा चलेगी। यह मेरी मांग है।

**सभापति महोदय** : कृपया बैठ जाएं। आपने अपनी बात कह दी है।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय** : आपने अपनी बात कह दी है, अब गीते जी को बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : मंत्री जी आएं और माफी मांगें। ...*(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : महोदय, मंत्री जी को क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के विरुद्ध कुछ नहीं किया है। हर व्यक्ति को प्रस्ताव प्रस्तुत करने का और कार्य समाप्त होने पर बाहर जाने का तब तक अधिकार है जब तक अध्यक्षपीठ इसके विपरीत निदेश न दें ...*(व्यवधान)*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : पूरा देश इसका साक्षी है ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : श्री गीते, कृपया सभापति को संबोधित करें। वे चुप रहेंगे। माननीय सदस्यगण कृपया सहयोग करें। कृपया आप सभी बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री अनन्त गंगाराम गीते** (रत्नागिरि) : हमें मोशन पर आपत्ति नहीं है, तरीके पर आपत्ति है।

**सभापति महोदय** : गीते जी, आप इधर देख कर बोलिए।

...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : मैं श्री अनंत गंगाराम गीते को इसीलिए अपनी बात कहने का समय दे रहा हूं ताकि किसानों की बात जल्दी शुरू की जा सके।

...*(व्यवधान)*

**श्री अनंत गंगाराम गीते** : सभापति जी, विधि मंत्री जी ने जो मोशन मूव किया, उस पर हमारी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मोशन मूव करने के बाद जब हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि मंत्री अपना मोशन मूव करने और पारित होने के बाद, यदि जाना चाहें, तो जा सकते हैं, इसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जैसे ही मोशन मूव हुआ और वोटिंग हुई, उसी समय सदन के आधे से ज्यादा सदस्य उत्तेजित होकर खड़े हो गए। वोटिंग नहीं हुई। ...*(व्यवधान)* जब वोटिंग स्टेज आई, तभी सदन के आधे से ज्यादा सदस्य उत्तेजित होकर खड़े हो गए। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : जब 'आइज' हुआ, तभी मैंने अनाउंस किया। आप रिकार्ड देख लीजिए।

*[अनुवाद]*

जब मैंने घोषणा की उस समय, किसी ने चुनौती नहीं दी। मेरे घोषणा करने के पश्चात ही मंत्री जी सभा से गए।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गंगाराम गीते** : आपने अनाउंस किया, लेकिन उसी समय सदन के आधे से ज्यादा सदस्य उत्तेजित होकर खड़े हो गए और आपत्ति जताई जा रही थी, तभी मंत्री जी भाग गए। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : आपत्ति जताना अलग है और 'नो' कहना अलग है और मंजूरी देना अलग बात है।

...*(व्यवधान)*

**श्री अनंत गंगाराम गीते** : कृषि मंत्री महोदय कह रहे है कि वे भाग कर नहीं गए, चलकर गए हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस ढंग से जो उनका व्यवहार था वह ठीक नहीं था। उनको सदन मे रुकना चाहिए था। आप जो कह रहे हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो कह रहे हैं, मेरी उस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का

203

व्यवहार विधि मंत्री जी ने किया है, वह ठीक नहीं है और सदन को अपमानित करने के समान है। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री खारबेल स्वाईं** : मेरा व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है।

**सभापति महोदय** : किस नियम के अंतर्गत?

**श्री खारबेल स्वाईं** : नियम 349 के अधीन।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : नियम 193 के अधीन चर्चा पर वाद-विवाद के दौरान, प्रस्ताव के मामले पर कोई व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठा सकता है? आप ऐसा नहीं कर सकते। यह प्रस्ताव से पहले किया जा सकता था ...*(व्यवधान)* व्यवस्था का प्रश्न नियम 193 के अधीन चर्चा पर उठाया जा सकता है, किसी और मुद्दे पर नहीं ...*(व्यवधान)* कृषि मुद्दे पर नियम 193 पर वाद-विवाद के दौरान व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है। उससे पहले, किसी अन्य मुद्दे पर हम सदन में केवल चर्चा कर सकते हैं। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है ...*(व्यवधान)* मैं जोर देकर कहता हूं, कि जो मामले निपटा लिए गए हैं, उस पर, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है ...*(व्यवधान)*

**श्री खारबेल स्वाईं** : यह व्यवस्था का प्रश्न मेरा है ...*(व्यवधान)* महोदय, आपने मेरे व्यवस्था के प्रश्न को खारिज़ किया। लेकिन मुझे इसे रजिस्टर करने दें ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

**श्री खारबेल स्वाईं** : नियम 349, खण्ड (xvii) – जब तक सदन बैठा है – अपना भाषण देने के तुरंत बाद कोई भी सदस्य सदन से बाहर नहीं जाएगा ...*(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : यह 'सदस्य' के बारे में है। वह सदन का सदस्य नहीं है ...*(व्यवधान)* यह आप पर लागू होता है।

**सभापति महोदय** : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

...*(व्यवधान)*

**अपराह्न 4.54 बजे**

**(उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए)*

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से सदन में सारा काम किया गया है, वह बहुत गलत है और नाजायज हुआ है। अगर इसको नहीं मान रहे हैं और मंत्री जी कह रहे हैं कि पास कर दिया है, तो ठीक नहीं है। यदि इसी तरह से हाउस को चलाना चाहते हैं, तो हम वॉक आउट करते हैं। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

विरोध में, हम बर्हिगमन करना चाहेंगे ...*(व्यवधान)*

**अपराह्न 4.55 बजे**

*(तत्पश्चात् प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए)*

**अपराह्न 4.55½ बजे**

## नियम 193 के अधीन चर्चा – *जारी*

### देश के किसानों में व्याप्त निराशा

*[अनुवाद]*

**श्रीमती परनीत कौर** (पटियाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि इस अति महत्वपूर्ण विषय 'भारत के किसानों में व्याप्त निराशा' पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया।

आपकी अनुमति से, आज मैं सबसे महत्वपूर्ण पक्ष पर देर तक बोलना चाहूंगी, अर्थात् न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। हाल ही में न्यूनतम समर्थन मूल्य को 600 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 610 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने से किसानों के आदानों के मूल्य की भी भरपायी नहीं हो पा रही है। 10 रुपए बढ़ाने से पिछले वर्ष हुई डीज़ल की कीमत में हुई बढ़ोत्तरी भी पूरी नहीं पड़ी है, और आदानों की बात तो छोड़ ही दी जाए।

ऐसा महसूस किया जा रहा है कि इस वजह से पंजाब और देश के अन्य भागों में छोटे और सीमांत किसानों, जो कि कृषक समुदाय के लगभग दो-तिहाई हैं, की आर्थिक दशा काफी खराब हो गयी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को इतना कम बढ़ाए जाने से किसान निरुत्साहित हो रहे हैं और खाद्यान्नों को छोड़कर अधिक लाभ देने वाली नकदी फसल पद्धति अपनाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसे खाद्यान्नों की भारी कमी हो सकती है। यह हमने पिछले मौसम में देखा था जब गेहूं की उपलब्धि ऐच्छिक लक्ष्य से काफी कम थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार मूल्य के अनुरूप नहीं था।

मैं पुरजोर यह महसूस करती हूं कि हमें इसे भी दोहराना चाहिए और जब धान की फसल का मौसम आ रहा है तब हमें इस न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे को दुबारा नहीं उठाना चाहिए। मेरा यह मानना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कम से कम 700 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा देना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उत्पाद का मूल्य होता है

[श्रीमती परनीत कौर]

जिसकी घोषणा बीज बोने के मौसम के प्रारंभ होने से पूर्व कर देनी होती है। यह किसानों को एक निर्धारित मूल्य प्रदान करता है और यदि बाजार दर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होता है तो सरकार किसी भी मात्रा में उत्पाद को स्वीकार करती है। सरकार अपने पूरे विवेक से न्यूनतम साधारण मूल्य को तय करने के लिए कुछ मान तथा मापदण्ड तय करती है – उत्पाद की कीमत, इनपुट, आउटपुट, अन्य मूल्य तथा और भी सब कुछ।

यदि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम साधारण मूल्य बाजार मूल्य से अधिक है तो यह उपलब्धि की ऐच्छिक मात्रा को सुनिश्चित नहीं करता है, अर्थात्, बफर स्टॉक की आवश्यकता के लिए, टी डी पी एस के लिए तथा कार्य कार्यक्रम के लिए भोजन के लिए, इत्यादि। क्योंकि पूरे देश के लिए केवल एक न्यूनतम साधारण मूल्य निर्धारित किया जाता है, इसे निर्धारित करने के आधार का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है। कुछ राज्यों, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्पादन की कीमत यन्त्रीकरण, सिंचाई के लिए पूंजी निवेश तथा भूमि की उत्पादकता में सुधार आदि के कारण अधिक है।

इन क्षेत्रों में, मूलभूत ढांचों में भारी निवेश के कारण उत्पादन अधिक रहा है तथा ये क्षेत्र सुनिश्चित करते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा तथा राष्ट्रीय खाद्य आत्म–निर्भरता हो। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 10 रुपए बढ़ाए जाने से पिछले वर्ष की मुद्रास्फीति की भी भरपाई नहीं हो पाएगी जो कि लगभग पांच प्रतिशत है। कृषि उत्पादों तथा वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य इस बात का मुख्य संकेत है कि हम अपने किसानों की भलाई के लिए क्या सोचते हैं।

लेकिन दुर्भाग्यवश, आर्थिक मुद्दों के अलावा अन्य तर्कों के कारण अक्सर न्यूनतम समर्थन मूल्य को दबाया जाता है, चाहे खाद्य सुरक्षा के लिए हमारे पास कितना भी खाद्य भंडारण हो और मूल्यों को न्यूनतम रखा गया हो। मेरे कहने का अर्थ है, जब खाद्य भंडार प्रचुर मात्रा में होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी 10 रुपए की है और अब जब खाद्य भंडार समाप्त हो चुके हैं और हमारा देश अन्य देशों से अधिक मूल्य पर खरीद रहा है, अभी भी बढ़ोत्तरी 10 रुपए की ही है।

**अपराह्न 5.00 बजे**

मेरे विचार से यह वास्तव में अर्थशास्त्र नहीं है। पिछले पांच वर्षों के दौरान चावल और गेहूं के समर्थन मूल्य में बहुत कम बढ़ोत्तरी के कारण किसान ऋण जाल में फंसते जा रहे हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान धान की वृद्धि दर में छह और आठ प्रतिशत की कमी आई है, जो कि अस्सी के दशक में दो प्रतिशत तक हो गया था। जैसा कि मेरे सहयोगी ने उल्लेख किया है और उनका कहना है कि मानसून के दौरान वर्षा सामान्य थी, लेकिन देश के कई हिस्सों में वर्षा कम हुई थी। 'द ट्रिब्यून' के अनुसार, पंजाब में ही, 19 में से 5 जिलों के अलावा, सभी जिले अकाल जैसी स्थिति का सामना कर रहे थे। इससे बहुत दबाव पड़ रहा है। लोग तथा किसान बहुत मेहनती हैं। हम तीन मुख्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

पंजाब में विद्युत आपूर्ति की स्थिति काफी खराब है। हम किसानों को 6 रुपए प्रति यूनिट की लागत पर किसानों को अबाधित आठ घंटे बिजली की आपूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। किसान पर कोई भार न डालने के बजाय, उसे निःशुल्क बिजली देकर किसान के पास उपलब्ध आदानों के मूल्य के आधे के बराबर भी कवर नहीं होता है, क्योंकि इस सूखे जैसी स्थिति में उसे डीजल द्वारा चलने वाले पंप का सहारा लेना पड़ता है। पंजाब में 94 प्रतिशत भूमि की सिंचाई नलकूपों तथा नहरों द्वारा की जाती है और यह किसानों को नुकसान उठा कर करना पड़ता है। उसे इस सूखे जैसी स्थिति में अपनी फसल उगानी है और देश के खाद्यान्न भंडार को बढ़ाना है। डीजल के मूल्य में वृद्धि से लागत मूल्य 220 रुपए प्रति क्विंटल और अधिक बढ़ गया है। ज्ञात स्रोतों के अनुसार गत वर्ष की तुलना में प्रति एकड़ वृद्धि 2500 रुपए से 3000 रुपए अधिक है। हरियाणा और पंजाब में कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 5 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई है, क्योंकि ये दोनों राज्य ही केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की सबसे अधिक आपूर्ति करते हैं और ये दोनों राज्य ही न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी की मांग कर रहे हैं। इससे किसानों को अपना ऋण चुकाने में मदद मिलेगी और कुछ हद तक यह कृषि संकट जिसका हम सामना कर रहे हैं, को दूर करने में सहयोग मिलेगा।

पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में स्थिर उत्पादकता और किसानों की निवल आय में कमी के कारण कृषि संकट उत्पन्न हुआ है। यह कमी भारत सरकार द्वारा खाद्यान्नों के मूल्यों को लगभग स्थिर करने और अन्य आदानों जैसे कि उर्वरकों, डीजल, कीटनाशकों आदि के मूल्यों में वृद्धि करने के कारण आई है। पंजाब में गेहूं और चावल के मूल्य पिछले दशक के दौरान 51 प्रतिशत बढ़े हैं, जबकि इसी अवधि के दौरान आदानों का मूल्य 127 प्रतिशत के करीब बढ़ा है। इसलिए, आप इस अंतर को देख सकते हैं जिसके कारण किसानों की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है और इससे किसान बुरी तरह से ऋण जाल में फंस गए हैं।

पंजाब के किसानों की कुल ब्याज देयता लगभग 40,000 करोड़ रुपए है जो कि सकल आय का लगभग 25 प्रतिशत है। यह ऋण संकट छोटे और सीमांत किसानों के लिए बहुत गंभीर हो गया है जो कि पंजाब में लगभग 65 प्रतिशत हैं। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के हाल ही के अध्ययन ने यह इंगित किया है कि पंजाब में छोटे और सीमांत किसानों का स्तर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से भी कम है और बढ़ते ऋण भार के कारण क्षेत्र में बहुत कम पूंजी निर्माण और निवेश हुआ है। महोदय, आज मैंने न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में कहा है, हमें किसानों द्वारा सामना

किए जा रहे इस संकट के समाधान के लिए संयुक्त प्रयास करने चाहिए। विविधीकरण की समग्र स्थिति, ग्रामीण ऋणग्रस्तता से राहत और भविष्य के लिए एक समान प्रतिस्पर्धी क्षेत्र की जरूरत है। सरकार को हमारे जीवन के सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। संभवतः, किसानों, खेत मजदूरों की जनसंख्या भारत में सबसे ज्यादा है और हमारे भविष्य, हमारे बच्चों के भविष्य और हमारे देश के लिए उस क्षेत्र को शीर्ष वरीयता दी जानी चाहिए। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि हम किस मद को कम महत्व दें परन्तु किसान को परेशानी नहीं होनी चाहिए।

अन्य सख्त जरूरत जिसे मैं माननीय मंत्री महोदय के समक्ष रखना चाहता हूं वह यह है कि समय की मांग 2006-07 के रबी फसल के लिए डीएपी की आवश्यकता है। यह लगभग 5.5 लाख टन है और बुआई के समय अर्थात् 25 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक इसके 80 प्रतिशत अर्थात् 4.4 लाख मि. टन की आवश्यकता होगी। बुआई शुरू होने से पहले हमें कम से कम चार लाख मि. टन की आवश्यकता होगी।

अन्ततः, चूंकि मैं पंजाब राज्य का प्रतिनिधित्व करती हूं, मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहती हूं कि पंजाब के किसानों द्वारा सामना किए जा रहे वित्तीय संकट का तत्काल समाधान किया जाए और इसके लिए 2060 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाए।

**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यों, 45 से अधिक वक्ताओं को इस विषय पर अभी बोलना है। अतः वे माननीय सदस्य जो अपने भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं, रख सकते हैं। वह कार्यवाही का भाग होगा।

*[हिन्दी]*

**श्री कैलाश जोशी** (भोपाल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संप्रग सरकार के दो वार्षिक बजट पारित हो चुके हैं और दोनों बजटों में किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए प्राथमिकता के साथ आश्वासन दिए गए थे। इनके दो वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन तात्कालिक राहतों को छोड़ दिया जाए, तो किसानों की मूल समस्याओं का अभी तक कोई निराकरण नहीं हो पाया है। किसानों का ऋण लगातार बढ़ता जा रहा है, आखिर इसके क्या कारण हैं? मैं मानता हूं कि कुछ किसानों ने शादी-ब्याह या अन्य किसी काम में पैसे को खर्च कर दिया होगा, लेकिन सभी किसानों ने ऐसा नहीं किया होगा, फिर वे कर्जदार क्यों हो गए? कर्जदार होने के बाद आत्महत्यायें क्यों होने लगी? इसकी तह में क्या है, सरकार ने दो सालों में कभी यह जानने की कोशिश नहीं की? आज इसके नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी विदर्भ क्षेत्र में गए थे और विदर्भ क्षेत्र में उन्होंने जून के महीने में किसी स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी। आज दो महीने से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन वह पैसा किसानों के हाथों में नहीं पहुंचा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दिसंबर में वहां गए थे और वहां उन्होंने एक हजार करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। अभी हमें इस बात की जानकारी मिली और जो सच भी है कि वह पैकेज आज भी किसानों के हाथों तक नहीं पहुंचा। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदयः** श्री कैलाश जोशी के भाषण के सिवाय कार्यवाही-वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्री कैलाश जोशीः** अगर यही स्थिति बनी रही, तो कृषि क्षेत्र और किसानों से जुड़ी जो मूल समस्यायें है, उनका समाधान यह सरकार किस प्रकार से करेगी? आज यह प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। आज हमारे देश में स्थिति ऐसी बन गयी है कि मंत्रीगण यदि कहीं किसानों के बीच में जाते हैं, तो उन्हें किसानों के रोष का सामना करना पड़ता है। सारे किसानों में घोर निराशा व्याप्त हो गयी है। मेरे से पूर्व बोलने वाली माननीय सदस्या की बात आपने सुनी है। हमारी बात पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन कम से कम उनकी बात पर तो ध्यान दीजिए। यह हकीकत है, जो उन्होंने अभी आपके सामने कहीं है। उनकी समस्याओं के निराकरण की दिशा में सरकार कोई कदम तो उठाती, लेकिन वह कोई कदम नहीं उठा रही है। इसका परिणाम आज आप देख रहे हैं। कृषि मंत्री जी आप महाराष्ट्र से हैं- पिछले दिनों आप स्वयं उस प्रदेश में गए थे। आपने वहां की क्या स्थिति देखी। जब आपने किसानों को चर्चा के लिए बुलाया तो आपको मालूम है कि वहां किसानों ने आपके सामने कितना रोष प्रकट किया। यह स्थिति जो बनी है, इसके निराकरण की दिशा में सरकार कोई कदम उठाए, हम यह चाहते हैं।

इससे पहले राजग की सरकार रही है। राजग की सरकार ने अपने कार्यकाल में तीन-चार नए ऐसे बिन्दु उठाए थे, जो किसानो की दशा सुधारने में सहायक हो सकते थे। उन पर भी आज तक आधा-अधूरा काम हुआ है, चाहे वह फसल बीमे की बात हो, किसानों की ब्याज दर घटाने की बात हो, या गांवों के अंदर ग्रामीण गोदाम और कोल्ड स्टोरेज बड़ी संख्या में निर्माण करने की बात हो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा नदी जोड़ों अभियान था। हमने 15 अगस्त से पूर्व महामहिम राष्ट्रपति जी का भाषण पढ़ा, जो उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर दिया था। उनहोंने भी इसकी आवश्यकता बताई। आज देश में जो तबाही मच रही है, वह इस तबाही को रोकने का एक महत्वपूर्ण उपाय हो सकता

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री कैलाश जोशी]

है। मेरे पूर्व जो वक्ता बोले हैं, वे आपको कह चुके हैं। कई प्रदेशों में भयंकर बाढ़ आई है और कई प्रदेशों में लगातार सूखा पड़ा हुआ है। इसीलिए राजग सरकार ने योजना बनाई थी कि नदी जोड़ों अभियान शुरू किया जाए। इसी सदन के एक माननीय सदस्य की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और उस समिति ने उस पर काफी काम किया था। लेकिन आपकी सरकार आने के बाद उसे भी कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया। कहा जरूर जा रहा है कि नदी जोड़ों अभियान पर काम होगा, लेकिन उनकी जो रिपोर्ट आई थी, आज तक उसके पन्ने भी नहीं पलटे गए और न ही उन पर विचार किया गया। कृषि मंत्री जी, आप मूल कारणों में जाइए, आज मूल कारणों में जाने की क्षमता रखते हैं। आप स्वयं किसान हैं और कृषि से आपका बड़ा लगाव रहा है। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि आप जैसा कृषि मंत्री होते हुए भी कृषि के क्षेत्र में जो काम होने चाहिए, वे नहीं हो रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि भारत हजारों वर्षों से कृषि प्रधान देश रहा है। यहां की कृषि इतनी उन्नत थी कि इसकी प्रणाली, यहां के अच्छे बीच, विकसित कृषि संसाधनों को दुनिया के लोग देखने आया करते थे। किसान स्वयं यहां बीज तैयार करते थे। बावों में गुरुकुल में रहने वाले प्राचार्य शिक्षकों को पढ़ाते थे, किसानों को भी ज्ञान देते थे और स्वयं कृषि पर नए-नए प्रयोग करते थे। प्रयोग आज भी हमारे यहां हो रहे हैं। उनकी चर्चा भी प्रस्तावक महोदय ने स्वयं की है। उन प्रयोगों का देश को क्या लाभ हो रहा है, कृपा करके आप हमें बताइए। हमारे यहां कौन से नए प्रयोग हो रहे हैं, उन प्रयोगों का लाभ किसानों को कितना मिला है। आज भी देशभर में किसानों की हालत यह है कि उन्हें नकली खाद से वास्ता पड़ता है, नकली कीटनाशकों से वास्ता पड़ता है और नकली बीजों से वास्ता पड़ता है। इस दशा को सुधारने की दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है, यह हम सब सदन में आपसे जानना चाहते हैं।

वर्षों तक यह क्रम चला, किन्तु इस बीच हमारे यहां के अच्छे बीज चले गए। मुझे मालूम है, हमारे मध्य प्रदेश में एक कृषि विशेषज्ञ थे। उनका कहना था कि लगभग साढ़े तीन सौ अच्छे धान के बीच विदेशों में चले गए और हमारे यहां के बीच बचे नहीं हैं। जिन किसानों ने बीच संभालकर रखे थे, उनके पास आज भी वे बीज मिल सकते हैं। ज्वार के बीज नहीं बचे, गेहूं के अच्छे बीज नहीं बचे। मैं मानता हूं कि नए-नए प्रयोग विदेशों में भी होते हैं, वे हमारे देश में आते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए, लेकिन स्वागत करने से पूर्व, हम कम से कम इस बात पर विचार कर लें कि जो बीज हम ला रहे हैं, जिन बीजों का उपयोग कर रहे हैं, वे हमारी कृषि के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे या नहीं। मैं समझता हूं कि आज इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। आईसीएआर में बड़े-बड़े कृषि विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, लेकिन उनका कोई ठोस परिणाम देश के किसानों के हाथ तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस ओर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बार हमारे यहां के किसानों को जापानी खेती सिखाई गयी। अब जापानी खेती का कितना लाभ हुआ, यह तो भगवान जाने, लेकिन मुझे मालूम है कि हमारे क्षेत्र में जब उसके बाद सूखा पड़ गया, तो किसान कहने लगे कि जापानी-जापानी कहने से पानी चला गया और बारिश नहीं हो रही है। हमने ऐसे प्रयोग किये, जिनका यहां पर परिणाम क्या निकलेगा, इसकी कोई जांच-पड़ताल नहीं की गयी। विदेशों से जैसा आया, उसे हमने स्वीकार किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी उसी व्यवस्था को अपनाया जा रहा है। मेरे पास एक पुस्तक है, जिसे गुजरात के कपास उत्पादक हित रक्षक संघ ने प्रकाशित किया है। इस पुस्तक का शीर्षक है-बीटी कॉटन ए ऐनकुल एपीसोड, नीड फॉर ए यारफुल पालिसी। इस पुस्तक में उनहोंने जो कुछ लिखा है, उस बारे में सरकार ने क्या विचार किया, क्योंकि हमें जानकारी मिली है कि अधिकतर आत्महत्याएं नगद फसल के किसानों द्वारा की गयी हैं। खाद्यान्न फसलों के किसानों ने उतनी आत्महत्याएं नहीं की हैं। गन्ना किसानों ने उतनी आत्महत्याएं नहीं की हैं। कपास का उत्पादन करने वाले किसानों ने ज्यादा आत्महत्याएं की हैं। इस पुस्तक में उसका बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है।

यद्यपि मैं यह स्वीकार करता हूं कि सरकार ने अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कम्पनी मौनसोटों से कोई एकरारनामा नहीं किया, लेकिन उसने महाराष्ट्र में एक निजी कम्पनी से समझौता कर लिया। उसी मौनसोटों ने गुजरात में जाकर एक निजी कम्पनी से समझौता कर लिया। इन दोनों समझौतों के परिणाम वहां के किसान को भुगतने पड़े। आज भी मैं यह जानता हूं कि इसकी मिलीजुली प्रतिक्रिया बीटी कॉटन है। कुछ क्षेत्रों के किसानों से मेरी भी चर्चा हुई है। मुझे जो जानकारी मिली, उससे यह पता लगा कि कुछ जगह बीटी कॉटन अच्छा पहुंचा और उसका लाभ किसानों को मिला, किन्तु अधिकांश जगह उसका लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पाया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अनुसंधान इस दिशा में होना चाहिए। अब किस दिशा में आईसीएआर अनुसंधान कर रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब केवल इस बात से है कि उसके अनुसंधान का लाभ ठेठ किसानों के खेत तक पहुंचना चाहिए जो दुर्भाग्य से इस समय नहीं हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके बाद एक और उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे पास ऑल इंडिया कॉटन फार्मर्स एक्शन कमेटी का एक पत्र है। उन्होंने यह पत्र बहुत लम्बा-चौड़ा लिखा है। इस पत्र में उन्होंने विशेष ध्यान इस बात पर दिया है कि विदेशों में जिस प्रकार से कृषि क्षेत्र और

किसान के संरक्षण के लिए उपाय किये जाते हैं, उसी तरह हम क्यों न करें? मुझे इस बात की भी जानकारी है कि अभी जब डब्ल्यूटीओ की बैठक हुई, उसमें हमारे मंत्री जी ने कहा था कि आपको अपनी बढ़ी हुई सबसिडी पर विचार करना पड़ेगा। यह तो एक पक्ष है, मैं समझता हूं कि हमारे मंत्री जी ने अच्छा किया जो ऐसा कहा, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है कि अगर किसान इसी तरह से मरता रहा और दूसरा कोई उपाय उसे बचाने के लिए नहीं किया गया, तो स्थिति कहां पहुंचेगी—क्या हम इस दिशा में सोच नहीं सकते? क्या हम उसे अन्य प्रकार से राहत दें, जिसके कारण उसके कर्जे का भार कम होकर उसका जीवन सुधरे और इस कारण कृषि का विकास तेजी से हो। इस दिशा में भी आज विचार करने की आवश्यकता है? हमने इस पर कभी विचार नहीं किया। उसके परिणाम यह हैं, जैसा अभी मेरे पूर्ववक्ता बोले, मैं भी उसे दोहराता हूं कि समर्थन मूल्य 10 रुपए बढ़ा दो, लेकिन समर्थन मूल्य निर्धारित करने का कोई तरीका है या नहीं? एक बार मैंने सुना था कि सरकार ने यह तय किया था कि समर्थन मूल्य के निर्धारण में एक किसान को भी रखा जाना चाहिए। शायद पंजाब के एक किसान को एक वर्ष के लिए उसमें रखा गया, लेकिन उन्होंने जो विचार वहां प्रकट किये, उसके बाद दूसरे साल किसान को हटा दिया गया। हमारी मांग यह है कि कृषि मूल्य के निर्धारण में एक बड़ा किसान, एक मध्य किसान और एक छोटा किसान, इन तीनों के प्रतिनिधियों को रखा जाना चाहिए। वे अपने विचार रखें और उन विचारों को स्वीकार करके जो उसमें से अच्छा हल निकाला जा सकता है, वह निकालना चाहिए। लेकिन इस दिशा में भी कोई कदम नहीं उठाया गया।

महोदय, क्या हम इंतजार करते रहें कि जब तक हमको न्यायालय की फटकार न मिले, तब तक हम कोई कदम नहीं उठाएंगे? मंत्री जी, इस सरकार ने विगत दो वर्षों में इस मामले में एक कीर्तिमान बनाया है। सरकार तब तक कोई कदम नहीं उठाती है जब तक न्यायालय की ओर से कोई फटकार या डण्डा न आए। अभी दो दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि सरकार इस बात की जांच कराकर न्यायालय को बताए कि किसानों की आत्महत्याएं क्यों हुई हैं? अब आपको उसकी जांच करानी होगी। अभी तक आप स्वयं ही उसकी जांच करा लेते, उसके कारणों का पता लगा लेते कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। अभी पेप्सी और कोका कोला का मामला सामने आया तो मंत्री जी ने उत्तर ही नहीं दिया। उन्होंने केवल यह कह दिया कि एक्टर्स और खिलाड़ियों को उनके लिए विज्ञापन नहीं देने चाहिए, लेकिन आप इन्हें बन्द करेंगे या ये चलते रहेंगे, इस बारे में कुछ नहीं कहा। अभी भी कहा जा रहा है कि हम इस विचार करेंगे और इस वर्ष के अन्त तक देखेंगे कि उनको बन्द करना है या नहीं बन्द करना है। यह हमारी कौन सी दिशा है, हम किस तरफ जा रहे हैं? जब लोग यह मान रहे हैं कि उनमें ऐसे तत्व हैं जो मानव के लिए घातक हैं, तब भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। आखिर विगत दो वर्षों में ऐसी स्थिति क्यों बन गयी है?

अभी थोड़े दिन पहले बीच में एक मामला आया। हमारे संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा दिया कि कृषि और किसानों पर चर्चा हो रही है इसलिए बीच में कोई मामला नहीं उठाया जाना चाहिए। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जब कृषि पर चर्चा शुरू हो चुकी थी तो विधि मंत्री जी को क्या अधिकार था कि बीच में लाकर वह कोई प्रस्ताव रखें? यह प्रस्ताव कल भी लाया जा सकता था, लेकिन वह रख सकते हैं और अगर हमारी तरफ से या सदन की ओर से, केवल विपक्ष ही नहीं, शासन में बैठे हुए दलों की तरफ से भी आपत्तियां उठाई गईं, तो वे आपत्तियां नहीं सुनी जा रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप यह समझ रहे हैं कि बहुमत आपके साथ है, इसलिए आज जो चाहें, वह सब कर सकते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर चाहे जितना विरोध हो, हमें पारित करना है, तो करना है, लेकिन जब आपको यह पता लग गया कि राष्ट्रपति भवन से उसको स्वीकृति नहीं मिल रही है, तो अब सरकार ने नया पैंतरा बदला है। यह सरकार लोकतंत्र के हित में कोई कदम क्यों नहीं उठाती है? मैं इन विषयों पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, मैं कृषि पर ही ज्यादा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* वैसे तो पिछले काफी समय से कृषि के उत्पादों और कारखाने के उत्पादों में असंतुलन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन पिछले दो वर्षों में यह असंतुलन जितनी तेजी से बढ़ा है उससे विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गयी है। यह केवल किसान के लिए ही नहीं, हम सभी के लिए चिन्ताजनक बन चुकी है। इन दो वर्षों में कारखानों के उत्पादों का कितना दाम बढ़ा है, क्या उसकी तुलना में कृषि उत्पादों में कोई वृद्धि हुई है? यदि यह संतुलन हमने नहीं बैठाया, तो कृषि मंत्री जी, किसानों की आत्महत्याएं रुकने वाली नहीं हैं। आप कितने पैकेज देंगे, आज पैकेज देते जाएंगे और किसान आत्महत्या करते रहेंगे क्योंकि उन पर कर्ज का भार अधिक पड़ रहा है। जिन वस्तुओं के दाम बढ़े हैं, उनमें से कुछ वस्तुए—लोहा, सीमेंट, कृषि उपकरण, डीजल, पेट्रोल, बीज और खाद आदि हैं। इनमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, उसके अच्छे आंकड़े आपके पास उपलब्ध होंगे। मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूं कि इस दिशा में आप तुरन्त कदम उठाइए तथा कृषि उत्पाद और कारखाना उत्पाद में संतुलन बैठाने के लिए नयी व्यवस्था एवं उपाय खोजे जाएं और उन्हें तत्काल लागू किया जाए। सारे देश के किसानों की आज दुर्दशा बढ़ी है और इस दुर्दशा के बढ़ने की दिशा में सरकार को जितनी तत्परता से कदम उठाना चाहिए था, वह उसने नहीं उठाया है। इसके कारण आज आवश्यकता इस बात की है कि कुछ ऐसे मामले हैं, जिन पर सर्वसम्मति से हल निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इस सदन की विशेष समिति का गठन कर सकते हैं। उस समिति में सभी पक्षों के ऐसे सदस्यों को सम्मिलित कीजिए, जिन्हें कृषि का विशेष ज्ञान हो और जो कृषि के बारे में जानकारी रखते हों। फिर उसमें बैठकर तय कीजिए कि सरकार क्या-क्या करना चाहती है और

[श्री कैलाश जोशी]

ऐसा करके कोई सर्वसम्मत हल निकालें, तब कोई परिवर्तन आएगा। यदि यह व्यवस्था नहीं की गई तो बड़ी विस्फोटक और भयंकर होने वाली है, कृषि मंत्री जी, इसे आप भी अनुभव कर रहे होंगे, हम तो कर ही रहे हैं, क्योंकि हम रोज देख ही रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सर्वसम्मत सुझाव देना चाहता हूं। ... *(व्यवधान)* वे कह रहे हैं कि दो, तो मैं कहता हूं, आप भी सुनिए। हमारे देश के बाहर जैविक कृषि और खाद पर काफी शोध हुआ है और उसका प्रयोग भी बढ़ा है। हमें भी उसे अपने देश में तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे यहां भी शोध हुआ है, मैं ऐसा मानता हूं, लेकिन वह जिस तेजी से बढ़ना चाहिए, उतना नहीं बढ़ा है। रासायनिक उर्वरकों के परिणाम कुछ राज्यों में खराब आ रहे हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति इनके प्रयोग से कम हो रही है। मैं यह नहीं कहता कि रासायनिक खाद पर बंदिश लगा दी जाए, क्योंकि किसान आज यह नहीं चाहेगा, लेकिन सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि रासायनिक खाद और जैविक कृषि दोनों के बीच ऐसा संतुलन बिठाया जाए, जिससे जमीन की उपज की शक्ति में कमी नहीं आए। हमारे यहां उपज तेजी से नहीं बढ़ रही है। नए-नए प्रयोग हो रहे हैं, नए विकसित बीज आ रहे हैं, किन्तु जिस तेजी से विकास होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। यह मामला केवल नकदी फसल का नहीं है, कई जगह सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई, क्योंकि किसानों को अच्छा बीज नहीं मिला। इस पर भी सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। सरकार विचार करेगी, ऐसा मैं समझता हूं।

कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ सहकारिता का क्षेत्र है। सहकारिता के क्षेत्र में भी दुर्दशा लगातार बढ़ती जा रही है। सहकारिता के क्षेत्र में ऐसे लोग घुस गए हैं, जिन्होंने उसमें से सारे लाभ निकालने का प्रयत्न शुरू कर दिया है। आप देखें कि जो जिला स्तर पर सहकारी बैंक्स हैं, उनमें 100 में से 20 ही ठीक चल रहे होंगे, बाकी घाटे में चल रहे हैं। जितने कृषि विकास बैंक बनाए गए हैं, उनकी भी दशा खराब है। इस दिशा में सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए। बीच में दो-तीन साल पहले कानून बनाया गया था, लेकिन नीचे की सहकारी संस्थाओं तक उसका लाभ नहीं पहुंच पाया है।

**अपराह्न 5.28 बजे**

**(श्री मोहन सिंह** *पीठासीन हुए)*

इसलिए सहकारिता के क्षेत्र में विशेष प्रयास किया जाए। सहकारिता की गति को बदलने के लिए कुछ नए कानून बनाना आवश्यक हो, तो बनाए जाए। उसमें सभी दलों की सहमति प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि कोई इससे असहमत नहीं हैं कि आज सहकारिता क्षेत्र में दुर्व्यवस्था है। जैसा मैंने कहा कि राजग सरकार ने उस समय इसकी शुरूआत की थी, लेकिन बाद में कुछ ठंडी पड़ गई। आपके पास बढ़े हुए आंकड़े हों, तो हमें बताएं। हमें जो जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में बनाए जाने वाले गोदामों का मामला ठंडा पड़ गया है। कोल्ड स्टोरेज का मामला भी ठंडा पड़ गया है। आज भी करोड़ों रुपए के कृषि उत्पाद कोल्ड स्टोरेज और गोदाम पर्याप्त मात्रा में नहीं होने से नष्ट हो जाते हैं, जबकि हमारे यहां आजादी से पहले इस ओर ध्यान दिया गया था। मुझे याद है कांग्रेस पार्टी ने एक एग्रेरियन रिफार्मस कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि स्वतंत्रता के बाद यदि दो बातों की तरफ ध्यान दिया जाए तो भारत लगातार प्रगति की ओर बढ़ेगा। उनमें से एक बात यह थी कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और दूसरी बात थी कि गोदाम गांवों के अन्दर बनें, जिससे किसान को अपना उत्पाद फसल आने के बाद तत्काल न बेचना पड़े। इस दिशा में सरकार को तेजी से काम करना चाहिए।

कृषि मूल्य के निर्धारण में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। एक बार प्रयोग हुआ था लेकिन बाद में उसे बंद कर दिया गया। यह प्रयोग पुनः प्रारम्भ होना चाहिए और उसमें जैसा मैंने पूर्व में कहा था कि बड़े, मध्य और छोटे किसानों को सदस्य बनाना चाहिए, जिससे वे अपनी स्थिति बता सकें कि उनकी उपज की लागत क्या है और उसके आधार पर कम से कम क्या मूल्य निर्धारित होना चाहिए।

केवल दो-तीन प्रदेशों को छोड़कर सारे देश में गो-हत्या पर पूर्ण-प्रतिबंध के कानून बने हुए हैं लेकिन यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि इन कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। गो-मांस का निर्यात हो रहा है। इसे केवल धार्मिक आस्था के रूप में ही आप न देखें वरन् यह आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि गो-बध पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगे और गो-मांस का निर्यात बंद हो।

आज गांव में छोटे-छोटे किसान रह गये हैं और छोटा किसान ट्रेक्टर ले नहीं सकता है। गो-वंश से ही वह अपनी कृषि चलाता है। इसलिए गो-वंश के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए और साथ ही गो-मांस के निर्यात पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। जो मूल बातें हैं उन सब पर मैंने प्रकाश डाला है और अंत में मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी का कहना है कि भारत में इतने संसाधन और क्षमता है कि आने वाले सन् 2020 तक भारत विश्व-गुरू बन सकता है, विकसित राष्ट्रों के बराबर हो सकता है, लेकिन जिस दिशा में हम आज बढ़ रहे हैं क्या उससे हम सन् 2020 तक वहां पहुंच सकते हैं? आजकल हम एक कदम आगे तो दो कदम पीछे हट रहे हैं। हमारी क्षमताएं बहुत हैं और विदेशों में भी हम अच्छे काम कर रहे हैं, बड़े-बड़े उद्योग-धंधे हम वहां खोल रहे हैं, लेकिन इतने

भर से काम नहीं चलेगा। हमारे देश में क्षमता तब आयेगी जब हर क्षेत्र में प्रगति करते हुए हम आगे बढ़े और देश को उसका लाभ पहुंचे। मेरा आग्रह है कि माननीय कृषि मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे और इस दिशा में वे क्या कर रहे हैं, पूरे सदन को उससे अवगत कराएं।

*[अनुवाद]*

***श्री कुलदीप बिश्नोई** (भिवानी) : महोदय, भारत में विशेष आर्थिक जोन की राजनीति बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा जमीन हड़पने का एक अन्य कारण बन गया है जिसे सहमति देने वाली राज्य सरकारों और उनकी गलत नीतियों ने मदद की है और उसे प्रेरित किया है। ऐसा करने वालों में रिलायंस समूह का स्थान अग्रणी है जिसका नाम औद्योगिक विकास और आर्थिक उन्नति के नाम पर हरियाणा में 25,000 एकड़ मुख्य कृषि भूमि को हड़पने संबंधी मामले में हाल ही समाचारों में आया था। मैंने किसान (किसानों) के हितों के संरक्षण के लिए 'आम आदमी अधिकार आंदोलन' शुरू किया। मैं यहां पर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं औद्योगिकीकरण के खिलाफ नहीं हूं परन्तु मैं बताई जा रही नीति और इसके कार्यान्वयन के तरीके के खिलाफ हूं। हमें बढ़ती आबादी को ध्यान में रखना चाहिए जिसके लिए पर्याप्त खाद्यान्न की आवश्यकता है। यदि हम उर्वरा कृषि भूमि के बड़े भाग पर उद्योग लगाते हैं तो हम संतुलित अनुपात कैसे बनायेंगे? हमारा राज्य अतिरिक्त खाद्यान्न वाले राज्य से कम खाद्यान्न वाला राज्य बन जायेगा। इन गंभीर प्रश्नों पर कुछ गंभीर चिंतन की आवश्यकता है।

वर्ष 2000 में भारत सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नीति बनाई और विशेष आर्थिक जोन नीति 10 फरवरी, 2006 से लागू हुई। एक ही बार में कार्पोरेट शक्तियों ने जलापूर्ति, बिजली की सेवाएं प्राप्त करते हुए प्राकृतिक संसाधनों पर बिना अधिकार के कब्जा करते हुए और लोगों की संवैधानिक संप्रभुता को विकृत करते हुए लगभग कर से छूट प्राप्त की। लगभग 140 विशेष आर्थिक जोन हैं जिन्हें देश के लगभग हर भाग में स्थापित किया जाना है। केन्द्रीय सरकार के वक्तव्य के अनुसार आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए दिखावे के तौर पर विशेष आर्थिक जोन जो कि विशेष रूप से परिमाणित शुल्क रहित एन्कलेव है, वह व्यापार संचालन शुल्क और प्रशुल्क के प्रयोजनार्थ एक विदेशी क्षेत्र माना जायेगा

वर्ष 2005 के केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के आंतरिक आकलन के अनुसार, केन्द्रीय सरकार को विशेष आर्थिक जोन को आगामी चार वर्षों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के रूप में दी गई छूट से 90,000 करोड़ रुपए की निवल हानि होगी। विशेष आर्थिक क्षेत्रों को प्रत्येक प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है क्योंकि उन्हें सभी प्रकार के करों जैसे कि स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क, उपकर अथवा उदग्रहन जिनमें आयात–निर्यात शुल्क भी शामिल हैं। सीमा शुल्क, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, चुंगी, सेवा कर, मंडी तथा पण्यावर्त करों से छूट मिली हुई है, वे बिना किसी समय सीमा के निर्यात आगमों को स्वदेश ला सकते हैं और निर्यात आगमों का शत–प्रतिशत ईईए सी खाते में रख सकते हैं और इससे विदेशी निवेश कर सकते हैं

जिस प्रकार से कानून बनाए गए हैं, उससे इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों को संचालन की पूरी स्वायत्तता प्राप्त है और ये देश के सांविधिक नियमों की सीमा से बाहर हैं। इस प्रकार विशेष आर्थिक क्षेत्र पर्यावरण तथा श्रम संबंधी कानूनों से स्वतंत्र हैं और पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना के अधीन इनको जन सुनवाई से छूट मिली हुई है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर क्षेत्र के आस–पास के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। श्रम कानून लागू नहीं होंगे और श्रम आयुक्त की सभी शक्तियां एक विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास आयुक्त को सौंप दी जाएंगी एक ही स्थान पर तंत्र और औद्योगिक सुरक्षा तथा अन्य विनियमों से संबंधित सभी प्रकार की अनुमतियां देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जायेगा। भाड़े पर लो और विकास दो की पद्धति को आसान बनाया जाएगा। सरकार द्वारा नियंत्रित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के अलावा अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्रों के अनुरक्षण तथा संचालन को विकास करने वालों को सौंप कर पूर्ण रूप से उनका निजीकरण कर दिया जाएगा। वस्तुतः ये विशेष आर्थिक क्षेत्र स्वायत्त लघु निजीकृत टाउनशिप की भांति कार्य करेंगे।

सबसे ज्यादा चिन्ताजनक है भूमि के बड़े भू–भागों को निजी विकास कर्त्ताओं को सौंपना। यह और इसके साथ–साथ विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्वायत्त प्राकृति का अर्थ वस्तुतः है कि स्थानीय स्वशासी निकायों का इनके ऊपर कोई नियन्त्रण नहीं होगा। यह निजी जागीर बनाने जैसा है और यह पूर्ण–स्वतंत्रता काल की ज़मींदारी प्रथा का नया अवतार है। वास्तव में विशेष आर्थिक क्षेत्रों का नाम विशेष रीयल स्टेट क्षेत्र होना चाहिए क्यों कि 75% क्षेत्रों का प्रयोग किसी भी काम के लिए किया जा सकता है जैसे कि व्यापार, मनोरंजन, होटल तथा आवास परियोजनाएं और यह सब आर्थिक विकास के नाम पर होगा और केवल 25% क्षेत्र निर्यात के लिए है। एक बहुत अच्छा उदाहरण हरियाणा का है जहां 20 विशेष आर्थिक क्षेत्रों की अनुमति दे दी गयी है और अन्य 30 प्रक्रिया में हैं। हरियाणा समुद्री बंदरगाह के नजदीक बिल्कुल भी नहीं है जहां से भारत से बहुलता से निर्यात किए जाते है। यह कॉरपोरेट द्वारा प्रमुख भूमि को हड़पने और राज्य सरकार एक रीयल–स्टेट एजेंट की तरह कार्य करने का एक स्पष्ट मामला है। मैं यहां यह पूछना चाहूंगा कि हरियाणा की इस 50,000 एकड़ (विशेष आर्थिक क्षेत्र) की मुख्य उत्पादक कृषि भूमि से किस प्रकार का निर्यात किया जाएगा? क्या इन निर्यात दायित्वों को 1000 या 2000 एकड़ भूमि से पूरा किया जा सकता है? यदि हां, तो औद्योगीकरण के नाम पर राज्य सरकार

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री कुलदीप बिश्नोई]

अनावश्यक रूप से इतनी भूमि पर कब्जा क्यों कर रही है? क्या यह लोगों को पथभ्रमित करना और कॉरपोरेट हाउसों का पक्ष लेना मात्र ही है?

जब भूमि सुधारों तथा आदिवासी क्षेत्रों में भूमि अधिकारों के पुनःस्थापन जैसे गंभीर और ज्वलंत मुद्दे हैं; जब कार्यकुशलता हासिल करने के लिए कृषि भू-पतियों की कम-से-कम कार्ययोग्य चकबंदी की अनुमति देने वाले एक विधान की अविलम्ब आवश्यकता है; जब देश में पानी की भारी कमी को पूरा करने की तथा इसके वितरण के प्रबंधन की बेहद आवश्यकता है; जब यहां कृषि में सब्सिडी कम किए जाने और कामकाजी वर्ग की समस्याओं के समाधान जब जनवितरण प्रणाली बिगड़ रही है; जब सरकार ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को धनराशि का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं दे सकती तब ऐसे में भूमि हड़पने का यह राज्य-प्रायोजित कार्य आपराधिक एवं जन-विरोधी है। इस विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना का कोई अर्थ नहीं बनता क्योंकि निर्यात को प्रोत्साहन देने वाले कार्यक्रमों का यहां पहले से ही आधिक्य है, जैसे कि निर्यात प्रोत्साहन क्षेत्र (इ पी जेड), जो लगभग दो दशकों से चल रही है, निर्यात क्षेत्र उन्मुख ईकाई योजनाएं और निर्यात क्षेत्र गहन उप योजना, सॉफ्ट टेक्नॉलजी पार्क तथा उद्योग रहित 93 जिलों के लिए बुनियादी ढांचा विकास योजनाएं जैसे ही ये विशेष आर्थिक क्षेत्र अस्तित्व में आ जाएंगे, इनका आकर्षण समाप्त हो जाएगा। क्षमता को बढ़ाने के प्रयत्न में खतरा यह है कि वर्तमान संचालित ईकाईयां जो कहीं और संचालित हैं, वे हर क्षेत्रों में प्रदान की जा रही कर-रियायतों की सुविधा को लेने के लालच में इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों की ओर जाना चाहेंगी। परिणामतः विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास के छोटे से मरूद्यान के आस-पास अविकसित ग्रामीण तथा अल्प-विकसित शहरी क्षेत्रों के एक बड़े से "मरुस्थल" की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। क्षेत्रीय विषमताएं बढ़ेगी विशेषकर बीमारू (बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश) राज्यों में, जो कि देश की जनसंख्या का 40% वसता है लेकिन जहां बैंक ऋणों के 15 % से भी कम जाते हैं।

कुछ एकाधिकारी उद्योगपत्तियों के कारण राजस्व को गँवाया नहीं जा सकता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र ग्रामीणों तथा उद्योगपतियों के मध्य तथा ग्रामीणों तथा सहमत राज्य के मध्य विवाद का क्षेत्र बन गया है। ग्रामीण उस भूमि को अपने पास रखने के लिए लड़ रहे थे जिसे रिलायंस जैसे उद्योगपति हड़पने वाले हैं। वे न केवल भूमि बल्कि विकास के नाम पर वित्तीय प्रोत्साहन भी हड़पने वाले हैं। मुआवजा बढ़ाने का भी कोई प्रश्न नहीं है। ग्रामीण न तो अपनी ज़मीन रिलायंस को देना चाहते हैं और न ही सरकार को। जहां तक रिलायंस का प्रश्न है, वह अपने उत्पादों की मार्केटिंग में बाज़ार की शक्तियों का समर्थन करती है, किन्तु वहीं वह अपनी अवैध प्राप्तियों के लिए छोटे तथा सब्सिडी के लिए सरकार के पास भागती है क्योंकि वे जानते हैं कि खुले बाज़ार में वे भूमि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए सन् 1894 के अप्रचलित भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए सरकार उनके लिए इसे प्राप्त करती है।

विकासकर्त्ता का कहना है कि बेदखल हुए लोगों को कारीगरी कार्यों के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और वे विशेष आर्थिक क्षेत्रों के साथ उन्नति करेंगे लेकिन क्या आप उन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र की चमकीली विवरणकाओं पर देखते है जिसमें रिलायंस के महा मुंबई परियोजना का विज्ञापन होता है। 20 वर्ष पहले की मुंबई को विकसित करने के लिए सिडको (सी आई डी सी ओ) द्वारा 30,000 परिवारों को विस्थापित किया गया था। सरकार ने एक अच्छी मुआवजा दर का, वास्तविक मालिक को विकसित भूमि पर लाभांश की निर्धारित दर का तथा प्रत्येक परिवार को रोज़गार का वादा किया था जैसा कि आशा थी राज्य ने अपने किसी वादे को पूरा नहीं किया और रातों रात मालिक भिखारी में तब्दील हो गए-यह सब विकास के नाम पर हुआ। देश के विभिन्न भागों में नर्मदा घाटी में तथा हरियाणा के उर्वर खेतों में भविष्य में कई नयी मुंबई बनेंगी क्योंकि स्वार्थी नेतागण तथा सरकार अपने कॉरपोरेट मास्टर आदेश पर, जिनके हाथ में बटुए की डोरी होती है, नीतियां बनायेंगे।

स्वतंत्रता के समय हमारे नेतागण दूसरी मिट्टी के बने होते थे। पंडितजी के समाज़वाद की परिभाषा में एकमात्र और सबसे बड़ा ज़ोर उत्पादकता तथा रोज़गार पर होता था। सन् 1956 में, सार्वजनिक क्षेत्र को एक युवा राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक माना जाता था और नेहरू की कार्य योजना में हमारी अर्थव्यवस्था में उत्पादकता तथा रोजगार को प्रोत्साहित करने में निजी क्षेत्र की अपेक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका थी। सार्वजनिक क्षेत्र को भाई-भतीजावाद के लिए प्रयोग करना नेहरूवादी समाजवाद का हिस्सा नहीं था। नेहरूवादी दृष्टि का सार प्रजातंत्र तथा समाजवाद के बीच एक बढ़िया संतुलन था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका के अधिक प्रबल स्वरूप को जानबूझकर फीका करने तथा बाद की सरकारों द्वारा भारत को मुक्त बाजार व्यवस्था हेतु खोल देने के कारण समाजवाद के नेहरूवादी मॉडल में विकृति आ गई है। इसलिए अब राष्ट्र सक्रियता से निजी क्षेत्र को स्वीकार कर रहे हैं और निजी क्षेत्र की उन कमियों को अनदेखा कर रहे हैं, जो नेहरू को बिल्कुल अप्रिय थीं।

तेजी से विकसित हो रही पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्था के साथ आंख मूंदकर चलने के प्रयास में और "बढ़ती उत्पादकता" की कीमत पर जनतंत्र और आम आदमी के अधिकारों को तिलांजली दे दी गई है। विशेष आर्थिक जोन (एस.ई.जेड) इस प्रवृत्ति के त्रुटिपूर्ण उदाहरण हैं।

लेकिन विशेष आर्थिक जोन की संकल्पना के विरुद्ध प्रतिरोध और जमीनी राय धीरे-धीरे बन रही है क्यों कि आम आदमी अपने को जीवित रखने के लिए एक बार फिर लड़ाई के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है। पूर्व की लड़ाई 'गोरा साहिब'- ब्रिटानियां के विरुद्ध थी, यह लड़ाई स्वयं उनकी सरकार के विरुद्ध होगी।

जहां तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली के आस-पास) में विशेष आर्थिक जोन (इस ई जेड) के फैलने का संबंध है, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होने के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा तैयार की गई क्षेत्रीय योजना को बिल्कुल ही कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि केन्द्रीय एस ई जेड मौजूदा सभी केन्द्रीय सांविधियों को दरकिनार करते हैं और हरियाणा में सभी एस ई जेड (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) के मामले में, हरियाणा अधिनियम विभिन्न 'टाउन एंड कंट्री प्लानिंग लॉज' के अंतर्गत निर्धारित भूमि उपयोग को अप्रासंगिक बना देता है लेकिन फिर भी क्या वे एन सी आर अधिनियम, 1985 और क्षेत्रीय योजना की अवहेलना करते हैं जो इनके अंतर्गत अधिसूचित हैं। यह एक केन्द्रीय विधान है जबकि वास्तव में यह एक राज्य का विषय है। इसलिए, इसे संसद द्वारा चारों राज्यों (दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान) द्वारा अपनी सहमति देने के बाद ही अधिनियमित किया जा सकता है। यही कारण है कि न तो एस ई जेड अधिनियम – कोई चीज कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून के प्रतिकूल होते हुए भी – और न ही हरियाणा विधानमंडल-भूमि उपयोग के प्रावधानों का व्यतिक्रम करते हुए, क्षेत्रीय योजना का अध्यारोह कर सकता है। उच्चतम न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने निर्णय दिया है कि क्षेत्रीय योजना भूमि उपयोग राज्यों ने जो निर्णय किया है उनका अतिक्रमण कर सकता है। अब एन सी आर योजना बोर्ड और इसके सचिवालय का यह कर्त्तव्य बनता है कि इसकी क्षेत्रीय योजना पर इस बड़े हमले को रोकने हेतु संबंधित राज्य सरकार को राजी करे। यदि उनका अनुरोध अनसुना रहता है, तो वे कम-से-कम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फैलते इन एस ई जेड को रोकने हेतु उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

सरकार का समुदाय, भूमि, जलतटीय क्षेत्रों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की अपनी जिम्मेदारियों से पूर्ण त्याग और भ्रष्ट बाबूगिरी की मिलीभगत से लूट-खसोट करने वाले कारपोरेट हितों द्वारा किए जा रहे जबरदस्ती के कब्जे को रोकने में असफल रहना, सांविधानिक जनतंत्र और 'आम आदमी' के अधिकारों पर प्रत्यक्ष हमला है। यह हमें अपने आपसे पूछने को बाध्य करता है...... क्या हम 'बनाना रिपब्लिक' बन गए हैं- जहां सरकार अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के प्रति अनिच्छुक और असमर्थ है। यह बड़ी मजबूती से कुछ धनी लोगों के हाथों में बंधक बनी हुई है। क्या हम एक असफल राज्य हैं?

अंत में मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि मैं औद्योगिकीकरण का विरोधी नहीं हूं लेकिन किसानों के हितों की कीमत पर नहीं। एस ई जेड अधिनियम 2006 पर पुनः एक नजर डालना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका देश के किसानों पर घातक प्रभाव पड़ेगा। खाद्यान्न उत्पादकता के मामले में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, यह कहने की जरूरत नहीं है। मैं किसी भी कीमत पर किसानों के हितों की रक्षा के लिए हरियाणा में "आम आदमी अधिकार आंदोलन" जारी रखूंगा। मैं उन मुद्दों को उठाना जारी रखूंगा जहां बहुसंख्यक भारतीयों के हितों तथा पूरे भारत के हितों के साथ कुछ लोगों के लाभ के लिए समझौता किया जा रहा है। जब तक न्याय नहीं होता तब तक मैं लड़ता रहूंगा। मैं अपने अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। जब तक प्रत्येक भारतीय को यह महसूस न हो कि उसकी आवाज़ सुनी जा रही है, तब तक मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगा।

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गंगाराम गीते** (रत्नागिरि) : सभापति जी, सदस्य के रूप में आपने इस चर्चा की शुरुआत की और कई अच्छे सुझाव भी सरकार को दिये। जो बातें आपने कहीं हैं, उनको मैं यहां पर दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन आपने कहा था कि अभी हमारी सोच यह है कि हम अधिक से अधिक कर्जा किसानों को देते हैं तो उसकी सहायता करते हैं, यह सोच गलत है। आपने जो बात कही थी, उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं और इस बात को अधिक स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं। आज कहा जाता है कि हमारा देश अनाज के मामले में आत्म-निर्भर है। जिन किसानों ने इस देश को अनाज के मामले में आत्म-निर्भर बनाया, दुर्भाग्य से वह किसान आज खुद आत्म-निर्भर नहीं है। किसान की हालत आज भी वही है और पिछले साल डेढ़ साल में किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले सत्र में भी हमने इस पर चर्चा की थी और माननीय कृषि मंत्री जी ने इस पर अपनी बात बड़े विस्तार से कही थी। आज भी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि किसानों द्वारा आत्म-हत्याएं क्यों बढ़ती जा रही हैं? माननीय प्रधान मंत्री जी अभी विदर्भ गये थे और वहां उन्होंने एक पैकेज की घोषणा की। जैसा माननीय जोशी जी ने यहां कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने भी एक पैकेज की घोषणा की थी लेकिन किसी भी किसान को उसका लाभ नहीं मिला है। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** श्री आठवले, आप अपने समय में बोलिएगा।

**श्री अनंत गंगाराम गीते** : सभापति महोदय, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं। जो पैकेज विदर्भ के लिए घोषित किया गया था, शायद उसका कोई लाभ वहां किसानों को नहीं मिला और इसीलिए प्रधानमंत्री के दौरे के बाद किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं अधिक संख्या में होने लगीं। आज भी आत्महत्याएं वहां हो रही हैं। हमें यह

[श्री अनंत गंगाराम गीते]

सोचना चाहिए कि जिस किसान ने इस देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया, उस किसान को हम किस प्रकार आत्मनिर्भर बना सकते हैं। उस किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो नीतियां हम बनाते हैं, क्या उनमें कुछ कमियां या खामियां हैं? हम जो भी योजनाएं शुरू करते हैं, क्या उन योजनाओं का लाभ हम किसानों तक पहुंचा पाते हैं, क्या उन योजनाओं का लाभ किसानों को प्राप्त होता है?

सभापति महोदय, जैसा आपने सदस्य के रूप में यहां कहा कि आज किसान की जो हालत है, यदि हम उसे सुधार नहीं पाए, तो भविष्य में हालत और बिगड़ सकती है। इस सदन में गेहूं के आयात का विरोध किया गया। कृषि मंत्री जी खाद्यान मंत्री भी हैं। यहां सत्ता पक्ष की ओर से पंजाब की हमारी बहन ने किसानों की हालत की वास्तविकता से सदन को अवगत कराया और जब गेहूं आयात करने का फैसला लिया गया तो सबसे ज्यादा दुख या विरोध अगर किसी ने किसी तो पंजाब के किसानों ने किया। इस देश को गेहूं के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में अगर किसी ने अहम भूमिका निभाई है, तो पंजाब और हरियाणा के किसानों ने निभाई है। यह वासतविकता है। इसे हमें स्वीकार करना चाहिए और जिस गेहूं और अनाज के मामले में पंजाब ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया, उस पंजाब के किसानों को उनके अनाज का जो सही मूल्य मिलना चाहिए था, जो उपज का सही दाम मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल रहा है और इसीलिए जब यहां गेहूं विदेश से आयात करने की बात हुई तो उसका विरोध देश भर में हुआ, खासकर किसानों ने और पंजाब के अकाली दल के भाइयों ने उसके खिलाफ यहां पर धरना दिया। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज इस देश में सचमुच में गेहूं की कमी है। मुझे नहीं लगता है कि सरकार इस बात को स्वीकार करेगी। आज हमारे पास बफर स्टाक की कमी है। एक समय ऐसा आया था, जब इतना बफर स्टाक हो गया था कि हमें अनाज को समुद्र में फेंकना पड़ा था।

**सभापति महोदय** : अनाज समुद्र में फेंका नहीं गया था, बारिश से सड़ गया था।

**श्री अनंत गंगाराम गीते** : महोदय, यह वास्तविकता है। सचमुच में अनाज समुद्र में फैंका गया था। एफसीआई के गोदामों मे अनाज सड़ता रहा और उस सड़े हुए अनाज का क्या उपयोग हो सकता था, इसलिए उस सड़े हुए अनाज को अंत में समुद्र में फेंक दिया गया। हमारे यहां का किसान, जो इस देश की अन्न की जरूरत को पूरा करते है, उस किसान को हमें बढ़ावा देना चाहिए न कि विदेशों से गेहूं का आयात करना चाहिए। गेहूं को आयात करने का विरोध इसीलिए हुआ था। यदि हम अपने किसानों को सही दाम देते, तो जितनी गेहूं की हमें जरूरत है, उतना गेहूं पैदा करने की क्षमता हमारे देश के किसान रखते हैं। आज किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन जो प्रमुख कारण है, जिसका उल्लेख आपने भी किया कि किसान कर्जे के बोझ में दबने के कारण अंततः आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है।

मैं एक नई सोच आपके सामने रखना चाहता हूं। कृषि मंत्री यहां मौजूद हैं। इसी सदन में एम्प्लॉयमैंट गारंटी स्कीम का बिल पारित हुआ था जिस के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के परिवार के एक सदस्य को सौ दिन का रोजगार देने की बात कही गई थी। देश में छोटे, मध्यम और बड़े किसान भी हैं लेकिन अधिकतर छोटे किसान हैं और उनके पास कम से कम जमीन है। वे किसान हर साल बुरे हालात के शिकार हो रहे हैं। उनके लिए अलग-अलग ग्रामीण रोजगार की योजनाएं हैं लेकिन वे उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। वे साल भर मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं लेकिन साल के अंत में देखते हैं कि उनको अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिला है, जिससे वे हताश हो जाते हैं और आत्महत्या करते हैं। मैं एक नई सोच कृषि मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को ऊपर लाने के लिए हमने रोजगार गारंटी बिल पास किया है, उसी प्रकार की एक नई योजना सदन में लाने की आवश्यकता है, जिस पर विचार किया जाए। जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो पांच एकड़ से कम जमीन रखने वाले किसान हैं, वे साल भर मेहनत करने के बाद कभी प्राकृतिक आपदा के कारण या सही बारिश न होने के कारण, उपज का सही दाम न मिलने के कारण बर्बाद हो जाते हैं और उन्हें लागत से कम मूल्य पर अपनी फसल बेचनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में हमारा किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है, उसके परिवार के एक सदस्य को भी सौ दिन का रोजगार देने की योजना बनायी जाए। ऐसे किसान जो अपने खेतों के काम कर रहे हैं, उसे राष्ट्रीय सेवा माना जाए क्योंकि वे देश की अन्न की जरूरत को पूरा करते हैं, उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाया है और वे साल भर खेतों में काम करते हैं, ऐसे किसानों के परिवार के कम से कम एक सदस्य को सौ दिन का रोजगार देना चाहिए। यह एक अलग सोच है।

आज जो किसान अपने खेतों में काम करता है, उसे रोजगार नहीं मिलता है, उसे कोई मजदूरी नहीं देता है, वह 365 दिन काम करता है, अगर वह बाहर मजदूरी करे या खेती करे तो उसे 20-25 या 50 रुपए ही मजदूरी मिलेगी, लेकिन अपने खेत में खेती करने के बाद साल के अंत में उसकी फसल नष्ट हो जाए, तो उसे हताशा के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता है। जो किसान देश के लिए अनाज पैदा करते हैं,

उनकी मजदूरी को राष्ट्रीय सेवा मान कर, उनके परिवार के एक सदस्य को सौ दिन का रोजगार सरकार की ओर से दिया जाए। यदि इस इस प्रकार की कोई योजना बनाते हैं तो निश्चित रूप से उसे रोजगार की गारंटी मिलेगी, कुछ पैसा उसके घर में जाएगा, इससे वह बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा लगन से काम करेगा और उसे लगेगा कि सरकार का मेरी मेहनत की ओर ध्यान है और वह उसे एक सेवा के रूप में मानती है। यदि इस प्रकार की कोई योजना आप बनाते हैं तो स्मॉल, मार्जिनल फार्मर्स को सीधा फायदा मिल सकता है। ऐसी योजना पर विचार करने की आवश्यकता है।

मैं अधिक सुझाव नहीं देना चाहता हूं। मराठ वाड़ा और विदर्भ के किसानों ने सबसे अधिक आत्महत्याएं कीं हैं। सभापति महोदय, जैसा आपने कहा कि जिन राज्य के किसानों ने सबसे अधिक कर्जा लिया, वहीं सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुई हैं और उनमें नम्बर एक आन्ध्र प्रदेश है और दूसरा महाराष्ट्र है। चूंकि वहां के किसानों के सिर पर बहुत अधिक कर्जा हो गया है, इसलिए उनके पास आत्महत्या करने के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं बचा है। कुछ लोग शादी--ब्याह के लिए या अन्य किन्हीं कारणों से उधार लेकर कर्ज में डूब जाते हैं, लेकिन 90 प्रतिशत किसान ऐसे हैं, जो खेती के वास्ते लिये गये कर्ज को चुका न पाने के कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं। हमें इन किसानों को आत्महत्या करने से बचाना है, हमें उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए यदि सरकार कोई पैकेज घोषित करती है, मंत्री जी या प्रधान मंत्री वहां जाकर कोई घोषणा करते हैं ...*(व्यवधान)*

**श्री रवि प्रकाश वर्मा** (खीरी) : एग्रीकल्चर के लिए अलग से बजट हो।

**श्री अनंत गंगाराम गीते** : एग्रीकल्चर के लिए अलग से बजट हो, यह मांग भी आ रही है और हम भी इसका स्वागत करेंगे। लेकिन हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए यही एक ऐसा क्षेत्र है, जहां रोजगार के सबसे अधिक अवसर उपलब्ध हैं। इसलिए कृषि के लिए अलग से बजट की सूचना हमारे एक साथी ने दी है, जो एक विचार करने योग्य बात है, लेकिन किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं को हमें रोकना चाहिए और इस दिशा में सरकार द्वारा कारगर कदम उठाने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

*[अनुवाद]*

**डा. सुजान चक्रवर्ती** (जादवपुर) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मामले पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं जिससे पूरे देश में खलबली पैदा हो सकती है। मेरे विद्वान मित्रों ने अपने पक्षों से ऊपर उठकर अपनी--अपनी राय दी है। हमें इस महत्वपूर्ण अवसर पर इस अत्यंत महत्वपूर्ण मामले पर कुछ बहुत ही सकारात्मक और कुछ बहुत अनुरूप दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। श्री शरद पवार यहां पर उपस्थित हैं। वे एक बहुत कुशल मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। मेरा यह मानना है कि लोगों और किसानों को भी उन पर विश्वास होना चाहिए; इसलिए उनकी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ रही है। इस दृष्टिकोण से हमें समग्र स्थिति की गंभीरता और अहमियत को देखना चाहिए। विगत् कुछ वर्षों में एक लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। यह केवल आत्महत्या करने का प्रश्न नहीं है; आर्थिक संकट भी बढ़ रहा है। आत्महत्या, निस्सन्देह पराकाष्ठा की स्थिति है। उदाहरणार्थ, प्रधान मंत्री ने विदर्भ का दौरा किया और एक पैकेज की घोषणा की। मेरे कुछ मित्र समस्त देश के लिए नए पैकेजों की मांग कर रहे हैं। परन्तु विदर्भ में, प्रधानमंत्री के दौरे से पहले प्रति दिन दो किसान आत्महत्या कर रहे थे। उसके बाद यह संख्या बढ़कर तीन आत्महत्याएं प्रतिदिन हो गई है। इस पैकेज की घोषणा ने स्थिति पर सकारात्मक रूप से काबू नहीं पाया है; इससे काबू नहीं पाया जा सका। यह न केवल विदर्भ का अपितु यह समस्त देश का मामला है, भले ही आंध्र प्रदेश हो, केरल, महाराष्ट्र अथवा पंजाब हो। पंजाब, जो कि अपेक्षाकृत एक बहुत समृद्ध राज्य है, में वहां के मुख्य मंत्री के अनुसार 2004 में 2000 किसानों ने आत्महत्या की, जैसा कि हम सभी जानते हैं। निस्सन्देह स्थिति की गंभीरता को अच्छी तरह समझा जा सकता है। यह समस्त राष्ट्र, समस्त सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस आर्थिक संकट पर काबू पाए और मामलों को बेहतर संभव तरीके से निपटाए। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह मामलों को समग्र दृष्टिकोण, मूल दृष्टिकोण से देखे। यह केवल एक अथवा दो पैकेज बनाने और उनकी व्यवस्था करने का मामला ही नहीं है; स्थिति की गंभीरता अधिक महत्व रखती है।

हमें चार अथवा पांच महत्वपूर्ण मामलों की प्राथमिकता निर्धारित करनी चाहिए जिनके साथ पूरी गम्भीरता से निपटना चाहिए। निस्सन्देह सर्वप्रथम मामला किसानों की भूमि तक पहुंच का है। स्थिति क्या है? महोदय, हमारी श्रम शक्ति का 60 प्रतिशत अभी भी कृषि में लगा हुआ है परन्तु कृषि क्षेत्र का उत्पादन हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 22 प्रतिशत है; इस प्रकार वास्तव में और तुलनात्मक रूप से किसानों की स्थिति बहुत खराब है।

महोदय, भूमि तक पहुंच के मामले पर लंबे समय तक चर्चा की गई है। 1960 में महालानोबिस आयोग गठित किया गया था और इसको यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वह यह आकलन करे कि अतिरिक्त भूमि कितनी है, सरकार इसे किसे सुपूर्द कर सकती है और इसे किसानों में किस प्रकार वितरित किया जा सकता है। 1969 में महालानोबिस आयोग ने यह रिपोर्ट दी कि 63 मिलियन एकड़ भूमि अतिरिक्त है और इसे सुपुर्द किया जा सकता है। अब तक केवल 7.35 मिलियन एकड़

[डा. सुजान चक्रवर्ती]

भूमि सुपुर्द की गई है जिसमें से केवल 5.39 मिलियन एकड़ भूमि ही वितरित की जा सकी है। यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं है।

संभवतः हमारी मूल मामलों में जाने की रुचि नहीं है। कुछ पैकेज देने के बजाय भूमि तक पहुंच मुख्य बात है। हमें इसे इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। आज तक सीमांत किसानों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है और उनके पास कम भूमि है। लगभग 72 प्रतिशत किसानों का 27 अथवा 28 प्रतिशत भूमि पर नियंत्रण है। क्या यह एक अच्छी स्थिति है? यदि यह स्थिति जारी रहती है तो क्या वास्तव में हम इन मामलों को सही रूप से अथवा सकारात्मक रूप से निपटाने की स्थिति में होंगे? संभवतः, नहीं। सरकार को इन मूलभूत मामलों पर ध्यान देना चाहिए।

यदि आप विगत की कुछ योजना अवधि पर नजर डालते हैं तो आप यह देखेंगे कि कृषि क्षेत्र में आबंटन समुचित नहीं है। प्रत्येक योजना अवधि के दौरान, कृषि क्षेत्र के लिए समग्र आबंटन में वृद्धि हुई है। यह बहुत अच्छा है और हम प्रसन्न हैं। रुपयों के संदर्भ में कृषि क्षेत्र में निवेश अथवा आबंटन में पूर्व योजना अवधि अथवा विगत वर्ष में वृद्धि हुई है परन्तु यदि आप प्रतिशत–वार देखते हैं, तो इसमें कमी आई है। पहली योजना से आज तक इसमें उतनी वृद्धि नहीं हो रही थी जितनी होनी चाहिए और जितनी वांछनीय थी। आठवीं योजना में देश के सकल घरेलू उत्पाद में समग्र वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत थी जबकि कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्रों में वृद्धि दर केवल 4.7 प्रतिशत थी। अतः यह कम थी। नौवीं योजना में सकल घरेलू उत्पाद में समग्र वृद्धि 5.5 प्रतिशत थी जबकि कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 2.1 प्रतिशत थी और यह घट गई थी। दसवीं योजना में जो पूरी होने वाली है और अभी तक पूरी नहीं हुई है, यह अनुमान लगाया गया है कि जी.डी.पी. में वृद्धिदर 8 प्रतिशत होगी जबकि कृषि में वृद्धि दर दो प्रतिशत से कम होगी। इससे क्या संकेत मिलता है? क्या हम वास्तव में कृषि क्षेत्र तथा किसानों के लिए सही दिशा में सोच रहे हैं? संभवतया दिशा को सही किए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, 1980 में प्रति व्यक्ति खाद्य उपभोग 177 कि.ग्रा. था, और यह कम होकर लगभग 155 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति हो गया है। ऐसा कैसे हुआ है? संभवतया और अधिक गहन अध्ययन किया जाना है और उसी दृष्टि से हमें योजना और निर्णय लेने की आवश्यकता होगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषित बच्चों की संख्या सर्वाधिक है और हमारे देश में यह 56 मिलियन है जबकि पूरे विश्व में यह मात्र 140 मिलियन है। इस उद्देश्य से, मैं सरकार से इन मामलों में अधिक गंभीरतापूर्वक देखने के लिए अनुरोध करूंगा।

तीसरा मुद्दा अर्थात् इनपुट–आउटपुट अनुपात भी एक अन्य महत्वपूर्ण मामला है। क्या यह अनुकूल है? नहीं। यह लगातार नकारात्मक होता जा रहा है। इनपुट लागत लगातार बढ़ रही है, आउटपुट मूल्य गिरता जा रहा है और यह लम्बे समय से जारी है। लागत अनेक कारणों से बढ़ रही है।

**सभापति महोदय :** कृपया अपनी बात समाप्त करें।

**डा. सुजान चक्रवर्ती :** महोदय, मैंने मात्र 5 या 6 मिनट लिए हैं। कृपया मुझे कुछ और समय दीजिए। उर्वरकों, कीटनाशकों, बीजों, विद्युत और हर चीज की लागत बढ़ रही है।

किसानों की ऋण संरचना के बारे में, यह देखा गया है कि 90% ऋण आज तक निजी ऋणदाताओं द्वारा दिया जाता है जिसकी ब्याज दर 24 से 60% के बीच भिन्न–भिन्न है। इसके साथ क्या हम स्वस्थ स्थिति की आशा कर सकते हैं? जी, नहीं, बिल्कुल नहीं।

राजसहायता के प्रश्न पर आजकल विशेषतः उदारीकरण और उदारीकरण के नए युग में लगातार यह चर्चा जारी है कि किसानों को दी जाने वाली राजसहायता कम की जाए। आप प्रसन्न हैं कि राजसहायता कम की जानी चाहिए। परन्तु क्या हो रहा है? आन्ध्र प्रदेश में, धान के बीज की कीमत 1996 से 2004 के दौरान 120 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 350 रुपए प्रति क्विंटल अर्थात् तिगुनी हो गई है। इसी प्रकार यूरिया की लागत 120 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 230 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है, जो लगभग दोगुनी है।

विकसित देश भारी सब्सिडी दे रहे हैं और वे हमें आदेश दे रहे हैं। और हम प्रसन्न होते जाते हैं जब हम देखते हैं कि उनके द्वारा दी जा रही राजसहायता भी कम हो रही है। परन्तु तथ्य यह है कि उन्होंने अपनी वह राजसहायता कम नहीं की है जो उपयोग में आ रही थी। राजसहायता प्रावधान का बढ़ी हुई संरचना जो उपयोग में नहीं थी, को कम कर दिया गया है। उनका विचार है कि हमारी राजसहायता अत्यधिक कम होनी चाहिए; और हमारी लागत बहुत अधिक हो। हमारे मूल्य प्रेरक नहीं हैं; और हमारा इनपुट–आऊटपुट अनुपात नकारात्मक होता जा रहा है। इसी में आत्महत्या तक की नौबत आ रही है।

यदि आप बारीकी में जाएंगे, तो आप पाएंगे कि विभिन्न राज्यों में आत्महत्याओं के मामले ऋण लागत के कारण; बीज की लागत के कारण घटित हुए हैं। सभापति महोदय, जब आप चर्चा आरंभ कर रहे थे, आपने बिल्कुल ठीक बातें कही थीं। अब आपने यह भी कहा कि यदि ये कारण दूर नहीं किए जा सकते, तो किसानों की समस्याएं किस प्रकार हल होंगी? इस पर उचित ढंग से विचार किया जाना चाहिए।

महोदय, इस वर्ष गेहूं के समर्थन मूल्य के प्रश्न पर चर्चा करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां सरकार द्वारा समर्थन मूल्य, संग्रहण मूल्य 650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया था, बाजार में इसका मूल्य 700 रु. था। अतः सरकार इसका संग्रह नहीं कर सकी। फिर सरकार

ने इसे बढ़ाकर 700 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया, परन्तु इस दौरान संग्रहण बहुत ही कम हुआ। इस वर्ष हमने आस्ट्रेलिया से 997 रुपए प्रति क्विंटल की लागत पर गेहूं आयात किया है, जो कि 42 प्रतिशत अधिक है। ऐसा क्यों किया गया? इसका क्या कारण है? अतएव मेरा विश्वास है कि मामलों पर अधिक गंभीरता से विचार किया जाए।

हर बार, हम मूल्य के बारे में कहते हैं। जैसा कि आपने ठीक कहा कि लाभ किसानों को नहीं मिलता। लाभ मध्यस्थों को मिल रहा है। बाजार श्रृंखला उचित नहीं है। अब तक हमने वह स्थिति उत्पन्न नहीं की है, जब पूरा लाभ किसानों को मिले। परिणामस्वरूप देशभर में किसानों पर भारी दबाव है।

महोदय, हमारे पास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् है; हमारे पास कृषि विज्ञान केन्द्र हैं। मेरा यह भी मानना है कि हमारे वैज्ञानिक बहुत सक्षम हैं। गुणवत्ता की दृष्टि से हमारे वैज्ञानिकों की अन्य देशों के वैज्ञानिकों के साथ कोई तुलना नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों के पास अधिक क्षमता है और उनमें ज्यादा संभावनाएं हैं। लेकिन, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने ठीक ही कहा कि क्या हमारे देश में हो रहे अनुसंधान कार्य वाकई में परिणामोन्मुखी हैं? क्या अनुसंधान वाकई में व्यावहारिक दृष्टिकोण से किए जाते हैं? नहीं। बहुत सारे ऐसे अनुसंधान जारी हैं जिसका व्यावहारिकता की दृष्टि से कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए आवश्यकता गंभीरतापूर्वक सोचने की है। हमें देखना चाहिए कि हम किस प्रकार संपूर्ण विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी का सबसे बेहतर ढंग से उपयोग कर सकते हैं।

महोदय, भूमि उपयोग से संबंधित नक्शा भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि राजस्व मौजा-वार लिया जाए और भूमि संरचना का स्वरूप निर्धारित हो। इसके आधार पर हम यह निर्णय ले सकते हैं कि हम इसका प्रयोग कृषि के लिए करें अथवा बागवानी या पशुपालन के लिए या हम इस भूमि पर उद्योग की अनुमति दें। इस प्रकार की योजना अवश्य होनी चाहिए। यह बहुत आवश्यक है।

अब हम विशेष आर्थिक जोन के बारे में सुन रहे हैं। हम मानते हैं कि उद्योग आवश्यक है; औद्योगिक विकास आवश्यक है और इस प्रयोजनार्थ स्पष्टतया भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। विशेष आर्थिक जोन के नाम पर विभिन्न क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहीत की जा रही है। लेकिन क्या यह वास्तव में व्यवहार्य है? क्या यह आवश्यकता – आधारित है? यद्यपि उद्योग अवश्य होना चाहिए, कृषि अवश्य होनी चाहिए, लेकिन भूमि के मुद्दे पर एक बहुत ही संतुलित कृषि–बागवानी – पशु पालन उद्योग का संयोजन होना चाहिए। यह विज्ञान–उन्मुखी, प्रौद्योगिकी–उन्मुखी होना चाहिए। हमारे पास अवश्य ऐसी योजना होनी चाहिए जिसमें भूमि का स्वरूप निर्धारित हो। लेकिन मैं समझता हूं कि आज तक हमारे पास उस प्रकार की योजना नहीं है और इसलिए, हम योजना के अनुसार विकास नहीं कर पा रहे हैं।

**सायं 5.00 बजे**

बल्कि, चूंकि यह विकसित हो रहा है, हमें पीछे जाना पड़ेगा, और इसलिए, हमारी स्थिति दयनीय है।

इसलिए, अंतिम प्रश्न संपूर्ण विकास का प्रश्न होगा, भूमि सुधार का प्रश्न होगा और स्पष्टतया, बीमा का प्रश्न होगा। आंध्र प्रदेश में, बहुत ही कम समय में, पांच लाख खेतिहरों, किसानों का बीमा समाप्त हो गया क्योंकि समय पर प्रीमियम नहीं चुकाया जा सका या बीमा कंपनी भी ठीक से कार्य नहीं कर रही थी। बीमा भी बहुत महत्वपूर्ण है।

जहां तक बीज का प्रश्न है, हम क्यों नहीं राज्य–वार अपने बीज–बैंक विकसित कर लेते हैं? यदि हम उस दृष्टि से देखें तो इसमें कोई सन्देह नहीं है कि देश का संपूर्ण विकास आवश्यक है लेकिन बिना कृषि क्षेत्र में विकास के, बिना कृषि क्षेत्र में रोजगार के, देश उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए, उस दृष्टि से, आपके द्वारा अल्प–कालीन तथा दीर्घ कालीन सकल योजना के लिए प्रास्तावित पैकेज के अतिरिक्त समुचित कृषि नीति की आवश्यकता है जिसमें खाद्य, खाद्य पदार्थों तथा कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन को शामिल करने की भी आवश्यकता है। इसलिए, मूल्य–संवर्धन के साथ समूची योजना के निर्माण पर विचार किया जाना चाहिए।

मेरा मानना है कि मंत्री जी बहुत सक्षम हैं। वह मुद्दे को समझते हैं। मुख्य प्रश्न यह है कि किस प्रकार सरकार को सबसे अच्छी तरह चलाया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

***श्रीमती अर्चना नायक** (केन्द्रपाड़ा) : महोदय, किसानों को व्यापक समस्या से संबंधित नियम 193 के अंतर्गत हो रही चर्चा में भाग लेने का मौका देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। हमारे देश में कृषि सबसे बड़ा पेशा है। हमारी जनसंख्या का 70 प्रतिशत गांव में रहता है। लगभग 11 करोड़ परिवार कृषि के पेशे से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। 22 करोड़ खेतिहर मजदूर कृषि द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यह बहुत दुःखद है कि भारतीय कृषि के समक्ष गहरे संकट हैं। जनगणना के अनुसार लगभग 71 लाख किसान इस पेशे को त्याग चुके हैं।

भारतीय किसान ऋण के चंगुल में हैं। उनकी फसल बुरी तरह से खराब हो गई है। यही कारण है कि हजार में से दस किसान प्रत्येक वर्ष आत्महत्या कर रहे हैं। यह भारी चिंता का एक गंभीर मामला है। किसान प्रकृति की मार की कठपुतली बन रहे हैं।

---

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्रीमती अर्चना नायक]

हमें स्वतंत्र हुए छह दशक हो चुके हैं, फिर भी केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई अनेक नीतिगत पहलों का लाभ वास्तव में अपने लक्षित लाभग्राही – किसानों तक नहीं पहुंचता है। नेशनल सैम्पल सर्वे ऑरगेनाईजेशन का 59वां राउंड देश में किसानों की दुर्दशा को दर्शाता है। उनमें से 48 प्रतिशत से अधिक कर्ज़दार हैं और लगभग दो–तिहाई किसान अपने पेशे से हतोत्साहित हैं। आशा केवल इतनी की जा सकती है कि परिणाम आने से लंबी अवधि की कृषि नीति बनाने में सहायता मिलेगी।

कुछ राज्यों में किसानों की आत्महत्या का सबसे प्रमुख कारण किसानों का कर्ज़दार होना है। बुनाई के समय ऋण लेना तथा फसल काटने के समय सूद समेत मूल वापस लौटाना एक रूटीन है, जिसे सदियों से किसान अधिकतर अपनाते रहे हैं। बड़ी संख्या में सूदखोर इसका लाभ उठाते हैं ताकि वे आगे भी परिस्थिति का लाभ उठा सकें। किसानों में कर्जदारी का अनुमानित प्रचलन सबसे अधिक आंध्र प्रदेश (82%) तथा सबसे कम उत्तरांचल (10% से कम) में देखा गया।

देश में विपन्न किसान कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा जैसे राज्यों में हैं। सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि 1000 लेनदारों में से, 356 बैंक से ऋण लेते हैं जबकि 309 ऋणदाताओं तथा व्यापारियों से ऋण लेने को वरीयता देते हैं। यह स्पष्ट है कि बैंकों तथा सहकारी समितियों से ऋण लेने में शामिल परेशानियां ऋणदाताओं से ऋण लेने के मुकाबले कहीं अधिक है। लगभग 70 प्रतिशत किसान अपने पेशे से हतोत्साहित हैं। लेकिन कोई भी इसकी अपेक्षा नहीं करता है कि 70 प्रतिशत किसान पेशे को त्यागने की इच्छा व्यक्त करेंगे।

वर्तमान सरकार को कृषि आमदनी बढ़ाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है जबकि वह कृषि–व्यापार को बढ़ावा देने की इच्छुक है। विदर्भ ज्वालामुखी पर बैठा है। महाराष्ट्र में अकेले यवतमाल जिले में सन 2001 से 300 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। केवल वीवीआईपी व्यक्तियों द्वारा उस स्थान पर जाना तथा कुछ राहत पैकेजों की घोषणा करना ही इस संकट का हल नहीं है। जिस चीज़ की किसानों को सबसे अधिक आवश्यकता है, वह है खेती की आमदनी को बढ़ाने के लिए एक सुनिश्चित प्रणाली की। किसानों को निजी व्यापार के अधीन रखकर इसे सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। इसे किसान केन्द्रित एक नई प्रणाली पर आधारित होना होगा। किसानों को अधिक खरीद मूल्य प्राप्ति उपलब्ध करवाने की सख्त आवश्यकता है। खरीदारी उन क्षेत्रों तक बढ़ानी चाहिए जहां अभी यह नहीं होती है। फसल पैटर्न में बहुफसल को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है जो पशुपालन से जुड़ा हुआ हो।

• महान कृषि अर्थशास्त्रियों जैसे कि एम.एस. स्वामीनाथन तथा हनुमंत राव का मत है कि कृषि विकास में कमी आई है। क्षेत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है सार्वजनिक तथा निजी निवेश नहीं हो रहा है। चीन में कृषि ऋण के लिए ब्याज दर शून्य प्रतिशत है लेकिन भारत में यह 10 से 16 प्रतिशत है। भारत में कृषि विकास दर मुश्किल से एक प्रतिशत है। चीन में कृषि तथा ग्रामीण विकास ने आर्थिक प्रगति को हवा दी।

और अंत में, साठवें दशक की हरित क्रांति में प्रौद्योगिकी, सेवाओं तथा नीतियों के बीच एक सामंजस्य था। इसे पुनः सुदृढ़ करना होगा। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि वह कृषि को पुनरुज्जीवित करने तथा किसानों को विपन्नता और आत्महत्याओं से बचाने के लिए प्रभावी और दूरगामी वैज्ञानिक नीतियों के साथ आगे आए। इन शब्दों के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** (झंझारपुर) : माननीय सभापति जी, आज हम किसानों की समस्या पर चर्चा कर रहे है।। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस सर्वोच्च सदन की खासियत यह है कि हम यहां दलों की सीमाओं से उठकर चर्चा कर रहे हैं। सभापति जी, अभी आप भी जब सदस्य के रूप में यहां बैठे थे तो आपने भी किसानों पर खुले दिल से चर्चा की थी। हम लोग प्रायः हर सत्र में किसानों की समस्याओं पर चर्चा करते हैं और सरकार की कार्य योजना और घोषणाएं भी सुनते हैं। लेकिन धरातल पर अमल करने में किसानों को काफी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो बैंकों में किसानों की अप्रोच नहीं है। जो ऋण की सुविधा यहां से देने की घोषणा होती है, वह भी उसे मुहैया नहीं हो पाता। ऐसी एक नहीं कई स्थितियां हैं जिन पर मैं बाद में आऊंगा।

आज बहस करने का यह अच्छा अवसर है क्योंकि इस देश के कृषि मंत्री किसान परिवार से आते हैं, किसानों के हमदर्द हैं और किसानों के हितैषी हैं। यदि आज किसानों के व्यापक हित में कोई राष्ट्रीय नीति तैयार नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में किसानों के व्यापक हितों के लिए कोई राष्ट्रीय नीति तैयार हो पायेगी। आज जरूरत है कि एक राष्ट्रीय कृषि नीति बनाने की। आज जरूरत है कि देश मे इसकी समीक्षा की जाए। यहां से जितनी भी घोषणाएं हुई हैं, चाहे वे बजट के दौरान हुई हों या समर्थन मूल्य के सवाल पर हुई हो, उनकी समीक्षा हमें करनी होगी। आये दिन सदन में किसानों द्वारा आत्महत्याओं पर चर्चा होती रहती है। मैं बहुत वेदना के साथ एक बात कहना चाहता हूं। संपूर्ण देश मे आज 60–70 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं और इसीलिए हिन्दुस्तान एक कृषि प्रधान देश कहलाता है। आज यदि किसानों की दशा और दिशा ठीक नहीं हुई, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक

नहीं हुई तो देश की आर्थिक स्थिति कभी ठीक नहीं हो सकती, ऐसा मेरा मानना है। किसान ही एक ऐसा संवर्ग है जिसको बेईमानी करने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि यदि किसान पांच कट्टे ज़मीन में सिंचाई करेगा, अच्छे उन्नत किस्म के बीज डालेगा, लेबर और सुपरविज़न करेगा, तब जाकर जो फसल पैदा होगी, वह पांच कट्टे में ही पैदा होगी, छठे कट्टे में नहीं हो सकती। लेकिन दूसरे संवर्गों में 10 किलोमीटर की सड़क बनानी है तो नौ किलोमीटर बना देंगे और 10 किलोमीटर के कागज़ बन जायेंगे। मैं किसी एक संवर्ग की बात नहीं कर रहा हूं। कई ऐसे संवर्ग हैं जहां बेईमानी करने की गुंजाइश है लेकिन किसान ही ऐसा संवर्ग है जो राष्ट्रीय उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने का काम करता है। अन्न के भंडार की चर्चा पिछले दिनों देश में बहुत होती थी। हमारे देश में 610 लाख मिलियन टन अनाज का भंडार था। आज कुछ थोड़ा सा डिकलाइन ट्रेंड उत्पादन में अनाज का लिया है। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं, क्योंकि किसान को बेईमानी करने की भी छूट नहीं है, अगर वह बेईमानी करेगा तो उत्पादन घट जाएगा। वह हल चलाएगा, खेत जोतेगा, बीज डालेगा, सिंचाई करेगा, लेबर ऑफ सुपरविज़न करेगा, तब अनाज होगा। यह एक ऐसा ईमानदार संवर्ग है, लेकिन आज भी उसका पेट नहीं भरता, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। आजादी के 59 साल बीतने के बाद, आजादी का जो मकसद है वह गांव तक नहीं पहुंच पाया।

महोदय, कई माननीय सदस्य कह रहे थे, मैं एक बार पहले भी बोला था कि इंडिया गेट के भीतर इंडिया है और उसके बाहर भारत। भारत निर्माण का संकल्प यूपीए सरकार द्वारा लिया गया है। भारत निर्माण का संकल्प लेने के लिए इच्छाशक्ति की बहुत जरूरत है और धरती पर कैसे उतरे, इस पर जोर देना पड़ेगा, क्योंकि चींटी से लेकर हाथी तक सभी जीवों का पेट किसान ही पालता है। किसान ही है, जो देश की सरहद पर लड़ने वाले जवान और पूरे आवाम का पेट भरने का काम करता है। खेती से दौलत पैदा करता है और जो अनाज पैदा करता है, उसी से पेट पालता है, क्योंकि पेट तो अनाज से ही भरेगा। कृषि से जो अनाज पैदा होता है, उसी से देश के आवाम का पेट भर सकता है, एक किसान ही है, जो अनाज पैदा करके सब का पेट भर सकता है। मैंने इसलिए निवेदन किया कि खेती घाटे का व्यवसाय हो गया है। मैं बहुत दर्द और वेदना के साथ कहना चाहता हूं, हमने कल ही 60वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, लेकिन आज भी खेती घाटे का व्यवसाय है, अन्य कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है जो इतने घाटे में चलता हो। इसलिए आज आधे से अधिक किसान खेती से भागना चाहते हैं। राष्ट्रीय उत्पादन का जो डिकलाइन हुआ है, उस पर अनुसंधान करने की जरूरत है। आईसीएआर में आर एंड डी का काम होता है। जैसे आप भी जिक्र कर रहे थे कि अनुसंधान का लाभ भी किसान को होना चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि खेती घाटे का जो व्यवसाय बन रहा है, इसका प्रतिफल क्या होगा? आज एक तो छोटी जमीन घट रही है, क्योंकि 25–30 साल पहले जिनकी जमीन 40 बीघा थी, वे पांच भाई हुए, फिर उसमें से बंटवारा होते–होते डेढ़ बीघा जमीन उस परिवार की रह गई और आने वाले दस सालों में वह डेढ़ एकड़ वाला किसान खेतीहर मजदूर हो जाएगा, पलायन की स्थिति में हो जाएगा। दूसरे राज्य में अपना पेट पालने के लिए, जहां उन्हें रोजगार मिलेगा, वहां जायेंगे। कल जो किसान था, आज वह खेतीहर मजदूर होता जा रहा है। इसलिए यह बहुत भयानक समस्या उत्पन्न हो रही है, भयावह आर्थिक स्थिति पैदा हो रही है। इसलिए इस पर ग्रामीण इलाकों में विचार करने की जरूरत है। इसलिए मैंने बुनियादी तौर पर इस बात का निवेदन किया, क्योंकि अभी के इकोनोमिक सर्वे ऑफ इंडिया को देखा जाए तो अनाज के उत्पादन में डिकलाइन ट्रेंड है, चाहे 20 लाख मीट्रिक टन ही क्यों न हो, लेकिन डिकलाइन ट्रेंड होना खतरनाक है। माननीय मंत्री जी को खाद सुरक्षा और फूड सिक्योरिटी के लिए एहतियात तौर पर कार्यवाही करनी पड़ी, आयात करना पड़ा ताकि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, चाहे टारगेटिक पीडीएस हो या फोकस ऑन पुअर, उन्हें कम से कम जो डोमेस्टिक खपत है, उसे पूरा करने के लिए पहले से अरेन्जमैंट करना पड़ा। यदि उत्पादन का डिकलाइन ट्रेंड होगा, तो बहुत ही खतरनाक स्थिति होगी। दूसरी मौलिक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एनएसपी की बहुत चर्चा होती है। यह अच्छा काम किया है, इसके लिए हमें सरकार की सराहना करनी चाहिए कि भारत के व्यापक हित के लिए तीसरी दुनिया के देश के साथ भारत आज मजबूती के साथ डब्ल्यूटीओ में खड़ा है। हम कहीं से अपने को एनएसपी को रिडयूस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे किसान को जो हमारी सब्सिडी है, उसे हम नहीं घटायेंगे। भारत के किसानों के व्यापक हित में यह अच्छी पहल थी। इसे कमला जी ने डब्ल्यूटीओ को रिप्रैजेंट किया था, जो हमारी कामर्स मिनिस्टर हैं। यह एक अच्छी पहल है और मैं समझता हूं कि उन्हें इसका नेतृत्व भी करना चाहिए। तीसरी दुनिया के देश में जो किसान हैं, उसका नेतृत्व भारत को करना चाहिए। डब्ल्यूटीओ की कंडीशनेलिटी, फर्ज क्या है? वे कहते हैं कि भारत का जो एनएसपी है, वह ट्रेड डिस्टोर्टिंग डोमेस्टिक सपोर्टिंग प्राइज है। यह इनकी परिभाषा है जो हमारे व्यापार को डिस्टर्ब करती है।

सभापति महोदय, यूरोपियन देशों ने कहा कि भारत सरकार द्वारा किसान को दी जाने वाली एम.एस.पी. घटानी चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि अमरीका और अन्य यूरोपियन देश अपने किसानों को 400 प्रतिशत सब्सिडी देते हैं। वही देश कहते हैं कि हिन्दुसतान अपने किसानों को दी जाने वाली एम.एस.पी. को घटा दे। यह बहुत खतरनाक

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

ट्रेंड था। इसके विरुद्ध भारत सरकार के वाणिज्य मंत्री ने भारत के व्यापक हित में स्टेंड लिया, यह अच्छा किया। मेरा कहना है कि इस स्टेंड पर मजबूती से खड़े होने की जरूरत है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि बाहर के देशों से इस देश में कृषि उत्पादन आने की बात चल रही है, उसे रोका जाना चाहिए। यह बात ठीक है कि सरकार ने नीति बनाई है कि क्वांटीटेटिव रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन हमें अपने भारत के किसान की रक्षा के लिए बाहर से आने वाली कृषि उपज पर काउंटर ड्यूटी लगानी चाहिए और ऐसे उपाय कर के विदेशी कृषि उपज को भारत के मार्केट में नहीं आने देना चाहिए। विदेशों से भारत में कपड़े, क्रॉकरी और फ्रूट से लेकर अनेक चीजें तो आ रही हैं, लेकिन मेरा किसानों के हित में कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि उन्हें ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे भारत कभी भी विदेशी कृषि उपज के लिए डम्पिंग ग्राउंड न बन सके क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कारण जो नई पॉलिसी चल रही है, उससे हमे ऐसे ही खतरे का संकेत मिल रहा है। ऐसी मेरी एप्रीहेंशन है जिसे मैंने आपके माध्यम से सदन में रखा है।

महोदय, देश में प्रति वर्ष प्राकृतिक आपदा से राहत देने पर 10 हजार करोड़ रुपए व्यय होते हैं। 5 हजार करोड़ रुपए तो नकद दिए जाते हैं और बाकी 5 हजार करोड़ रुपए सहायता के रूप में दिए जाते हैं। जैसे किसी को सांप ने काट लिया, तो उसे नकद आर्थिक सहायता के लिए 50 हजार रुपए दे दिए गए। किसी का घर बह गया, किसी का घर जल गया, तो ब्लॉक के माध्यम से उसे घर बनाने के लिए नकद आर्थिक सहायता दी जाती है। किसी की नाव बह गई या टूट गई, तो उसे नकद सहायता दी जाती है। मेरा कहना है कि इस प्रकार की राहत पर सरकार को कम ध्यान देना चाहिए क्योंकि इस प्रकार की सहायता से देश को पुरुषार्थहीन बनाया जा रहा है। सूखे और बाढ़ का स्थाई समाधान ढूंढना चाहिए। पूरे देश का एक व्यापक मास्टर प्लान बनाकर बाढ़ और सूखे के स्थाई समाधान हेतु चिन्तन करना चाहिए। कई प्रदेश सूखे से त्रस्त हैं, तो कई बाढ़ से।

महोदय, बिहार वैसे हर वर्ष बाढ़ से प्रभावित रहता था, लेकिन इस वर्ष वह सूखे से बुरी तरह प्रभावित है। वहां अकाल की स्थिति बनी हुई है। बिहार में सूखे के कारण हाहाकार मचा हुआ है। किसान के धान का बीज सूखे के कारण खेत में सूख गया है। वहां भूखमरी की स्थिति है। आज 17 अगस्त को मैं सदन में बताना चाहता हूं कि बिहार में अकाल की स्थिति पैदा हो गई है। यह एक ऐसी त्रासदी है जिसके कारण बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। लघु और सीमान्त किसानों के लिए कोई विकल्प नहीं बचा है। ट्रेक्टर वाले किसान और बड़े किसानों की बात मैं नहीं कह रहा हूं। मैं बिहार के सीमान्त और लघु किसानों की बात कह रहा हूं।

महोदय, अभी भारत और नेपाल ने बिहार से निकलकर भारत में आने वाली नदियों के अध्ययन के लिए दोनों देशों के इंजीनियरों द्वारा ए.डी.आर. बनाने के लिए एक जाइंट प्रोजैक्ट बनाने का समझौता किया, जिसका उल्लेख 10वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया और उसके तहत सात स्थानों पर कार्यालय स्थापित किए जाने थे जिनके लिए 30 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई, लेकिन अभी तक ये कार्यालय पूरी तरह नहीं खुल पाए हैं। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस दिशा में शीघ्र प्रगति होनी चाहिए। नेपाल से निकलने वाली नदियों से हाइड्रोइलैक्ट्रिक पैदा करने और सिंचाई का काम करने का काम बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण बिजली नहीं बन पा रही है और सिंचाई नहीं हो पा रही है। नेपाल से निकलने वाली नदियों के अध्ययन और उनके जल का बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग करने से उत्तर भारत के सात राज्यों पर प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए मैंने इसका जिक्र किया है।

सभापति महोदय, मैं दो–तीन बिन्दुओं को कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। यू.पी.ए. सरकार ने सिंचाई क्षमता बढ़ाने का संकल्प भारत निर्माण योजना के अन्तर्गत लिया है। नई सिंचाई क्षमता पैदा करने हेतु प्रगतिशील गठबन्धन सरकार ने वर्ष 2009 तक 1 करोड़ हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। नई सिंचाई क्षमता का यह लक्ष्य बहुत अच्छा है। वर्षा सिंचित क्षेत्र में जल संसाधन के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए एक राष्ट्रीय वर्षा क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना करने की घोषणा की गई है, लेकिन इस दिशा में आज तक क्या प्रगति हुई, इस दिशा में कुछ पता नहीं, देश अंधकार में है। वह प्राधिकारण बना ही नहीं। जो देश जल का सदुपयोग नहीं करेगा, वह देश उन्नति नहीं कर सकेगा। इसलिए मैंने इस बात को कहा कि जब तक देश में जल का सदुपयोग नहीं होगा, तब तक हमारा देश विकसित देश नहीं बन सकता है।

महोदय, आत्महत्या की कहानी बहुत चली है, मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आजादी के 59 साल बीत जाने के बाद भी यदि किसानों द्वारा आत्महत्याएं की जा रही हैं तो इस पर गौर करना चाहिए। यह शर्मनाक स्थिति है। किसानों द्वारा आत्महत्याएं उन्हें राज्यों में की जा रही है, जहां कैश क्राप है, जहां कपास की खेती होती है, जहां नकदी फसल है। फिर चाहे वह आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या पंजाब हो। 15–16 प्रतिशत किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं इसके कारणों में नही जाना चाहता हूं। इसे लिए अधिक ब्याज दर, प्राकृतिक आपदा के कारण

फसल का बर्बाद होना, मानसून के कारण क्राप फैल्योर अथवा हाई इंटरेस्ट रेट कारण होता है।

महोदय, प्राइवेट मनी लैण्डर की बात माननीय सदस्यों ने कहीं है। 40-45 प्रतिशत तक की ब्याज दर पर किसानों को इनसे पैसा लेना पड़ता है। सभी किसानों की पहुंच बैंकों तक नहीं है। व्यावहारिक स्थिति यही है। यदि 40-50 प्रतिशत की दर से किसान ऋण लेगा तो उसकी क्या हालत होगी? वह उन पैसे को कैसे चुका पाएगा? उसके पास खेती के अलावा पैसे कमाने का कोई वैकल्पिक जरिया भी नहीं है। वह उसे नहीं चुका पाता है। उसके पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता है।

महोदय, आपने भाषण खत्म करने के लिए घण्टी बजायी है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा केवल अंतिम बात कहकर अपना भाषण समाप्त कर दूंगा ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : हमारी भी मजबूरी है।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : मैं जानता हूं कि आपकी भी मजबूरी है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और श्री एम.एस. स्वीमीनाथन का एक उद्धरण देना चाहूंगा, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

*[अनुवाद]*

...... ग्रामीण रोजगारों को सशक्त करने के लिए डा. स्वामीनाथन ने मिलिट, रागी, बाजरा और ज्वार को 'मोटे अनाज' के रूप में उल्लिखित करने की प्रक्रिया की निंदा की। इसके बजाय इन्हें 'पोषक अनाज' कहा जाए क्योंकि इनमें माइक्रोन्यूट्रिअन्टस और खनिज काफी मात्रा में पाये जाते हैं।

देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में अनाज और दलहन के कम हिस्से का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उपलब्ध प्रौद्योगिकियों से अनाज और दलहन का उत्पादन आसानी से दो गुणा अथवा तीन गुणा किया जा सकता है..."

*[हिन्दी]*

मैंने इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि मरूआ, जौ, जनेर, ज्वार और बाजरा गरीबों का आहार है। यह आहार मधुमेह को खत्म करता है और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। इन फसलों की खेती जमीन की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाती है क्योंकि इन फसलों के जड़ और सिर में बैक्टिरिया जैसे कीटाणु नष्ट करने की क्षमता होती है। इन फसलों का उत्पादन घट रहा है। मोटे अनाज का उत्पादन कैसे बढ़ेगा, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। गरीबों के पौष्टिक आहार के रूप में ये अनाज बहुत जरूरी हैं। स्वामीनाथन जी ने जो रिक्मन्डेशन की हैं कि बैंकों से किसानों को चार प्रतिशत की दर से ऋण मिलना चाहिए ... *(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : रिकमन्डेशन्स करना आसान है, लेकिन उन्हें लागू करना बहुत मुश्किल है।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : महोदय, अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नयी राष्ट्रीय कृषि नीति बनाने की आवश्यकता है। किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता है। उसके लिए एक पालिसी बनानी चाहिए। खेती की उपज और कारखाना में उत्पादित माल की लागत खर्च के आधार पर तय नहीं होती है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था और आप भी इस बात से सहमत होंगे कि अनाज के दाम का घटना-बढ़ना प्रति किलो आना सेर के अंदर हो। इसलिए कारखाने से उत्पादित माल का दाम डेढ़ गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक दाम बांधो पॉलिसी होनी चाहिए। आज कारखनिया माल का दाम 500 से लेकर 1500 गुना ज्यादा है, जो माल कारखानों से उत्पादित होता है, किसान का बेटा उसी माल को खरीदता है या किसान की जेब में पैसा भी है तो कैसे 1500 गुना कीमत पर करखनिया माल को खरीदेगा। इन दोनों में संतुलन नहीं है। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : अब अपनी बात समाप्त करिये। अभी समय का संतुलन बनाइये।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं कि इसमें एक अनुपात होना चाहिए। करखनिया माल का कृषि उत्पादित जो माल है, इन दोनों को जो दाम है, इसमें एक संतुलन बनाने की जरूरत है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि गीते जी बोल रहे थे कि इस देश में गरीबी की रेखा तो प्लानिंग कमीशन के द्वारा तय है, लेकिन मैं आज मांग करना चाहता हूं कि इस देश में यदि किसानों का भला करना है तो अमीरी रेखा भी तय करनी होगी कि इस देश में कितने अमीर लोग हैं। हमारे देश का बजट जाता कहां है, जबकि किसान और 60-70 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। गरीबी की रेखा का तो 26 प्रतिशत प्लानिंग कमीशन ने एस्टीमेट किया है तो अमीरी रेखा क्या है और बीच की पोपुलेशन के लिए बजट का क्या प्रावधान है? मैं यह नैतिक सवाल उठाना चाहता हूं कि इस देश में अमीरी रेखा भी तय करनी होगी, तभी किसानों का भला हो सकता है।

**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया** (गुना) : सभापति महोदय, आज हम किसानों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आधुनिक युग में जब हम प्रगति की चर्चा करते हैं तो हम प्रगति की दर के बारे में चर्चा करते हैं कि हमारा देश 6 प्रतिशत, 8 प्रतिशत या 10 प्रतिशत पर प्रगति करे। लेकिन आज मैं इस सदन में प्रश्न करना चाहता हूं कि केवल क्या प्रगति के बारे में चर्च करना काफी है, केवल क्या आंकड़ों के बारे में चिन्ता करना काफी है? प्रगति रोजगारी के बिना अधूरी है और प्रगति जब तक सीमान्त कृषक को राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ नहीं जोड़ेगी, तब तक वह अधूरी रहेगी। अन्ततोगत्वा आज जो इंडिया शाइनिंग और भारत

[श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया]

उदय का मायाजाल था, उसे हमने ध्वस्त करके प्रगति और विकास ग्रामीण क्षेत्र के किसान तक हमें पहुंचाना ही होगा, यह हमारी जिम्मेदारी है।

हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और किसान देश की नींव हैं। सकल घरेलू उत्पादन की दर का 23 प्रतिशत कृषि क्षेत्र से आता है। 56 प्रतिशत रोजगारी के अवसर कृषि के क्षेत्र द्वारा दिये जाते हैं। इस देश की 70 प्रतिशत जनता अपना जीवन-यापन कृषि के आधार पर करती है। लेकिन आज क्या स्थिति है कि जहां एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र और सर्विस सैक्टर 10-15 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ रहा है, वहीं कृषि का क्षेत्र केवल दो या तीन प्रतिशत की दर से आगे बढ़ रहा है। क्या यह न्याय है कि देश की 70 प्रतिशत जनता केवल दो प्रतिशत के आधार पर आगे बढ़ पाये और 30 प्रतिशत जनता टापू की तरह 15 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ पाये?

आज हमें जवाहर लाल नेहरू जी की याद आती है। उन्होंने कहा था कि सब कोई इन्तजार कर सकता है, लेकिन किसान इन्तजार नहीं कर सकता। हमारे परिवार का महाराष्ट्र के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। विदर्भ में सौ साल पूर्व यह नारा निकला था, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी, लेकिन वर्तमान भारत में क्या स्थिति हो चुकी है, यह आप और हमें मालूम है। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** यह कहावत हर जगह है।

**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :** यह विदर्भ से शुरू हुई थी। पिछले कई वर्षों से किसानों ने बहुत संकटों का सामना किया है। सुनामी आई, कई जगह बाढ़ आई, सूखा आया, भूकम्प आया, अनेक तरीके के प्राकृतिक प्रकोपों का सामना हमारे परिश्रमी किसान ने किया है, बहादुर किसान ने किया है। हमारे किसान हमारे जवानों से किसी तरह कम नहीं हैं। देश के आज नौ करोड़ कृषकों के परिवार में से 50 प्रतिशत ऋण में डूबे हुए हैं। नैशनल सैम्पल सर्वे के आधार पर जो आंकड़े हमारे सामने आये हैं, उनमें 42 प्रतिशत किसान आज खेती छोड़ना चाहते हैं।

आज सिंचाई का अभाव है, हमारे देश का केवल 40 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है, बाकी 60 प्रतिशत इन्द्र देवता के आशीर्वाद के आधार पर आगे चलता है। अगर वह आशीर्वाद न मिले, वह उससे वंचित रह जाये तो वह भगवान को प्यारा हो जाता है।

आज देश में कोई भी क्षेत्र आर एंड डी के बिना आगे नहीं बढ़ पाता है, लेकिन आज हमारे देश में अन्य देशों के संतुलन में केवल 0.34 प्रतिशत जीडीपी का निवेश आर एंड डी में किया जा रहा है। विश्व के तमाम साइंटिस्ट साल में दो पेपर निकालते हैं, लेकिन हमारे साइंटिस्ट केवल आधा पेपर निकालते हैं।

*[अनुवाद]*

कृषि में अनुसंधान कुल घटक उत्पादकता में योगदान देने वाला सबसे बड़ा तत्व है और कृषि अनुसंधान में निवेश पर प्रतिलाभ 70 प्रतिशत से अधिक है। अतः यह अनिवार्य है कि हम इस पर ध्यान दें।

*[हिन्दी]*

जानकारी के अभाव के कारण हमारा किसान परम्परागत फसलों की ही पैदावार करता है। साख में 30 प्रतिशत बढ़ोत्तरी जरूर हुई है, लेकिन आज भी संस्थात्मक सहायता कृषकों को नहीं मिलती है। आज किसानों के लिए साख उपलब्ध करना कठिन नहीं है। आज किसान की जिंदगी में जो सबसे बड़ी चुनौती है, वह कर्ज वापस देना है। पिछले कई सालों में चार हजार किसानों ने आत्महत्यायें की है। आज स्थिति यह उत्पन्न हो गयी है कि ऋणदाता, अन्नदाता का गला घोट रहा है। आज साख की बढ़ोत्तरी के बाद भी जहां बैंक 36 प्रतिशत ऋण देता है, आज भी ऋणदाता 26 प्रतिशत ऋण देता है और वह भी 26 से 30 प्रतिशत की दर से वह ऋण देता है। मध्य प्रदेश के एक किसान रंगाया की कहानी है। कोई और साधन उसके सामने नहीं था, तो उसने बीस हजार रुपए का ऋण लिया। उसने एक बोर वेल खोदा, उसमें उसे पानी का स्रोत नहीं मिला, तो उसे दूसरा ऋण लेना पड़ा। उसने बीस हजार रुपए का एक और ऋण लिया। उसके घर में चार बच्चे थे। वहां भी उसे पानी नहीं मिला और उसने आत्महत्या की। ऐसे रंगाया की अनेक कहानियां हमारे देश में हैं। जब बार-बार फसल चौपट हो जाती है, बिजली का अभाव है, पर्याप्त पानी उन्हें नहीं मिलता है, तो किसानों को एक ही रास्ता दिखायी देता है और वह है ज्यादा ऋण लेना। पिछले कई वर्षों में जहां उत्पादन की बिक्री लाभ में केवल दो प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुयी है, वहीं इनपुट कास्ट चाहे बिजली, डिजल, पेट्रोल, सिंचाई ऋण के दर के आधार पर उत्पादन लागत में 38 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुयी है। उत्पादन का खर्च आज एमएसपी से कम है। आज जहां लागत व्यय में चार प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, वहीं आय में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है और किसानों का ज्यादा ऋण लेना, उनकी मजबूरी हो चुकी है। देश में आज भी 85 प्रतिशत किसान सीमांतित किसान है। उसकी लैंड होल्डिंग केवल 1.5 हैक्टेयर भूमि है। उसे कोई ऋण नहीं देता है, क्योंकि बैंक पूछती है कि बताइए कोलैटरल क्या है? वह बाजार तक नहीं पहुंच पाता है और जब बाजार पहुंचता है, तो वहां बैठे दलाल और मुनाफाखोर सक्रिय हो जाते हैं और वास्तविक मूल्य उस किसान को कभी नहीं मिल पाता है। इसलिए आज स्थिति यह है कि जहां किसानों की अपनी जमीन भी है, वहां भी वे आज बंधुआ मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं। आज की स्थिति के उपाय क्या हैं? मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी सरकार ने इस संबंध में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जो किसानों की हालत को वास्तविक तौर पर विकास और प्रगति की तरफ ले

जाएंगे। हमारी नीति और नीयत में कोई अंतर नहीं है। फसल बीमा की एक नयीं योजना निकली। सबसे ज्यादा आलोचना की जाती थी कि उपभोक्ता को यदि गाड़ी खरीदना है, तो उसको आठ प्रतिशत पर ऋण मिल जाता है और उद्योगपति को आठ–दस प्रतिशत पर ऋण मिल जाता है, लेकिन कृषक को 15 प्रतिशत पर ऋण मिलतो है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने उसे ठीक किया है। आज जो किसान तीन लाख रुपए से कम ऋण लेता है, उसे सात प्रतिशत की दर पर ऋण मिल जाता है। 2500 करोड़ रुपए की सब्सिडी राशि इस योजना के लिए घोषित की गयी है।

अधोसंरचना की हम बात करते हैं। बिजली के क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना गांव–गांव, जिले–जिले में केवल सब–स्टेशन और ट्रांसफार्मर ही नहीं, बल्कि खेत तक बिजली के तार ले जाएगी, इसका मुझे स्वयं आभास है, क्योंकि अपने दोनों जिलों में मैं इस योजना को ले गया हूं और किसानों को इस योजना से कितना लाभ मिलेगा, इसका मुझे अनुभव है।

पानी के क्षेत्र में पुराने तालाबों की जीर्णोद्धार की योजना है। एक्सिलरेटेड इरीगेशन बेनेफिट प्रोगाम है। भारत निर्मण हमारी एक महत्वांकाक्षी योजना है। हम फेडरल सिस्टम में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या केवल केन्द्र सरकार की यह जिम्मेदारी है या राज्य सरकारों की कोई भूमिका होती है। मध्य प्रदेश में चार महीने पहले भीषण ओलावृष्टि हुयी। दो लाख हैक्टेयर भूमि की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गयी। 48 जिलों में से 42 जिले प्रभावित हुए और प्रदेश सरकार ने क्या कदम लिए–केवल लगान माफ किया। आप मुझे बताइए कि लगान माफ करने से किसानों को क्या मिलता है। हमने मांग रखी थी कि कम से कम दस हजार रुपए प्रति हैक्टेयर भूमि मुआवज़ा किसानों को मिलना चाहिए। अगर दो लाख हैक्टेयर भूमि में फसल नष्ट हुई है तो हम दो सौ करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश जैसे राज्य में भी सीमान्त किसान को मुआवजा देने के लिए उसके खजाने में दो सौ करोड़ रुपए नहीं हैं? मुझे खुशी है कि जब हम प्रधान मंत्री से मिले, सोनिया जी से मिले, शरद पवार जी से मिले, मंत्री महोदय आपको याद होगा, मुझे याद है कि 185 करोड़ रुपए की सहायता आपके द्वारा प्रदान हुई। बिजली का बिल–जहां एक–तिहाई बिजली दी जाती है, वहां बिजली का बिल तीन गुना हो चुका है और जो किसान *...(व्यवधान)* सभापति महोदय, मुझे पांच मिनट जरूर दीजिएगा। मैं नौजवान सांसद हूं, मुझे समय दीजिए। *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** ठीक है।

**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :** जब बिजली के बिल की वसूली की जाती है, तब जो किसान बिजली के बिल का भुगतान नहीं कर सकता, उसे जेल भेजा जाता है। यह अन्याय देश के किसान पर नहीं बल्कि देश के अन्नदाता पर किया जा रहा है, जैसे देवेन्द्र प्रसाद जी ने भी कहा, हमारा किसान अन्नदाता होता है, पैसे की बात नहीं है, अनाज और पेट भरने की बात है।

सिंचाई के साधन में भी हमें वृद्धि करनी होगी। हमें ड्रिप इरीगेशन और जल संरक्षण अभियान शुरू करना होगा। मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं। आज सुझावों की बात सामने आई है। हमें नए तरीके से सोचना होगा। हमें इस देश में नई हरित क्रान्ति लानी होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह बहुत क्लिशे टर्म हो चुका है हरित क्रांन्ति, ग्रीन रैवोल्यूशन, लेकिन हम वैल्यू चेन के ऊपर अपना ध्यान आकर्षित करें। उत्पादन से, मार्किटिंग से अंतिम प्रोडक्ट तक सबसे ज्यादा भाग किसानों को मिलना चाहिए जो आज केवल दस प्रतिशत किसानों को मिल रहा है। वैल्यू चेन के तीन भाग होते हैं– एक लो–टेक्नोलॉजी का जो उत्पादन है; दूसरा, मध्यम टेक्नोलॉजी, जो कलैक्शन और प्रोसैसिंग होता है; और तीसरा, हाई टक्नोलॉजी का जो मार्किटिंग और डिस्ट्रब्यूशन होता है। लो–टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दूसरी हरित क्रान्ति हमें जरूर चाहिए। चीन का प्रति एकड़ उत्पादन भारत से दुगुना है। हमें उस लक्ष्य की पूर्ति करनी होगी। इसके अलावा हमें हाई वैल्यू प्रोडक्ट और स्पैशलाइज़ेशन लाना होगा। लेकिन मध्यम क्षेत्र में कलैक्शन और प्रोसैसिंग की बात करें आज हमें गर्व है कि हमारा भारत देश दूध के उत्पादन में विश्व में नम्बर एक है, 90 मिलियन टन, फल और भाजी के उत्पादन में विश्व में नम्बर दो है, 150 मिलियन टन और फसल के उत्पादन में विश्व में नम्बर तीन है, 210 मिलियन टन। लेकिन आज मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति क्यों है कि उसमें से केवल दो प्रतिशत प्रोसैस किया जाता है और 30–40 प्रतिशत बर्बाद हो जाता है। आज मांग है कि कोल्ड स्टोरेज चेन चाहिए, हमें नई टैक्नीक चाहिए, आज मांग है कि उत्पादन को देश में कहीं भी बेचने के लिए एसैंशियल कमोडिटीज़ एक्ट का संशोधन हमें लाना ही होगा। हम हाई टेक्नोलॉजी की बात करें। आज हमें किसान को हाई टेक्नोलॉजी में पूरी भागीदारी देनी होगी जो शून्य के बराबर है। सबसे ज्यादा दाम मार्किटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र से आता है। इन तीनों आंगों को हमें ज्यादा एफीशिएंट बनाना होगा। हमें सप्लाई चेन मैनेजमैंट लाना होगा और सहकारिता के मॉडल का उपयोग करके सबसे ज्यादा दाम हमें अपने किसानों को देना होगा। इसके तीन उदाहरण हमारे सामने हैं– एक आनंद, अमूल का मॉडल– मैं इसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। इसके द्वारा 60 प्रतिशत अंतिम दाम किसानों को मिलता है। मार्किटिंग भी अमूल के किसान स्वयं करते हैं, बाहर की कोई एजैंसी नहीं करती। चेन्नई में सेवा और सुभिक्षा निजी क्षेत्र में यह उदाहरण है। हमारे देश में अगर यह सपना हम सबका

[श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया]

है कि हम एक नक्षत्र की तरह आर्थिक रूप में उभरना चाहते हैं, अगर यह हम सबका सपना है, अगर यह हरेक भारतीय नागरिक का सपना है, हरेक भारतीय युवा का सपना है, तो महात्मा गांधी जी के शब्दों को हमें याद करना होगा, उन्होंने कहा था कि हमें ज्यादा उत्पादन नहीं चाहिए, ज्यादा हाथों से उत्पादन चाहिए 'नोट मास प्रोडक्शन बट प्रोडक्शन बाय दि मासिस' भारत की जान, भारत की आत्मा, भारत का दिल ग्रामीण क्षेत्र में बसता है और जब तक हम ग्रामीण क्षेत्र की जनता को सामाजिक आजादी नहीं दे पाएं, आर्थिक आजादी नहीं दे पाएं, तब तक हम यह नहीं समझ सकते कि हमारा देश आजाद है। अगर लोकतंत्र की जीत हमें चाहिए, तो उस, ग्रामीण किसान को पूरी तरह से, सकारात्मक तरीके से, उसके हाथों को शक्ति प्रदान करनी पड़ेगी और 21वीं सदी में एक नई दिशा हमें दिखानी पड़ेगी।

*[अनुवाद]*

*श्री डी. वेणुगोपाल (तिरूपत्तूर) : माननीय सभापति महोदय, मैं, पूरे देश में किसानों में फैली व्यापक निराशा पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

किसानों के समक्ष मुख्य समस्या है उनके कृषि उत्पाद के लिए लाभप्रद मूल्य का न मिलना। कृषि आदानों की लागत में वृद्धि हो रही है। परन्तु, किसानों को समरूप वृद्धि नहीं मिल रही है और उन्हें समानुपाती संतुलित लाभप्रद मूल्य नहीं मिलता है। इन कारणों से, बहुत से किसान भारी वित्तीय बोझ में दबे हुए हैं और वे गरीब हो गए हैं तथा और उनमें से कुछ आत्महत्या कर लेते हैं।

मैं अपने अनुभव के आधार पर अपनी राय व्यक्त करता हूं। संसार जल के बगैर नहीं रह सकता है। जहां तक वर्षा का संबंध है, यह मदद कर सकती है लेकिन भारी वर्षा अथवा बिल्कुल न होकर बरबाद भी कर सकती है। जहां तक फसलों का संबंध है, उनकी अधिक पैदावार और कम पैदावार भी नुकसान पहुंचा सकती है। बाढ़, सूखा, बहुतायत पैदावार के परिणाम-स्वरूप फसल का दाम कम मिलना, सूखे की स्थिति में किसानों के समक्ष अपने बीज के स्टॉक को भी बेचने की बाध्यता इत्यादि किसानों की अनेक समस्याएं हैं।

इस कम्प्यूटर युग में यदि हम किए गए प्रयासों और खर्च की गई धनराशि का आकलन करें तो पाते हैं कि कृषि में प्रतिलाभ शून्य अथवा नगण्य है परन्तु फिर भी लोग इस पेशे में लगे हुए हैं।

धान, गेहूं, ईख, दलहन और अनाज की खेती करना इस देश के पारंपरिक व्यवसाय का भाग है। जब समस्त परिवार सारा दिन धूप में बहुत मेहनत करता है तब भी उन्हें सही मात्रा में प्रतिलाभ नहीं मिलता है। दुर्भाग्यवश, ऐसे किसान अपने कृषि उत्पाद का मूल्य निर्धारित करने में समर्थ नहीं हैं। अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण केवल तब सार्थक हो सकता है जब उत्पादन अर्थात् किसान को अपने कृषि उत्पाद का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार मिले। केवल तभी आर्थिक पुनर्संरचना सार्थक होगी। डब्ल्यूटीओ की शर्तें विकासशील विश्व की सरकारों को उन अल्प राजसहायताओं को समाप्त करने के लिए बाध्य कर रही है जो कि किसानों को उपलब्ध है। यह कदम कृषि व्यवसाय को दबा सकता है और इस पारंपरिक व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

हमारे स्वर्गीय नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री मुरासोली भारत ने विश्व व्यापार संगठन की दोहा में हुई बैठक में विकासशील विश्व की राय को दोहराया था। हाल ही में, हमारे वाणिज्य मंत्री, श्री कमल नाथ ने हांग-कांग में हुई बैठक में भी इसी बात पर बल दिया है। मैं इसकी सराहना और स्वागत करता हूं। मुझे हमारे प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह, जो कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं और संप्रग की अध्यक्षा, सोनिया गांधी जी पर विश्वास है। मैं बड़े उत्साह पूर्वक उम्मीद करता हूं कि वे कृषि को बढ़ावा देने और कृषकों का भाग्य संवारने हेतु उपयुक्त कदम उठाएंगे।

जहां तक तमिलनाडु का संबंध है, वहां पर हमारे नेता डा. कलाइगनर करूणानिधि के नेतृत्व वाली सरकार किसानों के भाग्य को संवारने और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से दूसरी हरित क्रान्ति लाने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। केन्द्र सरकार को इसका अनुकरण करना चाहिए। हाल ही में हुए चुनावों के तत्काल बाद मुख्य मंत्री का पदभार लेने के बाद उन्होंने किसानों के ऋण बोझ को कम करने के लिए 1900 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की है जिन्हें अपना सामान छोड़ देना पड़ा क्योंकि सहकारी समितियों के पास उनके द्वारा दिये गये ऋण के बकाया ब्याज और लंबित ऋण के बदले उनकी नीलामी की जानी थी। किसानों को अपने व्यवसाय को जारी रखने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए ऋण सुविधाओं को कम ब्याज दर पर सरल और कारगर बनाया गया है। तमिलनाडु सरकार ने किसानों को कृषि के प्रयोजनार्थ निःशुल्क बिजली देना जारी रखा है। किसानों को सीधे विपणन सुविधा प्रदान करने के लिए उज्हवर संथाई योजना पुनः शुरू की गई है। सरकार मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान कर रही है ताकि किसान अपने ताजे उत्पाद को खेत से सीधे मंडी तक ले जा सकें और वे अपने उत्पाद को लाभप्रद मूल्य पर सीधे उपभोक्ताओं को बेच सकें जिसमें बिचौलियों की कोई भूमिका समाप्त हो। प्रशिक्षित विस्तार कार्यकर्ता नई तकनीकों तथा बेहतर फसल प्रबंधन और जल प्रबंधन से संबंधित प्रौद्योगिकी की जानकारी किसानों को दे रहे हैं। उत्तम बीज तथा मानक खाद की खरीद करने के भी प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि कृषि

* मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्हें किसानों के बीच बांटा जा सके। ऐसे समय में जबकि कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली राजसहायता को कम करने के निर्देश दिये जा रहे हैं, किसानों के लिये लक्षिव प्राथमिकता योजनाओं के रूप में इन कदमों से किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से राजसहायता मिल सकेगी।

हमारे नेता डा. के.करूणनिधि संपूर्ण देश को किसानों द्वारा झेली जाने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए उपयुक्त कदमों को लागू करने के रास्ते सुझा रहे हैं। मैं केन्द्र से आग्रह करूंगा कि अन्य राज्यों में लागू होने वाली योजनाओं के कार्यान्वियन पर कड़ी नज़र रखें। इसमें किसी भी प्रकार के वैचारिक मतभेद अथवा राजनैतिक मतभेद की गंजाईश नहीं है।

जो किसान पूरा वर्ष कड़ी मेहनत करते हैं, वे आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों की समस्या का सामना कर रहे हैं। अकसर ये उनकी पहुंच से बाहर होती हैं। इस संदर्भ में सही दिशा में कदम उठाते हुए तमिलनाडु में एक योजना आरंभ की गई है ताकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले राशन कार्ड धारक परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 2/– रु. प्रति किलो की कीमत पर उत्तम चावल उपलब्ध कराए जा सके। हम इसे एक अप्रत्यक्ष कृषि राजसहायता मान सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से यह एक क्रांन्तिकारी योजना है क्योंकि इससे खुले बाज़ार में कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि अन्य आवश्यक बस्तुएं जैसे कि दालें, तथा अनाज के वितरण को भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल करने की व्यवस्था करें। इससे विशेषकर गरीब लोगों को कीमत बढ़ने की समस्या से निज़ात पाने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार, धान, गन्ना तथा तिलहन का एक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) अवश्यक निर्धारित होना चाहिए। इस प्रकार हमारे नेता मानवीय दृष्टिकोण के साथ एक आर्थिक क्रान्ति लाने का मार्ग दिखा रहे हैं जिसका अध्ययन करने की आवश्यकता है तथा जिसे देश के अन्य भागों में लागू किये जाने की आवश्यकता है ताकि किसानों की दशा को सुधारा जा सके।

**सांय 6.41 बजे**

**(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)***

किसानों के आर्थिक उदारीकरण को भूमि सुधारों द्वारा बेहतर रूप में सुनिश्चित किया जा सकता है। परती भूमि का विकास किया जा रहा है तथा उसे किसानों को बांटा जा रहा है। पहले कदम के रूप में हमारे नेता डा. के. करूणानिधि के भरसक प्रयासों के फलस्वरूप पांच लाख किसानों को दो एकड़ भूमि प्रति किसान दी जाएगी। इस वर्ष 17 सितंबर को अर्थात पेरियार ई.वी.आर, महान समाज सुधारक के जन्मदिन पर गरीब किसानों को विकसित परती भूमि वितरित करने की यह योजना आरंभ की जाएगी। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि किसानों, जो पूरे देश में दुविधा की स्थिति में है, के आंसू पोंछने के लिए इस प्रकार के उपयुक्त कदम उठाए जाएं।

जैसा कि चुनावों के दौरान वादा किया गया था, हमारे नेता ने हमारे चुनाव घोषणपत्र को अपने पहले बजट प्रस्ताव के रूप में बदल दिया। अब अधिकतर वायदों को पूरा किया जा रहा है। कृषि उत्पादकता तथा कृषि उत्पाद को बेहतर बनाने के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जा रहा है। ये उपाय न केवल तमिलनाडु में बल्कि केन्द्र के समन्वित प्रयासों के द्वारा अन्य सभी राज्यों में जारी रहने चाहिये क्योंकि इन उपायों से किसानो को अत्यधिक लाभ पहुंचेगा। जहां तक तमिलनाडु का संबंध है, ऐसे बहुत से जिले हैं जो पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर हैं, थंजाबुर तथा उससे जुड़े जिले पारंपरिक क्षेत्र हैं जहां अत्यन्त प्राचीन समय से कृषि कार्यकलाप जारी हैं। वेल्लौर, तिरूवन्नामलाई, धर्मापुरी तथा कृष्णागिरी लिफ्ट सिंचाई पर निर्भर हैं। यहां जल स्तर भी घट रहा है। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि एक व्यवहार्य योजना आरंभ की जाये ताकि सूखा प्रवण जिलों की सिंचाई की आवश्यकतओं को पूरा किया जा सके। ऐसे बहुत से व्यवसाय तथा जीवनयापन के कार्यकलाप हो सकते हैं। उनमें से, कृषि को प्रथम स्थान पर होने का गर्व है क्योंकि अन्य सभी क्षेत्र कृषि पर निर्भर हैं। यहां तक कि साधु तथा संत, मठवासी तथा एकान्तवासी, संस्कृति तथा विरासत, सभ्यता तथा सामाजिक विकास सभी कृषि पर निर्भर हैं तथा सतत कृषि कार्यकलापों के अभाव में उनका अस्तित्व नहीं हो सकता है। इसलिए, यह सवोच्च स्थान पर है। मुझे ऐसा कहते हुए गर्व महसूस हो रहो है क्योंकि मैं स्वयं भी एक कृषक हूं।

इस दृढ़ विश्वास के साथ कि देश के, विशेषकर तमिलनाडु के किसानों द्वारा झेली जा रही समस्याओं के समाधान हेतु सरकार तदनुसार कार्य करेगी, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

***श्री एस. मल्लिकार्जुनैया** (तुमकुर): महोदय, स्वतंत्रता के 59 वर्षों के बाद भी किसानों की स्थिति बदतर होती जा रही है। हाल ही में पूर्व प्रधान मंत्री तथा जेडी (एस) के अध्यक्ष श्री देवे गौड़ा जी ने उल्लेख किया था कि केन्द्र की कृषि नीति किसान–विरोधी है। उन्होंने यह भी कहा कि 8500 किसान पहले ही आत्महत्या कर चुके हैं। इनमें से अधिकतर मामले वित्तीय कुप्रबंधन के कारण हैं। ये सभी वास्तविक तथ्य हैं तथा केन्द्र को किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए आगे आना चाहिए।

* मूलतः कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर। भाषण सभा पटल पर भी रखा गया।

[श्री एस. मल्लिकार्जुनैया]

माननीय वित्त मंत्री ने कृषि ऋण पर ब्याज को 7 प्रतिशत तय कर दिया है। कर्नाटक में ब्याज दर केवल 4 प्रतिशत है। हम पूरे देश में कृषि ऋण पर एकरूप ब्याज दर क्यों नहीं रखते हैं? वास्तव में, मैं सुझाव देता हूं कि कृषि ऋण की ब्याज दर को घटाकर केवल 2 प्रतिशत कर दिया जाए।

कृषि उत्पाद का संवर्धन बहुत आवश्यक है। इन दिनों शैक्षणिक संस्थान तथा कुछ कार्यालय कतिपय सॉफ्ट ड्रिंक्स की बिक्री पर रोक लगा रहे हैं क्योंकि उनमें कीटनाशक मिल रहे हैं। अब, नारियल पानी को पैक करने का एक नया तरीका है। गिरी को नारियल पानी सहित पूर्ण रूपेण बाहर निकाल लिया जाता है। इसे सुंदर तरीके से पैक किया जाता है तथा इसे लगभग 15/– रुपए प्रति पीस पर बेचा जाता है। जो व्यक्ति कीटनाशक युक्त सॉफ्ट ड्रिंक के लिए लगभग 10/– रु. का भुगतान कर सकता है, वह गिरी तथा नारियल पानी के लिए 15/– रु. का भुगतान करने मे नहीं हिचकिचाएगा, क्योंकि वह नारियल पानी के साथ–साथ मुलायम नारियल गिरी का आनंद भी ले सकता है जो कि मुलायम, मीठा तथा स्वास्थ्यवर्धक होता है। राज्यों के साथ–साथ केन्द्र को नई प्रौद्योगिकी विकसित करनी चाहिए ताकि हमारे किसान पैक किए गए नारियल पानी का निर्यात कर सकें।

दूध उत्पादकों की हालत बदतर है। पानी मंहगा है। यह दूध से भी मंहगा है। उनके साथ बेहतर बर्ताव होना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में पानी की भारी किल्लत है। बाढ़ ने कई अन्य क्षेत्रों को तबाह कर दिया है, हाल ही में आई इस बाढ़ से सैंकड़ों लोगों की जान चली गई है। सभापति महोदय, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है।

बाढ़ के कारण उपलब्ध अतिरिक्त जल को विशेष तौर पर ग्रामीणों द्वारा–जमा किया जाना चाहिए। यह कदम उन लोगों के लिए वरदान साबित होगा जो हमेशा वर्षा की प्रतीक्षा करते रहते है। जल संरक्षण से किसानों की 95% समस्या सुलझ जाएगी। तालाबों तथा संपर्क नदियों से गाद निकालने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। केन्द्र तथा राज्य दोनों को अच्छे तथा उमदा बीजों का वितरण सुनिश्चित करना चाहिए। हाल ही में कुछ किसानों को कृत्रिम बीज मिले थे, जिसके कारण उनकी पूरी फसल चौपट हो गई । यह कोलार, बैंगलौर तथा तुमकुर जिले के कुछ भागों में टमाटर उगाने वालों के साथ हुआ। उनके द्वारा उगाया गया लाल टमाटर अजीव पीले से रंग में बदल गया और उत्पादकों के सामने उन्हें सड़क पर फेंकने के अलावा और कोई चारा न था। कर्नाटक के केन्द्रीय तथा उत्तरी भागों में ज्वार (विशेषकर मक्का जोला) उगाने वालों के साथ भी यही हुआ।

अब केन्द्र को आगे आना चाहिए तथा देश में किसानों की उपरोक्त समस्याओं को सुलझाना चाहिए। किसानों को बेहतर बाज़ार सुविधाएं, भंडारण सुविधाएं, मुफ्त बिजली तथा अन्य सभी प्रोत्साहन दिये जाने चाहिये। ताकि देश में कोई और किसान आत्महत्या न करे तथा वे लोग भी अन्यों की भांति सामान्य तथा शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें।

**श्री प्रसन्न आचार्य** (सम्बलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, किसानों द्वारा आत्महत्याएं करने से संबंधित कोई–न–कोई खबर समाचार पत्रों में रोज प्रकाशित होती है। कुछ दिन पहले, मैंने एक समाचार पढ़ा था जिसमें यह कहा गया था कि महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के कुछ किसानों ने भारत के माननीय राष्ट्रपति जी को दयार्थ कष्टरहित मृत्यु हेतु याचिका भेजकर उनकी अनुमति प्राप्त करने का अनुरोध किया है जैसा कि आप जानते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी पुराने रोग से ग्रस्त होता है, और वह न तो जी पाने की स्थिति में होता है और न मरने की स्थिति में तब वह सरकार को कष्टरहित मृत्यु के लिए आवेदन करता है। बाहर कई देशों में ऐसा होता है। अब हमारे अपने देश में भी ऐसा होना शुरू हो गया है। किसान सरकार अथवा राष्ट्रपति से स्वयं को मारने की अनुमति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इससे अधिक दुःखदायी और क्या हो सकता है? सामान्यतः चिकित्सक अपने बेटे को चिकित्सक बनाना चाहता है, इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है और अब राजनेताओं में भी एक नयी प्रवृत्ति पनपने लगी है और वह यह कि वे चाहते हैं कि उनके पश्चात उनके बच्चे राजनीति में बने रहे। अगर आज आप इस देश के किसान से यह पूछे कि क्या वह अपने बेटे को किसान बनाएगा तो वह कहेगा कि उसका बेटा कृषि को छोड़कर कोई भी दूसरा व्यवसाय अपने लिए चुन सकता है। आज कोई भी मध्यम श्रेणी का अथवा छोटा किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता। किसान अपने पुत्र अपनी संपति को सुरक्षित देखना चाहता है और वह नहीं चाहता कि वे आत्महत्या करें। आज इस देश में किसान की यह स्थिति है। संक्षेप में, हमारी कृषि इस देश में संकट की स्थिति में है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। किसानों की ऋणग्रस्तता जैसे इन संकटों के अनेक संकेत हैं जिनके परिणामस्वरूप किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कृषिगत घरेलू उत्पाद में स्थिरता आ गयी है, कृषि उत्पादो में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट, उत्पादन लागत में वृद्धि, कृषि उपज के घटते मूल्य और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के मुकाबले भारतीय मूल्यों के मामले में अत्यधिक संवेदनशीलता की स्थिति बन गयी है। इस समय देश जिस संकट से गुजर रहा है, ये सभी उसी संकट के संकेतक हैं। कुछ सदस्य उन मूलभूत समस्याओं का उल्लेख कर रहे थे जिनकी वजह से आज इस देश में कृषि संकट उत्पन्न हुआ है। मैं उन तात्कालिक कारणों को अथवा तत्काल राहत का उल्लेख नहीं कर रहो हूं जो सरकार किसानों को उन्हें इन संकटों से बचाने के लिए प्रदान करने का प्रयास कर रही है। ऐसे बहुत से गंभीर और दूरगामी कारण हैं जिन पर सरकार और इस सभा को विचार करना चाहिए।

पश्चिम बंगाल के माननीय सदस्य इस देश में भूमि सुधारों का

ठीक ही जिक्र कर रहे थे। अगर मैं ठीक बोल रहा हूं भूमि सुधार और हरित क्रांन्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भूमि के स्वामी और वास्तविक कृषि करने वालों के बीच में नकारात्मक संबंध हैं इस देश में कई किसान ऐसे हैं जो कृषि करते हैं और खेतों में मेहनत करते हैं लेकिन स्वतन्त्रता के 60 वर्षों के बाद भी आज तक उनके पास एक बीघा भी जमीन नहीं है।

ऐसा इसलिए है कि हमारे निष्ठा परिपूर्ण तथा बेहतर प्रयासों के बावजूद भी हम अपने देश में भूमि सुधारों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित नहीं कर पाएं हैं। मध्यस्थ, भू-स्वामी किराए का लुत्फ ले रहे हैं और गरीब खेतीहर किसान खेतों में पसीना बहा रहे हैं। देश के कई भागों में यही हो रहा है। मध्यस्थों की रुचि उत्पादन में नहीं है उनकी रुचि केवल उनकी भूमि से मिलने वाले किराए में है। ग्रामीण भारत में कृषक समुदाय असुरक्षित वर्ग है। उनके पास अपनी कोई भूमि नहीं है। इस विसंगति को दूर करने के लिए भूमि सुधार आरंभ किए गए थे।

**कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार)** : क्या आप काश्तकारी की तरफ इशारा कर रहे हैं?

**श्री प्रसन्न आचार्य** : महोदय, मैं काश्तकारी और बटवारे की खेती की ओर ही संकेत कर रहा हूं। ऐसा देश के कई भागों में हो रहा है। भूमि सुधारों की प्रक्रिया का पूरा होना अभी बहुत दूर है। हमने यह प्रक्रिया आजादी के दूसरे दिन आरंभ कर दी थी। मूलतः इसे प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ किया गया था लेकिन यह कार्य आज भी अधूरा है और मैं समझता हूं कि यद्यपि अन्य कारण भी हैं तथापि यह उनमें से एक कारण है जिनके चलते आज हम कृषि संकट से जूझ रहे हैं। कृषि भूमि के छोटे आकार और भूमि की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण किसानों को गरीबी रेखा से उबर पाने में समर्थ बनाने के लिए इन सुधारों के लाभ पर्याप्त नहीं हैं।

महोदय, आपने स्वर्गीय नंदिनी सत्पथी का नाम सुना होगा जिनका देहावसान कुछ दिन पहले हुआ और जो उड़ीसा के दो बार मुख्यमंत्री रही थीं। उन्होंने हमारे राज्य में भूमि सुधारों की प्रक्रिया आरंभ की थी लेकिन उनके भरसक प्रयासों के बावजूद हमारे राज्य में यह समस्या अभी भी बनी हुई है। भूमिहीन मजबूरों के बीच अतिरिक्त भूमि वितरित की जा चुकी है लेकिन भूमि की गुणवत्ता बहुत घटिया है और जोत का आकार इतना छोटा है कि किसान उस जोत में से कोई भी लाभ ले पाने में असमर्थ है। सबसे निचले स्तर पर किसान इस समस्या का सामना कर रहा है। भूमि सुधारों का ध्यान उचित तरीके से पुनः केन्द्रीय करना होगा।

महोदय, 1991-92 की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच भूमिहीन लोगों का प्रतिशत क्रमशः 13.34 प्रतिशत और 11.50 प्रतिशत था। अब इन परिस्थितियों में, कोई इन कृषकों की स्थिति में सुधार की आशा कैसे कर सकता है? हम अपने सम्मुख उत्पन्न इस संकट से उबरने के बारे में किस प्रकार सोच सकते हैं?

महोदय, कई माननीय सदस्यों ने किसानों को ऋण के बारे में बातचीत की है। मैं इस संबंध में इस सरकार को बधाई देना चाहूंगा। गत वर्ष, माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि किसानों को दिया जाने वाला ऋण तिगुना कर दिया जाएगा। यह एक सराहनीय घोषणा है। लेकिन यह मत कि किसानों को जितना अधिक ऋण दिया जाएगा, उतना ही हम किसानों को समस्याओं से निपटने में समर्थ बनाने के लिए अधिक मदद करेंगे, एक भ्रामक और गलत मत है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऋण की आवश्यकता है। ऋण के बिना कोई किसान जिंदा नहीं रह सकता। यह भी सच है कि ऋण दुगुना करना होगा और कोई जरूरत हुई तो तीगुना करना होगा, लेकिन ऋण नीति की त्रुटियों का हमें उचित ढंग से विश्लेषण करना होगा।

उन्नीसवीं सदी में संस्थागत ऋण की आवश्यकता महसूस की गई थी। इस अवधारणा का सुदृढ़ीकरण, मगर मैं ठीक कह रहा हूं तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के साथ आरंभ हुआ था। संस्थागत स्रोतों द्वारा केवल सात प्रतिशत ऋण दिया गया और शेष ऋण साहूकारों द्वारा दिया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान यह स्थिति बनी।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब आप अपनी बात समाप्त कर सकते हैं।

**श्री प्रसन्न आचार्य** : महोदय, मैंने केवल पांच मिनट का समय लिया है। मुझे कुछ और समय दीजिए। मैं समझता हूं कि अपनी पार्टी की ओर से बोलने वाला मैं अकेला वक्ता हूं।

**श्री शरद पवार** : यह केवल पहली घंटी है।

**श्री प्रसन्न आचार्य** : मैं आशा करता हूं कि यह चेतावनी की घंटी नहीं है।

महोदय, ग्रामीण भारत में सर्वत्र फैल चुके कृषि संकट का घनिष्ठ संबंध किसानों में ऋणग्रस्तता के बढ़ते बोझ से है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अधिकांश किसान इसी ऋणग्रस्तता के कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं। इस सच्चाई से इंकार नहीं किया जा सकता। भारतीय किसानों में से आधे किसान ऋण जाल में फंसे हुए हैं। इनके ऋण के स्रोत क्या हैं? क्या उनके ऋण के स्रोत संस्थागत स्वरूप के हैं। जी नहीं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा वर्ष 2005 में कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार, इनका 29 प्रतिशत ऋण साहूकारों द्वारा प्रदान किया जाता है।

बैंकों का हिस्सा केवल 27 प्रतिशत था; सहकारी समितियों का

[श्री प्रसन्न आचार्य]

हिस्सा 26 प्रतिशत था; किसानों के मित्रों और संबंधियों का हिस्सा 18 प्रतिशत था; व्यापारियों का हिस्सा 12 प्रतिशत था, सरकार का हिस्सा मात्र तीन प्रतिशत था और अन्य स्रोतों का हिस्सा पांच प्रतिशत था। वर्ष 2005 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा कराए गए सर्वेक्षण का यह निष्कर्ष निकाला गया। आज तक अधिकांश ऋण न तो सहकारी समितियों से और न ही सरकारी स्रोतों से प्राप्त हुआ। अधिकांशः यह साहूकारों से प्राप्त हुआ। यह शर्म की बात है कि स्वतन्त्रता के लगभग 60 वर्षों के बाद भी देश में इस तरह की बात हो रही है। इस तरह की परिस्थितियों में आज हम अपने सम्मुख उपस्थित इस कृषि संकट से उबरने की आशा कैसे कर सकते हैं? बड़े आश्चर्य की बात है कि कौन–से राज्यों में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं? ये आत्महत्याएं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्यों में हो रही हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे कम विकसित राज्यों में आत्महत्याओं की दर तुलनात्मक रूप से कम हैं। यह विडम्बना है। हमें इसके कारण ढूढ़ने होंगे।

महोदय, इस सरकार ने किसानों के लिए ऋण में वृद्धि कर दी है। इस वर्ष किसानों को दिया जाने वाला ऋण दुगुना कर दिया गया है जैसा कि बजट में घोषित किया गया था। हम आशा करते हैं कि आने वाले वर्षों में इसे तीन गुना और चार गुना किया जाना जारी रहेगा। लेकिन सरकार, नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण नीति में और ब्याज दर नीति में कतिपय खामियां हैं। सरकार की नयी ऋण नीति ने कई समस्याओं को जन्म दिया है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा।

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आपकी पार्टी के श्री महताब भी इस विषय पर बोलेंगे।

*[अनुवाद]*

**श्री प्रसन्न आचार्य** : मैं यहां एक उदाहरण देना चाहूंगा। सरकार ने ब्याज दर घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया है जबकि सरकार द्वारा नियुक्त स्वामिनाथन आयोग, राष्ट्रीय किसान आयोग ने 4 प्रतिशत ब्याज दर की सिफारिश की है। ग्रामीण क्षेत्र में किसानों द्वारा अधिकांश ऋण सहकारी बैंकों से लिए गए हैं। अब सरकार ने वाणिन्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों को 4 प्रतिशत की घटी ब्याज दर पर किसानों को दोगुना ऋण देने के निर्देश दिये है, यदि मैं सही हूं तो मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार ने ब्याज दर में कमी के कारण होने वाले घाटे के लिए 2 प्रतिशत की दर पर क्षतिपूर्ति करने की पेशकश की है। लेकिन यह क्षतिपूर्ति सिर्फ वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए हैं, सहकारी बैंकों के लिए नहीं क्योंकि सहकारी बैंक मूल रूप से राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। 2 प्रतिशत की दर पर क्षतिपूर्ति की यह सुविधा केन्द्र सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों को प्रदान की जायेगी, सहकारी क्षेत्र के बैंकों को नहीं। यह एक बड़ी समस्या है। मैं माननीय मंत्री का ध्यान जमीनी स्तर पर विद्यमान समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सहकारी बैंक इस लाभ से वंचित होंगे क्योंकि वे राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ऋण प्रवाह का 65 प्रतिशत सहकारी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से होता है। अब, यदि मेरी सूचना सही है, तो महाराष्ट्र राज्य ने सहकारी बैंकों को 4 प्रतिशत की दर से क्षतिपूर्ति करने की पेशकश की है। यदि मैं गलत हूं तो माननीय मंत्री मेरी बात को सही कर सकते हैं। कुछ राज्य हैं जो सहकारी बैंकों की क्षतिपूर्ति करने के लिए आगे आए हैं, लेकिन बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और इसी तरह के अन्य निर्धन राज्यों का क्या होगा?

**सांय 7.00 बजे**

जहां तक इस ब्याज दर की कटौती के कारण उनको होने वाले घाटे का संबंध है, तो राज्य सरकारें सहकारी बैंकों को क्षतिपूर्ति करने की स्थिति में नहीं है। नाबार्ड (एन.एन.बी.ए.आर.डी) ने 2.5 प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से कुल ऋण प्रवाह का 40 प्रतिशत देने का प्रस्ताव किया है, यदि सहकारी बैंक किसानों से मात्र 7 प्रतिशत चार्ज करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, नाबार्ड को वर्तमान दर 5.50 प्रतिशत है। वे सहकारी बैंकों को इसी दर पर ऋण दे रहे हैं। मैं अपने ही राज्य उड़ीसा का ही उदाहरण देना चाहूंगा। इस प्रक्रिया में, यदि राज्य और जिला सहकारी बैंकों की क्षतिपूर्ति नहीं की जाती और उन्हें किसानों को 7 प्रतिशत की दर पर ऋण देने को बाध्य किया जाता है, तो उन्हें एक ही वर्ष में 35 करोड़ रु. का घाटा होगा। उन सहकारी बैंकों को, चाहे वह जिला सहकारी बैंक हो अथवा सहकारी समिति, जो आज लाभ अर्जन करने की स्थिति में हैं, उन्हें घाटा उठाना पड़ेगा। यदि सहकारी बैंकों को कमजोर किया गया, जाता है तो किसानों को ऋण देने की पूरी प्रक्रिया ही छिन्न–भिन्न हो जाएगी। मेरा यही कहना है।

मेरी दूसरी बात आवास निर्माण और कार ऋण पर लगने वाले ब्याज दर के बारे में है। यह विडम्बनाकारी और दुःखद स्थिति है कि कार ऋण और आवास निर्माण पर लगने वाली ब्याज दरों में लगातार कमी होती जा रही है लेकिन कृषि ऋण पर लगने वाली ब्याज दर को बैंकों द्वारा बढ़ाया गया है। ऋण दर बढ़ रही है। इस देश में यह एक विडंबना ही है। ऐसा विश्व के किसी विकसित या विकासशील देश में कभी नहीं होता। यह विरोधाभास है कि यद्यपि कृषि को प्राथमिकता क्षेत्र

समझा जाता है, पर इस क्षेत्र पर लगने वाली ब्याज दर, अन्य क्षेत्रों से ज्यादा, है। जैसा कि मैंने कहा, ऐसा किसी भी विकासशील देश में नहीं हो रहा है।

दो या तीन दिन पूर्व मैंने किसी अंग्रेजी समाचारपत्र में एक भयावह समाचार पढ़ा था। महोदय, मैं आपका ध्यान, सभा का ध्यान और सरकार का ध्यान माननीय मंत्री के माध्यम से इस समाचार की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। वह कौन–सा समाचार था? भारतीय रिजर्व बैंक महाजनों (मनी लेंडर्स) की उन किसानों तक पहुंच बनाने की अनुमति देने संबंध ी संभावना की तलाश कर रहा है जिन्हें ऋण की जरूरत है? यदि समाचार सही है, तो भारतीय रिजर्व बैंक महाजनों, जिन्हें इस देश में शोषक समझा जाता है और जिनका शोषण अंग्रेजों के जमाने से होता आ रहा है, को अनुमति देने पर विचार कर रहा है कि वे देश के सुदूरवर्ती भागों में आम ग्रामीणो तक पहुंच बनाएं, यह एक बहुत ही खतरनाक विचार है। बैंक महाजनों को ऋण देगा जो, आगे किसानों को ऋण देंगे, निश्चित रूप से, महाजनों द्वारा जो ब्याज लगाया जाएगा, वह एक निश्चित सीमा तक का होगा। लेकिन उस सीमा को कौन लागू करेगा? क्या भारतीय रिजर्व बैंक अथवा सरकार ने सहाजनों पर रोक लगाने और यह देखने के लिए कोई ढांचा तैयार किया है कि वे किसानों से ज्यादा ब्याज नहीं वसूलेंगे? यह एक बहुत ही खतरनाक विचार है।

महोदय, मुझे दो–तीन बातें और कहनी है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपने 15 मिनट का समय ले लिया है। कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

**श्री प्रसन्न आचार्य** : अन्य क्षेत्रों की तुलना में हमारे देश की कृषि विकास दर का धीमा होना बहुत ही खतरनाक है। भारत में, 1980–96 के दौरान, कृषि विकास दर 3.10 प्रतिशत थी। वर्ष 1991–2005 के दौरान यह प्रतिवर्ष 2.8 प्रतिशत थी। जब आप अन्य विकासशील देशों से इसकी तुलना करते हैं, तो यह बहुत ही निरुत्साही है। यह उसी अवधि के दौरान 6.2 प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद विकास दर की तुलना में बहुत ही कम है जबकि भारत की दो–तिहाई आबादी कृषि–संबंधित आय पर निर्भर है। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है, इसलिए, सरकार को स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

हमारा कृषि में योजना परिव्यय क्या है? यह बढ़ रहा है अथवा घट रहा है? कृषि में हमारा योजना परिव्यय घट रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त होने वाले ऋण के साथ तुलना करते हुए योजना परिव्यय में कमी आयी है जो वर्ष 1978 में 16.4 प्रतिशत से घटकर नौवीं योजना में 1997–2000 में 4.9 प्रतिशत रह गया। कृषि में निवेश प्रणाली से संबंधित मुद्दा भी काफी भयावह है। सार्वजनिक निवेश में लगातार कमी हुई है जिससे अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अल्प सृजन से कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। पहली योजना में सार्वजनिक निवेश 37 प्रतिशत था और यह दसवीं योजना में घटकर लगभग 17 प्रतिशत रह गया। सार्वजनिकक निवेश में विगत 53 वर्षों में 50 प्रतिशत कमी आयी है।

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब आपकी पार्टी का कोई दूसरा स्पीकर नहीं होगा। आप दो मिनट और बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप जितना चाहें बोल सकते हैं, लेकिन आपकी पार्टी का कोई और स्पीकर नहीं होगा। आपने पांच मिनट मांगे थे लेकिन मैंने बीस मिनट के करीब दे दिए, मैंने अनन्त कुमार जी को इसलिए कह दिया कि आपको कहीं जाना था।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री प्रसन्न आचार्य** : महोदय, एक विधेयक सभा में लंबित है और मैं समझता हूं कि उसे स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है। मैं बीज विधेयक की बात कर रहा हूं जिसे वर्ष 2004 में पुरःस्थापित किया गया था।

उस विधेयक में बहुत ही खतरनाक चीजें शामिल की गई हैं। यह बीज विधेयक हमेशा के लिए हमारे बीजों और फसलों की जैव विविधता को विनष्ट कर देगा और किसानों की समस्त स्वतंत्रता को खत्म कर देगा। इससे इस देश में बीज एकाधिकारवाद स्थापित होगा। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है। यह विधेयक, किसानों की सहायता करने की बजाय, उनका भविष्य बर्बाद करने जा रहा है।

ये कुछ ऐसे बिन्दु हैं जिन पर मैंने बोलना चाहा था। मुझे कुछ और बातें भी कहनी हैं। चूंकि आप मुझे अनुमति नहीं दे रहे हैं, तो मैं सरकार से यह अनुरोध करते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि सरकार एक स्पष्ट नीति लाए जो इस देश के लाखों किसानों को आत्महत्या करने से बचा सके।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आज इस चर्चा पर बोलने वाले अंतिम सदस्य हैं श्री सुखबीर सिंह बादल। हम अगले सप्ताह भी चर्चा करेंगे। इसके बाद, हम लोक महत्व के मुद्दों पर विचार करेंगे।

**श्री सुखबीर सिंह बादल** (फरीदकोट) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय हित के इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति प्रदान करने के लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं।

[श्री सुखबीर सिंह बादल]

यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब हम स्वतंत्रता का 60वां वर्ष मना रहे है तो हम संसद में किसानों की आत्महत्याओं के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। वस्तुतः, इस दिन हमें भारत में किसानों की दुर्दशा पर चर्चा करने के बजाए बेहतर प्रौद्योगिकियों और प्रौद्योगिकियों की प्रगति पर चर्चा करनी चाहिए। इस देश में, अधिकांश लोग गांवों में रहते हैं और अधिकांश लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। लेकिन इन दिनों, जहां भी आप जाएंगे, आंध्र प्रदेश हो या महाराष्ट्र या पंजाब जैसे राज्य हों, जिन्हें जहां तक कृषि का संबंध है, भारत के सबसे अधिक प्रगतिशील राज्यों में माना जाता है, आप हर रोज सुनते हैं और पढ़ते हैं--विशेषकर पंजाब में--कि किस तरह से सैकड़ों किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

मैं कृषक परिवार से हूं। मैं किसानों के बीच पला बढ़ा हूं, वहां रहा हूं और मैं किसानों की समस्याओं को समझा हूं। मैं एक बात कहता हूं। स्वतन्त्रता के पश्चात् से लेकर अभी तक सभी राजनैतिक दल इस संबंध में बात करते रहे हैं कि किस प्रकार कृषि को आर्थिक रूप से अर्थक्षम बनाया जाए। प्रत्येक संसदीय सत्र में, किसानों के मुद्दों पर वाद-विवाद होता है, प्रत्येक बजट में प्रत्येक वित्त मंत्री इस बारे में बात करता है कि कृषि को किस प्रकार आर्थिक रूप से अर्थक्षम बनाया जाए। लेकिन यह बहुत दुःख की बात है कि आजादी के साठ वर्षों के बाद भी, हम ऐसी स्थितियों का सामना कर रहे हैं जिनमें कृषि आर्थिक रूप से अव्यवहारिक हो गयी है और किसान ऋण में डूबे हुए हैं। कारण क्या है? क्या आपने कभी विश्लेषण किया है? किसी भी व्यवसाय के सफल होने के लिए उसका लाभकारी होना अनिवार्य है। यदि कोई इकाई लाभकारी नहीं होती तो व्यवसाय बंद हो जाता है। लेकिन गरीब लोग क्या कर सकते हैं? उसके मूल्यों को नियंत्रित रखा गया है। प्रत्येक वर्ष उसके आदान मूल्य बढ़ा दिए जाते हैं। मैं गत पचास अथवा साठ वर्षों के आंकड़ों का उल्लेख नहीं करना चाहता। मैं आपको गत पांच वर्षों के आंकड़े बताना चाहता हूं।

कृषि में खेती के मूलभूत आदान क्या हैं? मूलभूत और मुख्य आदान हैं- डीजल, बीज, कीटनाशी, उर्वरक और श्रम। यदि आप इन्हें देखें तो गत पांच वर्षों में, इन आदानों के मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। मैं सिर्फ एक आदान लेता हूं और यह बताता हूं कि ऐसा किस प्रकार होता है। उदाहरण के लिए हम डीजल लेते हैं। वर्ष 2002 में, डीजल का मूल्य प्रति लीटर 15.79 रुपए था और वर्ष 2006 में यह बढ़कर-प्रति लीटर 31.59 रुपए हो गया जोकि सौ प्रतिशत की वृद्धि है। लेकिन उसके उत्पादन लाभ कितनी वृद्धि हुई? उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितनी वृद्धि हुई? वर्ष 2002 में, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 560 रुपए था और वर्ष 2006 में यह 610 रुपए है, जो कि केवल आठ प्रतिशत अधिक है।

आदानों का मूल्य सौ प्रतिशत से अधिक बढ़ा है और उत्पादन लाभ मूल्य में आठ प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है। गेहूं के मामले में भी यही हुआ है जिसका मूल्य वर्ष 2002 में 610 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 650 रुपए हुआ है। इसके साथ बोनस शामिल नहीं है। प्रत्येक अगले वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर मूल्य बढ़े हैं, लेकिन बोनस नहीं बढ़ा है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार, गेहूं पर बोनस की वृद्धि पंजाब में किसानों द्वारा की गई खरीद का 150 प्रतिशत थी। आज, बहुसंख्यक किसान इस बोनस को भी प्राप्त करने में सक्षम नहीं हुए।

महोदय, एक अन्य चुभने वाली बात यह है। किसानों को प्रोत्साहित करने, उन्हें आर्थिक रूप से अर्थक्षम बनाने के स्थान पर सरकार की नीति उन्हें हतोत्साहित करने की प्रतीत होती है। सरकार आस्ट्रेलिया से अधिक मूल्य पर गेहूं आयात करने को तैयार है, लेकिन सरकार भारतीय किसानों को वह मूल्य प्रदान करने के लिए तैयार नहीं है, जो वह बाहर से गेहूं के आयात पर दूसरे देशों को देती है। इस सबका परिणाम क्या हुआ है? इसका परिणाम यह हुआ है कि इस देश में उत्पादन घटना प्रारंभ हो गया है। खाद्यान्नों के मामले में भारत एक ऐसा राष्ट्र बन गया जिसके पास अधिशेष उत्पादन था। लेकिन अब इसे आयात करना पड़ रहा है और यह बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। मेरे पास सरकारी तथ्य हैं और यह बहुत चौंकाने वाली बात है।

मैं सिर्फ गेहूं का उदाहरण दे रहा हूं। वर्ष 1997 में, केन्द्रीय पूल में गेहूं की कुल खरीद 92 लाख टन थी, वर्ष 2001-02 में यह बढ़कर 206 लाख टन हो गयी। पांच वर्ष के समय में यह लगभग दोगुनी हो गयी। लेकिन 2001 के पश्चात् क्या हुआ? वर्ष 2001 से इस वर्ष तक, गत पांच वर्षों के दौरान, यह वापस 92 लाख टन हो गयी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि केन्द्रीय पूल में खरीद में सौ प्रतिशत की गिरावट आयी है? ऐसा क्यों है? इसका कारण भारत सरकार की नीतियां हैं। हमारे दोहरे मानदंड हैं। हम किसानों की बात करते हैं और हम गरीब लोगों की बात करते हैं, लेकिन हमारी नीतियां वस्तुतः बड़े और भारी उद्योगों एवं दौलत तथा शोहरत वालों के लिए होती है।

मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे कई सहयोगी कृषि ऋण की बात कर रहे हैं। आज यहां आने से पूर्व मैंने बैंकों के साथ बातचीत की। मैंने उनसे केवल दो प्रश्न पूछे। मैंने उनसे यह कहा कि मुझे कृषि ऋण चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि वे किस दर पर मुझे ऋण दे सकते हैं। बैंक प्रबंधक ने मुझे यह बताया कि यदि आप 50,000/- रुपए का ऋण चाहते हैं तो यह 9.25 प्रतिशत होगी; और 50,000 से 2,00,000 के बीच यह 10.25% तथा 200,000 और उससे बड़ी राशि के लिए यह 11.25 प्रतिशत है। तब मैंने कहा कि यदि मैं करखाना स्थापित करना चाहूं तो ब्याज दर क्या होगी? उन्होंने कहा कि यह आठ

प्रतिशत होगी। मैंने उनसे रिलायंस जैसी कंपनियों के लिए ब्याज दर के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि यह छः अथवा सात प्रतिशत होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि बड़ी कंपनियों को यह छः अथवा सात प्रतिशत पर दिया जाता है और इस देश में गरीब किसानों को जो दिन-रात पसीना बहाते हैं, 11 प्रतिशत तक ब्याज चुकाना पड़ता है? इसी प्रकार, मैंने उससे पूछा कि यदि मैं ट्रैक्टर खरीदना चाहूं तो ब्याज-दर क्या होगी? उसने बताया कि 2,00,000 की राशि तक यह 10.25 प्रतिशत और उससे ऊपर की कीमत के ट्रैक्टर के लिए यह 11.75 दर होगी।

यदि आप इस देश में मर्सीडिज खरीदना चाहें तो आपसे बैंक सात प्रतिशत ब्याज वसूलेगा और यदि आप ट्रैक्टर खरीदना चाहे तो यह 11.75 प्रतिशत होगी। इस देश की यह नीति है। इस प्रकार की नीतियों से इस देश के किसान कैसे जीवन यापन कर सकते हैं? रिलायंस कंपनी अथवा किसी बड़ी कंपनी के लिए, यदि कोई प्राकृतिक आपदा होती है अथवा बाढ़ आती है और यदि कारखाने को कुछ हो जाता है तो उनका उत्पादन रुक जाता है, उनका लाभार्जन बंद हो जाता है अथवा प्रकृतिक आपदा के कारण वे घाटे में चले जाते हैं, लेकिन उनका बीमा हुआ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बीमा कंपनी से सब कुछ पुनः वापस मिल जाता है लेकिन प्राकृतिक आपदाओं अथवा बाढ़ के कारण यदि गरीब किसान की फसल तबाह हो जाती है तो उसे कुछ नहीं मिलता। गरीब किसान को सामान्य अवस्था तक लौटने में दस वर्ष तक का समय लग जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। इस वर्ष पंजाब में, खराब मौसम के कारण सैकड़ों किसानों को नुकसान हुआ। आलू की फसल नष्ट हो गयी। मैं समझता हूं 200 करोड़ रुपए से अधिक राशि का नुकसान हुआ। संसद में एक प्रश्न पूछा गया कि कितनी क्षति हुई। यह उल्लेख किया गया कि 200 करोड़ रुपए से अधिक नुकसान हुआ है।

तत्पश्चात् एक प्रश्न और पूछा गया कि इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं? उत्तर मिला कि पंजाब सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वे किसानों को मुश्किल से 500 रुपए अथवा 1000 रुपए प्रति एकड़ देते हैं। लेकिन इससे किसानों, को संभवतः 20,000 अथवा 30,000 रुपए प्रति एकड़ के हुए नुकसान की भरपाई नहीं होती है। अतः इस देश की बुनियादी समस्या यही है। हम तदनुसार नीतियां नहीं बनाते। हम जो नीतियां बनाते हैं वे वस्तुतः किसानों के हित में नहीं होतीं। वास्तव में नीतियां किसानों तक पहुंच ही नहीं पातीं। वे कार्यालयों अथवा अधिकारियों के पास कागजों तक ही सीमित रहती हैं। किसानों तक नहीं पहुंच पातीं। वास्तव में, हमें यह एहसास होना चाहिए कि किसानों को बचाना ही होगा।

आज, पंजाब में किसानों की दशा बहुत खराब है। प्रत्येक वर्ष, पंजाब में आंदोलन होता है। ऋण जाल के कारण हजारों किसान कष्ट में हैं। यदि हम कठोर कदम नहीं उठाएंगे तो कृषि की हालत ऐसी खराब हो जाएगी कि फिर इसे कोई नहीं करेगा। अंततः हमें सभी खाद्यान्न वस्तुओं का आयात करना होगा जैसा कि हमने अभी किया है।

महोदय, हमारा माननीय कृषि मंत्री पर काफी भरोसा है। माननीय कृषि मंत्री जी स्वयं एक किसान है। वह खेती के बारे में सब जानते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कुछ नया करेंगे। और इस बार घोषित दस रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य की तरह न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं करेंगे। यह बहुत चौंकाने वाली बात है।

मैं गत पांच वर्षों के आंकड़ों का अध्ययन कर रहा था। पंजाब के वर्तमान मुख्य मंत्री ने क्या किया है? पंजाब के मामले में, गत पांच वर्षों में, धान के मामले में न्यूनतम समर्थन मूल्य में सिर्फ 50 रुपए की बढ़ोत्तरी हुई है। उससे पहले, वर्ष 1997 से 2001 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य में 165 रुपए की वृद्धि हुई थी। वर्ष 2001 से अब तक, धान के मामले में यह बढ़ोतरी सिर्फ 50 रुपए हुई है। गेहूं के मामले में और भी बुरा हुआ है। वर्ष 1997 से वर्ष 2001-02 तक, गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 230 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। वर्ष 2001 से 2006 तक गत पांच वर्षों में, गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में केवल 40 रुपए की वृद्धि की गयी है। अतः यही कारण है ...*(व्यवधान)* मैं यही बात कह रहा हूं। यही बुनियादी समस्या है। एक कहावत है कि अगर आपके पास अच्छा वकील नहीं है तो आप मुकद्मा नहीं जीतोगे। पंजाब में समस्या यह है कि हमारा वकील बहुत बुरा है। उसके पास पंजाब राज्य के लिए समय नहीं है। उसके पास पंजाब के लोगों के लिए संघर्ष करने का समय नहीं है। उसके पास पंजाब के हितों की रक्षा करने का समय नहीं है। उसके पास समय नहीं है और वह पंजाब की नहीं सुनते। इसमें क्या हुआ है ...*(व्यवधान)* यही मुख्य वजह है।

**श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश** (कनकापुरा) : यह बहुत अनुचित है। आप इस मामले पर राजनीति मत कीजिए ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री सुखबीर सिंह बादल का भाषण कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा। उसके अतिरिक्त, कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

**श्री सुखबीर सिंह बादल** : कृपया इसे देखें। यह आंकड़ा प्राप्त हुआ है। गत पांच वर्षों के आंकड़े स्थिति बता रहे हैं। इसकी वजह यह

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सुखबीर सिंह बादल]

है कि पंजाब के मुख्यमंत्री गत पांच वर्षों से अपनी बात केन्द्र के समक्ष नहीं रख पाए हैं। वह केन्द्र में आने और उस पर दबाव डालने में असमर्थ रहे हैं। इसी कारण आज धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य केवल 40% रुपए है, अकाली दल भा.ज.पा. शासन के पांच वर्षों के दौरान धान के लिए यह बढ़ाकर 165 रुपए और गेहूं के लिए 230 रुपए कर दिया गया था। इसी न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा तब की गई थी। हमने परिणाम दिखाए थे ...*(व्यवधान)* हम परिणाम दिखा भी रहे हैं। जीवन की ये सच्चाईयां हैं। आपको अपना मामला रखने के लिए बेहतर वकील कर लेना चाहिए ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : वह कुछ भी असंसदीय नहीं कह रहे हैं। कृपया बैठ जाइए। श्री सुखबीर सिंह जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

**श्री सुखबीर सिंह बादल** : अंत में, मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी स्वयं एक किसान हैं। वह किसानों की समस्याओं को समझते हैं। मुझे विश्वास है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को केवल 10 रुपए तक बढ़ाने के बजाए वह इसे मूल्य सूचकांक और मुद्रा स्फीति से जोड़ देंगे।

दूसरे, मैं यह भी महसूस करता हूं कि माननीय मंत्री जी किसानों की फसलों का बीमा करने की नीति भी लेकर आएंगे ताकि संकट के दौरान, प्राकृतिक आपदा अथवा किसी अन्य कारण से होने वाली हानि से किसानों की रक्षा की जा सके।

तीसरे, मैं यह कहना चाहूंगा कि पंजाब के किसान देश के सभी भागों में किसानों की तरह ऋण जाल में फंसे हुए हैं। हमें विशेष पैकेज लाना चाहिए। यह पैकेज केवल एक राज्य के लिए नहीं होना चाहिए। यह देश के सभी किसानों के लिए होना चाहिए। क्योंकि सभी किसान इस देश के लिए जी तोड़ मेहनत करके। खाद्यान्न उत्पादन करते हैं। पंजाब को समृद्ध राज्य माना जाता है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि मेरे अपने अनुभव के अनुसार, पंजाब के किसान भारत सरकार की नीतियों के कारण कष्ट भोग रहे हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री भर्तृहरि महताब** (कटक) : महोदय, मैं इस देश में किसानों में व्याप्त घोर निराशा संबंधी नियम 193 के अंतर्गत होने वाली चर्चा में भाग लेता हूं। आत्महत्याएं, बढ़ती हुई ऋणग्रस्तता और फैसले की घटती हुई उत्पादकता के साथ गेंहू आयात और अवरुद्ध खाद्य उत्पादन ऐसे कृषि संकट की ओर संकेत करते हैं जिसकी अब और उपेक्षा नहीं की जा सकती।

मुझे विश्वास है कि इस सभा को यह जानकारी है कि कृषि अर्थव्यवस्था और समाज दोनों की नींव मजबूत करती है और यदि इस अधोगामी प्रवृत्ति को रोका नहीं गया तो कोई स्थायी विकास अथवा राष्ट्रीय हित-साधन नहीं हो सकता।

प्रति व्यक्ति ग्रामीण आय घटी है और शहरी ग्रामीण के बीच का अन्तर बढ़ गया है।

देश भर में औसत उपज कम है। प्रायः यह कहा जाता है कि भारत में कृषि यदि हानिकर नहीं तो अलाभकारी है। लेकिन इसमें से कितने लोगों ने वास्तविकता का अध्ययन किया है?

हममें से कितने लोगों ने खेती की लागत और विभिन्न फसलों पर प्राप्त आमदनी का अध्ययन करने का प्रयास किया है?

मैंने एक ऐसा अध्ययन पढ़ा है जिसमें इसकी जांच की गई है। चूंकि खेती की लागत और अलग-अलग फसलों पर प्राप्त आमदनी क्षेत्रावार अलग-अलग है, ध्यान उन राज्यों पर दिया गया जहां उपज सर्वाधिक होती है।

इस प्रकार धान और गेहूं के लिए, मुख्य राज्य पंजाब है। गन्ने, कपास और तोरिये के बीज तथा सरसों के लिए चुने गए राज्य क्रमशः तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात हैं।

| | | |
|---|---|---|
| धान-गेहूं | – | पंजाब |
| गन्ना | – | तमिलनाडु |
| कपास | – | आंध्र प्रदेश |
| तोरिया-कपास | – | गुजरात |

यह पाया गया है कि विदर्भ क्षेत्र में कपास की खेती वर्षा सिंचित क्षेत्रों में की जाती है। लेकिन लाभ कम होते जा रहे हैं, विशेषकर खेती की लागत में काफी वृद्धि के कारण वर्ष 1990 से ऐसा हो रहा है। जबकि वर्ष 1975-76 (1047 रुपए/हैक्टेयर) और वर्ष 2001-02 के बीच (17,234 हैक्टेयर) के हिसाब से कृषि लागत में लगभग 17 गुना वृद्धि हुई है। और इसी अवधि के दौरान कपास से प्राप्त होने वाली आय में केवल 11 गुना वृद्धि हुई जो 1252 रुपए से बढ़कर 13775/हैक्टेयर हो गई। इससे लाभ की दर कम हो गई। किसान समय पर ऋण चुकाने में अक्षम हो गए।

औसत उपज और लागत संबंधी आंकड़ों के अनुसार, हमें 2005-2006 के बुवाई सत्र के लिए कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी ए सी पी) के नवीनतम आंकड़ों का संदर्भ लेना होगा।

* भाषण सभा-पटल पर रखा गया है।

सी ए सी पी आंकड़ों के अनुसार पंजाब में धान की लागत, किसान द्वारा किए जाने वाले सभी नकदी और अन्य खर्चों को मिलाकर 408.53 क्विंटल आती है।

एक क्विंटल 600 रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर और एक हैक्टेयर में 58/55 क्विंटल की उपज पर, पंजाब में गेहूं के उत्पाद से निवल आमदनी 6994.97 रुपए प्रति हैक्टेयर आती है।

यह देखा जा सकता है कि यदि किसान दो फसलें खरीफ में धान और रबी में गेहूं की करता है तो वह वर्ष भर में प्रति हैक्टेयर 12,700 रुपए से कम लाभ कमाएगा। यह आमदनी गन्ने के लिए, अधिक (23,600 रु.) है, जो बारह महीनों में तैयार होती है जो कि धान, गेहूं और सरसों जैसी 120–150 दिनों वाली फसलों से अलग है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सिंचाई की श्रेष्ठतम सुविधा न होने की स्थिति में, – जिसमें दो मौसमी फसलों अथवा गन्ने की पूरी फसल का उत्पादन व्यावहारिक हो – एक हैक्टेयर भूमि का स्वामित्व रखने वाला किसान प्रति माह 2000 रुपए से अधिक लाभ अर्जित नहीं करेगा। और यहां यह मान कर आकलन किया गया है कि ओला वृष्टि, बाढ़, चक्रवात अथवा कीटों के हमलों के कारण किसी भी फसल को कोई क्षति नहीं होगी।

अब वृहत्त तस्वीर पर विचार करें। वर्ष 1995–96 कृषि गणना के अनुसार, भारत में 11 करोड़ 55 लाख 18 हजार कृषक परिवार थे। इनमें से 7 करोड़ 11 लाख किसान परिवार सीमांत जोतों वाले थे जिनके पास एक जोत थी। अन्य 2 करोड़ 16 लाख में 1–2 हैक्टेयर वाली छोटी जोतें शामिल हैं।

इस प्रकार, देश में 80 प्रतिशत से भी अधिक कृषक परिवारों के पास दो हैक्टेयर से भी कम भूमि है। चूंकि सीमांत और छोटी जोतों में से केवल 30 प्रतिशत ही "पूरी तरह से सिंचित हैं", शेष या तो आंशिक रूप से या पूरी तरह से असिंचित हैं, यह सुरक्षा पूर्वक अनुमान लगाया जा सकता है कि तीन–चौथाई भारतीय किसान महीने में 3000/– रु. से भी कम की कमाई करते हैं। मोटे तौर पर यह एक सरकारी अटेन्डेंट के प्रारंभिक वेतन का 60 प्रतिशत है।

दूसरी ओर, 14 लाख बड़ी जोतें हैं जिनका क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर (लगभग 25 एकड़) से भी अधिक है।

यदि अधिकतम मासिक लाभ का आंकड़ा 3000 रु. प्रति हैक्टेयर किया जाता है, तो एक 'धनी' किसान, जिसके पास 25 एकड़ भूमि है, वह 75000 रु. कमाएगा।

लेकिन ऐसे कितने परिवार हैं? और क्या वह समस्त भूमि "पूर्णतः" सिंचाई युक्त है?

तीसरी बात, मैं सोच रहा था कि क्या योजना आयोग से उपलब्ध ग्यारहवां योजना दृष्टिकोण पत्र इस पर कुछ आलोक डाल पाएगा। मैंने पाया कि कृषि के लिए योजना में लक्षित वृद्धि दर लगभग 4 प्रतिशत रखी गई है।

दृष्टिकोण पत्र यह नोट करता है कि जहां तक मांग पक्ष का संबंध है, यह साक्ष्य है कि किसान बदतर मांग परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, इसमें कृषि उत्पादों के लिए प्राप्त होने वाला मूल्य भी शामिल है, जो कि लागत अथवा सामान्य मूल्य स्तर के हिसाब से पर्याप्त नहीं है।

आपूर्ति पक्ष के संबंध में, योजना दस्तावेज यह स्वीकार करता है कि हरित क्रांति के साथ तुलनीय कोई भी घरेलू प्रौद्योगिकीय प्रगति दृष्टि में नहीं है।

तब इसका क्या उपाय है? क्या इस सरकार के पास कोई दिशा है? अथवा क्या वह यह सोचती है कि कॉरपोरेट कृषि को प्रोत्साहित करन तथा बागवानी के क्षेत्र में विविध प्रकार की कृषि करना कृषि को पुनः अर्थक्षम बनाने के लिए पर्याप्त है? अधिकांश क्षेत्रों में उचित दरों पर ऋण प्राप्त होने की कमी एक स्थाई समस्या है जो कि सहकारी ऋण प्रणाली की असफलता को दर्शाता है। किसानों को सरल–सुलभ ऋण उपलब्ध करवाने के लिए सरकार क्या कर रही है?

मैं अपनी आखिरी बात पर आता हूं। हाल ही में हुई भारत की आर्थिक प्रगति जबरदस्त रूप से शहरी क्षेत्रों तक सीमित है। जबकि सेवा क्षेत्र फल–फूल रहा है, कृषि उत्पादकता घटी है। इससे मुख्य तौर पर गरीब प्रभावित हुए हैं।

कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि अनुसंधान तथा विकास की भूमिका महत्वपूर्ण है।

हमारे देश में अनेकों मुख्य फसलों की पैदावार बढ़ाने की पर्याप्त संभावनाएं हैं। हमारे यहां चावल की पैदावार वियतनाम तथा इंडोनेशिया के मुकाबले लगभग आधी तथा चीन के मुकाबले एक–तिहाई है। क्या किसी ने कभी इसके कारण जानने की कोशिश की है?

गन्ना, आलू तथा चाय को छोड़कर लगभग सभी अन्य कृषि उत्पादों का यही हाल है।

चूंकि खेती के लिए कृषि क्षेत्र को बढ़ाने की संभावना बहुत सीमित है, इसलिए कृषि उत्पादन बढ़ाने में कृषि अनुसंधान तथा विकास की भूमिका महत्वपूर्ण है।

जब तक हमारी कृषि संसाधन तथा आदान आधारित वृद्धि से हटकर ज्ञान तथा विज्ञान आधारित वृद्धि वाली नहीं होगी, तब तक हमारी उत्पादकता नहीं बढ़ सकती।

[श्री भर्तृहरि महताब]

किसानों की आत्महत्या/दुःख का मुख्य कारण यह है कि कृषि अब एक लाभदायक उद्यम नहीं रह गया है। खेती से होने वाली कमाई कृषि की दृष्टि से विकसित राज्यों जैसे कि हरियाणा समेत अनेक राज्यों में खेती पर होने वाले वार्षिक खर्च को भी पूरा करने हेतु पर्याप्त नहीं है।

नेशनल सैम्पल सर्वे ऑरगेनाइजेशन (एन एस एस ओ 2005) द्वारा हाल ही में करवाए गए स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एस ए एस) द्वारा यह पूर्ण रूप से प्रमाणित हो गया है।

फसलों के अलाभप्रद मूल्य, ऋणग्रस्तता और बार-बार पड़ने वाले सूखे से फसल बर्बाद हो जाना चहुंओर किसानों में फैली निराशा के मुख्य कारण हैं।

जबकि सूखे से जुड़ी समस्याओं का तत्काल समाधान नहीं किया जा सकता है, अन्य दो समस्याओं, फसलों की कीमतें और ऋणग्रस्तता का समाधान किया जा सकता है।

इस वर्ष अमेरीका ने अपने किसानों को प्रत्यक्ष राजसहायता के तौर पर 180 बिलियन डॉलर देना अनुमोदित किया है। यदि हम यूरोपीयन यूनियन के देशों द्वारा प्रस्तावित राजसहायता को इसमें जोड़ दें तो प्रत्यक्ष राजसहायता का यह आंकड़ा बहुत बड़ा-300 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष – हो जाता है।

यह विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को प्रति वर्ष प्रस्तावित की जाने वाली सहायता से लगभग 700 प्रतिशत से भी अधिक है।

हमारे किसानों को प्रत्यक्ष राजसहायता देने का समय आ चुका है।

भूमि सुधार लागू किए गए थे। कृषि विधि की गुणवत्ता को बेहतर बनाया गया था। खेती के आदानों जैसे कि खादों, बीजों, कीटनाशकों, खेती के उपकरणों, जलापूर्ति तथा बिजली की आपूर्ति को राज सहायता प्रदान की गई थी। जी हां, पिछले 4 दशकों के दौरान हम आत्मनिर्भर बन गए थे। लेकिन अब किसानों में घोर निराशा व्याप्त है।

मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि भारतीय कृषि में वर्तमान संकट केवल स्थिर पैदावार तथा खेती की बढ़ती हुई लागत से ही जुड़ी हुई नहीं है बल्कि यह कृषि क्षेत्र से बाहर रोजगार की संभावनाओं के क्षीण होने से भी जुड़ी है।

जोतों में लगातार आ रही कमी भी कृषि को तेजी से अव्यवहार्य बनाने में सहायक हो रही है।

इसलिए, जैसा कि डा. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषक आयोग द्वारा सुझाव दिया गया है कृषि उत्पादों के लिए लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने हेतु एक मूल्य स्थिरीकरण कोष स्थापित किए जाने की तत्काल आवश्यकता है।

किसानों को कम ब्याज पर कृषि ऋण प्रदान करने की आवश्यकता है तथा इसका विस्तार भी किया जाना चाहिए। किसानों को प्रत्यक्ष राजसहायता प्रदान करने की भी आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह चर्चा अगले सप्ताह जारी रहेगी। अब हम अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों को लेंगे।

**श्रीमती अर्चना नायक** (केन्द्रपाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहूंगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के 60 वर्षों के बाद भी, भारतीय संसद में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व अभी भी एक सपना है।

सदन को शायद यह बात पता हो कि 10 वर्ष पहले, श्री देवेगौड़ा की सरकार एक विधेयक लाई थी जिसमें संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित करने की मांग की गई थी। बाद में, एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। जिसने सर्वसम्मति वाले विधेयक को तैयार किया था। यह विधेयक गुजराल सरकार के समय में भी मौजूद था। पहली बार इसे लोक सभा में 1998 के दौरान श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा पुरःस्थापित किया गया था। उस लोकसभा के भंग होने के पश्चात् इसे 1999 में लोक सभा में पुनः पुरःस्थापित किया गया था।

यद्यपि, यह नोट करना दुःखद है कि अभी भी यह विधेयक सदन में लम्बित पड़ा है। वर्तमान लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 8 प्रतिशत है। 2004-06 के दौरान, राज्य विधान सभाओं में महिलाओं का औसत प्रतिनिधित्व केवल 6.5 प्रतिशत है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि जब तक संसद पर एक सांविधानिक अनिवार्यता नहीं लागू की जाती तब तक महिलाओं के प्रजातांत्रिक अधिकारों को क्षति पहुंचती रहेगी।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि वह संसद तथा राज्य विधान-सभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों का आरक्षण करने वाला विधेयक लाये तथा इसी वर्तमान सत्र के दौरान उसे पारित करवाए।

**श्रीमती तेजस्विनी सीरमेश** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमती अर्चना नायक द्वारा अभिव्यक्त विचारों का समर्थन करती हूं ...*(व्यवधान)*

**प्रो. एम. रामदास** (पांडिचेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमती अर्चना नायक द्वारा उठाए गए मुद्दे का समर्थन करता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री ए. कृष्णास्वामी** (श्री पेरूम्बुदूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं डीएमके की ओर से श्रीमती अर्चना नायक द्वारा अभी–अभी व्यक्त किए गए विचारों का समर्थन करता हूं। ...*(व्यवधान)*

**श्री ए.वी. बेल्लारमिन** (नगरकोइल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी श्रीमती अर्चना नायक द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का समर्थन करता हूं ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश, श्री रामदास आठवले, प्रो. एम. रामदास, श्री ए. कृष्णास्वामी, श्री ई.जी. सुगावनम, श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन, श्रीमती वी. राधिका सेलवी, श्री ए. बेल्लारमिन और श्री पी. मोहन, श्रीमती अर्चना नायक द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का समर्थन करेंगे।

**प्रो. एम. रामदास** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार का ध्यान पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने की आवश्यकता के संबंध में आकृष्ट करना चाहता हूं।

जैसा कि बहुत से लोग जानते हैं कि पांडिचेरी में 38 वर्षों के बाद पंचायती राज संस्थाएं फिर से शुरू की गई हैं। इन संस्थाओं के लिए पिछले चुनाव 1968 में आयोजित हुए थे और गत 38 वर्षों में संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी में पंचायती राज संस्थाएं कार्य नहीं कर रही थी और मैंने इस संबंध में संसद में गत दो वर्ष में हस्तक्षेप भी किया है। माननीय पंचायती राज मंत्री और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ने चुनाव करवाने की पहल की है और अब चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई है तथा गत् माह हमने पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में निचले स्तर पर इन संस्थाओं की स्थापना की है। इसलिए, मैं श्रीमती सोनिया गांधी की प्रशंसा करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने पांडिचेरी में स्थानीय निकाय के चुनाव करवाये हैं और मैं पंचायती राज मंत्री, श्री मणि शंकर अय्यर और ग्रामीण विकास मंत्री डा. रघुवंश प्रसाद सिंह की प्रशंसा करता हूं जिन्होंने मामले में गहरी रुचि दिखाई है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : धन्यवाद।

**प्रो. एम. रामदास** : महोदय, मैं अभी समस्या पर नहीं आया हूं।

अब ये संस्थाएं अस्तित्व में आ गई हैं, इनके पास आधारभूत संरचना नहीं है तथा न ही कोई सुविधा है। हम शुरू से शुरूआत कर रहे हैं। यहां पर 98 ग्राम पंचायतें तथा 108 मध्यवर्ती पंचायतें हैं जो कि पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या के आधे को कवर करती हैं। हम नहीं जानते कि इन पंचायती राज संस्थाओं की परिणति क्या होगी क्योंकि अब ये पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के राजनीतिक मानचित्र में नवजात शिशु की तरह है। अतः, मैं भारत सरकार से विशेष रूप से पंचायती राज मंत्री से आग्रह करती हूं कि उन्हें वहां अपने बच्चों का पालन–पोषण करना पड़ेगा क्योंकि पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र भारत सरकार के सीधे नियंत्रण में है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : धन्यवाद।

**प्रो. एम. रामदास** : महोदय, हम बहुत से मामलों पर काफी समय लगा रहे हैं। मैं एक महत्वपूर्ण मामला उठा रहा हूं। कृपया मुझे दो मिनट का समय दें। इसे यथाशीघ्र पूरा करूंगा।

महोदय, पहला कार्य जिसे सरकार को करना पड़ेगा वह यह है कि उन्हें पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं की स्थिति रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी।

दूसरा, सरकार ने माननीय पंचायती राज मंत्री की अध्यक्षता में पंचायत मंत्रियों की परिषद् गठित की है। परन्तु अब यह कि पंचायती राज संस्थाएं अस्तित्व में आ गई हैं, पांडिचेरी सरकार के स्थानीय प्रशासन विभाग के मंत्री को भी इसमें शामिल किया जाए। सरकार द्वारा गठित विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों की परिषद् में पांडिचेरी सरकार के मुख्य सचिव को भी शामिल किया जाए।

तीसरा, इन संस्थाओं को आधारभूत संरचना के सृजन हेतु विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।

चौथा, निर्वाचित प्रतिनिधि पांडिचेरी में पहली पीढ़ी के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और उन्हें पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण की आचरण नियमावली का कोई ज्ञान नहीं है। उन्हें व्यापक प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे इस कला को जान सकें।

पांचवा, भारत सरकार संसाधन जुटाने के साथ–साथ उन्हें वह कार्य सौंपे जिसके लिए सरकार को पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र को 'एक्टिविटी मैपिंग' तैयार करने के लिए अपनी विशेषज्ञता के साथ मदद करनी पड़ेगी। जब 'एक्टिविटी मैपिंग' तैयार हो जाएगा, तब वे किए जाने वाले और न किए जाने वाले कार्यों को जान जाएंगे। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह कहा गया है कि राज्य सरकारों की ओर से बिना किसी और विलंब के संसाधन जुटाए जाएं और इसलिए, इन पंचायती राज संस्थाओं के लिये भारत सरकार द्वारा सीधे वित्त पोषण किया जाए। ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को कार्यान्वयन हेतु पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा जाए। अब सरकार केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के मामले पर विचार कर रही है; ये सीधे डी आर डी ए को न दी जाएं परन्तु पंचायती राज संस्थाओं को दी जाएं जो कि इन सभी गतिविधियों को सरकार में लाने के लिए अधिक साधन सम्पन्न हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया यहां पर भाषण न दें।

**प्रो. एम. रामदास** : महोदय, अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि पांडिचेरी में जिला योजना समिति नहीं है क्योंकि वहां पर केवल द्वी–स्तरीय प्रणाली है अर्थात् ग्राम पंचायत और मध्यवर्ती पंचायत। जिला योजना समितियां अस्तित्व में नहीं हैं, इसलिए सरकार जिला योजना का तरीका भी ढूंढे। धन्यवाद

*[हिन्दी]*

**श्री मुन्शी राम** (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। भारतवर्ष में 1931 की जनगणना के समय डिप्रैस्ड क्लास की पचहान करके उसे 1936 में सूचीबद्ध किया गया था। सन् 1950 में इसी डिप्रैस्ड क्लास को आर्टिकल 341 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के रूप में नोटिफाइड किया गया। उक्त व्यवस्था के अंतर्गत शैफर्डस धनगर उपजाति को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश, जो कि आज उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल प्रदेश है, अनुसूचित जाति की श्रेणी में यथावत है। राजस्व विभाग के कर्मचारी, अधिकारी भ्रमवश अथवा संवैधानिक असमानता धनगर को अनुसूचित जाति की बजाए, उसकी मुख्य जाति गडरियों के साथ जोड़ कर पिछड़ी जाति मानते हैं, जोकि आर्टिकल 341 का उल्लंघन है, जब कि धनगर/धंगड़ गड़िया समाज की वह उपजाति है, जो कामगार भेड़ की ऊन से उसे कात कर कम्बल बुनने का मुख्य रूप से कार्य करती है, जिसे भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा मान्य बिबलोग्राफी ऑन एस.सी./एस.टी. एंड मार्जिनल कम्युनिटी 1961 व 1982 में उल्लेखित समाज शास्त्रियों ने धनगर समाज को अनुसूचित जाति में बताया, जोकि बिबलोग्राफी ऑन एस.सी./एस.टी. के पृष्ठ संख्या 294 पर अंकित धंगड़/धनगर के बिहार, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल के संदर्भ में अनुसूचित जाति में बताया गया। इसी प्रकार श्री लिस्टस ने अपनी पुस्तक कास्ट एंड ट्राइब्स आफ स्वर्ण इंडिया मद्रास 1909 वोल्यूम II के पृष्ठ 167 तथा जे.एस. हटन ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया बॉम्बे 195, पृष्ठ संख्या 278 एवं एम.ए. सैरिंग ने अपनी पुस्तक हिन्दू ट्राइब्स एंड कास्ट के पृष्ठ संख्या 190 पर धनगर/धंगड़ की शैफहर्ड गोटहर्ड कास्ट बताया, जिसकी सहमति श्री आर.सी. शर्मा ने सैनसस ऑफ इंडिया, 196, वोल्यूम 15, पार्ट VII के हैंडीक्राफ्ट सर्वे के मोनोग्राफ 1 के चैप्टर II में गडरियों की धनगर उपजाति बताया एवं धनगर के घर खाना वैश्य एवं बाह्मण नहीं खाते।

भारत सरकार द्वारा 27.7.1977 को किस प्रकार धनगर अनुसूचित जाति को सूची में से निकाला गया एवं धनगर जाति को किस श्रेणी में माना गया। इससे प्रतीत होता है कि पूर्व की सरकारों द्वारा अनुसूचित जाति की जाति धनगर के लोगों के साथ धोखा किया गया है।

महोदय, ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे इस समाज का उत्थान न हो सके। अतः मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि धंगड़/धनगर समाज को पूरे भारत में अनुसूचित जाति का लाभ दिया जाए।

**श्री संतोष गंगवार** (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र बरेली के अंदर छावनी क्षेत्र भी है और सैन्य प्रतिष्ठान भी हैं। ऐसे ही एक प्रतिष्ठान 6 माउंटेन्स डिप के पड़ोस में एक गांव भरतौल है जिसकी आबादी 5000 से अधिक है और आधे से अधिक वहां सैनिक व भू.पू. सैनिक निवास करते हैं। वह गांव तीन ओर से सैन्य क्षेत्र से घिरा हुआ है और फायरिंग रेंज के नजदीक है। वहां आने–जाने का मार्ग भी सेना–प्रशासन द्वारा बनाया गया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस गांव के पानी के निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए सैन्य–प्रशासन से निरन्तर कहा जा रहा है कि इस गांव के पानी के निकास की व्यवस्था भी आप कराइए या खुद करिए। यदि आप नहीं कर सकते हैं, तो ग्रामवासियों को करने दीजिए, लेकिन सैन्य–प्रशासन इसमें असुविधा पैदा कर रहा है और कोई सहयोग नहीं कर रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि 6 माउंटेन डिप या सेना के अन्य अधिकारी जो इस कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं, उन्हें यह निर्देश दियाजाए कि इस गांव के पानी के निकास की प्रमुख एवं महत्वपूर्ण समस्या है, इसलिए इस ओर ध्यान दें और तुरन्त इसके लिए एक उपयुक्त माध्यम या निकास का रास्ता बनाकर सही ढंग से गांव के पानी को निकालने का काम करें जिससे इस गांव के निवासियों की समस्या हल हो सके। धन्यवाद।

*[अनुवाद]*

**श्री भर्तृहरि महताब** (कटक) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लोक महत्व का अविलंबनीय मामला उठाने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद।

यह चौंकाने वाली बात है कि गत वर्ष यहां आए विदेशी नागरिकों में से कुल 35,610 लापता हो गए हैं। सरकारी सांख्यिकी से पता चलता है कि वर्ष 2005 में भारत में प्रवेश करने के पश्चात् 12,338 बंग्लादेशी, 11,845 अफगानी और 4742 पाकिस्तानी लापता हो गए हैं। ये वे व्यक्ति हैं जिनके पास वैध कागजात थे, वे व्यक्ति जो चुपके से घुस गए होंगे उनकी संख्या को केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है।

मोहाली में क्रिकेट मैच के बाद कुछ पाकिस्तानी लापता हो गए, आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएं ताकि आतंकवादियों से संपर्क रखने वाले व्यक्ति, शायद, पाकिस्तान की आईएसआई जैसी एजेंसियों से मदद लेने वाले व्यक्ति भारत–पाक शांति प्रक्रिया के भाग के रूप में शुरू किए गए विश्वास बहाली उपायों का लाभ न ले सकें। यह बताया गया है कि 371 पाकिस्तानी और 1082 बंग्लादेशी पकड़े गये और 2005 के दौरान इन्हें इनके देश वापिस भेजा गया था; परन्तु बहुत से विदेशी नागरिक हैं जो लापता हो गए हैं।

मीडिया के माध्यम से हमें सूचित किया गया है कि सुरक्षा एजेंसियों के पास इन विदेशी नागरिकों का कोई रिकार्ड नहीं है चूंकि वे अल्पावधि के लिए अथवा पर्यटक वीजा पर भारत में आये थे और उन्हें विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालयों (एफआरआरओ) में स्वयं को पंजीकृत करवाने की छूट है।

क्या सरकार यह नहीं समझती है कि पाकिस्तान और बंग्लादेश के साथ विश्वास बहाली उपायों के भाग के रूप में इस प्रक्रिया का प्रयोग न करने से सुरक्षा अभिकरणों के लिए सिरदर्दी पैदा हुई है? गृह मंत्री, श्री शिवराज पाटील सदन में पहले से ही यह व्यक्त कर चुके हैं कि आतंकवादियों ने पाकिस्तान और बंग्लादेश से हमारे देश में घुसने हेतु विश्वास बहाली उपायों के रूप में चलाई गई बसों और रेलगाड़ियों का फायदा उठाया है।

यद्यपि सरकार ने 165 देशों से लापता लोगों के आंकड़े जारी किए हैं; पाकिस्तानी नागरिकों, बंग्लादेशी नागरिकों और अफगानी नागरिकों के एक वर्ग के लापता होने का मामला चिंता का विषय है। पाकिस्तान, बंग्लादेश और अफगानिस्तान को दिए जा रहे अल्पावधि पर्यटक वीजा की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है।

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री सर्वानन्द सोनोवाल।

**श्री शैलेन्द्र कुमार** (चायल) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे पता है कि आपका पाइंट ऑफ आर्डर क्या है।

*[अनुवाद]*

**श्री सर्वानन्द सोनोवाल** (डिब्रुगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री शैलेन्द्र कुमार** : सर, मेरा पाइंट ऑफ ऑर्डर सुन तो लीजिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप कृपया बैठिए। मुझे मालूम है कि आपका पाइंट ऑफ ऑर्डर क्या है।

...*(व्यवधान)*

**श्री शैलेन्द्र कुमार** : उपाध्यक्ष महोदय, 8.00 बजे नोटिस लिया जाता है। बहुत से सीनियर मैम्बर्स भी आते हैं। मैं वॉक आउट करता हूं।

**सायं 7.34 बजे**

*(तत्पश्चात् श्री शैलेन्द्र कुमार सभा–भवन से बाहर चले गए)*

*[अनुवाद]*

**श्री सर्वानन्द सोनोवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में आईटीआई का 'सेंटर ऑफ एक्सलन्स' में उन्नयन करने के संबंध में लोक महत्व का अत्यंत महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं।

मैं सभा का और केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर राज्यों में नई आईटीआई स्थापित करने और विद्यमान आईटीआई के उन्नयन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना वित्तीय वर्ष 2001–02 में शुरू की गई थी।

आरंभ में योजना 31 मार्च 2004 तक वैध थी परन्तु बाद में इसकी अवधि बढ़ाकर दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत अर्थात् 31 मार्च, 2007 तक कर दी गयी थी।

पूर्वोत्तर योजना के तहत 49.88 करोड़ रुपये के परिव्यय से 22 नई आईटीआई स्थापित की जानी है और 49.02 करोड़ रुपये के परिव्यय से 35 विद्यमान आईटीआई का सशक्तिकरण/आधुनिकीकरण किया जाना है। तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु 1.10 करोड़ रुपये का प्रावधान भी है। इस प्रकार, इन योजनाओं के तहत कुल परिव्यय 100 करोड़ रुपये बनता है। यह योजना इन राज्यों में युवाओं को रोजगार प्रदान करने की क्षमता में वृद्धि करने के लिए इस क्षेत्र के मांग प्रतिमान के अनुसार पता लगाए गए निपुणता क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षित करने हेतु आधारभूत संरचना को सृजित तथा विकसित करने के लिए तैयार की गई है।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए योजना के कार्यान्वयन के पांच वर्षों के दौरान 31 मार्च, 2006 तक कुल 85.75 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है और अब तक 65.12 करोड़ रुपये जारी किए गये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्वोत्तर राज्यों में योजना के कार्यान्वयन की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी है। वित्तीय वर्ष 2006–07 योजना के समापन हेतु अनुमोदित अंतिम वर्ष है और आबंटित निधियों का लगभग 35 प्रतिशत का उपयोग अभी किया जाना है।

इस संदर्भ में केन्द्रीय सरकार ने क्षेत्र में अस्तित्व में आने वाली प्रस्तावित गैस क्रैकर यूनिट के साथ डिब्रूगढ़ में एक नई आईटीआई को 'सेंटर ऑफ ऐक्सलन्स' में उन्नयन करने हेतु आबंटित किया है। उन्नयन हेतु पता लगाया गया क्षेत्र प्लास्टिक प्रसंस्करण क्षेत्र है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत, मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि पूर्वोत्तर राज्यों को आबंटित निधि की शेष राशि अर्थात् उपर्युक्त वर्णित कारण के लिए 65 प्रतिशत राशि तत्काल जारी की जाये।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब, श्री पी. मोहन।

***श्री पी. मोहन** (मदुरै) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सदन का ध्यान हमारे पड़ोस में हमारे मित्र देश श्रीलंका में लगभग लड़ाई की स्थिति और गृह युद्ध की स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। सशस्त्र सेनाओं तथा एलटीटीई के बीच टकराव दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है।

श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में द्वेषपूर्ण जातीय झगड़ों के कारण सैंकड़ों लोग मृत्यु का शिकार हो गये हैं। मुलाईथिवू में नागरिक क्षेत्रों में हवाई बमबारी के कारण एक स्कूल पर हमला हुआ और लगभग 61 बच्चे मृत्यु का शिकार हो गये। बढ़ती हिंसा के कारण लगभग एक लाख लोग जाफना प्रायद्वीप के प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर श्रीलंका के अन्य भागों में चले गये हैं। हर दिन हजारों लोग शरणार्थियों के रूप में भारत आ रहे हैं। इसलिए, श्रीलंका सरकार पर श्रीलंका के उत्तरी तथा पूर्वी प्रांतों में नागरिक क्षेत्रों में हवाई बमबारी और गोलाबारी को रोकने के लिए बल देने की तत्काल आवश्यकता है। एलटीटीई को भी त्रिंकोमाले में मुथुर में सिंचाई जल प्रणालियों को विनष्ट करने की उत्तेजक कार्रवाईयां करने से रोका जाए।

दोनों पक्षों द्वारा शत्रुता को समाप्त करने का अक्षरशः पालन किया जाए। समझौतों के माध्यम से इस जातीय शत्रुता को समाप्त किया जाना चाहिए। भारत सरकार राजनयिक माध्यमों और राजनीतिक उपायों के जरिये यह सुनिश्चित करने के लिए तौर-तरीके विकसित करे कि श्रीलंका गृह युद्ध की चपेट में न आए। सीपीआई(एम) की ओर से मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस मामले को शांतिपूर्ण राजनीतिक समझौतों के माध्यम से मित्रतापूर्वक निपटाने की स्थिति कायम करे।

**श्री ए. कृष्णास्वामी** : महोदय, डीएमके दल की तरफ से, अपने आपको श्री पी. मोहन द्वारा उठाए गए मामले से सम्बद्ध करते हैं ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री ए.वी. बेल्लारमिन, श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन, श्रीमती वी. राधिका सेलवी, श्री ई.जी. सुगावनम और श्री रामदास आठवले भी श्री पी. मोहन द्वारा उठाए गए मामले से अपने आपको सम्बद्ध कर रहे हैं।

*[हिन्दी]*

**डा. करण सिंह यादव** (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र अलवर के ग्रामीण इलाकों में दूरदर्शन व आकाशवाणी की सेवाएं बहुत ही नगण्य एवं प्रारम्भिक अवस्था में हैं। दूरदर्शन रिले केन्द्र वर्तमान में अलवर व उसके निकट कोटपूतली कस्बे में है। मेरा क्षेत्र अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से थानागाजी, बहरोड़, बांसुर, मुण्डावर आदि क्षेत्रों में दूरदर्शन के पूरे सिग्नल नहीं पहुंच पाते हैं और दूरदर्शन प्रसारण बहुत धुंधले नजर आते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मनोरंजन और जानकारियों से वंचित रहना पड़ता है।

महोदय, गांव का साधारण परिवार ब्लैक एण्ड व्हाइट टीवी तो एफोर्ड कर सकता है, लेकिन केबल ऑपरेटर को दिए जाने वाला मासिक किया नहीं। दूरदर्शन ही इनके मनोरंजन व सूचना का साधन है।

अतः मेरा निवदेन है कि अलवर में हाई पावर रिले ट्रांसमीटर लगाया जाए तथा थानागाजी, बहरोड़, मण्डावर और बांसुर में अलग से रिले केन्द्र स्थापित किए जाएं ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। ठीक इसी तरह आकाशवाणी की तरंगें भी पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण नहीं पहुंच पाती हैं। वर्तमान में जो आकाशवाणी का रिले टावर है, वह धरातल पर आकाशवाणी केन्द्र में लगा हुआ है। इस टावर को यदि अलवर में पहाड़ी के ऊपर बाला किले में लगा दें तो अलवर आकाशवाणी केन्द्र के रोचक कार्यक्रम मेरे क्षेत्र के बहरोड़, बानसूर, मण्डावर और थानागाजी के सभी गांवों को प्राप्त हो सकेंगे।

अतः मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के केन्द्र वहां स्थापित करें।

**श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव** (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार एवं उत्तर प्रदेश के संगम स्थल पर अवस्थित गोपालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सड़कों के मामले में उपेक्षित तो रहा ही, हमेशा से राष्ट्रीय राजमार्ग भी केन्द्रीय अनुदानों एवं सहयोग के अभाव में अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाता रहा।

राष्ट्रीय उच्च पथ 28 जो दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर, गोपालगंज होते हुए नेपाल की सीमा को छूते हुए असम तक जाता है, आर्थिक एवं सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उत्तर प्रदेश का देवरिया जनपद मुख्यालय से पगरा, विजयीपुर, मीरगंज, सिवान, छपरा होते हुए पटना को जोड़ने वाली अन्तर्प्रान्तीय सड़क पर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इससे क्षेत्र को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सकता है।

ज्ञात हो कि कुशीनगर, बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली एवं बौद्ध तीर्थ गया एवं राजगीर के सम्पर्क पथ का माध्यम गोपालगंज ही है, जो फाजिल नगर होते हुए समउर, मीरगंज, सिवान सहित बिहार की राजधानी को जोड़ने हेतु बोधगया तक जाती है। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय मानचित्र पर थावे भवानी का भी महत्व है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित उत्तर भारत के तमाम पर्यटक आते हैं, जिसका माध्यम उपर्युक्त पथ ही है।

*मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर होते हुए असम तक जाने वाली सड़क को ईस्ट–वेस्ट कोरीडोर, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अन्तर्गत लेकर उसका निर्माण पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों तक बढ़ाते हुए शीघ्र कराया जाये, ताकि परिवहन एवं पर्यटन से सरकार को राजस्व मिल सके तथा आम जनता को सुविधा मिल सके। धन्यवाद।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह तो आप लालू जी को खुद ही कह देते, तो हो जाना था।

**श्री रामदास आठवले** (पंढरपुर) : इसमें मैं भी अपने आपको एसोसिएट करता हूं।

**श्री राम कृपाल यादव** (पटना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहाजरानी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पटना बिहार में जहाज से संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र (एन.आई.एन.आई.) की स्थापना की गई थी। इस संस्थान में सात कोर्सेज़ की पढ़ाई होनी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश मात्र दो ही पाठ्यक्रमों की पढ़ाई वहां प्रारंभ की गई। अब साजिश के तहत उन दोनों कोर्स की भी पढ़ाई बंद कर दी गई है और सरकार इस एन.आई.एन.आई., गायघाट, पटना को पूर्ण रूप से बन्द कर देना चाहती है, यह एक साजिश हो रही है। यहां से प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण के बाद शिपिंग कम्पनी में रोजगार नहीं दिया जा रहा है। वैसे ही बिहार अति पिछड़ा प्रदेश है। सरकार इस तरह के रोजगार से संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र को अधिक से अधिक स्थापित कर बिहार के विकास में सहायक हो सकती है। दूसरी ओर संस्थापित संस्थानों को बन्द करने की साजिश हो रही है। यह बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात बिहार के लिए है। बिहार तो एक ऐसा पिछड़ा प्रदेश है, जहां इस तरह की संस्थाएं कुछ भी नहीं जा रही हैं।...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप क्या चाहते हैं?

**श्री राम कृपाल यादव** : हम आपके माध्यम से यह चाहते हैं कि माननीय जहाजरानी मंत्री जी बिहार के साथ अन्याय नहीं होने दें और एन.आई.एन.आई. (नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट), गायघाट, पटना के सभी पाठ्यक्रमों को नियमित रूप से चालू करने की अनुमति दें। इससे बिहार के बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण प्राप्त कर शिपिंग कम्पनी में रोजगार मिलने का अवसर प्रदान होगा।

वहां पहले जो दो पाठ्यक्रम थे, उनको भी बंद कर दिया गया है। जैसा मैंने बताया था, वे दो पाठ्यक्रम तो प्रारंभ करें ही, उसके अलावा पांच कोर्स, जिनको प्रारंभ नहीं किया गया है, उनको भी प्रारंभ करें ताकि बिहार के छात्रों को तकनीकी शिक्षा मिल सके और रोजगार के अवसर मिलें।

इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, ये माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करें और यह जो कोर्स बन्द करने की कार्रवाई की जा रही है, इस ओर ध्यान दें।

**श्री पुन्नूलाल मोहले** (बिलासपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर चिरमिरी से चलने वाली गाड़ी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। चिरमिरी से बिलासपुर लोकल ट्रेन चलती है, जो लगभग 6 बजे चिरमिरी से छूटती है और 4 बजकर 30 मिनट पर बिलासपुर पहुंचती है। बिलासपुर में वह 16 घंटे खड़ी रहती है और रात्रि को पुनः 9 बजकर 30 मिनट पर फिर बिलासपुर से चिरमिरी की ओर जाती है। वहां एक और ट्रेन अंबिकापुर से बिलासपुर चलती है। 15 अगस्त से सरकार ने उस ट्रेन को बिलासपुर से रायपुर राजधानी तक चलाने की अनुमति दे दी है। चिरमिरी बिलासपुर के संबंध में लंबे समय से मांग है और वहां के लोग इसके लिए कई बार आंदोलनरत हो चुके हैं और अभी भी आंदोलन हो रहे हैं कि जो ट्रेन 16 घंटे खड़ी रहती है, चिरमिरी से बिलासपुर, बिलासपुर से उसे रायपुर दुर्ग राजधानी तक जोड़ा जाए, जिससे आसपास के दस लाख लोगों को सुविधा मिलेगी, जो वहां 16 घंटे रुके रहते हैं।

महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि अंबिकापुर से बिलासपुर दुर्ग तक जो ट्रेन आगे बढ़ायी गयी है, उसके बीच में अनूपपुर स्टेशन पड़ता है और चिरमिरी से बिलासपुर चलने वाली ट्रेन को भी अनूपपुर से गुजरना पड़ता है। अगर इस तरह न करके, अंबिकापुर में दो घंटे का गैप देकर दोनों गाड़ी एक–डेढ़ घंटे के अंतराल पर चलायी जाएं, तो सीधे रायपुर तक जाने में लोगों को सुविधा होगी। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि चिरमिरी से बिलासपुर लोकल ट्रेन को रायपुर दुर्ग तक बढ़ाया जाए। पिछली बार जब हमने प्रश्न किया था, तो ट्रैक नहीं होने के कारण इसे नहीं बढ़ाये जाने की जानकारी माननीय मंत्री जी की तरफ से हमें दी गयी थी। अब मैं मांग करना चाहूंगा कि वहां अब ट्रैक वगैरह की सुविधा हो चुकी है, बिलासपुर से चिरमिरी बिलासपुर ट्रेन को रायपुर दुर्ग तक ले जाने की मैं मांग करता हूं। कृपया केन्द्र सरकार इसके ऊपर ध्यान दे।

इसी आशा के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

*[अनुवाद]*

**डा. के. एस. मनोज (अलेप्पी)** : महोदय, कृपया मुझे यहां से बोलने की अनुमति दीजिए।

महोदय, केरल खाद्य की दृष्टि से अभाव वाला राज्य होने के कारण राज्य को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण रूप से

[डा. के.एस. मनोज]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निर्भर है, राज्य की 85 प्रतिशत से भी अधिक खाद्यान्न आवश्यकता राज्य के बाहर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों पर निर्भर है, भारत सरकार के लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कार्यान्वित करने के निर्णय से राज्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। बी पी एल आबादी का निर्धारित प्रतिशत मनमाना है। इससे कई पात्र परिवार बी पी एल सूची से बाहर हो गए हैं। कृषि क्षेत्र में संकट और बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी बीपीएल परिवारों की संख्या बढ़ी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नेटवर्क को बड़ा करने की बजाय, भारत सरकार ने राज्य को पहले से ही मौजूद गेहूं, चीनी और मिट्टी के तेल के कोटे में कमी कर दी है। किये गये संशोधन के अनुसार, केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं का आबंटन 46190 मीट्रिक टन से घटाकर 19130 मीट्रिक टन कर दिया है – अर्थात् – यह जून, 2006 से मार्च, 2007 तक-घटाकर करीब-करीब एक तिहाई कर दिया गया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, राज्य को मिट्टी के तेल के आबंटन में 7750 मीट्रिक टन की भारी कमी की गई है, इस तरह से भारत सरकार राज्य की वास्तविक मांग को नजरअंदाज कर रही है।

केरल के माननीय मुख्यमंत्री ने माननीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की है और उन्हें राज्य की स्थिति से अवगत कराया है, अभी पिछले दिनों, केरल और अन्य राज्यों के खुदरा राशन डीलरों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने की मांग करते हुए रैली आयोजित की और जंतर-मंतर पर धरना दिया।

इसलिए, मैं सरकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सार्वभौमिक राशन वितरण बहाल करने हेतु शीघ्र कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री धर्मेन्द्र प्रधान** (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले एक महीने में बंगलादेश में चाहे छोटे पैमाने पर हों लेकिन ऐसी दो प्रमुख घटनाएं हुई हैं, जिनपर यदि भारत सरकार अपना कुछ मत दे या चिन्ता करे तो देश हित में ठीक होगा। पिछली 31 जुलाई को भारत के विदेश सचिव माननीय श्री शरण वहां के विदेश सचिव से बात करने के लिए गए थे। उस वार्तालाप की जब उस रात मीडिया से मीटिंग हुई, उसमें भारत के आकाशवाणी के प्रतिनिधि माननीय।*

**उपाध्यक्ष महोदय** : नाम मत लीजिए, नाम रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)*

**श्री धर्मेन्द्र प्रधान** : ठीक है।

ऑल इंडिया रेडियो के अधिकारी, जो गुलशन नगर, ढाका में रहते हैं, उनके घर में रात दस बजे उन पर ब्रूटल अटैक हुआ, उन्हें मारने तक की बात आई। वे अपोलो अस्पताल में भर्ती हुए और 42 घंटे तक कोमा में रहे। संयोग से वे उड़ीसा के हैं, इसलिए हमें ज्यादा चिन्ता हुई। वहां उनके पास उनकी पत्नी है और अकेली बेटी है। चिन्ता इसलिए भी हुई जब भारत सरकार ने उस पर तथ्यों को छिपाने का काम किया। पहले कहा गया कि उन्हें फूड पॉयज़निंग के कारण ऐसा हुआ जबकि उन्हें मल्टीपल इंजुरी हुई, सिर से लेकर पांव तक उन पर कई आघात किए गए। विदेशों में जो भारतीय अधिकारी काम करते हैं, भारत सरकार को उनके बारे में चिन्ता करनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या यह स्टेट मैटर नहीं है?

**श्री धर्मेन्द्र प्रधान** : ऐसी ही एक प्रमुख घटना में पिछली 10 अगस्त की रात को आसाम के काचार जिले में बांग्लादेश राइफल्स की ओर से बीएसएफ की तीन चौकियों पर अटैक हुआ। उसमें तीन सिविलियन्स की मौत हो गई, जिनमें बच्चे भी थे। मैं आपके माध्यम से विनती करता हूं, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि लेबनान में सिविलियन्स के ऊपर अत्याचार होते हैं तो यह संसद चिन्ता प्रकट करती है, लेकिन अगर भारत की भूमि पर बंगलादेश की ओर से अटैक होता है और उसमें महिलाएं और बच्चे मरते हैं, उसमें भारत सरकार अपनी नीति स्पष्ट क्यों नहीं करती। मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार इस बारे में कुछ कार्यवाही करे।...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप अपना नोटिस पहले दिया कीजिए, आपने नोटिस नहीं दिया था।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री खारबेल स्वाई** (बालासोर) : महोदय, माननीय रेल मंत्री यहां विद्यमान है। क्या वे माननीय सदस्य श्री धर्मेन्द्र प्रधान द्वारा उठाए गए मामले पर टिप्पणी करेंगे?

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता।

**श्री खारबेल स्वाई** : महोदय, आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, यह एक गंभीर मामला है। उन्हें यह कहने दें कि वे हमारे मामले को संबंधित मंत्री के पास ले जाएंगे।

**श्री प्रसन्न आचार्य** (सम्बलपुर) : महोदय, हम माननीय मंत्री से उत्तर देने के लिए अनुरोध करते हैं,...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[हिन्दी]*

**श्री रामदास आठवले** : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान ने नेशनल इंटैगरिटी की जो विचारधारा अपनाई है, अगर भारत को मजबूत करना है तो सारे समाज को एक जैसा बनाना चाहिए। लेकिन हमारे देश में आरक्षण के मुद्दे पर आपस में विवाद है। हमारे देश में शैडयूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स की पोपुलेशन 25 प्रतिशत है और ओबीसी की पोपुलेशन 55 प्रतिशत है। कुल मिलाकर जिनकी पोपुलेशन 80 प्रतिशत है, उन्हें 49.5 प्रतिशत आरक्षण मिलता है, लेकिन 20 प्रतिशत जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उन्हें 50.5 प्रतिशत जनरल सीटें मिलती हैं। इसके बावजूद उन्हें ऐसा लगता है कि हमें आरक्षण नहीं मिलता। मेरा सरकार से निवेदन है कि अभी 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते, लेकिन कॉन्स्टीट्यूशन में अमैंडमेंट करके भारत में 20 प्रतिशत उच्च वर्ग के लोग, जिन्हें आरक्षण नहीं मिलता, लेकिन उनमें भी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के लोग बहुत ज्यादा है, उन्हें 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। समर्थन और आरक्षण विरोधियों के संघर्ष को खत्म करना चाहिए। उन्हें हमारे आरक्षण का विरोध नहीं करना चाहिए। इस बारे में भारत सरकार को विचार करना चाहिए और कोई निर्णय लेना चाहिए। आप भी इसे सपोर्ट करेंगे।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा दिनांक 18 अगस्त, 2006 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**सांय 7.53 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 18 अगस्त, 2006/27 श्रावण, 1928 (शक) को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

## अनुबंध-I

*तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका*

| क्र.सं. | सदस्य का नाम | तारांकित प्रश्नों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | श्री संतोष गंगवार | 301 |
| 2. | श्री बालासाहिब विखे पाटील | 302 |
| | श्री कैलाश मेघवाल | |
| 3. | श्री गुरुदास दासगुप्त | 303 |
| | श्री अजय चक्रवर्ती | |
| 4. | श्री नवजोत सिंह सिद्धू | 304 |
| 5. | श्री हरिश्चंद्र चव्हाण | 305 |
| 6. | श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे | 306 |
| | श्री श्रीचन्द कृपलानी | |
| 7. | श्री अब्दुल रशीद शाहीन | 307 |
| | श्री हेमलाल मुर्मू | |
| 8. | श्री अर्जुन सेठी | 308 |
| 9. | श्री कैलाश नाथ सिंह यादव | 309 |
| | श्री मो. ताहिर | |
| 10. | श्री अनवर हुसैन | 310 |
| 11. | श्री गिरिधारी यादव | 311 |
| | श्री हरिकेवल प्रसाद | |
| 12. | श्री के.एस. राव | 312 |
| | श्री हरिसिंह चावड़ा | |
| 13. | श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव | 313 |
| | श्री रवि प्रकाश वर्मा | |
| 14. | श्री एल. राजगोपाल | 314 |
| 15. | श्री बालासोवरी वल्लभनेनी | 315 |
| | श्री रायापति सांबासिवा राव | |
| 16. | श्री हंसराज जी. अहीर | 316 |
| 17. | श्री जी.एम. सिद्दीश्वर | 317 |
| | डा. एम. जगन्नाथ | |
| 18. | श्री जीवाभाई ए. पटेल | 318 |
| | श्री वी.के. ठुम्मर | |
| 19. | श्री बी. विनोद कुमार | 319 |
| 20. | श्री बाडिगा रामकृष्णा | 320 |

*अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका*

| क्र.सं. | सदस्य का नाम | प्रश्न संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आचार्य, श्री बसुदेव | 2337, 2367, 2439 |
| 2. | अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा | 2334, 2412, 2462 |
| 3. | अग्रवाल, डा. धीरेंद्र | 2342 |
| 4. | अहीर, श्री हंसराज जी. | 2392, 2451, 2482, 2496 |
| 5. | अजय कुमार, श्री एस. | 2370, 2506 |
| 6. | आठवले, श्री रामदास | 2332, 2417, 2466 |
| 7. | अतिथन, श्री धनुषकोडी आर. | 2380 |
| 8. | "बाबा", श्री के.सी. सिंह | 2309 |
| 9. | बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई | 2286, 2363, 2404, 2456, 2472 |
| 10. | बर्मन, श्री हितेन | 2354, 2431 |
| 11. | बर्मन, श्री रनेन | 2293, 2386, 2508 |
| 12. | बखला, श्री जोवाकिम | 2355, 2431 |
| 13. | भडाना, श्री अवतार सिंह | 2340, 2423 |
| 14. | बिश्नोई, श्री कुलदीप | 2289, 2372 |
| 15. | वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र | 2297, 2437 |
| 16. | बोस, श्री सुब्रत | 2358 |
| 17. | बुधौलिया, श्री राजनरायन | 2422 |
| 18. | चक्रवर्ती, श्री स्वदेश | 2411 |
| 19. | चन्द्र कुमार, प्रो. | 2305 |
| 20. | चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र | 2407, 2458, 2485 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 21. | चावड़ा, श्री हरिसिंह | 2388 |
| 22. | चिन्ता मोहन, डा. | 2327, 2344 |
| 23. | चौधरी, श्री बंसगोपाल | 2346, 2426, 2470 |
| 24. | चौधरी, श्री पंकज | 2356 |
| 25. | चौधरी, श्री अधीर | 2355 |
| 26. | दरबार, श्री छत्तर सिंह | 2436 |
| 27. | देवरा, श्री मिलिन्द | 2306, 2358 |
| 28. | धनराजू, डा. के. | 2491 |
| 29. | फैन्थम, श्री फ्रांसिस | 2499, 2504 |
| 30. | गद्दीगउडर, श्री पी.सी. | 2360 |
| 31. | गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव | 2331, 2361, 2446 |
| 32. | गमांग, श्री गिरिधर | 2310 |
| 33. | गेहलोत, श्री थावरचन्द | 2296 |
| 34. | गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द | 2369 |
| 35. | हर्ष कुमार, श्री जी.वी. | 2422 |
| 36. | हुसैन, श्री अनवर | 2410, 2461, 2487 |
| 37. | जगन्नाथ, डा. एम. | 2425, 2507 |
| 38. | जय प्रकाश, श्री | 2503 |
| 39. | जयप्रदा, श्रीमती | 2298, 2390, 2411 |
| 40. | झा, श्री रघुनाथ | 2324 |
| 41. | जिन्दल, श्री नवीन | 2304, 2445 |
| 42. | जोगी, श्री अजीत | 2411 |
| 43. | जोशी, श्री प्रहलाद | 2294, 2387, 2494 |
| 44. | कलमाडी, श्री सुरेश | 2343, 2447 |
| 45. | करूणाकरन, श्री पी. | 2311, 2497 |
| 46. | कथीरिया, डा. वल्लभभाई | 2363, 2435 |
| 47. | खैरे, श्री चंद्रकांत | 2374 |
| 48. | खां, श्री सुनील | 2337, 2421, 2509 |
| 49. | खंडेलवाल, श्री विजय कुमार | 2353, 2430, 2471, 2492, 2500 |
| 50. | खन्ना, श्री अविनाश राय | 2308, 2397, 2416, 2468 |
| 51. | खारवेनथन, श्री एस.के. | 2320, 2420, 2467 |
| 52. | कोया, डा. पी.पी. | 2381, 2449, 2515 |
| 53. | कृष्ण, श्री विजय | 2375, 2412, 2448, 2491, 2514 |
| 54. | कृष्णदास, श्री एन.एन. | 2351, 2429, 2511 |
| 55. | कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह | 2465 |
| 56. | कुन्नुर, श्री मंजुनाथ | 2326 |
| 57. | 'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह | 2327 |
| 58. | लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह | 2336 |
| 59. | माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई | 2498 |
| 60. | माधवराज, श्रीमती मनोरमा | 2324, 2329, 2412, 2440 |
| 61. | महाजन, श्रीमती सुमित्रा | 2335 |
| 62. | महतो, श्री सुनिल कुमार | 2377, 2443 |
| 63. | माहेश्वरी, श्रीमती किरण | 2339, 2422 |
| 64. | महताब, श्री भर्तृहरि | 2357, 2411 |
| 65. | महतो, श्री टेक लाल | 2328 |
| 66. | मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार | 2345, 2501 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 67. | माने, श्रीमती निवेदिता | 2331, 2361, 2446 |
| 68. | मनोज, डा. के.एस. | 2313 |
| 69. | मसूद, श्री रशीद | 2359, 2502, 2513 |
| 70. | मिडियम, डा. बाबू राव | 2335, 2419, 2510 |
| 71. | मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद | 2364 |
| 72. | मिश्रा, डा. राजेश | 2340 |
| 73. | मिस्त्री, श्री मधुसूदन | 2435 |
| 74. | मोघे, श्री कृष्ण मुरारी | 2353, 2430, 2471, 2492 |
| 75. | मोहले, श्री पुन्नूलाल | 2379 |
| 76. | मोहन, श्री पी. | 2335 |
| 77. | मो. ताहिर, श्री | 2372, 2444, 2491, 2503 |
| 78. | मोहिते, श्री सुबोध | 2291, 2385 |
| 79. | मुन्शी राम, श्री | 2372, 2444, 2491, 2503 |
| 80. | मुर्मू, श्री हेमलाल | 2403, 2454, 2483 |
| 81. | मुर्मू, श्री रूपचन्द | 2368 |
| 82. | नायक, श्री अनन्त | 2307, 2338, 2399, 2478 |
| 83. | नायक, श्रीमती अर्चना | 2411 |
| 84. | निखिल कुमार, श्री | 2355 |
| 85. | ओराम, श्री जुएल | 2315, 2400, 2479 |
| 86. | ओवेसी, श्री असादूद्दीन | 2299, 2391, 2473 |
| 87. | पल्लानी शामी, श्री के.सी. | 2303, 2395, 2455 |
| 88. | पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण | 2465 |
| 89. | परस्ते, श्री दलपत सिंह | 2331, 2335 |
| 90. | पासवान, श्री वीरचन्द्र | 2321 |
| 91. | पटेल, श्री किसनभाई वी. | 2316, 2360, 2436, 2474 |
| 92. | पटैरिया, श्रीमती नीता | 2495 |
| 93. | पाठक, श्री ब्रजेश | 2348, 2428 |
| 94. | पाटील, श्री बालासाहिब विखे | 2405, 2457, 2484 |
| 95. | पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब | 2301, 2433 |
| 96. | पटले, श्री शिशुपाल | 2330, 2372, 2444, 2491, 2503 |
| 97. | राजगोपाल, श्री एल. | 2413, 2463 |
| 98. | रामदास, प्रो. एम. | 2317, 2402 |
| 99. | रामकृष्णा, श्री बाडिगा | 2411, 2416, 2490 |
| 100. | राणा, श्री काशीराम | 2347 |
| 101. | राव, श्री के.एस. | 2411 |
| 102. | राव, श्री रायापति सांबासिवा | 2438 |
| 103. | राठौड़, श्री हरिभाऊ | 2361, 2378, 2446, 2512 |
| 104. | रावले, श्री मोहन | 2361, 2434 |
| 105. | रावत, श्री अशोक कुमार | 2372, 2491, 2503 |
| 106. | रेड्डी, श्री जी. करूणाकर | 2290, 2384, 2475 |
| 107. | रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी. | 2322 |
| 108. | रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन | 2349 |
| 109. | रेड्डी, श्री एन. जनार्दन | 2311 |
| 110. | रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव | 2333, 2418 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 111. | रिजीजू, श्री कीरेन | 2362 |
| 112. | साई प्रताप, श्री ए. | 2373 |
| 113. | शर्मा, डा. अरूण कुमार | 2312, 2398 |
| 114. | सरोज, श्री तूफानी | 2338, 2464 |
| 115. | सतीदेवी, श्रीमती पी. | 2325, 2411 |
| 116. | सत्यनारायण, श्री सर्वे | 2335, 2383 |
| 117. | सेठी, श्री अर्जुन | 2409, 2460, 2486 |
| 118. | शाहीन, श्री अब्दुल रशीद | 2408, 2459 |
| 119. | शैलेन्द्र कुमार, श्री | 2496 |
| 120. | शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील | 2334, 2412, 2462, 2488 |
| 121. | शिवन्ना, श्री एम. | 2329, 2491 |
| 122. | शिवनकर, प्रो. महादेवराव | 2330, 2372, 2382, 2444, 2503 |
| 123. | सिद्दीश्वर, श्री जी.एम. | 2393, 2452, 2480 |
| 124. | सिद्धू, श्री नवजोत सिंह | 2406 |
| 125. | सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी | 2333, 2342, 2418 |
| 126. | सिंह, श्री चन्द्र भूषण | 2323 |
| 127. | सिंह, श्री चन्द्रभान | 2287, 2432 |
| 128. | सिंह, श्री दुष्यंत | 2338, 2352 |
| 129. | सिंह, श्री गणेश | 2295, 2389, 2450 |
| 130. | सिंह, श्री कीर्ति वर्धन | 2331 |
| 131. | सिंह, कुंवर मानवेन्द्र | 2376 |
| 132. | सिंह, श्री प्रभुनाथ | 2350 |
| 133. | सिंह, श्री राकेश | 2314, 2365, 2441 |
| 134. | सिंह, श्री सुग्रीव | 2316, 2360, 2436, 2474, 2493 |
| 135. | सिंह, श्री उदय | 2345 |
| 136. | सिप्पीपाराई, श्री रविचन्द्रन | 2292, 2427 |
| 137. | सुब्बा, श्री एम.के. | 2358 |
| 138. | सुगावनम, श्री ई.जी. | 2302,2394, 2453, 2481 |
| 139. | सुजाता, श्रीमती सी.एस. | 2300 |
| 140. | सुमन, श्री रामजीलाल | 2344 |
| 141. | सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा | 2419 |
| 142. | थामस, श्री पी.सी. | 2366, 2505 |
| 143. | त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि | 2345 |
| 144. | त्रिपाठी, श्री बृज किशोर | 2318, 2442, 2476 |
| 145. | वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी | 2412, 2414, 2464, 2489 |
| 146. | वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास | 2363, 2435, 2472 |
| 147. | वसावा, श्री मनसुखभाई डी. | 2347 |
| 148. | वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी. | 2319, 2338 |
| 149. | वर्मा, श्री रवि प्रकाश | 2334, 2401, 2412, 2477 |
| 150. | विनोद कुमार, श्री बी. | 2415 |
| 151. | विरूपाक्षप्पा, श्री के. | 2371 |
| 152. | यादव, श्री एम. अंजन कुमार | 2377, 2443 |
| 153. | यादव, श्री बालेश्वर | 2288, 2396 |
| 154. | यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह | 2372, 2444, 2491, 2503 |
| 155. | येरननायडु, श्री किन्जरपु | 2341, 2424, 2469, 2491 |

## *अनुबंध-II*

*तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका*

| | |
|---|---|
| नागर विमानन | 317 |
| संस्कृति | 305, 308 |
| रक्षा | 315 |
| खाद्य प्रसंस्करण उद्योग | 314 |
| भारी उद्योग और लोक उद्यम | 302, 303 |
| अल्पसंख्यक मामले | 310 |
| पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | 306, 309, 311, 312, 318, 319 |
| रेल | 301, 304, 307, 313, 316, 320. |
| सामाजिक न्याय और अधिकारिता | |
| पर्यटन | : |

---

*अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका*

| | |
|---|---|
| नागर विमानन | 2292, 2296, 2312, 2318, 2319, 2321, 2326, 2343, 2357, 2370, 2373, 2381, 2391, 2402, 2411, 2416, 2425, 2427, 2429, 2430, 2434, 2446, 2455, 2468, 2474, 2484, 2492 |
| संस्कृति | 2329, 2353, 2355, 2387, 2405, 2453, 2463, 2481, 2482, 2500, 2512 |
| रक्षा | 2313, 2317, 2322, 2323, 2324 2330, 2335, 2359, 2365, 2377, 2406, 2418, 2422, 2435, 2436, 2438, 2441, 2443, 2445, 2465, 2473, 2476, 2496, 2502, 2503, 2508, 2509 |
| खाद्य प्रसंस्करण उद्योग | 2289, 2298, 2300, 2372, 2452, 2506, 2511 |
| भारी उद्योग और लोक उद्यम | 2327, 2342, 2346, 2374, 2384, 2475 |
| अल्पसंख्यक मामले | 2362, 2485 |
| पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | 2288, 2294, 2333, 2337, 2338, 2339, 2344, 2345, 2348, 2356, 2364, 2366, 2367, 2380, 2383, 2392, 2393, 2398, 2403, 2414, 2417, 2419, 2421, 2426, 2428, 2451, 2457, 2464 |
| रेल | 2287, 2290, 2291, 2295, 2297, 2299, 2301, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2314, 2315, 2320, 2328, 2331, 2332, |

| | |
|---|---|
| | 2336, 2340, 2341, 2347, 2349, 2350, 2351, 2352, 2354, 2360, 2361, 2368, 2369, 2371, 2375, 2376, 2378, 2379, 2385, 2388, 2389, 2390, 2395, 2396, 2399, 2400, 2401, 2408, 2409, 2410, 2415, 2423, 2431 2433, 2437, 2439, 2440, 2442, 2444, 2447, 2748, 2449, 2450, 2454, 2458, 2459, 2461, 2462, 2466, 2467, 2470, 2471, 2472, 2477, 2478, 2479, 2480, 2483, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2493, 2495 |
| सामाजिक न्याय और अधिकारिता | 2293, 2311, 2334, 2363, 2386, 2407, 2413, 2420, 2424, 2432, 2456, 2460, 2469, 2486, 2510 |
| पर्यटन | 2286, 2302, 2316, 2325, 2358, 2394, 2397, 2404, 2412, 2494, 2497, 2498, 2499, 2501, 2504, 2505, 2507, 2513, 2515 |

## इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

## लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

## लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली–110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. – 48/22/16/2006 (एन.)
232

© 2006 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशि
और मै. श्री इन्टरप्राइजेज द्वारा मुद्रित।